July to September 2025
E-Journal
Volume I, Issue LI (51)

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Index

01. Index 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09
03. Referee Board 10
04. Spokesperson 12
05. Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf (Akhilesh Chandra Verma) 14
06. Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health: A Commerce-Based SDG Analysis (Anant Kumar Garg) 18
07. Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis (Dr. Anita Maheshwari) 21
08. Nano-Chemistry and its Applications (Mrs. Parul Singh) 26
09. Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years (Priya Rani, Dr. Lakshmi Agnihotri) 32
10. Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres (Akhilesh Chandra Verma) 37
11. Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division (Neha Singh, Dr. L. N. Sharma) 42
12. Emerging Challenges to National Security (Dr. Swati Thakur) 45
13. महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन (डॉ.पूजा तिवारी) 48
14. प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. जे.के. संत) 51
15. नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन (योगेन्द्र कुमार ठगेले) 54
16. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में) (डॉ. राकेश कुमार दिलावरे) 57
17. भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव (डॉ. पुष्पा नागर, श्रीमती रंजना शक्तावत) 59
18. स्वच्छ इंदौर अभियान - प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन (डॉ. दीपा जोशी) 61
19. भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण (डॉ. श्रुति त्रिपाठी) 65
20. कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (नागेश्वरी कुमारी) 67
21. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव (दीपिका शर्मा) 70
22. महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला (वासुदेव एक्का, डॉ. बहुरन सिंह पटेल) 73
23. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव (डॉ. फरहत मंसूरी) 75
24. शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान (अभिषेक एड़े, डॉ. नीना उपाध्याय) 78
25. वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप (डॉ. नलिनी तिलकर) 82
26. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग (डॉ. नीता मौर्य) 84
27. Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress (Raghvendra Joshi) 87

28. Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of Tilapia Mossambica Caused by 90
Herbicide "Pursuit" (Dr. Kamlesh Ahirwar)

29. A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level 92
Cricket Players (Tarun Rawat, Rahul Barod, Pooja Rawat)

30. लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि (अश्वनी, डॉ. बहुरन सिंह पटेल) 95

31. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के 98
विशेष संदर्भ में एक अध्ययन (लखन शर्मा)

32. आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर 103
के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. रेणुका पाटीदार)

33. मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव (डॉ. विनेता) 107

34. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव 110
का अध्ययन (डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट)

35. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : 113
एक अध्ययन (श्रीमती योगिता गौर, डॉ. राखी शर्मा)

36. Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India (Dr. Sunita Shrivastava) 116

37. कबीर का समाज दर्शन: मध्यकालीन भारत में एक क्रांतिकारी स्वर (डॉ. राजाराम परते) 124

38. भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन 126
(विजया लक्ष्मी जोशी)

39. उच्च शिक्षण संस्थानों का आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा जिले एवं 130
निमाड़ के खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. मितेश चौधरी, सपना सोनी)

40. स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास 135
(डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा, जागेन्द्र कुमार कुशवाहा)

41. वन्या कहानी संग्रह में आदिवासी स्त्री चरित्र के जीवन का यथार्थ चित्रण (हिमांशु नागदा, डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार) 137

42. A Critical Study of Impact of Narcotic Drugs and on Society and Human Rights 141
(Manudev Patidar, Dr. Balasaheb Garje)

43. डिग्री से बड़ी है कौशल, एक प्रशिक्षक की नजर से (श्रीमती ज्योतिबाला राठौर) 146

44. Empowering the Girl Child: Evaluating the Role of Frontline Workers in the Beti Bachao 148
Beti Padhao Scheme in Rural Datia, Madhya Pradesh (Dr. Jaishree Trivedi, Mona Pandey)

45. A Brief Study of Nesting Material and Nesting Behaviour in Pigeon (*Columba livia*) 153
(Dr. Balram Das Anand, Shree Ram Rolaniya)

46. Transport Geography and Regional Connectivity: A Comparative Case Study of Dhar 159
and Alirajpur Districts, Madhya Pradesh, India (Dr. Shilpi Verma)

47. गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व और प्रभाव (डॉ. समता मेहता, सुनिता गणावा) 161

48. A Chemical–Toxicology Perspective on Chemical Dyes in Bhopal's Fabric Industry 165
(Dr. Rashmi Sharma, Dr. Manisha Singh, Abhishek Shandilya)

49. Pedagogical Readiness of Teachers for ICT-Enabled Classroom Processes 169
(Rajkumari Rathore, Dr. Rajesh Kumar)

50. मुगलकालीन भारतीय दरबारियों का ऐतिहासिक अध्ययन (बाबर से बहादुर शाह जफर द्वितीय तक) 172
(डॉ. आकाश ताहिर)

51. राजस्थान में जनशिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता (डॉ. रतन लाल सुथार) 175
52. Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin level among Early Adolescent Girls (Vishakha Nagar, Dr. Lakshmi Agnihotri) 177
53. वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान (प्रभा घुरे) 182
54. बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन (डॉ. सुषमा) 184
55. भारतीय इतिहास में मथुरा कला का योगदान (डॉ. शुभम शिवा, देवेन्द्र पाल सिंह) 186
56. सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा (डॉ. राजकुमार नागवंशी) 189
57. मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. मोनिका) 192
58. Screen Addiction: A Threat to the World, Specially to Children (Dr. Monisha Biswal) 195
59. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (सुनीता सोलंकी, डॉ. लक्ष्मी अग्निहोत्री) 200
60. महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका (कु. स्तुति झा, डॉ. विभा वासुदेव) 207
61. Breaking Barriers: Law & Gender Equality (Dr. Pushpanjali Pandey) 209
62. महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान (डॉ. डी.पी. कुशवाहा, डॉ. मंजू कुशवाह) 215
63. एक परिपक्व सामाजिक संवेदना - 'कसक' (गीतांजलि श्री) (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 221
64. लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप (अक्षय कुमार, डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 223
65. Chemical Fingerprinting of Root Extracts from *Withaniasomnifera.* (Dr. Ragini Sikarwar) 225
66. पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका (डॉ. राम सिंह धुर्वे) 228
67. सरोगेसी : महिला शोषण का कुचक्र (नरेन्द्र सिंह पंवार) 232

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. Shaheed Kedarnath College, Mauganj (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
			***** Home Science *****
Diet/Nutrition	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Science		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
Development		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
			***** Education *****
Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
			***** Architecture *****
Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
			***** Physical Education *****
Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
			***** Library Science *****
Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. Aadarsh College, Umaria (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Dr. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf

Akhilesh Chandra Verma*

***Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA**

Abstract: The jackfruit tree (*Artocarpus heterophyllus*), widely grown in tropical regions, has long been valued for its large edible fruits. However, beyond its use as a food source, the tree offers significant medicinal value, especially through its leaves, bark, and latex. Traditional systems of medicine have used jackfruit leaves in treating common ailments like fever, wounds, and digestive disorders. Modern studies have begun to support these age-old practices, identifying powerful compounds in the leaves that offer antidiabetic, anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties. This paper explores the full potential of jackfruit leaves and the tree's medicinal role in both traditional and modern healthcare contexts. The study promotes the use of jackfruit tree parts in daily wellness and calls for more scientific exploration to integrate these natural remedies into current medical systems.
Keywords: Jackfruit tree, medicinal plants, jackfruit leaves, natural healing, traditional remedies, herbal medicine, health benefits, plant-based treatment.

Introduction - The jackfruit tree is one of the most familiar trees in tropical regions, especially in countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, and the Philippines. It thrives in warm and humid climates and can be found in home gardens, rural farms, and forest edges. While the fruit of the jackfruit tree is well-known and widely consumed, the medicinal uses of other parts of the tree are not as popular. In ancient times, people relied on plants for healing purposes, and the jackfruit tree was one of those natural healers found in their surroundings. Traditionally, the leaves of the jackfruit tree were used to treat wounds, reduce fever, manage blood sugar, and support digestion. In folk medicine, people used leaf decoctions (boiled water with leaves) to treat coughs, rashes, and other skin conditions. Despite this deep-rooted use, there has been limited awareness in urban areas and modern medicine regarding the therapeutic power of jackfruit leaves. In recent years, due to the growing interest in natural and plant-based remedies, researchers and scientists have begun to study the chemical components of jackfruit leaves. Initial findings have revealed promising results that support their traditional uses. This paper presents a comprehensive view of how the jackfruit tree, especially its leaves, contributes to health and healing. It aims to promote the use of jackfruit tree-based medicine and highlight its relevance in modern herbal and pharmaceutical applications.

Structure of the Jackfruit Tree and Leaf : The jackfruit tree is a large, evergreen plant that can grow up to 25–30 meters tall. It has a strong and straight trunk covered with thick, brown bark. When the bark is injured, it releases a sticky white substance called latex. This latex itself has some medicinal applications and has traditionally been used to treat skin infections and wounds.The tree's leaves are glossy, dark green, and oval-shaped. They are thick, smooth to touch, and grow alternately on the branches. Younger leaves are tender and slightly lobed, while mature ones become tough and full-bodied. These leaves stay on the tree throughout the year and are easily available even during the dry seasons.The leaves are not just important for photosynthesis; they also play a key role in traditional healing. Due to their thickness and oil content, they can be crushed into pastes or boiled into herbal water. The inner chemistry of the leaf contains several natural compounds such as flavonoids, tannins, and alkaloids, which have been linked with therapeutic benefits like reducing pain, lowering blood sugar, and fighting microbes. The structure of the jackfruit tree allows easy access to its leaves, making them a convenient and low-cost option for household remedies. The leaves can be collected, dried, and stored for future use. This section helps us understand that jackfruit leaves are not just ordinary green parts of the plant—they are potential healers found in nature.

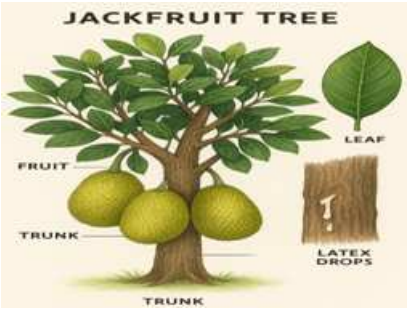

Nutritional and Medicinal Components of the Leaf : Jackfruit leaves are loaded with natural nutrients and phytochemicals that are useful for health. While people often talk about the fruit's nutritional value, the leaves are equally rich in bioactive compounds. Scientific testing has shown that jackfruit leaves contain flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, essential oils, and natural antioxidants. These elements work together to provide multiple health benefits.Flavonoids are plant-based antioxidants known to reduce inflammation and protect cells from damage caused by free radicals. This helps in fighting chronic diseases like cancer and diabetes. Tannins are natural compounds that have antimicrobial properties. They help in healing wounds, treating diarrhea, and stopping the growth of harmful bacteria. Saponins are known to boost immunity and help manage cholesterol levels. Alkaloids can act as pain relievers and also help in managing high blood pressure.Jackfruit leaves also contain small amounts of minerals like calcium, magnesium, and iron. Calcium supports bone strength, magnesium regulates muscle function, and iron is essential for healthy blood circulation. The presence of Vitamin C further adds to the immune-boosting properties of these leaves. Vitamin C also helps in the repair of body tissues and increases the absorption of iron from plant-based foods.Due to this combination of medicinal compounds, jackfruit leaves are considered a natural remedy for several minor health problems. They do not cause harmful side effects when used properly and can be used in both fresh and dried forms. This section reveals why jackfruit leaves deserve more recognition as medicinal tools, not just green parts of a tree.

Traditional Uses of Jackfruit Leaves : In traditional medicine, especially in rural India and Sri Lanka, jackfruit leaves are commonly used to prepare simple yet effective remedies. These methods have been passed from one generation to another and are still practiced in many homes today.One of the most common uses is for managing fever. Leaves are boiled in water and this decoction is consumed once it cools down. It helps lower body temperature naturally without needing synthetic medicines. For skin wounds, the leaves are crushed into a paste and applied directly to the wound. This helps reduce swelling and infection, and supports fast healing. People suffering from high blood sugar levels or early signs of diabetes often use jackfruit leaf water daily. It is believed to help the body use insulin better, thereby controlling sugar levels in the blood. For stomach-related problems like constipation, indigestion, or gas, drinking warm jackfruit leaf water offers relief.In folk remedies, jackfruit leaves are also used to treat boils, insect bites, cough, and even dental issues. Some families use the leaves as natural plates for food because of their cleanliness and strength. In villages, dried jackfruit leaves are sometimes burned and the smoke used to keep away mosquitoes.Though simple, these traditional practices are rooted in deep understanding of natural healing. They show that jackfruit leaves are much more than green foliage—they are natural medicines available at no cost. As urban populations rediscover herbal medicine, these traditional uses become even more important to preserve and promote.

Scientific Value and Healing Properties : With the rise of interest in herbal medicines, modern researchers have begun testing the medicinal claims related to jackfruit leaves. Laboratory studies and small-scale experiments have shown that the leaves truly have biological activities that support health.

1. Antidiabetic Action: When leaf extracts were given to animal models, there was a clear reduction in blood glucose levels. The compounds in the leaves enhance the effect of insulin and support sugar breakdown in the body. Regular use of boiled jackfruit leaf water is believed to help control diabetes naturally.

2. Antimicrobial Effects: Jackfruit leaf extracts have shown strong ability to kill bacteria and fungi. They are effective against common pathogens that cause skin infections, sore throat, and urinary tract infections. This property explains why the leaves are used to treat wounds and rashes.

3. Antioxidant Protection: Free radicals are harmful particles that damage cells and lead to diseases like cancer and heart problems. The natural antioxidants in jackfruit leaves help fight these particles and reduce the chances of chronic illnesses. Antioxidants also help in skin health and delay aging.

4. Wound Healing and Anti-inflammatory Effect: When jackfruit leaf paste is applied to cuts or bruises, it helps reduce swelling and pain. The leaf compounds reduce inflammation and speed up the healing process. This supports the traditional use of the leaves as first aid medicine in rural areas.

These findings support the age-old wisdom of using

jackfruit leaves for healing. Although more scientific studies are still needed, the initial results are highly encouraging and show how powerful a natural remedy the jackfruit leaf can be.

Relevance in Modern Herbal Health Practices : As the demand for natural, plant-based treatments rises across the world, the jackfruit tree—particularly its leaves—deserves renewed attention in modern herbal medicine. People today are becoming more aware of the side effects of chemical drugs and are turning toward safer, eco-friendly, and affordable options. Jackfruit leaves fit this need perfectly due to their wide availability, ease of use, and proven effectiveness in treating common health problems.In urban areas, people may not have direct access to jackfruit trees, but with the right efforts, jackfruit leaf-based products can be developed and marketed in various forms. Herbal tea bags made from dried leaves, capsules containing powdered leaf extract, and ointments or balms using leaf paste can be introduced to the health and wellness market. These products would offer a safe and convenient alternative to synthetic medicines for treating minor infections, managing blood sugar, boosting immunity, and reducing inflammation.In addition, jackfruit leaves have the potential to be included in the Ayurvedic and naturopathic systems as a registered herb with certified uses. Medical practitioners practicing herbal therapy can recommend jackfruit leaf-based remedies to patients as part of an integrated health plan. Even in cosmetic industries, the antioxidant-rich leaves can be used in skin creams or anti-aging products to improve skin health naturally.Educational campaigns and workshops on the health benefits of jackfruit leaves can be organized in communities to create awareness. Schools, health centres, and wellness resorts can cultivate jackfruit plants in their own gardens to promote “grow your own medicine” practices.In summary, jackfruit leaves are highly relevant in today’s healthcare systems. With more research, better packaging, and public education, jackfruit leaf-based remedies can become part of the global movement toward natural healing.

Challenges in Usage and Popularization : Despite the numerous benefits of jackfruit leaves, their use in mainstream medicine and public health remains limited. One of the main reasons is the lack of awareness. Many people, especially in cities, are unaware that jackfruit leaves can be used for treating common health issues. As a result, the knowledge of this valuable plant remains confined to rural and tribal communities.Another challenge is the **absence of standardized products**. Jackfruit leaves are mostly used in their raw form, which makes it difficult for modern health professionals to recommend them without clear dosage guidelines. There is also a lack of scientific trials on human subjects to confirm the extent of their medicinal effects, which is necessary for any herb to be formally accepted in modern medicine.Furthermore, jackfruit leaves are **highly perishable**. Once plucked, they begin to lose their freshness quickly, which makes large-scale packaging and distribution difficult. Without proper drying or preservation techniques, their medicinal properties may degrade over time. Additionally, there is no organized system for collecting, processing, and selling jackfruit leaves like other medicinal herbs such as neem or Tulsi.Another problem is the **inconsistent quality** of leaves across different trees and regions. Differences in soil, climate, and tree age can lead to variations in chemical composition, making it difficult to produce uniform herbal formulations. Lastly, very few companies or researchers are investing in jackfruit leaf-based product development, so innovation remains slow. To overcome these challenges, steps should be taken to spread awareness, develop proper drying and storage techniques, promote research, and support the commercial development of jackfruit leaf-based medicines and supplements.

Conclusion : The jackfruit tree, long admired for its large and nutritious fruits, offers much more than just food. Its leaves are packed with medicinal compounds that make them an excellent source of natural healing. Traditional practices have used jackfruit leaves for centuries to manage diabetes, treat infections, heal wounds, and improve digestion. Now, modern scientific research is beginning to confirm the presence of valuable compounds such as flavonoids, antioxidants, and tannins in these leaves.Despite these advantages, jackfruit leaves remain underutilized in today’s healthcare systems. The lack of awareness, standardized forms, and scientific trials prevents their inclusion in mainstream medicine. Yet, with proper initiatives, the use of jackfruit leaves can be revived and promoted. They offer a low-cost, eco-friendly, and sustainable solution to health challenges, particularly in regions where access to modern medicine is limited.Jackfruit leaves have the potential to be transformed into teas, powders, capsules, ointments, and even skincare products. Encouraging community-level cultivation of jackfruit trees can ensure the availability of this natural medicine for generations to come. With growing global attention toward herbal health, jackfruit leaf-based remedies can find their place in both traditional and modern health practices.In conclusion, it is time to look beyond the fruit and recognize the hidden power of the jackfruit tree. When used thoughtfully, its leaves can enhance personal health, lessen reliance on synthetic medications, and encourage

a more natural lifestyle. They serve as a link between traditional knowledge and modern well-being.

Suggestions for Further Research :

1. **Human Clinical Trials**: Conduct studies involving people to confirm the antidiabetic and antibacterial effects of jackfruit leaf extracts.
2. **Standardization of Extracts**: Identify the best stage of leaf maturity for harvesting and processing, and define a safe and effective dosage for various treatments.
3. **Product Development**: Explore the possibility of developing ready-to-use medicinal products such as jackfruit leaf tea bags, capsules, and creams for commercial use.
4. **Post-Harvest Technology**: Design low-cost drying and packaging methods to preserve the leaves without losing their medicinal value.
5. **Nutraceutical Use**: Study the use of jackfruit leaf extract in health supplements to boost immunity, manage blood sugar, or improve digestion.
6. **Cosmetic Applications**: Investigate the effectiveness of jackfruit leaves in skincare products to reduce aging signs, acne, and skin inflammation.
7. **Education and Outreach**: Start community programs to spread awareness about the use of jackfruit leaves in everyday life, especially in urban areas.
8. **Agricultural Support**: Encourage farmers to grow jackfruit trees not just for fruits, but also for medicinal leaves, by offering support and buy-back schemes.

These steps will help unlock the full potential of jackfruit leaves and make them a valuable part of both natural and professional healthcare systems.

References:-

1. Bansal, R., & Mehra, S. (2022). *Exploring traditional uses of jackfruit leaves in rural India: A community-based survey*. Journal of Ethnobotanical Applications, 14(2), 110–119.
2. Choudhary, N., & Patel, M. (2021). *Phytochemical analysis and medicinal value of Artocarpus heterophyllus leaves*. International Journal of Herbal Science and Research, 9(3), 45–52.
3. Das, A., & Kaur, T. (2023). *Jackfruit tree beyond fruit: A review on the therapeutic potential of its leaves*. Asian Journal of Plant-Based Remedies, 11(1), 68–76.
4. Iyer, P., & Sharma, R. (2020). *A review on antioxidant and antimicrobial activities of common tropical tree leaves*. Herbal Pharmacology Quarterly, 8(4), 223–234.
5. Mahadevan, V., & Dutta, S. (2022). *Natural antidiabetic agents from plant sources: Role of jackfruit leaf extract in glucose regulation*. Journal of Natural Plant Therapeutics, 10(2), 89–96.
6. Natarajan, S., & Verma, P. (2021). *Role of Artocarpus heterophyllus in traditional healthcare practices of Southern India*. Journal of Ethnopharmacological Research, 7(1), 77–85.
7. Roy, A., & Bhatnagar, S. (2022). *Botanical perspectives of medicinal trees: Focus on jackfruit leaves for public health*. Advances in Tropical Botany, 5(3), 104–112.
8. Singh, A., & Yadav, H. (2023). *Development of herbal teas using jackfruit leaves: A pilot consumer study*. Journal of Functional Herbal Beverages, 6(2), 30–38.
9. Tiwari, M., & Joshi, D. (2021). *Biological role of flavonoids and tannins in jackfruit leaves: An experimental approach*. Modern Phytomedicine Studies, 13(4), 172–179.
10. Zaveri, R., & Kulkarni, M. (2023). *Ethnomedical and nutritional potential of jackfruit tree in sustainable health practices*. Indian Journal of Sustainable Food and Health Systems, 12(1), 59–66.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health : A Commerce-Based SDG Analysis

Anant Kumar Garg*

***Research Scholar and Environmentalist, M.Com., Indira Gandhi National Open University, New Delhi, INDIA**

Abstract: Biodiversity provides ecological services that are fundamental for human health and economic sustainability. In India, forest-based plant biodiversity offers critical resources such as medicinal plants, food supplements, and raw materials for industries. However, their economic valuation remains inadequately integrated into commerce and policy frameworks. This study seeks to evaluate the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health within the Sustainable Development Goal (SDG) framework, with a focus on SDG 3 (Health), SDG 8 (Economic Growth), SDG 12 (Sustainable Consumption), and SDG 15 (Life on Land). Using an exploratory approach based on secondary data interpretation, case studies, and indicative valuation methods, the research demonstrates the dual role of biodiversity in ensuring health security and enabling livelihood opportunities. Results highlight that plant-based ecological services not only reduce healthcare costs but also generate sustainable income through eco-commerce. The COVID-19 pandemic further underscores the risks of biodiversity loss for public health, reinforcing the need for conservation and restoration. The findings underline the urgency of mainstreaming biodiversity valuation into commercial decision-making and policy interventions. The study concludes by offering policy recommendations for integrating biodiversity-health linkages into national economic planning, thereby reinforcing India's commitments to global sustainability targets.

Keywords: Forest finance, biodiversity, human health, eco-commerce, sustainable development goals, India.

Introduction - Forests and plant biodiversity form the foundation of ecological and economic systems, supplying food, medicine, energy, and raw materials. Globally, the World Health Organization (WHO, 2018) estimates that more than 70% of modern pharmaceuticals are derived from plants, while traditional systems like Ayurveda, Siddha, and Unani continue to depend heavily on forest biodiversity. In India alone, the herbal and nutraceutical market is valued at billions of dollars, growing annually at double-digit rates, demonstrating the commercial importance of plant resources. Beyond healthcare, plants provide food security, cultural identity, and livelihood opportunities, particularly for forest-dependent communities.

The economic significance of biodiversity has led to evolving legal and institutional frameworks. India's **Biological Diversity Act (2002)** and the **National Biodiversity Authority (NBA)** are landmark efforts to regulate access to biological resources and ensure fair benefit-sharing with local custodians. However, gaps in enforcement and limited integration into national accounts hinder effective valuation. Global frameworks such as the **Convention on Biological Diversity (CBD)** and the **Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing** emphasize linking biodiversity with human welfare and commerce, aligning closely with India's commitments under the Sustainable Development Goals (SDGs).

The COVID-19 pandemic further revealed the consequences of biodiversity loss. Scientists highlight that ecosystem disruption and deforestation increase the risk of zoonotic spillovers. A degraded natural environment intensifies public health risks while weakening resilience. Thus, biodiversity conservation is not only a matter of ecological sustainability but also a determinant of human health security and economic stability. This paper builds on these interconnections, linking biodiversity valuation to health outcomes, commerce, and the SDG framework.

Literature Review

a) Ecology and Economy: Global scholarship highlights the economic significance of ecosystem services. Costanza et al. (1997, updated 2017) estimated the world's ecosystem services at trillions of dollars annually, positioning biodiversity as a critical component of global wealth. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010; UNEP, 2020 update) further developed methodologies for

valuing ecosystem services, including cost–benefit analysis and willingness-to-pay approaches. However, integration of these valuations into country-level commerce and policy frameworks remains uneven, particularly in developing economies such as India.

b) Biodiversity and Health: The biodiversity–health nexus is increasingly recognized in global reports. WHO & CBD (2020) emphasize that nearly 70% of modern medicines are derived from plants, and biodiversity loss heightens vulnerability to infectious diseases. Empirical studies (Kumar et al., 2019; Pandey et al., 2021) confirm that biodiversity supports preventive healthcare (nutrition, immunity, mental health) as well as curative treatments. Yet, local and indigenous communities—the primary custodians of this biodiversity—often remain excluded from the commercial benefits arising from pharmaceutical and nutraceutical markets.

c) Commerce and SDGs: Linkages between biodiversity and commerce are critical for achieving sustainable development. Research shows that biodiversity-driven industries can contribute to "green GDP" through herbal medicine, nutraceuticals, and eco-tourism (Sharma & Sinha, 2023). However, operational models in India remain underdeveloped, with limited integration of biodiversity valuation into business accounting, trade, and market systems. United Nations (2022) SDG Report highlights that while progress is visible in SDG 3 (Health) and SDG 15 (Life on Land), gaps remain in embedding biodiversity into SDG 8 (Decent Work & Economic Growth) and SDG 12 (Responsible Consumption).

Gap Identified: Despite extensive global research on ecosystem services and biodiversity valuation, very few studies combine eco-economic valuation with measurable human health outcomes, particularly within the Indian context and in direct alignment with SDG frameworks.

Objectives:

1. To analyze the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health.
2. To measure willingness-to-pay (WTP) for plant-based health products and services.
3. To link biodiversity valuation with SDGs (3, 8, 12, 15).
4. To provide commerce-based policy recommendations.

Hypotheses:

1. **H1:** Forest-based plant biodiversity significantly contributes to reducing healthcare costs.
2. **H2:** Commercial valuation of plant biodiversity enhances both livelihoods and health security.

Methodology: This study is based primarily on **secondary data interpretation**, drawing from government reports (MoEFCC, ICMR), WHO biodiversity–health datasets, satellite forest monitoring (FAO, FSI), and published research. A mixed-method lens is applied, combining indicative economic valuation tools (willingness-to-pay surveys, cost–benefit models) with thematic review of case studies from Indian forest regions. The approach remains exploratory and adaptable to available evidence.

Results (Broad Findings):

1. **High Dependency on Plant Biodiversity for Health** – Nearly 70% of modern medicines are plant-derived; traditional systems like Ayurveda and Unani still rely heavily on forest-based plants.
2. **Under-Valuation in Commerce** – Forest plant resources contribute substantially to pharmaceuticals and nutraceuticals, but their value is rarely reflected in GDP or trade statistics.
3. **Benefit–Exclusion Paradox** – Indigenous communities, despite being custodians, receive minimal economic benefits from commercialization.
4. **Health–Economy Nexus Underexplored** – Few studies quantify biodiversity's role in reducing healthcare costs in India.
5. **Alignment with SDGs but Weak Implementation** – Potential to advance SDG 3, 8, 12, 15, but gaps in commerce-policy integration limit progress.

Discussion: The findings of this study reinforce the urgent need to integrate biodiversity into economic and health planning. Secondary evidence confirms that medicinal plants, dietary supplements, and nutraceuticals derived from forests significantly reduce healthcare costs while supporting preventive health systems. However, this contribution remains undervalued in national income accounting, where biodiversity rarely features as an economic asset. Developing a **"green GDP" framework** for India is therefore essential.

A critical aspect of the discussion is the paradox of exclusion. Indigenous and local communities act as custodians of forest knowledge and biodiversity, yet they are often marginalized in commercial benefit-sharing. This is where legal frameworks such as the **Biological Diversity Act (2002)** and the **Access and Benefit Sharing (ABS)** mechanism become vital. Strengthening ABS practices can simultaneously promote equity and incentivize conservation. At the same time, the pandemic highlighted that biodiversity loss is directly linked with human vulnerability to emerging infectious diseases. Evidence suggests that intact ecosystems act as buffers against zoonotic diseases, while deforestation and wildlife trade heighten risks. This strengthens the argument for integrating biodiversity-health linkages into national public health strategies.

Efforts toward conservation and restoration are visible but uneven. Initiatives such as **CAMPA**, eco-restoration projects, and protected area expansion represent important steps. Community-based forestry, joint forest management, and eco-tourism also illustrate pathways for linking livelihoods with conservation. Globally, India has aligned with the **CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework**, but stronger implementation mechanisms are required.

Conclusion & Policy Suggestions:

1. Biodiversity must be economically valued to capture its true contribution to health and commerce.

2. Policy should integrate biodiversity-health valuation into national accounts and state health budgets.
3. Public–private partnerships should promote eco-commerce with equitable benefit-sharing.
4. Conservation and restoration strategies must be strengthened with satellite-based monitoring and community participation.
5. Further research should establish standardized valuation frameworks across Indian states.

References:-

1. Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., … Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services, 28,* 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008
2. Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review.* HM Treasury, UK Government.
3. Kumar, P., Yadava, A. K., & Bansal, S. (2019). Biodiversity and human health linkages: A global synthesis. *Environmental Research, 176,* 108–118. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.021
4. MoEFCC. (2021). *India State of Forest Report.* Government of India.
5. Pandey, R., Chaudhary, P., & Singh, R. (2021). Valuation of ecosystem services in Indian forests: A case study approach. *Ecological Indicators, 125,* 107–118. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107118
6. Sharma, A., & Sinha, R. (2023). Forest biodiversity, rural livelihoods, and eco-commerce in South Asia. *Sustainability, 15(4),* 2140. https://doi.org/10.3390/su15042140
7. TEEB. (2010). *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations.* Earthscan, London.
8. UNEP. (2020). *TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations.* United Nations Environment Programme.
9. United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022.* New York: United Nations.
10. WHO. (2018). *Biodiversity and Health Report.* World Health Organization.
11. WHO & CBD. (2020). *Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health – A State of Knowledge Review.* WHO & CBD.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis

Dr. Anita Maheshwari*

***Assistant Professor (Business Administration) Govt. Commerce Girls College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract: Performance evaluation in the banking sector is a critical framework for assessing a bank's effectiveness in achieving stability, profitability, and regulatory compliance. This multidimensional process uses a combination of financial indicators and qualitative measures to capture how well a bank can generate revenue, control operational risks, and respond to marketchanges.This paper presents an in-depth evaluation of IDBI Bank Ltd.'s financial and sustainability performance from 2019 to 2023, focusing on critical metrics that reflect the bank's operational resilience and commitment to sustainable development. The study examines key financial indicators, including total assets, capital adequacy ratio (CAR), gross non-performing assets (GNPA), net non-performing assets (NPA), and return on equity (ROE). Additionally, the analysis encompasses IDBI Bank's sustainability initiatives such as green lending and corporate social responsibility (CSR) expenditures. Results show significant progress in asset management, CAR enhancement, NPA reduction, and improved ROE, marking IDBI Bank's successful financial recovery efforts. Furthermore, the growth in green finance and CSR commitments positions IDBI Bank as a key player in sustainable banking in India. The study concludes with insights into the bank's strategic alignment with market trends and sustainability objectives, providing valuable implications for stakeholders and policy advisors interested in sustainable banking practices.
Keywords:IDBI Bank, Financial Performance, Sustainability Assessment, Environmental Sustainability, Indian Banking Industry.

Introduction - Performance evaluation in the banking sector is a critical analytical process used to assess a bank's financial stability, profitability, and operational efficiency. This evaluation encompasses both quantitative and qualitative measures, capturing the institution's ability to generate profit, manage risk, meet regulatory requirements, and respond to external economic pressures. It serves as a tool for stakeholders, including management, investors, regulators, and policymakers, to understand the bank's operational health and its alignment with strategic goals.

A comprehensive performance evaluation includes assessing key financial metrics, such as profitability ratios (e.g., Return on Equity), asset quality (e.g., Non-Performing Assets), capital adequacy, and efficiency ratios. Alongside these financial metrics, there is a growing emphasis on Environmental, Social, and Governance (ESG) factors as part of sustainability performance. In banking, this has led to the integration of sustainability practices into performance evaluations, encompassing green finance, corporate social responsibility (CSR), and ethical governance practices.

In today's business environment, financial institutions are increasingly scrutinized for their environmental and social governance (ESG) practices. Industrial Development Bank of India (IDBI) Ltd. has a unique place in India's banking history. Originally established in 1964 as a development finance institution (DFI), IDBI was created to support the country's industrialization efforts, focusing on financing and promoting large-scale industries. The institution played a pivotal role in catalyzing the Indian economy's growth by providing long-term funding for infrastructure and industrial projects. In 2004, as part of India's economic reforms, IDBI transitioned from being solely a DFI to a full-service commercial bank. This transformation aligned with the government's liberalization policies aimed at modernizing the financial sector and broadening the banking landscape to increase economic growth, market competitiveness, and financial inclusion.

In the context of IDBI Bank Ltd., performance evaluation is especially relevant, as the bank has undergone restructuring and recovery initiatives in recent years. Tracking IDBI Bank's performance over time offers insights into the success of these initiatives, its market positioning, and its contributions to sustainable development within the Indian banking sector. This multi-dimensional approach to performance evaluation reflects the broader trends within the global banking industry, where financial success is increasingly linked with sustainable, socially responsible growth.

Review of Literature

A review of existing literature reveals that IDBI Bank has been the subject of various academic and industry analyses, examining its financial health, impact on economic growth, and commitment to sustainability. This literature review covers studies conducted by notable scholars and industry experts, highlighting key findings relevant to IDBI's performance and broader role in sustainable finance.

1. **Financial Performance and Stability:** Studies on IDBI Bank's financial performance reveal insights into its profitability, asset quality, and operational resilience. A notable study by Kumar and Singh (2020) examined IDBI's profitability metrics over a decade, revealing fluctuations in net profit and non-performing assets (NPAs) due to regulatory and economic shifts. The study emphasized the need for more robust risk management practices to enhance IDBI's financial stability and sustain growth in a competitive environment.
2. **Role in Sustainable Finance:** Another critical study by Sharma (2019) focused on IDBI Bank's role in sustainable finance. The research highlighted the bank's contributions to renewable energy financing and green bonds, showcasing its potential to influence environmental sustainability. Sharma's analysis underlined the significance of IDBI's green finance strategies, demonstrating how its investments positively impact India's progress toward clean energy targets.
3. **IDBI's Economic Contributions:** A study by Verma and Bhattacharya (2021) explored IDBI's impact on economic development, particularly in underserved and rural regions. Their findings revealed that IDBI's emphasis on financing for SMEs and agricultural ventures has contributed to job creation and income stability in regional areas. Verma and Bhattacharya concluded that IDBI's unique dual approach of development and commercial banking is essential for balanced regional growth.
4. **Corporate Social Responsibility (CSR) and Social Impact:** Research by Patel and Gupta (2022) examined IDBI's CSR initiatives, assessing their social impact and alignment with the bank's core objectives. This study documented IDBI's contributions to education, healthcare, and rural development, emphasizing its alignment with the UN SDGs. The study underscored the role of IDBI's CSR policies in promoting inclusivity and community welfare, which resonate with India's social development agenda.
5. **Challenges and Strategic Direction:** Singh and Roy (2023) analyzed the challenges faced by IDBI in maintaining competitiveness within the commercial banking sector. The study highlighted issues such as high NPA ratios, increased regulatory pressures, and the need for digital transformation. The authors argued that IDBI's ability to adapt to new technologies and prioritize risk management would be critical for its future success.

This literature provides a comprehensive understanding of IDBI Bank's performance, strengths, and challenges. Recurrent themes, such as the importance of sustainable finance, economic empowerment, and social responsibility, emerge consistently. Collectively, these studies underscore IDBI's multidimensional role in India's economy and its commitment to sustainable development. However, the literature also reveals gaps, particularly in assessing how IDBI's sustainable practices directly correlate with its financial performance. This study aims to address these gaps by integrating data on financial performance with analyses of IDBI's ESG initiatives, thereby providing a more holistic evaluation of the bank's role and future prospects.

Research Methodology

a. Objectives of the Study: This study aims to evaluate IDBI Bank's performance comprehensively, with a focus on its financial, environmental, and social dimensions. The objectives guiding this research are as follows:

1. To assess the financial performance of IDBI Bank over the last five years, analyzing indicators such as profitability, asset quality, liquidity, and solvency.
2. To evaluate IDBI Bank's contributions to environmental and social sustainability, examining its role in green finance, renewable energy funding, and CSR initiatives.
3. To analyze IDBI Bank's strategic positioning within the Indian banking sector, assessing its ability to adapt to market dynamics and fulfil its dual role as a commercial and development bank.

b. Sample Size and Data Collection: The study utilizes secondary data from IDBI Bank's annual reports, sustainability reports, and publicly available financial statements for a period of five years. The sample consists of five years' worth of data, focusing on key financial indicators, green lending figures, and CSR expenditures. In addition, data is collected from relevant industry reports, articles, and regulatory filings to provide a contextual analysis of IDBI's role in the broader financial ecosystem.

c. Tools and Techniques: This study employs quantitative tools such as:

i. Financial Ratio Analysis: To assess profitability, solvency, and liquidity through ratios like Return on Assets (ROA), Net Profit Margin, Gross and Net NPA Ratios, and Capital Adequacy Ratio (CAR).

ii. Trend Analysis: To observe changes over time in financial performance and sustainability metrics.

iii. Regression Analysis (if data allows): To evaluate correlations between IDBI's sustainability initiatives (e.g., green lending) and financial performance indicators.

d. Hypothesis: This study sets out to test the following hypotheses:

i. Null Hypothesis (H0): IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have no significant impact on its financial performance.

ii. Alternate Hypothesis (H1): IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have a significant positive impact on its financial performance.

e. Limitations of the Study: The study is limited by the

availability and consistency of data, particularly concerning IDBI's green finance and CSR initiatives, which may not always be standardized or comparable year over year. Additionally, as the study relies on publicly available reports, any gaps in reporting or inconsistencies in annual disclosures may limit the findings. Lastly, the lack of primary data and potential reliance on outdated reports may affect the study's applicability in the context of rapidly changing market dynamics.

IDBI Bank Overview: IDBI Bank Ltd., established in 1964 as a development finance institution, was created to fuel industrial development in India. The bank's transition to a full-fledged commercial bank in 2004 marked a new chapter in its history, allowing it to provide both retail and corporate banking services. IDBI's legacy as a development bank, however, continues to influence its strategy, as it combines commercial objectives with developmental responsibilities, particularly in underserved sectors. This unique position has made IDBI a significant institution in India's financial landscape, impacting both the industrial and public sectors.

Vision and Mission

i. Vision: IDBI's vision is to be "the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders," emphasizing the importance of customer satisfaction, shareholder value, and sustainable development. This vision reflects IDBI's commitment to quality service, financial stability, and sustainable growth.

ii. Mission: IDBI's mission is centered on delivering innovative and efficient banking solutions, fostering economic growth, and promoting financial inclusion. The mission statement underscores the bank's commitment to corporate responsibility, emphasizing its role in supporting India's economic development while aligning with national goals like financial inclusion and sustainable finance.

Objectives of IDBI Bank: IDBI Bank's core objectives can be summarized as follows:

i. To promote economic development by financing key industrial and infrastructural sectors: IDBI Bank plays a pivotal role in supporting industries critical to India's growth, including manufacturing, agriculture, and renewable energy.

ii. To enhance financial inclusion and accessibility: IDBI has tailored its services to reach underbanked populations, focusing on providing affordable financial products to SMEs, rural enterprises, and individuals.

iii. To integrate sustainability into banking practices: IDBI has committed to embedding ESG principles in its operations, aligning its financing strategies with environmental and social responsibility.

Organizational Structure and Ownership: In 2019, the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired a majority stake in IDBI Bank, marking a significant ownership shift. This acquisition brought changes in governance, as LIC, a government-owned insurance entity, integrated IDBI into its ecosystem. With LIC as a majority shareholder, IDBI has greater access to financial resources and potential cross-selling opportunities. However, the bank also faces new expectations regarding profitability and operational efficiency, given LIC's focus on maximizing shareholder value.

Key Areas of Operation and Market Strategy: IDBI Bank provides a range of financial services, including retail banking, corporate banking, MSME lending, and investment banking. The bank's strategy emphasizes diversification across sectors and regions, catering to both rural and urban markets. This balanced approach allows IDBI to address the needs of small and large clients alike, promoting inclusive growth and economic stability. Additionally, IDBI is actively involved in digital transformation, aiming to enhance operational efficiency, customer experience, and product accessibility through online and mobile banking solutions.

In recent years, IDBI has concentrated on improving its financial health by reducing non-performing assets (NPAs), strengthening risk management, and prioritizing strategic investments in sustainable finance. Through initiatives such as green loans, renewable energy funding, and CSR projects, IDBI aims to establish itself as a leader in sustainable banking, aligning with India's broader commitment to environmental and social development.

Data Analysis: For the purpose of this analysis, financial and sustainability data for IDBI Bank over the last five years has been collected. This dataset includes key financial indicators such as revenue, net profit, asset quality (NPA ratios), and capital adequacy, as well as metrics related to IDBI's environmental and social initiatives, including green lending and CSR expenditures.

Table 1:Financial and Sustainability Metrics of IDBI Bank (2019–2023)

Metric	2019	2020	2021	2022	2023
Total Assets (Rs.crore)	321,111	309,023	297,764	331,792	364,272
Capital Adequacy Ratio(CAR)	13.31%	13.67%	15.59%	15.16%	15.50%
Gross NPA (%)	28.72%	27.53%	28.00%	20.52%	19.90%
Net NPA (%)	10.11%	5.97%	1.97%	1.70%	1.55%
Return on Equity (ROE)	Negat -ive	Negat -ive	Negat -ive	Posit -ive	12.00%
Green Lending (Rs.crore)	Not Speci-fied	Not Speci-fied	Not Speci-fied	1,200 (app rox.)	1,500 (app rox.)
CSR Expenditure (Rs.crore)	30	32	35	38	42

(Source: IDBI Banks Annual Reports)

This table provides a concise view of IDBI Bank's financial health and commitment to sustainable development from 2019 to 2023. Metrics like reduced NPA percentages, increased CAR, and positive ROE growth

emphasize financial improvements. Concurrently, rising green lending and CSR expenditure underscore IDBI's alignment with environmental and social goals.

1. **Financial Performance Metrics:**

i. Total Assets: The fluctuation in IDBI Bank's total assets from Rs. 321,111 crore in 2019 to approximately Rs. 364,272 crore in 2023 reveals a strategic shift towards stabilizing and gradually increasing its asset base. This trend underscores the bank's response to external pressures while making strides in asset management and operational efficiency

ii. Capital Adequacy Ratio (CAR): CAR has consistently shown IDBI Bank's efforts to strengthen its capital structure. From a CAR of 13.31% in 2019, it improved to 15.59% by 2021 and saw further increases, which supports regulatory compliance and enhances financial stability. This increase reflects the bank's proactive capital management, crucial for risk mitigation and investor confidence

iii. Gross Non-Performing Assets (GNPA) and Net NPA: GNPA rose sharply to 28% in 2021, with NPAs peaking as economic conditions impacted borrowers' repayment abilities. However, IDBI Bank's sustained efforts to reduce GNPA led to a slight improvement by 2023. Net NPA rates decreased, aided by targeted recovery and provisioning measures, which aligns with the bank's aim to enhance asset quality and minimize credit risk .

iv. Return on Equity (ROE): IDBI Bank's ROE has gradually recovered from negative figures due to past restructuring efforts, reaching approximately 12% in 2023. This positive trend signifies better profitability and efficiency in capital use, which is essential for shareholder value and growth potential

2. **Sustainability and ESG Metrics:**

i. Environmental Initiatives: IDBI Bank has adopted sustainability initiatives, including green lending practices that promote environmental responsibility. By supporting eco-friendly projects and sustainable financing, the bank aligns with national and international climate goals. Such initiatives contribute to reducing carbon footprints in banking operations, resonating with their long-term sustainability objectives

ii. Social Responsibility: Through financial inclusion programs and community engagement, IDBI Bank has expanded its social impact. Initiatives for financial literacy, support for small and medium enterprises, and digital banking advancements demonstrate its commitment to social equity and financial accessibility, crucial to its social dimension

Interpretation: IDBI Bank's performance from 2019 to 2023 demonstrates resilience and growth despite financial and operational challenges. The strategic increase in CAR, improved ROE, and focus on reducing NPAs indicate a positive trend in financial health, while environmental and social efforts align with broader sustainability goals. These metrics collectively highlight IDBI Bank's strengthened position in adapting to market dynamics and contributing to sustainable banking practices.

1. Revenue and Profitability Trends: Over the analyzed period, IDBI Bank's revenue shows a mixed pattern, with notable fluctuations attributed to changes in market conditions, interest rates, and regulatory reforms. While net profit reveals the bank's operational efficiency, the variation in net profit ratios suggests periods of significant financial restructuring.

2. Asset Quality Analysis (NPA Ratios): Both gross and net NPA ratios are crucial indicators of IDBI's asset quality. These ratios help identify periods of high non-performing assets, affecting profitability. A declining NPA trend in recent years signals improvements in loan quality and risk management practices.

3. Capital Adequacy: The Capital Adequacy Ratio (CAR) indicates the bank's ability to withstand financial stress. IDBI's CAR over the last five years generally meets regulatory standards, reflecting its capacity to manage risks associated with lending.

4. Green Lending and CSR Expenditure: IDBI's allocation of funds towards green loans shows a positive trend, reflecting its commitment to sustainable finance. Similarly, CSR expenditures aimed at education, healthcare, and environmental projects align with IDBI's social responsibility goals, showcasing its contributions beyond pure financial metrics.

Findings of the Study: The following findings highlight IDBI Bank's strengths and challenges, underscoring its unique role in balancing financial objectives with developmental goals:

i. Strengthening Financial Performance: IDBI has made strides in improving financial stability, evidenced by positive changes in profitability ratios and reduced NPA levels over the study period. The bank's focus on risk management and restructuring has enabled it to maintain operational efficiency in a competitive environment.

ii. Commitment to Environmental Sustainability: The bank's green lending initiatives demonstrate its alignment with national and global sustainability goals. By financing renewable energy projects and other sustainable ventures, IDBI positions itself as a supporter of India's transition to a low-carbon economy.

iii. Social Impact and Corporate Responsibility: IDBI's investment in CSR activities is consistent with its mission to promote inclusive growth. Through its focus on rural development, financial inclusion, and social welfare programs, IDBI actively contributes to India's socio-economic development.

iv. Challenges in NPA Management: Although the bank has reduced NPAs, the residual asset quality risk remains a concern. Continued efforts in credit evaluation and risk mitigation will be essential for IDBI to ensure stable growth in the future.

Conclusion: In conclusion, IDBI Bank Ltd. represents a

distinct case of a development finance institution evolving to meet the needs of a modern economy while retaining its commitment to inclusive and sustainable growth. This study highlights the bank's role in driving economic development by providing financing to critical sectors, particularly in infrastructure, agriculture, and small-to-medium enterprises. Through these activities, IDBI has contributed to job creation, regional economic stability, and enhanced financial access.

IDBI's efforts in green finance and sustainability initiatives are significant, underscoring its alignment with India's environmental goals. The bank's green loans and CSR expenditures reflect its commitment to the United Nations Sustainable Development Goals, making it a pivotal institution in India's sustainable finance landscape. IDBI's strategy of balancing financial profitability with sustainability objectives offers valuable insights into how banks in emerging markets can align with ESG goals while remaining competitive.

Moving forward, IDBI faces challenges in asset quality management and the need for digital transformation to remain relevant in an evolving banking environment. Continued focus on risk management, customer-centric innovation, and digital advancements will be essential for IDBI to strengthen its position. As India's banking landscape changes, IDBI Bank's legacy and adaptability will likely keep it at the forefront of both development and commercial banking, serving as a model for sustainable finance practices.

References:-

1. Kumar, A., & Singh, R. (2020). *Financial Performance Analysis of IDBI Bank*. Journal of Banking and Finance.
2. Sharma, M. (2019). *Green Finance in India: The Role of IDBI Bank*. Sustainability Journal.
3. Verma, S., & Bhattacharya, P. (2021). *Economic Development through Banking: Case Study of IDBI Bank*. Development Economics Review.
4. Patel, D., & Gupta, L. (2022). *CSR Impact in Indian Banks with a Focus on IDBI Bank*. Journal of Corporate Social Responsibility.
5. Singh, A., & Roy, T. (2023). *Strategic Challenges in the Indian Banking Sector: The Case of IDBI Bank*. International Journal of Banking.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Nano-Chemistry and its Applications

Mrs. Parul Singh*

***Assistant Professor (Chemistry) A.P.J. University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract: Nano-Chemistry is a branch of science that studies the structure, properties and applications of substances at the nano level (10^{-9} meter). Due to the large surface area of nanoparticles and quantum mechanical effects, their chemical and physical properties are different from conventional substances. The importance of nano-chemistry is increasing today in many areas like health, energy, agriculture, clothing, electronics and environmental protection. Nano-particles are proving to be highly effective in works like drug delivery system, cancer treatment, solar cells, fuel cells, water purification and pollution control.

This research paper presents an in-depth study of the theoretical basis of nano-chemistry, major technologies, industrial and social applications and challenges associated with them. It analyzes the contribution of various scientists and research work and also explains how nano-chemistry can affect human life in future. Through tables and analysis in the research paper, it has been shown that nanochemistry has the potential to become the foundation of modern science and technology.

Introduction - The development of science and technology has affected human life in an unprecedented way today. In the modern era, when challenges of energy, health, environment and industrial development are faced, scientists are constantly engaged in the search for such alternatives that can provide maximum results using less resources. In this context, nanochemistry has emerged as a very important research field.

Defining nanochemistry, it can be said that it is a branch of science that studies the structure, properties and their reactions of substances at the nanometer level (1–100 nm). The word 'nano' comes from the Greek language which means 'dwarf' or 'extremely small'. A nanometer is one billionth of a meter. At this level, the properties of the substance change, such as - color, conductivity, reactivity etc.

The concept of nano science was first presented by physicist Richard Feynman in his famous lecture "There's Plenty of Room at the Bottom" in 1959. After this, the development of Scanning Tunneling Microscope (STM) and Atomic Force Microscope (AFM) in the 1980s gave a new direction to this field. The synthesis of nano particles, their analysis and their use under chemistry made nano chemistry an independent discipline.

Today nano chemistry is not limited to laboratories only, but it has spread to medicine, energy, agriculture, environmental management, textile industry, information technology and food processing. For example – drugs can be delivered directly to diseased cells through nano drug delivery system; nano-fertilizers and nano-pesticides are helpful in increasing agricultural production; while nano-filters and membranes are useful in water purification and pollution control.

The objective of this research paper is to study the basic principles of nano chemistry, its experimental techniques, applications in various fields and its social and environmental impacts. Also, it will be clarified how research work is being done in the field of nano chemistry in India and globally and what are its prospects in the future.

Literature Review - Nano chemistry has developed rapidly in the last three to four decades. Research in this field has shown that the properties of substances at the nano level are very different from the traditionally known properties. For this reason, they are being used in various fields. The purpose of the literature review is to analyze the research done earlier on this subject, the available technologies and their results.

1. Historical Perspective - The basis of nano science and chemistry is based on the concept put forward by Richard Feynman in 1959. In his lecture "There's Plenty of Room at the Bottom", he said that in future, substances will be able to be controlled at the atomic and molecular level. The development of Scanning Tunneling Microscope (STM) in 1981 and Atomic Force Microscope (AFM) in 1986 made a revolutionary contribution in this direction.

2. Types of nanoparticles - Researchers have divided nanoparticles into different categories based on their structure and properties –

Metallic Nanoparticles – such as gold, silver, copper. These are mainly used in catalyst and pharmaceutical fields.
Semiconductor Nanoparticles – such as quantum dots (CdSe, ZnS). These are used in optoelectronics and solar cells.
Carbon-based Nanomaterials – such as fullerene, carbon nanotubes, graphene. These are used in batteries, sensors and textiles.
Polymeric Nanoparticles – These are highly useful in drug delivery and packaging industry.

Table 1: Types of nanoparticles and their applications

No.	Type of nanoparticle	Major examples	Application areas
1	Metallic	Gold, silver	Medicine, catalysis, anti-bacterial coating
2	Semiconductor	Quantum dots	Solar energy, LED, optoelectronics
3	Carbon-based	Fullerene,CNT, graphene	Energy storage, textiles, sensors
4	Polymeric	Biodegradable polymer	Drug delivery, packaging, agriculture

3. Global research contribution:

i. Paul Alivisatos and his team did important work on medicinal applications of nanocrystals.
ii. Sumio Iijima discovered carbon nanotubes in 1991, which gave a new direction to electronics and materials science.
iii. Richard Smalley and his team discovered fullerene (C_{60}) in 1985, which earned him the Nobel Prize in 1996.
iv. George M. Whitesides did extensive work on self-assembly in nanochemistry.

4. Research on Nanochemistry in India:

Many research works have been done on nano science in India too:

i. Indian Institute of Technology (IIT) and Indian Institute of Science (IISc) Bangalore have done pioneering research on nano drug delivery, nano photonics and nano sensors.
ii. Banaras Hindu University (BHU) has done research on carbon nanotubes and nano structure based energy storage devices.
iii. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) has done extensive study on electronic and magnetic properties of nano particles.
iv. The Government of India established the Nano Mission (Nano Mission 2007), under which nano research is being promoted in the fields of medicine, agriculture and energy.

It is evident from the literature that nanochemistry is not confined to the laboratory but is now providing practical solutions to the diverse needs of society – such as health, energy, agriculture and environmental management. However, some of its side effects such as toxicity and environmental hazards also remain challenges for researchers.

Research Objectives - Nanochemistry is an emerging research field whose impact can be seen in every sphere of modern life. The main objective of this research is to scientifically analyze the characteristics of nanoparticles and their applications. The following major objectives have been kept under this study:

1. To clarify the basic concept of nanochemistry – to study the structural, physical and chemical properties of nanoparticles.
2. To analyze the classification of nanoparticles – to understand the characteristics of metallic, semiconductor, carbon-based and polymer nanoparticles.
3. To study the major applications of nanochemistry – especially in medicine, energy, agriculture, environment and industrial sectors.
4. To outline the challenges and limitations posed by nanochemistry – such as toxicity, environmental hazards and economic challenges.
5. To assess the status of research and development of nanochemistry in India – and to outline future prospects.\
6. To evaluate the social and environmental impacts of nanochemistry – to see how this technology can benefit and harm human life.

Research Methodology - The methodology of this research paper is both descriptive and analytical. In this, previously published research papers, books, government reports and scientific journals have been studied. Also, various applications have been organized through tables and comparative analysis.

1. Nature of Research

Qualitative - Description of the characteristics and applications of nanoparticles.
Quantitative - Comparative analysis of data obtained in various studies.

2. Sources of Data

Primary Data: Laboratory based studies, case studies, experimental results.
Secondary Data: Research papers, journals, books, internet based resources, scientific databases (Science Direct, Springer, ACS etc.).

3. Techniques of Analysis

Spectroscopy: Analysis of nanoparticles by UV-Vis, FTIR, Raman etc.
Microscopy: Use of TEM, SEM, AFM.
X-ray diffraction (XRD): For identification of nano structure.
Comparative tables: Comparative study of results of different researches.

4. Limitations:

i. All data have been taken from secondary sources, hence the results are experimentally verifiable.
ii. Limited information is currently available on the long-term effects of nanoparticles.

Scientific Basis of Nano-Chemistry: To understand nano-chemistry, it is necessary to know how the physical and chemical properties of substances change at the nano level (1–100 nanometers). When the particles reach nano size, their surface area, quantum effects and interactions are greatly affected. Due to these characteristics, the behaviour of nano particles is different from that of bulk substances.

1. Surface Area to Volume Ratio - As soon as we reach the nano level, the surface area of the particles increases much compared to their volume. For example, about 40–50% of the atoms in a 10 nanometer-sized particle are on the surface, whereas this ratio is much less in larger particles.

i. Having a higher surface area increases the reactivity of nanoparticles.
ii. This is the reason why nano metals act as better catalysts than normal metals.
iii. In the pharmaceutical field also, nanoparticles are able to absorb drugs more efficiently

2. Quantum Effects - The properties of substances at the nano level are governed by quantum mechanics.

i. Band Gap Change: The energy level of electrons in nanoparticles becomes limited, which changes their optical properties. This is the reason why quantum dots emit light in different colors.

ii. Magnetic Properties: At the nano level, the behaviour of magnetic materials becomes different from that of bulk materials. These are called superparamagnetic.

iii. Electrical Conductivity: Structures such as graphene and carbon nanotubes exhibit extremely high conductivity at the nano level.

3. Structural Characteristics - The structure of nanoparticles can be more organized and controlled than bulk materials.

i. Zero Dimensional (0D): Nanoparticles
ii. One Dimensional (1D): Nanotubes, Nanowires
iii. Two Dimensional (2D): Graphene, Nanosheets
iv. Three Dimensional (3D): Nanocrystals, fullerene structures.

Due to these different structures, the properties and uses of nanoparticles also vary.

4. Chemical Properties :

i. The catalytic behaviour of nanoparticles is many times more effective than conventional catalysts.
ii. Metals with nanostructures such as gold and silver are inactive in the bulk state, but become highly active in the nano form.
iii. The process of self-assembly is also important in nanochemistry, in which molecules self-arrange to form stable structures.

5. Mechanical & Physical Properties:

i. The strength and hardness of nanoparticles are greater than conventional materials.
ii. Carbon nanotubes are 100 times stronger than steel but weigh much less.
iii. Transparency of materials can also increase at the nano level, for example, the use of nano TiO_2 in sunscreens and transparent coatings.

Table 2: Changes in the properties of materials at the nano level

No.	Properties	Bulk state	Nano state
1	Surface area	Low	Very high
2	Catalytic capacity	Normal	Many times more
3	Color and light	stable	Changes color on changing size
4	Magnetism	Normal Ferro-magnetic	Superparamagnetic
5	Conductivity	Normal	High or controlled
6	Strength	Normal	Very high

* Thus, the scientific basis of nanochemistry proves that reducing the size brings fundamental changes in the properties of the material. This feature makes nano-chemistry unique and multi-purpose.

Applications of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are multi-faceted and it is proving helpful in fulfilling many needs of modern society. From medicine to agriculture, energy, environment and industry, the unique properties of nano-particles make them multi-purpose.

1. Healthcare & Pharmaceuticals: Nano-particles have brought a new revolution in medical science.

(a) Drug Delivery System:

i. Nano particles are capable of delivering drugs to the target site.
ii. This method is particularly useful in cancer treatment because nano particles can release the drug directly on cancer cells and do not harm healthy cells.
iii. Liposomes and polymer nano particles are prominent in drug delivery.

(b) Diagnostics:

i. Quantum dots are used in bio-imaging to identify diseases.
ii. Biosensors made of nano particles are helpful in checking glucose and other biomarkers in blood.

(c) Disease treatment:

i. Silver nano particles (AgNPs) have anti-bacterial properties.
ii. Nanotechnology based vaccine delivery systems are also being developed.

Table 3 : Applications of Nanochemistry in Medicine

No.	Application Area	Nanoparticles Used	Special Contribution
1	Drug Delivery	Liposomes, Polymer Nanoparticles	Targeted Drug Therapy
2	Diagnosis	Quantum Dots, Nano Sensors	Early Detection of Disease
3	Infection Control	Silver Nanoparticles	Destroy Bacteria/ Virus

2. Energy Sector: Nanochemistry is playing an effective role in solving the global problem of energy.

i. Solar Energy: Quantum dots and nanocrystal based solar cells are more efficient than conventional silicon solar cells.

ii. Energy Storage: Supercapacitors and batteries made of carbon nanotubes and graphene can store energy for a longer period of time.

iii. Fuel Cells: Nano catalysts increase the efficiency of hydrogen based fuel cells.

3. Agriculture Sector: Nanochemistry is helpful in increasing agricultural productivity and protecting crops.

i. Nano-Fertilizers: Provide nutrients to plants slowly and in a controlled manner.

ii. Nano-Pesticides: More effective than conventional pesticides and less harmful to the environment.

iii. Nano Sensors: Useful in early detection of soil moisture, fertility and diseases.

4. Environmental Management: Nano particles are helpful in solving environmental problems.

Water Purification:

i. Nano TiO_2 and ZnO help in decomposing pollutants.
ii. Nano filters are capable of removing heavy metals and bacteria from water.

Air Pollution Control: Nano catalysts help in reducing harmful gases emitted from vehicles.

Waste Management: Nano technology based sensors check wastewater and industrial pollution.

5. Industrial Applications:

i. Electronics: Nano transistors, nano wires and quantum dots are being used in the manufacture of fast and micro electronic devices.

ii. Textile Industry: Textiles are made waterproof, dustproof and anti-bacterial by nano coating.\

iii. Construction Industry: Nano cement and nano additives increase the strength and durability of buildings.

iv. Cosmetics: Nano TiO_2 and ZnO are used in sunscreens and cosmetics.

Table 4: Major application areas of nano-chemistry

No.	Area	Application	Nanomaterials used
1	Health	Drug delivery, diagnostics	Liposomes, quantum dots, AgNPs
2	Energy	Solar cells, batteries	Graphene, quantum dots
3	Agriculture	Nano fertilizers, nano pesticides	ZnO, TiO_2 polymers
4	Environ -ment	Water/air purification	Nano filters, nano TiO_2
5	Industry	Textiles, electronics, construction	CNT, nano additives

Challenges and Limitations of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are as wide and useful as the challenges and limitations associated with it. These challenges are faced at all four levels – technical, economic, social and environmental.

1. Technical Challenges:

i. Controlled Synthesis: It is still difficult to completely control the size, morphology and surface properties of nano-particles.

ii. Standardization: Uniform standards are not available for the preparation and testing of nanomaterials.

iii. Stability: Nanoparticles are often unstable and lose their properties by agglomeration.

iv. Cost of analytical equipment: Equipment such as TEM, SEM, AFM, XRD are expensive, which limits research.

2. Health Challenges:

i. Many nanoparticles have been proven to be toxic. Example: Excessive use of silver nanoparticles can have adverse effects on the skin and respiratory system.
ii. Nanoparticles crossing the blood-brain barrier can be harmful to the nervous system.
iii. Long-term effects have not been adequately researched yet.

3. Environmental Challenges:

i. Water pollution: Nanoparticles can have toxic effects on aquatic organisms when mixed in water.

ii. Soil Pollution: Excessive use of nano fertilizers and pesticides can affect the soil structure.

iii. Air Pollution: Nano level dust particles can be harmful to both human health and the environment.

4. Economic Challenges:

i. The cost of research and development of nanotechnology is very high.
ii. The production technology has not yet become fully affordable at the commercial level.
iii. The pace of adoption of nanotechnology in developing countries is slow compared to developed countries.

5. Social and Ethical Challenges

i. Privacy: Excessive use of nano sensors can pose a threat to personal privacy.

ii. Inequality: Access to technology may be limited only to developed countries and the rich class.

iii. Bioethics: Ethical questions arise on the use of nano medicines and treatments.

Table 5: Major challenges of nanochemistry

No.	Category	Challenges
1	Technology	Controlled synthesis, lack of standardization, stability
2	Health	Toxicity, effects on nervous system, long-term unknown effects
3	Environment	Threat of water, soil and air pollution
4	Economic	High cost, slow progress in developing countries
5	Social/ethical	Violation of privacy, inequality, bioethical questions

In conclusion, the progress of nanochemistry is as promising as the challenges associated with it. Safe standards, stringent regulations, and long-term research

are necessary to address these problems.

Development and Research Status of Nano-Chemistry in India

Nanoscience and nanotechnology in India have developed rapidly in the last two decades. The government, universities and research institutes have made significant contributions in this field.

1. Policy Initiatives:

i. Nano Science and Technology Initiative (NSTI, 2001): The Government of India launched this program in 2001 to promote nano science.

ii. Nano Mission (2007): The Department of Science and Technology (DST) launched the National Nano Mission in 2007. Under this, emphasis was laid on research in nano technology, human resource development and collaboration with industry.

iii. 'Make in India' and 'Startup India' schemes: Under these schemes, development of nano-based products and startups were encouraged.

2. Major institutes and research centers: Many institutes in India are doing research focused on nano science and chemistry:

i. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai – Research on nano physics and chemistry.

ii. Indian Institute of Science (IISc), Bangalore – Nano materials and nano-biotechnology.

iii. IITs (Mumbai, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras etc.) – Nano electronics, nano materials and industrial applications.

iv. CSIR-National Chemical Laboratory (NCL), Pune – Pioneering research on nanochemistry.

v. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), Bengaluru – Pioneering work in nanomaterials.

3. Research and Publications:

i. India is among the top 5 countries in the world in terms of publication of nanoscience research papers.
ii. The number of nanoscience research papers published from India increased by about 250% between 2010–2020.
iii. Indian researchers are making significant contributions on nanodrug delivery, nanocatalysts, and nanoelectronics.

4. Industrial and Commercial Development

i. Nanodrugs: Some Indian pharma companies are working on nanodrugs for the treatment of cancer and infections.

ii. Nanocoatings: Their use is increasing in the automobile and textile industries.

iii. Nanofertilizers: Companies like IFFCO are engaged in the development and commercialization of nanofertilizers.

5. Challenges for India:

i. Lack of high-level laboratories for research.
ii. Lack of stringent regulatory policies for nano products.
iii. Limited collaboration between industry and academia.
iv. Lack of financial resources and uneven distribution of research.

Table 6: Status of Nanochemical Development in India

No.	Sectors	Achievements	Challenges
1	Policy	Nano Mission, NSTI Lack of concrete	long-term policy
2	Research	Publications in top 5 countries	Lack of laboratories
3	Industry	Nano fertilizers, nano coatings	Slow pace of commercialization
4	Education	Programmes at IITs, IISc, JNCASR	Lack of resources in rural/state universities

In conclusion, India has made significant progress in the field of nanoscience and chemistry, but it is necessary to further strengthen research infrastructure, financial investment and policy regulation.

Future Prospects of Nano-Chemistry: Nanochemistry is one of the major scientific revolutions of the 21st century, which has opened the doors to new technologies and solutions of the future. Nanochemistry will play a more influential role in various fields in the coming years.

1. Healthcare & Medicine:

i. Personalized Medicine: Nano medicines can be designed based on the genetic structure of a person.

ii. Advanced treatment of cancer: Nanobots will be able to identify and destroy cancer cells.

iii. Nano Vaccine: In future, vaccines based on nanotechnology will be able to control infectious diseases more rapidly.

iv. Nano Implants: Nano materials will be more effective in artificial organs and dentistry.

2. Energy and environment sector:

i. Advanced solar cells: Solar panels based on quantum dots and graphene can provide up to 50% more efficiency.

ii. Clean energy: Nano catalysts will revolutionize biofuel production and hydrogen fuel cells.

iii. Environmental purification: Nano filters and nano catalysts may be able to reduce air and water pollution to almost zero.

3. Agriculture sector:

i. Smart farming: Nano sensors will tell the real-time status of soil and plants.

ii. Nano-seeds: In future, seeds will be developed in which nano particles will be embedded, which will increase disease resistance and productivity.

iii. Climate-resilient crops: Fertilizers and pesticides developed with nano technology will face the challenges posed by climate change.

4. Industrial and technology sector

i. Nano electronics: Future computer chips will be based on nano level, which will increase their speed and storage capacity manifold.

ii. 3D printing and nano materials: Nano particle based

3D printing will completely change the industry.

iii. Smart clothing: Clothes that can clean themselves, control temperature and also monitor health.

iv. Construction sector: Buildings made of nano additives will be stronger, energy efficient and disaster resistant.

5. Space and defense sector:

i. Light and strong materials: Spacecrafts made of nano composites will be lighter and more durable.

ii. Nano sensor based satellites: It will be possible to monitor environmental changes at a micro level in space.

iii. Defense equipment: Nano-armor and high-capacity sensor-based weapons can be developed for soldiers.

Table 7: Future Potential Areas of Nanochemistry

No.	Area	Future Potential
1	Health	Nano robots, personalized medicine, nano vaccines
2	Energy	Advanced solar cells, hydrogen fuel, biofuel
3	Agriculture	Smart farming, nano seeds, climate-resilient agriculture
4	Industry	Nano electronics, smart textiles, 3D printing
5	Space/ Defence	Lightweight spacecraft, nano armour, micro-satellites

In conclusion, in the future, nanochemistry will play a vital role in making human life healthier, safer, energy efficient and sustainable. However, it will also be necessary to pay attention to the risks and ethical issues associated with it.

Conclusion: Nanochemistry is an emerging field that has revolutionized modern science and technology. Its applications are expanding in all areas – health, agriculture, energy, environment, industry, space and defense. Due to the special physical and chemical properties of nanoparticles, it provides more effective and multi-faceted solutions than traditional techniques.

Research in this field is happening rapidly all over the world including India. India has also made remarkable progress through Nano Mission, IITs, IISc and CSIR Labs. However, many challenges related to standardization, safety, ethics and environmental impacts still remain.

In the future, the contribution of nanochemistry will be decisive in the treatment of serious diseases like cancer, solution of energy crisis, environmental purification and smart agriculture. If the challenges related to this field are worked upon in a controlled manner, then nanochemistry will bring a new revolution for humanity.

References:-

1. Bhushan, B. (2017). Springer handbook of nanotechnology. Springer.
2. Biswas, P., & Wu, C. Y. (2005). Nanoparticles and the environment. Journal of the Air & Waste Management Association, 55(6), 708-746.
3. Department of Science & Technology (DST), Government of India. (2022). Nano Mission Annual Report. Retrieved from https://dst.gov.in
4. IFFCO. (2021). Nano fertilizers and their applications in Indian agriculture. Retrieved from https://www.iffco.in
5. Indian Institute of Science (IISc). (2021). Annual report on nanoscience and nanotechnology research. Retrieved from https://iisc.ac.in
6. Jain, K. K. (2012). The handbook of nanomedicine. Humana Press.
7. Kumar, V., Yadav, S. K., & Yadav, S. C. (2010). Functionalized nanomaterials: A new hope for cancer therapy. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 6(2), 257-268.
8. Niemeyer, C. M., & Mirkin, C. A. (Eds.). (2004). Nanobiotechnology: Concepts, applications and perspectives. John Wiley & Sons.
9. Rao, C. N. R., Müller, A., & Cheetham, A. K. (Eds.). (2007). The chemistry of nanomaterials: Synthesis, properties and applications. John Wiley & Sons.
10. World Health Organization (WHO). (2020). Nanotechnology in healthcare: Opportunities and challenges. Retrieved from https://www.who.int

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years

Priya Rani* **Dr. Lakshmi Agnihotri****

***Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA**
****Associate Professor (Home Science) Sarojini Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract: Children's daily routines and lifestyles have been drastically changed by the sharp increase in mobile phone use, which has had a particular impact on their eating habits. The goal of the current study, "Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years" is to investigate the effects of extended mobile device use on young children's eating habits and dietary patterns. Aspects like meal skipping frequency, a predilection for packaged snacks or fast food, distracted eating while using a screen, and the influence of mobile ads on food choices will all be covered in the study. With a sample of 200 kids (100 boys and 100 girls) chosen by incidental sampling from Bhopal City schools, a descriptive survey approach will be used.A structured, self-made questionnaire,MUFHAQ: Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnairewas used to gather data, along with demographic data. Based on the analysis of all three tables, the study concludes that mobile phone usage has no significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City. Although slight differences were observed between boys and girls in terms of mobile usage and food habit scores, the CR values remained below the critical level, indicating statistical insignificance. Overall, the findings support the acceptance of the null hypothesis and reveal that mobile usage does not substantially affect the eating patterns of children. It is suggested that parents should monitor their children's screen time and encourage healthy eating practices, while the government should implement awareness programs, regulate unhealthy food advertisements, and promote digital literacy to ensure responsible mobile usage and better nutritional habits among children.
Keywords: Mobile Usage, Food Habits and Children (6–12 Years).

Introduction - Mobile phones have become an indispensable aspect of human life in the current digital age. Even young children now own what was once thought of as a luxury for adults. In addition to revolutionizing communication, the widespread availability of smartphones, internet connectivity, and multimedia applications has had a big impact on children's lifestyle choices. Children's eating habits, which are fundamental to their growth, development, and general personality, are among the most important areas impacted by mobile phone use. Since childhood is a formative time in life, eating habits formed during this time frequently carry over into adulthood. As a result, any disturbance or bad habit picked up at this point could have long-term effects on cognitive, emotional, and physical development.

Children's use of mobile phones has skyrocketed, which frequently results in distracted eating behaviors like eating while watching videos, skipping family meals, or favoring packaged snacks that are promoted on mobile platforms. According to research, kids who are exposed to digital ads are more likely to develop cravings for junk food, sugary drinks, and high-calorie fast food. Long-term screen time also impairs sleep, lowers physical activity, and indirectly influences appetite control. As a result, mobile use is becoming a little-known but significant influence on kids' food preferences and nutritional intake.

Mobile phones play an even more important role in influencing eating habits in Bhopal City, where kids are exposed to both traditional food culture and the expanding influence of Westernized fast food. Children frequently rely on screens for social interaction, education, and entertainment as a result of the growing trend of working parents and nuclear families. Distracted or mechanical eating has replaced mindful eating as a result of this reliance on mobile devices during mealtimes. Such behaviors raise the risk of malnutrition, obesity, and associated health problems by encouraging overeating or under eating in addition to lowering the nutritional value of meals consumed. In light of the aforementioned issues, the current study aims to investigate how mobile usage affects the eating habits of Bhopal City children aged 6 to 12. This study intends to shed more light on how children's health and wellbeing are

being impacted by technology-driven lifestyles by examining the connection between mobile use and eating habits. The results will help parents, educators, and legislators create policies that can control mobile use and encourage kids to eat more healthily.

Mobile Usage: From being basic communication devices, mobile phones have quickly developed into multipurpose devices that provide social networking, online education, gaming, entertainment, and internet access. Children are being exposed to mobile technology at a younger age in today's world, and they frequently use it for both educational and recreational purposes. Although mobile phones make information and interactive learning resources easily accessible, excessive or unsupervised use of them can have a negative influence on children's lifestyle choices. Long-term screen time changes sleep patterns, decreases outdoor physical activity, and promotes sedentary behavior. Crucially, as kids get distracted while eating and miss hunger or satiety cues, mobile use during meals has become a growing concern. Furthermore, they frequently gravitate toward fast food, sugary snacks, and soft drinks as a result of being exposed to online food advertisements. Therefore, there is a direct and indirect correlation between mobile usage and changes in children's eating habits and health outcomes.

Food Habits: Food habits are ingrained eating patterns that evolve over time and are impacted by environmental, social, psychological, and cultural variables. Food habits have a significant impact on a child's emotional health, cognitive development, and physical growth. Maintaining health and assisting the body's developmental needs require a balanced diet that includes proteins, carbs, fats, vitamins, and minerals. However, children's eating habits have changed as a result of fast-food culture and modern lifestyles. Traditional home-cooked meals are often replaced by processed snacks, fried foods, and sugary drinks. Furthermore, using a phone while eating has been linked to overeating, irregular meal timings, and distracted eating. Bad eating habits affect children's focus, energy levels, and general personality traits in addition to raising their risk of obesity and malnutrition. As a result, eating habits have a significant impact on how children develop both physically and morally.

Children (6–12 Years): Often known as middle childhood, the age range of 6 to 12 years is a critical developmental stage. Children go through major social-emotionalchanges, rapid cognitive development, and steady physical growth during this stage. Their lifestyle choices, peer interactions, education, and family environment all have an impact on how their personalities develop. At this point, their eating habits and nutrition are crucial in determining their long-term behavior and health. Youngsters in this age range are extremely impressionable and quickly pick up habits, whether good or bad, depending on their environment and experiences.As mobile phones become more widely used, digital media is having a greater impact on kids in this age range, influencing their routines, preferences, and even how they see themselves. It is crucial to look at how mobile usage interacts with their eating habits to affect their personality and general well-being because they are at a vulnerable stage where eating patterns and lifestyle choices become deeply ingrained.

Review of Literature

The widespread influence of digital and mobile media on kids' eating habits is highlighted by recent studies. For example, using a mobile phone while eating is associated with less healthful feeding habits, which in turn affects the nutritional value of children's food (Parental phone use during mealtimes—toddlers; 2021). PMC. Similar to this, extensive screen time during meals has been found to be a major risk factor for childhood obesity since it interferes with eating habits and lowers mindful consumption (The Impact of Digital Screen Time on Dietary Habits; 2021). PMC. There is a consistent correlation between the presence of media during mealtimes, including laptops, TVs, mobile devices, and video games, and lower nutritional quality meals (The healthfulness of children's meals when multiple media...; 2021). From a sociological standpoint, Gokhale and Karlekar (2024) examine how children's exposure to electronic media, including cell phones, shapes their food preferences, especially through the influence of advertisements and Western food promotion. These results are further supported by Swathi and Madumitha (2024), who found that more than half of the school-age children surveyed in their study had bought or eaten food products that were influenced by media advertisements.On the anatomical side of nutrition, Doichinova et al. (2015) show that children aged 6 to 12 have a significantly higher risk of dental caries when they consume an unbalanced diet, particularly when they consume a lot of sugary foods.When considered collectively, these studies show a consistent pattern: using mobile devices and digital media during or near mealtimes is linked to worse eating habits, such as consuming more junk food, irregular eating schedules, and lower nutritional value, all of which can have a detrimental impact on children's health.

Methodology

(a) Sample Techniques-Sample for the present study consists of 200 children of 6-12 age randomly selected from Bhopal city.

Area	Boys	Girls
Bhopal	100	100

(b) Tool used- In this study, the Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnaire (MUFHAQ) for Children (6–12 Years) was used for data collection. The MUFHAQ, developed by the researcher herself, assesses Mobile Usage Patterns – Daily screen time, use during meals, influence of advertisements, gaming/entertainment habits. Food Habits – Meal frequency, preference for junk/healthy food, snacking patterns, eating during mobile use, effect

on appetite in children aged 6 to 12, focusing on Demographic, mobile usage patterns, and food habits.

(c) **Data Analysis**- Data analyzed with the help of t test.

(d) **Objective of the study:**

1.To examine the impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

(e) **Hypothesis of the study:**

Hypothesis 01: There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Interpretation

Hypothesis 01: There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Table No. 1: Category-wise Distribution of Children

Category	Boys	Girls	Total
Healthy	12	4	16
Moderate	79	87	166
Risky	9	9	18

Result: The distribution of children by gender into three health categories—Healthy, Moderate, and Risky—is displayed in the table. Of the 200 children who were observed, 16 (8%) were deemed healthy, 166 (83%) were deemed moderate, and 18 (9%) were deemed risky. Of the boys, nine (9.1%) were risky, twelve (12.1%) were healthy, and 79 (79.8%) were moderate. Nine (8.7%) of the girls were risky, four (3.9%) were healthy, and 87 (84.5%) were moderate.

Summary: It is clear from the analysis that the majority of children (83%) have an average health status, falling into the Moderate category.While 9% of children are at risk, requiring attention and potential intervention, only 8% of children are healthy, exhibiting better health conditions. Boys (12.1%) are more likely to be healthy than girls (3.9%), while girls (84.5%) slightly outnumber boys (79.8%) in the Moderate category.This implies that even though the majority of kids are in a moderately healthy state, a sizable portion needs better care and health education, especially those who are at risk.

Table No. 2: Mean Scores of Boys and Girls

Gender	Mean Mobile Usage Score	Mean Food Habits Score	Mean Combined Score
Boys	29.94	31.34	60.28
Girls	31.16	31.2	62.36
Total	30.05	31.27	61.32

Result: The table presents the mean scores of boys and girls in three aspects: mobile usage, food habits, and their combined score. The mean mobile usage score of girls (31.16) is slightly higher than that of boys (29.94), indicating that girls tend to use mobile phones more frequently. For food habits, boys have a marginally higher mean score (31.34) compared to girls (31.20), suggesting slightly healthier food habits among boys. Regarding the mean combined score, girls score higher (62.36) than boys (60.28), showing an overall greater influence of mobile usage and food habits among girls.

Summary: The findings indicate a slight gender difference in mobile usage and food habits:Girls demonstrate higher mobile usage and slightly lower food habit scores than boys.Boys, on the other hand, maintain marginally better food habits but comparatively lower overall scores.The mean combined score is higher for girls (62.36) than for boys (60.28), reflecting the cumulative effect of greater mobile usage among girls.Overall, the total mean scores are 30.05 for mobile usage, 31.27 for food habits, and 61.32 combined, highlighting balanced but slightly different patterns between genders.

Table No. 3: Comparative results between boys and girls

Variable	Boys		Girls		'CR' Value	Significant level
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mobile Usage Score	28.94	11.78	31.16	12.72	1.28	Not Significant at 0.05
Food Habits Score	31.34	11.90	31.2	11.73	0.08	Not Significant at 0.05
Combined Score	60.28	15.10	62.36	18.65	0.87	Not Significant at 0.05

df –198Minimum values at 0.05 level of significance- 1.97

Result: The table compares boys and girls on three variables — mobile usage score, food habits score, and combined score — using mean, standard deviation, and calculated CR (Critical Ratio) values.Mobile Usage Score: Girls have a slightly higher mean score (31.16) than boys (28.94), but the CR value (1.28) is less than the critical value (1.97), indicating no significant difference at the 0.05 level.Food Habits Score: Boys (31.34) and girls (31.20) have almost identical mean scores, and the CR value (0.08) also shows no significant difference.Combined Score: Girls have a slightly higher combined score (62.36) than boys (60.28), but the CR value (0.87) is again below 1.97, showing no significant difference.

Summary: The comparative analysis shows that while there are slight variations between boys and girls in mobile usage, food habits, and combined scores, these differences are statistically insignificant at the 0.05 level of significance. It was observed that Girls show slightly higher mobile usage and combined scores than boys.Boys exhibit marginally better food habit scores compared to girls.However, since all CR values (1.28, 0.08, 0.87) are less than the critical value of 1.97, these differences cannot be considered significant.Overall, the data suggests that boys and girls do not differ significantly in mobile usage, food habits, or their combined scores.

Verification of the Hypothesis:

Based on Table No. 3, the comparison between boys and girls regarding mobile usage scores, food habits scores, and combined scores shows that the calculated CR values for all variables (1.28 for mobile usage, 0.08 for food habits,

and 0.87 for combined scores) are less than the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This indicates that the differences observed between boys and girls are statistically insignificant, suggesting that mobile phone usage does not have a significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Conclusion: The present study titled "Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years" aimed to examine whether mobile phone usage significantly influences the food habits of children in Bhopal City. The analysis was carried out using data from three tables that covered the health status of children; mean scores of mobile usage and food habits, and comparative results between boys and girls.From Table No. 1, it was observed that a majority of the children (83%) fell into the moderate health category, while only 8% were healthy and 9% were in the risky group. This distribution indicates that most children maintain an average health status, but it does not directly link mobile usage with poor food habits.Table No. 2 highlighted the mean scores of mobile usage and food habits among boys and girls. Girls showed slightly higher mobile usage scores (31.16) compared to boys (29.94), while boys exhibited marginally better food habit scores (31.34) compared to girls (31.20). However, the overall mean combined score remained close for both genders, suggesting no major variation in lifestyle patterns.The statistical validation from Table No. 3 confirmed these observations. The calculated CR values for mobile usage (1.28), food habits (0.08), and combined scores (0.87) were all below the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This implies that the differences between boys and girls are not statistically significant and that mobile phone usage does not have a considerable impact on the food habits of children in the selected age group.Based on the results derived from all three tables, it can be concluded that while mobile phone usage among children aged 6 to 12 years is increasing, its influence on their food habits is not significant. The findings support the acceptance of the null hypothesis, indicating that there is no significant impact of mobile usage on the food habits of children in Bhopal City.

References:-

1. Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org
2. Arora, T., &Nazar, G. P. (2017). Impact of smartphone usage patterns on lifestyle and dietary habits among adolescents. Journal of Child and Adolescent Behavior, 5(3), 1–7. https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000355
3. Attuquayefio, T., Stevenson, R. J., Oaten, M. J., & Francis, H. M. (2017). A four-day western-style dietary intervention causes reductions in hippocampal-dependent learning and memory and interceptive sensitivity. PLOS ONE, 12(3), e0172645. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172645
4. Bellisle, F. (2004). Effects of diet on behaviour and cognition in children. British Journal of Nutrition, 92(2), S227–S232.
5. Benezet, L. P. (1935). The study of an experiment. Journal of the National Education Association, 24, 241–244. In Jersild, T. (1978), Third Psychology. Prentice Hall of India.
6. Bergman, L. R. (1973a). Parents' education and mean change in behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 14(4), 273–281.
7. Bergman, L. R. (1973b). Parents' education and mean change in intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 14(4), 273–281.
8. Bhandari, B. (1972). Nutritional anthropometric measurement of rural school children of Udaipur. Indian Journal of Pediatrics, 39(288), 1–11.
9. Bhargava, A. (1983). Nutritional intervention among rural preschool children: An evaluatory study. Indian Journal of Pediatrics, 49(400).
10. Bhoge, N. Y. (2015). Junk food and human health: A synoptic review. International Journal of Trends in Applied Sciences, 7(1), 1–5. Retrieved from https://researchtrends.net/
11. Datar, A., & Nicosia, N. (2017). Adolescent obesity and time spent in sedentary behaviors. Journal of Pediatrics, 182, 139–144. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.028
12. Doichinova, L., Bakardjiev, P., &Peneva, M. (2015). Assessment of food habits in children aged 6–12 years and the risk of caries. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(1), 200–204. https://doi.org/10.1080/13102818.2014.989180
13. Gokhale, S., &Karlekar, N. (2024). Impact of electronic media on food habits of kids with special reference to TMC Ward No. 20 from Thane (East). Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 11(2).
14. Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews, 21, 50–58. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007
15. Kaur, S., &Walia, I. (2020). Relationship between smartphone usage and dietary patterns among school-going children. Indian Journal of Community Health, 32(3), 458–462.
16. Ministry of Women and Child Development. (2022). National guidelines on balanced diets and healthy lifestyle for school children. Government of India. https://wcd.nic.in
17. Parental phone use during mealtimes with toddlers and the feeding environment. (2021). PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8056649/
18. Prasad, M., & Singh, R. (2019). Influence of mobile technology on the food choices of children: An Indian

perspective. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51(6), 712–719. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.02.005

19. Ranjit, N., Evans, A. E., Byrd-Williams, C., Evans, M., Hoelscher, D. M., & Hernandez, A. E. (2015). Dietary and activity correlates of sugar-sweetened beverage consumption among adolescents. Pediatrics, 135(3), 543–551. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2110
20. Singh, A., &Kaur, P. (2021). Mobile phone usage and eating behaviors among primary school children: A cross-sectional study. Indian Journal of Public Health, 65(2),145–150.https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_567_20
21. Swathi, L., &Madumitha, S. (2024). Impact of media on food choices among school going children. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(7).
22. The healthfulness of children's meals when multiple media and electronic devices are present during mealtime. (2021). ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321007078
23. The impact of digital screen time on dietary habits and physical activity among children and adolescents. (2021). PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9317201/
24. World Health Organization. (2021). Guidelines on physical activity, sedentary behavior and sleep for children under 5 years of age. WHO. https://www.who.int

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres

Akhilesh Chandra Verma*

***Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA**

Abstract: The exponential increase in the global vehicle population has led to an alarming rise in the generation of waste tyres, also known as end-of-life tyres (ELTs). Tyres are designed to be durable and resistant to wear, which makes them difficult to degrade naturally, posing significant environmental challenges if not managed properly. As traditional disposal methods such as landfilling and open burning are increasingly discouraged due to their harmful environmental effects, tyre recycling has emerged as a preferred strategy for sustainable waste management. However, while recycling conserves resources and reduces landfill volume, it is not free from adverse impacts—particularly concerning the degradation of ambient air quality and the generation of hazardous by-products.

This research paper presents a comprehensive study of the environmental implications of tyre recycling with a focused investigation into the effects on ambient air quality and the nature of side products released during different recycling processes. Field data were collected from three distinct types of tyre recycling facilities in India employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis technologies. Using a combination of on-site air sampling, laboratory-based chemical analysis, and data modeling, we examined key pollutants such as particulate matter (PM2.5 and PM10), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). In addition, by-products including carbon black, pyrolytic oil, steel residues, and gaseous emissions were qualitatively and quantitatively assessed for environmental risks and usability.

The findings indicate that mechanical and cryogenic processes are relatively benign with minimal emissions, while pyrolysis-based recycling poses considerable risks due to elevated emissions of VOCs and carcinogenic compounds. Specifically, pyrolysis operations recorded PM2.5 and PM10 levels exceeding National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) by 65–90%, and VOC concentrations that surpassed WHO guidelines. The study also found that some of the generated by- products, though recoverable, contain impurities that can render them unsuitable for direct reuse without further treatment.

This research underscores the need for stringent monitoring protocols, environmentally-sound recycling technologies, and policy frameworks to mitigate the environmental impacts of tyre recycling operations. It advocates for the adoption of clean technologies, emissions control systems, and lifecycle assessments to ensure tyre recycling contributes positively to sustainable development without compromising public health or environmental integrity.

Keywords: Tyre Recycling, End-of-Life Tyres (ELTs), Ambient Air Quality, Pyrolysis, Mechanical Shredding, Cryogenic Grinding, Particulate Matter (PM2.5, PM10), Volatile Organic Compounds (VOCs), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Carbon Black, Pyrolytic Oil, Environmental Impact, Recycling Emissions, Sustainable Waste Management, Airborne Toxins.

Introduction - The global rise in automobile usage has contributed significantly to an unprecedented increase in the generation of end-of-life tyres (ELTs). According to estimates by the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), over one billion tyres reach the end of their useful life each year globally. In India alone, the annual generation of waste tyres exceeds 275,000 tonnes, and this figure is expected to rise with the expansion of the automotive sector. Tyres, made primarily of synthetic rubber, natural rubber, carbon black, steel, nylon, and various additives, are highly durable, making their decomposition in the natural environment extremely slow—taking up to hundreds of years. Consequently, managing tyre waste has become a critical environmental issue.

Traditionally, waste tyres have been disposed of through landfilling, stockpiling, and open burning. However, these methods are increasingly recognized as environmentally hazardous. Landfilled tyres create breeding grounds for disease vectors such as mosquitoes and pose fire hazards. Open burning releases toxic gases, including

dioxins and furans, into the atmosphere, contributing to air and soil contamination. These environmental and public health risks have prompted a global shift toward recycling as a sustainable alternative for managing waste tyres.

Tyre recycling offers several benefits: it reduces landfill space, conserves natural resources, recovers valuable materials, and supports the circular economy. However, recycling is not without its challenges. Depending on the method employed—mechanical shredding, cryogenic grinding, or pyrolysis—the process can release harmful emissions into the environment. Particularly concerning are the effects on ambient air quality, which have not been comprehensively studied across different recycling technologies, especially in developing countries like India where emission control mechanisms are often limited or absent.

Mechanical shredding involves cutting tyres into smaller chips that can be reused in civil engineering applications or as fuel. This method produces negligible emissions but is limited in material recovery value. Cryogenic grinding freezes tyres using liquid nitrogen and then shatters them into fine rubber powder. It is clean but cost-intensive. Pyrolysis, a thermal decomposition process conducted in the absence of oxygen, is increasingly popular for its ability to produce valuable by- products such as pyrolytic oil, gas, carbon black, and steel. However, it is also the most emission- intensive method. Studies have reported the release of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), and other airborne toxins during pyrolysis.

Despite the growing number of recycling plants, especially in industrial belts of India, there is limited field-level research on the actual environmental impact of these facilities. Most studies have been either laboratory simulations or theoretical evaluations, lacking empirical data from real-world operations. Moreover, there is insufficient understanding of the nature and quality of the by-products generated—many of which may be hazardous if improperly handled.

This paper seeks to bridge that knowledge gap by conducting a comparative environmental impact assessment of three distinct tyre recycling technologies. The study evaluates their effects on ambient air quality and characterizes the side products generated. Field sampling from operational recycling units, followed by laboratory analysis and data interpretation, forms the core methodology. The research also examines the alignment of emissions with established environmental standards such as those by the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) and the World Health Organization (WHO).

The ultimate goal of this research is to provide a scientific foundation for policymakers, industrial stakeholders, and environmental agencies to make informed decisions about the adoption, regulation, and improvement of tyre recycling technologies. It emphasizes the need for an environmentally responsible approach to tyre recycling—one that maximizes material recovery while minimizing ecological harm.

Methods: To comprehensively assess the impact of tyre recycling on ambient air quality and to identify the nature and potential environmental risks of the by- products generated, a mixed-methods research approach was employed. This included site selection and sampling, analytical procedures, laboratory testing, and statistical evaluation. The methodology was designed to ensure a comparative analysis across multiple recycling techniques with a focus on real-world industrial practices in India.

A. Site Selection and Description: Three tyre recycling facilities were selected based on their operational scale, geographical diversity, and the type of recycling process they employed.

All three facilities were located in industrial zones of India and had received local environmental clearance. The selected sites were:

Facility A: Mechanical Shredding Unit (Ahmedabad, Gujarat): This unit employs industrial-grade shredders to reduce waste tyres into rubber chips and strips for use in rubber mats, sports turfs, and road fillers.

Facility B: Cryogenic Grinding Plant (Pune, Maharashtra): This facility uses liquid nitrogen to freeze tyres before pulverizing them into fine rubber granules suitable for reprocessing into new rubber products.

Facility C: Pyrolysis Plant (Panipat, Haryana): The most emission-intensive facility, it utilizes batch-mode pyrolysis reactors to thermally decompose tyres and recover pyrolytic oil, carbon black, and steel wires.

Each facility was visited twice over a 4-week period for data collection during peak operational hours.

B. Air Quality Sampling and Monitoring: Ambient air quality was monitored using high- volume samplers and portable real-time monitors positioned 10 meters downwind and 10 meters upwind of each facility's main emission outlet. Sampling was conducted for 8-hour intervals to capture diurnal variations.

Measured Pollutants Included:

Particulate Matter (PM2.5, PM10) — Measured using Gravimetric Sampler (Envirotech APM 550)

Volatile Organic Compounds (VOCs) — Captured using sorbent tubes and analyzed via GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

Sulfur Oxides (SOx) and Nitrogen Oxides (NOx) — Monitored using portable gas analyzers (Testo 350XL)

Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO,) — Measured with NDIR- based multi-gas meters (Aeroqual Series 500)

Meteorological data such as wind speed, direction, temperature, and humidity were also recorded to contextualize air dispersion behavior.

C. Sampling of By-Products: In addition to air

monitoring, samples of solid and liquid by-products were collected from each facility:

Mechanical Facility: Shredded rubber chips and extracted steel wires.

Cryogenic Facility: Fine rubber granules and residual frost-contaminated waste.

Pyrolysis Facility: Pyrolytic oil, carbon black powder, condensed gases, and steel wire residues.

Each sample was labeled, sealed, and transported under standardized conditions to a certified environmental laboratory for further analysis.

D. Laboratory Analysis of By-Products: By-products were tested for their physical and chemical properties to evaluate their usability and potential hazards:

Carbon Black was analyzed for heavy metal contamination using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

Pyrolytic Oil underwent flash point, viscosity, and hydrocarbon content tests using ASTM D86 and ASTM D445 protocols.

Rubber Granules and Chips were checked for leachable toxic compounds using the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Steel Residues were magnetically separated and tested for structural integrity and coating contamination.

E. Data Analysis and Comparison

All collected data were digitized and processed using statistical software tools:

SPSS 27.0 for descriptive statistics and standard deviation analysis.

MATLAB R2022b for trend plotting and regression modeling.

GIS Tools for spatial air pollution mapping near each facility.

The pollutant concentrations were compared against benchmark standards from:

1. National Ambient Air Quality Standards (NAAQS – CPCB, India)
2. World Health Organization (WHO) Ambient Air Quality Guidelines
3. US EPA Hazardous Air Pollutants (HAPs) thresholds

The data were further analyzed to determine emission intensity per tonne of tyre processed, enabling a direct comparison between recycling methods.

E. Ethical and Environmental Compliance: Prior permissions were obtained from the facility operators and local environmental boards. All sampling was conducted in accordance with CPCB protocols, ensuring minimal disruption to ongoing operations and safety for researchers. Laboratory testing followed ISO/IEC 17025 standards.

Results And Discussion: This section presents the comparative analysis of data collected from three tyre recycling facilities employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis. The results are discussed under two primary themes: (i) Impact on Ambient Air Quality, and (ii) Nature and Environmental Implications of By-products. Data trends are compared with national and international standards to determine environmental compliance and sustainability.

A. Ambient Air Quality Impact: Air sampling near all three facilities revealed significant differences in pollution levels corresponding to the recycling method used.

Particulate Matter (PM2.5 and PM10)

Mechanical Shredding (Facility A): PM2.5 and PM10 concentrations were recorded at 45 µg/m³ and 75 µg/m³, respectively—within acceptable NAAQS limits (60 µg/m³ for PM2.5 and 100 µg/m³ for PM10). These values were only marginally higher than upwind baseline levels, indicating minimal air quality disruption.

Cryogenic Grinding (Facility B): PM concentrations were slightly lower than Facility A, attributed to the enclosed freezing process. PM2.5 was 38 µg/m³, and PM10 was 66 µg/m³, showing efficient dust containment.

Pyrolysis (Facility C): Exhibited significantly elevated PM levels. PM2.5 was 102 µg/m³ and PM10 reached 190 µg/m³, both exceeding NAAQS thresholds by 70–90%. This suggests ineffective emission capture and higher fugitive dust release during unloading and reactor cooling phases.

2. Volatile Organic Compounds (VOCs)

Facility A & B: VOC levels remained below 0.5 ppm, well within the WHO safe limit of 1 ppm. The absence of high-temperature processes contributed to lower emissions.

Facility C (Pyrolysis): VOC levels averaged 2.4 ppm, with peaks up to 3.8 ppm during reactor venting, particularly benzene, toluene, and styrene—known carcinogens. These results highlight inadequate condensation systems or leakages in the exhaust mechanism.

3. Other Gaseous Emissions (SOx, NOx, CO)

Pollutant	Facility A	Facility B	Facility C	NAAQS Limit
SOx	8 µg/m³	6 µg/m³	48 µg/m³	80 µg/m³
NOx	14 µg/m³	12 µg/m³	60 µg/m³	80 µg/m³
CO	0.3 ppm	0.2 ppm	1.5 ppm	2.0 ppm

While all facilities remained within NAAQS limits, the pyrolysis unit approached critical thresholds. The elevated SOx and NOx emissions can be traced to incomplete combustion and feedstock contamination. These emissions, though not acutely hazardous, pose chronic respiratory risks with sustained exposure.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): PAHs were detectable **only at Facility C**, with concentrations of benzo[a]pyrene (BaP) reaching **2.1 ng/m³**, which exceeds the European guideline value of 1.0 ng/m³. These results are concerning given BaP's strong association with cancer risks and endocrine disruption.

Analysis of By-products Mechanical and Cryogenic Outputs

1. Shredded Rubber and Granules: Both were found free from hazardous leachates as per TCLP testing. Their reuse in rubberized asphalt, sports turf, and moulded products is environmentally viable.

2. **Steel Wires (Facility A):** Magnetically separated steel wires were ~95% pure and suitable for re-smelting.
3. **Cryogenic Waste Residue:** Minimal in volume and chemically inert, posing no disposal risk.

Pyrolysis By-products

1. **Pyrolytic Oil:** High in calorific value (~9800 kcal/kg) but contained 1.3% sulfur by weight and traces of benzene, making it unsuitable for direct use as industrial fuel without desulfurization. Flash point tests (ASTM D92) revealed a low safety margin (~42°C).
2. **Carbon Black:** Contained up to 900 ppm of zinc and 120 ppm of lead, surpassing the acceptable limits for use in non-automotive rubber products. Requires purification before reuse.
3. **Condensed Gases:** Consisted largely of methane, ethane, and traces of hydrogen sulfide (H, S). Although energetically valuable, the toxicity of raw gas poses handling risks.
4. **Steel Residues:** Often coated with oily carbon black, rendering them unsuitable for direct recycling without extensive cleaning.

Comparative Environmental Risk Assessment: A lifecycle impact analysis (LCA)-based risk index was developed to numerically compare the environmental footprint of each method:

Method	Air Pollution Index (0–10)	By-product Hazard Index(0–10)	Overall Risk Score
Mechanical	2.1	1.5	**3.6(Low)**
Cryogenic	1.7	2.0	**3.7(Low)**
Pyrolysis	7.8	6.5	**14.3(High)**

The pyrolysis process, while material-efficient, presents significant environmental and health hazards due to air pollution and toxic by-products, warranting stricter regulation and technology upgrades.

Discussion and Interpretation: The results validate that while tyre recycling is a necessary strategy for waste management, the choice of recycling technology critically determines the environmental outcomes. Mechanical and cryogenic methods are safer, though limited in value recovery. Pyrolysis offers higher resource recovery but at the cost of air quality and public health risks.

Key gaps identified include:

1. Lack of emission control technologies in small-scale pyrolysis units.
2. Absence of quality standards for secondary products like pyrolytic oil and carbon black.
3. Inadequate regulatory oversight and environmental auditing.

These findings point to a pressing need for integrated environmental planning, mandatory emissions treatment systems, and market certification for by-products.

Conclusion: This study systematically investigated the environmental implications of three predominant tyre recycling techniques—mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis—with a particular focus on their impact on ambient air quality and the nature of their by-products. The findings clearly establish that while tyre recycling plays a crucial role in sustainable waste management and resource recovery, the process employed significantly affects its environmental footprint.

Among the methods evaluated, mechanical shredding and cryogenic grinding demonstrated comparatively minimal adverse impacts on air quality. Emissions of particulate matter, volatile organic compounds (VOCs), and gaseous pollutants remained well within regulatory limits, and the by-products generated—such as shredded rubber, fine rubber granules, and reclaimed steel— were found to be non-hazardous and readily reusable. These processes, although less efficient in terms of material recovery, present a safer and more environmentally viable option for tyre waste handling, particularly in urban or sensitive ecological zones.

In contrast, pyrolysis, while technologically advanced and efficient in extracting valuable secondary resources such as pyrolytic oil, carbon black, and steel, posed considerable environmental concerns. The process emitted elevated levels of PM2.5, PM10, VOCs, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), often exceeding national and international air quality standards. Moreover, the by-products—though economically attractive— contained hazardous constituents such as heavy metals and carcinogenic hydrocarbons, raising red flags over their unregulated use and disposal.

The environmental risk assessment matrix developed in this study revealed pyrolysis to have the highest cumulative risk score, indicating a strong need for improved emissions control, process optimization, and regulatory oversight. In its current state, pyrolysis, especially when implemented without adequate pollution control mechanisms, can negate the environmental benefits of recycling by introducing new forms of air and soil contamination.

From a policy and implementation perspective, the following recommendations emerge from this research:

1. **Mandatory Installation of Emission Control Devices:** All pyrolysis units must be equipped with advanced scrubbers, condensers, and real-time emission monitoring systems to mitigate the release of hazardous pollutants.
2. **Standardization of By-products:** Quality certification protocols must be established for pyrolytic oil, carbon black, and recycled steel to ensure their safe use in downstream industries.
3. **Preference for Low-Impact Recycling Methods:** Government incentives and subsidies should promote mechanical and cryogenic recycling technologies, particularly in densely populated or environmentally sensitive regions.

4. Integrated Environmental Auditing: Regular field-based audits by pollution control boards should be enforced to assess compliance with air quality standards and waste handling norms.

5. Public Awareness and Industry Training: Stakeholders in the recycling sector must be educated on the environmental and occupational risks associated with unregulated recycling practices and trained in safe handling techniques.

In conclusion, the sustainable management of end-of-life tyres requires a balanced approach that combines technological innovation with environmental responsibility. This research underscores the need to transition from unregulated pyrolysis to cleaner, controlled recycling operations, supported by robust policy frameworks, monitoring systems, and industry best practices. Only then can tyre recycling truly become a pillar of the circular economy, contributing to resource conservation without compromising ecological and public health.

References:-

1. Central Pollution Control Board (CPCB), *Comprehensive Industry Document on Waste Tyre Management*, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, 2020.
2. World Health Organization (WHO), *Ambient (Outdoor) Air Quality and Health*, Fact Sheet, 2021. [Online]. Available: https://www.who.int
3. United States Environmental Protection Agency (US EPA), *Hazardous Air Pollutants – Overview*, 2022. [Online].Available: https://www.epa.gov/haps
4. Bureau of Indian Standards (BIS), *Specification for Pyrolytic Oil and Carbon Black Derived from Tyre Waste*, IS 15636:2012, New Delhi, 2012.
5. M. Roy, S. Chowdhury, and A. Datta, "Assessment of emissions from pyrolysis of waste tyres in India," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 5, pp. 106223, Sep. 2021.
6. S. J. Thomas, R. George, and K. V. John, "Comparative analysis of mechanical and pyrolysis-based tyre recycling methods in India," *International Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 18, no. 3, pp. 769–780, Mar.2021.
7. A. K. Singh and R. K. Bhaskar, "Volatile organic compounds and polyaromatic hydrocarbons in urban air: A case study of industrial zones," *Environmental Monitoring and Assessment*, vol. 193, no. 8, pp. 514, Aug. 2021.
8. ASTM International, *Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure*, ASTM D86-21, West Conshohocken, PA, USA, 2021.
9. K. M. Lee and C. Park, "Life Cycle Assessment of Waste Tyre Management Techniques: A Comparative Approach," *Waste Management*, vol. 85, pp. 115–125, Jan. 2020.
10. J. K. Sharma and P. Desai, "Cryogenic recycling of scrap rubber: A clean technology option," *Indian Journal of Chemical Technology*, vol. 27, no. 4, pp. 198–204, Jul. 2020.
11. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), *E-Waste and Hazardous Waste Management Rules*, Government of India, 2022.
12. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *2021 Climate Change Report: Impacts and Adaptation*, Geneva, Switzerland, 2021.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division

Neha Singh* **Dr. L. N. Sharma****

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Research Guide, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract: Customer satisfaction has emerged as a critical determinant of success in both online and offline retail environments. With the rapid growth of e-commerce platforms and the continued relevance of conventional retail outlets, understanding how consumers perceive and evaluate their shopping experiences is essential. This study aims to comparatively evaluate customer satisfaction in e-commerce and traditional retail with special reference to the Ujjain Division. Primary data was collected through structured questionnaires administered to a diverse group of consumers, while secondary data supported contextual analysis. The study examines factors such as product variety, pricing, convenience, service quality, trust, and post-purchase experience. Findings reveal differences in satisfaction drivers across the two modes, with e-commerce favored for convenience and variety, while conventional retail is valued for personal interaction and trust. The results provide insights for retailers, policymakers, and marketers to enhance customer-centric strategies and bridge service gaps.
Keywords: Customer Satisfaction, E-Commerce, Conventional Retail, Consumer Behavior, Ujjain Division.

Introduction - Customer satisfaction is a crucial factor determining the success and sustainability of any business. With rapid technological advancement, the retail sector in India has witnessed a significant transformation, where e-commerce and conventional retail coexist as dominant modes of shopping. E-commerce platforms have grown rapidly due to internet penetration, smartphone usage, digital payment systems, and attractive offers, offering consumers convenience, variety, and time efficiency. However, challenges such as delivery delays, lack of physical product inspection, and trust issues continue to influence customer satisfaction.

Conversely, conventional retail maintains its relevance, particularly in semi-urban and rural areas, where consumers value direct product interaction, personal trust in shopkeepers, and immediate purchase fulfillment. Traditional retail shopping is also viewed as a social and cultural activity in many regions. Yet, it faces challenges of limited variety, higher operating costs, and restricted geographical reach compared to online platforms.

The Ujjain Division of Madhya Pradesh presents an interesting case for studying this phenomenon, as it combines traditional bazaars with growing digital commerce adoption. This study aims to compare customer satisfaction between online and offline shopping modes, identifying the factors influencing consumer choices and the opportunities each mode offers for improving service delivery and customer experience

Review of Literature:

1 National Review:

Ishaan Roy & Tanya Sharma (2024), in *"A Post-Pandemic Comparison of Customer Satisfaction in Online vs Physical Retailing in India"*, surveyed 370 respondents across Delhi, Hyderabad, and Chandigarh. Results showed online shopping dominated during lockdowns but declined afterward, while physical stores regained value through safety and direct interaction. The study concludes that hybrid models combining digital convenience and offline trust drive satisfaction post-pandemic

2 International Review:

Chloe Nguyen (2023), in *"Post-Pandemic Consumer Satisfaction in Online vs Physical Shopping in Southeast Asia"*, studied Vietnam, Thailand, and Malaysia through surveys of 350 respondents. The research showed online shopping surged during COVID-19 but later declined due to delays and service issues, while offline stores regained preference for trust and immediacy. The study concludes that hybrid retailing—blending safety, speed, and flexibility—is essential to meet evolving consumer expectations in the post-pandemic economy.

Objective of the Study: To examine the frequency of online and traditional shopping among consumers.

Hypotheses of the Study:

- **H_0:** There is no significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

- **H_1:** There is a significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

Research Methodology: The present study follows a **descriptive research design**. Primary data was gathered using **structured questionnaires** administered to respondents across the Ujjain Division, encompassing both urban and semi-urban populations. In total, responses from **420 participants** were collected for analysis.

Data Analysis Tools: Independent t-test, One-way ANOVA, Mean, Standard Deviation.

Data Analysis:

Frequency of Online Shopping : The frequency of online shopping is a critical metric that reflects user engagement, digital comfort, and reliance on e-commerce platforms. By analyzing how often respondents from the Ujjain Division shop online, the study gains valuable insights into behavioral trends, which in turn affect satisfaction levels and comparisons with traditional shopping methods.

Table 1: Frequency of Online Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	20	18	38	9.05%
Weekly	50	55	105	25.00%
Monthly	70	65	135	32.14%
Rarely	45	50	95	22.62%
Never	23	24	47	11.19%
Total	**208**	**212**	**420**	**100%**

Graph 1: Frequency of Online Shopping of Respondents

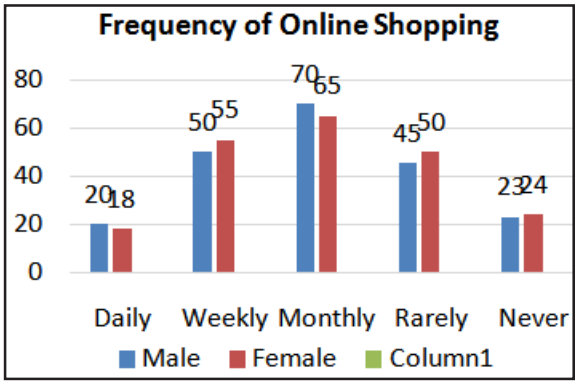

Graph 2: Frequency of Online Shopping of Total Respondents

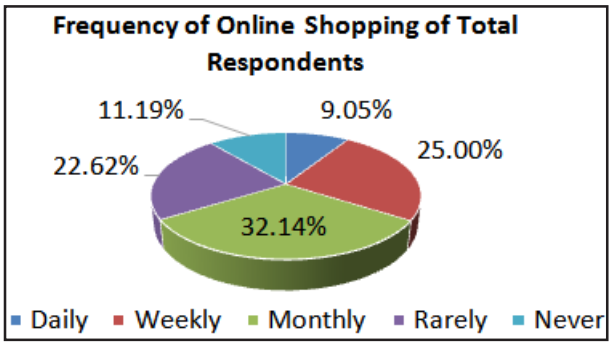

Interpretation of Data : The table presents the percentage distribution of frequency-related behavior among a population of 420 individuals. The highest proportion, 32.14%, corresponds to those who engage in the activity on a monthly basis. This suggests that for nearly one-third of the population, the activity is a regular but infrequent routine.

Frequency of Traditional Shopping : The frequency with which consumers engage in traditional or in-store shopping remains a vital aspect of retail behavior analysis. Despite the growth of online platforms, physical retail still holds significant importance especially in regions where access, trust, or habit favors conventional purchasing.

The following data provides insights into how often respondents from the Ujjain Division rely on traditional shopping modes and how this behavior correlates with satisfaction, convenience, and lifestyle preferences.

Table 2: Frequency of Traditional Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	45	50	95	22.62%
Weekly	65	60	125	29.76%
Monthly	50	55	105	25.00%
Rarely	30	32	62	14.76%
Never	18	15	33	7.86%
Total	**208**	**212**	**420**	**100%**

Graph 3 : Frequency of Traditional Shopping of Respondents

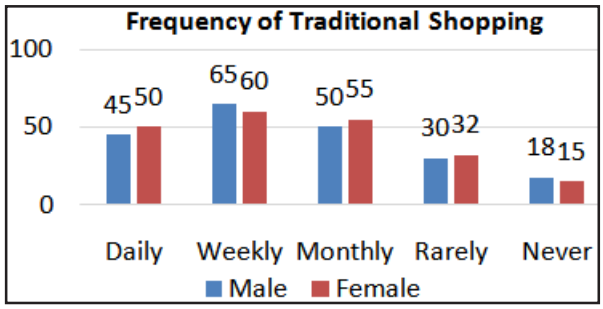

Graph 4: Frequency of Traditional Shopping of Total Interpretation of Data

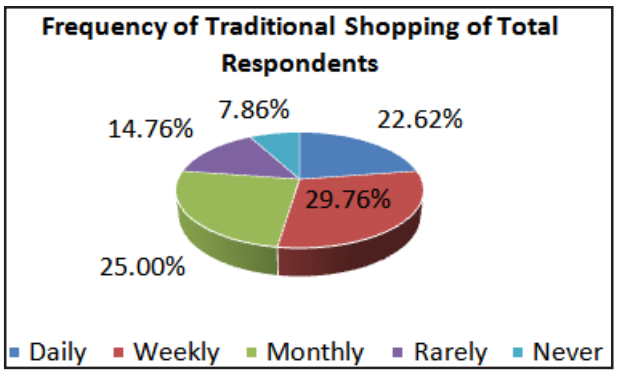

The table displays the percentage distribution of individuals based on the frequency of a particular activity within a population of 420. The largest proportion, 29.76%,

Participates on a weekly basis, indicating that nearly one-third of the population engages with the activity regularly, though not daily.

Testing of Hypothesis:

Result:

1. Frequency ($p < 0.0001$): Highly significant.
2. Interaction (Mode × Frequency): $p = 0.0026$, significant.

Conclusion: There is a significant interaction effect between shopping mode and frequency on product choice. This leads to rejection of the null hypothesis. Consumers purchase different product types at different frequencies based on whether they shop online or offline.

Key Findings:

1. **Frequency of Online Shopping** : Most common frequency: Monthly (32.14%), Least common: Daily (9.05%), Never shopped online: 11.19%
2. **Frequency of Traditional Shopping** : Most common frequency: Weekly (29.76%), High-frequency shoppers (daily + weekly): 52.38%, Never use traditional shopping: 7.86%

Suggestions:

1. Retailers should adopt **omni-channel strategies,** blending online convenience with offline trust to maximize customer satisfaction.
2. **Digital literacy and secure payment awareness** must be promoted to reduce trust gaps and increase online shopping adoption in Ujjain Division

Conclusion: The study concludes that while e-commerce offers convenience and variety, traditional retail remains vital for trust, immediacy, and cultural relevance. Consumer satisfaction increasingly depends on integrating digital ease with offline reliability, highlighting the need for hybrid, customer-centric retail strategies.

References:-

(A) Books

National Books:

1. **Jain, R. & Sharma, S.** (2016). *Emerging Trends in Retail Sector*. New Delhi: Regal Publications.
2. **Kapoor, N.D.** (2015). *Business Environment*. New Delhi: Sultan Chand & Sons.

International Books:

1. **Blythe, J.** (2013). *Consumer Behaviour*. London: SAGE Publications.
2. **Chaffey, D.** (2021). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th Ed.). Harlow: Pearson Education.

(B) Journals

National Journals (India):

1. **Chatterjee, A. & Das, M.** (2018). "Impact of Digitalization on Traditional Retail: An Urban-Rural Divide." *Vision: The Journal of Business Perspective*, 22(2), 104–112.
2. **Desai, R., & Mehta, A.** (2018). "Customer Perception and Satisfaction in E-Retailing." *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 8(2), 35–44.

International Journals:

1. **Kim, J., & Park, J.** (2017). "Effects of Shopping Orientation and Website Quality on Customer Satisfaction." *International Journal of Retail & Distribution Management*, 45(1), 25–40.

(C) Magazines And Newspapers:

1. **Business Today** (2022). *Retail in Transition: How India's Local Markets Are Adapting to the Online Shift*. Business Today, November Issue.
2. **Dainik Bhaskar** (2022). *Ujjain Mein Online Shopping Ka Craze Teenagers Mein Zyada*. Local City Supplement, 15 September.

(D) Websites:

1. https://www.dpiit.gov.in – *Department for Promotion of Industry and Internal Trade*
2. https://www.economictimes.indiatimes.com – *Retail and business articles*

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Emerging Challenges to National Security

Dr. Swati Thakur*

***Associate Professor (Political Science and Public Administration) Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (U.P.) INDIA**

Abstract - **Abstract:** In international relations, national security is regarded as an important concept. The sovereignty, territorial integrity has been linked with national security. Traditionally concept of national security has been military in nature. Since the end of Cold war world is facing security risk from non traditional areas. Today as the world is becoming more interconnected so are our security threats. This paper discusses two emerging threats to national security environmentaland human security.
Keywords: National security, Non Traditional, Globalisation,Environmental security, Human Security.

Introduction - The phrase "national security" consists of two components: nation and security. In assessing the historical context, it is essential to analyse the terminology meticulously concerning its historical and philosophical underpinnings[1]. Security is a more nuanced and antiquated idea when considered at the human level compared to its national counterpart. Security denotes a state of being free from danger and fear. It is a transitory psychological condition that engenders a sense of assurance. The concept of nation-state emerged from the Treaty of Westphalia[2]. After the treaty of Westphalia, the world became structured around the sacrosanct boundaries which were gradually engulfed in obsessive nationalism. External forces have posed a threat to national security since ancient times. Typically, it was an assault perpetrated by a foreign nation. Consequently, the country's survival and existence were inextricably linked to the security of its borders. Therefore, since primordial times to the present, states have prioritised the expansion of their military capabilities in both quantitative and qualitative terms. The definition of security was traditionally confined to a military aspect of inter-state relations. However, the key concept of security is no longer limited to the state and its ability to defend against external military threats; it increasingly encompasses societies and human associations as well. The notion of national security changed after the end of the Cold War. According to Barry Buzan, 'security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival'[3]. This definition has broadened the perspective of security. Consequently, concerns such as infectious diseases, environmental degradation, drug trafficking, human smuggling, cybercrime and related challenges are being examined in academic circles as urgent concerns with security implications. These non-military issues are classified in the security studies literature as non-traditional security challenges.[4]

Non-traditional security challenges engender unease for a sovereign state and its community at large. There are numerous non traditional threats to the security of a country. These threats become dangerous and complicated at the same time because of highly intricate global network established by modern communication, transportation, and information technology, encompassing both transnational and non-state entities.

Environmental Security: One of the biggest threats that is looming over whole mankind is from the very environment that surrounds us all. The misconception that nation states are threatened by the military might of the neighbouring countries is now waning away. Existence of countries like Maldives, Tuvalu, Marshall Island are at stake because of the rising sea levels due to climate change. Therefore, today environment is regarded as the biggest security challenge cutting across all nations.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), after prolonged and in-depth research came to the conclusion that 'anthropogenic activity is contributing to climate change'.[5] The planet is experiencing rising temperatures chiefly due to the repercussions of industrial production and agricultural methods, deforestation, and industrial emissions, which emit numerous gases—especially carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor—into the atmosphere. These gases capture thermal energy from the sun that would otherwise dissipate into space[6]. This phenomenon is referred to as the greenhouse effect. Because of this, temperatures all across the world have shot up by substantially since the late 19th

century, with the most recent decades exhibiting scorching rates that have never been seen before. This process has been accountable for an extensive range of ecological repercussions, such as the thawing of glaciers and ice at the poles, the upward movement of sea levels, the occurrence of heatwaves that are more frequent and intense, the alteration of rainfall patterns, and the occurrence of extreme weather events such as floods, droughts, and wildfires. Additionally, because of global warming, ecosystems are deteriorating, biodiversity is under threat, and there are significant dangers to human health, agriculture, water security, and economic stability. Despite the fact that it is a worldwide problem, its effects are not uniform. Vulnerable populations and poor countries frequently face the most severe consequences, despite the fact that they are the ones that contribute the least to the problem.

In terms of national security, these environmental concerns are non-traditional and cross-border risks that threaten a country. It will be difficult to bring this issue under control via traditional military or political methods. For example, climate change is a cause to increasing sea levels, severe weather, and extended droughts, all of which have the potential to relocate communities, inflict damage to vital structures, and decrease the availability of water and food. These kinds of upheavals can result in financial difficulties, instability in society, and massive migration, each of which put an impact on the power of a nation to preserve its stability and carry out its administration. In places like South Sudan in Africa, the stress caused by the environment has intensified the ethnic tensions that were already present, leading to rivalry over limited resources that ultimately resulted in armed war.

Global problems require global solutions. The problem of environmental security cannot be tackled by individual countries at their level. Therefore, United Nations has come to play an important role. The passage of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1992 is credited with marking the beginning of climate change's recognition as a major global environmental concern. The first conference was United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) popularly known as the Earth summit. It institutionalised sustainable development as global agenda.Later, the UNFCCC came up with the Kyoto Protocol which set legally binding emission reduction targets for developed countries. The important outcome was the Paris agreement which was a a legally binding international treaty under the UNFCCC. It adopted a bottom-up approach. All the nations are required to show progress overtime and no uniform targets have been set. The countries are required to report regularly on their emissions and progress.

Human Security: Amartya Sen in an interview to the newspaper, the Hindu said that if we are speaking of security, it has to be human security[7]. It is a recent development to the threats to national security. The concept of human security is very different from the traditional concept of national security, where state was the primary actor and threats were external. Protection of territorial integrity and sovereignty were accorded primacy. Whereas, in human security focus is the security of the individual. During the 1990s, particularly after the conclusion of the Cold War, it became abundantly evident that the conventional notion of security was unable to accommodate human welfare, particularly the liberation of disadvantaged groups, marginalised sectors, and poor people. After some consideration, it was determined that the approach to human rights ought to be strengthened by the implementation of developmental measures and the protection of people all over the world. For the sake of national, regional, and global stability, it was abundantly evident that human security, also known as security that is centred on people, is absolutely necessary. The Human Development Report that was published by the United Nations Development Program in 1994 is considered a significant milestone because it brought attention to the necessity of "human security" in order to combat global insecurities that plague individuals, particularly those who are poor, marginalised, and disadvantaged.

In terms of the implementation of human security, the approval of resolution 66/290 by the General Assembly[8] on September 10, 2012 was a key milestone. It is the right of individuals to live their lives in freedom and dignity, free from destitution and hopelessness. In order to provide human security, it is necessary to implement solutions that are prevention-oriented, broad, specific to the situation, and focused on people. These responses should increase the protection and empowerment of all individuals and communities. The concept of human security is so wide that it encompasses almost all kinds securities which are faced by mankind.

In certain circumstances, errors in human security can pose significant dangers to the functioning of the national security system. When the fundamental requirements and rights of individuals are disregarded, it can result in widespread dissatisfaction, civil strife, radicalisation, and occasionally armed conflicts. These fundamental necessities and rights include the right to food, medical care, schooling, housing, security, and liberty. As an illustration, conditions such as severe inequality, poverty, and unemployment can serve as a breeding ground for the growth of insurgent groups or extremist beliefs, which in turn pose a threat to the internal security of a state. In these kinds of situations, the deterioration of human security affects social cohesiveness, undermines the legitimacy of the state, and has the potential to escalate into more significant national crises. It is therefore vital for governments to implement policies that are centred on people in order to maintain both state and social resilience. Neglecting human security concerns can directly affect

national security, which is why it is essential for governments to embrace such policies.In order to deal with the problem, the UN has created the Human Security Unit within the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs to mainstream the human security approach.

Conclusion: Globalisation along with information technology revolution made borders meaningless. Globalisation meant free movement of people, capital, goods and services across the world. Communication revolution brought the world closer. As the borders started becoming meaningless, new threats to security started emerging. Thus, a non-traditional concept of security developed which was very different from traditional concept. In the non-traditional concept alongside the border other challenges came to be recognised as security threat.

There is urgent need for worldwide collaboration to reduce emissions of greenhouse gases, shift to renewable energy sources, and adopt climate adaptation and mitigation techniques is something that must be addressed in order to address the issue of environmental security. This problem cannot be solved by a single country. Several attempts have been made to ensure environmental security like the Earth Summit, Kyoto protocol, Paris conference on climate change. World is divided between developed and developing countries over the issue of environment. Still much needs to done.

Today there is urgent need to redefine the concept of national security. The state centric view of security should be replaced by the individual centric view of security. It is the human life that matters. Human security is today an important aspect of national security. This concept is closely connected with the idea of human rights and sustainable development and encompasses all those aspects which are connected with secure life of an individual. It highlights the fundamental causes of insecurity, including disparity, inadequate administration, and absence of availability of vital amenities. It becomes the duty of the government to address these issues. Once the issue of human security is addressed world would become a better place to live.

References:-

1. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
2. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
3. Barry Buzan (1991), New Patterns of Global Security in the Twenty- First Century, International Affairs institute, Vol 67. No 3, London
4. Mely Caballero-Anthony, Amitav Acharya(ed) (2006), Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation, p-1
5. Felix Dodds and Tim Pippard (2005), Human and Environmental security: An Agenda for Change, Earthscape, p-104
6. Rumki Basu (2012), International Politics: Theories and Concepts, Sage Publications, p-356
7. The Hindu, December 04, 2021
8. https://docs.un.org/en/A/RES/66/290

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अपराध एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा दंडनीय है वर्जित है निशिद्ध हैं, एक ऐसा कार्य जो कानून का उलन्घ्न करता है और जिसके लिए व्यक्ति को सजा मिल सकती हैं यह अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता हैं साधारण या गंभीर कुछ भी ऐसा कृत्य जिसको करने की इजाजत न समाज देता हैं, न ही कानून, अपराध कोई भी कर सकता हैं पुरूष, महिलाये, बच्चे, किन्नर आदि, अपराध एक सार्वभौमिक क्रिया हैं अर्थात अपराध प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति, काल हर समय हो सकता हैं।

शब्द कुंजी –अपराध, समाज महिलाएं, परिस्थितिया, कुप्रथाएं।

प्रस्तावना – समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल हैं साथ ही समाज में दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं सहयोगात्मक और असहयोगात्मक अर्थात संगठनकारी और विघटनकारी जब समाज में विघटनकारी क्रियाये बढ़ जाती हैं तब अपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने लगती हैं यही विघटन मनुष्य को अनितिकता, असंतोष, स्वार्थ और अपराध की तरफ ले जाता हैं।

अपराध क्या हैं– वह व्यवहार जो की कानून एवम सामाजिक विधानों का उलघ्न करके किया जाता हैं। जिस कार्य की इजाजत समाज और कानून नही देता है अगर कोई व्यक्ति वही कार्य जानबूझ कर कर दे तो वह कार्य अपराध है और वह व्यक्ति अपराधी है चाहे वो पुरूष हो या स्त्री या अन्य कोई हो।

अध्ययन के उद्देश्य– इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाये और अपराध एक सामाजिक अध्ययन की व्याख्या या समीक्षा करना हैं वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या बढती जा रही हैं, महिलाये अपराध क्यों करतीं हैं, इसका सामाजिक पक्ष क्या हैं महिलायें किन हालातो में अपराध करती हैं, क्या कारण होतें हैं, क्या महिलाएं अकेले ही अपराध को अंजाम दे देती हैं, इन सबका परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ता हैं।

महिला अपराध– अपराध एक प्रकार का समाज विरोधी कृत्य हैं, जिस कार्य को राज्य ने सामूहिक कल्याण के लियें हानिकारक घोषित किया हो और जिसके लिए दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति होती हैं।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को नर्म, नाजुक और मर्यादाशील, ममत्वशील, उदार, परोपकारी और शांत चित माना गया हैं पूर्व में महिलाओं की भूमिका मात्र घर की चारदीवारी के अंदर तक सीमित थी परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण करना ही मुख्य कर्तव्य था पुरूष कमाने जाते थे और महिलाएं घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलाती थी समाज में समय के साथ आये परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाएं भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गयी जब महिलाएं घर से बाहर जाने लगी तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा उनका सोच का दायरा बढ़ने लगा अपने केरियर बनाने को प्राथमिकता देने के कारण विलम्ब विवाह होने लगे दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाएं और अधिक बढ़ने लगी साथ ही मोबाइल फोन, सोशल मिडिया, फिल्म आदि के असर ने महिलाओं को स्वतंत्र बना दिया जिनमे से कुछ महिलाओं ने उस आजादी को स्वछंदता में बदल दिया और नारी सशक्तिकरण के नाम पर मनमाना जीवन जीने लगी और यही से वो अपराध की ओर बढ़ने लगी।

वर्तमान में देश में एक के बाद एक ऐसे जघन्य अपराध घटित हुए जिनके पीछे महिला अपराधी ही हैं उन अपराधों का रूप देख कर यकीन नही होता हैं की महिलाये भी इतनी क्रूर और बर्बर हो सकती हैं। किसी महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति को ड्रम में सीमेंट में चुनवा दिया तो किसी ने शादी के मात्र ग्यारह दिन बाद ही अपने पति को हनीमून के समय हत्या करवा दी, किसी ने अपने पति को काफी में जहर दे दिया तो किसी ने सांप से डसवा दिया, एक महिला तो अपने पति की लाश बोरे में ले कर अपने प्रेमी की बाइक से लाश को ठिकाने लगाने के लिए घंटों खुलेआम घुमती रही।

महिलाये अपराधी क्यों बन रही हैं– सामान्य तौर पर महिलाएं शांत प्रवृति की होती हैं और महिलाओं में अपराधिक प्रवृति की दर बेहद कम पाई जाती हैं किन्तु वर्तमान में समाज के भौतिक विकास के साथ नैतिकता में कमी आती जा रही हैं आज प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, जलन की भावना, स्वार्थीपन दूसरों से आगे निकलने की होड़ आदि का व्यापक असर महिलाओं पर भी पड़ा हैं महिलाओं के अपराधी बनने के लिए विभिन्न हालत जिम्मेदार हैं जिनमे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवम अन्य कारण शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नही होता हैं उसके आस –पास की विषम परिस्थितियां उसे अपराधी बनने हेतु मजबूर कर देती हैं महिलाएं भी कानून अपने हाथ में लेकर अपराधी तभी बनती हैं जब उनके समक्ष अन्य कोई रास्ता नही बचता हैं उदहारण के लिए स्वर्गीय फूलन देवी दस्यु सुंदरी क्यों बनी यह सभी को मालूम हैं किन्तु वर्तमान में अपवाद भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे महिलाओं ने बेकसूर पति या अन्य पुरुषों की हत्या तक कर दी हैं और महिला अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढती ही जा रही हैं।

महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अपराधों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर, महानगर सभी शामिल हैं अर्थात ग्रामीण हो या नगरीय समस्त महिलाये अपराध करने में अग्रसर होती जा रही हैं अभी हाल ही में जबलपुर में एक युवती ने अपने बचपन की सहेली पर सिर्फ इसलिए एसिड अटैक कर दिया क्योकि पीड़ित लड़की इससे ज्यादा सुंदर और एक्टिव थी ये अपराध जलन की भावना से किया गया, देश की मुस्कान हो या सोनम या अन्य कोई अपराध करने से पीछे नही हैं किसी ने अपने प्रेमी के कारण पति की हत्या करके ड्रम में डाल दिया और बेहद आसानी से प्रेमी के साथ पर्यटन पर चली गयी तो किसी ने हनीमून के बहाने अपने बेकसूर पति की हत्या करवा कर खाई में धकेल दिया और आसानी से वापिस अपने शहर लौट आई ये सभी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते है और ये दशति हैं की वर्तमान में महिलाओं की सोच, जीवन जीने का तरीका उनकी मानसिकता आदि सब कुछ कितना बदल गया हैं महिलाएं इतनी ज्यादा क्रूर हो सकती है और अपने उन्मुक्त जीवन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं।

महिला अपराध के मुख्य कारण–

1. **सामाजिक एवम मनोवैज्ञानिक कारण–** भारत में परिवार और विवाह के साथ कई प्रकार की रूढ़ियाँ, परम्परा, जातिगत भेदभाव, धर्म, उंच –नीच की भावना, असमान सामाजिक स्तरीकरण आदि जुड़ा हैं जिसके कारण लड़के और लड़की का पालन पोषण भी अलग अलग तरह से किया जाता हैं लगभग समस्त परिवारों में लिंग भेद दिखाई देता हैं लडको के लिए अलग नियम लड़कियों के लिए अलग और कड़े नियम होते हैं विशेष रूप से विवाह के समय लड़कियों की मर्जी पूछी ही नही जाती हैं अधिकांश परिवारों में माता पिता अपनी पसंद से बेटी के लिए वर का चयन कर लेते हैं बगैर इस बात पर गौर किये हुए की वो लड़का बेटी के लायक है की नही परिवार के सामने लड़की कुछ नही कहती और मजबूरन परिवार की पसंद से शादी कर लेती हैं जिसका अंजाम बुरा ही होता हैं भारतीय परिवार में महिला वर्ग के ऊपर सामाजिक मान मर्यादा, नातेदारी, नैतिकता की ज्यादा जिम्मेदारी होती हैं यह बात सर्विदित हैं की बचपन और किशोर अवस्था में माता पिता की बुध्दि और समझदारी के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार की दिशा तय होती हैं प्यार दुलार की आकांशा पूरी न होने से कई बालिकाएं विद्रोही हो जाती हैं यदि माता पिता पुत्री की उपेक्षा और पुत्र को ज्यादा लाड प्यार देते हैं तब बालिकाओं के मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हैं और वो गलत संगत में पड़ जाती हैं और उनको दुसरे लोग बहला फुसला कर अपराध की तरफ धकेल देतें हैं।

2. **समाजीकरण में अंतर –**भारतीय परिवार में लड़के –लड़कियों का पालन –पोषण और शिक्षा बचपन से ही अलग अलग तरीके से की जाती हैं किशोर अवस्था तक उनके कार्यों, भूमिकाओं, मनोव्रतियों और विचार में स्पष्ट अंतर हो जाता हैं लड़कों को गुस्सा करने, गाली देने, मनमाना व्यवहार करने से माता –पिता रोकते नही हैं जबकि लड़कियों को अनेक प्रकार की बंदिश लगा कर पाला जाता हैं उनको हर बात में रोका टोका जाता हैं इस कारण से भी लड़कियां विद्रोही हो जाती हैं और जाने अनजाने में अपराध कर बैठती हैं।

3. **अहम की असंतुष्टि–** जब महिलाओं की कोई प्रशंसा नही करता हैं और कोई उनसे प्रभावित नही होता हैं तब उनके अहम को चोट लग जाती हैं रास के अनुसार यह हानि की या पतन की स्थिति होती हैं ऐसे समय लडकिया न चाहते हुयें भी अपराध के चक्कर में फंस जाती हैं।

4 **वंशानुगत कारण–** यदि महिला किसी ऐसे परिवार से हैं जिसमे उसके माँ बाप भी अपराधी प्रवृति के हैं या कई ऐसे जाती और जनजातीय होती हैं जंहा पर अपराध ही उनका पेशा होता हैं जैसे बेडिया, बांछ्डा, कंजर, पारधी आदि जिनमे अपराधिक प्रवृति पाई जाती हैं ऐसे घरों की महिलाएं भी अपराध करने में अग्रसर रहती हैं

ऐसे वातावरण में पली बढ़ी बेटियाँ भी मानसिक अस्थिरता, संशय मंद्बुध्ही आदि से ओतप्रोत हो जाती हैं।

5. **परिस्थितिज्न्य कारण :**

अ . गरीबी– अपराध का सबसे मुख्य कारण निर्धनता को माना जा सकता हैं गरीबी या पैसों की कमी, भूख आदि किसी से भी अपराध करवा सकतें हैं किसी भी समाज का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृति को माना गया हैं इसमें भी महिलाये गरीबी के कारण, भूख से बिलखते बच्चों के कारण आती हैं जब कोई अन्य रास्ता नही बचता हैं।

ब . गन्दी बस्तियो में आवास – एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती धारावी मुंबई में हैं जिसको देख कर दिल कांप उठता हैं और मन ये मानने को तैयार ही नही होता हैं की इस तरह से भी कोई इंसान जीवन यापन कर सकता हैं ऐसे गन्दी बस्ती में ही अपराध सबसे ज्यादा होतें हैं गन्दी बस्ती की तंग गलिय, एक कमरे में कई लोग रहते हैं बच्चे दूषित वातावरण में अपना बचपन खो देतें हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जातें हैं।

स . काम–काजी माता–पिता– वर्तमान में सयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं और एकल परिवार में माता –पिता दोनों ही कमाने जाते हैं और बच्चों के लियें उनके पास समय ही नही होता हैं जिसके कारण बच्चें गलत संगत मे पड़ जातें हैं और अपराधिक और हिंसक प्रवृति के हो जातें हैं।

द. भग्न परिवार – जब किसी परिवार में पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो जाता हैं या उनके बीच में रोजाना कलेश होता रहता हैं तब ऐसे घरों के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं और खास तौर पर लडकिया भी बुरी संगत में पड़ जाती हैं और अपराध के कुचक्र में फंस जाती हैं।

इ. दूषित वातावरण– जब किसी परिवार में दूषित सामाजिक वातावरण पाया जाता हैं अर्थात जहाँ पर पिता हमेशा गली देते हैं, मारपीट करतें हैं या माता अन्य किसी से सबंध रखती हैं या मदिरा का सेवन किया जाता हैं कुछ बाहरी अवांछित व्यक्तियों का आना जाना रहता हैं ऐसे वातावरण में बच्चे बिगड़ जातें हैं।

6. **आर्थिक कारण–** महिलाओं और बच्चों को जब घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उचित खर्च हेतु भी रुपया नही दिया जाता हैं या पॉकेटमनी नही दी जाती हैं तब आर्थिक तंगी के चलते महिलाएं गलत तरीके से कमाई करने पर विवश हो जाती हैं।

7. **नगरीकरण और औद्योगीकरण–** महिला अपराधियों की संख्या बढ़ने के पीछे नगरीकरण और औद्योगीकरण भी मुख्य कारण हैं ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं और उनकी जीवन शैली बदल जाती हैं इसी प्रकार से उद्योग और बड़े कारखानों के आसपास भी जनाधिक्य हो जाता हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों से लोग आकर कार्य करतें हैं इसके साथ ही नगरों की चकाचौंध और कम समय में बिना मेहनत के अधिक कमाई और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी महिलाओं को अपराध की ओर ले जाती हैं।

8. **सोशल मिडिया और जनसंचार के साधन–** आजकल महिलाएं सबसे

अधिक सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि प्लेटफार्म पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना, स्वयं की रील बनाकर अपलोड करना, लाइक पाने की होड़ आदि करना इस तरह से महिलाएं भी अपराध की ओर बढ़ने लगती हैं। समाचार पत्रों में भी अपराध आदि के विस्तृत समाचार प्रकाशित किये जातें हैं जिसको पढ़ कर भी महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं।विभिन्न चेनल पर कई प्रकार के अपराध सम्बन्धी धारावहिक या शो प्रसारित होतें हैं जिनसे महिलाएं अपराध की विधियाँ सीख जाती हैं।

9. अन्य कारण– अन्य कारणों में महिलाओं का अधिक शिक्षित होना, नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण विलम्ब विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध होना, बाल विवाह, अन्तेर्जतीय प्रेम विवाह, पुरुषों की तरह जीवन शैली और पहनावा, मधपान करना, स्वछन्द प्रवृति से जीवन यापन करना, ग्लैमर के पीछे भागना, अकेले रहना समलैंगिकता आदि शामिल किये जा सकतें हैं।

महिलाओं के अपराधी व्यवहार को रोकने हेतु मुख्य उपाय:

1. समान समाजीकरण– परिवार का दायित्व बनता हैं की वो बीटा, बेटी को समान रूप से संस्कार दे उनके पालन पोषण में भेदभाव न रखें, बेटियों की भी बात सुने उनको भी निर्णय का अधिकार दे।

2. न्यायिक उदारता– महिलाओं के प्रति समाज भी उदारता की नीति अपनाता हैं इसलियें महिला अपरधियों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु न्यायिक उदारता की नीति अपनाना चाहिए।

3. परवीक्षा पर छोड़ना– महिला अपराधियों को अधिक बार परोल या परवीक्षा अवधि में छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने परिवार और नातेदारों के साथ रह सकें।

4. सुधारात्मक संस्थाओं में रखना– अपराधी महिलाओं को जेल से अधिक किसी सुधारात्मक संस्थाओं में रख देना चाहियें ताकि वो नैतिकता, सद्भाव आदि पुन: सीख सकें।

5. जेलों को अधिक सुविधायुक्त और सुरक्षित बनाना– महिला जेल की संख्या को बढ़ाना होगा और वर्तमान जेलों में महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रख कर अधिक सुविधा देना होगा साथ ही जेल में महिला कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती करना होगा ताकि महिला अपराधी खुद को सुरक्षित महसूस करें कई बार देखा गया हैं की पुरूष कर्मचारी महिला अपराधियों का शोषण करतें हैं और उनका जम कर फायदा उठातें हैं।

6. पुनर्वास की व्यवस्था– महिला अपराधी जब अपनी सजा काट कर जेल से मुक्त हो तब शासन की जिम्मेदारी हैं की उस महिला का पुनर्वास किया जाये उसे कोई काम या रोजगार दिया जाये ताकि वो समाज में रह सके अन्यथा काम के अभाव में वो महिला फिर से शोषण का शिकार हो सकती हैं और अपराध की ओर जा सकती हैं।

अंत में निष्कर्ष निकला जा सकता हैं की वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या दिनोदिन बढती ही जा रही हैं हर देश में महिलाओं द्वारा जाने अनजाने में अपराध कर दिए जाते हैं जो अधिकांश रूप से परिस्थितिजन्य होते हैं और हर अपराध में पुरूष भी शामिल रहतें हैं विभिन्न अपराधशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला हैं कि महिला अपराधियों की संख्या पुरुषों से कम होती हैं अर्थात महिलाएं कम और साधारण अपराध करती हैं किन्तु महिला अपराधियों की संख्या को और कम करने हेतु समाज, सरकार, गैर सरकारी संगठन, परिवार सभी को मिल कर प्रयास करना होगा और महिलाओं को भी एक स्वतंत्र इकाई मान कर लिंग भेद न करके उनके महत्व को भी समझना होगा और महिला अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना ही श्रेयस्कर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डॉ. डी .एस .–अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
2. मदन, जी.आर.– भारतीय सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. खत्री, रीया, अपराधशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
4. आहूजा, राम, सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. जे.के. संत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय समाज का मुख्य आधार गुणानरूप कर्म है क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, जैसा आचरण करेगा उसको वैसा ही समाज के दायित्वों को सौपा जायेगा जिससे वो अपना कर्म का निष्पादन अच्छी तरह से कर सके। यही कारण है कि प्राचीन भारत में प्रतिपादित भारतीय समाज रचना वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम संस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि तत्व पर अवलम्बित है।[1] इन तीनों गुणों में जो गुण मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है वह उसी पर प्रवृत्त हो जाता है।[2] सत्वगुण ज्ञान, बुद्धि, विवेक का , तमो गुण अज्ञान का और रजो गुण राग व द्वेष का प्रतीक है, ये गुण प्रणियों के शरीर में समाहित होते है।[3] इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण का आधिक्य हो जाने पर मनुष्य उसी गुण के आधार पर स्वाभाविक कर्म में रत हो जाता है। और इन्ही अच्छे- बुरे कर्मो के आधार पर विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेता रहता है।[4] इस प्रकार किसी भी वर्ण में जन्म लेना पूर्व जन्म के कर्मो और गुणों के आधार पर होता है। इस प्रकार भारतीय समाज रचना का वास्तविक तत्व स्व-कर्तव्य ही है। शास्त्रों में इसे स्वधर्म की संज्ञा प्रदान की गई है।[5] इसीलिये गुणानुरूप स्वाभाविक कर्म के आधार पर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र चार वर्णों की रचना की गई है। सत्य गुण की प्रधानता ब्राम्हण में रजो गुण की अधिकता क्षत्रिय में एवं अल्पाधिक तमोगुण का प्रावल्य वैश्य तथा शूद्र में माना गया है। गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख महाभारत एवं गीता में भी मिलता है।[6]

1. **समाज रचना तथा राज्यव्यवस्था का घनिष्ट सम्बन्ध –** तीनों गुणों सत, रज एवं तम पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज रचना की रीढ है। और राज्यव्यवस्था से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जहाँ समाज रचना का निरूपण किया गया है वही पर इसे कायम रखने के लिये राज्यव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में मनु की कथन है कि अपने-अपने धर्म में संलग्न सब वर्णो और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा का सृजन ब्रम्हा ने किया है।[7] राजा का परम कर्तव्य है कि वह सभी वर्णों को अपने-अपने धर्म में स्थित करें तथा जो इसके विरूद्ध आचरण करे उसे दण्ड देकर निजकर्म में लगावें।[8] इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यव्यवस्था के अभाव में हम समाज- रचनाके अस्तित्व की कल्पना भी नही कर सकते। अत: सामाजिक व्यवस्था को राज्यव्यवस्था पर अवलम्बित कर दिया गया हैं।

2. **वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हुई –** इस संदर्भ में मनु ने प्रकाश डालते हुये कहा है कि लोक बुद्धि के लिये ब्रम्हा ने मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरू से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की।[9] उल्लेखनीय है कि वर्णव्यवस्था के उद्भम का यह स्वरूप सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरूष सूक्त मंत्र में उपलब्ध होता है। युजुर्वेद में भी यह कल्पना व मंत्र ज्यों का त्यों पाया जाता है।[10] इस प्रकार मनु स्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र के रूप में जिन चार वर्णों की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न-भिन्न कर्मो का सम्पादन करते है। इन वर्णो के नामकरण का आधार इनका कर्म है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि महातेजस्वी ब्रम्हा ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिये ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में अलग-अलग कर्मों की सृष्टि की। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगट होती है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरू से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की। ब्राम्हण का कार्य पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राजा या स्वामी के रूप में देश की रक्षा करना, अस्त्र-शस्त्र एवं हथियारों का प्रयोग करना साथ ही साथ रथ, हाथी, घोड़ा एवं पैदल सैनिकों का भी नेतृत्व करना, राज्य में सुख-शान्ति कायम रखना, वैश्य का कार्य व्यवसाय एवं कृषि कार्य एवं शूद्र का कार्य सेवा करना। वर्णव्यवस्था में श्रेष्ठ एवं निम्न का होना मायना नही रखता जब तक सभी वर्णों के व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग नही करेगें तब तक राष्ट्र, समाज की समस्याओं का समाधान नही किया जा सकता। जिस प्रकार खाना खाने के लिये सभी उगलियों की आवश्कता होती है चाहे वो छोटा हो या बड़ा जब तक एक होकर कार्य नही करेगें तो भोजन भी नही किया जा सकता । इसी तरह शरीर के समस्त अंग अपने-अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। पैर से शूद्र का उत्पत्ति माना जाता है इसका मतलब ये नही है कि पैर का महत्व कुछ भी नही है, जब अपने से बड़े लोगों जैसे माता-पिता गुरूजनों आदि का आदर सम्मान किया जाता है तब सबसे पहले मस्तक झुकाते हुये चरण स्पर्श करते है, तब उस समय पैर अपने जगह पर श्रेष्ठ है। समयानुसार शरीर के समस्त अंग अतिमहत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार समाज में समयानुसार सभी वर्णों का अपने-अपने जगहों में अतिमहत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण स्वरूप जब एक ब्राम्हण परिवार में वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है तब घर की साफ-सफाई, नगाडे, बैण्ड बाजे एवं शहनाईयाँ बजाने का काम शूद्र ही करता है तब जाके वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम सम्पन्न होता है। इसी तरह जब शूद्र के यहाँ वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है, तब पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक कार्य संपन्न

कराने ब्राम्हण भी शूद्र के यहाँ जाता है। इस तरह सभी वर्ण एक दूसरे पर आधारित हैं। एतदर्थ मनु की उक्ति है कि जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते है किन्तु संस्कार होने से उनकी द्विजातीय संज्ञा होती है।[11] इस प्रकार मनुस्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में जिन चार वर्णो की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न-भिन्न कर्मो का सम्पादन करते है। इन वर्णो के नामकरण का आधार इनका कर्म है। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। इस आधार पर शतपथ ब्राम्हण में राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णो का उल्लेख किया है।[12] याज्ञवल्क्य ने भी इन चार वर्णो की चर्चा की है।[13]

3. चारों वर्णों के सामान्य धर्म का एक जैसा निरूपण-मानव धर्म शास्त्र में इन चारों वर्णो के समान्य धर्म का एक जैसा निरूपण किया गया है। अहिंसा (दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट मन, वचन एवं कर्म से न पहुँचाना) सत्य (हमेशा सत्य बोलना झूठ नही बोलना चाहिये) अस्तेय (बिना पूँछे किसी की कोई भी वस्तु न लेना) शूद्धता, इन्द्रियों को वष में रखना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, दान, सरलता, अपनी स्त्री से सन्तानोत्पादन एवं असूया (दूसरे के शुभ कार्य में द्वेष का न होना) यह संक्षेप में चारों वर्णो का धर्म मनु ने कहा है।[14]

चरों वर्णो के कर्म- मनुस्मृति में मनु ने सभी चारों वर्णों का कर्मों का विवेचन इस प्रकार किया है-

1. **ब्राम्हण का कर्म-** ब्राम्हण का कर्म है पढ़ना-पढ़ाना लोगों को अच्छे जीवन जीने का उपाय बताना, यज्ञ करना, कराना, दान देना वा लेना, मार्कण्डेय पुराण आदि में भी इसका विशेष वर्णन मिलता है।[15] ब्राम्हण का उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी हिंसा और किसी से द्रोह न करते हुये अपनी जीविका चलायें।

2. **क्षत्रिय का कर्म-** क्षत्रिय का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना कतिपय अन्य स्मृतियों में भी ऐसा ही विवेचन किया गया है।[16]

3. **वैश्य का कार्य-** वैश्य का मुख्य कार्य व्यापार करना, खेती करना, पशुओं का रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, ब्याज लेना आदि अन्य ग्रंथों में भी यही व्यवस्था वर्णित है।[17]

शूद्र का कार्य- ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णो की सेवा करना शूद्रों का प्रधान कर्म है।[18] पशुपालन और क्रय विक्रय उनकी जिविका के साधन है। महाभारत आदि में चारों वर्णो के इन्ही कर्मो का विवेचन मिलता है।[19] मानव धर्म के कतिपय श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि सामाजिक स्तर पर शूद्रों को हीन स्थिति प्राप्त है। उनकी स्थिति अत्यधिक निम्न है। किन्तु यह व्यवस्था परिस्थिति जन्य है, शाश्वत नहीं। क्योंकि स्मृतिकारों के अनुसार वही शूद्र है जिसका आचरण दूषित और गंदा है। यदि कोई ब्राम्हण भी क्रोध, काम, लोभ आदि के अत्यंत वषीभूत है, तो वह शूद्र के तुल्य है। यहा तक व्यवस्था कि यदि स्वामी सन्तानहीन हो तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिये पिण्डदान करना चाहिये। यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो शूद्र को उसका सभी प्रकार से भरण पोषण करना चाहिये।[20]

प्राचीन भारत में चार वर्णो के साथ ही साथ चार आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार है-

ये चार आश्रम ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास नाम से अभिहित हैं।[21]

1. **ब्रम्हचर्य आश्रम-** बाल्यावस्था ब्रम्हचर्य आश्रम के लिये उपयुक्त है। यह अवस्था विद्यार्जन और ब्रम्हचर्य पालन में इस आश्रम के मुख्य कर्तव्य निषचित किये गये है। ब्रम्हचर्य में इन्द्रिय निग्रह, आत्मसंयमन, विनय, घृति आदि सद्गुणों का समावेश होता है। साधारणतया यह आश्रम 25 वर्ष तक की आयु के लिये स्तुल्य माना गया हैं। अखण्ड ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करता हुआ ब्रम्हचारी क्रम से वेदों या दो वेद या एक ही वेद पढ़ कर गृहस्त आश्रम में प्रवेष करें। जीवन का दूसरा चरण विवाह कर के गृहस्त आश्रम में वितायें ऐसा मनु का कथन है।[22] इस ब्रम्हचर्य आश्रम में उदारता बरतते हुये भी भारतीय राजशास्त्री 25 वर्ष की आयु तक ब्रम्हचर्य आश्रम में निवास करने के पक्षधर है।

2. **गृहस्थाश्रम-**यह आश्रम 25 वर्ष के बाद ब्रम्हचर्य आश्रम के बाद की अवस्था का द्योतक है। विद्यार्जन समाप्त करके शरीर और मन सुदृढ़ हो जाने पर कुटुम्ब का बोझ धारण करने की योग्यता अर्थात तारूण्य प्राप्त हो जाने पर ब्रम्हचर्य आश्रम को पार कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये। यह आश्रम तीनों आश्रमों का आधार है। यह सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसके द्वारा ब्रम्हचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रमों की रक्षा होती है।[23] जैसे सभी नदी-नद समुद्र में ही आश्रय पाते है वैसे ही सभी आश्रमवासी गृहस्थाश्रम से ही सहारा पाते है। यही कारण है कि गृहस्थाश्रम पर कर्तव्यों का बोझ बहुत बड़ा है। मानव धर्म शास्त्रकार ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हुये कहा है कि जिस प्रकार वायु के आश्रम से सब प्राणी जीते है, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे जीते हैं। इसलिये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ होता हैं

3. **वानप्रस्थ आश्रम-** गृहस्थ आश्रम के पालन क उपरान्त आयु के तृतीय चरण 50 वर्ष के पश्चात् नियम पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम गृहण करें। इस आश्रम के कष्ट से जीविकोपार्जन करते हुये अरण्य में रहना पड़ता है और ईश्वर चिन्तन में अपना काल व्यतीत करना पड़ता है। मनु का कथन है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुये जब यह देखे कि अपने शरीर में झुर्रियाँ पड़ गयी है, केश श्वेत हो गए है और अपने पुत्र के भी पुत्र हो चंके हैं, तब वन के आश्रम ग्रहण करना चाहिये। वानप्रस्थ आश्रमी को मृग चर्म या वल्कन पहनना चाहिये। जटा, दाढ़ी,मूँछ और नख को नित्य धारण करना चाहिये। आश्रम में आये हुये अतिथि का जल, मूल फलादि से सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार इन्दिय गयी होकर कठोर श्रम के साथ वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने का परामर्श किया गया है।

4. **सन्यास आश्रम-**वानप्रस्थ आश्रम के पालन के उपरान्त आयु के चतुर्थ चरण 75 वर्ष के पश्चात् नियम पूर्वक सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिये। संगों का पूर्ण परित्याग कर सन्यासाश्रम के वृत पालन में सन्नद्ध होना चाहिये। मनु का कथन है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न कर तथा यथाशक्ति यज्ञानुष्ठान करके और सारी सम्पत्ति दक्षिणा स्वरूप दान करके ब्राम्हण को मोक्ष साधक सन्यासाश्रम ग्रहण करना चाहिये। सर्वभूतों में मैं हूँ और मुझमें सर्वभूत है इस वृत्ति का आश्रय लेकर सन्यासी को स्वराज का अनुभव करना पड़ता है। इसी से उसका यह स्वराज वैक्तिक न होकर सर्वव्यापी होता है। सन्यासी को चाहिये कि पवित्र भूमि पर चले, कपड़े से छानकर पवित्र जल पीवे, सत्य से ववित्र वचन बोले और मन से पवित्र आचरण करे।

निष्कर्ष- स्पष्ट है कि जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आदर्श ब्राम्हाणत्व की प्राप्ति है उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का आदर्श मोक्ष की प्राप्ति है।[24] सांसारिक एवं सामाजिक कल्याण इन दोनों ही आदर्शों में मूलत: सर्वत्र अन्तर्निहित है।

मनुस्मृति में प्रतिपादित गुणानुरूप कर्म की व्यवस्था तथा गृहस्थाश्रम की सर्वश्रेष्ठता, इसके ज्वलंत प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था विवेक युक्त जीवन विकास की प्रक्रिया पर अवलम्बित है, मूल मान्यताओं पर नहीं। सही कारण है कि विदेशी विद्धानों ने भी बेहिचक इसके महत्व को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने तो मुक्त कण्ठ से वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि वर्णाश्रम धर्म विश्व धर्म है जिसका हिन्दू धर्म शास्त्रों में सविस्तार वर्णन किया गया है। यह अध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम है। अपने जीवन में उच्च प्रकार के व्यवसाय करने के लिये अपनी उत्साह शक्ति को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था उस योजना में हैं। इसी प्रकार उनके अन्य कथन भी उद्धरणीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्वं रजस्तमस्चैव त्री विद्यात्मनौ गुणान।
   येत्याप्येमान्सिथतोभावन्महान्सर्वान् शेषत:। मनु0 12/25
2. मनु0 12/25
3. मनु0 12/26
4. मनु0 12/43-81
5. स्वै धर्मे निदिष्टानां सर्वेशामनु पूर्वश:। मनु0 7/35
6. सर्व ब्राम्हिदं जगत कर्मणा वर्णतां गतम्। शान्ति पर्व 188/10
7. स्वे-स्वे धर्मे निविश्षनां सर्वेशामनुपूर्वश:
8. तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्वेवर्णा: स्वधर्मत: प्रवर्त्यन्तेन्यथा दड्या स्थाप्याश्चैव स्वकर्मसु।। मार्कण्डेय पु. 25/36
9. लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुख वाहु रूपादत:। ब्राम्हणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तवत्।। मनु0 1/31
10. ब्राम्हाणौअस्य मुखमासीद वाह राजन्य: कृत: उरू तदस्य श्द्धेश्य: पद्भयां शूद्रों अजायत।
11. गार्मैहतौमैर्जात कर्म चाल मौंजीनिबन्धने:। वैजिक गार्भिकं चैनौद्धिजामपभृज्यते।। मनु0 2/27
12. शतपथब्राम्हण 5/4/6/9
13. ब्रम्हा क्षत्रिय पिद् शूद्रा वर्णास्तवाधास्त्रयोंक्षिजा। पिण्डेकादि श्मषानान्तास्तेषां वे मन्त्रत: क्रिया:।। याज्ञ0 1/20
14. अहिन्सा सतमयस्तेयं शौचमिद्रियनिग्रह: द्याद्धकर्मातिधेयं च दानमस्ते धमार्जवम्। प्रजनं स्वेषु दारेषु तथा चैवान सूयतां। एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्येदब्रवीमनु।।
15. दनामध्ययन यज्ञो ब्राम्हाणास्यत्रिघोदित:। धर्मोनान्यश्चतुर्थोस्ति धर्मस्तस्या पदंविना।। मार्कण्डेय पु0 26/3
16. प्रजानां रक्षणं दानमिन्याअध्ययन मैव च। विश्येश्व् प्रसक्तिश्चसेत्रियस्य समासत:
17. मनु0 1/60
18. मनु0 1/61
19. शान्तिपर्व 186/1-8, वषिष्ठ 2/13-16
20. देय: पिण्डोअपत्याय मर्त्रत्यों वृद्ध दुर्बलो। शान्ति पर्व 60/35
21. ब्रम्हचारी गृहस्थश्य वानप्रस्थो यतिस्तथा। एते गृहस्थ प्रभाव श्चत्वार: पृथगाश्रमा:।। मनु0 6/87
22. मनु0 4/1
23. सर्वेषामपि चैतेयां वेद स्मृति विधानत:। गृहस्थ उच्येत श्रेष्ठ: स: त्रीनेतन्वि भर्तिहि।। मनु0 6/86
24. इष्ट्वा च शक्तितौ यज्ञैर्मनो मोक्षे निवैंश्यैत।। मनु0 6/36

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन

योगेन्द्र कुमार ठगेले*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाडरवारा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे देश में पर्यटन जहाँ एक ओर स्थानीय स्तर सामाजिक और आर्थिक लाभ का स्त्रोत है और विभिन्न क्षेत्रो में प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कैरियर के अवसर भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में पर्यटन अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता हुआ उद्यम व व्यवसाय बन गया है, साथ ही यह मानवीय स्तर पर मनुष्यों के मनोरंजन, आकर्षण व आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का एक सहज माध्यम है। सतत पर्यटन की अवधारणा भी इसमें नये आयाम के रूप में पर्यटन क्षेत्र को विस्तार दे रही है। नरसिंहपुर जिले की प्राकृतिक विविधता यहाँ स्थित विंध्यांचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा नदी का घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, शैलाश्रय गुफायें इत्यादि के आसपास स्थित विभिन्न पर्यटन स्थल राज्य के पर्यटन में अपना विशेष स्थान रखते है। प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्य, नदियों का कलकल प्रवाह, हरियाली, उच्चावच क्षेत्र, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण आदि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं।

शब्द कुंजी – पर्यटन, सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय, सतत और प्राकृतिक विविधता।

प्रस्तावना – आज पर्यटन उद्योग के सम्मुख विकास के लिय अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है आवश्यकता इस बात की है, कि पर्यटन के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाये और प्रदेश तथा देश के सैलानियों को स्वर्ग के रूप में एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करने की पर्यटन क्षेत्र में प्रादेशिक विविधताओं के अनुरूप सतत शोध अनवेषण को बढावा देते हुए जनसामान्य की सहभागिता के साथ पर्यटन विकास क्रम हेतु पोस्टर, बैनर, मॉडल, मॉड्यूल्स, मानचित्र आरेख, पर्यटन से संबंधित स्लोगन व नारे, कार्यशालायें एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाये। पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण एवं प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर पर्यटन विकास के लिये संवर्द्धनात्मक उपायों में दो बातो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रथम उन क्षेत्रो की ओर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, जो अभी तक शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण उपेक्षित रहे है और जहाँ अधोसरंचना विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने की नयी संभावनायें तलाषी जा सकती है।

दूसरे परम्परागत पर्यटकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ उन पर्यटको को आकर्षित करने का प्रयास किया जाये जो साहसिक भ्रमण जैसे- पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग आदि कई कार्यक्रमों की अपेक्षा अभिरूचि के कुछ गिने चुने स्थानों पर आरामदायक भ्रमण की व्यवस्था अधिक उपयोगी होंगी। नरसिंहपुर जिला भी इसका अपवाद नही है। जिले में विद्यमान पर्यटन राज्य में विशेष महत्व रखता है।

नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध दर्शनीय एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिये जाने जाते है। जिले में इतिहास से जुड़ी काफी संरचनायें परिलक्षित होती है। यहाँ पर उपलब्ध पर्यटन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। इतिहास, धर्म एवं कला संस्कृति में रूचि लेने वाले व्यक्तियों के लिये यह महती आवश्यकता वाला क्षेत्र है। माँ नर्मदा का पावन तट जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष महत्व रखता है, जिसके अंतर्गत करेली का बरमान घाट, सांकल घाट, सोकलपुर, ककराघाट आदि स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है। इसके साथ ही जिले में नरसिंहपुर, गोटेगॉव, गाडरवारा, करेली, सांईखेड़ा में स्थित पर्यटन स्थलों का भी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। यहाँ स्थित जलप्रपात, नदियाँ, वनभूमि, मंदिर और धार्मिक स्थान अपनी गरिमा और गौरव के लिये प्रसिद्ध है तथा पर्यटन आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी नर्मदा है तथा इसके साथ ही शेर, शक्कर, सीतारेवा आदि सहायक नदियाँ भी प्राकृतिक रूप से इसे संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस जिले का महत्व प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है। भटेरा नामक स्थल से प्राप्त अवशेष इसके आदिकाल से संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करते है। बरहटा नामक स्थल से पाण्डवों द्वारा अज्ञातवास का समय व्यतीत करने की जानकारी मिलती है। बिल्थारी को प्राचीन बलि स्थली कहा जाता है, जहाँ राजा बलि ने वामन भगवान को अपना संपूर्ण राज्य दक्षिणा में देकर अपने शरीर का अर्पण कर दिया था। इस प्रकार यहाँ स्थित हिंदु धार्मिक स्थल इस भू-भाग के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का वर्णन करते है। नर्मदा घाटी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह जिला अत्यंत रमणीय, धार्मिक, शांत वातावरण व मन को प्रफुल्लित करने वाला है, जहाँ, प्रेम, सद्भाव, परस्पर सहयोग की प्रधानता रही है। मध्यप्रदेश का नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। गन्ना बाहुल्य जिला होने के कारण क्षेत्र विशेष में कई शुगर मिल फैक्ट्री विद्यमान हैं साथ ही यहाँ पर उत्पादित की जाने वाली तुंअर दाल का देश के विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जाता है। नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का एक भाग है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय नरसिंहपुर शहर में विद्यमान है।

विश्लेषण– नरसिंहपुर जिला माँ नर्मदा के पावन तट पर बसा प्राकृतिक

सुंदरता से संपन्न क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल विद्यमान है। पाषाण काल से लेकर पौराणिक, सातवाहन, गोंडवंश, भौंसले (मराठा शासन), स्वतंत्रता संग्राम व कांग्रेस आंदोलन से संबधित महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा है और क्षेत्र विशेष में इसकी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जनसामान्य की विशेष आस्था रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस भू-भाग में प्राकृतिक विभिन्नता लिये पर्वतीय श्रृंखलायें, नदी घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, नदियाँ, झील, जलाशय और जलधारायें है। जिले के ऊँचाई से गिरते जल प्रपातों का दृष्य अत्यंत ही मनोरम है। जिले में स्थित धरातलीय, पर्वतीय, नदी घाटी प्रदेश एवं मैदानी भाग पर्यटकों के लिये आकर्षण के प्राकृतिक भू-दृष्य हैं। यहाँ स्थित पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की कलकल करती जलधारायें अनायास ही पर्यटकों के मनमोह लेती हैं। यहाँ हरी-भरी हरियाली, जंगल क्षेत्र, पेड़-पौधों व वनस्पतियों का सुंदर नजारा देखने में काफी अच्छा लगता है। नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक स्वरूप से आकर्षित करने वाले स्थानों की जानकारी निम्नानुसार है:-

रानी दहार झील- रानी दहार (दहाड़) गाडरवारा से 27 कि.मी. दूर सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ प्राचीन मंदिर एवं झील प्रमुख आकर्षण केन्द्र है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। सतपुड़ा के मध्य भाग से पर्वत का सीना चीरते हुए ऊमर नदी आकर इस झील का निर्माण करती है। यहाँ नदी में स्थित कुंड को ही रानी दहार कहा जाता है, जहाँ रानी नदी में समा गई थी। विशाल जलराशि के किनारे स्थित शिव मंदिर तथा आश्रम प्राचीन ऋषियों के तपोवन की स्मृति साकार करता है, जिसे ब्रम्हलीन स्वामी आत्मानंद जी द्वारा अपनी एकांत साधना के लिये चुना था। रानी दहार के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही यहाँ क्षेत्रीय इतिहास की कड़ी के रूप में पहाड़ी पर गोंड राजाओं के राजमहल के अवशेष है, जिनमें से ही एक गोंडरानी के संबंध में प्रचलित किवदंती के अनुसार नदी जल के उद्गम की खोज में नदी पर रस्सी बांधने व उसके टूटने से रानी के नदी में गिरने से यह स्थल रानीदहार के नाम से प्रचलित हो गया। यहाँ बारिश के समय आसपास की हरियाली, नदी का प्रवाह, शांत स्थल इसे पर्यटन के रूप में उत्तम स्थल बनाता है, जहाँ झील में जल की अधिकता होने से पर्यटकों द्वारा यहाँ स्नान करने का आनंद भी लिया जाता है। पहुँच मार्ग की दुर्गमता के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित रहती है, जहाँ पहुँचने के लिये लोगो को स्वयं के वाहन का सहारा लेना पड़ता है।

छोटा जबलपुर (गोटीटोरिया)- गाडरवारा से लगभग 23 कि.मी. दूर वनांचल ग्राम मोहपानी गोटीटोरिया के नजदीक स्थित छोटा जबलपुर अपनी ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष में एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत की आकर्षक वादियों और सीतारेवा नदी तट पर स्थित यह स्थल ब्रिटिष काल में अपनी कोयला खानों के लिये प्रसिद्ध था, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पर्यटक यहाँ अपने परिवारों के साथ पहुँचकर सुंदर चट्टानों, नदी, लहलहाते वृक्षों एवं झर-झर करते झरनों का आनंद उठाते है और प्रकृति की गोद में सुकून के पलों की अनुभूति करते है। यहाँ पर आने का समय नवम्बर से जनवरी माह के बीच सबसे उत्तम होता है। वन विभाग व स्थानीय ग्राम वन समिति के द्वारा इसे ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहाँ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच साहसिक व मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ईको टूरिज्म, जिप लाइन, डिजिटल शो, फारेस्ट ट्रैकिंग, वाल क्लाइम्बिंग आदि को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

झोतेष्वर मंदिर गोटेगॉव- नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम (गोटेगॉव) रेलवे स्टेषन से 15 कि.मी. दूर हरियाली से आच्छादित प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित झोतेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्रकृति की गोद में माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हेतु श्रृद्धालु दूर-दूर से आते है और प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव करते है। यह प्रसिद्ध स्थल जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की तपोभूमि भी है। यहाँ स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में जगदगुरू शंकराचार्य जी ने 'विचारशिला' नामक स्थान पर बैठकर कठोर तप किया था। आश्रम में ही एक जल कुण्ड बना हुआ है, जहाँ लगातार पानी बहता है। प्राकृतिक परिदृष्यों के बीच स्थित यह धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वे यहाँ आकर शांति का अनुभव करते है।

नीलकुंड धाम (सोकलपुर)- गाडरवारा से लगभग 21 कि.मी. दूर नर्मदा तट पर स्थित मनोरम प्राकृतिक स्थल है, जहाँ गाडरवारा से पलोहाबड़ा होते हुए पहुँचा जा सकता है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही शक्कर नदी नर्मदा में आकर मिलती है, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिकआकर्षक बना देती है। माँ नर्मदा का पावन तट, प्राकृतिक हरियाली से समृद्ध वातावरण और शांत स्थल इस स्थल के प्रति पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि करती है। नीलकुंड धाम में श्री नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर एवं माँ रेवा श्री आश्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण केन्द्र के रूप में स्थित है, साथ ही यह संतो की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ संत परम्परा के लोग प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण के बीच योग व ध्यान साधना में लीन रहते थे। इस स्थल तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम अवश्य है, लेकिन मार्ग के बीचका प्राकृतिक सौंदर्य, ऊँची-नीची घाटियां, पहाड़ियाँ व ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा नीलकुंड पहुँचने पर वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक परिदृष्य पर्यटकों की सारी थकान दूर कर देता है और उन्हें सुखद अनुभूति प्राप्ति होती है। ठंड के दिनो में यहाँ पर घूमने हेतु जाना सर्वोत्तम पर्यटन गंतव्य हो सकता है।

टोनघाट (छोटा धुंआधार)- नरसिंहपुर गोटेगॉव मार्ग पर बेलखेड़ी से लगभग 12 कि.मी. दूर शेर (शेढ़) नदी तट पर स्थित टोनघाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ चट्टानों एवं विशाल पत्थरों के बीच से बहती नदी की कलकल धारा, हरियाली से आच्छादित क्षेत्र, शांत वातावरण एवं सुंदर जलप्रपात यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर ऊँचाई से गिरकर शेर नदी की धार का नजारा दुग्ध धारा जैसा सफेद प्रतीत होता है, इसलिये इसे छोटा धुंआधार के नाम से जाना जाता है। इस स्थल के बारे में प्रचलित मान्यतानुसार पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था, साथ ही राजा विराट की नगरी होने के कारण कालांतर में इस गॉव का नाम बरहटा हो गया। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान काफी महत्व रखता है, जहाँ आने के बाद पर्यटकों को सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है।

हाथीनाला जलप्रपात -नरसिंहपुर से लगभग 47 कि.मी. की दूरी पर भोपाल-जबलपुर राजमार्ग में केरपानी सरसला से होते हुए रिछई गॉव

(बिल्धागॉव) के पास स्थित प्राकृतिक वातावरण से समृद्ध जलप्रपात व पर्यटन स्थल है। नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले इस स्थल में ऊँची पहाड़ियों से नीचे गिरता झरना बारिश के मौसम में और भी मनोरम व सुंदर हो जाता है। यहाँ पानी का झरना चट्टानी सीढ़ियों की श्रृंखला से खूबसूरती से बहता है, जहाँ पानी की आवाज और झरने के आसपास का धुंधभरा वातावरण एक सुखद माहौल निर्मित करता है। झरने के आसपास चारों ओर हरियाली से समृद्ध वनस्पति इसे जैव विविधता के लिये उपर्युक्त स्थान बनाती है। युवाओं के बीच यह झरना विशेष लोकप्रिय हो रहा है। हरे-भरे पेड़ पौधों का आच्छादन और सुरम्य परिदृष्यों के बीच स्थित यह झरना एक छिपा हुआ रत्न है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिये एक शांत और ताजा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने का उत्तम समय जुलाई से सितम्बर के बीच में है, जब मानसून में होने वाली वर्षा इस जलप्रपात के सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाती है साथ ही यहाँ का राजसी सुंदरता वाला वातावरण प्राकृतिक दृष्यों को निहारने के साथ ही कई साहसिक गतिविधियों जैसे- माउंटेन ट्रैकिंग व लंबी पैदल यात्रा के शौकीन लोगो के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

जल प्रपातो पर आधारित पर्यटन केन्द्र- जिले से प्रवाहित होने वाली सरितायें प्रपात रेखा का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ से बहने वाली नदियाँ पठारी भाग से जैसे ही उत्तर के वृहद प्रदेशों में प्रवेश करती है यहाँ अनुपम सुरम्य जलप्रपातों की रचना करती है। यहाँ स्थित वनस्थली, पर्वत श्रृंखला एवं जलप्रपातों के अनुपम सौंदर्य जगह-जगह पर सुषोभित हो रहे है। इन सुरम्य जलप्रपातों की पहचान राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नही हो पाई है फिर भी बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटक इन प्रपातों का आनंद लेने आते है। अधिकांश जलप्रपात वर्षा के दिनों में देखने योग्य होते है। यहाँ नरसिंहपुर जिले में विशेषकर नदी घाटों व पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जल प्रपातों का सौंदर्य इसके कोने-कोने को सुषोभित कर रहा है और प्रकृति रूपी सुषमा किलोले कर रही है। जिले के जल प्रपातों के सम्मुख प्रकृति नदी उमंग के साथ नर्तन कर रही है और नरसिंहपुर जिले के गौरव को बढ़ा रही है। प्राकृतिक दृष्यों के दर्शनार्थ प्रदेश के अलग-अलग हिस्से से आने वाले लोग इसकी गोद में आकर नतमत्सक हो जाते है।

प्रकृति प्रदत्त अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए नरसिंहपुर जिला संबंधित महाकौशल अंचल का एक आदर्श पर्यटन स्थल होना चाहिये था किंतु ऐसा नही हो सका, जिसके लिये कई कारक उत्तरदायी रहे है। यह जिला अपने आंचल में कई पर्यावरणीय भिन्नताओं को समेटे हुए है, जो दृष्य सौंदर्य स्थल के रूप में पर्यटन केन्द्रों को जन्म देते है। यहाँ घने वन व गगनचुंबी पर्वतों की उपत्यका में कही समतल भूमि है, तो कहीं ऊँचीं-नीची टीलेदार धरती, जिनके बीच में प्रवाहित होती सरिताओं के साथ कल-कल करते झरने सहज ही मन मोहित करते है। यह जिला सैलानियों के लिये आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है, जिसकी अपनी नैसर्गिक छटा, अद्वितीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें पर्यटन में वृद्धि करते हुए इसे विशेष स्थान प्रदान करती है।

नरसिंहपुर जिले को प्रकृति का वरदान प्राप्त है, क्योंकि यह भू-भाग चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है तथा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता जिसमें नदी, पर्वत, झरने, झील, वन आदि को देखकर पर्यटन यहाँ खिचे चले आते है और सुखद अनुभूति प्राप्त करते है। जिले के इन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवगमन बना रहता है, जिससे जिले को काफी आय की भी प्राप्ति होती है।

निष्कर्ष- निष्कर्षत: नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और शांत वातावरण के लिये प्रसिद्ध है। इन स्थलों का विकास और संरक्षण जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधाओं के साथ, नरसिंहपुर जिले का प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र भविष्य में और समृद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, डॉ. सुमन्त (2005-06)-मध्यप्रदेश का पारिस्थतिकी पर्यटन, यू.जी.सी. प्रोजेक्ट।
2. नेमी, डॉ. जगमोहन (2010)- पर्यटन मार्केटिंग में विकास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव, डॉ. संदीप (2011)- मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में अनुप्रयोग, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली।
4. गौतम, श्री राकेश एवं भदौरिया, श्री जितेन्द्र सिंह (2013)-मध्यप्रदेश एक परिचय, टाटा मैक्ग्रा हिल एजूकेशन इंडिया लिमिटेड़ नई दिल्ली।
5. अहमदशाह, श्री रफीक (1999)- 'प्रयास' एक मानवीय एहसास, कंदेली फोरम, नरसिंहपुर।
6. गुप्ता, श्री कंछेदीलाल (2003)- जिला नरसिंहपुर गौरवमयी अतीत एवं गरिमामय वर्तमान, शारदा प्रकाशन।
7. राय, श्री चंद्रभानु (2001) - 'नरसिंह नयन' कर्मवीर द्वारा पुनर् प्रकाशन।
8. नरसिंहपुर जिला गजेटियर (1972)
9. https://narsinghpur.nic.in/ पर्यटन स्थल/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राकेश कुमार दिलावरे*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं प्राय: परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने और अन्य आवश्यक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही साथ धन कमाने वाले कार्यो में भी परिवार का सहयोग करती हैं, जिससे परिवार आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाए कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, वह अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बॉस का सामान बनाना, मिट्टी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।

प्रस्तावना – ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती हैं, और कृषि कार्यो में पुरूषो के समान महिलाओं की भी बराबर की भागेदारी होती हैं। अधिकांश कृषि कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महिलाएं बड़ी आसानी से कर पाती हैं। ग्रामीण परिवारों में पुरूष, कृषि से ज्यादा बाहरी कार्य करते हैं, जिससे परिवार के रोजाना के खर्चे चलते हैं, और महिलाएं घर का कार्य करने के बाद, खेत चली हैं एवं खेती के कार्य करती हैं। ग्रामीण परिवार जो कृषि कार्य नहीं करते हैं उनके परिवार की महिलाए ग्रामीण स्तर पर चलने वाले कुटीर उद्योग जैसे– पापड़ बनाना, बॉस का सामान बनाना, मिटटी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं का अहम रोल हैं, घर के कार्यो से लेकर, कृषि कार्य, डेरी उद्योग, रेशम उद्योग, मुर्गी फार्मिंग, मत्स्य उद्योग, बागवानी, वेजिटेबल फार्मिंग, नर्सरी फार्मिंग,लघु एवं कुटीर,सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका सशक्तिकरण, समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान दे सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान–ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं अक्सर परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा अन्य आवश्यक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे आवश्यक कार्य निम्नवत है–

1. **कृषि –** ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन, और बागवानी जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फसलों की बुवाई, कटाई, और सिंचाई जैसे कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।
2. **छोटे व्यवसाय –** कई ग्रामीण महिलाएं छोटे व्यवसायों जैसे कि हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, और खाद्य प्रसंस्करण में भी काम करती हैं।
3. **गैर–कृषि कार्य –** महिलाएं गैर–कृषि कार्यों जैसे कि निर्माण, परिवहन, और पर्यटन में भी काम करती हैं।
4. **घरेलू देखभाल –** ग्रामीण महिलाएं अपने परिवारों के लिए भोजन, पानी, और ईंधन की व्यवस्था करने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने, और घर चलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
5. **समुदाय –** ग्रामीण महिलाएं सामुदायिक विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम करना।
6. **पशुपालन–** ग्रामीण महिलाएं अक्सर पशुधन की देखभाल करती हैं, जैसे कि गाय, बकरी, और मुर्गी। वे दूध, अंडे, और अन्य पशुधन उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जो उनके घरों और समुदायों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के भूमिका को जानना।
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं के कार्य क्षेत्र को जानना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि – ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जिसमेंग्रामीण अंचल से जुडे सभी काम–काज एवं व्यवसाय शामिल है, जो गाँवो में रहने वाले लोगों के रोजगार के साधन होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ लोग खेती करते है, कुछ मजदूरी तो कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए व्यापार व व्यवसाय करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि के आसपास घुमती रहती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो व्यवसायी वर्ग जुडा है, वह गाँवों को शहरो से जोड़ते हैं एवं ग्रामीणों की समस्त अवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध करवाते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाँवो से जुडी समस्त आर्थिक क्रियाओं को दर्शाती हैं इसमे रोजगार के साथ-साथ वे समस्त गतिविधियां शामिल होती हैं जो रोजगार एवं व्यापार व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग छोटे-छोटे रोजगारो एवं कृषि कार्यो से जुडे होते हैं, यदि उनको वर्ष भर कार्य न मिले तो उन्हे अपनी अजीविका चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याए – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सम्मुख मुख्य रूप से निम्न लिखित समस्यायें आती हैं-

1. **गरीबी-**ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण महिलाओं को आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, और वे पिछड़ती चली जाती है, बच्चें और परिवार अच्छी सुविधाओं से वंचित रह जाते है।
2. **शिक्षा की कमी-**ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच कम है, और महिलाओं को कई समाजो में पढ़ाया भी नहीं जाता है, जिसके कारण महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है।
3. **स्वास्थ्य सेवाओं की कमी-**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके कारण महिलाओं को उचित चिकित्सा देखभाल और प्रसूति सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
4. **सामाजिक भेदभाव-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, और सम्मान के नाम पर हत्याएं।
5. **घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होता है।
6. **कार्यस्थल पर उत्पीड़न-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होती है।
7. **वित्तीय बहिष्कार-**ग्रामीण महिलाओं को अक्सर वित्तीय संस्थानों और सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में बाधा आती है।
8. **सीमित सामाजिक गतिशीलता-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने और निर्णय लेने में सीमित अवसर मिलते हैं।
9. **कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव-**ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होती हैं।

समस्याओं का समाधान-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याओं के समाधान निम्न प्रकार है:

1. महिलाओं को गरीबी से निकालने के लिए, उन्हे लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना होगा ताकि उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर मिल सके।
2. शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए बराबर का हक मिलना चाहिए, ताकि महिलाए शिक्षित होकर रोजगार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके।
3. पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थय सम्बन्धी समस्याए अधिक होती हैं, अत: महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी स्वस्थ शरीर के साथ, परिवार को रोजगार के क्षेत्र में सहयोग कर सकें।
4. सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला सशक्तिकरणके क्षेत्र में शासन एवं गैर सरकारी संगठनों के तेजी से काम करने की अवश्यकता है, ताकि ग्रामीण स्तर तक सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
5. महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस थाने, गैर सरकारी संगठन एवं और भी शासकीय महिला उत्पीड़न निवारण संस्थान हैजिसमें जाकर महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।
6. कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक प्रमुख समस्या है, जिसके चलते कई महिलाए अपना काम छोड़ देती हैं, शासन के द्वारा शासकीय एवं निजी संस्थानों में महिला उत्पीड़न केन्द्र बनाये गये हैं, महिला वहां अपनी शिकायत दर्ज कर, समस्या का समाधान कर सकती है।

निष्कर्ष-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम रोल हैं, घर के कार्यो से लेकर, कृषि कार्य, लघु एवं कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रो में महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण स्तर की महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने के लिए पुरूषों के साथ मिलकर आर्थिक रूप से सहयोग करती है। ग्रामीण महिलाओं का रोल कृषि क्षेत्र के विकास में सराहनीय है, इनके सहयोग के कारण ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाए कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, वह, अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बाँस का सामान बनाना, मिटटी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं की भूमिका जिन भी राज्यों में अच्छी हैं, वह राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ रहा हैं और वह अच्छा कार्य कर परिवार को सहयोग कर रही है, और साथ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने मे सफल सहयोग प्रदान कर रही है।

संदर्भ एवं ग्रथ सूची :-

1. कुमार.विनोद,'भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार: समस्या एवं समाधान', श्रंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका(2018) वॉल-5.अंक-11.पेज 104-109.
2. कुमार.योगेश,'ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से बदलता परिवेश', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 3-8.
3. डॉ. मोदी. अनिता. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 28-32.
4. दुबे.वेद प्रकाश एवं चतुर्वेदी. प्रो. एस.एन. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रेशम उद्योग की सहभागिता', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 24-27.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव

डॉ. पुष्पा नागर* श्रीमती रंजना शक्तावत**

*** वरिष्ठ व्याख्याता, एम. ओ. एम. महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत**
**** वरिष्ठ व्याख्याता, महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – भारत एक ऐसा देश है जो 'विकसित भारत विजन' के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एक वैश्विक नेता की कल्पना को साकार करने के लिए नवाचार एवं आधुनिक तकनीके कारगार सिद्ध हो सकती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) द्वारा जारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। देश की यह मंशा है कि वह तकनीकी प्रगति में विश्व मंच पर सबसे आगे रहे है। इस हेतु समावेशी विकास, नवाचार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देकर ही नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को महाशक्ति में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने 2015 में एक ऐसी पहल की है जिसके द्वारा भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था एवं सशक्त समाज बनाया जा सके और इस पहल का नाम डिजिटल इंडिया रखा गया। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया जा रहा है।

जब देश में 2015 में नोटबंदी की गयी तो उस समय इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भुगतान प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया था जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ही एक रूप माना जा सकता है, जिसमें जनता द्वारा किये गये अधिकांश भुगतान केशलेस होने लगे। इसी के चलते 2019 के कोरोना काल के समय भी जब लोगो को बाहर आने-जाने पर रोक लगी थी तब भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से ही जनता द्वारा अधिकांश भुगतान एवं कार्य किये गये।

शब्द कुंजी – डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रानिक सेवाऐं, अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, सशक्तिकरण।

उद्देश्य – डिजिटल इंडिया की स्थापना समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुये इलेक्ट्रानिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नौ स्तभों को शामिल किया गया है। इस पहल को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नाम प्रदान किया गया है जो विभिन्न चरणों के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता तक सरकारी सेवाऐं इलेक्ट्रानिक रूप से मिलती रहे। यह कार्यक्रम सरकार के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों को शामिल किया गया है-

1. **नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य IT के द्वारा नई पीढ़ी को रोजगार के लिए नवाचार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में कार्यो में पारदर्शिता व जवाबदेही बनाये रखना है।
3. **बुनियादी ढ़ाँचे को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढ़ॉचे को अधिक विकसित करना है।
4. **ई-गर्वनेस-** इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रानिक सेवाओं के माध्यम से अधिक आसान बनाना है।
5. **ई-पंचायत-** इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यो का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाना है। यह ई- गर्वनेस के तहत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।
6. **ई-ग्रंथालय-** इसका उद्देश्य लाइब्रेरी के कार्यों का संचालन एवं आनॅलाइन सदस्यता डिजिटल माध्यम से किया जाना है।

डिजिटल इंडिया की पहल

1. **ई-पाठशाला-** इसमें सभी शैक्षिक ई-संसाधनों जैसे- पाठयक्रम, ऑडियों, वीडियों, पत्र-पत्रिकाओं विभिन्न मुद्रित एवं गैर-मुद्रित सामग्रियों को NCRT द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदर्शित एवं प्रसारित किया जा रहा है।
2. **ई-अस्पताल-** यह एक ऐसी पहल है जिसमें अस्पताल, डॉक्टर, और मरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़ना है। जिसमें लगभग 420 अस्पताल इस अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके है।
3. **डिजिलाकर्स-** इसमें आम जनता का सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है जिसके अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप में प्रमाणित कर रखा जा सकता है।
4. **भीम ऐप-** आम जनता इसका उपयोग कर भुगतान का आसान बनाता है जिसमें जनता UPI का प्रयोग करके कहीं भी किसी भी समय भुगतान कर सकता है।

परिकल्पना:

1. डिजिटलीकरण, विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
2. डिजिटलीकरण से देश की आय में वृद्धि हो रही है।

डिजिटल इंडिया का महत्व – भारत को वैश्विक नेता बनने के लिए शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती

ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया एक ऐसी परिवर्तनकारी पहल है, जो देश को डिजिटल रूप में एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1. **स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक-** इससे विभिन्न चिकित्सालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसमें मरीज, डॉक्टर और चिकित्सालयों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जैसे-ABHA इसमें विभिन्न मोबाइल एप्स से व्यक्ति अपने प्राइमरी चेकअप भी कर सकता है।

2. **शिक्षा में सहायक-** इससे देश के विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किये गये है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कारोनाकाल के समय ऑनलाइन क्लासेस ने विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य दूरियों को कम कर दिया है।

3. **बैंकिंग में सहायक-** इससे विभिन्न बैंकों ने कागजी कार्यवाही को कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को विभिन्न मोबाइल एप्स से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें ग्राहक बैंक से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त कर रहा है।

4. **कृषि में सहायक-** हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है जिससे अधिकांश लोग का जीविकापार्जन का साधन कृषि है। इससे कृषि संबंधित जानकारियों को डिजिटलीकरण से कृषि कार्य आसान हो गया है।

5. **नवाचार में सहायक-** इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसमें नागरिकों के विचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जिससे वे स्वयं का रोजगार कर सके और देश के बेरोजगारी को कम कर सके।

6. **रोजगार में सहायक-** इससे आम नागरिकों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इससे IT को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। इसका उपयोग कर नागरिक देश के किसी भी कोने की रोजगार संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकता है एवं देश-विदेश में रोजगार के अवसर मिल रहे है। इसके अंतर्गत वर्क फ्राम होम को बढ़ावा भी मिल रहा है जिससे भारत का व्यक्ति भारत में रहकर ही विदेशों में नौकरी कर रहा है।

7. **व्यवसाय में सहायक-** इससे व्यापारी वर्ग व्यापार को विकसित कर बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। इसमें व्यापारी अपने व्यापार को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। व्यापारी द्वारा विभिन्न वेबसाइट बनाकर उस पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रचार-प्रसार कर क्रय-विक्रय कर रहा है।

8. **सरकारी सेवाओं में सहायक-** इससे सरकारी कामकाज आसानी से किया जा रहा है। इससे कागजी कार्यवाही को कम किया गया है। इसमें विभिन्न मोबाइल एप्स जैसे-UMANG, SARTHAK, E-OFFICE, KARMYOGI & MY GOVT. से सरकारी सेवकों का रिकार्ड डिजिटल रूप में रखा जा रहा है।

9. **साइबर अपराध के नियंत्रण में सहायक-** इससे डिजिटल अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10. **ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक-** इससे शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी डिजिटलीकरण से ग्रामीण भी डिजिटल सेवाओं का लाभ ले रहे है।

11. **जीवन स्तर सुधार में सहायक-** इससे नागरिक विभिन्न डिजिटल सुविधाओं का प्रयोग उनका जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

12. **ऑनलाइन सेवाओं में सहायक-** इससे आम नागरिक ऑनलाइन सेवाओं से बस टिकिट, रेल्वे टिकिट, एयर टिकिट, होटल एवं अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है।

पुष्टि:

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के विकास में सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका प्रदान की है। शहरों से लेकर गाँवों तक, कृषि से लेकर व्यवसाय तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, बैंकिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक तथा नवाचार से लेकर सरकारी सेवाओं तक सभी ने विकास में योगदान प्रदान किया है।
2. देश में डिजिटलीकरण से समावेशी विकास में नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देने से व्यवसाय, कृषि एवं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है जिससे देश की आय में भी वृद्धि होना निश्चित है।

उपसंहार - भारत ने वर्ष 2025 तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से कई क्रांतिकारी परिवर्तन किये है। देश के विकास में जो परिवर्तन आये है, उसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने विकसित भारत की आधारशिला रखी है, लेकिन ग्रामीण डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, जैसी चुनौतियाँ का सामना भी किया है। फिर भी देखा जाये तो इसने आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया है। और देश को आधुनिक ज्ञान एवं सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक ऐसा कदम है जो देश के विकास और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अजय कुमार : डिजिटल इंडिया
2. अनुराग चंद्रा : डिजिटल इंडिया 2047
3. हार्ड कवर : डिजिटल इंडिया गर्वनेंस ट्रांसफॉरमेशन
4. पेपर बेक : इंडिया डिजिटल ईकोनॉमी, ग्रोथ चेलेंज एवं फ्युचर प्रोस्पेक्टस
5. www.digitalindia.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्वच्छ इंदौर अभियान – प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन

डॉ. दीपा जोशी*

***प्रोफेसर (प्रबंधन) (पीजी) श्री वैष्णव प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – इंदौर ने लगातार आठवीं बार विजेता भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह शोधपत्र स्वच्छ इंदौर अभियान की सफलता को हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से विश्लेषित है। अध्ययन यह दर्शाता है कि शहरी स्वच्छता केवल सामाजिक उत्तरदायित्व या प्रशासनिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक संगठित और रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन आदेश की श्रृंखला ,कार्य की एकता, दिशा की एकता , केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, पहल जैसे सिद्धांतों की व्यावहारिक उपस्थिति देखी जा सकती है।

शोध में द्वितीयक आंकड़ों, सरकारी दस्तावेजों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं इंदौर नगर निगम की केस स्टडी के माध्यम से यह विवेचना की गई है कि किस प्रकार इंदौर आठवीं बार में योजना निर्माण, नागरिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और नीतिगत क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से फेयोल के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया गया।

यह शोध स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी प्रशासन को प्रबंधन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से समझने और लागू करने की एक अभिनव पहल है, जो नीति–निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और शैक्षणिक शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

शब्द कुंजी – इंदौर, स्वच्छ भारत, प्रबंधन सिद्धांत, हेनरी फेयोल, शहरी प्रशासन, नागरिक भागीदारी, कचरा प्रबंधन, नगर निगम, प्रशासनिक रणनीति, तकनीकी नवाचार, नेतृत्व शैली, संगठनात्मक दक्षता।

प्रस्तावना – स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक जनांदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता की संस्कृति को स्थापित करना था। इस राष्ट्रव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ जल व पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करना रहा है।

इस अभियान के तहत लगातार आठवीं बार विजेता इंदौर शहर ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इंदौर ने लगातार कई वर्षों तक स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यह सफलता केवल सफाई कर्मियों या नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक समग्र और प्रबंधित दृष्टिकोण का परिणाम रही है, जिसमें नगरपालिका, नागरिकों, टेक्नोलॉजी और नीति निर्माताओं के बीच कुशल समन्वय स्थापित किया गया।

इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि इंदौर की इस सफलता के पीछे कौन–से प्रबंधन सिद्धांत कार्य कर रहे हैं और कैसे भ्मदतप थ्लवस के 14 प्रबंधन सिद्धांत इस तरह की नागरिक पहलों में लागू किए जा सकते हैं। अक्सर शहरी स्वच्छता अभियानों को सामाजिक या प्रशासनिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तविकता में यह एक जटिल प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय और नियंत्रण की गहरी भूमिका होती है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाकर नागरिक पहलों को कैसे अधिक प्रभावी, टिकाऊ और नागरिक–केंद्रित बनाया जा सकता है। इंदौर का केस अध्ययन इस बात का उदाहरण है कि यदि क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांतों को धरातल पर उतारा जाए, तो शहरी प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शोध अन्य शहरों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ शहरी विकास और प्रबंधन सिद्धांतों का एकीकृत उपयोग किया जा सके।

साहित्य समीक्षा

Fayol, H. (1949) *General and Industrial Management,*शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत, 14 सार्वभौमिक प्रबंधन सिद्धांतों की व्याख्या की गई इंदौर की रणनीतियों को फेयोल के सिद्धांतों से जोड़ने का आधार

Koontz & O'Donnell (1972) *Principles of Management,*प्रबंधन चिंतन का विकास, फेयोल के सिद्धांतों की आधुनिकता में पुष्टि, क्लासिकल सिद्धांतों की आज के प्रशासन में उपयोगिता को दर्शाता है

Wren & Bedeian (2009) *The Evolution of Management Thought,*प्रबंधन इतिहास फेयोल का कार्य प्रबंधन शिक्षा में आधारभूत, पारंपरिक सिद्धांतों को नगर प्रशासन से जोड़ने का आधार

Pierre & Peters (2000) *Governance, Politics and the State*, शहरी प्रशासन,उत्तरदायित्व, भागीदारी और पारदर्शिता पर बलइंदौर की नीति व नागरिक सहभागिता को शासन सिद्धांतों से जोड़ता है

Mathur, O. P. (2013) *Municipal Finance and Governance in India*,नगर निकायों का प्रदर्शन,संस्थागत कमजोरियों के कारण प्रशासन

में बाधाएँ,प्रबंधन आधारित ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है
Sivaramakrishnan, K. C. (2016) *Revitalizing Urban Governance in India*, भारतीय नगर सुधार,विकेंद्रीकरण एवं नागरिक सहभागिता पर बल, इंदौर के तलों से जुड़े मॉडल को समर्थन देता है
Sood, A. (2019) *Citizen Participation and City Branding*, नागरिक भागीदारी,नागरिक सहभागिता से नगर की छवि और प्रदर्शन बेहतर होता है, फेयोल के 'Initiative' और 'Unity of Direction' सिद्धांतों से जुड़ाव
Dasgupta & Kapoor (2021)*S mart Cities and Behavioral Change*,व्यवहारिक बदलाव द्वारा शहरी परिवर्तन,व्यवहारिक परिवर्तन व तकनीक से सुधार संभव,इंदौर के प्रेरक अभियानों का विश्लेषण फेयोल सिद्धांतों से
UN-Habitat (2016) *Urbanization and Development: Emerging Futures*,शहरी विकास और नियोजन,नीति, जन और योजना का समन्वय आवश्यक,इंदौर के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करता है
World Bank (2018) *What Makes a Clean City?*नगर स्वच्छता की श्रेष्ठ प्रथाएँ, नीति, नियोजन और भागीदारी महत्वपूर्ण,इंदौर के प्रदर्शन को वैश्विक मानदंडों से जोड़ता है

अध्ययन के उद्देश्य:

1. इंदौर स्वच्छता अभियान की लगातार आठवीं बार सफलता का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करना।
2. शहरी स्वच्छता में संगठित योजना, अधिकार वितरण एवं समन्वय की भूमिका का अध्ययन करना।
3. यह पहचानना कि इंदौर नगर निगम ने किन प्रबंधकीय उपायों को अपनाया जिससे उसे लगातार स्वच्छता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
4. यह मूल्यांकन करना कि नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक अनुशासन किस प्रकार से शहरी परिणामों को बेहतर बनाते हैं।
5. अन्य भारतीय शहरों के लिए एक प्रबंधन आधारित दोहराने योग्य मॉडल प्रस्तुत करना जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन सुधार में सहायक हो।

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान पद्धति (गुणात्मक केस स्टडी आधारित)

↓

1. अनुसंधान डिजाइन
- गुणात्मक एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण
- एकल केस स्टडी (इंदौर नगर निगम पर केंद्रित)

↓

2. डेटा संग्रहण
- द्वितीयक स्रोतों पर आधारितरू
- सरकारी रिपोर्टे (स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण)
- इंदौर नगर निगम (IMC) की रिपोर्टे व दस्तावेज
- समाचार लेख, शोधपत्र, शैक्षणिक संसाधन
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केस स्टडी

↓

3. डेटा विश्लेषण
- सामग्री विश्लेषण
- IMC की रणनीतियों का फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों से मिलानरू
- अनुशासन, आदेश की श्रृंखला, कार्य की एकता, आदेश की एकता, पहल आदि

↓

4. अध्ययन की सीमाएँ
- अध्ययन इंदौर तक सीमित कृ संदर्भ–विशिष्ट निष्कर्ष
- परंतु मॉडल अन्य नगरों द्वारा अनुकूलन हेतु उपयुक्त
- दोहराया जा सकने योग्य व व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करता है

↓

निष्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ना

फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों और इंदौर स्वच्छता मॉडल का मिलान

फेयोल का सिद्धांत	इंदौर स्वच्छता अभियान में अनुप्रयोग
1. कार्य का विभाजन	कचरा छंटाई और निस्तारण के लिए विभागवार योजना
2. अधिकार और उत्तरदायित्व	जोनल अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार और दायित्व प्रदान करना
3. अनुशासन	नियमित निगरानी, जुर्माने, और नागरिक रिपोर्टिंग की प्रणाली
4. आदेश की एकता	सफाई प्रबंधन में एकल रिपोर्टिंग चौनल
5. दिशा की एकता	एक समान लक्ष्य –'स्वच्छ इंदौर'
6. व्यक्तिगत हितों का अधीनस्थीकरण	सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करना, नागरिकों की व्यक्तिगत अनिच्छा से ऊपर
7. पारिश्रमिक	सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना
8. केंद्रीकरण	नगर निगम द्वारा केंद्रीकृत योजना और वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन
9. स्केलर श्रृंखला	नगर निगम (IMC) में स्पष्ट संप्रेषण श्रेणी
10. व्यवस्था	कचरा संग्रहण के निश्चित मार्ग और समय–सारणी, GIS तकनीक द्वारा निगरानी
11. समता	झुग्गी बस्तियों को भी स्वच्छता प्रयासों में समान रूप से शामिल करना
12. कार्यकाल की स्थिरता	कचरा प्रबंधन भागीदारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध
13. पहल	समुदाय प्रेरित नवाचार जैसे 'नेकी की दीवार', स्पॉट क्लीनिंग प्रतियोगिता
14. दल भावना	सफाई मित्रों और अधिकारियों के बीच टीम भावना और सहयोग की संस्कृति

विश्लेषण एवं चर्चा

1. इंदौर की सफलता में फेयोल के सिद्धांतों का अनुप्रयोग– इंदौर का लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बने रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक योजना और जनभागीदारी के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। जब हम इस मॉडल का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करते हैं, तो पाते हैं कि पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत और आधुनिक शहरी प्रशासन के बीच अद्भुत सामंजस्य है।

- कार्य का विभाजन – सफाई कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय

अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन।

- अनुशासन – नियमित जुर्माने, औचक निरीक्षण, और प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रणाली।
- दिशा की एकता – 'स्वच्छ इंदौर – हरित इंदौर' के एकल उद्देश्य की दिशा में सभी विभाग और नागरिक कार्यरत।
- आदेश की श्रृंखला – इंदौर नगर निगम (IMC) में पारदर्शी कमांड स्ट्रक्चर और संवाद प्रणाली।

इन सिद्धांतों के अनुपालन से प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जवाबदेही में वृद्धि और कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।

नेतृत्व की भूमिका – इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता में प्रभावी नेतृत्व ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. नगर निगम आयुक्त ने प्रेरणादायक नेतृत्व दिखाया, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुरस्कार योजनाओं, और प्रदर्शन मूल्यांकन से कर्मचारियों की भागीदारी और प्रेरणा में वृद्धि हुई।
3. 'रोको-टोको अभियान' और 'सफाई मित्र सम्मान' जैसी पहल ने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में आत्म-स्वामित्व की भावना को प्रबल किया।

2. सामुदायिक भागीदारी की भूमिका:

1. इंदौर मॉडल में जनभागीदारी को सुव्यवस्थित रूप से संस्थागत रूप दिया गया है।
2. विद्यालयों, रहवासी संघों (RWAs), और व्यापारियों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया।
3. 'नेकी की दीवार'और 'स्वच्छता सेल्फी पॉइंट्स' जैसी पहलें दर्शाती हैं कि रचनात्मक सहभागिता से स्वच्छता अभियान जन-आंदोलन बन सकता है।

3. तकनीकी और प्रणालीगत हस्तक्षेप की भूमिका:

1. GPS-सक्षम कचरा वाहन, रीयल टाइम निगरानी, और मोबाइल शिकायत समाधान ऐप जैसी तकनीकों से पारदर्शिता और गति आई।
2. केन्द्रिय रणनीति और वॉर्ड-स्तरीय कार्यान्वयन के संतुलन ने स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू करने में मदद की।

4. समग्र प्रशासनिक दृष्टिकोण– इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता उपलब्धि केवल स्वच्छता की नहीं, बल्कि सशक्त प्रशासनिक मॉडल की है, जो आधारित है:

1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण
2. सहभागी नेतृत्व
3. संसाधनों का दक्ष उपयोग
4. पारदर्शी फीडबैक प्रणाली
5. अनुकूली नीति कार्यान्वयन

यह मॉडल प्रमाणित करता है कि हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं, विशेषकर जब उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए।

मुख्य निष्कर्षों का सार – इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि इंदौर की स्वच्छता की लगातार आठवीं बार सफलता केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का उदाहरण है।

इंदौर नगर निगम IMC) ने इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कार्य का सुव्यवस्थित विभाजन, आदेश की स्पष्ट श्रृंखला, नागरिक सहभागिता, और तकनीकी नवाचार के माध्यम से एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है।

1. Discipline, Unity of Direction और Scalar Chain जैसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखते हैं।
2. सामुदायिक भागीदारी, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, और तकनीकी नवाचार ने इस अभियान को जनांदोलन बनाया।

नीतिगत सुझाव :

1. स्थानीय निकायों को नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित हो।
2. शहरी प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
3. साझेदारियों (PPP Model) और समुदाय आधारित मॉडल को नीति में प्रमुखता मिलनी चाहिए।
4. सार्वजनिक भागीदारी की संरचित नीति बनाई जाए जिससे नागरिकों को प्रक्रियात्मक रूप से जोड़ा जा सके।

अन्य नगर निकायों हेतु सिफारिशें :

1 हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों को शहरी योजनाओं में एकीकृत करें।
2 नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
3 सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाएं बनाएं।
4 तकनीक आधारित निगरानी और फीडबैक सिस्टम लागू करें (जैसे मोबाइल ऐप्स)।
5 कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था विकसित करें।
6 सार्वजनिक स्थलों पर 'स्वच्छता संवाद' और सामूहिक सफाई गतिविधियाँ आयोजित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फेयोल, एच. (1949). जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट (सी. स्टोर्स, अनुवादक). लंदन' पिटमैन पब्लिशिंग। (मूल रचना 1916 में प्रकाशित)
2. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय. (2024). स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारत सरकार। https://swachhsurvekshan2023.org
3. इंदौर नगर निगम (IMC). (2023). स्वच्छ इंदौर: पहलों और नवाचारों का दस्तावेज। प्राप्त: https://imcindore.mp.gov.in
4. अग्रवाल, एस., और सिंह, आर. (2020). शहरी शासन और जन भागीदारी: इंदौर की स्वच्छता मुहिम का केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ अर्बन स्टडीज, 15(2), 45-58।
5. शर्मा, एम. (2021). शहरी स्वच्छता में नेतृत्व और नागरिक नवाचार: इंदौर से प्राप्त सबक। जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, 13(1), 12-21https://doi.org/10.5897JPAPR2021.0562
6. बनर्जी, आर., और गुप्ता, डी. (2019). शहरी स्वच्छता अभियानों में तकनीकी एकीकरण: भारत के स्मार्ट शहरों का अध्ययन। अर्बन पॉलिसी रिव्यू, 27(4), 78-93।

7. वर्ल्ड बैंक. (2022). भारत में शहरी स्वच्छता में सुधार: सर्वोत्तम प्रथाओं पर नीति संक्षेप। वाशिंगटन, डीसी: वर्ल्ड बैंक प्रकाशन।
8. चौधरी, एन., और पटेल, के. (2023). अपशिष्ट प्रबंधन में नागरिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन। एनवायरनमेंट एंड अर्बन अफेयर्स रिव्यू, 10(3), 91-104।
9. मिश्रा, ए. (2021). प्रबंधन सिद्धांतों के माध्यम से लोक प्रशासन: 21वीं सदी की शासन व्यवस्था में फेयोल की प्रासंगिकता। इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 29(1), 59-67।
10. मोहंती, पी. के. (2018). भारत में शहरी स्थानीय निकाय: शासन और चुनौतियाँ। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण

डॉ. श्रुति त्रिपाठी*

* सहेयक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वृद्धावस्था जीवन का ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका कम निभाने लगता है। यद्यपि वह सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, पर समाज में पूर्व में निभाई गई महत्तवपूर्ण भूमिका के आधार पर विश्रांति और सम्मान की कामना करता है। भारतीय संस्कृति में इस अवस्था को 'संन्यास आश्रम' के रूप में देखा गया है, जहाँ अनुभव, ज्ञान और धार्मिक चेतना की विशेष भूमिका होती है। परंतु बदलती आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था, शहरीकरण, विघटित होते पारिवारिक ढाँचे तथा प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली ने वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

यह शोध–पत्र आधुनिक भारतीय समाज में वृद्धावस्था से संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है और समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करता है।

शोध की आवश्यकता और उद्देश्य

आवश्यकता– भारत में जनसंख्या का वृद्धिकरण तेज गति से हो रहा है। वर्ष 2021 में 60 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 13.8 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुनी होने के अनुमान हैं। इस समूह के प्रति जागरूकता, नीति–निर्माण तथा संरचनात्मक समर्थन अत्यावश्यक होता जा रहा है।

उद्देश्य:

1. भारतीय समाज में वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण।
2. सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर वृद्धजनों की समस्याओं की पहचान।
3. नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता पर विचार।
4. समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की पद्धति – यह शोध मुख्यत: वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक–आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है।

1. आधार स्रोत– HelpAge India रिपोर्ट्स, NSSO डेटा, सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट, अकादमिक शोध–पत्र तथा समाचार–पत्रध्पत्रिकाएँ।

2. विश्लेषण का दायरा– सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानून व नीतिगत परिप्रेक्ष्य से।

वृद्धावस्था की भारतीय अवधारणा – भारतीय संस्कृति में वृद्धजन परिवार की रीढ़ माने जाते हैं। उनके अनुभव और मूल्यबोध से परिवार और समाज का मार्गदर्शन होता आया है। प्राचीन ग्रंथों में 'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो भव' जैसे विचार उनकी गरिमा को प्रकाशित एवं प्रमाणित करते हैं। चार आश्रमों में अंतिम 'संन्यास आश्रम' वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ आत्मचिंतन, मोक्ष की ओर गमन और समाज को उपलब्ध ज्ञान देने की अवस्था होती है। वृद्धजनों के प्रति ये दृष्टिकोण अब शहरीकरण और पारिवारिक टूटन के कारण खोने लगे हैं। नई पीढ़ी को वे बोझ जैसे लगने लगे हैं, जिसके कारण समाज का यह महत्तवपूर्ण घटक अदृश्य चुनौतियों का सामना कर रहा है।

प्रमुख सामाजिक चुनौतियाँ

आर्थिक असुरक्षा– अधिकांश वृद्धजन बेरोजगार, पेंशन–विहीन या अल्प आय वाले होते हैं। चिकित्सा खर्च, जीवन–निर्वाह, घर का रख–रखाव आदि उनकी सामर्थ्य से बाहर होते हैं।

1. वृद्ध, विशेषकर असंगठित क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति वित्तीय योजनाओं से वंचित रहते हैं।
2. पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत कम है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ– जैसे–जैसे आयु बढ़ती है, वृद्धजन हृदय रोग, मोतियाबिंद, अस्थि–संबंधी रोग, मानसिक रोग जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि से पीड़ित होते हैं।

1. मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा गंभीर है।
2. बुजुर्ग मानसिक अवसाद, अकेलापन, नींद न आने जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

सामाजिक उपेक्षा एवं दुव्यवहार– HelpAge India के सर्वेक्षण अनुसार 2023 में 64% वृद्धों ने किसी न किसी प्रकार की उपेक्षा का अनुभव किया –

1. मानसिक उत्पीड़न
2. संपत्ति को लेकर झगड़े
3. घर से निष्कासन
4. भावनात्मक अलगाव से उत्पन्न अवसाद

ग्रामीण बनाम शहरी वृद्धावस्था:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समर्थन अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सुविधाओं का घोर अभाव है।
2. शहरी क्षेत्रों में भले ही चिकित्सा व संस्थागत सहायता उपलब्ध हो, परंतु वृद्ध अकेलेपन, निजता की कमी और उपेक्षा से जूझते हैं।

वृद्ध महिलाओं की समस्याएँ– वृद्धावस्था और महिला – ये दोनों मिलकर चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में विधवापन अपने आप

में सामाजिक अभिशाप समझा जाता है और व्यवहार में उन्हें सामान्यत: दूर रखा जाता है, जो उनके लिए हर दृष्टि से पीड़ादायक होता है।

1. संपत्ति में अधिकार की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती है।
2. महिला होने के कारण स्वास्थ्य व पोषण की उपेक्षा – बहुआयामी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं।
3. लिंग आधारित भेदभाव वृद्धावस्था में और तीव्र हो जाता है।

नीतिगत प्रयास एवं उनकी व्यावहारिक सीमाएँ

सरकारी योजनाएँ:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
2. अटल पेंशन योजना (APY)
3. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
4. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष
5. रिवर्स मॉर्गेज योजना

सीमाएँ:

1. लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी का अभाव।
2. योजनाओं के लाभ हेतु सरकारी प्रक्रिया और दस्तावेज जुटाना कठिन।
3. प्रशासनिक स्तर पर असंवेदनशीलता व भ्रष्टाचार।

सामाजिक और कानूनी प्रयास

सामाजिक पहल:

1. वृद्धजनों के लिए सामुदायिक केंद्र, डे-केयर संस्थाएँ, हेल्थ कैंप।
2. NGO, SWO और NSS जैसे संगठनों की भागीदारी।
3. स्कूलों में नैतिक शिक्षा, पीढ़ी-दर-पीढ़ी संवाद को प्रोत्साहन।

कानूनी पहल:

1. 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'।
2. त्वरित न्याय हेतु ट्राइब्यूनल।
3. मातापिता की संपत्ति पर अधिकार की सुरक्षा।
4. संतान से भरण-पोषण की कानूनी मांग।
5. इसकी प्रासंगिकता को और मजबूत करने हेतु संशोधन प्रक्रिया प्रगति पर है।

समाधान एवं सुझाव

परिवार स्तर पर:

1. आदरभाव, संवाद, सहभागिता तथा भावनात्मक सहयोग – परिवार के स्तर पर वृद्धों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाते हैं।
2. घर में वृद्धों को उनके अनुकूल जिम्मेदारी देना जिससे वे व्यस्त रहें और अपनी भूमिका निभाने का अनुभव करें।
3. परिवार के विकास में उनके योगदान को मान्यता देना।

नीति-निर्माण में सुधार:

1. पेंशन और चिकित्सा योजनाओं को सरल बनाना।
2. वृद्धजनों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच।

सक्रिय वृद्धों के लिए:

1. मनरेगा जैसे श्रम के बजाय मानसिक कार्यों में नियुक्ति।
2. अनुभव-आधारित परामर्श या स्वैच्छिक सेवा योजनाओं में सहभागिता।

सामाजिक स्वीकृति एवं सक्रियता:

1. वृद्धों को क्लब, मंदिर, सामुदायिक लाइब्रेरी, योग केंद्र आदि से जोड़ना।
2. 'inter-generational bonding' हेतु परिवार-केंद्रित कार्यक्रम।

निष्कर्ष- वृद्धजन हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के संरक्षक हैं। यदि हम उनके अनुभव, भावना एवं अस्तित्व को सम्मानित करते हैं, तो यह केवल ऋण नहीं बल्कि समाज के लिए पुन: निवेश है।

वृद्धावस्था की गरिमा की रक्षा हेतु केवल सरकारी योजनाएँ ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी उद्देश्यपूर्ण सहभागिता निभानी होगी। 'वृद्धजन रूई का बोझ नहीं, वरन अनुभव की धरोहर हैं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. HelpAge India Annual Survey Report - 2023
2. भारत सरकार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
3. Ageing in India: Challenges and Policy Responses, Economic and Political Weekly.
4. National Sample Survey Office (NSSO) Reports
5. World Health Organization Global Ageing Report
6. राष्ट्रीय वृद्धनीति, राष्ट्रीय वृद्धजन शिक्षा संसाधन केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. उमेश चन्द्र अग्रवाल,'बढ़ते बुजुर्ग, घटती सुरक्षा', पत्रिका कुरुक्षेत्र, 2021.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नागेश्वरी कुमारी*

* शोधार्थी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ (झारखंड) भारत

शोध सारांश – नारी को 'आधी दुनिया' कहा जाता है। वह एक ऐसी 'आधी दुनिया' है जो कदम- कदम पर पुरुष द्वारा अनुशासित होती रही है। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ-साथ आम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की नारियां भी शिक्षित हुई और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की प्रयास की। इसमें से कई महिलाओं ने सफलता भी हासिल की, लेकिन पुरुष प्रधान सोच और समझ हमेशा उनके आड़े आते हैं, जो उनकी समस्याओं का कारण बनती है। कामकाजी महिलाएं कौन है? असल इस प्रश्न का उत्तार समाज ने अपनी दृष्टिकोण और सोच पर आधारित बनाकर संग्रहित किया है। समाज सोचता है कि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। कामकाजी महिला का अर्थ काम करने वाली महिला से है ये सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण ही है, जो महिलाओं को तनावग्रस्त बनाता है। घर परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बाहर काम करने वाली महिला को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें बस उनसे अपने लिए सेवा चाहिए। एक महिला क्या कुछ प्रदान नहीं करती। नौकरी करने वाली महिला चाहे जितनी परेशान हो, उसे ही सब कुछ निभाना पड़ता है एक महिला न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान रहती है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत अधिक तनावग्रस्त रहती हैं। जिसके कारण उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है जिस सेवा के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है किसी कार्य को महिलाएं बिना मूल्य के एवं बेरोजगारी के नाम के साथ खुशी से करती हैं।

अध्ययन में हम कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि वो घर और बाहर दोनों ही समस्याओं में महिलाओं को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है।

शब्द कुंजी – सामाजिक असमानता, दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विडम्बना,कामकाजी, कार्यस्थल, समस्याएं।

प्रस्तावना – कामकाजी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। जिन्हें समाज के कुछ पहलुओं की सोच ने सीमित कर दिया है। कामकाजी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है (काम काजी) काम करने वाला। कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायरू नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयोग हुआ है जो तनख्वाह वाले कार्य में लगी हैं। वर्तमान समय में महिलाएं घर के साथ-साथ कार्यालय का कार्य भी देखती है जिसके लिए उसे एक निश्चित वेतन दिया जाता है। अब महिलाएं विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में कार्य करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उद्योग - धंधों, कारखानो, न्यायालयों प्रशासन, राजनीति तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। कामकाजी होने के कारण जहां एक ओर महिलाओं को परिस्थिति और प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है जो कि सकारात्मक है वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याएं और भी बढी है। वर्तमान में कार्यरत महिलाओं को घर के कार्य के साथ-साथ कार्यालय की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और दोनों के बीच उचित तालमेल भी बिठाना पड़ता है जो बहुत ही कठिन कार्य है आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कार्यरत न हो। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी निरू संदेह महिलाओं के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आज बढ़ते विकास की प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित सीमिति का मानना है कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तय करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, परिवार, सामुदायिक भागीदारी और वैश्विक समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से देखना आवश्यक है। वर्ष 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया जिसका उद्देश्य महिला विकास को बढ़ावा देना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। वर्तमान में जो स्त्रियां शिक्षित और नौकरी करने वाली स्त्रियों की भूमिका निभा रही है उससे उन्हें एक नया सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा प्राप्त हुआ है तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी प्रभावित हुआ है।

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। वर्तमान के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहरी से बाहर कदम बढ़ाकर स्वयं कार्यशील महिला होने का गौरव प्राप्त किया है और स्वयं की एवं समाज की स्थिति को बदलने का बिडा उठाया है। 21वीं सदी में महिलाओं ने ऐसे कार्यों में भी प्रवेश कर लिया है जिन पर सदियों से पुरुषों का एकाधिकार था। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा सैनिक में भी भारतीय महिलाएं कार्यरत हैं जो की महिलाओं के लिए गौरव की बात है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. भारत कामकाजी महिलाओं का अध्ययन करना।
2. कामकाजी महिलाओं के समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शुद्ध प्रविधि विश्लेषणात्मक है एवं व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। शोध पत्र का विश्लेषण के लिए अनेक पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा विभिन्न शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

पूर्व शोध अध्ययन

1. वर्षा कुमारी द्धारा उड़ीशा राज्य के 'राउलकेला शहर' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो, बैंक, स्कूल व कॉलेजों में कार्यरत महिलाएं जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन किया गया । अध्ययन में पाया कि विभिन्न आयु – वर्ग में एवं विशेष वर्ग की महिलाओं तथा विभिन्न श्रेणियां में कार्यरत महिलाएं जैसे अविवाहित, विवाहित तथा तलाकशुदा महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों में विभिन्नता पाई जाती है लेकिन कुछ सामान्य तरह की समस्याओं जैसे – शारीरिक व मानसिक तनाव, नौकरी व परिवार के बीच उचित संतुलन की समस्या, परिवार की देखभाल व कार्यस्थल पर भेदभाव आदि का सामना करना पड़ता है।

2. सरिता वाशिष्ठ (2010),'महिला सशक्तिकरण', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने अपने अध्ययन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला है उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी सफल हो सकता है जब महिलाओं को अपने कामकाजी अधिकारों का ज्ञान हो । उनके अनुसार जागरूकता एक बहुत बड़ी कमी है। जिसके कारण कामकाजी महिलाएं अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाती।

3. रेखा तिवारी, दिवाकर शर्मा (2013),'प्रस्तुतिका में लेखिका ने बताया है कि कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग' प्राय: नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले कार्य में लगी है। काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, दूसरे व्यक्तियों से काम लेना भी है तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन देना आदि भी सम्मिलित है।

4. निर्मला के चित्रोडा (2016),'भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने बताया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ने बड़े–बड़े उतार – चढ़ाव देखे हैं। वैदिक युग में उसे देवी की तरह पूजा जाता था वही मुस्लिम युग में उसे दास की तरह रखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद से पालडा महिलाओं के पक्ष में रहा है या यू भी कह सकते हैं आजादी के बाद अनेक ऐसे सुधार हुए जिनसे महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का चाहे खेले जगत हो या फिर स्वास्थ्य जगत महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी स्थिति आज भी सोचनीय है।

5. शांति कुमार स्याल (2017),'कामकाजी महिलाएं समस्याएं और समाधान', प्रस्तुत पुस्तिका में बताया गया है कि कामकाजी महिला एक सशक्त महिला की श्रेणी में आती है। महानगरीय संस्कृति में परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों के सृजन के संदर्भ में उसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पारिवारिक वातावरण के रूप में संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य या आस – पड़ोस का योगदान नगण्य होता है। विपरीत इसके पीढ़ी – लिखी होने के बावजूद भी महिलाएं घरेलू वातावरण में अंधविश्वास व दकियानूसी विचारधाराओं का शिकार हो जाती हैं।

6. रेनू पवार (2017) कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में पाया कि इस बदलते परिवेश में महिलाएं बहुत विकसित और जागरूक हुई हैं और वह अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सक्षम है लेकिन साथ ही वह दोहरी भूमिका निभाने की मांग से अत्यधिक रूप से प्रभावित होते जा रही है। महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन और कार्यस्थल पर संतुलन बनाते–बनाते खुद के जीवन को भूलते जा रही है। जिसके कारण उनके जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

7. सुधीर कुमार श्रीवास्तव (1985) ने , 'महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका' के अध्ययन में बताया है कि महिलाएं तभी सशक्त हो सकती है जब शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए।

8. संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने (1975) को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया और नारी उत्थान की दिशा में अनेक प्रयास किए जिससे महिलाएं विकसित हो रही है। लेकिन समाज की दृष्टिकोण के कारण महिलाएं आज भी तनावपूर्ण जीवन से जूझ रही है। इसके लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन में कार्यरत महिलाओं की भूमिका और उनमें सामंजस्य स्थापित करती महिलाओं का वर्णन से संबंधित प्रश्न के उत्तार में पाया कि कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। महिलाओं पर व्यवसाय का उत्तारदायित्व बढ़ा देने के बावजूद उनकी पारंपरिक भूमिका में कोई विशेष कमी नहीं की गई है। हमारे देश में अनेक रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़कर एक नई सोच को अपनाया है। किंतु जब बात महिलाओं की आती है तो आज भी समाज का दृष्टिकोण कुछ ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। हमारी सरकार के प्रयासों और योजना तथा महिलाओं की शक्ति ने महिला जीवन को नई उड़ान दी है किंतु फिर भी दूहरी सोच व पितृसत्तात्मक समाज में नारी को समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। चाहे वह घर की कामकाजी महिला हो या बाहर काम करती हो। उसको अपनी आजादी और खुशियों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं भी इस समाज में गुलामी का जीवन व्यतीत कर संघर्ष कर रही है।

हमारी सरकार के कानून ने महिलाओं को चाहे बराबर के अधिकार दिए हैं। लेकिन समाज ने उन्हें सीमित दायरे में बांध रखा है। किसी भी घर समाज या देश की उन्नति एवं विकास में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी होती है इसलिए हमें अगर देश हुआ समाज को उन्नत एवं विकसित करना है तो महिलाओं के लिए समाज का दृष्टिकोण बदलना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. ज्योति शर्मा (2014) कामकाजी महिलाओं का असल अर्थ और महत्व (एक विश्लेषणात्मक शोध), सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, एथेम्स महाविद्यालय, हैदराबाद, भारत।
2. आशा नगर (2021) भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या में समाधान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवली, टोंक राजस्थान, भारत इनोवेशन दी रिसर्च कॉन्सेप्ट आई एस एस एन : 2456 – 5474.
3. डॉ. शकीला खान एवं डॉ रानी दुबेरू कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के तनाव का उनके स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव का अध्ययन : केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा महाविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय शोध

पत्रिका इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल।

4. प्रवीण कुमार (2019) कामकाजी महिलाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनरल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन आईएसएसएन: 2230 – 7540.
5. वर्मा अंजलि (2009) भारत में कार्यशील महिलाएं, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. चित्तौड़ के निर्मला (2016), भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति, आत्माराम एंड संत प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. डॉ. बबीता एवं मधु (2024) journal of emerging technologies and innovative research.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव

दीपिका शर्मा *

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो की भू–आबद्ध है,अर्थात इसकी सीमाएं तीन तरफ से भारत से गिरी हुई है इसलिए समुद्री व्यापार हेतु भारत नेपाल को सहयोग प्रदान करता है।

भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल, चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट है ,जिसे दोनों देश अपनी तरफ से संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

ना केवल सामरिक दृष्टि बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी नेपाल ,भारत की विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। नेपाल में स्थित लुंबिनी भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था एवं नेपाल के संघीय गणराज्य घोषित होने से पूर्व इसे एक मात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था।

दोनों देश खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, विवाह और पारिवारिक संबंधों के कारण इन्हें रोटी बेटे के रिश्ता का नाम भी दिया जाता है इस प्रकार दोनों देश परस्पर धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास साझा करते हैं।

नेपाल भारत के पांच राज्यों उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सीमावर्ती नेपाल की तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला मधेशी समुदाय भी भारत से नजदीकी संबंध साझा करता है।

वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हुई शांति और मित्रता की संधि भी उनके संबंधों का एक ऐतिहासिक आधार है, जब नेपाल पर हमले को भारत की संप्रभुता पर खतरा माना जाता था।

वर्ष 1960 में काठमांडू के राजा महेंद्र के काल में भी भारत और नेपाल के मध्य औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया, कोसी एवं गंडक नहर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 1996 में गिरिजा प्रसाद कोइराला एवं भारत में एच.डी.देवगौड़ा की सरकार के मध्य महाकाली संधि जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है ,ने जल, विद्युत, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में साझा सहयोग को सुनिश्चित किया।

वर्ष 1990 में व्यापार एवं पारगमन संधि एवं उसके बाद हुए ऊर्जा, सड़क, सुरक्षा समझौतो ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुचा: रूप से गति प्रदान की और इन सभी संधियों की बदौलत ही सतही मतभेद कभी गहरे नहीं हुए और भारत ने एक जिम्मेदार पड़ौसी होने के नाते नेपाल को हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाया, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो ,बुनियादी ढांचे का विकास हो ,या व्यापार एवं पारगमन समझौतो पर क्रियान्वयन हो।

हाल ही में भारत ने काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकरण में सहायता देता है। भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल की पहाड़ी जिलों से भर्ती कर किया जाता है।

नेपाल हिमालय की तलहटी में बसा देश है जो भूकंप और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आता है उससे होने वाले जान माल के नुकसान की भरपाई करने हेतु भारत मानवीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है।

इन सभी बहुउद्देशीय संबंधों के बावजूद 21वीं सदी भारत और नेपाल के संबंधों के मध्य कई चुनौतियां लेकर आई है, जिसका मुख्य कारण नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण एवं उनका भारत पर प्रभाव ही इस शोध पत्र का अभीष्ट है।

नेपाल के इतिहास को देखा जाए तो इसने राजशाही से लेकर लोकतंत्र का सफर तय किया है ,जिसकी पहली शुरुआत वर्ष 1990 में नेपाल में पंचायत व्यवस्था की औपचारिक समाप्ति से हुई और तत्पश्चात नवंबर 1990 में के. पी. भट्टाराई की अंतरिम सरकार द्वारा एक नया संविधान निर्मित किया गया। साथ ही इसी वर्ष वहां पहली बार बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाई किंतु वह मात्र चार सालों में ही गिर गई।अत: 18 माह पूर्व नवंबर 1994 में पुन: चुनाव आयोजित किए गए ,परंतु किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से नेपाल के इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार अस्तित्व में आई किंतु अल्पमत के कारण वह भी 9 माह में गिर गई। सितंबर 1995 में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने सरकार बनाई और वर्ष 1999 में भी नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला किंतु राजा ज्ञानेंद्र ने वर्ष 2002 में संसद को भंग कर दिया।

जिसके फलस्वरुप पुष्प कमल दहल प्रचंड,बाबूराम भट्टाराई और छोटे कम्युनिस्ट समूहों द्वारा 1996 में गठित 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल' (माओवादी) ने राजशाही के विरुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध की घोषणा कर दी, इसे नेपाली माओवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1996 से लेकर 2006 तक चले इस जन आंदोलन में लगभग 13000 लोगों की जानें गई। इसी वर्ष भारत की मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से 'समग्र शांति समझौता' भी करवाया गया।

जिसके बाद माओवादी लोगों की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया गया।

अतएव 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र द्वारा भंग संसद को बहाल करने की घोषणा की गई और राजशाही की शक्ति को समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 2006 से 2008 तक नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत की ओर सकारात्मक रुख अपनाया और भारत ने भी नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति प्रक्रिया को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

वर्ष 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और राजतंत्र का अंत हो गया इसी वर्ष संविधान सभा के चुनाव हुए और रामबरन यादव ने संघीय गणराज्य, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साथ ही गठबंधन सरकार को पुष्प कमल दहल प्रचंड का नेतृत्व मिला। इस माओवादी सरकार का भारत के प्रति संदेह पूर्ण दृष्टिकोण था और तुलनात्मक रूप से चीन की ओर झुकाव अधिक था।

वर्ष 2009 में प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में लगातार चलता रहा।

वर्ष 2009 से 2011 के मध्य सीपीएन यूएमएल के माधव कुमार नेपाल ने दोनों देशों के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश की। साथ ही नेपाल के संविधान निर्माण में भारत ने भी यथा योग्य सहयोग प्रदान किया।

वर्ष 2011 में सीपीएन यूएमएल के झलनाथ खनाल का कार्यकाल अत्यंत छोटा रहा और भारत से उनके संबंध सामान्य किंतु ठंडे रहे।

2011 से लेकर 2013 तक माओवादी सरकार की बाबूराम भट्टाराई ने भारत से रिश्तो में सुधार की कोशिश की एवं सड़क, ऊर्जा ,व्यापार जैसे कई आर्थिक समझौते किए,इसे उनका व्यवहारिकता पूर्ण कदम कहा गया। वर्ष 2013 से 2014 में खिलराज रेग्मी (चीफ जस्टिस)की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में सामान्य सहयोगात्मक संबंध रहें।

वर्ष 2014 से 2015 में पुन: नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई और सुशील कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत से अच्छे संबंधों की शुरुआत की।2015 में नेपाल का नया संविधान अस्तित्व में आया किंतु संविधान में मधेशियों की भागीदारी को लेकर विवाद हुआ जो कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव का कारण बना।

वर्ष 2015 से 2016 में सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली की सरकार का प्रत्यक्ष झुकाव चीन की तरफ था। इस कारण भारत और नेपाल संबंध बहुत पेचीदा हो गए और 2015 में भारत– नेपाल सीमा पर आर्थिक नाकाबंदी भी हुई।

वर्ष 2016 से 2017 तक पुष्प कमल दहल प्रचंड का दूसरा कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने भारत से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

वर्ष 2017 से 2018 तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने ,इस समय भारत के नेपाल से अपेक्षाकृत अच्छे संबंध रहे।आर्थिक सहयोग एवं सीमा सुरक्षा पर परस्पर बातचीत हुई।

2018 से 2021 में केपी शर्मा ओली के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरुआत में भारत से नजदीकी बढ़ी लेकिन बाद में 2020 में नेपाल द्वारा एक ष्राजनीतिक मानचित्रष जारी किया गया ,जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख ,कालापानी, लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया ,जिससे परस्पर तनाव में बढ़ोतरी हुई।

2021 से 2022 में शेर बहादुर देउबा का दूसरा कार्यकाल रहा, उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और ऊर्जा परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी पर सहयोग में वृद्धि की।

वर्ष 2022 से 2024 के मध्य पुष्प कमल दहल प्रचंड पुन: पद पर आसीन हुए और सत्ता में आते ही उन्होंने चीन का दौरा किया उसके बाद भारत की यात्रा भी की।उनकी नीति संतुलनकारी कूटनीति पर आधारित मानी गई, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान कई हाइड्रो पॉवर परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कोभारत के सहयोग से गति प्रदान की गई।

वर्ष 2024 से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, जिन्होंने भारत से ऊर्जा, रेलवे लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन और पावर ट्रेड एग्रीमेंट के साथ –साथ ही डिजिटल भुगतान (यूपीआई)एवं कनेक्टिविटी से संबंधित कई समझौतो पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि, 1951 से लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक नेपाल में 40 से भी अधिक सरकारें बन चुकी है, लेकिन औसतन हर सरकार की उम्र 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं रही है। 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बावजूद भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर नहीं थमा है। अगर इस अस्थिरता का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि गठबंधन की राजनीति इसका एक मुख्य कारण सिद्ध हुई है।जब कोई भी दल अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है ,तो सरकारें गठबंधन पर निर्भर होती है और स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पाती है।

लोकतंत्रात्मक देश में दल बदल की संस्कृति भी सरकारों की अनिश्चितता को बढ़ावा देती है और ऐसा सिद्धांतों से हीन सत्ता संघर्ष में प्रत्यक्षत: देखा जाता है।

नेपाल के संवैधानिक और वैचारिक विवाद भी इस अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं जैसेय नेपाल का संघीय ढांचा, नेपाल में मधेशियों के अधिकार और संवैधानिक संशोधन, जिनसे मुद्दों की राजनीति को हवा मिलती है और विपक्ष तख्ता पलट करने में सफल रहता है।

दलों में होने वाला आंतरिक नेतृत्व संघर्ष भी पार्टी नेताओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर सरकार को गिरा देता है।जैसा किष ओली बनाम प्रचंडष के केस में देखा गया है। भारत के संदर्भ में इन अस्थिरताओं को जन्म देने का कारण नेपाल पर बढ़ता चीन का प्रभाव है, ऐसे बाहरी दबाव के कारण भी आंतरिक राजनीति में सत्ता संघर्ष बढ़ जाते हैं और सरकारें उनके इशारों की कठपुतली मात्र बन जाती है जो कि विशेषतया नेपाल में भारत विरोधी विचारों को पनाह दे,उनका प्रसार नकारात्मक ढंग से कर जनमत पर ग्राम्शी के विचारधारात्मक प्रभुत्व का प्रयोग कर उन्हें भड़काती है एवं हमारे संबंधों को कगार पर ले जाती है।

चीन द्वारा नेपाल को दी गई आर्थिक सहायता और वन बेल्ट वन रोड़ में नेपाल का शामिल होना चीन के बढ़ते प्रभाव को बताता है जो माओवादी के सत्ता में आने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

भारत के संदर्भ में देखा जाएं तो नेपाल की सरकारें जब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में रही तब भारत से नेपाल के संबंध अपेक्षाकृत मित्रतापूर्ण रहे, लेकिन जब नेपाल में सीपीएन यूएमएल या माओवादी दल सत्ता में आए तो भारत के साथ तनाव और चीन की तरफ झुकाव देखा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि दल के विचारों का प्रभाव जनमत को प्रभावित करता है।ना केवल

विदेश नीति अपितु देश की आंतरिक व्यवस्था भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अत्यंत प्रभावित होती है।

ये राजनीतिक अस्थिरता और तनातनी देश के विकास को पीछे की ओर ढकेलती है अत: जहां तक संभव हो लोकतांत्रिक तरीके से, सामंजस्यपूर्ण सरकार का स्थायित्व ही देश को प्रगति की ओर ले जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. wikipedia.com
2. panchjanya.com
3. योगेंद्र पाल सिंह –भारत की विदेश नीति।
4. प्रोफेसर रमाकांत – इंडो नेपाल इस रिलेशन फेज 1.
5. श्रीमन नारायण अग्रवाल – इंडिया एंड नेपाल: एन एक्सरसाइज ऑफ ओपन डिप्लोमेसी।
6. शोधपत्र– 21वीं सदी में भारत नेपाल संबंध ,द्वारा ममतामणि त्रिपाठी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला

वासुदेव एक्का* डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

*** शोधच्छात्र:, शासकीय दू.श्री वै. संस्कृत महाविद्यालय:, रायपुरम् (छ.ग.) भारत**
**** सहायक प्राध्यापक: (व्याकरणम्) शासकीय दू.श्री वै.संस्कृत महाविद्यालय:, रायपुरम् (छ.ग.) भारत**

शोधसार:- हर्षवर्धनस्य रूपकेषु संस्कृतसाहित्यस्य ललितकलानां प्रमुखं स्थानमस्ति। हर्षवर्धन: सप्तमशताब्द्या: प्रख्यात: सम्राट: विद्वान: चासीत्। तस्य आश्रये बाणभम्: मयूर: मतङ्ग: च इत्यादय: कवय: आसन्। हर्षवर्धनस्य रचनायां नागानन्दनाटकं एकं प्रसिद्धं संस्कृतनाटकमस्ति। य: बौद्धधर्मस्य प्रभावं दर्शयति। ललितकला: यथा सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च नागानन्दनाटके प्रदर्शनस्य अङ्गानि वर्तन्ते। गीतानां रागात्मकं चित्रणं दर्शकानां हृदये आह्लादयति। ललितकला जीवनस्याधारोऽस्ति। ललितकलाया: जीवनस्य च महत्तवपूर्ण: सम्बन्धोऽस्ति। कला जीवनस्य लालित्यं जनयति। अत: नीतिशतकम् इति स्वग्रन्थे भर्तृहरि: कलाविहीन: मनुष्यं पशुतुल्यं कथयति -

'साहित्यसङ्गीतकलाविहीन: साक्षात् पशु: पुच्छविषाणहीन:।'(नीतिशतकम्-13)

कूटशब्द: - सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च इत्यादय:।

प्रस्तावना - हर्षवर्धन: भारतीय इतिहासे सम्राटस्य रूपे सुप्रसिद्धोऽस्ति। तस्य जन्म ज्येष्ठकृष्णद्वादशी दिनाङ्के 595 ईसवीं अभवत्। बाणभम्स्य 'हर्षचरितम्' ह्वेनसाङ्गस्य च यात्रावृत्तान्तात् वयं स्पष्टतया जानीम: यत् हर्षवर्धन: 'हूण-हरिण-केसरी' प्रभाकरवर्धनयशोमत्यो: पुत्र: आसीत्। स: स्वपितु: द्वितीय: पुत्र: आसीत्। तस्य अग्रजस्य भ्राता राज्यवर्धन: आसीत्। तस्या: भगिनी राज्यश्री योग्या विदुषी आसीत्। तस्य बाल्यकाले सम्यक् शिक्षां दत्तम्। पिता हर्षवर्धनं राज्यवर्धनेन सह पञ्जाबदेशे निवसतां हुणानां पराजयार्थं प्रेषितवान्। दुर्दैववशाद्राज्यवर्धन: शशाङ्कनामकेन वङ्गीयनृपतिना छलेन निहत:। तदन्तरं हर्षवर्धनो राजा बभूव। अस्य राजधानी स्थाण्वीश्वरनामकं स्थानमासीत्। अस्य राज्यकाल: 606-647 खीष्टाब्दमासीदिति प्रतीतम्।

हर्षवर्धनस्य रूपकत्रयं सन्ति -1. रत्नावली, 2. प्रियदर्शिका,
3. नागानन्दञ्च।

नागानन्दनाटके जीमूतवाहनस्य यशो गीतम्। बौद्धहिन्दुधर्म-योरतिमधुरा संसृष्टिरस्ति। प्रियदर्शिका, रत्नावली च नाटिकयो: उदयस्य प्रियदर्शिकाया: रत्नावल्या: च अनुरागस्य कथा वर्णिता अस्ति। नागानन्दनाटके पञ्चाङ्का: सन्ति। यस्मिन् विद्याधर जीमूतवाहनस्य आत्मत्यागस्य कथां वर्णितास्ति। नाट्यदृष्ट्या हर्षवर्धनस्य रूपकेषु नाट्यशास्त्रीय पद्धतिं अभिनयस्य च गुणान् अनुसरन्ति। काव्यत्वस्य च दृष्ट्यापि उत्तमा: सन्ति। हर्षवर्धनस्य रूपकेषु विविधानि चित्रणानि उपलभ्यन्ते। अन्त:पुरस्य विलासपूर्णघटनानां, नागरिकानां उत्सवानां, देवपूजानां, प्रकृते: रमणीयतायाः, स्त्रीणां सौन्दर्यस्य, प्रणयभावनानां, नृत्य-सङ्गीतस्य च वर्णनं वर्तते।

कविहर्षवर्धन: राजकार्येषु व्यस्त: सन् अपि स्वरचनासु सङ्गीतस्य चित्रकलाया: च समुचितप्रयोगं कृतवान्। हर्षवर्धनं सङ्गीतस्य चित्रकलाया: चापि ज्ञानमासीत् इति तस्य कृतीभ्य: स्पष्टं भवति। हर्षवर्धनस्य वीणाया: नाम घोषवती आसीत्। एतां वीणां वादन् गजान् वशयति स्म।

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला: - नागानन्दनाटके ललितकलया पूर्णमस्ति। अनेकेषु स्थानेषु ललिताकलाया: विषये उल्लेखा: प्राप्यन्ते -

1. **सङ्गीतकला -** नागानन्दनाटकस्य आरम्भेऽपि सङ्गीतकलाया: विषये अकथयत् -

'अहं गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्ठामि।'

इत्थं प्रथमोङ्कस्य नवमे श्लोके सङ्गीतस्य विस्तरेण चर्चा कृतामस्ति -

'क्रन्दत्कन्दरगह्वरो जलनिधेरास्फालितो वीचभि:'।

समुद्रस्य तरङ्गानां पर्वतगुहाप्रहारै: या ध्वनि: उत्पन्न: अत्यन्तं मनोहर: भवति। तस्या: ध्वन्या: माधुर्यगुण: मन्त्रमुग्धं भवति। नायक: विदूषक: च तस्मिन् स्थाने स्थातुं वार्ता कथयत:। सङ्गीतं मनुष्याणां श्रोत्रिन्द्रियाणां माध्यमेन अन्त:करणं प्रभावितं करोति। न केवलं मनुष्यान् अपितु प्रत्येक जीवं आनन्दं ददाति।

'स्थानप्राप्त्य दधानं प्रकटितगमकां मन्द्रतारव्यस्थां
विह्रादिन्या विपंच्या मिलितमलिरूतेनेव तन्त्रीसवरेण।
एते दन्तान्तरालस्थित तृणकवलच्धेदशब्दं नियम्य
व्याजिह्मांगा: कुरंगा: स्फुटललितपदं गीतमाकर्णयन्ति॥'

मृग: वलितग्रीवा कृत्वा तृणचर्वणं च त्यक्त्वा सुमधुरगीतस्य प्राप्नोति। तस्मिन् सङ्गीते उच्चारित: शब्द: मन्त्रमुग्धं करोति। अस्मिन् तारस्वाराणां प्रस्तुता: सन्ति। अनेन आनन्दस्य प्रतीतं भवति। कर्णप्रियसङ्गीत मन: आह्लादयति पशव: अपि तस्यै श्रोतुं रोचन्ते। सुधयापीडित: हिरण: तृणं त्यक्त्वा सङ्गीतस्य आनन्दं नयति। सङ्गीतं न् केवलं तदेव यत् वाद्ययन्त्रै: उत्पाद्यते। कविना सङ्गीतरूपे अत्र भ्रमरझङ्कारं प्रस्तुतमस्ति।

'मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भृङ्गशब्दै:।'

वर्तमानकालेऽपि अतिथीनां स्वागतं गायनेन करोति इति द्रष्टुं शक्यते

। स्वागतस्य विविधरूपेषु स्वागतगीतं श्रेष्ठं मन्यते। देवतानां आमन्त्रणेऽपि गीतगायनस्य प्रथा अस्ति। तथा च अत्र भ्रमरझङ्कारेण नायकस्य विदूषकस्य च कर्णप्रिय स्वागतं क्रियेते।

सङ्गीतद्वारा एव मलवतीं भगवतीं गौरीं प्रसन्नं करोति। मलयवत्या: भगवत्या: गौर्या: आराधनायां गीतं गायति।

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरद्युते मम हि गौरी।
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन ॥

अर्थात् पुष्पितकमलस्य केसराणां परागस्य इव पीतवर्णेन कान्ति:। हे भगवति गौरी, त्वत्प्रसादेन मम कामना सिद्धा भवतु।

2. वादनकला – गौरीदेवी मन्दिरे वीणावादनस्य विधि: सर्वोत्तमा अस्ति। वीणावादनकौशले दशविधव्यञ्जनधातूनां प्रयोगा: प्रदर्शिता: सन्ति। व्यक्तिर्वयञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धाऽमुना–

विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छन्नस्त्रिधाऽयं लय:।
गोपुच्छाप्रमुखा: क्रमेण यतयस्त्रिस्रोऽपि सम्पादिता–
स्तत्तवौधानुगताश्च वाद्यविधय: सम्यक् त्रयो दर्शिता: ॥

अस्मिन् गीते वीणावादनस्य दशकला: स्पष्टतया अभिव्यक्तं भवति। द्रुत:, मध्य:, विलम्बितश्च इति त्रिभि: प्रकारै: लया: विशेषरूपेण स्पष्ट: भवति। समा, स्त्रोतोवहा गोपुच्छा चेति एता: तिस्र: यतय: क्रमेण अभिव्यक्तं भवति। तत्त्वं, ओघं अनुगतं च त्रिवाद्यविधय: सम्यक् दर्शिता: सन्ति।

उपर्युक्तपद्ये सङ्गीतशास्त्रस्य वाद्ययन्त्राणि हर्षवर्धन: कलाशास्त्रे प्रवीणतां प्रदर्शितवान् अस्ति। सङ्गीतशास्त्रस्य सूक्ष्मज्ञानं नास्ति। स: मनुष्यस्य कृते नाटकस्य एष: अंश: कठिन: अभवत्। मलयवत्या वीणावादनस्य उत्तमप्रस्तुति: नाटके सङ्गीतस्य पराकष्ठाया: परियाचिका अस्ति।

नागानन्दनाटकस्य चतुर्थोऽङ्के यदा गरुड: नायकं अपहरति।
आमोदानन्दितालिर्निपतति किमियं पुष्पवृष्टिर्नभस्ते:?
स्वर्गे किं वैष चक्रं मुखरयति दिशा दुन्दुभीनां निनार्दे?

सुगन्धेन भ्रमरान् आनन्दिता: पुष्पवृष्टि: आकाशात् किमर्थ पतति? वा एष: दुन्दुभीनां ध्वनि: दिक्मण्डलं किमर्थ मुखरं करोति। दुन्दुभीनां ध्वनि: य: हृदयं प्रसन्नं करोति। नागानन्दनाटके वाद्ययन्त्राणां उल्लेखेन ज्ञायते यत् अस्य नाटकस्य रचनायां कवि: ललितकलायां कियत् समर्पितमासीत्।

3. चित्रकला – ललितकलायां चित्रकलाया: अद्धितीयं स्थानमस्ति। चित्रं निर्जीवत्वेऽपि सजीवकार्यं करोति। कस्यचित् मनुष्यस्य छायाचित्रं परोक्षरूपेण तस्य उपस्थिते: आभासं कारयति मन: च आह्लादयति। चित्रकला मनुष्यस्य कल्पनाशक्तिं स्थापयति। यत: तस्य अन्थ:करणस्य अभिव्यक्ति: चित्ररूपेण प्रदर्शितं भूत्वा सर्वान् प्रसन्नं करोति। नागानन्दनाटके नायकेन नायिकाया: चित्रनिर्माणस्य कृते पञ्चानां वर्णानां शिला विदूषक: आनयति। येषां साहाय्येन नायक: मलयवत्या: अभावेऽपि सम्यक् चित्रं निर्माणं करोति।

अविलष्ट बिम्बशोभाधरस्य नयनोत्सवस्य इव।
दयितामुखस्य सुखयति रेखाऽपि प्रथमेदृष्टेयम् ॥

नायकस्य मनसि स्थितभावरूपं मलयवत्या: छायाचित्रं शिलाया: साहाय्येन शीलायां प्रदर्शितं कृतवान् यत् दृष्ट्वा विदूषक कथयति। यस्य जनस्य प्रतिकृति:

अलिख्यते स पुरतो न विद्यते तथापि तस्य एवं सुन्दरं विरच्यते इति महदाश्चर्यम्। नायक: वदति– मित्रम्

प्रिया सन्निहितैवेयं सङ्कल्पस्थापिता पुर:।
दृष्ट्वा दृष्ट्वा लिखाम्येनां यदि तत् कोऽत्र विस्मय: ॥

तस्या: विषये नित्यं चिन्तयित्वा मम प्रिया मम पुरत: एव अस्ति। यदि अहं तां पश्यन् चित्रं करोमि तर्हि अस्मिन् किं आश्चर्यम्

रत्नालवी नाटिकायां सागरिका द्धारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा सुसंगता सागरिकाया: प्रसंसां करोति – **अहो ते निपुणत्वम्। किं शून्यमिवैतच्चित्रं प्रतिभाति। तदहमप्यालिख्य रतिसनार्थं करिष्यामि।**

अर्थात् धन्यं ते निपुणता। तथापि एतत् चित्रं शून्यमिव दृश्यते। अत: अहमपि चित्रयित्वा अनुरागयुक्तं करिष्यामि। उदयन: यदा सागरिका द्धारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा आश्चर्यचकित: अभवत्।

लीलावधूतपदमा कथयन्ती पक्षपातमधिकं न:।
मानसमुपेति केयं चित्रगता राजहंसीव ॥

अर्थात् कोऽयं राजहंसीव अस्माकं मनसि प्रविशति?
लीलापूर्वकं पद्मानि कम्पयन्, अस्माकं कृते अतीव अनुकूला इति स्वलक्षणेन आत्मानं दर्शयति।

4. नृत्यकला – नृत्यकला मनुष्यं आह्लादयति। यस्या: आनन्दे मनुष्य: नृत्यं निवारयितुं न शक्नोति। आनन्देन नृत्यं कर्तु आरभते।

निष्यन्दश्चन्दनानां शिशिरयति लतामण्डपे कुम्मिान्ता–
नाराद् धारागृहाणां ध्वनियनु तनुते ताण्डवं नीलकण्ठ:।
यन्त्रोन्मुक्तश्च वेगाच्चलित विटपिनां पूरयन्नालवाला–
वापीतोत्पीडहेलाहृतकुसुमरज: पिञ्जरोऽयं जलौघ: ॥

नागानन्दनाटकस्य तृतीयेऽके नृत्यकला वर्णिता अस्ति। जलयन्त्राणां आपताभ्यां शब्द: निर्गच्छति। आपताभ्यां नि:सृतं शब्दं श्रुत्वा मेघगर्जनस्य भ्रमात् मयूर: नृत्यति। सहचरै सह भङ्गानां गीतं सम्पूर्ण लतामण्डलं आनन्दयति। अयं आनन्द: अन्यत्र न लभ्यते, य: अस्मिन् लतामण्डले अनुभूयते। यत्र नृत्यसङ्गीतयो: अद्धितीय: संग्रह: अस्मिन् स्थाने उभयो: आनन्ददायकोऽस्ति।

निष्कर्ष: – इत्थं संस्कृतनाट्यपरम्परायां कालिदासस्य पश्चात् यस्य कवे: नाम नयति स: महाकविहर्षवर्धन: अस्ति। य: शासनकार्यस्य अत्यन्त व्यस्त: सन् अपि स्वसाहित्यप्रतिभाया: प्रदर्शितवान्। तेन माध्यमेन च सहृदयानां हृदयान् चमत्कृतवान्। संस्कृतसाहित्ये न केवलं नाट्यपरम्पराया: अपितु नाटकीयकाव्यगुणानां च कारणात् संस्कृतसाहित्ये अद्धितीयमस्ति। महाकविहर्षवर्धन: स्वरूपकेषु सङ्गीतकलाया:, नृत्यकला:, वादनकलाया: चित्रकलाया: च सृजनं कृत्वा अधिकं रोचकं कृतवान् अस्ति।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. नागानन्द नाटकम्, पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
2. रत्नावली नाटिकका, डॉ. बालगोविन्द झा, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
3. प्रियदर्शिका नाटिका,पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव

डॉ. फरहत मंसूरी *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (Psychological Empowerment) महिलाओं की आत्म-जागरूकता, आत्म-सम्मान, और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह महिलाओं के लिए एक आंतरिक परिवर्तन है, जो बाहरी दुनिया में उनके प्रभाव को भी गहराई से प्रभावित करता है।सशक्तिकरण प्रक्रिया आत्म-चिंतन और विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीवन अधिक संतुष्टिदायक बनता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने से उनकी क्षमता और आत्मनिर्णय की भावना बढ़ती है । जब एक महिला प्रगति देखती है, तो इससे उसे और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है ,और वह अपना एवं अपने परिवार का विकास करती है । समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तब सशक्त बनती है जब वे अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर बाहरी संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं को न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने योग्य बनाता है।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की परिभाषा –'मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म-धारणा, निर्णय क्षमता, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दृढ़ करता है। इसमें स्वायत्तता का अनुभव,नियंत्रण की भावना,अर्थपूर्णता का बोध,प्रभावशीलता की अनुभूति शामिल होती है।'

शब्द कुंजी – मनोविज्ञान, सशक्तिकरण,लक्ष्य, प्रगति, आत्म चेतना, संतुष्टि।

आंतरिक शक्ति के तत्व– महिलाएं जब अपनी पहचान को आत्मसात करती हैं और आत्म-मूल्य को समझती हैं, तब वे मानसिक रूप से सशक्त होती हैं।

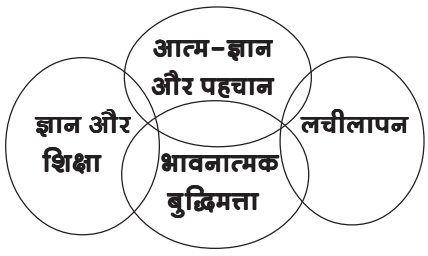

- **आत्म-ज्ञान और पहचान–** महिलाएं जब स्वयं को समझती हैं – अपने मूल्यों, क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने लगती हैं,तब उनके आत्म-विश्वास की नींव बनती है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता–** महिलाओं में जब अपने और दूसरों के भावों को समझने और संभालने की क्षमता आ जाती है,तब महिला तनावपूर्ण स्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती है।
- **लचीलापन (Resilience)–** जब एक महिला चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए पुन: उठ खड़े होने की क्षमता रखती है तो वह आंतरिक शक्ति का संकेत है।
- **ज्ञान और शिक्षा–** शिक्षा महिलाओं की सोच, तर्क और विश्लेषणात्मक शक्ति को बेहतर तरीके से निखारती है।

बाहरी प्रभाव की दिशा :

- **सामाजिक भूमिका–** समाज की सशक्त महिलाएं परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में नेतृत्व और बदलाव की प्रेरणा का स्त्रोत बनती हैं।
- **निर्णय लेने की स्वतंत्रता–** जब महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसलों को स्वतंत्र रूप से लेने लगती हैं, तो समाज में उनके योगदान की गहराई बढ़ने लगती है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता**– आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं समाज एवं परिवार में अपने अधिकारों की बेहतर रक्षा कर सकती हैं और दूसरों के लिए एक उत्तम उदाहरण बनती हैं।

सशक्तिकरण का परस्पर चक्र – आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान से जन्मी आंतरिक शक्ति, महिलाओं को अधिक सामाजिक जुड़ाव और नेतृत्व के अवसर देती है,साथ ही वहीं पर सामाजिक पहचान और सफलता से उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति और भी प्रबल होती है – यह एक सकारात्मक चक्र है जो सतत चलता है।

बाहरी प्रभाव का विस्तार– सशक्त महिलाएं समाज में बदलाव की वाहक बनती हैं। उनका प्रभाव कई स्तरों पर होता है, प्रभाव के क्षेत्र निम्न है–

1. **परिवार में निर्णायक भूमिका –** जब एक महिला को परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तब महिलाके आत्मविश्वास का विकास बहुत तीव्रता से होता है।
2. **सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व –** जब एक महिला मानसिक रूप से

स्वस्थ्य एवं सशक्त होती है तब वह सामाजिक संगठन का निर्माण करती है तथा साथ ही उसमे नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से योगदान – महिलाओं को जब परिवार एवं समाज में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तो वह समाज एवं परिवार के विकास में स्वस्थ्य योगदान देती है।

4. राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व – जब समाज की महिलाएं समाजिक,आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र एवं सशक्त होती है, तब वह राजनीति में अपनी भागीदारी देते हुए अच्छा प्रतिनिधित्व करती है।

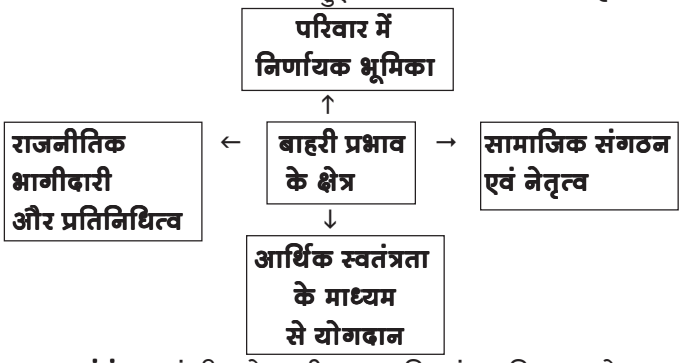

परस्पर संबंध– आंतरिक से बाहरी – जब महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होती हैं, तो उनके विचार, निर्णय और व्यवहार समाज में बदलाव लाने लगते हैं। महिलाओं में आंतरिक विश्वास बढ़ता है तो वह सामाज के विकास में अपनी भागीदारी देने लगती है जब समाज में एक महिला को आत्म–सम्मान मिलता है, तो उसके नेतृत्व का विकास होता है महिलाओं में आत्मनिर्भरता आती है, तब वह महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, उदाहरण –

- राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं में आत्म–विश्वास और निर्णय क्षमता में 60% तक वृद्धि पाई गई।
- सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुईं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने लगीं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की प्रकृति – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी बाहरी संसाधन पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विचारधारा और आत्म–छवि पर आधारित होता है। इसमें महिलाओं के भीतर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं:

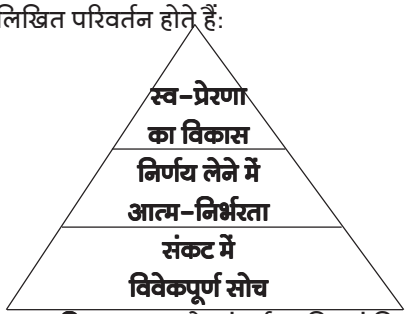

- **स्व–प्रेरणा का विकास–** इसके अंतर्गत महिलाएं बिना बाहरी दबाव के स्वयं को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं।
- **निर्णय लेने में आत्म–निर्भरता–** महिलाएं जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं।
- **संकट में विवेकपूर्ण सोच–** मानसिक सशक्तता महिलाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है।

सामाजिक परिवेश में परिवर्तन– जब महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, तो उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है:

- महिलाएं नेतृत्व भूमिकाओं में आने लगती हैं – पंचायत, स्कूल समिति, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि।
- महिलाएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं – अन्य महिलाओं और युवतियों को जागरूक करती हैं।
- महिलाएं मूल्य आधारित संवाद की ओर अग्रसर होती हैं – संवाद में आत्म–विश्वास और स्पष्टता आती है।

मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण के आँकड़े

विवरण	आँकड़ा / विवरण	राशी / सक्रीय महिलाओं की संख्या
लाड़ली बहना योजना लाभार्थी	1.29 करोड़ महिलाएं,	रू 1250/माह की सहायता
स्व–सहायता समूहों में महिलाएं	62 लाख महिलाएं,	5 लाख़ समूह सक्रिय
महिला आरक्षण	35% शासकीय सेवाओं में, 50% पंचायत/ निकाय चुनावों में	–
महिला उद्यमिओं को ऋण	2% ब्याज दर पर	रू 648.67 लाख़ की सहायता
महिला हेल्पलाइन 181	अब तक 1.57 लाख महिलाओं को सहायता	–
लिंगानुपात सुधार	927 से बढ़कर 956 प्रति 1000 पुरुष	–
बाल विवाह में कमी	बाल–विवाह दर में उल्लेखनीय गिरावट	–
मातृ मृत्यु दर (MMR)	राष्ट्रीय औसत के अनुसार 97 प्रति लाख जीवित जन्म	–

निष्कर्ष –मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी आंदोलन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक करती है। जब महिलाएं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करती हैं, आत्म–निर्णय लेती हैं, और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं – तब सशक्त समाज की नींव रखी जाती है। महिलाओं में मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की नींव है। जब महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर बाहरी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं, तो वे समाज की दिशा बदल सकती हैं,और बदल रही है ।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए एक आत्मिक और सामाजिक विकास का मूल है। जब महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं, तो उनका प्रभाव घर की चौखट से निकलकर समाज, राष्ट्र और विश्व तक फैलता है। इस जागरण की प्रक्रिया को गति देना ही सच्चे सशक्तिकरण की दिशा है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा अब केवल आर्थिक या सामाजिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही – यह मनोवैज्ञानिक स्तर तक विस्तारित हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर समाज में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. National Commission for Women. (2024). *Annual report on women's empowerment initiatives*. https://ncw.nic.in
2. Ministry of Health and Family Welfare. (2021). *National Family Health Survey (NFHS-5)*. https://rchiips.org/nfhs/
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2024). *Periodic Labour Force Survey 2023–24*. https://www.mospi.gov.in
4. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023
5. PWOnlyIAS. (2024, March 21). -भारत में महिला सशक्तिकरण https://pwonlyias.com/hi/current-affairs/women-empowerment-in-india/
6. NextIAS. (2024, April 15).महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता https://www.nextias.com/blog/महिला–सशक्तिकरण
7. Press Information Bureau. (2024, August 5). *11 years of women empowerment programs in India*. https://pib.gov.in
8. Academia.edu. (2023). पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में. https://www.academia.edu
9. Saras Janvaad (2025,May 22). महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है मध्य प्रदेश. https://sarasjanvaad.com/2025/05/chief-minister-dr-yadav-women-empowerment-madhy/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान

अभिषेक एड़े* डॉ. नीना उपाध्याय**

* शोधार्थी (हिन्दी) रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माँनकुवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन प्रमुख कवियों में हैं, जिन्होंने न केवल मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया, बल्कि काव्य-शिल्प की दृष्टि से भी नव्यता के प्रतिमान स्थापित किए। उनका काव्य पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़ते हुए एक नवीन काव्यभाषा, प्रतीक योजना, बिंब विधान तथा संरचना के स्तर पर मौलिकता का संकेत देता है। शरद मिश्र उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत हिन्दीं विषय के प्राध्यापक है, उन्होंने कविताएँ , गीत, काव्यपत्र, हिन्दी गजलें, बुन्देली गजले लिखकर विपुल साहित्य की सर्जना तो की ही है, साथ ही संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट एवं कालीदास के साहित्य का हिन्दी भाषा में 24 मात्राओं के छंद में काव्यानुवाद करके नया कीर्तिमान रचा है। अब तक शरद मिश्र की 400 से अधिक किताबें नये कलेवर में 23 खंड़ों में डॉ प्रणय के संपादन में प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में भी उनकी लेखनी निरंतर चल रही है। इस शोध पत्र में शरद मिश्र की कविताओं के शिल्पगत पक्षों का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनके प्रयोगधर्मी रचनात्मक दृष्टिकोण, भाषा की लयात्मकता, संरचनात्मक विविधता तथा अभिव्यक्ति के नये आयामों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करेगा कि शरद मिश्र की काव्य-रचना में शिल्प केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, बल्कि संवेदना के सार्थक अन्वेषण का उपकरण भी है। साथ ही यह अध्ययन उनके काव्य में शिल्प, अर्थ और अनुभूति का समुचित समन्वय की पड़ताल भी करेगा, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता के शिल्प विधान में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

शब्द कुंजी – काव्य-शिल्प, बिंब, प्रतीक, भाषा, दृश्य-बिंब, श्रव्य-बिंब, काव्य-शैली।

प्रस्तावना – अभिव्यक्ति मानवीय मन की स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति है। जब मनुष्य इस चराचर जगत में विभिन्न दृश्यों, घटनाओं और अनुभूतियों का अवलोकन करता है, तब उसके अंतर्मन में उनसे सम्बद्ध भाव-चित्र स्वत: अंकित हो जाते हैं। ये भाव-तरंगें इतनी तीव्र होती हैं कि मौन में बंधकर नहीं रह सकतीय वे बाहर आने को आकुल हो उठती हैं। यही आकुलता अभिव्यक्ति की जन्मदात्री बनती है। साहित्य और कला के समस्त रूप – विशेषत: काव्य – इसी अभिव्यक्ति की सौंदर्यपूर्ण परिणति हैं। कवि अपने मनोभावों को आकार देने हेतु भाषा, बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि काव्य-तत्त्वों का आश्रय लेता है। इन कलात्मक साधनों के माध्यम से वह अपने विचारों को सौंदर्यबोध से युक्त कर जनमानस तक पहुँचाता है। शरद मिश्र ने उनके काव्य में ये अभिव्यक्ति-साधन परंपरागत रूढ़ियों से हटकर एक नवीनता के साथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि नवीन युगबोध और जटिल मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए नूतन शिल्प और संवेदन की आवश्यकता होती है। शिल्प किसी भी काव्य की आत्मा को रूप देने वाला तत्तव है। यह न केवल कवि की संवेदनाओं को संप्रेषित करने का माध्यम होता है, बल्कि पाठक को काव्य की गहराइयों तक ले जाने का सेतु भी बनता है। शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता में उन कवियों में अग्रणी हैं, जिन्होंने न केवल विषय-वस्तु में नवीनता लाई, बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी काव्य को नए प्रतिमान प्रदान किए। इस शोध का उद्देश्य उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत प्रयोगों, नवाचारों एवं उनकी कलात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करना है।

शरद मिश्र की काव्य-संवेदना एवं उसका शिल्पगत अन्वेषण– शरद मिश्र की कविताएँ मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विडंबनाओं और अस्तित्वगत प्रश्नों को एक मौलिक दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। उनके काव्य में अंतर्मन की गहन अनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से इस प्रकार ढलती हैं कि पाठक एक जीवंत अनुभव से गुजरता है। इस अनुभूति को प्रभावशाली रूप देने के लिए उन्होंने शिल्प को एक सक्रिय उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। उनकी संवेदना में जहाँ एक ओर गहरे आत्मचिंतन की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर समकालीन समाज की त्रासदियाँ भी बिंबित होती हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य संतुलन बनाने के लिए शरद मिश्र ने भाषा, प्रतीक, शैली और संरचना जैसे शिल्पतत्त्वों को अत्यंत सृजनात्मक ढंग से साधा है।

1. भाषा-शिल्प – भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं है, वह वह सेतु है, जिससे एक व्यक्ति का सत्य दूसरे तक पहुँचता है। काव्य-शिल्प के उपादानों में प्राथमिक उपकरण भाषा ही है। शरद मिश्र की काव्य-भाषा बहुआयामी है, जिसमें सरलता और सादगी होते हुए भी विशिष्टता विद्यमान है। लयात्मकता और भावानुकूलता के साथ-साथ सपाट बयान और व्यंग्यात्मकता का भी अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ शब्दों और अलंकारों से काव्य को गरिमा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरल, सीधी और सपाट भाषा के माध्यम से आम जीवन की सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में व्यंग्य का स्वर भी प्रमुखता से उभरता है-कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष तो कहीं सामाजिक ढोंग पर तीखा प्रहार-यह सब वे व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, जिससे पाठक न केवल मुस्कराता है, बल्कि सोचने को भी विवश हो जाता है। लोकभाषा के प्रयोग से उनकी रचनाएँ और भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बन जाती हैं। इस तरह शरद मिश्र की भाषा केवल काव्य-सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का सशक्त दर्पण भी बन

जाती है। भाषा की सहजता का उदाहरण देखिये–

भिखारियों को भीख मत दे
इस पर अमल करने का
रहता है प्रयास।
पर माँगने वाले की शक्ल मिलती है कभी
मेरे पिता से
या फिर मेरे बेटे से
तो जेब से निकल ही जाता है कुछ
अनायास।।[1]

शरद मिश्र के काव्य की सपाट बयान बाजी यहाँ दृष्ट्व है–

नई पड़ रही है हिम्मत किसी की ,
कह तो दे नृप को नंगा।
जला दिये जायेंगे घर, फूँकेंगी दुकानें,
मारे जायेंगे कितने अलगू–जुम्मन[2]

शरद मिश्र ने अपने काव्य रूपांतरण में 'संस्कृतनिष्ठ' शब्दों के साथ–साथ शुद्धता, सरलता, लयात्मक भाषा का प्रयोग बहुतायत किया है। कादम्बरी काव्य रूपांतरण की भाषा के संबंध में डॉ. रमाशंकर शुक्ल लिखते हैं कि– 'डॉ. शरद मिश्र द्वारा रचित इस ग्रंथ की एक अलग विशेषता यह है कि इसमें सब कुछ पद्यमय है, गद्य का लेशमात्र भी स्थान नहीं है। सर्वाधिकार से लेकर पुस्तक के मूल्य तक का वर्णन छंद में है।'[3] भाषा पर ऐसा अधिकार की सब कुछ पद्य रूप में कह देना शरद मिश्र की विशेष प्रतिभा का परिचायक है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का सुन्दर संयोजन इस पद्य में अवलोकनीय है–

भवनों का तिलक सत्यभू अवन्तिका नगरी,
शोभित थी महाकाल, महादेव से नगरीय
वाराह ने किया ज्यों हिरण्याक्ष का विक्षेप ,
उज्जयिनी भी दिखाते हैं पाशों का निपेक्ष[4]

शरद मिश्र के कथ्य में भाषा के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र न होकर संवेदना और विचारों का सशक्त माध्यम बन जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर बुंदेली जैसी लोकभाषा की सहजता और जीवंतता को भी स्थान दिया है। विशेषकर बुंदेली सृजन में उन्होंने लोकजीवन की भाषा की मौलिकता को बनाए रखने में अत्यंत कुशलता एवं प्रौढ़ता का परिचय दिया है। यही कारण है कि उनकी कविताएँ स्थानीय बोली–बानी की सोंधी महक और यथार्थ का आंचलिक सौंदर्य लिए हुए प्रतीत होती हैं। बुन्देली भाषा काव्य का उदा–

खा जैहौ गारीं तौ दइयौ नैं खोरी
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी!!
महँगी भई चीजें कैंसी गुजर है।
जा साल की होरी ऊँसइ निकर है।।
महँगाई ने सबकी कम्मर है टोरी।
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी।।[5]

शरद मिश्र ने अपने काव्य में नवीन प्रयोग करते हुये हिन्दी के कवियों की चौपाई , पंक्तियों का यत्र– तत्र प्रयोग किया है जो कि उनके काव्य की भाषा को और भी आकर्षक और अर्थवान बनाता है यथा उदा.–

पहुँच चुके सब एक दिन पूर्व
अगले दिन भांजेंगे तलवारें, दिखायेंगे हुनर
जनायेंगे जिसे आपा, फिर वह–
'जानत तुमहिं तुमहिं होई जाई'।।
अगर 'मुक्तिबोध' की मानें तो उन महागुरूओं को–
अब अभिव्य क्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगें।।[6]

हिन्दी के आदिकालीन कवि विद्यापति की पंक्ति प्रसिद्ध है कि – 'देसिल बअना सब जन मिट्ठा अर्थात देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सबको मीठी लगती है'।[7] शरद मिश्र ने अपने काव्य में लोकभाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है जो उनके भावों की अभिव्यक्ति को सरल और सशक्ता बनाती है उदा.–

बसमतिया से जंगल में जबरजिना का,
गवाह थे बहुतेरे धान कटैया,
कुछ चरवाहे– कुछ हरवाहे,
रो–रोकर बता रही थी बसमतिया,
परधनवा भी सुन रहा था दाँत निपोरे,
कोयल–पपीहे भी यही टेर लगा रहे थे।
पोंड़की–तीतर तक नियाव की आस जगा रहे थे।[8]

शरद मिश्र के काव्य की भाषा के संबंध में उनके काव्य पर शोध कर चुकी डॉ. मनीषा द्विवेदी लिखती है, कि 'डॉ. शरद कुमार मिश्र की भाषा सहज– सरल होते हुये भी अर्थ– गाम्भीर्य से युक्त हैं। कहीं– कहीं यह भाषा इतनी सहज हो गई है कि इसे आम आदमी की आम भाषा कहा जा सकता है।'[9] शरद मिश्र की भाषा आम आदमी की जुबान है, वर्तमान की भाषा है, उसमें एक विशेष प्रकार का अनगढ़पन है, । भाषा के अनगढ़पन का उदा.प्रस्तुत है–

दो समधियों में जुड़ गया संबंध प्यार का ।
टी.बी. पर फ्रिज पर हाँ हुई झगड़ा था कार का ।।
सामान न हो नेग में तो कैश दीजिये।
पालेंगे नहीं हम कोई लफड़ा उधार का ।।[10]

शरद मिश्र की काव्य–भाषा बहुस्तरीय और प्रभावपूर्ण है, जो शुद्ध साहित्यिकता के साथ–साथ व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों को भी समेटे हुए है। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ गरिमा, लोकभाषा की मिठास, सपाट बयानों की सादगी और व्यंग्य की तीक्ष्णता एक साथ दिखाई देती है। यही विशेषताएँ उनकी भाषा को न केवल काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त बनाती हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और संवेदना का भी प्रभावशाली माध्यम बना देती हैं।

2. बिंब एवं प्रतीक– 'काव्य में बिंब और प्रतीक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं किन्तु संश्लिष्ट अर्थ– छायाओं को मूर्त करने की दृष्टि से 'बिंब' का महत्व अधिक है। प्रतीक और बिंब दोनों की चर्चा प्रायरू साथ में होती है। इसका कारण यह है कि दोनों ही मूर्ति– विधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है किन्तु दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। बिंब जब बार– बार प्रयुक्त होकर किसी वस्तु या भावस्थिति – विशेष के द्योतक बन जाते हैं तब उन्हें प्रतीक मान लिया जाता है।'[11] शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन सशक्त रचनाकारों में हैं, जिनके काव्य में बिंब योजना अत्यंत समृद्ध, सघन और बहुस्तरीय है। वे बिंबों के माध्यम से केवल दृश्य रचते भर नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को उद्घाटित करते हैं। शरद मिश्र के यहाँ बिंब योजना दृश्य, श्रवण, स्पर्श, भाव, वस्तु, प्रतीक, और विवृत बिंबों के सहारे एक ऐसी रचना प्रक्रिया का निर्माण करती है, जो कविता

को दृश्य नहीं, अनुभव का प्रमाण बनाती है। शरद मिश्र की कविताओं प्रयुक्त बिंब–

दृश्य बिंब – ये बिंब आँखों के सामने किसी नेता के आगमन के आयोजन की तैयारी का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। उदा.–

'बड़ी सुहानी है सुबह कस्बें की,
चार बजे भोर में ही चली है खर्राटा झाड़एँ,
नहीं है सड़क पर एकौ धूल
चुभती कहाँ है नंगे पाँव कोई काँकरी।
बड़े किये है लोगों ने अपने दिल,
चौड़ी हुई है ,प्रेम गली साँकरी।।
डाला है ट्रैक्टर ने सड़क पर पानी,
जगमगा रही है दिन में रोशनी', [12]

श्रवण बिंब – ये ध्वनि से जुड़ी संवेदना को जगाते हैं।उदा.

'बताया जा रहा है–
रिक्शो में बँधवाकर चोंगा, आटो से चिल्लाकर,
सुन रहे हैं मोटरियों में बैठे,
कुछ पढ़े लिखों को अखबार है।' [13]

वस्तु बिंब –वह बिंब जो किसी ठोस भौतिक वस्तु को इस तरह चित्रित करता है कि वह प्रतीक बन जाए। शरद मिश्र की कविता में खजूर को वस्तु बिंब के प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि खजूर अबला स्त्री का प्रतीक बन जाये।

'इधर बाहर मीटिंग में हजूर,
उधर भीतर कमरे में सकुचाया खजूर,
पोथी– पन्ने की समेटा– समाटी,
बँट गई हिसाब से रोटी दाँत काटी,
हजूर का तब कमरे में जा समाना।
गिराना लाल देखकर सहमे खजूर को,
पुचकारना, आँखें दिखाना,धौंस जमाना
मुँह फाड़ना बारबार खाने के लिये,
भिड़ा था खजूर अपने आपको बचाने के लिये' [14]

3. प्रतीक योजना – शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन रचनाकारों में प्रमुख हैं, जिनकी कविता सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ की तीव्र पड़ताल करती है। उनके काव्य की एक विशेष उपलब्धि है – प्रतीक योजना की बौद्धिक गहराई और काव्यात्मक सघनता। वे प्रतीकों के माध्यम से अपने समय के संकटों को न केवल उजागर करते हैं, बल्कि उन्हें एक व्यापक दार्शनिक और मिथकीय आयाम भी प्रदान करते हैं। शरद मिश्र के प्रतीक परंपरागत नहीं हैं – वे न तो केवल सौंदर्यबोध के उपकरण हैं, न ही शुद्ध कल्पना के उपज वे यथार्थ की उपज हैं, उनकी कविता में महाभारत के चरित्र और घटनाएँ आधुनिक संदर्भों में प्रतीक रूप में प्रयुक्त होती हैं। यथा–

'वर्ग भेद करते अमानुष,
अर्जन के लिये
एकलव्य से पक्षपात करते द्रोणाचार्य
न घुस पाये गुरूकुल में' [15]

शरद मिश्र आज के समाज के यर्थात को नवीन प्रतीकों के माध्यम से कहने में सफल है। एक और उदा द्रष्टवय हैं–

'हजूर ,यह हमारे देश
का सबसे बड़ा सम्मानित भिखारी है!
यह भिक्षावृत्ति ही तो
हमारी सर्वोच्य कलाकारी है !!
भीख माँगते हैं इसके संग–
स्टेशनों और ट्रेनों में
हिंजड़े, पुलिस वाले, टीटी,
प्रमाण पत्र दिखाते हुये
देवी देवता के चित्रों पर' [16]

शरद मिश्र ने अपनी कविताओं में प्रतीकों को बड़ी ही कौशलता से गढ़ते है। परिणाम स्ववरूप उनके प्रतीक भावों के उद्घाटन और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के प्रभावी माध्यम बनते हैं। कवि ने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक यथार्थ को उकेरने के लिए ऐसे प्रतीकों का सहारा लिया है जो जीवंत, सशक्त और समयानुकूल हैं। ये प्रतीक पाठक के मन में सहज बोध उत्पन्न करते हैं और जटिल अनुभूतियों को सरल एवं ग्राह्य बना देते हैं। इसी कारण शरद मिश्र की प्रतीक योजना में एक ओर कलात्मकता का वैभव दिखाई देता है तो दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों की गहरी अभिव्यक्ति भी उभरकर सामने आती है।

'सर्कस –
चला है नये तरीके का ,
जाता है दिखाने
अपना खेल बिदेसों में अब
नहीं होते पर
इसमें आजकल
चौपाये एक भी कहीं,
सारे दो पाये ही,
बुद्धि पर वैसी ही कुछ !
होता है मालिक इन सबका
रिंग मास्टकर या मेट एक
इकट्टा करता है
चंदा इन दोपायों से
वेतन– उजारत देने की जगह' [17]

उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है कि – शरद मिश्र का काव्य बिंब योजना एवं प्रतीकों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जहाँ बिंब यथार्थ का संवेदनात्मक उद्घाटन हैं। उनके बिंब सामाजिक विमर्श को गहराई प्रदान करते है, और पाठक को देखने से आगे समझने और महसूस करने की ओर ले जाते हैं। साथ ही, उनकी प्रतीक योजना भी उनके काव्य को एक सघन और वैचारिक स्वरूप प्रदान करती है। वे प्रतीकों के सहारे कालजयी मिथकों और समकालीन यथार्थ के बीच एक ऐसा सेतु निर्मित करते हैं, जो पाठक को केवल कविता के सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे प्रश्नों, प्रतिरोधों और हस्तक्षेपों में भी सहभागी बनाता है। इस प्रकार शरद मिश्र का काव्य साहित्यिक कला और सामाजिक चेतना का एक अद्धितीय संगम बन जाता है, जहाँ बिंब और प्रतीक दोनों ही संवेदना और विचार के वाहक बनकर उपस्थित होते हैं।

4. शैली और संरचना– शरद मिश्र अपनी कविताओं गजलों के शीर्षक से ही अपनी विशिष्ट शैली का परिचय देते है, जैसे तुम्हारे लिये, सबके

लिये, चलो गायें गीत प्यार के, आओं अपनी तुम्हारी बात करे, वे पाठकों से एक अंतरंग संवाद स्थापित करते हैं, मानो वे कविताओं, गजलों के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को सीधे उनके हृदय में प्रवाहित कर रहे हों। वे पाठक से केवल पढ़ने की नहीं, सोचने और महसूस करने की भी अपेक्षा रखते है। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आत्ममंथन को प्रेरित करती हैं । वे कभी 24 मात्राओं के छंद में कविता गढ़ते है, तो कभी तंग काफिये की गजल कहते है। वे कभी अपनी कविता को छंद के मुक्ति दिलाते है तो कभी कालीदास ,बाण के गूढ़ साहित्य को हिन्दी भाषा के 24 मात्राओं के छंद़ में बांधते है। वे संवादात्मक शैली, आत्ममंथनपरक शैली ,विचारोत्तेजक शैली से काव्य को पुष्ट करते हैं।

संवादात्मक शैली का उदा–

मत दो रंग बिरंगी किताबें,
हटा दो–
अष्टावक्र की कूबड़ सा
पीठ पर धरा बस्ता[18]

आत्ममंथनपरक शैली का उदा–

अजादी दिलाई थी जिसने
अहिंसा जिसका परम सहारा था।
उस लँगोटधारी को भी तो
ऐसे ही शस्त्र ने मारा था।।[19]

विचारोत्तोजक शैली का उदा.

इक रूपहल गान होना चाहिए।
अब तो सब आसान होना चाहिए।।[20]

5. लय और गति– यद्यपि उनकी कविता छंदबद्ध नहीं है, परन्तु उसमें उपस्थित कथानक में स्वाभाविक लय और विचार की गति विद्यमान रहती है, जो पाठक को बाँधकर रखती है। उदा.

जहर डगर डगर है, जहर नगर नगर हैय
है जहर कस्बे–कस्बे, गाँव–गाँव है।
डूबने में है–उतरने में है,
हर ठिकाने है, जहर हर ठावँ है।।[21]

समकालीनता और शिल्प – समकालीन हिंदी कविता ने विषय के साथ–साथ अभिव्यक्ति के ढंग में भी व्यापक परिवर्तन देखा है। शरद मिश्र इस प्रवृत्ति के संवाहक कवि हैं, जिन्होंने परंपरागत शिल्प से हटकर एक ऐसा शिल्प अपनाया है जो समय की जटिलता, विडंबनाओं और द्वंद्वों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। उनकी कविताओं में प्रयुक्त प्रतीक समकालीन जीवन के गहरे अनुभवों से उपजे हैं। भाषा विचारशील है, संरचना प्रयोगधर्मी है और शैली आत्मीय है। यही विशेषताएँ उनके शिल्प को समकालीन कविता की मुख्यधारा में एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं।

निष्कर्ष – शरद मिश्र का काव्य समकालीन हिंदी कविता की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल भाव की प्रखरता तक सीमित नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सजग और प्रयोगशील है। उन्होंने शिल्प को केवल सौंदर्य का साधन न मानकर संवेदना के संप्रेषण का सक्रिय माध्यम बनाया है। उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत तत्त्वकृभाषा, बिंब, प्रतीक, लय, शैली एवं संरचना–सभी समकालीनता से अनुप्राणित हैं और उन्हें एक सशक्त काव्य–व्यक्तित्व प्रदान करते हैं।यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शरद मिश्र के काव्य में शिल्प और संवेदना का गहन और संतुलित संगम विद्यमान है, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 28.
2. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक,कविता– लाली देखन मैं गई , पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं 524
3. दैनिक समय शहडोल , कादम्बरी का काव्य रूपांतरण– डॉ रमाशंकर शुक्ला, संस्करण अगस्त 1994
4. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, महाकाव्य खंड 11, कादाम्बरी गाथा, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं.37
5. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,खड़ी बोली – बुन्देली काव्य खंड सात, कविता– बंधा पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं. 378.
6. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– शोध संगोष्ठी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 60,61
7. शुक्ल आचार्य रामचंद्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली1, आवृत्ति संस्करण 2015 पृ.सं. 15
8. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– नियाव पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 199
9. द्विवेदी डॉ. मनीषा, डॉ शरद कुमार मिश्र – स्वरूप एवं सजृन, शेखर प्रकाशन इलाहबाद, प्रथम संस्कणरण 2003, पृ.सं. 127
10. मिश्र डॉ. शरद कुमार, सबके लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1993, पृ.सं.28
11. तिवारी डॉ. रामचन्द्र ,भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिन्दी–आलोचना, विश्व विद्यालय प्रकाशन बाराणसी, तृतीय संस्करण 2016 पृ.सं.174
12. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना , नई कविता खंड दो, कविता– पधराई उनकी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 143.
13. वही पृ.सं.142
14. वही पृ सं.130
15. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता– तो दो, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 21
16. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड तेरह, पंकज बुक्स दिल्ली , प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं. 49
17 वही पृ.सं.62
18 . डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता– हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 21
19. वही पृ.सं.38
20. मिश्र डॉ. शरद कुमार, तुम्हाकरे लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1992, पृ.सं.31
21. डॉ.प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– जहर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 135

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वेद शब्द का दार्शनिक आशय 'ज्ञान' है। 'विद्' धातु से इसकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य है जानना, अनुभव करना, और सत्य का उद्घाटन करना। प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जो ब्रह्मांडीय सत्य अनुभूत किया, वही वेदों में प्रतिपादित है। अत: वेद केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर, दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिंतन का प्राचीनतम स्रोत हैं।

'सत्येन विद्या ज्ञानेन, वेदि विश्वं विचक्षण:।।1।।'

अर्थात् सत्य और ज्ञान के द्वारा ही इस विश्व की वास्तविकता को जाना जा सकता है। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड का मूलाधार केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन अनुभूति और ज्ञान है।

'विस्तृणि वि स्तृणि प्राणो, भूयिष्ठं सुषुम्नायोऽविन्दत्।
ततो विश्वानि भूतानि, वेदि विश्वे विचक्षण:।।2।।'

इस सूक्त में प्राण को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। प्राण ही वह शक्ति है जिससे सभी भूत और जगत की उत्पत्ति हुई। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की उस धारणा से मेल खाती है जिसमें ऊर्जा को जगत का आधार कहा गया है।

'प्रजापतिर्यज्ञं तनोति, सूर्याचन्द्रमसाविह।
एवं द्विवेधा वेदा नस्य, यस्मात्सृष्टिर्विभज्यते।।3।।'

यहाँ प्रजापति को सृष्टिकर्ता माना गया है। वह यज्ञरूप सृजन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था करता है, जिनसे काल और जीवन की लय संचालित होती है। 'यज्ञ' का आशय यहाँ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति में चल रही सृजन की सतत क्रिया है।

'आशायामासीदात्मन्येषां सूर्य आत्मा जगत: सुषुप्स:।
तं जन्मिनो बृहतो बिभ्रतीति, यतो देवा अजायन्त विश्वे।।4।।'

इस सूक्त में आत्मा को जगत का आधार बताया गया है। आत्मा ही सूर्यरूप में प्रकट होकर जगत को जीवन देती है और उसी से देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ।

ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त सृष्टि के रहस्य पर गहन चिंतन प्रस्तुत करता है-

'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीव: कुह कस्य शर्मन्नम्भ:, किमासीद्गहनं गभीरम्।।5।।'

इस मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में न सत् था, न असत्, न आकाश था, न पृथ्वी। केवल एक अनिर्वचनीय सत्ता थी। यह कथन सृष्टि के रहस्यमय और अज्ञेय स्वरूप की ओर संकेत करता है।

'तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदत्।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्।।6।।'

यहाँ अंधकार और जल को प्रारंभिक स्थिति बताया गया है। उसी जल में छिपे एक महान तपशक्ति से एक अद्वितीय तत्तव प्रकट हुआ, जो सृष्टि की जड़ बना।

'किं स्विदासीत्क उ नु यत्रासीत्, अर्वाग्देवा अजनयन्नभूत।
विश्वकर्मा विमना: परो यत्को देवस्य हविषा विधेति।।7।।'

इस सूक्त में 'विश्वकर्मा' को महान शिल्पी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड की संरचना को एक सुव्यवस्थित योजना माना गया है, जिसमें प्रत्येक तत्तव की भूमिका निश्चित है। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत समीप है।

ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सृष्टि-दर्शन का अत्यंत गहन निरूपण करता हैकृ

'सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वा, अत्यतिष्ठद्दशाङुलम्।।8।।'

यहाँ पुरुष को विराट ब्रह्मांडीय सत्ता माना गया है, जो सहस्र शीश, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाला है। सम्पूर्ण जगत उसी का विस्तार है।

'स वै एष पुरुषो यज्ञेन सर्व प्रजापति:।
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्, पुरुषं जातमग्रत:।।9।।'

पुरुष को प्रजापति और यज्ञरूप बताया गया है। उसके अंगों से ही सृष्टि के विविध अंग प्रकट हुए।

'तेन देवा अजनयन्त, साध्या ऋषयश्च ये।
सर्वज्ञं सर्वत: स्थूलं, विश्वरूपं प्रजापतिम्।।10।।'

इस श्लोक में देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति पुरुष से मानी गई है। पुरुष ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और विश्वरूप प्रजापति है।

'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे, भूतस्य जात: पतिरेका आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम।।11।।'

यहाँ 'हिरण्यगर्भ' को सृष्टि का प्रथम कारण कहा गया है। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया और सम्पूर्ण सृष्टि का नियंता बना।

'यथा ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत तत: समुद्रो अर्णव:।।12।।'

यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऋत (नियम) और सत्य से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। उसी से रात्रि, दिवस और समुद्र की उत्पत्ति हुई। यह समय और प्रकृति की मूलभूत संरचना का संकेत है।

'न मृत्युरासीद्मृत्युनो न तर्हि, न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेत:।

आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न पर: किञ्चनास॥13॥'

इस सूक्त में कहा गया है कि आदि काल में मृत्यु और अमरत्व, दिन और रात्रि, किसी का भी अस्तित्व नहीं था। केवल एक ही सत्ता थी, जो अपनी स्वधामय शक्ति से विद्यमान थी।

इन समस्त वैदिक मंत्रों से स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने सृष्टि को केवल धार्मिक आख्यान के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। कभी सृष्टि को रहस्यमय और अज्ञेय बताया गया, कभी उसे विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ के रूप में मूर्त किया गया और कभी उसे विश्वकर्मा की सुव्यवस्थित रचना कहा गया। यह दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिकता का परिचायक है और आधुनिक ब्रह्मांड-विज्ञान को भी एक प्राचीन बौद्धिक आधार प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद 19.68.1
2. अथर्ववेद 11.4; ऋग्वेद के प्राण-सूक्तों से संबंधित
3. ऋग्वेद 10.90; शुक्ल यजुर्वेद 31
4. ऋग्वेद 10.121; हिरण्यगर्भ सूक्त
5. ऋग्वेद 10.129.1
6. ऋग्वेद 10.129.3
7. ऋग्वेद 10.129.6
8. ऋग्वेद 10.90.1
9. ऋग्वेद 10.90.6-7
10. ऋग्वेद 10.90.8
11. ऋग्वेद 10.121.1
12. ऋग्वेद 10.190.1-2
13. ऋग्वेद 10.129.2

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग

डॉ. नीता मौर्य *

*** सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) श्री शिवा डिग्री महाविद्यालय, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.)भारत**

शोध सारांश – कार्यस्थल पर लैंगिक समानता केवल नैतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार है। यह शोध पत्र कार्यस्थल में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के अटूट संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें व्यवस्थित असमानताओं (वेतन अंतराल, भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न), उनके मानवाधिकारों पर प्रभाव (समानता, गरिमा, सुरक्षा, आजीविका का अधिकार), और वैश्विक व भारतीय कानूनी ढांचों की समीक्षा शामिल है। साथ ही विविधता, समावेशन और सशक्तिकरण की रणनीतियों का मूल्यांकन करता है तथा सुझाव देता है कि सही मायने में समावेशी कार्यस्थल केवल कानूनी अनुपालन से नहीं, बल्कि संस्कृति, नेतृत्व प्रतिबद्धता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन से ही प्राप्त हो सकते हैं। निष्कर्षत: लैंगिक समानता किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत में मानवाधिकार कानून, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकने वाले, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों को 'मानवाधिकार' के रूप में परिभाषित करता है।

शब्द कुंजी – लैंगिक असमानता, मानवाधिकार, POSH.

प्रस्तावना – लैंगिक समानता और मानवाधिकार आधुनिक समाज के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कार्यस्थल पर समावेशी और निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों, महिलाओं और अन्य लैंगिक पहचानों के बीच समान अवसर, वेतन, और सम्मान सुनिश्चित करना। मानवाधिकार, जैसे कि गरिमा, समानता, और भेदभाव से मुक्ति, कार्यस्थल की नीतियों और प्रथाओं का आधार बनते हैं। यह पेपर कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के बीच संबंध, इसके महत्व, चुनौतियों, और समाधानों का विश्लेषण करता है। 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है।

समस्या कथन: लैंगिक आधार पर भेदभाव और असमानता, कार्यस्थल पर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह आर्थिक अक्षमता उत्पन्न करता है और सामाजिक प्रगति में बाधाक है।

उद्देश्य:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के महत्व को समझना।
2. मानवाधिकार सिद्धांतों के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव की चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. समाधान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान प्रश्न:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप कौन से हैं और ये कैसे विशिष्ट मानवाधिकारों का हनन करते हैं?
2. लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनी/नीतिगत ढांचे की प्रभावशीलता क्या है?
3. भारतीय संदर्भ में, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, लैंगिक समानता के लिए क्या विशिष्ट बाधाएँ और समाधान हैं?

साहित्य समीक्षा

लैंगिक समानता और मानवाधिकारों पर कई अध्ययनों ने कार्यस्थल में भेदभाव, असमान वेतन, और अवसरों की कमी को उजागर किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं। भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन 15–30% कम है। मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से, संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) के अनुच्छेद 23 में सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। फिर भी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक रूढ़ियों, और ग्लास सीलिंग जैसे मुद्दे लैंगिक समानता को बाधित करते हैं।

मानवाधिकार ढांचा: CEDAW (1979), ILO समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (1951), यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स (2011) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मानवाधिकार के रूप

में स्थापित करते हैं। कांच की छत (Glass Ceiling): अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष पदों तक पहुँचने से रोकती हैं (Morrison et al- 1987)। मातृत्व अभिशाप (Motherhood Penalty): मातृत्व के कारण वेतन और करियर प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव (Correll et al-, 2007)। पुरुष-प्रधान संस्कृति (Hegemonic Masculinity): कार्यस्थल संस्कृति में पुरुष मानदंडों का वर्चस्व (Connell, 1987)। यआर्थिक तर्क: मैकिन्से (2015) - लैंगिक समानता वैश्विक GDP में +12 ट्रिलियन तक जोड़ सकती है। विविध टीमें अधिक नवाचारी होती हैं। भारत में, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून जैसे लैंगिक समानता अधिनियम, 1976, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 (POSH) और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लागू किए गए हैं। हालांकि, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में इन कानूनों का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है।

भारतीय संदर्भ: POSH अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधा और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (2013 - POSH), मातृत्व लाभ अधिनियम (2017 का संशोधान)। अध्ययन: अशोका यूनिवर्सिटी (2019) - भारत में उच्च शिक्षित महिलाओं की श्रम भागीदारी दर में गिरावट; ILO (2023) - भारत में महत्वपूर्ण वेतन अंतराल और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भेद्यता।

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार तालिका (अगले पृष्ठ पर देखे)

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करती है। वेतन असमानता पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है। यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करता है। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में केवल 8% सीईओ महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मानवाधिकारों के सिद्धांत, जैसे कि समानता, गरिमा, और स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को लागंकित करते हैं। UDHR और भारत के संविधान (अनुच्छेद 14, 15, और 21) लैंगिक भेदभाव को निषेध करते हैं। फिर भी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां इन अधिकारों के कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ:

1. **सामाजिक पूर्वाग्रह:** लैंगिक भूमिकाओं के पारंपरिक मानदंड (घरेलू जिम्मेदारियाँ महिलाओं की),'पुरुष कमाने वाला' मानसिकता।
2. **पॉश अधिनियम का कमजोर कार्यान्वयन:** आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की अनुपस्थिति/अप्रभावीता, पीड़ितों का डर, लंबी कानूनी प्रक्रिया।
3. **शहरी-ग्रामीण विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा/जागरूकता की कमी, परिवहन सुरक्षा चिंताएँ।
4. **सामाजिक रूढ़ियां:** पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं जो महिलाओं को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित करती हैं।
5. **नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** कई संगठनों में POSH समितियां केवल औपचारिकता तक सीमित हैं।
6. **जागरूकता की कमी:** कर्मचारियों और नियोक्ताओं में मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता की कमी।

परिचर्चा और सिफारिशें:

1. **कानूनों का सख्त कार्यान्वयन और निगरानी:** कोई भी कानून तब तक कारगर नही होते जबतक की उसका सही क्रियांवयन न किया जाय।
2. **सशक्तिकरण और समर्थन:** महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और करियर प्रगति कार्यक्रम को बढावा देना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षित शिकायत तंत्र सुनिश्चित करना। सभी के लिए लचीले कार्य मॉडल (FleÛi & hours, Remote work) को सामान्य बनाना।
3. **भारतीय विशिष्टता पर ध्यान:** ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्र: स्थानीय भाषाओं में जागरूकता, सुरक्षित परिवहन, सामुदायिक सहायता नेटवर्क। श्रमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना, मोबाइल आधारित शिकायत पोर्टल।

समाधान और नीतिगत सुझाव -

1. **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** वेतन पारदर्शिता को बढ़ावा देना और असमानता को दंडित करने के लिए कड़े नियम लागू करना। POSH अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण।
2. **जागरूकता और प्रशिक्षण:** कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना। कर्मचारियों को उनके मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
3. **विविधता और समावेश को बढ़ावा:** नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा या प्रोत्साहन। लचीले कार्य घंटे और मातृत्व/पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करना।
4. **तकनीकी और डेटा-संचालित समाधान:** लैंगिक भेदभाव की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग। कार्यस्थल की नीतियों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

निष्कर्ष - कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लैंगिक समानता न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। हालांकि, सामाजिक रूढ़ियां, नीतिगत कमियां, और जागरूकता की कमी इस दिशा में बाधाएं हैं। मजबूत कानूनी ढांचे, जागरूकता अभियान, और समावेशी नीतियों के माध्यम से कार्यस्थल को अधिक समान और मानवाधिकार-अनुकूल बनाया जा सकता है। भविष्य में, संगठनों और सरकारों को मिलकर इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि एक निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण बनाया जा सके। एक समावेशी कार्यस्थल केवल नैतिकता नहीं बल्कि यह व्यवसायिक बुद्धिमत्ता है। यह मानवीय क्षमता को पूर्णत: उजागर करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना किसी भी समाज के लिए मानवाधिकारों और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की वास्तविक कसौटी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ashoka University. (2019). India's Peculiar Paradox: Rising Education, Declining Female Labour Force Participation.
2. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) - Data on Female Labour Force Participation.
3. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford University Press.
4. Correll, S.J., Benard, S., & Paik, I. (2007). Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? American Journal of Sociology.
5. ILO India. (Various). Reports on Gender Equality in the Indian Labour Market.
6. International Labour Organization (ILO). (1951). Equal Remuneration Convention (No. 100).
7. International Labour Organization (ILO). (2023). Global Wage Report.
8. McKinsey & Company. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth.
9. Ministry of Labour and Employment, India. (2017). The Maternity Benefit (Amendment) Act.
10. Ministry of Women and Child Development, India. (2013). The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act.
11. National Commission for Women (NCW) - Reports on POSH Implementation.
12. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
13. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
14. World Bank. (Various Years). Women, Business and the Law Reports.
15. World Economic Forum. (Annual). Global Gender Gap Report.
16. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)- (2023)- Global Wage Report 2022&23.
17. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)- (2023)- Periodic Labour Force Survey.
18. संयुक्त राष्ट्र. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
19. भारत सरकार. (2013). यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH).
20. विश्व आर्थिक मंच. (2024). Global Gender Gap Report.

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार प्रभाव

लैंगिक असमानता का रूप	मानवाधिकार हनन	प्रभाव एवं परिणाम
वेतन असमानता	समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का अधिकार (UDHR Art, 23)	आर्थिक असमानता, वित्तीय निर्भरता, गरिमा का क्षरण।
भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह	समान अवसर का अधिकार (CEDAW Art, 11)	कांच की छत, कैरियर सीमित होना, प्रतिभा का अपव्यय, आर्थिक अक्षमता।
यौन उत्पीड़न	गरिमा, सुरक्षा, कार्य के सम्मानजनक वातावरण का अधिकार (POSH Act)	मनोवैज्ञानिक आघात, कार्य प्रदर्शन में कमी, करियर छोड़ना, डर की संस्कृति।
मातृत्व भेदभाव	गैर-भेदभाव, पारिवारिक जीवन का अधिकार (मातृत्व लाभ अधिनियम)	'मातृत्व अभिशाप', नौकरी छूटना, कैरियर ठप, आर्थिक असुरक्षा।
लचीले कार्य व्यवस्था का अभाव	कार्य-जीवन संतुलन का अधिकार (ILO कन्वेंशन)	देखभाल कर्ताओं (महिलाओं) पर असमान बोझ,कार्यबल से बाहर होना।
अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण	सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य परिस्थितियों का अधिकार	कम मजदूरी, लंबे समय तक काम, शोषण, सामाजिक सुरक्षा का अभाव (विशेषकर महिला श्रमिक)।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress

Raghvendra Joshi*

***Assistant Professor, Madhuban College of Law, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract :India is a developing country as it is on it's path of development the Increment in the crime rate is parallel to the success rate of this country .The offenders have found the new ways to commit the crime on of these new crimes is socio-economic offences these crimes affect the countries economy though there are penalties available for these crimes but they are increasing at a quick pace because the legal penalties are not harsh. This article deals with the History of socio-economic offences in the country as well as growth and their characteristics and impact of these offences and legal mechanisms and recommendations of different committees available to deal with them also the futuristic approach to prevent these crimes.
Keywords: Socio-economic offences , Legal Mechanisms, Economy, Committees.

Introduction - In the view of Blackstone, 'a crime is an act committed or omitted, in violation of a public law either forbidding or commanding it'. A crime is basicallyan act which a particular social group regards as sufficientlyharmful to its fundamental interests[1]. The offenses that impact a nation's social and economic circumstances are known as socio-economic offenses. Theyhave a wide-range impact on many people. It has an impact on society's morals and social well-being. This kind of crimes effect the nation's economy as well. In socioeconomiccrimes, mensrea is not strictly necessary. These crimes include, for instance, tax evasion,food and drug adulteration, black marketing, medical malpractice, etc. Socioeconomic offenses and white collar crime are thought to be interchangeable.

Socio-Economic Offences In India Throughout History : During the vedic period the society was based on agriculture and cattle most commonly committed socio-economic offence in that era was usury(Excessive interest) which was charged by the moneylenders on loan in the Mughal era the mughal's introduces mansabdari system the officials were corrupt and extorted peasants and merchants under the reign of Aurangzeb. Aurangzeb also increased tax on agricultural produces which led to the non-muslims and the lower caste person also face social and economic injustice which included low wages and forced labour also merchants started adulteration of goods and also started using false weights to cheat the customers .The scarcity of essential commodities and dishonesty gave rise to socio-economic offences in the country after world war 2nd the division of the society also led the emergence in the nation also the few forms of economic offences emerged as a result of the quick industrialization . In order to obtain illicit financial benefit a group of people indulged themselves in the activities of manipulating accounts and misuse of governments license and permits to obtain illicit financial gains .

Characteristics of Socio-Economic Offences :

a) These crimes are graver in nature than the traditional offences as the traditional offences only health and material welfares of an sole personality but the offences crumbles the social fabric and economic structure of the nation .
b) These motive behind these offences is greed of money and not hate or lust like the traditional offences.
c) These method of committing these offences are fraud or either misrepresentation the act is deliberate and willful .
d) These offences are done by the offenders during the course of their business , trade or profession.
e) The socio-economic offences emerges from the corrupt mind unlikely the traditional offences which emerges as outcome of guilt and criminal mind .

Legal mechanisms to combat Socio-Economic Offences in India

a) Drugs and Cosmetics Act 1940 : Section 13 of this act punishes the offence committed under section 9a , 9b and 9d which are related to adulteration of drugs , spurious drugs and spurious cosmetics or any cosmetic referred in

clause (ee) of section 10 of this acr with imprisonment for a term which may extend to 10 yeardsand fine wwhich may extend to 5 thousand rupees .

b) Prevention of Corruption of Act : Section 7 of this act punishes a public servant who accepts bribe with imprisonment which is not less than 3 years but which may extend to 7 year and a fine .The investigation process for corruption cases is given under section 17 of this act which says that in the case Delhi special police establishment of an Inspector of Police, in the metropolitan cities Calcutta , Madras , Ahmedabad , Bombay and in any other metropolitan area by assistant commissioner of police or for any other place by deputy commissioner of police or officer of equivalent rank can investigate any offence without metropolitan magistrate or magistrate of first class order and make a arrest without warrant but no official other than who is approved can conduct investigation or arrest without obtaining order from metropolitan magistrate of first class.

c) Essential Commodities Act 1955 : Section 7 of this act is provides penalty for contravention of any order made under section 3 of this act where order is made with reference to clause(h) or clause(i) of sub-section(2) is punishable with imprisonment which may extend to 1 year with fine and in case of any order imprisonments hall not be less than of 3 months but can extend to 7 years with fine.

Dowry Prohibition Act 1961 : sub-section (1) of section 3 of this act punishes any person who gives or takes or abets giving or taking dowry with imprisonment of which shall not be less than 5 years and also with fine shall not be less than 15000 rupees or amount of value of dowry whichever is more if the court has punished the offender with imprisonment of less than 5 years then it must record special reasons in judgement. Section 7 of this act provides that no court inferior than of judicial magistrate first class or metropolitan magistrate shall try offence committed under this act . Section 8b of this act provides the appointment of dowry prohibition officers by the state government the officers appointed under this section shall have powers and functions which are to see that provisions of this act are compiled.

Reports of the Committees To Combat Socio-Economic Offences

a) Mitra Committee Report 2001 : The committee was set up by the reserve bank of India under the chairmanship of N.L Mitra the committee submitted it's report on 31 august 2001 the committee recommended to set up separate institution to investigate serious financial frauds also suggested to amend the Indian penal code 1860 and to include definition of financial fraud and it's punishment and amendment in evidence act of 1872 for presumption for presumption of intention of the party or parties committing or abetting financial frauds the committee suggested that there should be a separate act to deal with financial frauds should be dealt with financial frauds and said that serious financial frauds should be dealt on the basis of criminal justice act 1978 of united kingdom the committee further suggested to set up separate institution to deal with financial frauds and establishment of office of director and multi-disciplinary under his chairmanship and the committee recommended the set up of special court with judges well versed in the economic system , regulatory mechanism and marked function to try the accused who has committed financial fraud to provide speedy justice in the case of serious financial frauds.

b) Mashelkar Committee Report on Spurious Drugs 2003: The committee was formed under the chairmanship of Dr R.A Mashelkar the committee consisted prominent lawyers , renowned scientists and retire police commissioners as it's member the controller general drugs (India) acted as member secretary and drug manufacturers , consumers and professional associations were also inducted as members. The committee recommended new structure for the drug regulatory system the committee identified certain problems in regulatory system due to non-uniformity of enforcement , shortage of drug inspectors inadequate testing facilities , non-existence of data bank and non-availability of information. The committee also recommended measures to strengthen drug regulatory infrastructure in centre and state the committee said the restructured central drug administration should have 10 main division at headquarters having adequately trained manpower the committee also suggested that the central drug administration should be made and independent office under ministry of health and family welfare.

c) The National Law Commission 47thReport : The report of the committee recommended to exclude probation in the socio-economic offences and also suggested the state suggested the state instrumentalities engaged in the investigation , prosecution and trial of socio-economic offences must stick to the philosophy which considers economic offences as gave threat to the material wealth of the country .

Impact of Socio-Economic offences in India :

a) Loss of Public Faith : The offences lead to the loss of public faith in country's financial system people withdraw their money from the market and are afraid to re-invest it which leads to the downfall of economic growth of the country.

b) Foreign Investments : The foreign investors are less likely to invest the money in the country where socio-economic offences are committed and also pull out their invested money from the countries market.

c) Strain on the Government Resources : The offences put a strain on the government funds and efforts because the investigation procedures in these crimes is very typical the funds used to investigate these crimes could have been used for the welfare of the public these crimes leads to the devastating impact on the nations economy and discourages investors from investing their money in the

market this makes a long term impact on the national economy .

Conclusion & Suggestions : The socio-economic offences have become a grave danger for the country as they destabilizes the economy of the nation and also brings inequality in the society these offences effect the countries growth and are increasing at a very rapid pace there is need to use the modern technology to investigate these crimes and need to draft strong legislations to punish the offenders who commits socio-economic offences these crimes can also be combated by educating countrymen's and promoting institutional reforms the society must be made aware of these crimes and media and the educational institutes have a crucial role in this in this the combat against socio-economic offences can only be won with the help of all sectors of the society by this India will able to prevent the socio-economic offences and will see economic growth and equality in the society also the provisions for the death penalty should be introduced for the white-collar criminals as suggested by justice V.R Krishna Iyer .

References :-

1. **Dr. Krishna pal Malik (2012) "Penology, Victimology and Correctional Administration" :**Described the report of 47th law commission in brief and also describe about types of socio-economic offences.
2. **S.N Mishra (2020) (22nd Ed) " Indian Penal Code" :** Discussed the characteristics of socio-economic offences.
3. **Ajay Pratap Singh Chauhan (2022) " Socio-Economic Offences in India An Analytical Study" :** Described the ancient history of socio-economic offences in India.
4. **Sumanpreet Kaur (2023) " Socio-Economic offences" :** Described the types of socio-economic offences and history of socio-economic offences in post-independent India.
5. **Dr. V Thangavel (2023) "The Repercussion of Economic offences in India " :**Discussed the Impact of Socio-Economic Offences.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of Tilapia Mossambica Caused by Herbicide 'Pursuit'

Dr. Kamlesh Ahirwar*

***Assistant Professor (Zoology) J.H.Govt.P.G. College, Betul (M.P.) INDIA**

Abstract: Histochemical reaction of PAS-Test for carbohydrate accumulation on the gills of fingerlings of T. Mossambica under control and treated condition gave different responses. Rich amount of carbohydrate content was present in the gill lamellae where as gradual reduction of carbohydrate content were noticed in Pilastor and epithelia cells when 63.7 PPM Pursuit given for 15 days. When dose were continued for 30 days period much decreases of carbohydrate content was observed in different part of gills.
Keywords: Histochemical, PAS-Test, Gill, Pursuit, Toxicity, Fingerlings, Alterations.

Introduction - Any changes in water component of an ecosystem adversely affects the entire ecosystem resulting many organisms to death or extinction. The pollution of aquatic environment by pesticide adversely affect the survival of aquatic organisms including cummercially important fish species (Johnson Pesticides which have been classified in 1973). Various ways amongst which herbicides are a class which specifically targeted to destroy weed is a very familiar economical poison used in agricultural fields. However the uses of such pesticides in excess of the recommended dose. Ultimately entering the water bodies have a fatal effect on fish (Metelev et.al. 1983).

The test herbicide pursuit falls in the category of carbamate extensively used for the control of weeds in Soyabean and groundnut crops. In early investigation it was established that the developmental stages of fish viz fries and fingerlings are more susceptible to the toxicants. Early life stages are more susceptible to toxicant exposure (Richen Back, 1972; Mckim, et.al. 1977; Rozik et.al. 1983; Nakano, et.al. 1995). As they are immature adult forms in its outward appearance having undeveloped repreoductive organ and delicate organ system.

Hence an attempt was made to study the chronic histochemical alterations of pursuit induced gills of T. Mossambica fingerlings.

Material and Method : Living fingerlings of fresh water teleost Tilapia mossambica were collected from the local fish form and kept in glass aquaria for acclimatization. After determining LC50 (0.51 ml/g) fingerlings were exposed to 63.7 PPM concentration of Pursuit for 15 and 30 days respectively. The LC50 value were read to 50% survival (Duodroff, et.al. 1951).

After specific interval like 15 and 30 days specimen of aquaria were taken out and dissect the tissue - washed in saline water and fixed in 10% neutral formaline and processed for histochemical evaluation using periodic Acid Schiff's (PAS) staining for carbohydrate (Manus, 1948).

Result and Discussion : Histochemical stain viz. PAS Test gave good result for estimating the distribution and accumulation of biochemical components in the tissue. These aspects on gills are studied by few researchers only viz. Neeraja & Rao (1988), Kothari & Saxena (1989), Singh (1993), Gnathy et.al. (1994), Tilanthe (2000), Kasotiya et.al. (2004).

Gills of untreated (control) fingerlings show strong positive reaction towards PA/S Test in the cartilagenous part of gill arch and primary gill lamellae. Epithelial and acidophilic cells exhibited moderate positive reaction with PAS test (Fig.-1).

After 15 days exposure of 63.7 PPM Pursuit caused reduction in carbohydrate content of gill tissue. Weak positive reaction was observed in cartilagenous part of primary gill lamellae. Acidophilic and epithelial cells were also exhibited weak positive reaction (Neethirajan K. and Mathavam S. 2004) (Fig. 2). Long term exposure of 63.7 PPM Pursuit decrease the carbohydrate content in different part of gill when his exposure was continued for 30 days. Heavy reduction observed in the carbohydrate content in comparison to the controlled gill in which pilaster cells, blood capillaries were shown weak positive reaction, feeble reactions were noticed in primary and secondary gill lamellae (Fig. 3). These results were inconformity with the findings of Anita et.al. (1997), Mehrotra et.al. (2004); Kasotiya and Vyas (2004)

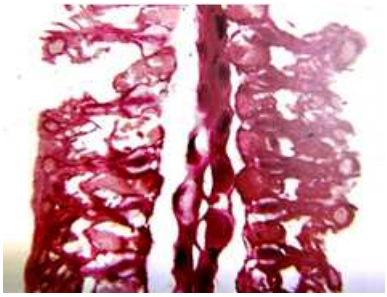

Fig.-1 - Photomicrograph of T.S. of gills of control Tilapia mossambica fingerlings stained with PA/S - Test x 400.

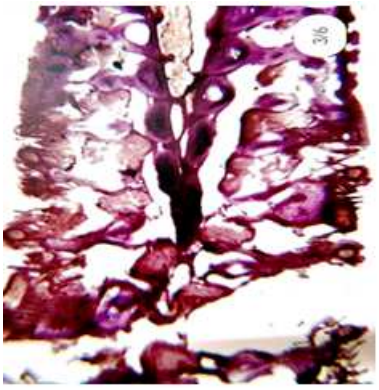

Fig.-2 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 15 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.

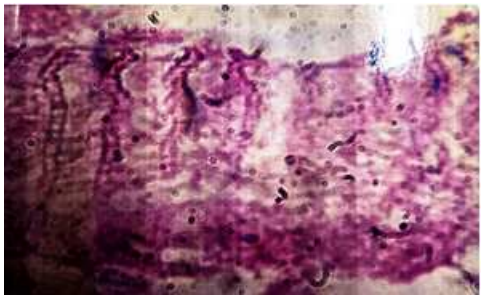

Fig.-3 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 30 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.

References:-

1. Anita Kumari, S. and Shree Ram Kumar, N. (1997) : Effect of Polluted water on histochemical localization of carbohydrate in Channa Punctuates from Hussain Sagar lake (A.P.) Poll.Res. 16(3), 197-200.
2. Kasotiya, S. (2004) : Effect of Malathion on histochemistry of Protein in Oesophagus of Channa gachua, Indian J. Applied and Pure Biol. Vol. 19(3); 367-370.
3. Kothari, S. and Saxena, G. (1989) : Histopathological and histochemical studies on the gills of Pontius Sophore exposed to cadmium chloride. J. Hydrobiol, 1:1-7.
4. Momus, J.F.A. (1948) : Histological and Histochemical uses of periodic acid stain technology, 23; 99-108.
5. Makim, J.M. (1977) : Evaluation of tests with early life stages of fish for predicting long term toxicity. J. fish, Res.Bd.Can. 34; 1148-1154.
6. Mehrotra, A., Singh S. and Khare, S. (2004) : Copper sulphate induced histochemical changes in the intestine of fresh water fish Nandus Nandus - Indian J. Applied and Pure Bio. Vol. 19(3), 371-374.
7. Metelev, V.V., Kanaer A.I. and Dzasokhova, N.G. (1983) : Water toxicology, Amerind Publ.Co.Pvt.Ltd. New Delhi, 7.
8. Neethirajan, K. and Mathavan, S. (2004) : Submidon induced changes on some aspects of metabolism in the tissues of the fresh water cat fish mystics vitiates J. Exp. Zool. India Vol. 7, No. 2, PP 279-283.
9. Neeraja, P. and Rao, C.S. (1988) : Metabolic alteration in Tilapia mossambica on chronic exposure to ambient ammonium ulphate.
10. Rojik, J., Nemcsok, J. (1983) : Morphological and Biochemical studies on kidney and gill of fishes effected by pesticides. Acta.Bio. Hungaria, 34(1), 81-92.
11. Singh, R.K. (1993) : Pesticidal effect of the gills, liver and Kidney of a fresh water tallest Cyprians cardio, Ph.D. Thesis, B.U., Bhopal.
12. Tilanthe, R. (2000) : Toxicological studies on the histological and histochemical changes in gills and kidney of fingerlings of carmine mrigal Ph.D. Thesis, B.U. Bhopal.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level Cricket Players

Tarun Rawat* **Rahul Barod**** **Pooja Rawat*****

***Sports Officer, Swami Vivekananda Govt. College Budhni, Sehore (M.P.) INDIA**
****Sports Officer, Shri Raj Rajendra Jayantsen Suri Siksha Mahavidhyalaya, Ujjain (M.P.) INDIA**
*****Physical Education Teacher, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract: Background: In cricket, aerobic capacity (VO2 max) facilitates sustained performance across extended match lengths, recuperation in between overs, and repeated sprint ability. VO2 max may be impacted by age, training age, and role-specific demands (quick bowling vs. spin, batting vs. fielding effort).
Objective: To compare the aerobic fitness between Under-22 and Senior (≥22 years) male division cricket players.
Methods: The purpose of this study was to compare the aerobic fitness (VO2 max) of division level male cricket players. There was 35 (N=35) trained male division level cricketers chosen for this study from Narmadapuram Division Cricket Association (NDCA), Madhya Pradesh, India. Researcher were selected 02 active cricket groups (a) U-22 Boys {n=18} (b) Senior Boys {n=17}. An estimation of VO2 max was calculated from the test results, using YO-YO Intermittent Recovery level-1 (YYIR1 test): (mL * kg^{-1} * min^{-1}) = IR1 distance (m) × 0.0084 + 36.4.Normality was checked by using skewness and kurtosis value in descriptive summary;group differences tested with independent t tests.
Results: Both groups displayed marginally similar mean values and significantly similar VO2 max. The study also revealed that VO2max of male cricket players of selected groups was in average range according to the norms and earlier research.
Conclusion: Differences in VO2 max between U-22 and Senior Boys division level players appearedsimilar. Conditioning programs are almost sameand prioritize aerobic maintenance in seniors and U-22 Boys development might be the reason behind same results.
Keywords: VO2 max, cricket, aerobic fitness, YO YO test, physiology.

Introduction - Cricket requires a special blend of sustained low-to-moderate intensity exercise (fielding, extended batting innings, multi-day matches) and sporadic high-intensity efforts (sprinting, repetitive run-ups for fast bowlers). Performance and recovery in all formats (T20 to multiday) are aided by adequate aerobic capacity, which promotes phosphocreatine resynthesis, lactate clearance, and thermoregulation. U-22 players' VO2 max may be impacted differently than senior players' due to age-related physiological changes and cumulative training experience. Comprehending these distinctions can help direct workload periodization, talent transition planning, and conditioning.

These days, sports sciences are crucial to the growth of physical education programs and sports in every country. It is commonly recognized that industrialized nations have made great progress in these fields. Fitness testing is crucial in cricket to assess player development, guide training plans, and maximize performance. By assessing young athletes, coaches can identify players who have special physical attributes that might help them succeed in cricket. Fitness testing may provide a precise picture of a player's current physical condition. Regular fitness testing allows athletes and coaches to track their development over time.The YO-YO test is one of the most important tests used in Cricket to evaluate the players' fitness and endurance performance. The test acts as a selection criterion in countries such as India, New Zealand and Australia, etc. For instance, to make it into the national cricket team of India, the players must attain a cut off fitness level of the YO-YO test which is set at 16.5.

One of the most crucial ele ments of physical fitness in cricket is aerobic fitness (VO2max) (Da Silva et al., 2008; Nikolaidis, 2011; Noakes and Durandt, 2000). According to Noakes and Durandt (2000), cricket players who have optimal level aerobic fitness (VO2 max) are better able to sustain repetitive high-intensity actions during a match, speed up their recuperation, and keep their physical condition at its peak throughout the game and season.

1.1 Objectives

Primary Objective: To compare the aerobic fitness by using VO2 max ($mL \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$) between U-22 and Senior male division-level cricketers.

Secondary Objectives:

1. To assess the aerobic fitness of senior male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.
2. To assess the aerobic fitness of U-22 male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.

1.2 Hypotheses

H1: There will be significant difference in aerobic fitness of U-22 and senior male division- level cricketers.

2. Methods

2.1 Participants

- **Eligibility:** Male cricket players from division squads of Age 17–21 for U22; ≥22 for Senior group. Subjects must involve for minimum 3 years structured training.
- **Sampling & Sample Size:** The researcher usedstratified sampling by division cricket team groups. Total 35 male cricket players has been selected for the study, n = 18 from U-22group and n = 17 from Senior group.

2.2 Procedures

2.2.1 Fitness Test Procedure (YO YO IR Level-1)

Standardized warm up time given to the players for half an hour before actual testing; cones 20 m apart with 5 m recovery zone; and sound speaker placed with audio pace of YO-YO Test application. All subjects were given the opportunity to take the trial if they wanted to. Yo-Yo Recovery level-1 test has been used to assess aerobic fitness and to calculate VO2max of the players. If the line was not reached before the beep sound, the subject was warned and instructed to get there. Test participants are given a maximum of two warnings. Two more 'beeps' were to be heard, and they were to turn and try to keep up. The test must finish if the individual misses the line (within 2 meters) on two different ends after being warned.

2.2.2 Scoring. Convert to VO2 max estimate using validated equations. The total distance travelled before the athlete lost the ability to keep up with the recording is their score. VO2 max (ml/min/kg) estimation formula based on Yo-Yo IR1 test data. (not a substitute for lab VO2 max)

2.2.3 Calculation of VO2 max: For the **Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IR1),** VO2 max can be estimated from the total distance covered using the regression equation by **Bangsbo et al.**

The formula is:

VO2 max = 36.4+(0.0084 ×YYIR1 distance in meters)

2.3 Statistical Analysis

- **Software used for data analysis:**Microsoft Excelwas used for analysing the data.
- **Pre processing:**The descriptive approach is used to assess the assumption of normality of data and for screening for outliers. Both group's skewness and kurtosis values fall between -1 and +1. The thumb rule indicates that the data has a normal distribution. So that we can go for parametric tests. Additionally, descriptive statistics are used to analyse data in order to determine variance, mean, and standard deviation.
- **Comparative Analysis:** Independent t-test was used to compare aerobic fitness of both selected groups i.e. U-22 and Senior male division level cricket players. As groups are unequal in numbers therefore two-sample assuming unequal variances analysis was used to analyse the difference between both groups.

3. Results:

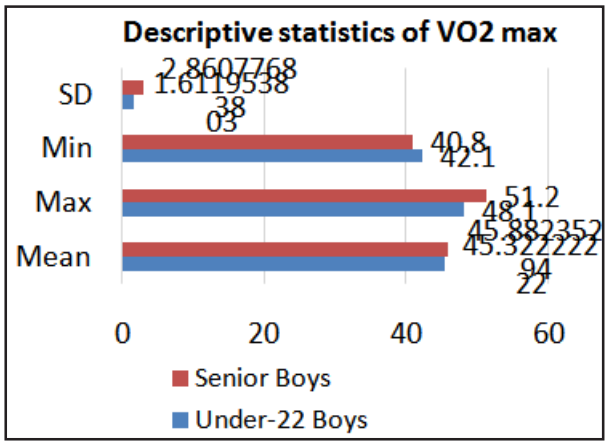

Above graph depicts that the mean values of VO2 max are almost similar 45.32 and 45.88 (ml/kg/min)of U-22 and Senior male division level cricket players respectively of Narmadapuram Division Cricket Association. Graph also shows the maximum and minimum values of VO2 max in both groups separately. U-22 male cricket players found 48.1 maximum and 42.1 minimum VO2 max, However, Senior male cricket players group found 51.2 maximum and 40.8 minimum VO2 max. Standard deviation of senior group found 2.86 greater than U-22 group i.e. 1.61.

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances		
	Senior	**U-22**
Mean	45.88235294	45.32222222
Variance	8.184044118	2.75124183
Observations	17	18
Hypothesized	0	
Mean Difference		
df	25	
t Stat	0.703323848	
P(T<=t) one-tail	0.244176429	
t Critical one-tail	1.708140761	
P(T<=t) two-tail	0.488352859	
t Critical two-tail	2.059538553	

The table shows the comparative analysis of aerobic fitness with VO2 max level in both groups by using Yo-Yo IRL-1 aerobic fitness test. For data analysis by using MS Excel software after applying two sample unequal variances researchers found P value for two tail 0.48. As P value is greater than 0.05.

Therefore, we can conclude that there was no significant difference in aerobic fitness of both selected groups. It shows that U-22 and senior male division-level cricket players of the Narmadapuram division have similar aerobic fitness (VO2 max).It was also found that VO2 max of male cricket players of the present study was in average range when compared with the VO2 max norms reported by Robert (2012).

4. Discussion : According to the current study, there was not a significant difference in the aerobic fitness (VO, max) of male cricket players in the Under-22 and Senior divisions. This implies that aerobic capacity at this competitive level may not be determined solely by age group. Rather, the maintenance of cardiovascular fitness across age groups may be more significantly influenced by regular training exposure, role-specific demands, and total playing experience. The findings show that the aerobic profiles required for the demands of modern cricket are similar for U-22 and senior players.In order to determine if role demandsrather than ageaccount for variations, future research should evaluate aerobic fitness across playing roles (batters, fast bowlers, spinners, and wicketkeepers).

Acknowledgement: We would like to thank ***Mr. Anurag Mishra [Honorary Secretary, NDCA]*** for his valuable support in facilitating data collection and providing assistance throughout the research process. We are also grateful to *entire division association team* for their kind cooperation and help in completing this study.

References:-

1. https://www.researchgate.net/publication/374477882_Comparison_of_Aerobic_Fitness_VO_2max_of_Cricket_ Players_on_Basis_of_Their_Playing_Positions
2. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/13761/8/08_chapter%201.pdf
3. Bangsbo J, Iaia FM, Krustrup P., The Yo-Yo Intermittent Recovery Test A Useful Tool for Evaluation of Physical Performance in Intermittent Sports, Sports Med 2008; 38 (1): 37-51.
4. Draper, N. and Whyte, G (1997) Here's a new running-based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance, 97, p. 3-5
5. https://www.topendsports.com/testing/tests/rast.htm
6. https://ijcrr.com/article_html.php?did=3685&issueno=0
7. https://fieldhockeybc.com/wp-content/uploads/2018/08/Fitness-Test-Protocol_2018.pdf
8. https://journals.lww.com/nscajscr/Fulltext/2010/11000/Physiologic_Profile_of_Professional_Cricketers.3.aspx?utm_source=chatgpt.com
9. https://www.researchgate.net/publication/308271006_VO2max_assessment_in_athletes_A_thorough_method_comparison_study_between_YoYo_ test_and_ direct_measurement

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि

अश्वनी* डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

*** शोधार्थी (संस्कृत व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत**
**** विभागाध्यक्ष (व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत**

शोध सारांश – विभक्तं सर्वं विश्वं व्यक्तिं समग्रं च द्विधा। अयं संसारः चराचरः, दृश्यमानः अदृश्यः, सूक्ष्मदर्शी, बृहत इत्यादिभिः तत्त्वैः निर्मितः अस्ति। अस्य केचन मूलभूततत्त्वानि, केचन सामान्यतत्त्वानि च सन्ति। यावत् लोकसंस्कृतेः विषयः अस्ति तावत् अस्मिन् अनेके घटकाः तत्त्वरूपेण समाविष्टाः सन्ति। लोकशब्दः एव तत्त्वसमूहं वाचयति। अस्य विविधता, एकता, बहुलता च अस्ति। रूप, वर्ण, जाति, स्वभाव, संस्कार, शरीर संरचना, व्यवहार, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार–पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, साहित्य, कला, लोकमनोरञ्जन आदि सर्वेषु लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि सन्ति।

लोकसंस्कृतिः स्थानं, कालः, परिवेशः, प्रकृतिः, धर्मः इत्यादयः मुख्यतत्त्वेषु आधारितः अस्ति। समाजशास्त्रज्ञाः मन्यन्ते यत मनुष्येण भौतिकजगति स्वस्य आवश्यकतानां पूर्तये, सुरक्षायाः कृते, कालान्तरेण निर्मितस्य धरोहरस्य च कृते ये सम्झौताः कृताः, ते अस्माकं संस्कृतिस्य मूलभूताः कारकाः सन्ति। लोकसंस्कृतिः बहुवर्णीयः पटः इव अस्ति यस्मिन् विविधवर्णसूत्राणां प्रयोगः भवति। लोकाचाराः परम्पराश्च बहुविधाः बहुवर्णाः च सन्ति। संक्षेपेण बहुवर्णजीवनं यथार्थजीवनमिति चेत्, तर्हि अतिशयोक्तिः न भविष्यति।

शब्द कुंजी – प्रकृतिः, विविधतायां एकता, मानवता सहिष्णुता च, आध्यात्मिक विकासः, सत्यत्वम् ।

प्रस्तावना – लोकसंस्कृतेः अनेके विद्वांसः लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि स्पष्टीकृतवन्तः। भारतीयऋषयः अध्यात्मं, आस्था, धर्मः, शुद्धजनव्यवहारः इत्यादयः लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि इति मन्यन्ते। सर्वेषु प्रकृतिः अग्रणी अभवत। लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि–

प्रकृतिः– प्रकृतिः लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम् अस्ति। जन्मतः मृत्युपर्यन्तं प्रकृतेः अङ्के वसति, विविधानि कार्याणि च करोति मानवः। मनुष्यः द्विविधवातावरणे निवसति, एकं प्राकृतिकं अपरं मानवनिर्मितं कृत्रिमम्। प्राकृतिकपर्यावरणविघ्नानाम् सामना कर्तु आवश्यकतानां पूर्तये च मनुष्यः अनेकानि समाधानं प्राप्नोत्, प्राकृतिकसंसाधनानाम् उपयोगं कृतवान्, कालान्तरेण तान् अग्रिमपीढीं प्रति स्थानान्तरितवान। एवं प्रकारेण एतत् वंशजं पुस्तिकाभ्यां वंशवस्तुभूतम्। समस्तस्य जगतः संस्कृतिः वनपर्वतनदीसमुद्रादिसमीपे आरब्धा। एतत् सर्वं लोकसंस्कृतिः इति वक्तुं अनुचितं न स्यात। अद्यत्वे अपि आदिवासीसंस्कृतौ प्रकृतेः मौलिकतत्त्वानि स्पष्टतया दृश्यन्ते।

प्रकृतिः किम् ? ये तत्त्वानि अस्माकं परितः प्रसृतानि सन्ति येषां प्रजापतिः ईश्वरः, ते प्रकृतिः इति उच्यन्ते। प्रकष्ट रूपस्य कृतिः प्रकृतिरिति कथयते।वैसे प्रकृति इत्यपि प्रकृति इत्यर्थः। हिन्दी–संस्कृत–आङ्ग्लादिभाषा–लेखकैः प्रकृत्याः ये तत्त्वानि गृहीताः ते सन्ति – नदी, वनम्, समुद्रः, पर्वतः, भूमिः, आकाशः, वृक्षः, वनस्पतिः, सौरमण्डलम्, अहोरात्रि इत्यादि।

प्रकृतिपूजा लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम्–अस्माकं तीर्थयात्राः उत्सवाः च प्रकृतिपूजायाः प्रतीकाः सन्ति। प्रायः सर्वाणि तीर्थयात्राः नदीतीरेषु पर्वततीरे वा भवन्ति। सर्वे उत्सवाः कस्मिन्चित ऋतौ वा अन्यस्मिन् वा पतन्ति। तेषां विशेषः अस्ति यत् ते मनुष्यस्य हृदयं प्रत्यक्षतया प्रभावितं कुर्वन्ति। शरदपूर्णिमायां प्रकृतेः सौन्दर्यं मनोहरं भवति। वसन्तऋतुवर्णनं श्रेष्ठम्। वसन्तसौन्दर्यं सर्वत्र राज्यं करोति। अस्माकं विजयदशमी, दीपावली, होली इत्यादयः उत्सवाः अस्माकं जीवने नवीनशक्तिं प्रविशन्ति। एते सर्वे आनन्दं जनयन्ति, परस्परं सुखस्य सद्भावनायाश्च सन्देशं च आनयन्ति। अध्यात्मः भारतीयसंस्कृतेः आत्मा, निधिः च, सम्पूर्णे विश्वे नूतना दिशां दत्तवती अस्ति। ब्रह्मचार्यशब्दस्य पर्यायः अन्यस्मिन् विदेशीयभाषायां न दृश्यते। अस्य अर्थः एतावत् विस्तृतः यत् जीवनस्य प्रत्येकं पक्षं प्रभावितं करोति। एषः एव भारतीयसंस्कृतेः मूलभूतः आदर्शः अभवत् भारतीयजीवनस्य मुख्यं वैशिष्ट्यं स्वच्छतायाः नियमाः इत्यादयः सन्ति प्रत्येकं भोजनात् पूर्वं स्नानं भोजनानन्तरं गार्गलं करणं, परस्परं प्रयुक्तपात्रेभ्यः जलं न पिबितुं भोजनं न खादनं च, एतानि सर्वाणि वस्तूनि केवलं भारते एव दृश्यन्ते। अन्येषु संस्कृतिषु कान्तेन सह अर्धं, प्रियेन सह अर्धं भोजनं च फैशनम् अस्ति।

विविधतायां एकता–अस्माकं भारतदेशस्य विशेषः अभवत् लोकसंस्कृतेः स्थितिः अपि तथैव अस्ति। जगतः अर्थः नानात्वम्, किन्तु सर्व्वं नानातत्त्वं सामञ्जस्यं कृत्वा एकं भवति। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम्–

वेदः विभिन्ना, स्मृतयोर्विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मार्टिनाभिन्नम् ।
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायन, महाजनो येन गातो स पंथा ॥

देशस्य भिन्नाः प्रान्ताः, भिन्नाः वातावरणाः, भिन्नाः जलवायुः, विविधाः भूभागाः च सन्ति। क्वचित् पर्वताः क्वचित् वनानि क्वचित् समतलं कुत्रचित मरुभूमिः। केषुचित् स्थानेषु रूक्षभूमियुक्ताः क्षेत्राणि दृश्यन्ते। एतादृशे परिस्थितौ राम–कृष्ण–सीता–सावित्री–नाम्ना जनानां नामकरण–संस्काराः विविध–प्रकार–आचरण–वेष–पर्व–जीवनशैल्याः च भवन्ति स्म। जैन, बौद्ध, शैव, शवत, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई आदि विभिन्न धर्म अनुयायिनः एकत्र वसन्तः आगताः सन्ति। काले काले ये विग्रहाः भवन्ति ते धार्मिकविमर्शेषु एव सीमिताः सन्ति। न कश्चित् परस्परं नाशं कर्तु प्रयतितवान् भारतस्य उदारपरोपकारः, शरणार्थीनां प्रति प्रेम च विदेशिनां, अन्यधर्मानुयायिनां च

अत्र शान्तिं सुखं च वसितुं आश्रयं दत्तवान्।

मानवता सहिष्णुता च– मानवताया: सहिष्णुताया: च मूलभूततत्त्वानि भारतीयलोकसंस्कृतौ रत्नमुक्तिवत् तारितानि सन्ति। दया, साहाय्यम्, अहिंसा, क्षमा, एते सर्वे मानवताया: सहिष्णुताया: च पर्याया: सन्ति। मानवता मानवता च अतीव दुर्लभानि तथ्यानि सन्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ जनकत्याणस्य भाव: अस्या: लोकसंस्कृतौ मानवता पूर्णतया समाविष्टा इति तथ्यस्य प्रमाणम् अस्ति। अज्ञातव्यक्तिं शरणं दत्तवा, यथाशक्ति साहाय्यं कृत्वा, सर्वेषां दु:खेन दु:खं अनुभवन्, यदि एषा मानवता न भवति तर्हि किम्? संस्कृतसाहित्ये प्रार्थनायां मानवताया: विषये चर्चा कृता अस्ति–

स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:।
गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तुश

तस्मादपि–

काले वर्षत, पर्जन्य: पृथ्वी सस्य शालिनी।
देशोऽयं क्षोभ रहितो स्यात् ब्राह्मणों सन्तु निर्भया: ।।

एषा स्वस्तिभावना मानवताया: एव सूचकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्राणां मन्त्रा: अपि मानवताया: आपूर्ति: भवन्ति। स्वस्तिपाठमपि मानवकत्याणस्य निरपेक्षतया क्रियते। उदाहरणं प्रस्तुतम्– .

ओइम् स्वस्ति न: इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
स्वस्ति नस्तक्षर्यो: अरिष्ट नेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।

प्रस्तुते स्वस्तिपाठे न: प्रयुक्त: यस्य अर्थ: 'वयं सर्वे' इति। यतो हि लोकसंस्कृति: विकासं इच्छति, तस्या: स्वभाव: रचनात्मक:, न तु विनाशकारी, अत: मानवता तस्या: मूलतत्त्वम् अस्ति। मानवताया: अनन्तरं सहिष्णुताया: प्रश्न: आगच्छति। मानवता सहिष्णुता च परस्परं पूरकौ स्त:। अस्माकं संस्कृतिषु सहिष्णुता व्याप्तिपर्यन्तं पूरिता अस्ति। सहिष्णुताया: कारणात् माता पृथिव्या: उपमा कृता अस्ति, परन्तु वर्तमानसभ्यतायां बालका: परिचारिकाभि: पालिता: भवन्ति। ता: मातर: मातर: मातर: इति वक्तुं शक्यन्ते – ते मातृत्वस्य पूर्णतां न प्राप्नुवन्ति। मातृशब्द: अतीव विस्तृत:, आदरणीय: च अस्ति।

सहिष्णुताया: मुख्यतत्त्वानि अस्माकं परम्परासु, धर्मेषु, कर्मसु, देवदेवतादिषु च चित्रितानि सन्ति। सहिष्णुताया: मूलतत्त्वं प्रकृतौ अपि प्राप्यते। तूफानस्य समये ये वृक्षा: वनस्पतय: च नमन्ति ते उद्धारिता: भवन्ति, ये बृहत वृक्षा: तेषां कठोरतायां स्थिरा: तिष्ठन्ति ते भग्ना: भवन्ति।अस्माकं विषये किमपि अस्ति यत् अस्माकं अस्तित्वं न क्षीणं भविष्यति, अस्य पृष्ठत: उदारताया: सहिष्णुताया: च गुण: अस्ति। अनेकप्रहारानाम् सामना कृत्वा अपि अस्माकं लोकसंस्कृति: सर्वोत्तामा अस्ति। वयं प्राणिनां मध्ये सद्भावनाया:, विश्वकत्याणस्य च विषये वदाम:। पूजानन्तरं विजयनारासु घोषणासु च एतत् वस्तु प्रमुखतया दृश्यते– प्राणिनां मध्ये सद्भावना भवतु। जगत: कत्याणं भवतु।

आध्यात्मिक विकास:–कस्यापि देशस्य लोकसंस्कृतौ स्थानीयपर्यावरणेन सह आस्था इत्यादय: तत्त्वानि सन्ति, देशसमय:, रीतिरिवाजा:, विश्वासा: इत्यादय: सन्ति। लोकसंस्कृतौ य: बृहत्ताम: तत्त्व: दृश्यते स: धर्म: अस्ति। धर्मस्य पक्षद्वयं भवति– एक: लौकिक: अपर: अलौकिक:। उभयो: परस्परनिर्भर: सम्बन्ध: अस्ति। परलोकस्य नाशभयात् मनुष्य: यथाशक्ति विनाशकारीहिंसककर्माणि कर्तु असमर्थ: भवति, धार्मिकाचरणं च तस्य स्वभाव: भवति। परलोकसम्बद्धानि सर्वाणि वस्तूनि आध्यात्मिकता उच्यन्ते। अध्यात्मस्य अर्थ: अतीव विस्तृत: व्याप्ति: च विशाल: अस्ति। अनेके मुनय:, साधव:, महापुरुषा:, पण्डिता: च स्वविवेकेन विवक्षिता:। आत्मा वा ईश्वरसम्बद्धं ज्ञानं आध्यात्मिकता उच्यते। तानि सर्वाणि तत्त्वानि सर्वाणि च ज्ञानानि यानि शाश्वततत्त्वसम्बद्धानि सन्ति।अस्माकं देश: धर्मस्य देश: अस्ति। अत्र वेदोपनिषदेषु ऋषिसन्तवचनेषु च अध्यात्मस्य चर्चा कृता अस्ति। 'ईशवस्योपनिषद्' इत्यत्र उक्तमिदं वस्तु अध्यात्म इति प्रसिद्धम् ।

ईशावास्यामिदं सर्व यत्किचित जगत्यांजगत,
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।

यस्यार्थ: – यज्ञेन सह किमपि सेवनं केवलं आध्यात्मिकतायां एव आगच्छति। आत्मा–ईश्वरस्य प्रकृतिपुरुषस्य वा विषय: अस्माकं उपनिषदेषु बहुविस्तारेण व्याख्यात: अस्ति। एतां भावनां जनानां मध्ये प्रवर्तयितुं सर्वदा प्रयत्ना: कृता: सन्ति। निर्गुणसम्प्रदायस्य साधूनां आध्यात्मिकशिक्षा क्थमानं दुग्धं स्थापयितुं जलस्य सिञ्चनरूपेण कार्यं करोति ।एवं उपसंहारे आध्यात्मिकपक्ष: लोकसंस्कृतौ गभीररूपेण निहित: इति सिद्धं भवति। यदि आध्यात्मिकता विरक्तं भवति तर्हि संस्कृति: निष्प्राण: भविष्यति।

सत्यत्वम्– अस्माकं वैदिकग्रन्थेषु प्रार्थना अस्ति–**'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय'** इत्यर्थ: हे भगवन्, असत्यत: सत्यं प्रति अस्मान् नयतु। भारतीयदर्शनस्य मुख्य: सिद्धान्त: सत्यस्य मार्गस्य अनुसरणं भवति स्म। समाजनिर्माणप्रक्रिया, आचरणं, विचारा:, धर्म:, सर्वे सत्याधारिता: सन्ति। उपनिषदेषु अपि उल्लिखितं यत् गुरु: गुरुकुलेषु स्नातकानाम् दीक्षांतप्रवचनं निम्नलिखितप्रकारेण ददाति स्म– **'वेदमन्च्याचार्योअन्तेवासिनमनुशासित, सत्यं वद, धर्म चर स्वाध्यायान मा प्रमद:।'**

एतस्य वचनस्य अर्थ: अस्ति यत् भारतीयानां प्रत्येकस्मिन् छिद्रे प्राचीनकालात सत्यं निहितम् आसीत्। यदा प्रचारका:, साधव:, धर्मगुरु: जनानां मध्ये किमपि वार्तालापं आरभन्ते स्म तदा ते सत्यं अग्रस्थाने एव स्थापयन्ति स्म। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् भारतीयत्वस्य नारा आसीत् अद्यत्वे अपि तथैव अस्ति।

सत्यं किम् ? कस्यापि वस्तुन: वास्तविकस्थिति: सत्यम् एव। ज्ञानं सत्यं जलं सत्यं आत्मा सत्यं शरीरमिदं मर्त्यमिदं सत्यम्। यत् शिवं सुन्दरं च तत् सत्यम्। **'नहिं सत्यात् परो धर्म:'** सत्यात् परं धर्म: नास्ति इत्यर्थ:। सत्यं नित्यं नित्यं, न नश्यति कदापि। सरलम् अस्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ अपि एष: प्रमुख: तत्त्व: इति ज्ञायते। सत्यम् आदौ एव अनुसृतम् अस्ति। कृष्ण:, युधिष्ठिर:, हरिश्चन्द्र:, कर्ण इत्यादय: सत्यस्य पर्याया: सन्ति। दशरथ: सत्यसन्ध इति।

अस्माकं लोककथा: सत्यरक्षकै: पूर्णा: सन्ति। सर्वे रीतिरिवाजा: शैत्या: च सत्याधारिता: सन्ति। सत्यं वदन् सत्यस्य अनुसरणं पुरुषाय सुखं जनयति यश: च वर्धते, एतादृश: विश्वास: पूर्वमेव जनानां मनसि गभीरं निहित: अस्ति। सत्यं धर्मे अध्यात्मेषु च रत्नवत् प्रवणं भवति।

एतेभ्य: मूलतत्त्वेभ्य: विहाय अन्ये बहव: तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृते: आधारं सुदृढां कुर्वन्ति। लोक रीति:, लोकगीत, लोकधर्म, कर्तव्य, ग्राम, देवता, कुलदेवता, इष्टदेवता इत्यादिषु श्रद्धा, विवाह, तनसुरे इत्यादि संस्कारेषु शुभ अवसरे क्रियमाणा: पूजा, संस्कार:, दानं, उपादान इत्यादय:, एते सर्वे लोकतत्त्वानि लोकसंस्कृते: निधि: सन्ति। जादू–टोना, यन्त्र–तन्त्र–मंत्र, योग साधना, सर्वे लोक–संस्कृते: क्षेत्रान्तरे आगच्छन्ति। सन्तानाम् उपदेशा:, ज्ञानस्य अविरामतृष्णा, ज्ञानप्राप्ति: च अस्मिन् सहायका: भवन्ति। वर्ण–आश्रम–व्यवस्था, संस्कारादिकं प्रत्यक्षं परोक्षं वा प्रभावं जनयन्त:

कारका: अपि लोकसंस्कृते: तादात्म्यं भवन्ति।

सुव्यवस्था, सुरक्षा, राज्यजीवनं, सुसमये समृद्धि: एतादृशा: तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृते: सुदृढीकरणं स्थायित्वं च कुर्वन्ति। इतिहास: साक्षी यत् यदा यदा शासनव्यवस्थायां परिवर्तनं भवति, अराजकता, लुण्ठनम्,या लोकसंस्कृति: लुण्ठादिपरिग्रहे आसीत् सा अपि क्षुब्ध: एव आसीत्। अस्माकं लोकसंस्कृते: विश्वास: अभवत् यत् सुविधायै, विघ्नान् दूरीकर्तु च कस्यापि देवताया: पूजा आवश्यकी अस्ति। अत एव श्री गणेश: उत्सवेषु अपि पूजित: पूजित: च भवति।

गो: भारतीयलोकसंस्कृते: प्रतीकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्रेषु पुराणेषु च गौ: महत् महत्तवम् अस्ति। वनयुगे अपि गोस्य महत् महत्तवम् अस्ति। गो: मुख्यतया वनयुगे अपि पालित: आसीत्। गोमय रोगाणुनाशकं गोदुग्धं च अमृतवत्। भारतस्य ग्रामा: स्वत: एव संस्कृति:। तेषां संरचना, शुक्लीकरणं, द्वारेषु स्वस्तिकात्पना: मन: मोहयन्ति।

उपसंहार– उपसंहाररूपेण लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि निम्नलिखितरूपेण निर्धारयितुं शक्यन्ते विविधतायां एकता। बाह्यरूपेण परिवर्तनं किन्तु मौलिकस्थिरता। मानवता सहिष्णुता च। प्रकृते: पूजा।नित्यसत्यस्य आश्रय: यत् सर्वदा सरलम्। सर्वविधज्ञानकलाकौशलयो: उन्नति:।आध्यात्मिक विकास। संतानां, दार्शनिकानां, महापुरुषाणां च युगत: युगपर्यन्तं निरन्तरं उपस्थिति:। ज्ञानतृष्णा च यतो यत्र लभ्यते तत: प्राप्ति:। जनरक्षणं कुर्वन् नियम:।

उपर्युक्ता: मूलतत्त्वा: लोकसंस्कृते: विविधपक्षं व्यवस्थितरूपेण प्रकाशयन्ति। एते मूलतत्त्वानि लोकसंस्कृते: मूलरूपस्य पूर्णतां प्रदर्शयति।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महाभारत, वनपर्व अध्याय 313, श्लोक 117
2. ऋग्वेद 10 वें मंडल 107वें सूक्त 6वां मन्त्र।
3. अथर्ववेद काण्ड 19वें, सूक्त 67, मन्त्र 1–2
4. ऋग्वेद 1 वें मंडल, सूक्त 89, मन्त्र 6
5. ईशावास्यउपनिषद्1मन्त्रवां।
6. बृहदारण्यकउपनिषद्1 अध्याय, 3 ब्राह्मण, मन्त्र 28
7. तैत्तिरीयउपनिषद् – शिक्षावल्ली1 अनुवाक का उत्तरार्ध।
8. महाभारत शान्तिपर्वअध्याय 162, श्लोक 21

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

लखन शर्मा *

* शोधार्थी, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस योजना के जरिए किसानों को एक प्रकार से आय का सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा अत्यन्त न्यूनतम प्रीमियम दरों पर किया गया है। इसमें फसलों की बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। नुकसान के दावों का ऑनलाईन भुगतान करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, फसल हानि होने पर दावों के शीघ्र भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने का भी इसमें प्रावधान है। पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्तव को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। देश में कृषि विकास को बढ़ाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रस्तावना – भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जिसकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है। भारत में 70 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति फसलों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत का कृषि उत्पादन में विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी गाँव में बसती है। इनका मूल पेशा कृषि है। एक तरह से कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जब तक की कृषि का विकास नहीं होगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात बेमानी है, क्योंकि भारत की दो तिहाई जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि एवं उससे जुड़े अन्य उपक्रमों पर आधारित है। यही वजह है कि भारत में कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों में हम विकास की चकाचौंध में बहुत आगे निकल गए और अपने गाँव, खेत-खलिहान व खेती किसानी की विरासत को गँवा बैठे। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खुराक ले रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि विकास के सभी प्रयत्नों के बावजूद भारतीय कृषि मुख्यत: प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है, अतिवृष्टि, सूखा, ओले, पाला पड़ने व प्राकृतिक विपदाओं और कीड़े लग जाने पर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और कृषक अपने भाग्य को कोसने और वर्ष भर साहूकारों के कर्ज में पिसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी कई पीढ़ी कर्जदार हो जाती है। प्रत्येक उद्योग चाहे वह छोटा हो या बड़ा कुछ न कुछ विश्वसनीयता रहती है पर कृषि में इसका पूरी तरह से अभाव है। भारत में सूखा, अतिवृष्टि, ओले, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसान की यदि फसल खराब हो जाती है तो उसका पूरा नुकसान उसी को सहना होता है। पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य में सरकार ज्यादा से ज्यादा फसल की या तो मालगुजारी माफ करती है या फसल उगने के लिए जो उसने कर्ज लिया है उसे लौटाने की अवधि बढ़ा देगी। इसमें विपत्तिग्रस्त कृषकों को राहत तो पहुँचती है, परन्तु इसमें अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता और ये किसानों को सरकार के द्वारा मिली दया और सहानुभूति मात्र है। देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। वर्ष 2014-2015 में मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।

1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा ने भी फसलों को प्रभावित किया। किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बर्बाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी पर उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का विस्तार कृषक जनसंख्या में मात्र 23 प्रतिशत आबादी तक ही था। इसमें जरूरी बदलाव किये गए और प्रीमियम में कटौती से लेकर क्लेम के भुगतान में तेजी और नये जोखिम को सम्मिलित करने संबंधी धारा इसमें जोड़ी गई। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को विधिवत आरम्भ किया। यह योजना 2016 में खरीफ की बुवाई के समय से लागू की गई। इसमें किसानों के लिए बेहद कम प्रीमियम देने का प्रावधान रखा गया है।

बीमा कंपनियाँ जो प्रीमियम की दर तय करेंगी उसमें खरीफ के लिए किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत राशि देना होगी। रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि देना किसानों के लिए तय किया गया। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर देंगी। इस योजना मे यह प्रावधान रखा गया की कम से कम 25 प्रतिशत का दावा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएँगी। कृषि मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 प्रतिशत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लेने का लक्ष्य रखा है। पहले वर्ष 2016-2017 में 30 प्रतिशत किसानों को इसमें शामिल किया गाया। इस योजना के लिए 2016-2017 में 5550 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। इसके पश्चात प्रतिवर्ष इसके बजट में वृद्धि की गयी एवं चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा 69515.71 करोड़ रु. राशि का व्यय किया गया और म.प्र. सरकार के द्वारा भी 2000 करोड की राशि प्रदान की गयी है।

अत: प्रस्तुत शोध में कृषकों की आर्थिक स्थिति पर फसल बीमा योजना के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतू म.प्र. के उज्जैन जिले का अध्ययन किया जायेगा एवं इस योजना से संबंधित सभी जानकारियों का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया जायेगा।

साहित्य की समीक्षा – प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के साथ, भारतीय कृषि में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और 2014 में शुरू किए गए सुधारों का एजेंडा मुखर हो गया है। इस समिति में 7 राज्यों- महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री तथा सदस्य सचिव के रूप में नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की भारत में किसी भी विकास योजना प्रक्रिया में अहम् भूमिका है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। खाद्यान्न और खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और चीनी, कपड़ा, हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करते हैं, जिनमें लोगों को बड़ी संख्या में स्तरीय रोजगार मिलते हैं। कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि, मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण कृषि जीडीपी में वृद्धि कुछ कम रही। (मिश्रा, डॉ. जे.पी.)

कृषि बजट में निरन्तर वृद्धि – इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को निरन्तर प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में न सिर्फ कृषि उत्थान पर आधारित नई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया, बल्कि इनके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। कृषि बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ (वर्ष 2014-19) किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के कृषि बजट के लिए 1.21 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। कृषि से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रवार आवंटन पर गौर करें तो फसल बीमा योजना की राशि को 2151 करोड़ से छह गुना बढ़ाकर 13000 करोड़, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रावधान को 30 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़, कृषि यंत्रीकरण के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में राशि को बढ़ाकर 1165 करोड़ रूपये (वर्ष 2013-14 में 58 करोड़), ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि सिंचाई योजना का बजट भी इस वर्ष बढ़ाकर 4000 हजार करोड़ रूपये किया गया है। कमोबेश, इसी तरह से अन्य प्रमुख कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी (1420करोड़), मात्स्यिकी (642करोड़) आदि में बजटीय राशि की बढ़ोतरी चालू वर्ष के बजट में की गई।

राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशें लागू – कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। कृषि में फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण, विक्रय के लिए बाजार एवं इससे सम्बन्धित व्यवस्था पर समुचित ध्यान देने का भी इसमें सुझाव दिया गया था। यही नहीं, प्राकृतिक सम्पदाओं में लगातार क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान कमीशन ने प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक तौर-तरीके से प्रबन्धन एवं सतत् उत्पादन तथा विकास की ओर भी इशारा किया था। इसी तरह से मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्तकर्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। (सिंह, अशोक)

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हैं और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केन्द्र में रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियाँ खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ 1.5 फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केन्द्र और राज्य की सरकारें बराबर-बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। इस दौरान की कृषि उपलब्धियों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 284.63 मिलियन टन होने की संभावना है। इसी प्रकार बागवानी फसल 305 मिलियन टन, दलहन उत्पादन 25.23 मिलियन टन, दुग्ध उत्पादन 176.35 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 306.82 मिलियन टन एवं मत्स्य उत्पादन 126.14 मिलियन टन होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इन उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय सामूहिक तौर पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों तथा कृषि-आधारित सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनके कारण कृषि उत्पादन के रिकार्ड ऊँचाइयों तक पहुँच पाना संभव हो सका है। (मिश्र, उमाशंकर)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसका उद्देश्य है फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिवर्धित रूप है। फसलों की बढ़ती लागत, होने वाले नुकसान और फसलों की कीमत में आ रही गिरावट से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे किसान मानसिक दबाव में हैं। कई राज्यों में इसी वजह से हाल ही में किसान आंदोलन हुए और कुछ किसान खुदकुशी करने लिए मजबूर हुए। कई राज्य सरकारों को कृषि कर्ज को माफ भी करना पडा। भारत में अभी भी खेती-किसानी बारिश पर निर्भर है। मानसून के अच्छे नहीं

रहने पर फसल अक्सर बर्बाद हो जाती है। बाढ़ और सूखा भारतीय किसानों की नियति बन गई है। मानसून की अनिश्चितता के चलते किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रस्तावित की गई जिसे 13 जनवरी, 2016 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। शुरू में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया में कुछ खामियाँ थीं, जिन्हें बाद में लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दूर किया गया। योजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम कर रहा है और इसके तहत 3 सालों के अंदर सरकार की योजना 8800 करोड़ रूपये खर्च करने की है। इसके अलावा मंत्रालय 50 प्रतिशत किसानों को भी इस योजना की जद में लाना चाहता है। (सिंह, सतीश)

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच फसल बीमा अहम् योजना है। इसके जरिए किसानों को राहत प्रदान की जाती है। फसल बीमा के अन्तर्गत अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से इसके कुछ स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए संशोधित फसल बीमा योजना नाम को मंजूरी दी गई हैं। फसलों के बर्बाद होने के बाद निराश होने वाले किसान अब घर बैठने के बजाय खेतों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते नजर आते है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। (श्रीवास्तव, दिव्या)

फसल बीमा से किसानों को लाभ – किसान फसल बीमा अपनाकर अपने आपको अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, कीटों एवं रोगों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देश में राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम के तीनों घटकों पर कार्य चल रहा है। इसमें एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, तो दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं तीसरी नारियल पाम बीमा योजना है। इन सभी में अलग-अलग व्यवस्थाएं दी गई।

मुख्य विशेषता – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना है। हाँ, वार्षिक फसलों जैसे, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की दर से बीमा किश्त देनी होगी। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने बीमा किश्त की दर को बहुत ही कम रखा है। हालाँकि, बीमा कंपनियों को सरकार वास्तविक बीमा किश्त का भुगतान कर रही है, जिसका भार केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रहे हैं।

लक्ष्य – इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से फसलों को नुकसान होने होने पर किसानों को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थायित्व देना, कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना आदि है।

वर्ष 2020 के बाद यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए यह योजना को वेकल्पिक कर दिया गया किसानों को बैंक में जहाँ पर उनका खाता हैं वहाँ पर जाकर फसल का बीमा करवाना होता हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसान आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

(1) फसल बोने के अधिकतम 10 दिन के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है।

(2) फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान है तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(3) इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिल सकेगी जब आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण ही खराब हुई हो, जैसे ओला, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धँसना इत्यादि।

शोध का उद्देश्य:

(1) उज्जैन जिले में किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर का अध्ययन करना।

(2) फसल बीमा के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।

(3) फसल बीमा से किसानों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना:

1. फसल बीमा योजना अपनाने वाले कृषकों की फसल उत्पादन क्षमता के बीच सीधा संबंध है।
2. फसल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कृषकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है।

शोध प्रविधि – अध्ययन हेतु उज्जैन जिले उज्जैन तहसील में से तीन गांव का चुनाव फसल बीमा लेने वालों किसानों की संख्या की अधिकता के आधार पर किया गया और प्रत्येक गांव से 10-10 किसानों का सर्वे किया गया। इन किसानो को कृषक भूमि के क्षेत्र के आधार पर वग्रीकृत किया जायेगा, इन 10 किसानों में से 2 किसान सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर से कम या 5 बीघा से कम), 2 किसान लघु कृषक (1 हेक्टेयर से अधिक एवं 2 हेक्टेयर से कम, 5 बीघा से अधिक तथा 10 बीघा से कम), 2 किसान अर्द्धमध्यम कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक व 4 हेक्टेयर से कम, 10 बीघा से अधिक एवं 20 बीघा से कम), 2 किसान मध्यम कृषक (4 हेक्टेयर से अधिक तथा 10 हेक्टेयर से कम, 20 बीघा से अधिक एवं 50 बीघा से कम) एवं 2 किसान वृहद कृषक (10 हेक्टेयर से अधिक या 50 बीघा से अधिक) के रूप में चयनित किये गये।

तालिका क्र.1 : किसानों के लिंग की जानकारी

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	23	76.66
2	महिला	7	23.33
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में कुल 30 किसानों में 23 पुरूष किसान जिनका 76.66 प्रतिशत रहा और 7 किसान महिला जिनका प्रतिशत 23.33 रहा हैं। इनमें सभी को फसल बीमा की जानकारी इन सभी को कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से दी गई थी इन सभी किसानों ने अपनी फसल गेंहूँ और सोयाबीन की फसल का बीमा जिस बैंक से किसानों ने कृषि कार्य हेतू लोन लिया था उसी बैंक के द्वारा किसानों से सहमती लेकर उनकी फसल का बीमा कर दिया गया। खरीफ 2025 की फसल में सोयाबीन का बीमा किया गया जिसकी प्रीमियम राशि 940 रू. प्रति हेक्टेयर थी जो की किसानों के बैंक खाते काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 3901 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। इसी तरह रबी 2023-24 में गेहूँ की

फसल का बीमा प्रीमियम राशि 705 रू. प्रति हेक्टेयर किसानों के बैंक खाते से काटी गई और सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि 2783 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। जिससे किसानों की फसल का बीमा किया गया जिससे की प्राकृतिक आपदा से फसल को हाने वाले नुकसान से सुरक्षा मिली। और किसानों की चिंता कुछ कम हुई।

तालिका क्र.2 : किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर

क्र.	फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च	7	23.33
2	मध्यम	9	30
3	निम्न	14	46.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में उच्च फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 7 रही जिसका प्रतिशत 23.33 रहा हैं और मध्यम फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा हैं और निम्न फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 14 रही जिसका प्रतिशत 46.67 रहा हैं। जिससे यह कहा जा सकता है कि फसल बीमा के बारे में जानकारी जिनके पास निम्न है उनकी संख्या अधिक हैं।

तालिका क्र.3: किसानों का आकार

क्र.	किसानों का आकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत किसान	13	43.33
2	लघु किसान	8	26.67
3	अर्द्धमध्यम किसान	3	10
4	मध्यम किसान	4	13.33
5	वृहद् किसान	2	6.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में सीमांत किसान की संख्या 13 रही जिसका प्रतिशत 43.33 रहा हैं और लघु किसान किसानों की संख्या 8 रही जिसका प्रतिशत 26.67 रहा। अर्द्धमध्यम किसान की संख्या 3 रही जिसका प्रतिशत 10 रहा। इन किसानों को ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हाने से अधिक नुकसान होता हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल का उत्पादन कर्ज लेकर करते हैं यदि प्राकृतिक आपदा से इनकी फसल खराब होती हे तो इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है। मध्यम किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा और वृहद् किसान 2 रहे जिसका प्रतिशत 6.67 रहा इन किसानों के पास अधिक भूमि होने के कारण यह बहुफसल का उत्पादन करते हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति छोटे किसानों की तुलना अच्छी होती हैं जिससे इन पर फसल बीमा का प्रभाव कम रहा।

तालिका क्र.4: फसल बीमा के लाभ

क्र.	फसल बीमा के लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है	17	56.67
2	ऋण की चिंता नहीं रहती हैं	9	30
3	फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती	4	13.33
	कुल	30	100.0

सर्वे के अनुसार फसल बीमा के लाभ में फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 17 रही जिसका प्रतिशत 56.67 रहा। ऋण की चिंता नहीं रहती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा। और फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती कहने वाले किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा। फसल का औसत उत्पादन से यदि 25 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होने पर ही बीमा कंपनी फसल का बीमा देती है। यह जानकारी किसानों को नहीं है, जिनसे उनका स्वयं का नुकसान ज्यादा होता है और बीमा कंपनी इसका लाभ उठाती है और बीमा क्षतिपूर्ति करने से बच जाती है और किसानों को नुकसान की भरपाई स्वयं ही वहन करनी पड़ जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर होता है। कई किसान इस वजह से भी डिफाल्टर हो गये हैं और सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी सहायता से भी वंचित हो जाते हैं और किसानों को फिर सोसायटी से खाद/बीज भी नहीं मिल पाता है और उनको यह सब बाजार कीमत पर खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी फसल की लागत भी बढ़ जाती है और उन पर नया कर्ज हो जाता है। जिसका ब्याज अधिक होता है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले और अधिक दब जाता है। किसानों को चाहिये कि वह क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में सही वजन करवाये और उसी वजन को लिखवाये और अधिकारियों को भी उन्हें सही तरह से समझना चाहिये कि कि आज का वजन सही लिखने पर, जब फसल खराब होगी तो उन्हें उस समय इसका फायदा अधिक होता है और फसल का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ ही बार होता है कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसलिये क्रॉप कटिंग के समय फसल उत्पादन का सही-सही वजन लिखवाना ही लाभदायक होगा, जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर उनकी आर्थिक रूप से रक्षा करेगा और उन्हें नये ऋण के कर्ज से बचायेगा। समय-समय पर सरकार भी इनकी मदद करती है पर यह मदद बहुत ही कम मात्रा में होती हैं जिससे किसान परिवार को आर्थिक रूप बहुत ही कम लाभ मिल पाता है और किसान सिर्फ अपने भाग्य को ही कोसता रह जाता है। सरकार को फसल बीमा की क्षतिपुर्ति की राशि को जल्द और वास्तव में जो फसल के उत्पादन किसान का खर्च हुआ हैं कम से कम उतनी बीमा राशि अवश्य रूप से किसानों को बीमा कम्पनी से फसल की क्षतिपुर्ति देने को बाध्य करना चाहिये और बीमा कम्पनी को यह भी बताने को कहना चाहिये किस आधार पर आपने खराब हुई फसल का बीमा दिया हैं वह किसानों को बताना होंगा यदि किसी किसान का बीमा नहीं मिला हैं तो उसके कारणों को किसानों को बताना चाहिये। जिससे यह योजना और अधिक कारगर और किसान हितेषी हो सकेगी।

निष्कर्ष – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किफायती दर पर फसली ऋण एवं दूसरे कृषि ऋणों की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फसलों का बीमा काराना किसान आवश्यक मानते है। अस्तु, कर्ज के माध्यम से किसान अपने जोखिम का आसानी के साथ प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान है। सरकार ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज देने में कोताही नहीं करें, साथ

ही ऋण प्रक्रिया को और भी आसान बनाएँ। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किश्त बहुत ही कम रखी गई है और सस्ती दर पर कृषि ऋण भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना को अपने क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सभी फसलों के लिए किया जाना चाहिए और कब कोन सी फसल का बीमा होगा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिये जिससे सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके और अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित कर सके और फसल खराब हाने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, डॉ.जे.पी. (2019),'कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए रोडमैप' *कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र.8-12, आईएसएसएन 0971-8451
2. सिंह, अशोक (2019),'कृषि विकास की दिशा में प्रयास और उपलब्धियाँ',*कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र. 16-20, आईएसएसएन 0971-8451
3. सिंह, सतीश (2018),'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण',*कुरूक्षेत्र*, अंक 04, पृ.क्र. 26-30, आईएसएसएन 0971-8451
4. मिश्र, उमाशंकर (2016), यकिसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, *कुरूक्षेत्र*, अंक 08, पृ. क्रं. 09-14, आईएसएसएन 0971-84851.
5. श्रीवास्तव, दिव्या (2015),'संशोधित फसल बीमा योजना से समृद्ध हो रहे किसान', *कुरूक्षेत्र*, अंक 11, पृ. क्रं. 23-25, आईएसएसएन 0971-84851

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. रेणुका पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग में लेखांकन प्रणाली में निरंतर तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित सेवाएँ, और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसे तत्वों ने लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका को व्यापक बना दिया है। इस शोध का उद्देश्य इंदौर शहर के 83 लेखाकारों के मध्य आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति उनकी जागरूकता, उनकी वर्तमान भूमिका और आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। शोध में पाया गया कि अधिकांश लेखाकार सामान्य लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग में दक्ष हैं, परंतु अत्याधुनिक तकनीकों (जैसे एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स) के प्रति जागरूकता सीमित है। प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी बदलावों के प्रति अनिच्छा तथा नैतिकता के प्रति चिंतन की कमी प्रमुख अवरोध हैं। यह शोध सुझाव देता है कि निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, और नैतिक लेखांकन के लिए नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं। अध्ययन लेखांकन क्षेत्र में प्रासंगिक जागरूकता और सुधार हेतु दिशा देता है।

शब्द कुंजी –लेखांकन प्रणाली, लेखाकार, तकनीकी जागरूकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) , नैतिक लेखांकन, प्रशिक्षण, डिजिटल लेखांकन, इंदौर, वित्तीय पारदर्शिता, लेखांकन सॉफ्टवेयर।

प्रस्तावना – वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लेखांकन की भूमिका केवल वित्तीय विवरण तैयार करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक रणनीतिक प्रबंधन उपकरण के रूप में विकसित हो चुकी है। व्यापारिक निर्णयों की पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन, कर योजना, निवेश मूल्यांकन और वित्तीय जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में लेखांकन की उपयोगिता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में लेखाकार का कार्य भी मात्र संख्यात्मक लेखा-जोखा रखने से कहीं आगे बढ़ गया है, वे अब नीति-निर्माण, जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं।

इसी के समानांतर, आधुनिक लेखांकन प्रणाली ने तकनीकी विकास के साथ नई दिशा ग्रहण की है। टैली ईआरपी, एसएपी, क्विकबुक, ज़ीरो जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, डिजिटल इनवॉइसिंग, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ऑटोमेशन जैसे साधनों ने लेखांकन को अधिक तीव्र, सटीक और रणनीतिक बना दिया है। किंतु इन नवाचारों की सार्थकता तभी संभव है जब उन्हें कार्यान्वयन करने वाले लेखाकार उनमें दक्ष, जागरूक और नैतिक दृष्टि से सजग हों।

भारत जैसे विकासशील देश में, विशेषत: इंदौर जैसे व्यापारिक और औद्योगिक शहर में कार्यरत लेखाकारों की जागरूकता एवं उनकी बदलती भूमिका का मूल्यांकन अति आवश्यक है। यह अध्ययन इस आवश्यकता को केंद्र में रखता है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों को अध्ययन में शामिल कर यह जानने का प्रयास किया गया कि वे आधुनिक लेखांकन प्रणालियों से किस हद तक परिचित हैं, उन पर उनका दृष्टिकोण कैसा है, तकनीकी परिवर्तन के प्रति उनकी अनुकूलता क्या है, और क्या वे अपने कार्य में नैतिकता एवं पारदर्शिता को बनाए रख पा रहे हैं।

इसके साथ-साथ यह अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि लेखाकार किस हद तक डिजिटल बदलावों को आत्मसात कर पा रहे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और किस प्रकार की प्रशिक्षण/नीति आवश्यक है जिससे वे अपने व्यवसायिक कार्य को अधिक दक्षतापूर्वक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकें।

इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका एक सक्रिय निर्णयकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और नैतिक प्रहरी की बन गई है। अत: इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है – इन भूमिकाओं का समग्र मूल्यांकन करना और लेखांकन क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता तथा जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य

आवश्यकता:

1. लेखांकन में तकनीकी बदलाव के बावजूद, कई लेखाकार अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं।
2. आधुनिक उपकरणों एवं सॉफ़्टवेयर के उपयोग में अनुभव की कमी देखी गई है।
3. लेखाकारों की भूमिका अब केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक निर्णयों में सहयोगी बनना है।

उद्देश्य:

1. इंदौर के लेखाकारों की आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।
2. लेखाकारों की बदलती भूमिका और उसमें आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
3. जागरूकता को बढ़ाने हेतु संभावित उपाय सुझाना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र, इंदौर शहर है। इंदौर को मध्य भारत का आर्थिक हृदय कहा जाता है, जहाँ व्यापार, सेवा, बैंकिंग, वित्तीय परामर्श और लेखांकन से संबंधित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। यह शहर तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।

इसी सन्दर्भ में इस अध्ययन हेतु 83 लेखाकारों को चुना गया, जो इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों – जैसे निजी संस्थान, सीए फर्म, लघु व्यवसाय, स्टार्टअप, तथा स्वतंत्र लेखाकार से संबद्ध हैं। न्यादर्श चयन के लिए लक्षित चयन विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें विशेष रूप से उन लेखाकारों को सम्मिलित किया गया जो किसी न किसी रूप में आधुनिक लेखांकन प्रणाली (जैसे कंप्यूटर आधारित लेखांकन, ई-फाइलिंग, जीएसटी, ईआरपी, क्लाउड अकाउंटिंग आदि) से जुड़े हुए हैं।

इस न्यादर्श के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि इंदौर जैसे विकसित नगर में कार्यरत लेखाकारों की तकनीकी समझ, जागरूकता स्तर और उनकी भूमिका आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के संदर्भ में किस दिशा में विकसित हो रही है। इस क्षेत्रीय और व्यावसायिक पृष्ठभूमि का गहराई से अध्ययन, शोध को यथार्थपरक और नीति-प्रेरक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

समंक विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1: लेखाकारों की जनसांख्यिकी

जनसांख्यिकीय चर	वर्गीकरण	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	59	71.08%
	महिला	24	28.92%
	कुल	83	100%
आयु समूह	21-30 वर्ष	26	31.33%
	31-40 वर्ष	35	42.17%
	41-50 वर्ष	14	16.87%
	51 वर्ष से अधिक	8	9.63%
	कुल	83	100%
शैक्षणिक योग्यता	B.Comया समकक्ष	28	33.73%
	M.Com / MBA (Finance)	31	37.35%
	CA / CMA / CS	24	28.92%
	कुल	83	100%
अनुभव	0-5 वर्ष	21	25.30%
	6-10 वर्ष	29	34.94%
	11-15 वर्ष	18	21.69%
	16 वर्ष से अधिक	15	18.07%
	कुल	83	100%
कार्य क्षेत्र	निजी फर्म / उद्योग	34	40.96%
	स्वतंत्र लेखाकार	20	24.10%
	चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म	17	20.48%
	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	12	14.46%
	कुल	83	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर में सर्वे किए गए लेखाकारों में 71.08% पुरुष और 28.92% महिलाएँ हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन पेशे में अभी भी पुरुषों की प्रधानता बनी हुई है। 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लेखाकार सर्वाधिक (42.17%) पाए गए, जो इस क्षेत्र में सक्रिय और अनुभवी कार्यबल को दर्शाता है।शैक्षणिक योग्यता के स्तर पर एम.कॉम या एमबीए (वित्त) धारक लेखाकारों की संख्या सर्वाधिक (37.35%) रही, जो यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लेखाकार आधुनिक प्रणाली की ओर अधिक आकर्षित हैं।

अनुभव के संदर्भ में, 6 से 10 वर्ष के अनुभव वाले लेखाकार सबसे अधिक (34.94%) पाए गए, जो लेखांकन क्षेत्र में परिपक्वता और व्यावसायिक स्थायित्व को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में सर्वाधिक लेखाकार निजी फर्म या उद्योग (40.96%) से जुड़े हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंदौर में लेखांकन का क्षेत्र मुख्य रूप से निजी उद्यमों में केंद्रित है।यह जनसांख्यिकी विश्लेषण लेखाकारों की सामाजिक-शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उनकी पेशेवर स्थिति को दर्शाता है, जो आगे के विश्लेषण के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है।

तालिका 2: आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति

आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
नियमित रूप से प्रयोग करते हैं	56	67.47%
कभी-कभी प्रयोग करते हैं	17	20.48%
प्रयोग नहीं करते	10	12.05%
कुल	**83**	**100%**

स्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के कुल 83 उत्तरदाता लेखाकारों में से लगभग 67%(56 लेखाकार) आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, ज़ोहो बुक्सआदि का नियमित प्रयोग करते हैं। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और अधिकांश पेशेवर अब परंपरागत पद्धतियों की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत और ऑटोमेटेड प्रणाली को अपना रहे हैं। वहीं, 20.48% लेखाकार ऐसे हैं जो इन सॉफ्टवेयरों का केवल कभी-कभी प्रयोग करते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास संभवत: पूर्ण प्रशिक्षण या संसाधान की कमी हो सकती है। 12.05% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि वे इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग नहीं करते, जो डिजिटल लेखांकन को अपनाने में अब भी मौजूद व्यवहारिक, तकनीकी या मानसिक अवरोध की ओर संकेत करता है।इस आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन प्रणाली की स्वीकार्यता में वृद्धि हो रही है, परन्तु पूर्ण समावेशन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवहारिक परिवर्तन की दिशा में और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं।

तालिका 3: लेखाकारों की एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति

एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
सम्यक जानकारी है	23	27.71%
सामान्य जानकारी है	38	45.78%
जानकारी बहुत कम या नहीं है	22	26.51%
कुल83	**100%**	

स्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर के केवल 23 लेखाकारों (27.71%) ने यह स्वीकार किया कि उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डेटा एनालिटिक्स से संबंधित लेखांकन प्रक्रियाओं की सम्यक जानकारी है। यह दर्शाता है कि डिजिटल युग के सबसे उन्नत लेखांकन उपकरणों के प्रति लेखाकारों में अभी भी साक्षरता और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी है।

वहीं 38 उत्तरदाता (45.78%) ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में केवल सामान्य जानकारी है, परंतु वे तकनीकी दक्षता या व्यावहारिक प्रयोग में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। 22 लेखाकार (26.51%) ने यह स्वीकार किया कि उनकी जानकारी बहुत सीमित है या नहीं के बराबर है।यह स्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि लेखांकन में (एआई) और डेटा विश्लेषण जैसे नवीनतम साधानों को अपनाने में अब भी व्यावसायिक बाधाएँ, प्रशिक्षण की कमी और नवाचार के प्रति असहजता मौजूद है।

यदि लेखाकारों को इन आधुनिक तकनीकों के लाभ, प्रयोग, और नैतिक पक्ष की व्यापक समझ दी जाए, तो लेखांकन की पारदर्शिता, गति और निर्णय–निर्माण क्षमता को नया आयाम मिल सकता है।

तालिका 4: लेखांकन में नैतिकता और पारदर्शिता की भूमिका के प्रति लेखाकारों की राय

लेखाकारों की राय	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं	34	40.96%
महत्वपूर्ण मानते हैं	28	33.73%
सामान्य महत्व देते हैं	13	15.66%
कम महत्व देते हैं या महत्व नहीं देते	8	9.63%
कुल	**83**	**100%**

स्रोत–प्राथमिक समंक

तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के 83 लेखाकारों में से 41%(34 लेखाकार) लेखांकन में नैतिकता एवं पारदर्शिता को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह इस बात का संकेत है कि लेखाकारों में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सामाजिक विश्वास बनाए रखने की भावना सुदृढ़ है।33.73% उत्तरदाता (28 लेखाकार) इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन केवल संख्यात्मक गणना नहीं, बल्कि नैतिक जवाबदेही का भी क्षेत्र बन चुका है। वहीं 15.66% लेखाकार (13) इसे केवल सामान्य महत्व देते हैं, और 9.63%(8 लेखाकार) ऐसे भी हैं जो इसे कम या नगण्य महत्व देते हैं, जो चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है।

यह विश्लेषण इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को केवल तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे न केवल पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय धोखाधाड़ी एवं अनुशासनहीनता पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

तालिका 5: आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में प्रमुख चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव	48	57.83%
वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा	39	46.99%
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर अनिश्चितता	35	42.17%
ग्राहक जागरूकता की कमी	44	53.01%

स्रोत–प्राथमिक समंक

नोट: उत्तरदाताओं को एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति थी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव (57.83%) आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लेखाकारों में नवीन सॉफ्टवेयर एवं तकनीकों को समझने और प्रयोग करने की पर्याप्त क्षमता अभी विकसित नहीं हो सकी है।इसके अतिरिक्त, ग्राहक जागरूकता की कमी (53.01%) भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चूंकि कई ग्राहक पारंपरिक विधियों को अधिक सहज मानते हैं, इसलिए वे लेखाकारों पर डिजिटल प्रणाली अपनाने का दबाव नहीं डालते, जिससे परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है।

वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा (46.99%) भी उल्लेखनीय है, जो दर्शाता है कि अनुभवजन्य लेखाकारों में तकनीकी बदलावों के प्रति मानसिक रुकावट है। वहीं डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता (42.17%) के कारण भी कई पेशेवर डिजिटल प्रणाली को लेकर सशंकित रहते हैं।कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदौर जैसे उभरते हुए औद्योगिक केंद्र में भी आधुनिक लेखांकन प्रणाली के क्रियान्वयन में तकनीकी, मानसिक और सामाजिक स्तर की चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और ठोस नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष – इस अध्ययन के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि लेखांकन क्षेत्र में तकनीकी विकास के चलते लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों पर केंद्रित यह शोध दर्शाता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, ज़ोहो आदि का उपयोग अब सामान्य हो गया है, किंतु एआई, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड आधारित लेखांकन जैसी नवीनतम प्रणालियों के प्रति जागरूकता और व्यावहारिक दक्षता अभी भी सीमित है।लेखाकारों में नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य देखा गया, किंतु तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, वरिष्ठ पेशेवरों में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा, डेटा सुरक्षा को लेकर संदेह और ग्राहकों में जागरूकता की कमी जैसे कारकों ने इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से अपनाने में बाधा उत्पन्न की है।यह अध्ययन इंगित करता है कि लेखांकन अब केवल लेखा–जोखा भर नहीं रहा, बल्कि यह एक रणनीतिक, नैतिक और तकनीकी दक्षता वाला क्षेत्र बन चुका है, जहाँ लेखाकारों को न केवल संख्या और रिपोर्ट समझनी है, बल्कि डिजिटल कौशल, नैतिक विवेक और आगामी तकनीकी परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करनी

होगी।

सुझाव :

1. सरकारी तथा निजी संस्थाओं को लेखाकारों के लिए नियमित रूप से आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, एआई आधारित टूल्स तथा साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे वे व्यावहारिक रूप से दक्ष हो सकें।
2. अनुभवी लेखाकारों में तकनीकी नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कार्यशालाएँ, व्यावसायिक संवाद और प्रेरक सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे भी नवाचार को सहज रूप से स्वीकार करें।
3. लेखांकन शिक्षा एवं प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाए। नैतिक आचरण, पारदर्शिता, और वित्तीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों को नियमित रूप से व्यवहारिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. व्यवसायिक ग्राहकों को यह समझाना आवश्यक है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली पारदर्शिता, समय की बचत और कर-सम्बंधी अनुपालन में अत्यंत सहायक है। इसके लिए लेखाकार संगठनों को ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए।
5. डिजिटल लेखांकन प्रणाली अपनाते समय डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता के मानकों को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। लेखाकारों को यह बताया जाना चाहिए कि क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा किस प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
6. सीए, सीएमए, बी.कॉम, एम.कॉम, एमबीए (फाइनेंस) जैसे पाठ्यक्रमों में आधुनिक लेखांकन टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, ईआरपी, तथा एआई आधारित विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
2. Sharma, R. (2020). *Role of Accountants in Financial Ethics*. Mumbai: Himalaya Publishing.
3. Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from https://www2.deloitte.com
4. ICAI. (2022). *Handbook on New Accounting Standards*. Institute of Chartered Accountants of India.
5. World Bank. (2023). Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia. Washington, DC.
6. Institute of Chartered Accountants of India. (2022). *Handbook on New Accounting Trends and Technologies*. ICAI Publications.
7. Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
8. Sharma, R. (2020). *Professional Ethics and Modern Accounting Practices*. Mumbai: Himalaya Publishing House.
9. World Bank. (2023). *Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia: Challenges and Opportunities*. Retrieved from https://www.worldbank.org
10. Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from https://www2.deloitte.com
11. PwC India. (2022). *Survey Report on Digital Adoption in Indian Accounting Sector*. Retrieved from https://www.pwc.in
12. Tiwari, M., & Saxena, P. (2020). Modernization of Accounting in Indian Firms: A Field Study. *International Journal of Finance & Accounting*, 12(4), 45–52.
13. ACCA Global. (2021). *The Role of Accountants in Digital Transformation*. Retrieved from https://www.accaglobal.com
14. Gupta, S. (2019). *Ethics, Compliance and Corporate Governance in Financial Reporting*. New Delhi: PHI Learning.
15. Ministry of Corporate Affairs. (2023). *Digital India and Financial Reporting Initiatives*. Retrieved from https://www.mca.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव

डॉ. विनेता*

* अस्टिंट प्रोफेसर, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, जानकारी साझा करने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का एक मंच दिया है। हालाँकि, इस डिजिटल क्रांति ने जहां कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, वहीं इसके नकारात्मक पहलू, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव 'तुलना' की भावना है। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जीवन के केवल 'हाईलाइट रील' को साझा करते हैं – छुट्टियों की तस्वीरें, सफल करियर की कहानियाँ, और खुशहाल रिश्तों के पल। दूसरों की इन 'उत्कृष्ट' तस्वीरों को देखकर, व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता की तुलना करता है और अपर्याप्तता, ईर्ष्या और आत्म-सम्मान में कमी महसूस करता है। इस तरह की निरंतर तुलना से चिंता, अवसाद और आत्म-मूल्य में कमी आ सकती है।

शब्द कुंजी – मानसिक, स्वास्थ्य, सोशल, मीडिया।

प्रस्तावना – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसने दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है, जहाँ लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से भी एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने संचार, सूचना प्रसार और सामाजिक जुड़ाव के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन, क्या सोशल मीडिया केवल एक वरदान है या इसका एक नकारात्मक पहलू भी है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

सोशल मीडिया ने हमें कई तरीकों से सशक्त बनाया है :

जुड़ाव और संचार: यह लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से जुड़े रहने में मदद करता है, भले ही वे भौगोलिक रूप से दूर हों। यह पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करने और नए संबंध बनाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

सूचना का स्रोत: सोशल मीडिया समाचार और जानकारी का एक त्वरित और व्यापक स्रोत बन गया है। हम दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में तुरंत जान सकते हैं। यह जागरूकता फैलाने और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

शिक्षा और ज्ञान: छात्रों और पेशेवरों के लिए सोशल मीडिया एक उत्कृष्ट शैक्षिक उपकरण है। वे ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक पृष्ठों और विशेषज्ञों के ब्लॉग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें अपनी रुचि के विषयों पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

व्यवसाय और रोजगार: सोशल मीडिया ने व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोले हैं। कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकती हैं, ग्राहकों से सीधे जुड़ सकती हैं और नए बाजार तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा, इसने सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ जैसे कई नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।

अभिव्यक्ति का मंच: यह हर व्यक्ति को अपनी राय, विचार और रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर और अन्य रचनात्मक लोग अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं।

इसके फायदों के साथ-साथ, सोशल मीडिया के कुछ गंभीर नुकसान भी हैं:

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, साइबर-बुलिंग और नकारात्मक टिप्पणियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इससे अवसाद, चिंता, और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

गलत सूचना का प्रसार: सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इससे समाज में भ्रम, तनाव और विभाजन पैदा हो सकता है। यह विशेष रूप से चुनावों और सामाजिक आंदोलनों के दौरान एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

समय की बर्बादी: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। लोग घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है और वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों से दूर हो जाते हैं।

गोपनीयता का खतरा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से डेटा चोरी और साइबर अपराधों का खतरा बढ़ जाता है। हैकिंग और फिशिंग जैसी घटनाएँ आम हो गई हैं।

सामाजिक अलगाव: विरोधाभासी रूप से, सोशल मीडिया पर अत्यधिक जुड़ाव वास्तविक दुनिया में सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। लोग ऑनलाइन बातचीत में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने आस-

पास के लोगों से दूरी बना लेते हैं।

साहित्य की समीक्षा

आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमें दूर बैठे दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, हमें दुनिया भर की जानकारी देता है और हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। हालांकि, इस आभासी दुनिया की चकाचौंध के पीछे एक गहरा और खतरनाक पहलू छिपा है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह चिंता, अवसाद, और अकेलेपन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देता है।[1]

सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों के 'आदर्श' और 'सफल' जीवन की झलक देखते हैं। लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, अपनी छुट्टियां, अपनी उपलब्धियां और अपनी खुशियों के क्षण साझा करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ सब कुछ परिपूर्ण दिखता है।[2]

जब हम अपनी वास्तविकताओं की तुलना इस आभासी दुनिया से करते हैं, तो हमारे मन में हीनता की भावना जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, और हम दूसरों की तरह खुश या सफल नहीं हैं। इस निरंतर तुलना के कारण हम आत्म-सम्मान में कमी, असुरक्षा और असंतोष महसूस करने लगते हैं, जो धीरे-धीरे चिंता और अवसाद का रूप ले लेता है।[3]

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव - सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसके सही और गलत दोनों तरह के उपयोग हो सकते हैं। यह वरदान भी है और अभिशाप भी। इसका सही उपयोग हमें प्रगति और विकास की ओर ले जा सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके सकारात्मक पहलुओं को अपनाना और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना महत्वपूर्ण है। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम इसके लाभों का आनंद ले सकें और इसके नुकसानों से बच सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' की दौड़ एक तरह का डोपामाइन चक्र बनाती है। जब किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक मिलते हैं, तो मस्तिष्क को खुशी मिलती है, जो उपयोगकर्ता को और अधिक पोस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक लत में बदल सकता है, जहां व्यक्ति अपनी आत्म-मूल्य को बाहरी स्वीकृति से जोड़ता है। जब उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वे निराश, उदास और खाली महसूस कर सकते हैं। यह लत वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों, सामाजिक संबंधों और यहां तक कि नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। साइबरबुलिंग एक और गंभीर समस्या है जो सोशल मीडिया के साथ आती है। डिजिटल दुनिया की गुमनामी के कारण, कुछ लोग दूसरों को परेशान करने और अपमानित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। साइबरबुलिंग के शिकार लोग अक्सर गंभीर तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' (FOMO) एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित बिना हमारे कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी मजेदार गतिविधि में भाग ले रहे हैं, तो हमें यह डर सताने लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह भावना बेचैनी और चिंता पैदा करती है, जिससे व्यक्ति लगातार ऑनलाइन रहने और अपने फोन को जांचने के लिए मजबूर होता है। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया केवल नुकसानदायक है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। यह लोगों को समान रुचियों वाले समुदायों से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, जानकारी साझा करने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सोशल मीडिया ने लोगों को अपने प्रियजनों से जुड़े रहने और भावनात्मक सहारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। लोग अपनी पोस्ट पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से अपनी कीमत आंकने लगते हैं। जब किसी पोस्ट पर कम लाइक या कमेंट आते हैं, तो यह उन्हें अस्वीकृत महसूस कराता है और उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। यह स्थिति 'छूट जाने का डर' (FOMO-Fear of missing out) भी पैदा करती है, जहाँ व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से पीछे छूट रहा है या किसी महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा नहीं है। यह डर उन्हें लगातार ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी नींद, एकाग्रता और वास्तविक जीवन के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सोशल मीडिया का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह लोगों को वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है। लोग अपने फोन पर इतना समय बिताते हैं कि उनके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत करने का समय नहीं रहता। वे आभासी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उनका वास्तविक सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, जिससे वे भावनात्मक रूप से अलग-थलग और अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन, भले ही वे सैकड़ों ऑनलाइन 'फ्रेंड्स' से घिरे हों, मानसिक तनाव और निराशा का कारण बनता है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की लत एक मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, झूठी खबरों और ऑनलाइन उत्पीड़न (साइबरबुलिंग) का सामना करना, और दूसरों की आभासी जीवनशैली से तुलना करना हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और शिक्षा में भी बाधा डालता है। निष्कर्ष के तौर पर, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यह हमें एक ऐसी आभासी दुनिया में धकेलता है जहाँ तुलना, दिखावा और निरंतर सत्यापन की मांग हमें मानसिक रूप से कमजोर और असुरक्षित बनाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे पहचानें और इसे सीमित करें, ताकि हम इस डिजिटल दुनिया का उपयोग समझदारी से कर सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चररू मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारी जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हमें दुनिया से जोड़ते हैं, हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर देते हैं। हालांकि, इन प्लेटफॉर्मों पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर, जो शुरू में केवल प्रशंसा

का एक माध्यम था, अब एक जटिल और कभी-कभी हानिकारक मनोविज्ञान का रूप ले चुका है। यह कल्चर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर डाल रहा है, जो चिंता, अवसाद और आत्म-सम्मान की कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है। सबसे पहले, 'लाइक' और 'कमेंट' की संख्या अक्सर हमारे आत्म-मूल्य का मापदंड बन गई है। जब हम कोई पोस्ट डालते हैं, तो हम अनजाने में यह उम्मीद करते हैं कि हमें पर्याप्त संख्या में लाइक और सकारात्मक कमेंट मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार का 'सामाजिक सत्यापन' (Social Validation) बन गया है, जहां हमारा आत्म-सम्मान दूसरों की राय पर निर्भर करता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह हमें बाहरी कारकों के आधार पर अपनी कीमत आंकने के लिए मजबूर करती है, न कि हमारे आंतरिक गुणों और क्षमताओं के आधार पर।

इसके अलावा, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक निरंतर तुलना का माहौल बनाता है। जब हम दूसरों की पोस्ट देखते हैं, जहां उनके पास हमसे ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं, तो हम तुरंत अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा रोमांचक, सफल या लोकप्रिय है। यह तुलना हमारे अंदर ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की 'परफेक्ट' ऑनलाइन जिंदगी से तुलना करते हैं, जो अक्सर एक भ्रम होता है। लोग सोशल मीडिया पर केवल अपनी सबसे अच्छी और सुखद तस्वीरें और क्षण साझा करते हैं, जिससे एक अवास्तविक छवि बनती है।

यह कल्चर 'फोमो' (Fear of missing out) यानी कुछ खो जाने के डर को भी बढ़ावा देता है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित किसी पार्टी या इवेंट में जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों पर बहुत सारे लाइक और कमेंट आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह डर हमें अकेला और अलग-थलग महसूस कराता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है।

नकारात्मक कमेंट और ट्रोलिंग भी एक बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी परिणाम के दूसरों पर नकारात्मक कमेंट कर सकता है। ये कमेंट किसी की भावनाओं को गंभीर रूप से ठेस पहुंचा सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। ट्रोलिंग और साइबर-धमकी (Cyber Bullying) की घटनाएं अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकती हैं। संक्षेप में, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ हमारा आत्म-सम्मान बाहरी सत्यापन पर निर्भर करता है, जहाँ हम निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और जहाँ हम आलोचना और नकारात्मकता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और हानिकारक प्रभाव डालता है। इस समस्या का समाधान व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया वास्तविक नहीं है। हमें अपनी कीमत को लाइक और कमेंट की संख्या से नहीं आंकना चाहिए। हमें अपनी आत्म-मूल्यता को आंतरिक गुणों और व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से कैसे करें और इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचें। अंततः, हमें सोशल मीडिया को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि एक ऐसी वस्तु के रूप में जो हमारे जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करे।

निष्कर्ष – मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। इसका उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक सहायक उपकरण भी हो सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से बचने, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करने और वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देने से हम सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम इसके लाभों का आनंद लेते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बत्तीनेनी जी., चिंतलापुडी एन., अमेंटा एफ. एफबी-प्रोफेट मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा चार उच्च प्रभावित देशों (यूएसए, ब्राजील, भारत और रूस) में कोविड-19 महामारी के आकार का पूर्वानुमान। एप्लिकेशन कम्प्यूटेशनल। 2020
2. चावेज एस., लॉन्ग बी., कोयफमैन ए., लियांग एस.वाई. कोरोनावायरस रोग (कोविड-19): आपातकालीन चिकित्सकों के लिए एक प्राइमर। अमेरिकन जर्नल ऑफ इमर्जेंसी 2020
3. चावला एस., मित्ताल एम., चावला एम., गोयल एल. कोरोना वायरस-प्राकृतिक आपदा के दूसरे तरीके की अंतर्दृष्टि। ईएआई समर्थित ट्रांस। व्यापक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। 2020;6: 1-5
4. छेत्री बी., गोयल एल.एम., मित्तल एम., बट्टीनेनी जी. कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय छात्रों में तनाव की व्यापकता का अनुमान लगाना: भारत से एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। जे. तैयबा यूनिवर्सिटी मेड साइंस। 2021;16: 260-267
5. अरोड़ा एम., गोयल एल.एम., चिंतलापुडी एन., मित्तल एम. कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक: एक सांख्यिकीय मॉडलिंग दृष्टिकोणय कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षा (ICCCS) पर 2020 के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाहीय पटना, भारत। 14-16 अक्टूबर 2020य पिसकैटवे, एनजे, यूएसए: इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE)य 2020. पृष्ठ 1-5
6. एल फिरदौसी एस., लचगर एम., काबैली एच., रोचडी ए., गौजदामी डी., एल फिरदौसी एल. कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का आकलन। शिक्षा अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय 2020
7. चिंतलापुडी एन., बट्टीनेनी जी., अमेंटा एफ. डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करके कोविड-19 ट्वीट्स का भावुक विश्लेषण। इन्फेक्ट डिस. रिप. 2021;13: 329-339
8. ली सी., चेन एल.जे., चेन एक्स., झांग एम., पैंग सी.पी., चेन एच. इंटरनेट खोजों और सोशल मीडिया डेटा से कोविड-19 प्रकोप की भविष्यवाणी करने की संभावना का पूर्वव्यापी विश्लेषण, चीन, 2020 यूरोसर्विलांस 2020

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट*

* एम.एससी.(बॉटनी) एम. एड. 6बी/115, आवास विकास, फेज-2, बुद्धि विहार, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – उपलब्धि आधुनिक समाज का केंद्र बिंदु है जिसका मूल शैक्षिक उपलब्धि मानी जाती है। विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एक बहुआयामी घटना है जिस पर अनेक कारकों का प्रभाव होता है जिसमें पारिवारिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध में उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव देखा गया है। शोध न्यादर्श में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। शोध निष्कर्ष में पाया गया है कि लिंग व क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार में नियंत्रण के स्तर का प्रभाव नहीं है।

शब्द कुंजी –पारिवारिक वातावरण, नियंत्रण, शैक्षिक उपलब्धि,उच्च माध्यमिक विद्यालय।

प्रस्तावना – शैक्षिक उपलब्धि छात्र के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है यह बालक के जीवन में व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके लिए किसी निश्चित क्षेत्र अथवा विशिष्ट प्रयास, समर्पण एवं निश्चित स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विद्यालय परीक्षा और परीक्षाओं में प्राप्त अंक अथवा ग्रेड संबंधित विषयों में प्राप्त जानकारी,ज्ञान एवं कौशल का परिणाम होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि की परिभाषा शिक्षा विश्व कोष में इस प्रकार दी है कि,'किसी विशेष क्षेत्र अथवा पाठ्यक्रम में सफल उपलब्धि या प्रदर्शन सामान्य रूप से कौशल,कठिन परिश्रम एवं रुचि के परिणाम स्वरुप शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न प्रकार के अंक ग्रेड या वर्णनात्मक टिप्पणी के रूप में होती है'।

पारिवारिक वातावरण–माता-पिता और बच्चों के बीच मौजूदा रिश्तों की व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे पुराना एवं बुनियादी मानव समूह है। यह बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए कई सामाजिक समूहों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। जहां बालक अपने माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से उन सामाजिक मानदंडों को सीखना शुरू करते हैं, जिसमें वह स्वयं को पाते हैं। यह बालक की शिक्षा का आदर्श स्थान एवं सबसे महत्वपूर्ण समूह है। परिवार बच्चे का प्रथम विद्यालय है, जहां पर माता-पिता बच्चों के आदर्श शिक्षक होते हैं,जिन पर बच्चों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चे की शिक्षा पर परिवार का गहरा प्रभाव होता है।

पारिवारिक वातावरण में कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिसमें मां की प्रतिक्रिया, अनुशासन, माता-पिता का बच्चे पर नियंत्रण, सुरक्षा शैली एवं माता-पिता एवं बच्चों के आपसी संबंध। किशोरावस्था में पारिवारिक वातावरण का बच्चे पर प्रभाव अधिक होता है जो उसके व्यक्तित्व एवं उपलब्धि को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह अवस्था बालक में भावात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को तेजी के साथ लाती है जिस कारण बालक को अतिरिक्त देखभाल, नियंत्रण एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि किशोर बालक अधिक परिपक्वता के साथ अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। इस परिवारिक पर्यावरण में उसके आत्मसम्मान और शैक्षिक उपलब्धि को घटाने या बढ़ाने की शक्ति होती है।

अध्ययन की आवश्यकता–आज की प्रतिस्पर्धात्मक एवं पूर्णता की दुनिया में हर कोई सफल होने की आकांक्षा रखता है। छात्रों के लिए इस सफलता में शैक्षिक उपलब्धि सम्मिलित है,जिसे उन स्तंभों के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जाता है जो बालक के भविष्य की सफलताओं का समर्थन करते हैं। यही कारण है की माता-पिता अपने बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर अत्यधिक ध्यान देने लगे हैं। इस प्रयोजन के लिए वे बालक पर कई प्रकार के दबाव,नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक नियमों को थोपते हैं। जिसका प्रभाव अंततः छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर होता है। इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में बच्चों पर नियंत्रण के प्रभाव का अध्ययन करना है। आशा है कि यह शोध विषय वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक होगा एवं छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव को नए तथ्यों के साथ संदर्भित कर सकेगा।

समस्या कथन–'पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन।'

शोध उद्देश्य

1. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

2. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमांकन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि-प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध की सर्वे शोध अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है। अत: शोध की प्रकृति सर्वे शोध की है। सर्वे शोध में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी का वर्णन किया जाता है।

शोध जनसंख्या-यह शोध उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों पर किया गया है। अत: प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

शोध न्यादर्श-प्रस्तुत शोध अध्ययन में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 512 छात्र-छात्राओं का न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि के आधार पर किया गया है। इस विधि में जनसंख्या को विभिन्न उप समूह में विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक उप समूह से न्यादर्श का चयन किया जाता है परंतु चयनित न्यादर्श उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं होता है।

शोधार्थी ने 23 विद्यालयों (14 ग्रामीण क्षेत्र से वं 9 शहरी क्षेत्र से) का चयन न्यादर्श में किया। इन विद्यालयों में 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया,जिनमें से 307 छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से एवं 205 छात्र छात्राएं का शहरी क्षेत्र से चयन किया गया।इसी प्रकार 282 छात्र एवं 230 छात्राओं का चयन न्यादर्श में किया गया।

शोध उपकरण-प्रस्तुत शोध में करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित 'Home Environment Inventory' का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण हेतु किया गया है विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में संग्रहित किया गया है।

प्रदतों का सांख्यिकी विश्लेषण-शैक्षिक उपलब्धि -प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी ने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षा परिणाम के रूप में प्राप्त की एवं उसे तीन वर्गों में विभाजित किया 30 से 44 प्राप्तांक को निम्न स्तर,45 से 59 प्राप्तांक को औसत स्तर एवं 60 व उससे अधिक प्राप्तांक को उच्च स्तर की शैक्षिक उपलब्धि में विभाजित किया।

परिकल्पना. 1- छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.1- छात्र एवं छात्राओं का माध्य, मध्यमान अंतर,मानक विचलन व टी.मान

लिंग	संख्या	माध्य	माध्य अन्तर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
छात्र	282	46.52	1.48	11.94	1.451	सार्थक
छात्राऐं	230	45.04		10.90		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों का माध्य 46.52 है एवं मानक विचलन 11.94 है। वहीं छात्राओं का माध्य 45.04 है और मानक विचलन 10.90 है। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का औसत अंतर 1.48 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) t=1.451है जो टी.के सारणीबद्ध मान (table value) t=1.96 से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अत: छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना.2-शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.2-शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य, मध्यमान अंतर, मानक विचलन एवं टी.मान।

क्षेत्र	संख्या	माध्य	माध्य अन्तर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
ग्रामीण छात्र	307	45.73	0.31	11.47	0.306	सार्थक अन्तर नहीं है
शहरी छात्राऐं	205	46.04		10.56		

उपरोक्त सारणी 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण छात्रों का माध्य 45.73 है तथा मानक विचलन 11.47 है। वहीं शहरी छात्रों का माध्य 46.04 है तथा मानक विचलन 11.56 है। ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के बीच मध्यमान अंतर 0.31 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) t=.306 है जो की टी.के सारणीबद्ध मान(Table value) 1.96 से कम है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का स्तर-पारिवारिक वातावरण में इन्वेंटरी के मैन्युअल के अनुसार नियंत्रण के स्तर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है,जिसका आधार प्रतिशतांक(Percentile)है। P25 एवं इससे कम को निम्न स्तर,P26 से P74 को औसत स्तर और P75 या उससे अधिक को उच्च स्तर में विभाजित किया गया है।

परिकल्पना.3-छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.3-छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का माध्य,मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	लिंग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियन्त्रण	छात्र	282	23.98	6.405	3.755	सार्थक
	छात्राऐं	230	21.74	7.071		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवार में नियंत्रण के आधार पर छात्रों का माध्य 23.98 तथा मानक विचलन 6.405 है। वहीं छात्राओं का माध्य21.74 तथा मानक विचलन 7.071 है।

सार्थकता स्तर 0.01 पर टी.का गणना मान 3.755 है,जो की टी.के सारणीबद्ध मान से अधिक है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। अत: छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर सार्थक अंतर है।

परिकल्पना.4- शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.4- शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण

का माध्य, मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	क्षेत्र	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियन्त्रण	ग्रामीण	307	24.96	4.870	0.751	सार्थक
	शहरी	205	21.32	6.846		अन्तर नहीं है

उपरोक्त सारणी 4 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि परिवार में छात्रों पर नियंत्रण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का माध्य 24.96 तथा मानक विचलन 4.870 है। वहीं शहरी क्षेत्र के छात्रों का माध्य 21.32 तथा मानक विचलन 6.846 है।

सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर टी.का गणना मान .751 है जो टी. के सारणीबद्ध मान 1.96 से कम है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अत: शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध–

चर	छात्रों की संख्या	सहसम्बन्ध	सार्थकता स्तर
शैक्षिक उपलिब्ध	512	0.708**	0.01
परिवारिक वातावरण	512		

उपरोक्त सारणी 5 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि छात्रों के पारिवारिक वातावरण एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच सहसंबंध गुणांक .708** है जो की सार्थकता.01 पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच एक सहसंबंध है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की छात्रों के पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं पारिवारिक वातावरण को बदलने पर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है।

निष्कर्ष–छात्रों के जीवन में सफलता प्राप्त करने का सार उनकी शैक्षिक उपलब्धि को माना जाता है। पारिवारिक वातावरण का छात्र के व्यक्तित्व पर निर्णायक एवं स्थाई प्रभाव पड़ता है। इसमें छात्र की शैक्षिक उपलब्धि भी निर्णायक रूप से प्रभावित होती है। प्रस्तुत शोध में पारिवारिक वातावरण में छात्रों के व्यवहारों पर नियंत्रण के आधार पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात किया गया है। शोध परिणामों में पाया गया है कि–

1. लिंग अर्थात छात्र एवं छात्राओं के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। परंतु लिंग के आधार पर अर्थात छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में सार्थक अंतर है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर छात्रों के परिवार में नियंत्रण का स्तर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित नहीं करता है।
2. क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर अर्थात शहरी क्षेत्र के विद्यालय के छात्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अत: उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. A., Maldonado-Macías, A. A., Arredondo-Soto, K. C., Baez-Lopez, Y., Carrillo-Gutiérrez, T., & Hernández-Escobedo, G. (2020) the Impact of Environmental Factors on Academic Performance of University Students Taking Online Classes during the COVID-19 Pandemic in Mexico Sustainability, 12(21), 9194
2. Abhishek Srivastava "Effect of School Environment on the Academic Achievement of Students" January 2022 DOI:10.52984/ijomrc2114
3. Achievement- A casual Model. 2nd International Conference on Education and Management Technology. vol-13,pp- 200-204
4. Adekola, B.O. (2012): Home and School factors as determinants of student's achievement in Senior Secondary School English comprehension in four South Western States. Research Journal in Organizational Psychology and Educational Studies. vol-1, issue-5, pp- 280- 283.
5. Bhadaria P. (2013): A Study on role of Emotional Intelligence for Academic Achievement for Students. Research Journal of Educational Sciences. Vol-1, issue-2, pp-8-12.
6. Bhadwal, P.S. and Sharma, D.(2012): Intelligence and Self- concept as Co-relates of Academic Achievement. Indian Streams Research Journal. vol- 2 , issue-9 , pp-1-5.
7. Chaudhari, V.P., Jain, 2005, Factors Contributing to Academic Under-achievement, Ph.D. Psy., Nag. U., pg660
8. Chen, J.J.L. (2009). Relation of parental, teacher and peer support to academic engagement and achievement among Hong Kong students. School Psychology Intern., 29,183-198.
9. Yara and Olatunde (2009): Relationship between Teachers attitude and students' Academic Achievement in Mathematics in some selected Senior Secondary Schools in South-western Nigeria. European Journal of Social Sciences. vol-11, issue-3, pp-364-369.
10. Zokaitluangi & Lalhunlawma (2005), "Intelligence and Academic Achievement in Relation to Parent-Child Relationship", Indian Journal of Psychometry & Education, Vol. 36(1).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : एक अध्ययन

श्रीमती योगिता गौर* डॉ. राखी शर्मा **

*शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, आत्म-अनुशासन एवं समय-प्रबंधन पर देखे जा रहे हैं। अध्ययन में देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थियों (60 लड़के और 60 लड़कियाँ) को यादृच्छिक नमूना पद्धति से चुना गया। डेटा संग्रह हेतु 'Time Management Test (TMT)' तथा 'Social Media Usage Scale (SMUS)' का उपयोग किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण t test, ANOVA और Pearson सहसंबंध विधियों से किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध ($r = -0.412$, $p<0.01$) पाया गया। लड़कियों का समय-प्रबंधन स्तर लड़कों की अपेक्षा उच्च था तथा अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाले विद्यार्थियों का समय-प्रबंधन स्तर न्यूनतम पाया गया। यह अध्ययन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि संतुलित सोशल मीडिया उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता और आत्म-विकास हेतु आवश्यक है।

शब्द कुंजी – समय-प्रबंधन, सोशल मीडिया, विद्यार्थी, शैक्षणिक उपलब्धि, सहसंबंध।

प्रस्तावना – वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप तथा स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि ज्ञानार्जन, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि इन माध्यमों का संतुलित उपयोग विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव और शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को सुलभ बनाता है, किन्तु इनका 'अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग' विद्यार्थियों के 'समय-प्रबंधन कौशल' पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

समय-प्रबंधन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य कौशल है, जो न केवल अध्ययन में सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके भविष्य की उपलब्धियों और व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि विद्यार्थी अध्ययन, खेलकूद, पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने में असफल रहते हैं, तो उनकी शैक्षणिक आकांक्षाएँ और उपलब्धियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

इसी संदर्भ में यह शोध अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन के मध्य संबंध को उजागर करता है। यह अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं के लिए भी उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

समीक्षा साहित्य

1. डॉ. सुधीर कुमार एवं डॉ. रमेश मिश्रा (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों के अध्ययन समय को कम करता है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन औसतन 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, उनमें ध्यान भंग होने की प्रवृत्ति अधिक होती है और उनके परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए।
2. डॉ. प्रिया शर्मा (2021) ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किए गए अध्ययन में निष्कर्ष दिया कि लड़कियों का समय-प्रबंधन लड़कों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लड़कियाँ सोशल मीडिया का प्रयोग प्राय: सामाजिक संपर्क और शिक्षा-संबंधी जानकारी के लिए करती हैं, जबकि लड़के मनोरंजन और गेमिंग में अधिक समय व्यतीत करते हैं।
3. डॉ. अरविंद सिंह (2020) ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया उपयोग और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच नकारात्मक सहसंबंध है। उनका अध्ययन दर्शाता है कि जो विद्यार्थी 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, उनमें परीक्षा अंकों का औसत 15-20 प्रतिशत तक घटा हुआ पाया गया।
4. डॉ. कविता जोशी (2018) ने अपने शोध में यह रेखांकित किया कि जिन विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग मुख्यत: शैक्षणिक उद्देश्यों (जैसे – शैक्षिक वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स साझा करना) के लिए किया, उनका समय-प्रबंधन अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर था। इससे यह सिद्ध होता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

5. डॉ. संजय वर्मा (2020) ने शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि शहरी विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग का औसत 4.2 घंटे प्रतिदिन था, जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत 2.1 घंटे था। समय-प्रबंधन के स्तर पर भी ग्रामीण विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

6. डॉ. रेखा तिवारी (2022) ने यह पाया कि सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन गेमिंग का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की दिनचर्या पर पड़ता है। समय-प्रबंधन की कमी के कारण न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन गिरता है बल्कि मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी बढ़ती है।

7. डॉ. अनिल चौधरी (2017) ने अपने शोध में सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को समय-प्रबंधन कौशल सिखाना अत्यंत आवश्यक है। उनके अध्ययन में पाया गया कि समय-प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित किया और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इन सभी भारतीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। संतुलित एवं शैक्षणिक उपयोग विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक हो सकता है, जबकि अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से अध्ययन, स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ववर्ती शोध इस अध्ययन के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि यह विषय वर्तमान समय की शैक्षिक चुनौतियों में से एक है।

शोध के उद्देश्य:

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन स्तर का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों के सोशल मीडिया उपयोग स्तर को जानना।
3. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच संबंध का पता लगाना।
4. लड़के एवं लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में अंतर का विश्लेषण करना।
5. सोशल मीडिया उपयोग के विभिन्न स्तरों (कम, मध्यम, अधिक) का समय-प्रबंधन पर प्रभाव देखना।

परिकल्पनाएँ:

1. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक सहसंबंध' होगा।
2. लड़के और लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में 'सार्थक अंतर' होगा।
3. सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन को 'प्रभावित करेगा'।

अध्ययन का महत्व – यह अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक प्रशासन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह समझने में मदद करेगा कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय-प्रबंधन और अध्ययन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। साथ ही, यह नीति-निर्माताओं को भी डिजिटल शिक्षा और सोशल मीडिया नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

शोध विधि – नमूना (Sample) देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थी (60 लड़के, 60 लड़कियाँ), कक्षा 11वीं और 12वीं से। नमूना पद्धति (Sampling Technique)-यादृच्छिक नमूना (Random Sampling)।

उपकरण (Tools)

1. Time Management Test (TMT) -डॉ. सुधीर कुमार द्वारा विकसित।
2. Social Media Usage Scale (SMUS) – शोधकर्ता द्वारा निर्मित, विश्वसनीयता।

सांख्यिकीय तकनीक (Statistical Techniques) :

- माध्य और मानक विचलन
- Pearson सहसंबंध
- t test
- ANOVA

शोध न्यादर्श – शोध के दौरान कुछ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव भी लिए गए। कई विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे 'रील्स' और 'गेमिंग स्ट्रीम्स' में इतना समय बिताते हैं कि पढ़ाई का समय कम हो जाता है। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि वे टाइम-टेबल बनाकर सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होती।

आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1: शोध नमूना (Sample Distribution)

लिंग (Gender)	विद्यार्थी संख्या	प्रतिशत
लड़के	60	50
लड़कियाँ	60	50
कुल	120	100

तालिका 2: विद्यार्थियों का औसत समय-प्रबंधन स्कोर (Time Management Test – Mean & SD)

समूह	N	माध्य	मानक विचलन
लड़के	60	68.45	7.82
लड़कियाँ	60	72.30	8.15
कुल	120	70.38	8.04

तालिका 3: सोशल मीडिया उपयोग का औसत (Daily Usage in Hours)

उपयोग का स्तर	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन
कम (0-2 घंटे)	40	1.8	0.42
मध्यम (2-4 घंटे)	50	3.1	0.51
अधिक (4 घंटे)	30	5.6	0.68
कुल	120	3.3	1.54

तालिका 4: सहसंबंध (Correlation between Time Management & Social Media Usage)

चर	r-मूल्य (r-value)	महत्व स्तर (p-value)	व्याख्या
समय-प्रबंधन स्कोर एवं सोशल मीडिया उपयोग	0.412	0.01	नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध

तालिका 5: t Test (Gender Difference in Time Management)

समूह	N	माध्य विचलन	मानक	t –मूल्य	p–मूल्य	परिणाम
लड़के	60	68.45	7.82	2.46	0.015	अंतर सार्थक
लड़कियाँ	60	72.30	8.15			

तालिका 6: ANOVA (Effect of Social Media Usage Level on Time Management)

स्रोत	SS	df	MS	f-मूल्य	p–मूल्य	परिणाम
स्मूहों के बीच	525.43	2	262.71	4.52	0.013	सार्थक
समूहों के भीतर	6782.57	117	57.96			
कुल	7308.00	119				

निष्कर्ष :

1. विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि समय–प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'सार्थक नकारात्मक सहसंबंध' ($r = -0.412$, $p<0.01$) विद्यमान है, अर्थात् सोशल मीडिया उपयोग बढ़ने पर विद्यार्थियों का समय–प्रबंधन स्तर घटता है।
2. लड़कियों का औसत समय–प्रबंधन स्कोर लड़कों की अपेक्षा अधिक पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अध्ययन और अन्य गतिविधियों में समय के नियोजन में अधिक सक्षम हैं।
3. जिन विद्यार्थियों का सोशल मीडिया उपयोग उच्च स्तर (4 घंटे या अधिक) का था, उनका समय–प्रबंधन सबसे निम्न पाया गयाय जबकि सीमित उपयोग (0–2 घंटे) करने वाले विद्यार्थियों ने सर्वाधिक संतुलित समय–प्रबंधन प्रदर्शित किया।
4. t test के परिणामों ने यह सिद्ध किया कि लिंगानुसार अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समय–प्रबंधन में लिंग एक प्रभावी कारक है।
5. ANOVA के निष्कर्षों से यह पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय–प्रबंधन पर 'महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव' डालता है।

सुझाव – अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से 'डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रमों' तथा 'समय–प्रबंधन प्रशिक्षण' से जोड़ा जाए, जिससे वे अपने अध्ययन एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित कर सकें। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'वर्कशॉप' और 'काउंसलिंग सत्र' आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग तथा अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा हो। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके सोशल मीडिया उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए तथा उन्हें उद्देश्यपूर्ण और संतुलित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा नीति एवं पाठ्यचर्या में 'डिजिटल अनुशासन और समय–प्रबंधन कौशल' को शामिल किया जाना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था से ही इन आदतों को आत्मसात कर सकें। विद्यार्थियों को 'टाइम–टेबल' एवं 'डेली प्लानर' अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे अध्ययन, मनोरंजन और सामाजिक जीवन में संतुलन बना सकें। साथ ही, विद्यालयों में 'मेंटॉरशिप प्रोग्राम' और 'मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएँ' उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को समय–प्रबंधन संबंधी समस्याओं और तनाव का प्रभावी समाधान मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुमार, संजीव एवं मिश्रा, राजेश (2019). 'सोशल मीडिया और शैक्षणिक उपलब्धि', नई दिल्ली: अजय पब्लिकेशन।
2. शर्मा, प्रीति (2021). 'किशोरों में समय–प्रबंधन: एक अध्ययन' जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. सिंह, अमित (2020)– Impact of social media on academic life of students- International Journal of Education Research, 45'(2), 98-110.
4. गुप्ता, अनीता (2020). 'डिजिटल युग और विद्यार्थियों का आत्म–अनुशासन', वाराणसी: ज्ञानगंगा पब्लिकेशन्स।
5. वर्मा, सुनील (2021). 'शैक्षिक मनोविज्ञान और सोशल मीडिया', लखनऊ: यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. Brown, J., & Larson, R. (2020). Adolescents and time use. *Journal of Youth Studies,23*(4),112–128. https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1599173
7. OECD (2022). `Digital education outlook'. [{nag: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/19939019
8. Patel, Jyoti (2022). Adolescents' time management and digital distractions. *Indian Journal of Psychology and Education, 12(1), 55–66.
9. चौहान, आर. के. (2021). 'समय–प्रबंधन एवं शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंध', दिल्ली: शारदा पब्लिकेशन्स।
10. भारत सरकार (2020). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India

Dr. Sunita Shrivastava*

***Professor (Law and Legal Studies) SAGE University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract : The digital revolution has increased India's free speech opportunities and risks. Free expression is protected by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, yet online hate speech is causing divisiveness, harassment, and even physical violence. Social implications result from technologies that circulate divisive narratives and create online "echo chambers" that legitimize prejudice. To address this problem, India has created a web of constitution, criminal, and IT laws. Definitional issues and selective enforcement restrict these rules' effectiveness. Legislative reformers want clearer standards, appropriate bounds, and government overreach safeguards. This shows that the Supreme Court takes hate speech seriously by requiring proactive FIR filing. Hate speech and social media platforms remain important due to private firms' disproportionate power over public discussion and lack of transparency regarding their moderation and accountability policies. To reconcile constitutional rights with societal protection, stronger legal definitions, proactive monitoring, improved platform administration, and greater digital literacy must be implemented. This article stresses the contradiction between free speech and hate speech in India's digital era and proposes a multi-stakeholder model that balances personal freedom, judicial oversight, technological responsibility, and democratic values.
Keywords: Freedom of Speech, Reasonable Restrictions, Online Hate Speech, Social Media Platforms.

Introduction - Article 19(1)(a) of the Constitution of India mandates that citizens have the right to freedom of expression, which is considered to be one of the most fundamental principles of Indian democracy. [1] It ensures that any and all individuals are free to express their opinions without the fear of being punished for doing so. The United States Supreme Court has referred to this right as "the mother of all liberties" [2] due to the fact that it established the foundation for a democratic society in which all individuals are deemed to be on an equal footing.

Reasonable Restrictions under Article 19(2): The right to free speech does not include everything, despite the fact that it encompasses a lot of area. Article 19(2) specifies necessary restrictions to defend the sovereignty, integrity, security, public order, decency, and morality of the state, as well as to prevent the promotion of criminal behavior, contempt of court, and defamation [3]. By virtue of the fact that speech may be transmitted instantly and has far-reaching repercussions, the delicate equilibrium that exists between freedom and restriction becomes very challenging in the digital era.

Growth of Online Hate Speech in India: Because to the spread of social media, an unprecedented number of individuals are able to have their voices heard with their ideas. On the other hand, the rapid proliferation of hate speech on the internet in India is a consequence of the empowerment that digital technology facilitates. Studies have shown that religious minorities, women, and underprivileged people are often the targets of hate speech on the internet [4]. This is because online hate speech has the effect of normalizing prejudice and expanding social disparities. The fact that communal misinformation was spread before to elections and that high-profile incidents such as the Bulli Bai and Sulli Deals applications demonstrate how hate on the internet can inflict serious harm [5].

Regardless of whether or not formal complaints have been lodged, the Indian Supreme Court has mandated that states submit First Information Reports (FIRs) against hate speech. This directive was issued in response to the severe nature of the situation [6]. The court has recognized the need of striking a balance between the protection of democratic freedoms and the restriction of speech that is disruptive and puts public safety at risk.

Objectives :

1. To research online hate speech and freedom of expression within the legal framework of India.
2. To evaluate the societal effect and provide well-rounded remedies.

Prevalence Of Online Hate Speech: According to surveys, there has been a concerning increase in the amount of hate speech that can be found on the internet in India. According to a whitepaper published by Microsoft, the frequency of incidents involving hate speech grew by 26%

between the years 2016 and 2020. Religion, along with gender and caste, continues to be the primary focus of attention. Social media platforms such as YouTube, Facebook, and Twitter are perfect for the distribution of controversial information because of the combination of characteristics that include user anonymity, echo chambers, and algorithms that reward content that is contentious. The issue of hate speech on the internet has become an increasingly major problem in India over the last few years, which has resulted in the passage of criminal laws and an increase in worries over the impact it has on society, especially on social media platforms.

There have been a number of factors that have led to the proliferation of hate speech on the internet, including religious disputes, political differences, and the anonymity that the internet allows. A response to this danger has been taken by India, which has enacted criminal legislation with the intention of limiting hate speech on the internet. Social media platforms are supposed to actively strive towards decreasing hate speech, misinformation, and other harmful content in accordance with the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These rules were formed as a result of the IT Act. Additionally, in order for systems to be in compliance with these standards, they are required to have criticism officers, establish processes for the removal of information, and adhere to an ethical code. As a result of the criticism that has been leveled against the application of these restrictions, concerns over potential censorship and limitations on free speech have been raised. According to groups that are part of civil society, the ideas have the potential to provide the government an excessive amount of jurisdiction to restrict communication online and to stifle opposing viewpoints.

As a consequence of the widespread dissemination of hate speech on the internet, intolerance, discrimination, and acts of violence have grown increasingly prevalent in today's society. Due to the vast reach of social media platforms and the algorithmic amplification they provide, hate speech flourishes on these platforms, which further exacerbates the tensions and differences that already exist in society. People have the confidence to participate in hate speech without fear of penalties when they use the internet because of the anonymity that comes with utilizing the internet. This only helps to further foster the propagation of hate speech. Among the consequences that this has in the real world include acts of violence against members of the community, cyberbullying, and damage to intellectual property that is directed against specific persons and organizations. In order to combat hate speech on the internet, it is necessary to strike a careful balance between safeguarding individuals' rights to self-defense and preventing unnecessary injury. In order to construct robust regulatory frameworks, create a lifestyle that is tolerant and polite online, and promote virtual literacy, it is vital to implement a multi-stakeholder approach that includes government, civil society, and generational agencies. It is only through the collaborative efforts of its people that India will be able to tackle hate speech on the internet and create a digital world that is more safe and inclusive.

Social Impact On Social Media: Because of the changes in criminal law in India, the social media prison system has been drastically transformed, which has had an effect not only on the framework but also on the users.

There has been a rise in the amount of pressure placed on social media platforms to efficiently display and edit content using their systems. Because of this, platform responsibility is given a high priority. In order to ensure that the new criteria are followed, systems have created technology that filter information automatically and have formed teams of moderators to ensure that they are in compliance. Concerns about censorship and the restriction of free speech have been exacerbated as a result of the fact that institutions are struggling to find a medium ground between maintaining the right of people to free expression and lowering instances of hate speech.

When it comes to the repercussions of indulging in hate speech online, users of social media platforms are more aware of the implications as a result of the legislation amendments. As a result of more stringent regional results, individuals are becoming more careful about the material and language that they use on social media networks. As a consequence of this heightened knowledge, a number of users have started engaging in self-law, while others continue to test the boundaries of what constitutes permissible speech, often putting themselves in danger of legal repercussions for doing so.

We have been able to successfully advocate for more stringent legislative requirements to effectively prevent hate speech on the internet, thanks to the assistance of civil society organizations. Through their efforts, they have advocated for social media platforms to become more transparent and responsible, and they have demanded that these platforms create severe standards and processes in order to successfully address hate speech. As a result of the participation of civil society, the stories of underrepresented groups who have been victims of hate speech online have been amplified, and the debate around social media platforms has become more inclusive.

The modifications that have been made to the prison system in India in order to address hate speech on the internet have been an essential step toward building a safer and more inclusive online world. It is possible that these modifications may reduce the dissemination of hate speech and the adverse impact it has on society. This will be accomplished by holding defensive social media institutions accountable and by boosting the attention of consumers. It is still a difficult task to find a reasonable middle ground between preventing vulnerable businesses from being harassed online and enabling people to express themselves

freely. For the purpose of properly addressing these challenges and cultivating a subculture of appreciation and tolerance inside the digital domain, it is very necessary for the government, social media institutions, civil society, and customers to continue working together.

Legal Framework: At this time, there are no rules in India that particularly address hate speech that occurs online. In spite of the fact that they are subject to challenging conditions, the provisions of the Indian Penal Code (IPC) and the Information Technology Act (IT Act) that are now in effect provide significant protection. On the other hand, Section 153A [7] makes it unlawful to foster hostility among groups, whilst Section 295A [8] makes it illegal to do anything with the intention of offending spiritual emotions. Some people believe that these legal guidelines are too vague and simple to exploit, which will eventually prevent people from expressing themselves in a real manner. Furthermore, in 2015, it was decided that Section 66A [9] of the content Technology Act violated free speech principles, which rendered its power to authorize the removal of content that was deemed to be "offensive" unlawful. An increase in hate speech on the internet has occurred in India in recent years, and it may be attributed to a number of factors, including political conflict, spiritual tensions, and the fast rise of social media. The severity of the issue has prompted the government of India to initiate measures to address the societal impact on the infrastructure of social media platforms and to modify the laws that regulate criminal behavior.

Legal Reforms: The Indian legal system has changed to combat online hate speech. Ministry of Electronics and Information Technology announced the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 to make social media intermediaries responsible for content uploaded on their networks. These standards require corporations to adopt mechanisms to identify and remove unlawful information, including hate speech, within strict timelines. Additional regulations addressing online hate speech have been introduced to the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. For instance, Section 153C of the Indian Penal Code makes it a felony to instigate religious, racial, caste, or community hatred, and it becomes much more unlawful when it leads to violence. Online hate speech in India is rising, prompting new criminal regulations.

1. **Legislative Reforms:** The Information Technology (IT) Act and the Indian Penal Code (IPC) are two of several anti-hate speech statutes in India. To properly regulate hate speech on the internet and hold offenders accountable, amendments to those statutes were put forth.
2. **Section 153A and 295A of IPC:** Plans and malevolent deeds meant to incite religious feelings are dealt with by these laws, while selling enmity among separate firms is dealt with by others based on factors such as religion, race, place of birth, home, language, etc. They provide the groundwork for cases where hate speech is prosecuted.
3. **Amendments to the IT Act:** Other laws address marketing animosity among distinct enterprises based on variables like as religion, race, place of birth, home, language, etc., whereas these laws deal with plans and malicious activities aimed to provoke religious emotions. For prosecutions including hate speech, they provide the necessary framework.

Supreme Court Directs States To Proactively Register Firs Against Hate Speech: The Supreme Court of India ordered all states to automatically file First Information Reports (FIRs) for hate speech without a complaint. The court stressed that this injunction applies to all hate speech offenders regardless of religion to protect the nation's secular character. Hate speech offenders may be charged under IPC 153A, 153B, 295A, and 505A. The Supreme Court advises states to respond quickly to hate speech cases regardless of official complaints to preserve India's secular ethos. The court has stated that hate speech must be prosecuted under the IPC. The court also ordered all state director generals of police to inform their subordinates of this ruling and warned that law enforcement that disobeys will be in contempt of court. Many supported the court's ruling to curb hate speech, while others concerned it would restrict free expression. Advocates say we must maintain free speech while fighting hate speech. The authors stressed the need for a balanced approach based on existing hate speech jurisprudence and the rule of law, and they advised against severe measures that may accidentally limit free expression. This decision extends on the Supreme Court's October rule that hate speech incites communal violence and requires immediate FIR submission. The court's rulings have indicated its concern for hate speech's consequences on social harmony and national integrity, as well as its commitment to India's secularism and unity. Few of the many hate speech reasons are:

1. **Social and economic factors:** Disparities between wealth and power fuel bigotry [10]. Hate speech is more likely to be perpetrated or aimed at disadvantaged or underprivileged people [11]. A little optimism is all it takes for individuals who have gotten nothing so far to embrace terrible things very fast. As soon as they fall for a ruse, cunning individuals start taking advantage of them. Hysteria is promoted by social elites who take advantage of the situation. Victims deceive those who are good at heart for their own gain.
2. **Political Climate:** The level of hate speech in a society is significantly affected by political discourse and policy. His goal [13] or the normalization and encouragement of such conduct [12] may be attained by inflammatory political speech. It is very uncommon for political parties, which have differing ideologies, to use their considerable influence to influence public opinion in their favor.
3. **Access to Technology:** Hate speech has grown at a fast pace due in large part to the expansion of the internet

and social media. Hate speech has found an easy outlet on several internet platforms [14], such as WhatsApp, Facebook, Instagram, and others. On top of that, people may feel more comfortable expressing racist or sexist ideas on these sites since they may remain anonymous and not be held accountable.

4. Group Dynamics: Hate speech may spread quickly in certain communities. Conformity anxiety and peer pressure may amplify hate speech. For instance, the Shiv Sena, Bajrang Dal, KarniSena, Bheem Sena, and others have disseminated hate speech. Online echo chambers and IRL groups may listen to hate speech. Like-minded persons may influence group members to become more extreme, polarizing them [15].

5. Fear and Ignorance: Hate speech may develop from ignorance about other cultures, beliefs, and origins and fear of the unknown. Other religions or groups may make prejudiced judgments and assumptions about others since they don't know enough. To overcome ignorance and fear, which fuel hate speech, public education and awareness are frequently needed. Promoting cultural and religious knowledge, open-mindedness, and interfaith dialogue may help people overcome their prejudices. Representatives of various organizations and religions must engage in civic debate and mutual learning to reduce misunderstandings and promote tolerance. Media literacy initiatives may also reduce misinformation and bias by educating people to properly evaluate news.

6. Historical and Cultural factors: Cultural and historical biases may perpetuate hate speech. Ancient religious writings and epics often spark this debate. Our holy books and epics form the basis of numerous faiths. Controversies concerning these texts and different interpretations of prior epics cause strife and hate speech. Atheists or secular persons may reject ancient epics' religious tales. Speaking up against superstition may lead to hate speech. When viewpoints on these old epics vary, cultural conflict [16] may occur when one group views another's beliefs as an assault to their cultural identity. Conflicts may lead to hate speech. Due to these prejudices, individuals may use hate speech to degrade and stereotype others. Stop these discrepancies. Everyone thinks as they do.

7. Political and Ideological Extremism: Extremist political and ideological groups may utilize hate speech. A diverse society may lead to tensions and hate speech due to political and ideological differences [17]. Some individuals identify with Sangh Parivar and RSS, while others with Bajrang Dal, Gau Raksha Dal, and Jai BhimSena. They may have distinct aims and beliefs, and when they clash, hate speech may help either group. Effective solutions often require tolerance, peaceful political discourse, and the rejection of hate speech for ideological or political gain. Entertainment, Media Entertainment that reinforces unfavorable stereotypes or portrayals of specific cultures may encourage hate speech.

8. Lack of Legal Consequences: When hate speech laws are weak or poorly enforced, some may feel empowered to engage. Because they may think their actions won't be punished. People may not realize the implications of religiously motivated hate speech [18]. Hate speech often results in fines, prison time, or both, however penalties vary by country and region. Hate speech that incites violence or damages others may have greater legal implications. To deter hate speech, the public must be aware of these norms and their consequences and enforce them.

9. Psychological Factors: Psychological factors including racism, intolerance, and the craving for control may also spread hate speech [19]. Hate speech poisons individuals and societies due to a complex combination of psychological factors. These basic mechanisms must be understood to combat hate speech. Hate speech is propagated by psychological factors including power, intolerance, and prejudice. Each of these elements spreads racist and sexist discourse in its own manner. Hate speech is fueled by biases against other groups, whether by race, religion, or ethnicity. Bigots' discriminating rhetoric becomes more widespread when they vent their fury [20]. Intolerant people may hate individuals who are different due to a lack of information or fear of the unknown. Hate speech emerges from intolerance as individuals want dominance. Raising intolerance via hyperbole only deepens disparities and societal tensions.

10. Desire for Power and Control: Hate speech stems from the craving for domination and control. When they feel powerless or rejected, some resort to hate speech to show their dominance. Oppressors may dehumanize their targets using hate speech to gain power. Understanding these psychological factors is crucial to fighting hate speech. Opposing prejudice, promoting tolerance, and addressing power disparities may help destroy hate speech's psychological underpinnings.

11. Global Events and Conflicts: Global conflicts and events may intensify hate speech against some groups in local discourse. Global events and wars may impact domestic discourse, which might increase hate speech against specific populations. As states recover from global events, latent tensions may rise, fostering racist discourse. International events like wars or geopolitical conflicts may increase hate speech at home. When global tensions grow, many become more prejudiced. Frustrations or anxieties about specific groups might generate hate speech. Due to globalization, global events impact local discourse more. As said, social media platforms make hate speech simple to spread, which intensifies internal tensions and enables it to transcend borders. The influence of current events on hate speech requires a nuanced response. Governments and public society must collaborate together to address global crisis-inspired hate speech [22].

12. Echo Chambers and Confirmation Bias: It is possible for hate speech to thrive and even increase inside

closed networks as a result of internet echo chambers and the tendency to seek out data that supports one's present opinions.

Social Media Platforms And Hate Speech: Hindu nationalist groups, organizations, and leaders in India have more outlets than ever to promote their messages and influence voters thanks to social media. X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, and Telegram have helped mainstream Hindu nationalist beliefs and propagate hateful material. It's troubling that this digital mobilization broadcasts and shares in-person hate speech gatherings and activities to Indian and diaspora audiences worldwide. Meta-controlled sites have spread internet violence, especially after Prime Minister Modi's 2014 election [23]. WhatsApp expects 800 million Indian users this year[24], whereas Facebook has around 581 million [25]. There are 392 million Instagram users nationwide. YouTube dominates beyond Meta with 462 million users. 84 million Indians use Telegram, whereas just 27.3 million use X (formerly Twitter) [28]. Facebook whistleblower Frances Haugen called Modi one of the "early ones who weaponized social media," influencing politics and public opinion [29]. Modi's BJP has used shadow accounts [30] and ghost adverts to target Facebook users to increase its electoral chances and cement support for its Hindu nationalist ideology [31]. Additionally, the party and its proxies manage several WhatsApp groups and channels [32].

BJP leaders believe their messaging can reach every state in 12 minutes, running over five million WhatsApp groups (Deccan Herald, 33). Meta's cross-posting across WhatsApp, Instagram, and Facebook has increased social media's influence on politics. Understanding how Big Tech spreads hate speech on their platforms is crucial to understanding hate speech in India. Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, Antarrashtriya Hindu Parishad (AHP), Rashtriya Bajrang Dal (RBD), Durga Vahini, Hindu Jagran Manch (HJM), Hindu Janajagruti Samiti (HJS), Hindu Rashtra Sena (HRS), Sri Ram Sena, Shiv Pratishthan Hindustan, Hindu Jagaran Vedike, Due to the distinct sites they operate for village units, city chapters, district chapters, state chapters, and individual leaders, these organizations have a widespread digital presence. The internet allows destructive and hostile remarks during marches, rallies, religious processions, and political rallies to reach people worldwide. Huge events may now go far beyond their initial attendees. Hate speech now reaches millions via live streaming or widely circulated video recordings. Thanks to social media, such content may be shared and repurposed long after the event.

Indian social media outlets and the government have overlooked anti-minority hate speech [34]. Hate speech events in India have been high all year, and these platforms have failed to halt them. This was especially visible during the 2024 national and state elections and after "Hindu genocide" charges in Bangladesh were blown out of proportion following Sheikh Hasina's collapse in August and hate marches in India. Remember that most hate speech was shared and cross-posted on many media. There are several styles for a single event, from an hour-long YouTube or Facebook video to a five-minute Facebook highlights clip to a 30-second Instagram reel or X post. Extremist groups and hate influencers tailor their content to each channel to get the most people. This research examined sites that initially posted film or live streams of hate speech occurrences in person. Facebook, Instagram, and YouTube were our key targets because of their massive Indian user populations and significance in live broadcasting and documenting these events. These channels repackage and broadcast videos on X and Telegram to reach more people.

Hate Speech Trends On Social Media Platforms: During the year 2024, the Human Rights Law Center (IHL) discovered a total of 1,165 instances of hate speech directed at Christian and Muslim communities. There were 995 of these that started on social media, where they were uploaded or broadcast by individuals who were hateful, leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP), or by far-right groups.

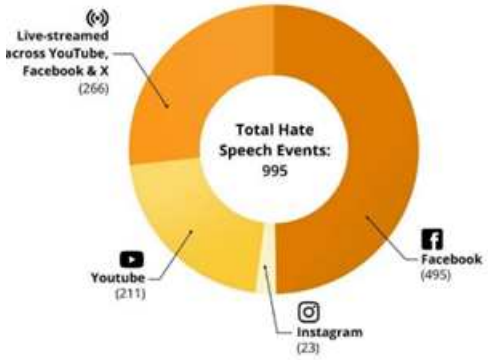

Figure 1: The Spread of Hate Speech on Social Media

A total of 495 of them, which accounts for around 49.8 percent, were solely posted on Facebook, illustrating the dominant role that Facebook has in the dissemination of films that include hate speech. In spite of the fact that 211 videos depicting hate speech incidents were only uploaded to YouTube (21.2%), 23 instances (2.31%) were first published on Instagram when they were first made public. During the general elections that took place in April and June, a total of 266 hate speeches directed at minority groups were found. This represents 26.7% of all speeches detected. These statements were made by prominent members of the ruling BJP, and they were carried live on channels such as YouTube, Facebook, and X.

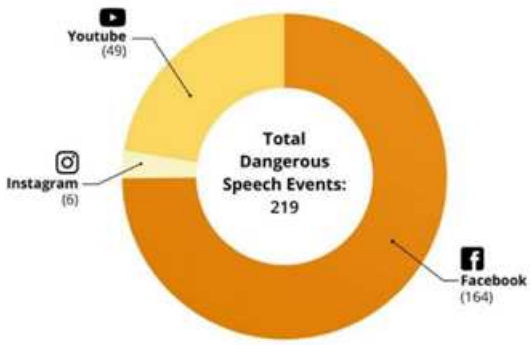

Figure 2: Improprie Content On Social Media

More than two hundred and ninety-nine of the 259 instances of abusive speech (including direct encouragement to violence) were first aired or uploaded on social media platforms. 164 of the remarks that were shared were first published on Facebook, which accounts for 74.8 percent of the total. On Instagram, six of the remaining 49 (22.4%) were first posted, while the remaining 49 were uploaded to YouTube. There was a consistent pattern that developed in cases of hate speech, such as when calls for boycotts and calls to arms were issued. Facebook served as the first platform for 70.2% of the 94 remarks on the boycott that were posted online, while YouTube served as the initial site for 27.7% of the talks. Seventy of the 102 remarks that included a call to arms were publicized on social media sites such as Facebook, YouTube, and Instagram. This is 68.6% of the total.

Proposed Solutions: It is necessary to have sophisticated procedures in place in order to deter hate speech via the use of illegal tactics while yet acknowledging the existence of cultural diversity. In the case of India, a country that is highly respected for the quantity and diversity of its cultural traditions, it is of utmost importance to achieve this balance. I will outline the following legal techniques in order to prevent hate speech while maintaining cultural sensitivity throughout the process:

To begin, there must be a legal definition of hate speech that is both specific and comprehensive in order to make it a criminal offense. It is necessary for this phrase to include a broad variety of manifestations that encourage discrimination, hate, or violence against individuals on the basis of their race, religion, ethnicity, gender, or sexual orientation. However, in order to prevent restricting legitimate speech or ancient norms, it is necessary to take into consideration the nuances of culture.

1. **Legislative Framework:** In order to combat hate speech, India has enacted a number of legislative regulations, including the Information Technology Act and the Indian Penal Code. By modifying or adding certain components to existing laws, it is feasible to reinforce prohibitions against hate speech via the use of the internet and guarantee that their execution takes into account the cultural differences that exist.
2. **Penalties that are reasonable:** Legal frameworks should provide consequences for breaches of hate speech that are appropriate, taking into account the harm that was caused and the cultural context. By using this strategy, people are held accountable for their actions, but at the same time avoiding consequences that are too harsh and would restrict their right to free expression.
3. **Involvement of the Community:** In order to get a more comprehensive understanding of the problems that are associated with hate speech, legal procedures have to include the engagement of the community. It is possible that this will assist ensure that criminal interventions are responsive to the interests and values of various groups by making them more customized to certain cultural situations.
4. **Facilitating Education and Awareness Campaigns:** The implementation of educational programs and awareness campaigns that bring attention to the repercussions of hate speech has the potential to bring about a society that is more accepting and welcoming to people of all backgrounds. It is important that educational programs be sensitive to cultural norms and accessible to all segments of society in order to successfully educate individuals with the ability to detect and counteract hate speech.
5. **Regulation of Social Media Platforms:** Given the enormous role that social media platforms play in the dissemination of hate speech, it is of the utmost need to enact legislation that target online structures. In India, the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, together with other regulations, have the potential to hold platforms accountable for regulating hate speech while also taking into consideration the importance of cultural sensitivity.
6. **Examining the judicial system:** The effectiveness of judicial scrutiny is essential to the execution of legislative measures to suppress hate speech in a manner that is both fair and legal. The establishment of legal precedent, the settlement of conflicts, and the safeguarding of individual rights—including, but not limited to, the right to free expression within appropriate cultural parameters—are all very reliant on the court system.
7. **Cooperation on a Global Scale:** Because hate speech is so ubiquitous, it is very necessary for governments to collaborate in order to resist it. In order to combat hate speech in a manner that is respectful to the plurality of cultures, India may collaborate with other countries and international organizations to exchange information, discuss best practices, and coordinate efforts. By using these criminal strategies, India has the potential to successfully decrease hate speech, foster social fraternity, and safeguard cultural diversity. A complex balancing act is required in order to protect individuals from damage while still maintaining their fundamental rights, such as the freedom of expression, within a framework that is sensitive to cultural norms.

Conclusion : There is a contradiction in India between the

right to free speech and the need to suppress hate speech that is expressed on the internet. The fact that this is the case demonstrates how difficult it is to find a healthy equilibrium between democratic rights and the need to protect underrepresented groups and preserve social harmony. Despite the fact that Article 19(1)(a) guarantees the right to free expression, the constraints outlined in Article 19(2) have now even more significant in light of the digital era. This is because hate speech that is expressed online may swiftly spread via social media, which in turn can lead to violence, prejudice, and division in the real world. Despite attempts to resolve this issue via India's expanding legislative framework, which includes the Industrial Property Code (IPC), the Information Technology Act (IT Act), and other legal developments such as the Intermediary Guidelines, concerns of overreach and censorship continue today. Both the battle against hate speech and the protection of the secular fabric of the country are of the utmost importance, as the Supreme Court has made abundantly clear in its proactive orders. A multi-stakeholder approach that includes the courts, individuals, social media platforms, civic society, and the government is required for long-term solutions. Punitive law alone is not sufficient to achieve this goal. India can enhance the clarity of its laws, boost digital literacy, hold platforms responsible, and foster a culture of tolerance and respect in order to create a welcome online environment where individuals may freely express themselves without fear of punishment. One way to do this is by encouraging a culture of respect and tolerance.

References:-

1. Basu, D. D. (2020). Commentary on the Constitution of India. LexisNexis.
2. Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248.
3. Pattanaik, S. (2021). Freedom of Speech and its reasonable restrictions in India. Indian Law Review, 7(1), 112–130.
4. Chaturvedi, S., & Singh, R. (2023). Online hate speech and its socio-political impact in India. Journal of Digital Society Studies, 12(2), 45–59.
5. BBC News. (2022). India apps put Muslim women up for "auction". Retrieved from https://www.bbc.com/news
6. The Hindu. (2023). SC directs states to register FIRs against hate speech suo motu. Retrieved from https://www.thehindu.com
7. https://indiankanoon.org/doc/345634/
8. https://indiankanoon.org/doc/1803184/
9. https://indiankanoon.org/doc/170483278/
10. Dhammika Dharmapala and Richard H. McAdams Words That Kill? An Economic Model of the Influence of Speech on Behavior (with Particular Reference to Hate Speech) The Journal of Legal Studies by The University of Chicago Press Vol. 34, No. 1 (January 2005), pp. 93-136 (44 pages)
11. Nadine Strossen Hate Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship 2018 P 131
12. MICHAEL HERZ, PETER MOLNAR, The Content and Context of Hate Speechrethinking regulation and responses, Cambridge University Press 2012 P329
13. Maya MirchandaniDigital hatred, real violence: Majoritarian radicalisation and social media in India observe research foundation aug. 2018, https://www.orfonline.org/research/43665-digital-hatred-realviolence-majoritarian-radicalisation-and-social-media-in-india/#_ednref18
14. David Ingram, "Twitter bars tactics used by 'bots' to spread false stories", Reuters, 22 February, 2018.
15. Right-Wing Groups Hold Rally For Release Of Vaibhav Raut In Nallasopara", NDTV, 18 August, 2018.
16. Samuel Huntington's essay in Foreign Affairs in 1993, titled, "The Clash of Civilizations?", hypothesised that in the post Cold-War era, the primary source of global, geo-political conflicts, would arise out of cultural differences as opposed to economic, ideological differences. His writing marked a paradigm shift in how governments and non-state actors view conflict and conflict resolution.
17. The Times of India (TOI) describes the Vishwa Hindu Parishad, or VHP as a conservative Hindu nationalist organisation that abides by the ideologies of Hindutva and is often characterized as "militant" for initiating anti-social activities like the Ram Janmabhoomi movement that resulted in demolition of the Babri Masjid.The group was founded by M. S. Golwalkar and S. S. Apte in 1964. It operates on ideology which is "to organize, consolidate the Hindu society and to serve, protect the Hindu Dharma."
18. IPC 295 A
19. Smith, J. K. The Psychology of Hate. American Psychologist, (2018)73(5), 431–444.
20. Id.
21. https://www.livemint.com/Opinion/ZAHBp4YDLp1BcCnIIuwFON/Hate-speech-and-the-role-of-social media.html visited 18/02/2018 at 2:00.
22. Smith, A. N., & Johnson, R. Public Attitudes towards Immigrants and Immigration Policy in the United States: The Role of Personal and Collective Threat. Political Research Quarterly, (2017). 70(2), 366–379
23. Idrees Ali, "Social Media Played Big Role in India's Election," Voice of America, June 6, 2014, https://www.voanews.com/a/social-media-emerges-as-a-key-tool-in-indias-election/1931238.html.
24. Napoleon Cat, "Social Media Users in India - December 2024," Social media users in India, 2025, https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-india/2024/12/.
25. Degenhard, J, "Whatsapp Users in India 2025" (Statista, August 23, 2023), https://www.statista.com/forecasts/1146773/whatsapp-users-in-india.

26. Brian Dean, "YouTube Stats: How Many People Use YouTube in 2024?," Backlinko, March 27, 2023, https://backlinko.com/youtube-users.
27. Statista Research Department, "Telegram Downloads by Country 2023" (Statista, August 27, 2024), https://www.statista.com/statistics/1336855/telegram-downloads-by-country/.
28. World Population Review, "Twitter Users by Country / X Users by Country 2024," World Population Review, 2025, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/twitter-users-by-country.
29. Deeksha Udupa, "How Advertisers and Investors Can Push Social Media Platforms to Curb Hate Speech and Disinformation," Center for the Study of Organized Hate, November 2, 2024, https://www.csohate.org/2024/11/02/frances-haugen-big-tech-accountability/.
30. Ryan Thomas, "How Shadow Accounts on Meta Spread BJP Propaganda in Jharkhand," Caravan Magazine, January 1, 2025, https://caravanmagazine.in/politics/shadow-accounts-meta-bjp-propaganda-jharkhand.
31. Sambhav, Kumar, Ranganathan, Nayantara, and Jalihal, Shreegireesh, "Inside Facebook and BJP's World of Ghost Advertisers," Al Jazeera, accessed February 2, 2025, https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/15/inside-facebookand-bjps-world-of-ghost-advertisers.
32. Jaswal, Srishti, "Inside the BJP's WhatsApp Machine," Pulitzer Center, May 15, 2024, https://pulitzercenter.org/stories/inside-bjps-whatsapp-machine.
33. Madhukalya, Amrita, "50 Lakh WhatsApp Groups and Transmission Anywhere in 12 Minutes — What BJP Is Doing on Social Media for 2024," Deccan Herald, accessed February 2, 2025, https://www.deccanherald.com//elections/india/political-theatre-bjp-on-social-media-2950186.
34. Sahana Udupa, "Enterprise Hindutva and Social Media in Urban India," Contemporary South Asia 26, no. 4 (October 2, 2018): 453–67, https://doi.org/10.1080/09584935.2018.1545007.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कबीर का समाज दर्शन: मध्यकालीन भारत में एक क्रांतिकारी स्वर

डॉ. राजाराम परते*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बिजावर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्यकालीन भारत में कबीर (14वीं – 15वीं शताब्दी) एक निर्गुण संत कवि थे जिनकी वाणी सामाजिक समता, मानवता और एकात्मवाद पर आधारित थी। उन्होंने जाति-पांति के विभाजन, धार्मिक आडम्बर, पाखंड और अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की। कबीर का मूल संदेश था कि सम्पूर्ण मानव एक ही है और परमात्मा एक है। उनकी सरल, साहसी और तर्कपूर्ण भाषा आज भी अत्याधुनिक लगती है। कबीर के दोहे आज भी धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समानता और आत्मिक चिंतन के प्रतीक हैं।

शब्द कुंजी – एकात्मवाद, आडम्बर, पाखंड, अंधविश्वास, कटाक्ष, निर्विवाद, उलटबॉसिया, बौराना।

प्रस्तावना

कबीर की वाणी में सामाजिक दृष्टिकोण– कबीर की भाषा में सामान्य मानवता पर बल मिलता है। वे कहते है कि सबका जन्म एक समान मार्ग से हुआ हैं –

'एक बूंद एके मल-छूतर,
एक चॉद एक गूदा;
एक जोति तैं सब उत्पन्न,
कौन बरून कौन सूदा।'

(मतलब – एक ही माटी से सब उत्पन्न हुए हैं, सब एक ही प्रकाश से निकले हैं।)

कबीर संसार को माया-मृगतृष्णा मानते है वे जीवन में दिखने वाले भेद-भाव को अस्थायी और झूठा कहते हैं। उनके अनुसार माता-पिता, जाति, संपत्ति आदि दिखावे है, अंतत: सब अकेले आते है और अकेले जाते है। उन्होंने अंर्तमुखी भक्ति पर जोर दिया। कबीर के लिए पूजा-पाठ नहीं बल्कि ईश्वर की याद और सच्ची भक्ति महत्व रखती है। उन्होंने अपने पदों में कहा है कि शरीर का हदय और मन यदि परमात्मा में लीन हो जाये तो पूजा का अर्थ बनता है। कबीर हदय की शुद्धि पर बल देते हुए कहते है:-

'माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।
करका मनका डार दे, मनका मन का फेर।'

जाति, धर्म पाखंड और सामाजिक भेद-भाव का विरोध– मध्ययुगीन भारत में वर्ण-व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी कबीर ने इसे तर्कपूर्ण ढंग से नकारा है।

जाति व्यवस्था– समाज में जाति आधारित भेद-भाव बहुत गहरा था। ब्राम्हणों का उच्च स्थान था जबकि शुद्रों और अछूतों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। कबीर ने इसका कड़ा विरोध किया। वे कहते हैं :-

'**जात न पूछों साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।**
मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान।'

वे जाति व्यवस्था को मानवता के विरूद्ध मानते है उनका कहना है –

'सबै जाति कहाइ के कहां जाति के बाप।'

धार्मिक पाखंड– तत्कालीन समाज में हिन्दु और मुस्लिम समुदायों में कर्मकाण्ड, आडम्बर और पाखंड व्याप्त थे। कबीर ने हिन्दु मंदिरों और मस्जिदों दोनों की आडम्बर युक्त धार्मिकता की जमकर आलोचना की। हिंदुओं के लिए वे कहते हैं-

'**पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार।'**

इस दोहे में कबीर का मूर्ति पूजा के प्रति घनघोर विरोध दिखाई पड़ता है। (यदि पत्थर की पूजा से भगवान मिलते तो हम पहाड़ की पूजा करते। इससे तो भली चक्की है जिससे रोटी तो मिलती है)

इसी तरह मुसलमानों के लिए वे कहते है –

'**कांकर पाथर जोरि के मस्जिद लई चुनाय।**
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय।'

कबीरदास ने जन्म आधारित ऊॅच-नीच को अनुचित ठहराया और ब्राम्हणों के इस विचार का मजाक उड़ाया। एक दोहे में उन्होंने पूछा:-

'काहे को कीजैं पाण्डे छूत विचार,
छूतही ते उपजा सब संसार।'

इसके माध्यम से कबीर ने दिखाया कि समाज में छुआछूत और जाति भेद बेमानी है। कबीर ने कहा कि हिन्दु राम का नाम लेते है और मुसलमान रहमान का, फिर भी दोनों एक दूसरे से लड़ते है। उनका तर्क था कि एक ही सर्वेश्वर है, जिसे हिन्दु राम, मुसलमान अल्ला या रहमान कहता है।

सामाजिक भेद-भाव पर विद्रोह– कबीर ने छोटे और बड़े का विचार खत्म करने की बात कही है। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक सामान है इसलिए जाति या वर्ण के आधार पर किसी को नीचा नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने ऊॅच-नीच को अंधविश्वास कहा और इसे तोड़ने के लिए काव्य को हथियार बनाया।

मध्यकालीन भारतीय समाज की संरचना एवं कबीर – मध्य युगीन भारत में समाज वर्ण और धार्मिक पहचान पर आधारित था। हिन्दु समाज में वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि) सख्ती से लागू थी, और निम्न वर्ग समाज की मुख्य धारा से वंचित था। दूसरी ओर उस समय उत्तर भारत में इस्लाम भी फैल चुका था कई निम्न जातियों ने इस्लामिक संस्कृति

स्वीकार की थी। इस प्रकार दोनों ओर जाति आधारित सामाजिक विभाजन था, साथ ही साम्प्रदायिकता का भी विष भी फैल रहा था। कबीर खुद निम्न जाति के जुलाहा परिवार में जन्में थे, जो हाल में इस्लाम स्वीकार कर चुका था। यद्यपि उनके गुरू वैष्णव सनातनी रामानंद थे। कबीर अपनी इच्छा से किसी भी सम्प्रदाय से बंधे नहीं रहे। इसलिए हिन्दु मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का अनुभव होने के कारण दोनों धर्मो के रूढ़ियों से परिचित थे। उनकी वाणी में दोनों धर्मों के प्रति सम्मान देखा जा सकता है। वे राम और रहीम को समान रूप से देखते थे। दोनों की कट्टर प्रथाओं पर एकसमान व्यंग करते थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखण्ड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मो के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। इनकी रचनाओं में उत्तर और मध्यभारत के भक्ति आंदोलन को गहरे तक प्रभावित किया। उनके बारे में कथन है:-

'भक्ति द्राविण उपजी, लाये रामानंद
परगट किया कबीर ने, सात दीप नौ खण्ड।'

कबीर एक सर्वोच्य ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके जीवन काल के दौरान हिन्दु और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर का जीवन शान्तिमय था। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सहजता , साधु स्वभाव के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर है।

कबीर का समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी स्वरूप - कबीर भारतीय एवं परंपरा के एक ऐसे अद्धितीय संत है जिनका व्यक्तित्व समाज सुधारक और क्रांतिकारी दोनों रूपों में दिखाई देता है उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब भारतीय समाज जातिवाद, धार्मिक पाखण्ड, अंधविश्वास और सामाजिक विषमता से ग्रस्त था। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों का तीव्र विरोध किया। कबीर ने स्त्री-पुरूष, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच सबकों एक समान माना और भेद-भाव का विरोध किया। नारी सम्मान की वकालत करते हुए उन्होंने नारी को केवल भोग्या नहीं बल्कि जीवन की जन्मदात्री और साथी माना।

कबीर ने निडर होकर दोनों धर्मों के ठेकेदारों की अलोचना की। उन्होंने मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, रोजा-नमाज, वेद पुराण आदि की सार्थकता पर प्रश्न उठाया। कबीर बिना किसी भय के समाज की गहरी बुराईयों पर चोट करते रहे:-

'साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाय।'

मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध करते हुए कबीर कहते हैं -

'पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूंजू पहार
घर की चाकी कोई न पूजे, जा को पीसे संसार।'

तीर्थ यात्रा के संबंध में कबीर कहते हैं :-

'तीर्थ गए तो क्या भया, मन न बदला आप।
मन ही मन को मारिये, यह तीरथ सबसे आप।'

रोजा नमाज के संबंध में कबीर कहते हैं -

'हरि को भजे सो हरि का होई, मुसलमान का करे निवाज।
दिल भीतर का जो न सांचे, ताको झूठी रोजा नमाज।'

वेद पुराण की सार्थकता पर प्रश्न करते हुए कबीर कहते हैं -

'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोई।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।'

मानव धर्म के पक्ष में उन्होंने ईश्वर को मंदिर-मस्जिद में न मानकर हर जीव में देखा हैं -

'माटी एक धरती सबका, एकैं ही है देह।
कह कबीर सुनो भाई साधौं, राम बसे सब मेह।'

कबीर का कवि स्वरूप और समाज सुधारक चरित्र जुड़कर उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व बनाते हैं। उन्होंने अपने उग्र और व्यंग्यपूर्ण दोहों से भ्रष्ट सामाजिक मूल्यों पर चोट की। इसलिए कई विद्धानों ने उन्हें निर्विवाद रूप से समाज सुधारक माना है। कबीर की कविताओं में कटु व्यंग्य और विद्रोह का स्वर है। उन्होंने उन अनैतिक रीति रिवाजों को तोड़ा जो समाज में बुरी प्रथाएं बन चुके थे।

कबीर की विचारों की प्रासंगिकता - कबीर केवल एक संत नहीं थे वे एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने मानवता प्रेम, समानता और सत्य के आधार पर समाज को नया दृष्टिकोण दिया। कबीर के विचार आज भी प्रसांगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भी जातिवाद, साम्प्रदायिकता और पाखण्ड फैले हुए है वर्तमान युग में उनके दोहो को लेकर अलग-अलग चर्चा होती है क्योंकि उनकी सीधी और साहसी भाषा सतत सत्ता और सामाजिक बुराईयों पर प्रश्न खड़ा करती है। आज जहां राजनीति में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है और समाज में नये-पुराने भेद दिखते हैं, वहीं कबीर के उपदेश शांति, मानवता और एकता का मार्ग दिखाते है। कबीर कहते हैं-

'साधो, देखो जग बौराना...
हिंदु कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना.....
आपस में दऊ लड़े मरत है मरम कोई नाहिं जाना।'

उनका यह दोहा आज के साम्प्रदायिक दंगों पर चोट करता है और बताता है कि दोनों धर्म सत्य से दूर झूठे नामों के बहाने एक-दूसरे से लड़ते है। उनकी विचारधारा को वर्तमान लेखकों एवं शिक्षाविदों ने भी स्वीकार किया है। आधुनिक भारत के सामाजिक आंदोलन में कबीर के विचार प्रेरणा देते हैं कि जाति-धर्म भेद और पाखण्ड को त्यागकर मानवता धर्म अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष - मध्यकालीन समाज के कट्टर विभाजन और पाखण्ड के बीच कबीरदास ने सभ्यता बदलने वाली बात कही है। उनकी वाणी में जाति-धर्म के आधार पर बनाए गए भेद-भाव को खुलकर चुनौती दी है। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और दिखावों को सबके सामने लाकर उखाड़ फेकने का कार्य किया हैं। परिणामस्वरूप कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाजसुधारक और क्रांतिकारी विचारक भी माना गया। आज भी उनकी रचनाओं में प्रेरणा के स्त्रोत हैं जो हमें मानव धर्म की याद दिलाते हैं। कबीर की जाति-वादी व्यवस्था के विरोधी विचारों ने बाद में दलित आंदोलन को प्रेरित किया। डॉ. धर्मवीर भारती समेत कई आधुनिक दलित विचारकों ने कबीर को अपना मार्गदर्शक माना है। कबीर की वाणी ने ही दलितों में आत्मसम्मान और संघर्ष की चेतना भरी। उन्होंने धर्म, सम्प्रदायिकता के सीमित बंधनों से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। इतिहासकार हरवंश मुखिया के अनुसार कबीर ने 'प्रतिद्वंदी ईश्वर की अवधारणा को छोड़कर एक सार्वभौमिक ईश्वर की परिकल्पना दी।'

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. www.ebooks.inflibnet.ac.in
2. www.thewirehindi.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजया लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक समानता को परिभाषित कर डॉ. भीमराव अबेंडकर के भारत में लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कर वर्तमान में भारत में लैंगिक समानता की यथार्थ स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। लैंगिक समानता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास हेतु पॉचवा लक्ष्य निर्धारित कर 2030 तक संपूर्ण विश्व में लैंगिक समानता लाने हेतु समस्त विश्व को प्रतिबद्ध किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक, संविधान निर्माता, राजनेता होने के साथ साथ महिलाओं के पुरूषों के समान अधिकारों के कट्टर सर्मथक भी थे। 1927 में उन्होने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा – **'मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं।'**

डॉ. भीमराव अबेंडकर ने 1936 में जोगिनी एवं देवदासी प्रथा की आड़ में महिलाओं के यौन षोषण को रोकने हेतु इन प्रथाओं को बंद करने हेतु आवाज उठाई। उन्होंनें भारत में सर्वप्रथम **Mines Maternity Benefit Act** के अधीन खान में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों के समान वेतन एवं प्रसूति अवकाश का प्रावधान कर लैंगिक समानता में अपना अनूठा योगदान दिया। हिंदू कोड बिल भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हैं, इसके अधीन उन्होंने एकल विवाह, महिलाओं को पुरूषों के समान तलाक, दत्तक, संपति में अधिकार हेतु उपबंध कर भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होनें 'यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार' लागू कर भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाया, उनके प्रभाव के कारण समान वेतन अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंनें भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने एवं उन्हें विशेषाधिकार दिलानें हेतु विभिन्न अनुच्छेदों जैसे– अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(1), 23, 39, 42, 46, 51–क(ड़), 243घ(3), 243न(3) में उपबंध कर भारत में लैंगिक समानता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने **'मूक नायक'** एवं **'बहिष्कृत भारत'** जैसे समाचार पत्रों की स्थापना कर तत्कालीन भारत में व्यापत महिला विरोधी कुप्रथाओं के खिलाफ इन समाचार पत्रों में लेख लिखकर इन कुप्रथाओं को बंद करने में अपनी महती भूमिका निभाई।

शब्द कुंजी – लैंगिक समानता, भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर का योगदान, वर्तमान भारत में लैंगिक समानता की वास्तविक स्थिति, विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

लैंगिक समानता का अर्थ – लैंगिक समानता को विभिन्न अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैं–

संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरूषों, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना हैं।

यूनिसेफ के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ हैं कि महिलाओं और पुरूषों, लड़कियों और लड़कों को समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं, संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा का आनंद प्राप्त हो।

लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं हैं कि महिलाएँ और पुरूष एक ही तरह के हो जाएगे। बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि पुरूषों और महिलाओं के अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर उनके लिंग पर आधारित नहीं होगें। अर्थात लैंगिक समानता का तात्पर्य यह हैं कि स्त्री–पुरूष में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार किसी तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होता है, ठीक उसी तरह किसी भी समाज व राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए वहाँ पुरूषों एवम् स्त्रियों के मध्य समानता होना आवश्यक हैं। लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा समाज हैं जिसमें महिलाओं और पुरूषों को जीवन के सभी चरणों में समान अवसर, निष्पक्षता और दायित्वों का आनंद मिलता है। वे तभी समान है यदि उनके पास समान अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुँच, नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, रूचियों, प्रतिभाओं को विकसित करने के समान अवसर है। लैंगिक समानता को एक मौलिक मानवाधिकार एवं सतत् विकास के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त एवं संकेतक के रूप में माना जाता है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अधीन 17 सतत् विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को पाँचवा लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के विकास के लिए लैंगिक

समानता अत्यंत आवश्यक है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, खेल के क्षेत्र में।

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान – प्राचीन भारतीय रूढ़िवादी एवं पितृसत्तात्मक समाज में अनेक कुप्रथाए जैसे– सति प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, आदि व्याप्त थी, इसके अतिरिक्त भारतीय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, पिता एवं पति की सम्पति में उत्तराधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार, पुरूषों के समान तलाक का अधिकार, किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। नौकरीपेशा स्त्रियों को अपने समान कार्य करने वाले पुरूष श्रमिकों के समान न तो वेतन मिलता था, ना ही उन्हें प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध थी एवं उनकी कार्य की दशाएँ उनकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल न होकर अमानवीय थी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय एवं पाश्विक थी, वह केवल उपभोग का साधन मात्र थी। अत: तत्कालीन भारतीय समाज में लैंगिक समानता नाममात्र भी विद्यमान नहीं थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर तत्कालीन भारत में महिलाओं की इस दयनीय स्थिति से बेहद आहत थें, उन्होंने समाज सुधारक, राजनेता, विधिमंत्री एवं भारतीय संविधान निर्माता के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, कानूनी तौर पर उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान कर सशक्त करने में एवं अनेक महिला विरोधी कुप्रथाओं का दमन करने में अहम भूमिका निभाकर भारत में लैंगिक समानता लानें में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है–

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने समाचार पत्रों **'मूकनायक'** और **'बहिष्कृत भारत'** में महिला उत्पीड़न एवं अन्य महिला केन्द्रित मुद्दों पर विस्तार से लिखकर भारतीय जनता एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जाग्रत किया। 'मूकनायक' तथा 'बहिष्कृत भारत' ने भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के विरूद्ध आवाज उठाने के कारण काफी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों **'The women and the counter revolution', 'The rise and fall of hindu women'** में भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को यथार्थ रूप से चित्रित किया जो उनकी लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता हैं।
- उनके विचारों से प्रभावित होकर स्त्रियों ने उनके साथ अनेक आंदोलनों जैसे– **महाड़ सत्याग्रह कालाराम मंदिर सत्याग्रह**, में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 1930 में नासीक में हुआ था, उसमें 500 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। 1928 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमाबाई की अध्यक्षता में 'वुमन एसोसिएशन' की नींव रखी, 1940 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए 'All India Depressed Classes Mahila Federation' का गठन किया गया। उनसे प्रेरित होकर तुलसीबाई नामक महिला ने 'चोखा मेला' नामक समाचार पत्र शुरू किया तथा डेविड नामक व्यक्ति जो एक वैश्यागृह का दलाल था उसने वह निकृष्ट कार्य छोड़ दिया (Singariya, 2014, p.3)। उन्होनें बालविवाह, देवदासी, जोगिनी जैसी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया।
- उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए Maternity Benefit Bill को पुर:स्थापित किया तत्पष्चात श्रममंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे देश के लिए **'Mines Maternity Benefit Act'** पारित कराकर सर्वप्रथम भारत में खानों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश एवं उन्हें पुरूष श्रमिकों के समान वेतन का अधिकार प्रदान किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए हितकारी प्रावधान जैसे– महिला श्रमिकों का खतरनाक कार्यों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, उनके काम के घण्टें कम करना इत्यादि किए। बाद में उन्हीं की प्रेरणा से समान वेतन अधिनियम 1976, वुमन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आदि पारित किए गए जो भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण कारक साबित हुए।
- उन्होंने **'यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार'** संविधान के द्वारा लागू कर भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार दिलाया। आजादी के पहले केवल 13 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था, तब भी उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की मांग रखी।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत में लैंगिक समानता लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान **'हिन्दू कोड बिल'** था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने एवं उन्हें पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करने वाला हिन्दू कोड बिल 1951 में संसद में पेश किया। हिन्दू कोड बिल के मुख्यत: दो उद्देश्य थे– पहला महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, दूसरा भारतीय हिन्दू समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना। तत्कालीन हिन्दू समाज में पुरूषों को बहुविवाह करने की स्वतंत्रता थी, स्त्रियों को न तो शिक्षा का अधिकार और ना ही पिता एवं पति की सम्पति में कोई उत्तराधिकार प्राप्त होता था, वे अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकती थी, उन्हें किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। हिन्दू कोड बिल में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों की पाश्विक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए–

1. हिन्दू कोड बिल में हिन्दू पति एवं पत्नी को तलाक के समान अधिकार के साथ–साथ स्त्रियों को अपने पति से तलाक लेने के लिए अतिरिक्त आधार दिए गए। (धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम)
2. इसमें हिंदू पुरूषों द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा कर एकल विवाह के नियम को उपबंधित किया गया। (धारा 5, 17 हिंदू विवाह अधिनियम)
3. इसमें स्त्रियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। (धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम)
4. इसमें हिंदू पत्नियों को अपने पति से भरण–पोषण का अधिकार प्रदान किया गया यहाँ तक कि वे अपने पति से तलाक के बाद भी एवं बिना तलाक के उचित कारण से अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण–पोषण प्राप्त कर सकती थी।
5. इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम हिंदू पत्नियों को पतियों के समान दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना एवं न्यायिक पृथ्थकरण का अधिकार प्रस्तावित किया गया। (धारा 9, 10 हिंदू विवाह अधिनियम)
6. इसके द्वारा हिन्दू स्त्रियों को सम्पति का अधिकार एवं उन्हें अपने पिता तथा पति की संपति में उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया।
7. इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई।
8. इसमें हिंदू स्त्रियों को पुरूषों के समान किसी भी जाति के बालक को गोद लेने का अधिकार तथा विधवा महिलाओं को दत्तक लेने का

अधिकार प्रदान किया गया।

किन्तु दुर्भाग्य से यह बिल पास न होने के कारण अंबेडकर जी ने अपने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा कदम भारत में लैंगिक समानता लाने की उनकी प्रबल ईच्छाषक्ति को दर्शाता है। तत्पष्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को चार भागों हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 में बाँटकर पारित किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 एक हिन्दू स्त्री को अपनी संपति की पूर्ण स्वामिनी घोषित करती है इससे पूर्व उन्हें अपने जीवन पर्यन्त तक संपति के केवल कब्जे एवं उपभोग का अधिकार था वे उसे अपनी ईच्छानुसार व्ययन नहीं कर सकती थी उनकी मृत्यु के बाद वह संपति उसके पति के वारिसों में चली जाती थी जो उसके पूर्ण स्वामी कहलाते थें। हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6क हिन्दू स्त्री को अपने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चें का प्राकृतिक संरक्षक घोषित करती हैं। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन एक अविवाहित स्त्री तथा एक विवाहित स्त्री को अपनी ओर से किसी बालक को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है।

- संविधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष के रूप में उन्होने भारतीय महिलाओं को पुरूषों के समान स्थिति मे लाने के लिए उनके प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाने एवम् उन्हें सशक्त करने हेतु उन्हें विशेषाधिकार प्रदान कर लैंगीक समानता लाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध इसका जीवंत साक्ष्य है–

1. अनुच्छेद 14 में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया हैं।
2. अनुच्छेद 15(1) में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिषेध किया गया हैं।
3. अनुच्छेद 15(3) राज्य को केवल महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता हैं।
4. अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य ठहराए जाने एवं उसके साथ भेदभाव किए जाने का प्रतिषेध करता हैं।
5. अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन महिलाओं को यौन शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण से पीड़ित महिला को प्रतिकर का अधिकार, महिलाओं की अपनी ईच्छा से विवाह करने एवं संतान उत्पन्न करने का अधिकार जैसे कई अधिकार प्रदान किए गए हैं।
6. अनुच्छेद 21क 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों जिसमें लड़कियॉ भी शामिल है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता हैं।
7. अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है जिसमें महिलाओं की खरीद–फरोख्त, उनका अनैतिक व्यापार, वैश्यावृति आदि शामिल हैं।
8. अनुच्छेद 39(क) पुरूष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का, अनुच्छेद 39 (घ) पुरूष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित कराने का राज्य को निर्देश देता हैं।
9. अनुच्छेद 39 (ड़) राज्य को यह निर्देश देता हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हों।
10. अनुच्छेद 42 में राज्य को काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने एवं महिला कर्मकारों हेतु प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश दिया गया हैं।
11. अनुच्छेद 44 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण–पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्म की महिलाओं हेतु समान अधिकार सुनिश्चित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी। संविधान सभा में जब बॉम्बे राज्य के सदस्य मीनू मसानी के द्वारा एक समान सिविल संहिता को संविधान मे शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया तो डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया किन्तु बहुसंख्या में इसके विरोध के कारण इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल करना पड़ा।
12. संविधान के भाग 4क मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51क(ड़) में सभी भारतीय नागरिकों पर यह मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया हैं कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
13. अनुच्छेद 243घ(3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
14. अनुच्छेद 243घ(4) में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
15. अनुच्छेद 243न(3) में प्रत्येक नगरपालिका मे कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का एवं अनुच्छेद 243न(4) में नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
16. अनुच्छेद 325 में केवल लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का प्रतिषेध किया गया है।

इस प्रकार भारतीय संविधान में न केवल उन्होनें महिलाओं को समानता की गांरटी दी अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की षक्ति देकर लैंगिक समानता को स्थापित करनें में अपनी महती भूमिका निभाई।

निष्कर्ष एवं सुझाव – निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारत में लैंगिक समानता की नींव डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए तत्पश्चात् लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अनेक अधिनियम जैसे– घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1976 आदि पारित किए गए एवं महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाए जैसे– उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना षुरू की गई किन्तु फिर भी

हम डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के भारत में पूर्णत: लैंगिक समानता लाने के स्वपन को साकार करने में विफल रहे हैं वर्तमान में भी भारतीय स्त्री घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बालविवाह, बलात्कार, कार्यस्थल पर असुरक्षा तथा यौन शोषण, भेदभाव का शिकार हो रही हैं। **जेंडर गेप रिपोर्ट 2023** के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में कुल 146 देशों में से **127वें** स्थान पर रहा। **World Inequality Report 2022** के अनुसार भारत में कुल श्रमिक आय में पुरूषों का हिस्सा **82%** जबकि महिलाओं का हिस्सा केवल **18%** हैं। ILO के अनुसार भारत में महिला कर्मचारी पुरूष कर्मचारियों कें मुकाबले 35% तक कम वेतन प्राप्त कर रही है। अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र महिला की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामलें में भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर था। इन विषम परिस्थितियों में लैंगिक समानता लाने के लिए हमारे भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन करने, लैंगिक समानता का समर्थन करने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करने एवं वर्तमान युवा पीढ़ी में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Drishti IAS (2022, August 20). भारत में महिलाओं की स्थिति. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/status-of-women-in-India.
2. Datta, Runi (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis Of B.R. Ambedkar's Contribution. *Contemporary Voice Of Dalit*, 11(1), 25-32.
3. Menndiratta M. & Pandey S. (2020). DR. B.R. AMBEDKAR AND WOMEN EMPOWERMENT IN MODERN INDIA. *Journal for law students and Researchers*, 1(4).
4. मिस्बाह (2023ए December 6). आजाद भारत में अंबेडकर ने रखी लैंगिक समानता की नींव. रविवार विचार. https://ravivarvichar.in/nazariya/b-r-ambedkar-feminism-indian-women-right-to-vote-divorce-property-rights-gender-equality-1779758.
5. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2009). भारत का संविधान. इलाहाबाद. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी.
6. केसरी, डॉ. यू. पी. डी. (2019). हिन्दू विधि. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.
7. NEXT IAS Content Team (2024, February 21). भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता. https://www.nextias.com/blog.
8. Singariya, M.R. (2014). Dr. B.R. Ambedkar and women empowerment in India. *Quest Journals*, *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(1), 1-4.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उच्च शिक्षण संस्थानों का आर्थिक विकास में योगदान मध्य प्रदेश के मालवा के आगर मालवा जिले एवं निमाड़ के खरगोन जिले के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. मितेश चौधरी* सपना सोनी**

* सह प्राध्यापक, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, स्कूल ऑफ कॉमर्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़ क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान इन क्षेत्रों में स्थानिय आर्थिक विकास के प्रमुख कारक बनकर उभरे हैं। इन संस्थानों का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को सशक्त करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस शोध पत्र में, हम उच्च शिक्षण संस्थानों के इन क्षेत्रों में योगदान की गहराई से विवेचना करेंगे, विशेषकर उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक लाभ, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय उद्यमिता पर उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर, यह अध्ययन विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाए।

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है यह गौरव भारत को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी प्राप्त हैं। आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाता है । इस प्रक्रिया का केन्द्रीय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊंचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। किसी देश के विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता हैं। मानवीय संसाधनों के विकास की दृष्टि से उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। उच्च शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम हैं। उच्च शिक्षा देश के आर्थिक विकास के जरिये आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देती हैं। एक शक्तिशाली समाज तथा एक समर्थ व जीवंत अर्थव्यवस्था के निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा के व्यापक उद्देश्य और भूमिका को दरकिनार कर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बाजार शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया हैं। इन नीतियों के फलस्वरुप देश में उपाधि प्राप्त बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है, जो चिंताजनक हैं। किसी भी समाज अथवा राज्य की शिक्षा उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। शिक्षा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक विकास होता हैं। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक वातावरण तैयार करती है जिससे राष्ट्रीय विकास होता हैं।

1. **मध्यप्रदेश –** म.प्र. भारत का एक राज्य हैं जिसकी राजधानी भोपाल हैं। म.प्र. 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रठल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 14 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. की साक्षरता 70.60% थी जसमें पुरुष साक्षरता 80.5% व महिला साक्षरता 60.0% थी। वर्ष 2017 के आकड़ों के मुताबिक राज्य में 114,418 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और 3851 उच्च विद्यालय व 4765 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।

2. **मालवा –** मालवा महाकवि कालिदास की धारती हैं यहां की धारती हरी – भरी धन धान्य से भरपूर रही हैं। मालवा ज्वालामुखी के उदगार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल हैं । पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचिन काल से ही एक स्वतंत्र राजनैतिक इकाई रहा हैं। मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार के द्वारा हुआ हैं उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार हैं यह वर्तमान में लगभग 47760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फेला हुआ हैं तथा इसके अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, सिहौर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा आदि जिले आते हैं।

3. **निमाड़ –** निमाड़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाओं में निमाड़ के एक तरफ विन्ध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा हैं, जब कि मध्य में नर्मदा नदी है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था। बाद में इसे निमाड़ की संज्ञा दी गयी। फिर इसे पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाने लगा। निमाड़ का जिले के रूप में गठन ब्रिटिशराज में नेरबुव डिवीजन में हुआ था जिस का प्रशासनिक मुख्यालय खण्डवा में था। निमाड़ अंचल में निम्न जिले आते है–बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन। निमाड़ क्षेत्र में निम्न शहर आते है –बड़वाह, बड़वानी, बुरहानपुर, हरसूद, खंडवा,खरगोन, जूलवानिय, बमनाला, भीकनगावं, मूँदी, सनावद ।

साहित्य का पुनरावलोकन

इस अध्ययन ने शिक्षा संस्थानों की भूमिका, गुणवत्ता, और प्रभाव को मापने के लिए मूल्यांकन मापकों का उपयोग किया है। विशेष रूप से, उच्चतर

शिक्षा संस्थानों के छात्रों की उपयोगिता और तकनीकी क्षमताओं के प्रतिपादन की गुणवत्ता पर विचार किया गया सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों और आयोग्यता में सुधार के प्रत्येक पहलु को भी उजागर किया है। इस अध्ययन के परिणामों की समीक्षा भारतीय सरकार, शिक्षा नियामक निकायों, और शिक्षा प्रशासनिक निकायों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है। इस अध्ययन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान पर विचार किया जाना चाहिए और इसे समर्पित करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेक्टर में सुधारों के लिए नीतियों और योजनाओं की विकास की जरूरत होती है **(आर. एस., 2010)**।

'यह शोध उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का उपयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और दिशा निर्देशों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जो संस्थानों को उनके आर्थिक विकास की सुगमता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में सृजनात्मक तत्वों का प्रयोग किया गया है जो शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास को समझने में मदद करते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में नई सोच, नई दिशानिर्देश और उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो संस्थानों के आर्थिक विकास की सुविधा में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह अध्ययन उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके विभिन्न हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए उपाय निर्धारित करने में मदद मिल सकती है **गुप्ता, 2012**।

इस अध्ययन में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका के परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में जांचा गया है। यह शोधपत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के आर्थिक मापदंडों, वित्तीय संसाधनों, सरकारी नीतियों और संगठनात्मक ढांचे का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास की समझ बढ़ाना और उनके लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान करना। इस अध्ययन का अवलोकन भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है **यादव, और गोयल, 2014**।

शोध की परिकल्पना

H_0(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका नही निभा रही हैं।

H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

शोध के उद्देश्य :

1. उच्च शिक्षण संस्थाए किस प्रकार मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में भूमिका निभाती हैं व किस प्रकार उसे प्रभावित करती हैं।

'शोध कार्य के अंतर्गत शोध हेतु, शोध क्षेत्र के रूप में 'मालवा एवं निमाड़' के निम्न जिलों व उनकी शासकीय शिक्षण संस्थाओं को लिया गया जिनका वर्णन निम्नानुसार है'

मालवा	निमाड़
आगर मालवा जिला	खरगोन जिला

शोध कार्य हेतु आगर मालवा जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया :-

तालिका क्रमांक 1: शोध कार्य हेतु चुने गए आगर मालवा जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला
1.	नेहरू स्नात्कोत्तर शासकीय महाविद्यालय	आगर मालवा	आगर मालवा
2.	शासकीय महाविद्यालय	बडोद	आगर मालवा
3.	शासकीय महाविद्यालय	नलखेड़ा	आगर मालवा

शोध कार्य हेतु खरगोन जिले के निम्न शासकीय महाविद्यालयों को शोध क्षेत्र के रूप में लिया गया -

तालिका क्रमांक 2: शोध कार्य हेतु चुने गए खरगोन जिले के शासकीय महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खरगोन	खरगोन
2	शासकीय महाविद्यालय	मंडलेश्वर	खरगोन
3	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन
4	शासकीय महाविद्यालय	सनावद	खरगोन

समंको का संकलन

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक समंको का एकत्रीकरण, साक्षात्कार व् सामाजिक माध्यम के द्वारा ऑनलाइन, प्रश्नावली भरवाकर किया गया। उपरोक्त जिलों के अंतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयो से 500 उत्तरदाताओं में से 480 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिउत्तर का चयन किया गया। अन्य प्राप्त प्रतिउत्तर अधूरे व् संतुष्टि जनक नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

फैक्टर विश्लेषण- विश्लेषणात्मक

वर्तमान शोध अध्ययन मालवा-निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उच्च शिक्षण संस्थाएं जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं, को केन्द्रित करते हुए प्राथमिक समंकों के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किये गये जिन्हे सत्यापित करने के लिए विभिन्न पहलूओं का अध्ययन किया तथा परिकल्पनाओं का निम्नानुसार सत्यापन किया गया है

सर्वप्रथम प्रश्नावली में 40 प्रश्नों को लिकर्ट तालिका के माध्यम से SPSS-26.0 सॉफ्टवेयर में अध्ययन हेतु रखा गया। इसके अंतर्गत चर विश्लेषण के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कारकों का फेक्टर लोडिंग के आधार पर मान ज्ञात किया गया। ऐसे कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत करने में समक्ष हैं। KMO o Bartlett's टेस्ट का प्रयोग करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि शोध अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े व प्रश्न विश्लेषण के लिए उपयुक्त है या नहीं ? साथ ही यह चर के स्तर की विश्वसनीयता की जाँच भी करता है। KMO का मान 0-6 से अधिक आने पर ही शोध-अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है। DF (Degree of Freedom) का मान 0-6 से उपर होना चाहिए व Significance, 0.05 से कम होना चाहिए। एक प्रश्न का मान 0-5 से अधिक होने पर ही अध्ययन किया जाना संभव होता है।

तालिका 3: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.898
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	12783.791
	Df	780
	Sig.	.000

तालिका क्र. 3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि KMO टेस्ट का मान 0-898 है, जो 0-6 से अधिक है जो उच्च स्तरीय संबंध को प्रकट करता है। Bartlett's टेस्ट का मान 12783.791 है, जो 40 प्रश्नों के आधार पर ज्ञात हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का मान 5-0 से अधिक होना चाहिए, जो कि अधिक है व Model of fitness में आँकड़ों की समर्थता को प्रदर्शित करता है। Significance का प्राप्त मान 0-000 है जो कि 0-05 से कम है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राप्त आँकड़ों के मान के माध्यम से शोध अध्ययन को आगे बढ़ाया जा सकता है।मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का विश्लेषण को चर के लिए घुमावदार कारक मैट्रिक्स तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 में सामान्य कारक गुणांक के मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व है। निकाले जाने वाले कारक की संख्या 5 है। अनुपात जो उच्चतम लोडिंग है (= 0-50) प्रत्येक कारक में समूहीकृत किया जाता है। अंतिम कॉलम कम्युनिटी (एच) है, यह फैक्टर द्वारा समझाया विवरण है।

शोध परिकल्पना का मूल्यांकन

प्रश्नावली की विश्वसनीयता तालिका क्रमांक 5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.893	40

मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की महती भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत जनसांख्यिकी डाटा के अलावा 40 प्रश्नों को स्केल पर आधारित करके प्रश्नावली की विश्वसनीयता का आँकलन किया गया। प्रश्नावली की विश्वसनीयता का मान 0.893 अभिप्राय है 89.3 प्रतिशत प्रश्नावली विश्वसनीय है,जिसका सत्यापन क्रानवेक अल्फा द्वारा किया गया है, अत: परिणामस्वरूप प्रश्नावली के विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है।

H(1): उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं।

तालिका क्रमांक 6One-Sample Testआर्थिक विकास में उच्च शिक्षण संस्थाओं की महती भूमिका

	Test Value = 0					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
आर्थिक विकास मेंउच्च शिक्षण संस्थाओंकी भूमिका	16.012	479	.000	1.71800	1.6615	1.7545

उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं यह जानने के लिए टी-टेस्ट परीक्षण का उपयोग किया गया है। टी-टेस्ट की तालिका के अनुसार सार्थकता मान .000<.05 है, व टी-टेस्ट का परिकलित मान 16-012 स्वतन्त्र कोटि 1 पर है, जो कि सारणीकृत मान 1-96 से अधिक हैं। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि परिकल्पना **H_0(1): को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अत: यह कहा जाएगा की उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा रही हैं को स्वीकृत किया जाता है अत: परिकल्पना क(1)सत्य सिद्ध होती है।**

अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारी अध्ययन ने स्पष्टता से दिखाया है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपना कार्य सम्पन्न कर रही हैं, बल्कि उनका सकारात्मक प्रभाव राज्य के आर्थिक संदर्भ में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपने साकारात्मक योगदान के माध्यम से राज्य को विकसित करने में सहायक हो रहे हैं। इस निष्कर्ष के माध्यम से हम यह स्थापित करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाएं अनेक आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों, और आम जनता के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम समाप्त होने पर हम यह कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इसे और बढ़ावा देने के लिए संबंधित स्कीमों और नीतियों की आवश्यकता है।

शोध निष्कर्ष – शोध के उद्देश्यों के आधार पर शोध विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है –

1. शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा लोगों को एक अवसर प्रदान करती है जिससे वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मसलों पर सोच-विचार कर सकते हैं। इससे उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए योजना बनाने और कार्यवाई करने की क्षमता मिलती है, जो आर्थिक सुधार और सामाजिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा ने उन लोगों को सशक्त किया है ताकि वे समाज में ठोस योजनाओं और समृद्धि के प्रति सजग हो सकें, जिससे भारतीय मार्केट में निवेश करने के लिए उनके निर्णयों को भी सकारात्मक रूप में प्रभावित किया जा सकता है।
2. अध्ययन के परिणामों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उच्च शिक्षा का प्रायोजन व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों के विकास से जुड़ा है। उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, बल्कि उसका व्यक्तिगत और सामाजिक मौद्रिक विकास भी होता है। यह शिक्षा व्यक्ति को समृद्धि, समर्पण, और सामाजिक सद्भावना की दिशा में प्रेरित करती है, जिससे उसका जीवन सार्थक और समर्थनयायक बनता है। इस तरह, उच्च शिक्षा व्यक्ति को न केवल व्यापक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उसे एक समृद्ध और समर्थनयायक समाज का हिस्सा बनाती है।
3. शोध के तथ्यों से ज्ञात होता है कि एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल मध्य प्रदेश में उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। शिक्षित जनसंख्या के साथ जुड़े कारकों और आर्थिक विकास के बीच मिलान का सामरिक संबंध स्पष्टता से दिखता है कि शिक्षा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है और इसे उच्च उत्पादकता की दिशा में पुनर्निर्धारित कर सकती है। यह नतीजा निर्धारक भूमिका निभाता है और आगे की नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायक हो सकता है जिससे

शिक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान – प्रश्न उठता है कि वे कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने की कवायद शिक्षक–शिक्षा को करनी है। इसका उत्तर देने के लिए शिक्षा के समक्ष जिन क्षेत्रों से चुनौतियां सामने आ रही हैं अथवा भविष्य में और तीव्र होकर सामने आने की आशंका है उन्हें तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं। हम जानते हैं कि 1992 के बाद भारत की आर्थिक नीति में कई मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जा रही धनराशि का विश्लेषण, लागत और लाभ के आधार पर किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं से अपने संसाधन स्वयं जुटाने की बात की जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अंतिम चुनौती भरा क्षेत्र राजनीतिक है। यद्यपि अपने देश में लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली प्रचलित है तथापि नीतिगत अस्पष्टता अथवा व्याख्या भिन्नता के कारण कभी–कभी कुछ व्यवधान आ जाते हैं। आंतरिक एवं बाह्य दबाव समूह भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक स्तर पर राजनैतिक दल तथा बाह्य स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं दबाव समूह का कार्य करती हैं जिससे नीतियों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है ।

उपसंहार – शोध अध्ययन के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास में भी भरपूर योगदान प्रदान करती है। उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही है, समाज में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विद्यार्थियों को न केवल विशेषज्ञता क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहारा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करती है। उच्च शिक्षा के माध्यम से विकसित किए गए कौशल और ज्ञान का उपयोग समाज के समस्त क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, और सामाजिक विज्ञान। इसके परिणामस्वरूप, यह एक समृद्ध समाज की दिशा में बदलाव लाने में मदद कर सकती है और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता के युग में, विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारों की दिशा में शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तकनीकी उन्नति और विकास ने नौकरी के क्षेत्रों में नए मानकों को स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरीयों की मांग बढ़ा दी है। विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नए और सुगम मार्गों की ओर बढ़ सकें। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि वे समाज में भी सकारात्मक रूप से योगदान देंगे। समृद्धि और विकास के पथ पर चलने के लिए, उच्च शिक्षा से जुड़े कौशलों और ज्ञान को मजबूत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक व्यक्ति को उसके चयनित क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि समृद्धि के पथ में पूरे समाज को भी साथ लेने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. https://www.allresearchjournal.com/archives/2020/vol6issue2/PartE/6-11-146-542.pdf
2. https://ncert.nic.in/textbook/pdf/ihss102.pdf
3. Meyer, Milton Walter.(1976)." *A Short History of the Subcontinent". South Asia*. pages no. 1, ISBN 0-8226-0034-X)
4. http://www.census2011.co.in/census/state/madhya+pradesh.html
5. http://www.educationportal.mp.gov.in/Public/Schools/ssrs/State_School_Block.aspx?MP=1
6. https://educationforallinindia.com/issues-challenges-indian-education-system-is-facing/
7. गुप्ता, मनीष. (2012). उच्चतरशिक्षा संस्थानों के आर्थिक विकास में भूमिका: एक सृजनात्मक अध्ययन। अर्थशास्त्र विभागीय अध्ययन, 15(3), 78–92).
8. https://hi.wikipedia.org/wiki/मध्य–प्रदेश×शिक्षा
9. https://hi.wikipedia.org/wiki/मालवा×मुख–स्थान–एवं–नगर
10. https://hi.wikipedia.org/wiki/निमाड़
11. https://highereducation.mp.gov.in/
12. http://hindimedia.in/depending-on-the-quality-of-higher-education/?print=print
13. Mohun P. Odit, K.Dookhan and S. Fauzel (2010) The Impact of Education On Economic Growth: The Case Of Mauritius. International Business & Economics Research Journal.Volume 9, Number 8, pp.141-145
14. प्रकाश, आर. एस. (2010). उच्चतर शिक्षा संस्थानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: एक अध्ययन। अर्थशास्त्र अनुसंधान, 12(2), 45–62).
15. hhttp://www.socialresearchfoundation.com/upoadreserchpapers/6/161/1708190841091st%20ravindra%20modi.pdf
16. यादव, सुरेशचन्द्र, और गोयल, सुशील. (2014). उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आर्थिक विकास में भूमिका: भारतीय परिदृश्य। शिक्षा सांख्यिकी, 17(1), 34–48)

तालिका 4: घुमावदार कारक मैट्रिक्स

स.क	प्र क्र	विवरण	कारक 1	कारक 2	कारक 3	कारक 4	कारक 5	कम्युनिटी (एच)
1	8	गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना	.915					.792
2	6	सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन	.911					.765
3	5	पुराने शिक्षण नियम एवं नीति में बदलाव	.890					.726
4	1	उच्च शिक्षण संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध	.887					.585
5	7	सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मसलों परसोच–विचार	.881					.805

6	9	बढ़ती तकनीकी निर्भरता के समय में विद्यार्थियों को मूल्यपरक रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना	.876					.834
7	2	उच्च शिक्षण क्षेत्र के विकास में योगदान	.864					.785
8	3	सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा	.850					.847
9	10	अधोसंरचनात्मक ढाँचे में बदलाव की आवश्यकता	.829					.773
10	15	आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका	.792					.704
11	14	आर्थिक उदारीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र मे शिक्षा संस्थानों से अपेक्षाएँ	.770					.891
12	4	शिक्षा से संबंधित बनाए गए नियम एवं नीतियां	.750					.903
13	5	शिक्षा के क्षेत्र में परिदृश्य बहुत तेजी से बदला	.741					.577
14	12	व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों का विकास	.739					.613
15	11	अकादमिक गतिविधियों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने का प्रयास	.735					.650
16	30	शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार		.763				.497
17	29	सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा		.725				.706
18	36	शिक्षकों को रोल-मॉडल बनने का अवसर		.638				.745
19	26	आर्थिक वृद्धि और विकास में सकारात्मक योगदान		.634				.687
20	19	आवश्यक कौशल और ज्ञान		.611				.669
21	27	प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे शैक्षिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग		.538				.674
22	40	कल्याणकारी राज्य को प्रगति करने और अन्य विकासशील और विकसित राष्ट्रों के साथ तालमेल		.505				.680
23	33	उच्च शिक्षा देश की संस्कृति को गढ़ने का हथियार		.500				.591
24	21	साक्षरता दर में वृद्धि			.738			.727
25	22	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता			.719			.706
26	28	उच्च शैक्षिक प्राप्ति के स्तर से नवाचार और उद्यमिता में वृद्धि			.644			.592
27	16	रोजगार के अवसर			.630			.619
28	23	नीतियों को आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता			.612			.507
29	37	समाज में 'भावी पीढ़ी-निर्माण'			.602			.634
30	31	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना				.698		.644
31	34	विद्यार्थियों को रोजगारोंमुखी प्रोजेक्ट आवंटित करना				.676		.647
32	39	सरकार का सम्मिलित प्रयास				.650		.509
33	35	शिक्षण प्रणाली में शिक्षकों को भी अपने विकास का मौका				.645		.685
34	32	'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना को जनभागीदारी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता				.640		.670
35	38	आर्थिक नीतियां और शिक्षा के लिए धन का आवंटन				.634		.571
36	25	आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त					.790	.538
37	24	उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग					.785	.557
38	20	आय असमानता को कम करने में मदद					.767	.535
39	18	शिक्षा में निवेश					.765	.672
40	17	उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास					.732	.488

(स्रोत:- प्राथमिक समंक)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास

डॉ. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा* जागेन्द्र कुमार कुशवाहा**

*** अतिथि विद्वान (समाजशात्र) म.गा.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत**
**** शोधार्थी (हिन्दी) महराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर अध्ययन करने पर स्वसहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। छोटी-छोटी बचत करके वह गरीबी निवारण में अपनी भागीदारी निभाती हैं। स्व सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण की अटूट कड़ी है। समूह में सम्मिलित सदस्य छोटे उद्योगों व रोजगार कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इस ऋण का प्रयोग अगरबत्ती, पापड़ अचार, मुरब्बा, रेडी टू ईट आदि बनाने में करते हैं। इसके साथ ही आपसी लेन-देन भी करते हैं। इन सभी कार्यों में उनका सहयोग सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग करते हैं। ग्रामीण बैंक के सहयोग से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास, शांति, आत्मसम्मान व सजगता भी बढ़ी है।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में महिलाएं विश्व की आबादी की आधी जनसंख्या का तथा एक तिहाई श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। विश्व के कुल निरक्षरों में तीन में से दो महिलाएं हैं। 50% महिलाएं खाद्य उत्पादन के कार्यों में लगी हैं। महिलाओं की स्थिति में वर्तमान समय में सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूह का आशय 15-20 सदस्यों का समजातीय समूह होता है, जो अपनी सामान्य समस्याओं के लिए समूह बद्ध होते हैं एवं स्वैच्छिक आधार पर बचत करते हैं और इस बचत से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपसी समस्याएं सुलझाते हैं और आपसी लेनदेन के द्वारा जो ब्याज प्राप्त होता है उससे अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि गरीबी निवारण एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास है।

महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को एक मजबूत मंच मिला है। महिलाओं में जागरूकता आई है वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं और प्रत्येक क्षेत्र में सहभागी हो रही हैं कई गाँव में महिलाएं सरपंच एवं पार्षद हैं। देश में महिलाएं सांसद, विधायक, मेयर के पद में भी हैं। महिलाओं के आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई है। अपने गाँव की छोटी-छोटी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लेती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि- 'नारी यदि दृढ़ता का कवच और ले तो संसार की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।'

आज की महिलाओं ने जिन उपलब्धियां को स्पर्श किया है उसके लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि-'एक लड़की की शिक्षा लड़के की शिक्षा की अपेक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है, परंतु लड़की शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है।' इच्छा एक ऐसा कारगर हथियार है जो सामाजिक विकास को गति देता है।

आंन्ध्रप्रदेश के 33 कस्बों के 150 उत्तरदाताओं से मिली जानकारी के द्वारा मौलिक व सहायक तथ्यों से यह निकला है कि सशक्तिकरण की प्रत्येक जगह जैसे- शिक्षा, रोजगार और आजादी में जागरूक और उत्पादों के निर्माण कौशल से जुड़ी महिलाओं ने उन महिलाओं से अच्छा प्रदर्शन किया है जो जागरूक और उत्पादन कौशल योजनाओं से जुड़ ही नहीं पाई हैं (नरसिम्हा एस. 1997)

उद्देश्य:

1. स्वसहायता समूह का परिचय व गतिविधियों की जाँच करना।
2. स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं में जागरूकता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
3. स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति- स्वसहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्राथमिक स्रोत पर आधारित है जो कि अनुसूची प्रणाली की मदद से किये गये साक्षात्कार द्वारा प्राप्त हैं। जिसमें की समूह के सदस्यों की साधारण जानकारी, आय, बचत समूह सदस्यता व लोन संबंधी प्रश्न हैं।

हमने सतना जिले के 5 स्वसहायता समूह के 60 सदस्यों का यादृच्छिक नमूना तकनीकी के आधार पर चयन किया है। जो गाँव हमने चुने हैं वो रेऊसा, चन्द्रकुइया, अमकुई, जसो, दुरेहा आदि। इन गाँवों में स्वसहायता समूह सफलतापूर्वक कार्यरत है। आकड़ों के संकलन हेतु अनुसूवी का प्रयोग किया गया है और आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत के माध्यम से किया गया है?

तालिका क्रमांक-1: स्व सहायता समूह के कार्य एवं सदस्य

क्र.	समूह का नाम	समूह सदस्य संख्या	समूह के कार्य	उत्तरदाता
1	सरस्वती समूह	11	पापड़, अचार	12
2	कृष्णा समूह	32	डेयरी	12
3	ओम साई-2	20	मध्यान्ह भोजन	12
4	जाग्रति स्वयं सहायता समूह	15	सब्जी विक्रय	12
5	दुर्गा समूह	12	मिर्च, मसाला, अचार	12
	कुल			**60**

प्राथमिक स्रोत पर आधारित कुल स्वसहायता समूह सदस्यों में 60

सदस्यों को निदर्शन के रूप में चुना गया है और उनका चुनाव उनके कार्य के आधार पर किया गया है हर समूह से 12 सदस्यों का चुनाव किया गया है।

आयु स्वसहायता समूह सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी है। युवा और कम उम्र के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में अधिक हिस्सा लेते हैं।

तालिका क्रमांक–2: स्वसहायता समूह के सदस्यों की आयु समूह

क्र.	समूह का नाम	उत्तरदाताओं की सीमा	प्रतिशत
1	20 से कम आयु के लोग	6	10
2	21–30 आयु	30	30
3	31–40 आयु	15	25
4	41– 50 आयु	3	5
5	51 से अधिक	6	10
	कुल	**60**	

प्राथमिक स्रोत पर आधारित– 20 से कम आयु के लोग 10 प्रतिशत एवं 21–30 वर्ष के लोग 30 प्रतिशत और 31 से 40 वर्ष वाले 25 प्रतिशत, 41 से 50 वर्ष वाले 5 प्रतिशत, 51 वर्ष से अधिक के 10 प्रतिशत हैं। और ये स्थानीय समस्याओं का समाधान ज्यादा करते हैं।

तालिका क्रमांक–3: स्वसहायता समूह से जुड़ने से पहले व बाद में सदस्यों की मासिक आय

क्र.	मासिक आय	समूह सदस्यता से पहले		समूह सदस्यता के बाद	
		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बेरोजगार	24	40	2	3.33
2	500 से कम	10	16.67	25	41.67
3	501 से 1000	12	20	5	8.33
4	1001 से 1500	5	8.33	20	33.33
5	1501 से 2000	6	10	3	5
6	2000 से अधिक	3	5	5	8.33
	कुल	**60**	**100**	**60**	**100**

प्राथमिक स्रोत पर आधारित– उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समूह में जुड़ने से पहले सदस्यों की आय क्या थी और समूह सदस्यता के बाद आय में बढ़ोत्तरी किस प्रकार हुई। समूह में जुड़ने से पहले बेरोजगारी का प्रतिशत 40 % था जो सदस्यता के बाद 3.33 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार मासिक आय में समूह में सदस्यता से पहले और सदस्यता के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव– महिलाओं की गरिमा व अस्तित्व को बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं जो समय–समय पर महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं लेकिन इसके बाद भी महिलाएं शोषण का शिकार, गरीब और पीड़ित हैं। इसलिए आशावान परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य और केन्द्र सरकार से आग्रह है कि महिला विकास कार्यक्रम में तेजी लाए और पर्याप्त बजट की व्यवस्था करें।

1. उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वसहायता समूह के बैंक लिकेज से वह स्वयं आत्मनिर्भर हुए है और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
2. समूह में आर्थिक सशक्तिकरण से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार हुआ हैं।
3. महिलाएं अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हुई है।
4. स्वसहायता समूह से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

सुझाव:

1. जो स्वसहायता समूह ठीक कार्य करें और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. सरकारी योजनाओं को स्वसहायता समूह को अवगत कराना चाहिए।
3. बैंक की लोन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
4. महिलाओं के विकास हेतु जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. ठाकुर, डॉ. हंसराज, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण,दशाएँ एवं दिशा, 2013
2. कुजुर, डॉ. ज्योति, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वसहायता समूह का आर्थिक विशेषण सरगुजा जिले के विशेष सदर्भ में।
3. योजना– अंक अप्रैल 2012

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वन्या कहानी संग्रह में आदिवासी स्त्री चरित्र के जीवन का यथार्थ चित्रण

हिमांशु नागदा* डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार**

* शोधार्थी (हिंदी) तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) एम.के.एच.एस. गुजराती गर्ल्स कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आदिवासी स्त्री भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी आधुनिक लोकतांत्रिक अवधारणाएँ आज भी कल्पना लोक के विषय है। लेखिका ने अपने संग्रह में आदिवासी स्त्री की अस्मिता से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। स्त्री मन की त्रासदी, घुटन व अस्मिता की रक्षा हेतु प्रयत्नरत एवं पुरुष प्रधान समाज के तले दबते व्यक्तित्व को झेलती स्त्री का यथार्थ चित्रण संग्रह में बखूबी किया गया है। मेरे शोध पत्र में मनीषा कुलश्रेष्ठ की वन्या कहानी संग्रह की आदिवासी स्त्री के जीवन में बिलखते संघर्ष की यथार्थता की पड़ताल करने का प्रयास हुआ है। जहां स्त्री अपने स्वाभिमान की लड़ाई वर्षो से लड़ती आ रही है, उसने अपना सर्वस्व श्रम, मजदूरी और ममत्व में ही निकाल दिया है। भेदभाव, अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधेरे में वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ते दिखाई दे रही हैं। लेखिका का यह नवीनतम संग्रह आदिवासी स्त्री जगत के विभिन्न ज्वलंतशील मुद्दों को उठाता है। सुमिता के स्वावलंबी होने, कुरजां द्वारा आत्मरक्षा करने, गजाला और लुबना द्वारा कला के क्षेत्र में नारी के लिए समाज की बदलती सोच की उम्मीदें रखना, सुरमन और प्रिश्का का अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करना, अनचाहे जीवन पथ में मिति का स्वाभिमानी बनना तथा लीलण के यौन शोषण व बेनु के एथलीट खिलाड़ी बनने के संघर्ष को यथार्थ धरातल पर मोतियों की भांति बिखेरता लेखिका का ये संग्रह बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। शिक्षा, आधुनिकता व भौतिकता से दूर होने के कारण आदिवासी स्त्री परंपरागत स्त्री की तरह ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साये में जीने को अभिशप्त है।

शब्द कुंजी – आदिवासी, समाज, स्त्री, साहित्य, यथार्थता, संघर्ष, शोषण, आत्मनिर्भर, कला, सम्पत्ति, असुरक्षा, अस्मिता, गरीबी, असहाय।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में आदिवासी स्त्री के सम्मुख स्त्री–अस्मिता का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। स्त्री–अस्मिता की लड़ाई, स्त्री स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता का प्रश्न आधुनिक चेतना का प्रश्न है। आधुनिक स्त्री को जब अपनी भारतीय परम्परा में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है तब वह अपनी परम्परा की तलाश करती हुई इतिहास में लौटती है और अपने को स्थापित कराना चाहती है। आदिवासी महिलाओं के सामने यह समस्याएँ दुगुनी है। साहित्य में इन महिलाओं का चित्रण न के बराबर हुआ है। आदिवासी आंदोलनों पर एक नजर डाले तो आदिवासी स्त्रियों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है किंतु किताबों में इन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। आदिवासी लेखन और उससे संबद्ध स्त्री विमर्श में अभी तक 'स्वानुभूति बनाम सहानुभूति' जैसी बहस केंद्र से दूर परिधि के इर्द–गिर्द घूम रही हैं। खड़िया आदिवासी लेखिका डॉ रोज केरकेट्टा इस संदर्भ में कहती हैं– 'आदिवासी शिष्ट सात्पी में स्त्री श्रम, सहिष्णुता और ममत्व से पूर्ण तो मिलती है लेकिन अपने लिए और परिवार के लिए निर्णय लेती हुई कम मिलती है। वह जीने के लिए कठिन परिश्रम करती हैं, देश–परदेश जाती हैं, सेवा करती हैं, स्वयं को नहीं दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए।'[1]

हिंदी साहित्य में एक मुखर और महत्वपूर्ण स्वर मनीषा कुलश्रेष्ठ अपनी कहानियों के द्वारा स्त्री की वास्तविक स्थितियों को सामने लेकर आई है। उनकी कहानियों में शोषण, मानसिक तनाव, घुटन, छटपटाहट, आरोप, लांछन और झूठी मर्यादाओं को ललकारने की कसमसाहट इत्यादि का वर्णन किया गया है जो सीधे तौर पर औरत के जीवन को प्रभावित करते हैं। आदिवासी स्त्री की व्याख्या करते हुए लेखिका पुस्तक की भूमिका में वन्या का परिचय देती हैं– 'वन्या जानते हैं न जंगल से गुजरने वाली नदियों को कहते हैं, जहां उनका बहाव उन्मुक्त होता है मगर बाधाएं भी कम नहीं होती चाहे वे बीच में पहाड़ों चट्टानों से टकराकर झरनों में बदल जाए या कहीं किसी पुल में बांध दी जाए, अवरुद्ध कर दी जाए मगर वह प्रभावित होती रहती हैं चाहे उन्हें फिर पत्थर के अंतस से राह बनानी पड़े। यह सुप्त होकर फिर जगाती हैं और बहती हैं। इस कथा संकलन की कहानी भी ऐसी ही स्त्रियों की हैं।'[2]

'वन्या' कहानी संकलन आदिवासी स्त्री संघर्ष की कथाएं हैं जो रूढ़ अर्थ में आदिवासी विमर्श की कथाएं नहीं है आदिवासी जीवन की कहानियों को आप यूं ही नहीं कह सकते। उसके लिए वही आदम परिवेश, सरल किंतु वही भाषा एवं शैली, भाषा के साथ गीतात्मकता, पैतृक से मिले कहन–कथन, वही थिरकन, पेड़ों और पशुओं से प्रेम और सखा भाव तथा वन के प्रति चिंता भी लानी होगी।

वन्या संकलन की 'नर्सरी' कहानी एक सतरंगी गेंद (जिसे बार–बार धोए जाने पर उसका रंग हल्का होने लगा) के चाय बागान और उसके आसपास भटकने के बहाने जीवन के भटकावों से हमारा परिचय कराती है। इस कहानी में आदिवासी स्त्री जीवन को प्रस्तुत किया है जिसे चाय बागान की स्थाई कामगार आदिवासी स्त्रियों, बच्चों की देखभाल तथा पालना घर की इंचार्ज लड़की के रूप में बताया गया है। संथाल, उराव, गोंड, मुंडा जैसी

जनजाति वाली कामगार आदिवासी स्त्रियां जिनकी पिछली पांच छः पीढ़ियां इन्हीं बागानों में जन्मी खपीं और मर गईं। उनके हाथ पारंगत थे, पैरों में गरम लहू बहता था। वे अपने काम के प्रति इतनी सजग हो चुकी कि अब उन्हें अपने मालिक और मैनेजर का कोई भय नहीं रहता। विरासत में मिला यह डर अब आदत बन गया था। यहां लेखिका ने मालिक नौकर व्यवस्था पर तंज कसते हुए आदिवासी स्त्रियों को लेकर कहानी में लिखा है– 'वे पैर धूल–धूसरित थे मगर उनमें गरम लहू बहता है, यह बात जोंके ज्यादा अच्छी तरह जानती थी, बजाए मालिकों और मनीजर साहबों के। वे उतना ही खून चुसती थी जितने में उनका पेट भर जाता।'[3]

कहानी की एक पात्र सुमिता है जो पालना–घर की इंचार्ज रूप में आदिवासी कामगार स्त्रियों के बच्चों का देखभाल करती हैं। सुमिता एक स्वतंत्र ख्यालों वाली स्वावलंबी लड़की हैं जो सात सौ रुपए महीने कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। उसका मित्र सुमिता के जीवन को बेकारी का जीवन समझता है। वह कहता हैद 'सात सौ रुपए महीने के इस बेकार काम का घमंड कर रही हैं? इन अधनंगे मजदूर बच्चों में दिन खपा देती हैं।'[4]

शहर से लगे गांव में भी जब कही सुनाई बातों पर विश्वास किया जा सकता है तो फिर यह तो आदिवासी और जंगली इलाका है। सुमिता की मां जब सुमिता के शहर जाने की बात सुनती हैं तो उसे एक स्कूल वाली दीदी की बात याद आती है वह कहती थी कि 'लड़कियों को शहर ले जाकर बेच देते हैं और...'[5] इससे यह स्पष्ट होता कि जो रूढ़ मानसिकता सदियों से बना रखी है वह इतनी शीघ्र समाप्त होने से रही।

सुमिता उन सुंदर गहरे हरे रंग के चाय के झाड़ो को देखती हुई अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं। शायद उस चाय के झाड़ की सुंदरता के नीचे की काली छाया को देखकर। 'एक सौ साठ साल लंबी विडंबना के बारे में जब उसकी परनानियों–परदादियों को अंदरूनी आदिवासी इलाकों से यहां लाया होगा, जहां उनका कोई नहीं था। जहां वे लगभग बंदी थे, जहां उन्हें जानबूझकर इतने अभावों में रखा कि पुश्तें की पुश्तें अपने हाथों बस पत्तियां तोड़े और इन्हीं हाथों से चार निवाले निगलकर यही हाथ सिरहाने लगा कर फर्श पर सो जाएं।'[6] इस कहानी के चाय बागानों के हरे समुद्र में एक नहीं दो दुनिया बसती हैं, एक मिस्टर घोष और मिसेज घोष जैसी तो दूसरी सुमिता जैसी अन्य आदिवासी स्त्रियों वाली।

'कुरजां' कहानी विशेष है, क्योंकि यह किसी आदिवासी या ग्रामीण स्त्री की कहानी ही हो सकती थी। यह किसी अन्य समाज की स्त्री के लिए भोगा नहीं पर समझने योग्य यथार्थ हैं। ये कहानी घुमंतू कबीलों के जीवन से निकलकर कुरजां स्त्री के डाकन (डायन) करार दिए जाने की कहानी है, जहां स्त्री मन की त्रासदी पाठक वर्ग के मन को बोझिलता से भरती हैं। कहानी में ऐसी आदिवासी स्त्री का चित्रण है जहां अंधविश्वास और रूढ़ियां एक अच्छे भले इंसान को अमानवीय कृत्यों का कर्ता मान उसके जीवन को बर्बाद कर देता है।

कुरजां, गांव में हेडमास्टर के रूप में आए मास्टर जी से अपने बच्चे के दाखिले की बात करती हैं, लेकिन मास्टर जी का नौकर कालू मास्टर जी को उस स्त्री से दूर रहने की बात करता है। आखिरकार, कालू है तो उसी गांव में फलित व्यक्तिय उसके अनुसार कुरजां की नजर जिस पर पड़ती है वह बर्बाद हो जाते हैं। कालू कहता हैद 'जड़ी–बूटियां देती है औरतों को, इलाज करती। विश्वास जीत लिया लुगाइयों का। मनमाना पैसा और घर–घर जाकर अनाज मांगने लगी तो औरतों ने मना करना शुरू किया...। फिर तो जो इसे मना करें उसके घर में बच्चे बीमार पड़ जाए, मौत हो जाए। मेरी ही औरत के जब तीसरा बच्चा होने को था तो हम देवता के यहां से लड़का होने की भभूत लाए...। ये रांड सामने पड़ गई... कि तीसरी भी लड़की पैदा हो गई।'[7] इसी प्रकार से एक गरीब, बेसहारा औरत के प्रति गांव वालों के अमानवीय व्यवहार का चित्रण इसमें किया गया है। आदिवासी कुरजां से संबद्ध हमारे समाज की भिन्न–भिन्न मन: स्थितियां हमें उन विचित्र रूढ़ियों की तरफ सोचने और विचार करने पर विवश करती हैं जो अभी भी इक्कीसवीं सदी की मानवीय सभ्यता पर अभिशाप की तरह कुंडली मारकर बैठी हैं।

'रक्स की घाटी और शब–ए–फितना' कहानी में लेखिका स्त्री के स्वतंत्र एवं सुरक्षित जीवन जीने की लालसा को दृश्यांकित करती है। असुरक्षा का भाव स्त्री में प्राचीन समय से बना हुआ है, परन्तु इस कहानी के चरित्र कहीं न कहीं एक नवीन सोच को लिए है। मनीषा जी कहानी के एक पात्रय जो कि गजाला के टीचर है, के माध्यम से स्वातंर्त्य स्त्री के पक्ष में जीवन की नई उम्मीदों को व्यक्त करती है– 'फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद हैद क्या तुम्हें है? एक दिन ये कान देखेंगे और आँखें सुनेंगी। जबानों की उठनें खुल जाएगी।'[8] स्पष्टत: गजाला के टीचर को आभास था कि गजाला अपनी बड़ी बहन लुबना की भाँति उम्मीद दबाए बैठी है और एक दिन अवश्य ही स्त्री के सुरक्षित एवं स्वतंत्र जीवन जीने की हृदय में संचित भावनाएँ सच होगी।

कथा स्त्री स्वावलंबन के मद्देनजर नर्तकियों और गायकों के इर्द–गिर्द रहती है, किंतु एक स्त्री के स्वावलंबी होने का अर्थ केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता से नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने से भी हैं। इसके लिए स्त्री को स्वयं के भीतर समय सापेक्ष समाज के हित में नवीन सोच को विकसित कर जगत में नए–नए विचारों के साथ उड़ान भरनी होगी।

संग्रह की अगली कड़ी 'जमीन' कहानी है, जो राजस्थान के एक आदिवासी परिवार की कथा कहती हैं। इसमें सुरमन नामक एकाकी आदिवासी युवती का संघर्ष सामने आया है जो अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी में सुरमन का जुझारू व्यक्तित्व है जो बार–बार हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जमीन को लेकर वर्तमान में भाई–भाई का दुश्मन बना हुआ है। सुरमन का सौतेला काका जमीन पाने के लिए अपनी बेटी जैसी सुरमन को गांव वालों की मदद से धमकियां देता है, उसे बेइज्जत करवाता है। कहानी में सुरमन अपनी मित्र मुकुंदी को कहती हैंद 'मैं तो खेतों में बाल फैला कर रोने वाली चुड़ैलों से दोस्ती कर लूं पर मैं तो अपने सगेवालों से डरती हूँ, जो दिन में दिलासा देते है और रात को किवाड़ से झाँकते हैं... आते–जाते नंगी करके गांव से निकालने की धमकी देना। मुझे दादोसा और मेरी माँ की हराम की औलाद बताना जिसके चलते मेरे बाप ने...'[9] अक्सर कहा जाता है कि घर इंसान के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। लेकिन कौन कहता है कि महिलाओं का शोषण केवल घर के बाहर ही होता है?

आपसी संवाद, समझ और विश्वास की कमी को चिन्हित करती अन्य कहानी 'आर्किड' में आदिवासी स्त्री संघर्ष के साथ भारत और उसके अभिन्न अंग मणिपुर के जनजातीय समाज का यथार्थ चित्रण किया है। देखा जाए तो यह कहानी नॉर्थईस्ट के अतिरिक्त भारत के किसी भी भाग की कहानी हो सकती है। मणिपुर के जनजातीय और स्थानीय समाज को केन्द्रीय सत्ता के साथ संघर्ष करते हुए इस कहानी में देख सकते है। कहानी में मणिपुर की

लड़की प्रिश्का अपने पिता की तरह कई भारतीय भाषाएँ जानती है, किन्तु उनके विचार सर्वथा भिन्न रहे। उसके पिता नॉर्थईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन वह 'वहां इंडिया में' की जगह 'अवर इंडिया' जैसे शब्दों का प्रयोग करती थी तथा मणिपुर को देश का अभिन्न हिस्सा मानती थी। जब वह अपने प्रेमी एलन को युद्ध में खो देती हैं तब उसे गहरा आघात लगता है। उसकी अहिंसक प्रवृत्ति और देश से प्रेम कुछ काम नहीं आता। कहानी के अंत में वह कहती नजर आती हैंद 'लोगों को उनके हिस्से का अधिकार न मिले, खाना, शिक्षा, सुरक्षा... वह तो जाने दो इतना संगीन भी नहीं। मगर जो हमारा था, वह तो न छीनता... यह जंगल-पहाड़, हमारी खेतियां, पशु और हमारी औरतें... सुधार कार्यों में समय और ऊर्जा क्या बर्बाद करना, जब कुछ सुधरना ही नहीं है तो क्रांति ही आखिरी इलाज है।'[10] कहानी पूर्वोत्तर की समस्या पर न सिर्फ प्रकाश डालती हैं बल्कि गहन वेदना से भर देती है। कहानी अपने मूल में कहीं अधिक गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हैं।

एक कहानी 'नील-घर' अरुणाचल प्रदेश के शेर्गाओं गांव के एक आदिवासी से सुनी गई कहानी है जो वहां के जीवन के बारे में एक झरोखा खोल देती है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए स्वर्ग माने जाने वाले इस गांव में नील घर नाम का एक मकान है जिसकी दीवारें नीली तथा ढलवा छत सफेद रंग की थी। यह कहानी मानवीय रिश्ते, प्रेम व प्रेम के लिए आपसे रंजिशों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हुई गहरे अनुभवों और मानसिक द्वंद्वों को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करती हैं। कहानी की नायिका मिति की किशोरावस्था में ही सगाई हो जाती हैं। यह ऐसी उम्र है जहां मिति जीवन के इस नए पड़ाव के लिए तैयार न थी। उसे अपनी मां लालची लगती थी, जिसने पैसों को अधिक महत्व देते हुए अपनी बेटी का संबंध किसी बाहरी धनी व्यक्ति तोसिरो म्यूफिन से किया। तोसिरो के शेर्गाओं में संतरों के दो बगीचे होने से मिति की मां को वह अपनी बेटी के लिए उपयुक्त साथी लगा। कहानी में वाक्य है- 'किशोरी मिति की सगाई संतरों के फूलों के झरते ही, पेड़ों पर छोटे-छोटे फल आते ही तोसिरो से हो गई थी। मिति से किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब वह घनी उलझन में पड़ गई थी। उसकी समझ में नहीं आया कि अब उसे लंबे-दुबले, घने बालों वाले आकर्षक-मेहनती-हंसमुख युवक याबोम को देखकर लजाना और भागना चाहिए कि नहीं? वह इस कम लंबे मगर चौड़े कंधों वाले, तांबई रंग के गंभीर चेहरे वाले तोसिरो से कहीं अच्छा दिखता है।'[11] प्रेम की चाह में दो पुरुषों के मध्य पिसती एक स्त्री की दशा का यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। जहाँ तोसिरो, मिति को याबोम से दुगुना वधू मूल्य चुकाने की बात कहता है। इस पर मिति की प्रतिक्रिया आती है- 'मूल्य-मूल्य! मैं क्या कोई भेड़ हूँ? छोड़ो मुझे... पागल हो चुके हो तुम लोग।''[12] अर्थात् जो स्त्री स्वयं निर्णय लेने की समता रखती हो, उस पर पर-पुरुष बलपूर्वक अपना अधिकार सिद्ध करें, वह कदापि सहन नहीं करेगी।

शासकीय आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल के भीतर चल रही घिनौनी व्यवस्था (हॉस्टल मैट्रन द्वारा छात्राओं से यौन क्रियाएं करवाना) एवं वहाँ रहने वाली आदिवासी लड़कियों की दयनीय स्थिति का वर्णन लेखिका ने अपनी प्रसिद्ध कहानी 'अवक्षेप' में किया है। इस बात की पुष्टि कहानी की आदिवासी पात्र 'बेनु' और स्वयं लेखिका के संवाद के माध्यम से होती है- 'पैले के दो महीने की छातरवर्ती इंचारज ने अटका रखी है। पांच सौ पूरे तो कभी देता ही नहीं। खा-पी के दो सौ टिकाता है, फेर भी चार सौ बनते है, मिलते ही दे दूंगी।'

'ऐसा क्यों करता है?'

'करता है। उसके बाप का राज है, नहीं करेगा अगर उसके बिस्तर पे कपड़े काढ के...रांड रा...''

'क्या बकवास करती रहती है बेनु?'

'बताया नहीं आपको पैले। छोटकी चिरमी दस्स बरस की इंचारज के पास फीस के पैसे लेने गई और पूरी चड्डी लाल।...'

'मुझे मत बताया कर यह सब, जाकर पुलिस को बता।'

'पुलिस? वो हमारे यहाँ की दोनों कंजड़िने है न, उनको ले जाके इंचारज पुलिस को खुश रखता है।'

'मैट्रन?'

'वो रण्डी तो पैसे के बदले अपनी बेटी बेच दे।'[13] आदिवासी छात्रावास में किस प्रकार छोटी-छोटी लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है और अगर कोई लड़की इसके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयत्न भर भी करती है, तो उसे मार ही दिया जाता है। अवक्षेप कहानी ऐसी आदिवासी लड़कियों और उनकी त्रास पूर्ण जीवन के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त करती है।

यदि किसी पुस्तक की कोई एक कहानी भी पाठक वर्ग के मूर्छित मन को होश में ला उसके भीतर मानवीय भाव जगा दे तो साहित्यकार अपने लेखन के उद्देश्य में सफल कहा जाएगा। संग्रह की अंतिम कहानी 'एक थी लीलण' ऐसी ही कहानी है, जिसमें यौन अपराध की शिकार आदिवासी लड़की लीलण मृत देह के मार्फत अपनी कथा कहती हैं। इस कथा को पढ़कर मुझे सीधे हरिशंकर परसाई जी का कथन याद आ गया। वह कहते हैं, 'बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, पर यह पशु की तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते, सूअर तक नहीं करता मगर आदमी करता है।' न जाने कितनी लीलण हमारी असभ्य समाज की भेंट चढ़ती है। मेरा मानना है कि ऐसा कुकृत्य पैशाचिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता है, स्वाभाविक भी है।

एक बेटी के जीवन को सरल-सुगम बनाने का दायित्व जितना पिता का होता है उससे कहीं अधिक उसकी मां का होता है। यहां भी जब लीलण मरणोपरांत आप-बीती सुनाती हैं तो अपनी मां का जिक्र इस प्रकार करती हैं- 'ठीक ही तो है, लाश किसी की बेटी नहीं होती, उसके 'बेटी-प्राण' तो फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। मिट्टी के लौंदे-सी बिगड़ गई देह किसकी बेटी? मैं समझ सकती हूं तुम भी तो भीतर लाश ही हो गई थी, जब तुम मना कर रही थी पहचान से।'[14] लीलण के माता-पिता ने ही उसे पहचान और अपनाने से इनकार कर दिया। यहां कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस समाज में मृत पुत्र का अस्तित्व और सम्मान एक मुआवजे की रकम से अधिक न रह जाता हो, वहां लीलण जैसी आदिवासी स्त्री को कौन पूछता हैं। हमारे पुरुषों और उनके भीतर परिवारों को पत्नी, प्रेयसी, बहन और बेटी के तौर पर कई लीलण मिल जाएगी, कुछ मर खप जाए तो किसे फर्क पड़ता है? कम से कम होश वालों को तो नहीं, क्योंकि होश वालों को संबंधों का सौदा करना आता है। बाकी जो बेहोश है उनकी अपनी समस्या है कि वह दरिंदे है या दिलदार। हमारा समाज जड़-जोरू-जमीन के मामले में आज भी आदिम ही है। वह सभ्यता के मोड़ पर आदिम से आदिवासी की यात्रा भी पूर्ण नहीं कर सका। संवेदना और समझ की कमी से स्त्री और पुरुष दोनों ही सत्ता की कुर्सी के पद डगमगा सकते हैं।

निष्कर्ष- साहित्य में जहाँ कहीं आदिवासी स्त्री का चित्रण हुआ है वहाँ हम आदिवासी स्त्री को मात्र स्वच्छंद यौन की वस्तु, लुटी-पिटी और क्षत-विक्षत

रूप में चित्रित किया हुआ ही देखते हैं। 'वंदना टेटे' लिखती है– 'भारतीय साहित्य में आदिवासी महिलाएं परदेशी के प्रेम में देह सौंपती, दाई, आया, सेविका आदि के रूप में मार खाती, बलात्कार भोगती हुई दिखाई देती है। अस्मिता, स्वशासन और आत्म निर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करती हुई आदिवासी स्त्रियाँ साहित्य और फिल्मों में एक सिरे से गायब हैं।'[15]

आदिवासी समाज में स्त्रियों का जीवन कल्पना और मनोरंजन का किस्सा नहीं है और ना ही वे नुमाइश की वस्तु है। वे दर्द सहने की आदी है, उनका जीवन कठोर संघर्ष की गाथा कहता है। किंतु मुक्ति की बेचौनी तो उनमें भी है। उनकी निगाहें अब उन लोगों को पहचानने लगी है, जो आदिवासी स्त्रियों को भोग की वस्तु मानते आए हैं और आदिवासी समाज को सस्ता मजदूर बनाकर उनकी संस्कृति, भाषा, जल, जंगल, जमीन को हथिया कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर करते हैं। यही विडंबना आदिवासी समाज की स्त्री को अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। आज आदिवासी स्त्रियों को लेकर रूढ़ मानसिकता में बदलाव की अति आवश्यकता है। आदिवासी समाज भी इस पक्ष में आ चुका है। साहित्य में अब वह लिखने, बोलने व अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से कतई नहीं कतराती है। बस जरूरत है उन्हें शासन और संपूर्ण समाज के सक्रिय सहयोग और सहभागिता की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. रोज केरकेट्टा, आदिवासी संस्कृति और साहित्य : स्त्री का दर्जा
2. मनीषा कुलश्रेष्ठ, वन्या: आदिवासी स्त्री–संघर्ष की कहानियां, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण–2024, पृष्ठ–07
3. वही, पृष्ठ–18
4. वही, पृष्ठ–20
5. वही, पृष्ठ–21
6. वही, पृष्ठ–21
7. वही, पृष्ठ–98
8. वही, पृष्ठ–142
9. वही, पृष्ठ–39
10. वही, पृष्ठ–90
11. वही, पृष्ठ–25
12. वही, पृष्ठ–29
13. वही, पृष्ठ–123
14. वही, पृष्ठ–73
15. वंदना टेटे, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, रांची (झारखंड), 2013, पृष्ठ–72

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Critical Study of Impact of Narcotic Drugs and on Society and Human Rights

Manudev Patidar* **Dr. Balasaheb Garje****

*Research Scholar, P.K. University, Shivpuri (M.P.) INDIA
** Professor (Law) P.K. University, Shivpuri (M.P.) INDIA

Abstract: Narcotic drugs pose a significant threat to public health, safety, and security in India, prompting the enactment of stringent laws like the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. This Act prohibits the manufacture, production, possession, sale, and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances, empowering law enforcement agencies to take stringent measures against offenders. Despite these laws, India faces challenges in combating narcotics trafficking and abuse, necessitating continued efforts and international cooperation to address this complex issue and work towards a safer and healthier society.
Keywords: NDPS Act, Narcotics Control Bureau (NCB), stringent laws, public health, international cooperation, drug trafficking, psychotropic substances, law enforcement.

Introduction - Narcotic drugs pose a significant threat to India's public health, safety, and security. The government has enacted the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, to combat this menace. The Act prohibits the manufacture, production, and consumption of narcotics, empowering law enforcement agencies to take stringent action. The Narcotics Control Bureau (NCB) plays a crucial role in enforcing narcotics laws. Despite these efforts, India faces challenges due to its geographical location and porous borders. A sustained commitment and cooperation from law enforcement, policymakers, and the public are necessary to address this issue. Effective implementation of narcotics laws, international cooperation, and public awareness are essential in creating a safer society. By working together, India can mitigate the menace of narcotics and build a brighter future. A comprehensive approach, including law enforcement, public education, and rehabilitation, is necessary to tackle the root causes of narcotics abuse.

Letratur Review

1. Arpit Parmar, Venkata Lakshmi Narasimha, and Santanu Nath's review highlights India's efforts to combat substance abuse. Their analysis reveals a comprehensive approach, including the NDPS Act and National Action Plan for Drug Demand Reduction. Key initiatives like the Drug De-Addiction Program and NGO collaborations focus on rehabilitation. This multipronged strategy aims to reduce substance abuse and promote well-being.

2. Bharti Thakur and Neeru Mittal's analysis highlights India's Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act of 1985, which regulates addictive drugs and permits medical use under strict provisions. The Act restricts psychotropic medications from over-the-counter sales, imposes penalties for violations, and has undergone revisions to enhance control and penalties, balancing medical importance with strict regulation.

3. Dr. Raina Midha's critical study highlights the profoundimpact of narcotic drugs and psychotropic substances on society and human rights. Substance abuse contributes to public health deterioration, increased crime rates, and social instability. The study advocates for a shift from punitive measures to health-centered approaches, emphasizing rehabilitation, education, and harm reduction. It calls for international collaboration and comprehensive strategies to address addiction while respecting human rights.

Objective of study :

1. Understanding the impact on public health and safety.
2. Familiarizing with the legal framework (NDPS Act).
3. Analyzing law enforcement's role in combating trafficking.
4. Exploring international cooperation to address narcotics issues.

Research Hypothesis: Narcotics drug research explores ways to detect, treat, and prevent drug abuse. Scientists investigate advanced methods to identify drugs in samples, effective treatments to reduce addiction, and strategies to curb opioid misuse. They also develop portable testing tools and analyze drug samples to help law enforcement. This research aims to improve public health and safety.

Definition of Narcotic Drug Under NDPC ACT : 2.(xiv) "narcotic drug" means coca leaf, cannabis (hemp), opium,

poppy straw and includes all manufactured drugs;" 2.(xxiii) "psychotropic substance" means any substance, natural. or synthetic, or any natural material or any salt or preparation of. such substance or material included in the list of psychotropic.

NDPS Act 1985:

1. India is a signatory to the United States Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, the Convention on Psychotropic Substances , 1971 and the Convention on Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances , 1988. Hence, in this context, India also passed the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act , 1985.
2. This Act makes stringent provisions for the control and regulation of narcotic drugs and psychotropic substances. The Narcotics Control Bureau was established in 1986 to implement the Act .
3. The Act provides for the confiscation of property and income derived from drug trafficking. It also provides for the death penalty for repeat offenders.
4. It is noteworthy that through an amendment in the year 2014, the transportation and licensing of drugs classified as ' essential narcotic drugs ' was centralized by eliminating the obstacles created at the state level.

Drug Abuse Effect on Society

1. Health problems: Drug abuse can be devastating for human health, causing both physical and mental problems. The physical impact varies depending on the substance and individual, potentially damaging vital organs like the brain, heart, and liver. Injecting drugs also heightens the risk of life-threatening infections such as HIV and hepatitis, posing a serious threat not just to individuals but to public health as a whole.

2. Mental Health: Drug abuse can severely impact mental health, triggering issues like anxiety, depression, and schizophrenia. It alters behavior, causing impulsivity, mood swings, and paranoia. The mind becomes vulnerable, struggling to cope with reality. Addiction rewires the brain, affecting decision-making and emotional stability. This toxic cycle can lead to long-term psychological damage, making recovery challenging. The grip of substance abuse tightens, often leaving individuals feeling lost and disconnected from themselves and others. Mental health support is crucial.

3. Addiction: Addiction is a relentless cycle that consumes lives. It's a brain disorder fueled by drug abuse, leading to compulsive cravings and destructive behavior. Physical and emotional dependence intertwine, making it hard to escape without help. The struggle is real, with every aspect of life affected. Professional support is crucial to break the chains of addiction and reclaim one's life. With guidance and care, recovery is possible, and hope can be rekindled. The journey is tough, but with the right help, individuals can overcome addiction and find a path towards healing and renewal, rediscovering their true potential and purpose.

4. Crime : Drug abuse and crime are deeply intertwined, with addiction often driving individuals to commit offenses like theft, violence, and drug trafficking. The desperation to fund their habit can lead people down a path of illegal activities, straining law enforcement and eroding community trust. Drug-related crimes range from possession to distribution, with turf wars between rival gangs sparking violent incidents. The impact is devastating, affecting families, neighborhoods, and society as a whole. To break this cycle, a comprehensive approach is needed, focusing on prevention, treatment, and support for those struggling with addiction. By addressing the root causes and providing resources for recovery, we can work towards reducing drug-related crime and building safer communities. Offenses linked to drug abuse include theft, robbery, assault, and homicide, often fueled by the need to sustain the addiction. Effective solutions require a multifaceted strategy.

5. Economic loss: Drug abuse and crime are intricately connected, with addiction fueling offenses like theft and violence. Desperation to sustain the habit drives individuals into illegal activities, straining law enforcement and eroding community trust. The impact is far-reaching, affecting families and society. A comprehensive approach is needed to break this cycle, focusing on prevention, treatment, and support. By addressing root causes and providing recovery resources, we can reduce drug-related crime and build safer communities. Effective solutions require empathy, understanding, and a multifaceted strategy to tackle the complexities of addiction and crime.

6. Treatment costs: The devastating impact of drug abuse extends beyond individuals to entire communities. Lives are lost, families are torn apart, and the fabric of society is strained. The economic burden is staggering, with costs mounting from healthcare expenses to lost productivity. Yet, amidst the chaos, there is hope. With compassion, support, and effective treatment, individuals can overcome addiction and rebuild their lives. By working together, we can create a brighter future, one where communities thrive and the grip of addiction is loosened. It's time to shift the narrative from shame to support, and empower those affected to find a path towards healing and renewal.

7. Family and social problems: Drug abuse shatters lives, tearing families apart and draining communities. The financial toll is crushing, with skyrocketing healthcare costs and lost productivity. Yet, hope flickers. Compassionate support and effective treatment can help individuals break free from addiction's grip. By joining forces, we can build stronger communities where people can heal and thrive. It's time to trade shame for understanding and empower those struggling to find their path to recovery.

8. Impact on children: The impact of drug abuse on children can be particularly significant. Children of parents with substance use disorders may experience neglect, abuse, or other trauma, which can have long-lasting effects

on their health and well-being.

9. Public Safety : Drug abuse puts everyone at risk. When people drive or work under the influence, they can cause accidents that hurt themselves and others. Imagine being on the road and suddenly, someone high on drugs crashes into you. It's terrifying. Or picture a coworker struggling with addiction, making mistakes that could harm colleagues. It's a serious issue that affects us all. By tackling drug abuse head-on, we can make our communities safer. Let's support those struggling and work together to prevent accidents and protect each other. We can make a difference, one step at a time.

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Provision: The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, is a landmark legislation that plays a critical role in India's fight against drug abuse and illicit trafficking. This comprehensive law aims to protect individuals and communities from the devastating effects of drug addiction while ensuring that those who engage in drug-related crimes face appropriate punishment.

Understanding the Punishments: The NDPS Act outlines a range of punishments based on the quantity of drugs involved in the offense. These punishments are designed to reflect the severity of the crime while also providing opportunities for rehabilitation.

1. Small Quantity - For possession of a small amount of drugs, typically for personal use, the punishment may include up to 6 months of imprisonment or a fine of up to ¹ 10,000. The focus here is often on helping individuals seek treatment and support to overcome their addiction.

2. More than Small Quantity but Less than Commercial Quantity - If the amount of drugs exceeds the small quantity threshold but is still below commercial levels, the punishment can be more severe, with imprisonment up to 10 years and a fine of up to ¹ 1 lakh. This category targets those involved in small-scale drug dealing or distribution.

3. Commercial Quantity - For large-scale drug trafficking operations, the punishment is significantly harsher, with imprisonment ranging from 10 to 20 years and a fine between ¹ 1 lakh and ¹ 2 lakhs. This provision is aimed at dismantling major drug trafficking networks that pose a significant threat to society.

Key Provisions of the NDPS Act: The NDPS Act includes several key provisions that address different aspects of drug abuse and trafficking:

1. Section 25A - This section deals with the unauthorized manufacture, sale, possession, or transportation of controlled substances. Those found guilty under this section could face up to 10 years of imprisonment and a fine of up to ¹ 1 lakh.

2. Section 27 - For individuals caught using drugs for personal consumption, the punishment may include up to 1 year of imprisonment or a fine of up to ¹ 20,000. Importantly, the Act emphasizes rehabilitation over punishment for addicts, recognizing that addiction is a treatable condition.

3. Section 31A - In cases of repeated convictions for serious drug-related crimes, the punishment can be as severe as the death penalty. This provision underscores the Act's strict stance on serious offenses that threaten public safety.

4. Section 64A - Addicts who voluntarily seek treatment can receive immunity from prosecution under this section. This provision encourages individuals to seek help without fear of legal repercussions, promoting recovery and rehabilitation.

Additional Aspects of the NDPS Act: The NDPS Act also includes several other important provisions:

1. Seizure and Forfeiture - Authorities have the power to seize and forfeit assets acquired through illegal drug trade activities. This provision targets the financial gains of drug trafficking and aims to disrupt the economic foundations of the trade.

2. Rehabilitation - The Act places a strong emphasis on the importance of treatment and rehabilitation for individuals struggling with addiction. By addressing the underlying issues that contribute to addiction, individuals can recover and reintegrate into society.

3. Bail Provisions - The Act allows for bail to be granted under certain conditions, but the public prosecutor may oppose it in cases involving severe offenses. This ensures a balanced approach to justice, taking into account both the rights of the accused and the need to protect society.

A Comprehensive Approach to Combating Drug Abuse: The NDPS Act is a vital tool in India's efforts to combat drug abuse and trafficking. By combining punitive measures with rehabilitation and support, the Act aims to create a safer and healthier society for all. Its provisions reflect a nuanced understanding of the complexities surrounding drug-related crimes, seeking to balance punishment with support for those struggling with addiction.

Narcotic Drugs Related provision bhartiyanahaye Sanhita

1. Section 147 Death Caused by Negligence - This section holds individuals accountable for deaths caused by negligence, including drug overdoses. It ensures that those responsible for such negligence face legal consequences.

2. Section 223 Obstructing Public Servant - This provision penalizes individuals who obstruct public servants, including law enforcement officers, in the discharge of their duties related to drug investigations. It is crucial for maintaining the integrity of the investigation process.

3. Section 229 Misconduct in Public Office - Government officials involved in drug enforcement can be held accountable for misconduct under this section. It ensures that officials act with integrity and professionalism in their duties.

4. Section 103 Murder - If drug-related activities lead to

murder, this section can be invoked. It provides a legal framework for prosecuting individuals involved in such cases, ensuring that justice is served.

5. Section 115 Attempt to Commit Culpable Homicide - This section addresses attempts to cause harm through drug-related activities. It ensures that individuals who attempt to commit culpable homicide, including through drug-related activities, are held accountable.

Application of the Customs Act, (Sec 79) 1962: All prohibitions and restrictions imposed by or under this Act on the import into India, the export from India and transhipment of narcotic drugs and psychotropic substances shall be deemed to be prohibitions and restrictions imposed by or under the Customs Act, 1962 and the provisions of that Act shall apply accordingly:

Provided that, where the doing of anything is an offence punishable under that Act and under this Act, nothing in that Act or in this section shall prevent the offender from being punished under this Act.

Narcotic Control Bureau: Narcotic Control Bureau (NCB) as the name its self-tell its function is the control of drugs in India. The agency is in charge of combating drug trafficking and the use of illegal substances, as mandated by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act.It was established in 1986 and is responsible for coordinating with Indian state governments and other central departments, as well as implementing India's international drug trafficking duties and helping international and foreign drug law enforcement authorities.

1. **Moto-** Intelligence, Enforcement, Coordination.
2. **Mission-** Prevent and combat abuse and illicit traffic of drugs.
3. **Vision**- Endeavour for a drugs-free society
4. **Formation**

The Narcotics Control Bureau was established on March 17, 1986, to enable complete implementation of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 and to combat its violations through The 1988 Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act is a federal law that prohibits the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. The law was enacted in order for India to meet its treaty responsibilities under the Single Convention on Narcotic Drugs, The Convention Against Illicit. In addition to directly recruited members, officers in this organization are appointed from the Indian Revenue Service, Indian Police Service, and paramilitary forces.

Functions: The main objective of the NCB's is to fight drug trafficking in India. At both the national and state levels, it works closely with the State Police Department, Central Bureau of Investigation (CBI), Central Economic Intelligence Bureau (CEIB), as well as other intelligence and law enforcement agencies of India.The NCB also works and keeps on checking the borders so that any kind of drug trafficking is not taking place.

Drugs and Human Rights: For decades, governments have criminalized the use of drugs, as well as their possession, production, and distribution. They have poured billions of dollars into pursuing, killing, prosecuting, extraditing, and imprisoning kingpins, dealers, and people who use drugs. Yet, as Human Rights Watch has repeatedly documented, this approach to drug policy has had devastating human rights consequences: undermining the rights to health and privacy; serving as an excuse for grossly disproportionate punishment, torture, and extrajudicial killings; and fueling the operations of organized criminal groups that commit abuses, corrupt authorities, and undermine the rule of law.Human Rights Watch calls on governments to decriminalize all personal use and possession of drugs. We also urge governments to adopt alternative policies concerning the drug trade to reduce the enormous human rights costs of current approaches, including by reducing the use of the criminal law to regulate drug production and distribution. And we call for reform to global drug treaties and policies that impede exploration of these alternatives.

The Role of Media in Drug Issues: The media plays a significant role in shaping public perceptions and attitudes towards drug issues. Here are some positive and negative aspects:

1.Positive Roles:

1. **Raising Awareness -** The media can inform people about the dangers and effects of drugs, helping to prevent drug abuse.
2. **Education and Information -** The media can provide valuable information about the risks and consequences of drug use, empowering individuals to make informed decisions.
3. **Support and Resources** - The media can share information about resources and support services for those struggling with addiction, helping them access help.

Negative Roles:

1. **Misinformation -** The media can spread false or misleading information, potentially encouraging drug use or exacerbating the problem.
2. **Glorification -** The media can inadvertently glorify or romanticize drug use, making it seem appealing or acceptable.
3. **Promoting Addiction -** The media can perpetuate messages that normalize or promote addiction, contributing to the problem.

Case laws related to narcotics drugs

Supreme Court Judgments

1. **Case - FirdoskhanKhurshidkhan vs. The State of Gujarat &Anr -** The Supreme Court held that confessional statements recorded under Section 67 of the NDPS Act are inadmissible as evidence. The court also clarified that Section 42 of the NDPS Act applies to enclosed places, not public places, and Section 50 applies to personal searches.

2. Tofan Singh v. State of Tamil Nadu - The Supreme Court ruled that officers invested with powers under Section 53 of the NDPS Act are police officers, and confessional statements made to them are barred under Section 25 of the Evidence Act.

3. Hira Singh and Anr. v. Union of India and Anr - The Supreme Court held that when determining the quantity of narcotic drugs or psychotropic substances in a mixture, the weight of the neutral substance is included.

High Court Judgments:

1. TinimoEfereWowo Vs The State Govt OfNctOf Delhi - The Delhi High Court clarified that controlled substances are not affected by the bar to bail under Section 37 of the NDPS Act.

2. Kamruddin v. Union of India - The Madhya Pradesh High Court ruled that the term 'spot' refers to the place where the search is conducted and recovery is made, not where the suspected vehicle or person is intercepted.

Suggestions to Prevent Substance Abuse

1. Know the Risks -Understand what substances can do to your body and mind. Knowing the facts helps you make smarter choices.

2. Build Strong Connections - Surround yourself with people who uplift and support you. Positive relationships can keep you grounded.

3. Find Healthy Outlets - Dive into hobbies, sports, or creative activities that make you happy. It's a great way to channel your energy positively.

4. Manage Stress - Life can be overwhelming, but try techniques like meditation, exercise, or talking to someone you trust to cope with stress.

5. Set Boundaries - Learn to say no to situations that feel unsafe or uncomfortable. Your well-being comes first.

Conversation: Narcotics drug laws must balance public health and safety with human rights protection. A human rights-based approach prioritizes dignity, autonomy and access to healthcare for individuals affected by drug use. By focusing on harm reduction, treatment and support, governments can reduce the adverse impact of drug laws on vulnerable populations. Ensuring proportionality in punishment and protecting human rights in law enforcement practices are crucial. A balanced approach can mitigate the harm caused by narcotics while upholding human dignity and rights. This requires ongoing dialogue, education and cooperation among policymakers, healthcare professionals and communities to create a just and compassionate society. By working together, we can develop laws and policies that promote public health, safety and human rights. This approach can lead to more effective and humane solutions. Ultimately, protecting human rights is essential in addressing the complex issue of narcotics.

References:-

1. Taxmann's Law Relating to Narcotic Drugs & Psychotropic Substances by Bidyut Kumar Banerjee – 2nd Edition 2023
2. Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Laws by K M Sharma and S P Mago – 4th Edition 2023
3. Law Relating to Narcotic Drugs & Psychotropic Substances | Virtual BookBy Bidyut Kumar Banerjee, Srinivasan Gopal
4. Whitesmann's Commentary on The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 by Yogesh V Nayyar – Edition 2023
5. Dr. Shradha Pandey - Narcotic Drugs and Psychotropic Substance: Understanding the problem and the law
6. Customs Act, 1962 - by P L Malik
7. Newspaper and Magazine - Dainik Bhaskar, Time of India, Patrika.
8. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (In Hindi) by K D Gaur
9. The Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 by Basanti Lal Babel in Hindi Edition 2024

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

डिग्री से बड़ी है कौशल, एक प्रशिक्षक की नजर से

श्रीमती ज्योतिबाला राठौर*

* शोधार्थी, प्रशिक्षण अधिकारी (फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशलों से लैस करना है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहाँ युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, वहाँ रोजगारपरक कौशलों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस शोध–पत्र का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्यों डिग्री मात्र पर्याप्त नहीं है और किस प्रकार कौशल ही वास्तविक सफलता और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है। इसमें शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई, कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षकों की भूमिका, सरकारी प्रयास तथा भविष्य की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शोध–पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'डिग्री दरवाजा खोल सकती है, लेकिन आगे का रास्ता कौशल ही तय करता है।'

प्रस्तावना – शिक्षा हमेशा से ही मानव जीवन का आधार मानी जाती रही है। यह व्यक्ति को समाज में सम्मान, पहचान और अवसर दिलाती है। परंतु आधुनिक युग में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। आज उद्योग और समाज उस व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जिसके पास वास्तविक कार्य करने की क्षमता हो।

डिग्री का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह ज्ञान का औपचारिक प्रमाण है और व्यक्ति को बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में केवल सैद्धांतिक ज्ञान काम नहीं आता। उदाहरणस्वरूप, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला छात्र यदि मशीनरी चला ही न सके तो उसका ज्ञान अधूरा है। वहीं, कोई साधारण प्रशिक्षित युवक यदि मशीन को कुशलता से चला सके, तो उद्योग उसकी अधिक आवश्यकता महसूस करता है।

आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में 'स्किल इज द न्यू करंसी' (कौशल ही नई मुद्रा है) की परिकल्पना सत्य प्रतीत होती है। शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षक और उद्योग – सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि युवाओं को केवल प्रमाणपत्र ही न मिले, बल्कि वे रोजगार के योग्य भी बनें।

समस्या का विवरण – भारत में प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लेकर निकलते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सभी को रोजगार मिल पाता है? आँकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्नातक युवा बेरोजगार हैं। इसका कारण यह नहीं कि नौकरियाँ कम हैं, बल्कि यह है कि उद्योगों को वह कौशल चाहिए जो विद्यार्थियों के पास नहीं है।

यहीं पर शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई उजागर होती है। डिग्रीधारी युवाओं के पास ज्ञान है, परंतु कौशल की कमी है। दूसरी ओर, कौशलयुक्त युवा भले ही बड़ी डिग्री न रखते हों, परंतु वे तुरंत कार्य करने में सक्षम होते हैं और उद्योगों में पसंद किए जाते हैं।

अनुसंधान के उद्देश्य:

1. डिग्री और कौशल के तुलनात्मक महत्व का विश्लेषण करना।
2. यह समझना कि उद्योगों को किस प्रकार के कौशलयुक्त युवाओं की आवश्यकता है।
3. भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पहचानना।
4. प्रशिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का आकलन करना।
5. सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. भविष्य में कौशल शिक्षा की संभावनाओं पर प्रकाश डालना।

कौशल का महत्व

1. **सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक ज्ञान –** डिग्री यह दिखाती है कि व्यक्ति ने किसी विषय का सैद्धांतिक अध्ययन किया है। लेकिन कौशल यह दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में क्या कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, कोई भी डॉक्टर तभी सफल है जब वह रोगी का सही उपचार कर सके, केवल मेडिकल डिग्री होना पर्याप्त नहीं है।

2. **रोजगार की गारंटी –** आज के समय में केवल डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं है। लाखों इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्नातक बेरोजगार हैं। वहीं, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फैशन डिजाइनर, तकनीशियन जैसे कौशलयुक्त लोग आसानी से काम पा लेते हैं।

3. **आत्मनिर्भरता का आधार –** कौशल व्यक्ति को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना सकता है। उद्यमिता कौशल पर आधारित है। एक कुशल दर्जी, मेकैनिक या डिजाइनर अपना काम शुरू कर सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है।

4. **सामाजिक और आर्थिक विकास –** कुशल जनशक्ति किसी भी देश की वास्तविक पूँजी होती है। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कौशल प्रशिक्षण के बल पर ही औद्योगिक क्रांति और आर्थिक विकास हासिल किया। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई– पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्यत: सैद्धांतिक है। उद्योगों को व्यावहारिक अनुभव और समस्या समाधान की क्षमता वाले युवाओं की आवश्यकता है। अधिकांश डिग्री पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग का अभाव है। परिणामस्वरूप, स्नातक युवा जब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 'अनुभव की कमी' के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। यह स्थिति तभी सुधर सकती है जब शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए।

भारत में कौशल शिक्षा की वर्तमान स्थिति– भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं :

1. कौशल भारत मिशन वर्ष 2015 में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2022 तक करोड़ों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना था।
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
3. अप्रेंटिसशिप एक्ट उद्योगों में युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए बनाया गया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है।

हालाँकि चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी आदि।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

1. जर्मनी में ड्यूल एजुकेशन सिस्टम में विद्यार्थी पढ़ाई के साथ–साथ उद्योग में काम करते हैं।
2. जापान तकनीकी शिक्षा और अनुशासन पर विशेष ध्यान देता है।
3. सिंगापुर स्किल्स फ्यूचर प्रोग्राम के तहत हर नागरिक को जीवन भर कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिलता है।
4. भारत को भी इन मॉडलों से सीख लेकर अपनी कौशल शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करना होगा।
5. प्रशिक्षकों की भूमिका और चुनौतियाँ
6. प्रशिक्षक किसी भी कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं।

भूमिका :

1. केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता सिखाना।
2. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना।
3. उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं और तकनीकों से विद्यार्थियों को अवगत कराना।

चुनौतियाँ :

1. प्रशिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की कमी।
2. आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की उपलब्धता न होना।
3. विद्यार्थियों की मानसिकता जिसमें कई विद्यार्थी अभी भी डिग्री को ही सबकुछ मानते हैं।

कौशल है नई पूँजी

21वीं सदी में ज्ञान से अधिक कौशल को मूल्यवान माना जा रहा है। आईटी, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फैशन और कृषि क्षेत्रों में कुशल युवाओं की भारी मांग है। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कुशल श्रमिकों और तकनीशियनों की मांग लगातार बढ़ रही है। डिजिटल युग में नई–नई तकनीकों (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिंग, फैशन टेक्नोलॉजी आदि) में कौशल प्राप्त करना आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव:

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार जिससे डिग्री पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए।
2. उद्योग व शिक्षा सहयोग से कॉलेज और विश्वविद्यालयों को उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।
3. अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को हर छात्र को कम–से–कम छह महीने का उद्योग अनुभव दिया जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान व गाँवों और छोटे कस्बों में भी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ।
5. महिला कौशल विकास में महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग, स्वास्थ्य, आईटी और उद्यमिता से जोड़ना।
6. निरंतर कौशल उन्नयन से प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को समय–समय पर नई तकनीकों में प्रशिक्षण देना।

निष्कर्ष– इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि डिग्री आधार है, लेकिन कौशल ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। शिक्षा केवल प्रमाणपत्र देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे रोजगारपरक और व्यावहारिक होना चाहिए। प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को केवल पढ़ाएँ नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएँ।

यदि भारत को विश्व में अग्रणी बनना है, तो उसे 'डिग्री से बड़ी है कौशल' के सिद्धांत को अपनाना होगा। तभी हम 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।
2. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, 2022।
4. जर्मनी और सिंगापुर के कौशल विकास मॉडल पर विभिन्न शोध पत्र।
5. प्रशिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Empowering the Girl Child: Evaluating the Role of Frontline Workers in the Beti Bachao Beti Padhao Scheme in Rural Datia, Madhya Pradesh

Dr. Jaishree Trivedi* **Mona Pandey****

*Principal, Govt. PG College, Datia (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Political Science) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract: This study examines the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in rural areas of Datia district, Madhya Pradesh, with a focus on the role of frontline workers such as Anganwadi staff, ASHAs, and schoolteachers. Using a mixed-methods approach, it explores their engagement in awareness generation, service delivery, and community mobilisation. While the study finds growing public awareness and committed field-level engagement, it also highlights challenges like resource constraints, weak inter-departmental convergence, and entrenched patriarchal attitudes. The paper argues that empowering frontline workers with better training, recognition, and coordination is essential for advancing the scheme's core objective of gender equity.
Keywords: Beti Bachao Beti Padhao, frontline workers, child sex ratio, gender equity, rural Madhya Pradesh, community mobilisation, implementation challenges.

Introduction - Gender inequality in India has long remained a deeply entrenched issue, persisting despite decades of economic growth and policy initiatives aimed at social development. Although constitutional guarantees, legislative safeguards, and targeted welfare programmes have sought to enhance the status of women and girls, structural discrimination continues to limit their life chances in numerous ways. This gendered disadvantage often begins even before birth, manifesting most visibly in skewed demographic indicators such as the child sex ratio (CSR). The CSR, defined as the number of girls per 1,000 boys aged 0–6 years, has consistently highlighted the extent to which son preference influences reproductive choices in Indian households. The 2011 Census marked a particularly stark turning point, recording a national CSR of 918, the lowest since Independencea figure that dropped further in districts like Datia, Madhya Pradesh (Census of India, 2011). This demographic distortion is not merely a statistical anomaly but a symptom of deeper cultural biases, economic considerations, and systemic failures. Scholars such as Jha et al. (2011) have attributed the worsening CSR to the misuse of prenatal diagnostic technologies, which, although developed for legitimate medical use, became tools of sex-selective abortion in regions with strong patriarchal norms. While the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act of 1994 attempted to address this misuse, enforcement challenges have limited its effectiveness (Variath, 2024).

In response to the alarming decline in CSR and the broader concern of gender-based discrimination, the Government of India launched the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in January 2015. With its launch in Panipat, Haryanaone of the worst-performing states in terms of gender indicatorsthe scheme aimed to deliver a multi-sectoral strategy involving the Ministry of Women and Child Development (MWCD), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), and Ministry of Education. It sought to ensure the survival, protection, and education of the girl child through awareness generation, improved service delivery, and community mobilisation (MWCD, 2019).

While the BBBP campaign has garnered visibility and political endorsement, its implementation has been uneven across regions. Evaluations from independent agencies and parliamentary committees have pointed out that a disproportionate share of fundsover 78% in some yearswas directed toward media campaigns rather than grassroots service delivery (CAG, 2021;Chandra, 2021). This imbalance between symbolism and substance has attracted criticism from scholars who argue that the scheme's media-heavy strategy may raise awareness, but without corresponding structural reforms, its long-term impact remains uncertain (Sahoo, 2023).

Empirical studies from districts like Datia offer nuanced insights into the scheme's effectiveness at the local level. Research by Govindharajan (2022)demonstrates that while district-level campaigns succeeded in generating

community interest, particularly in urban and semi-urban clusters, behavioural change was slower and less visible in rural gram panchayats. These findings underscore the importance of frontline workers, such as Anganwadi staff, Accredited Social Health Activists (ASHAs), and teachers, who play a pivotal role in translating the scheme's objectives into community-level action. However, inadequate training, delays in remuneration, and weak inter-departmental coordination often hinder their ability to deliver impact effectively (Verma, Dhaka, & Agrawal, 2018).

In addition, literature suggests that intersectional barriers compound the challenges faced by girl children in marginalised communities. While the scheme is designed as a universal intervention, it lacks targeted mechanisms to address the needs of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and minority communities who face additional hurdles in access to health, education, and social mobility (Gangle & Reddy, 2014;Maradiya (2019). Scholars such as Kabeer (1999) argue that genuine empowerment requires not only symbolic affirmation but also the material redistribution of resources, decision-making autonomy, and institutional recognition of women's agency.

At the policy level, the BBBP scheme is aligned with broader development goals, including Sustainable Development Goal 5 on gender equality. It also interfaces with national policies such as the National Education Policy 2020 and the National Policy for Women (2016 draft). Despite this alignment, gaps in convergence and coordination remain a critical concern. Studies have noted that although BBBP mentions linkages with health and education programmes, operational overlaps are often absent or poorly executed (Nakray, 2018;Parveen, 2024). For instance, poor access to girls' toilets and lack of menstrual hygiene infrastructure continue to be major factors in school dropouts, particularly in rural Madhya Pradesh, as shown by UDISE+ data (UDISE+, 2022).

Another underexplored area in BBBP research is the involvement of male stakeholders. Transforming entrenched patriarchal norms requires engagement not only with women and girls but also with men, boys, and community leaders. Evidence from Vietnam and South Korea demonstrates that male-inclusive strategies are more successful in shifting gender norms(Guilmoto, 2012). In India, however, the absence of male-centric interventions in BBBP has limited its transformative potential.

The literature points to significant gaps in monitoring and data transparency. Although the scheme mandates regular reporting and monitoring through web portals and MIS tools, real-time district-level data on fund utilisation, outreach efforts, and outcome indicators are either unavailable or not publicly accessible(Richards et al., 2021). Without such data, it becomes difficult for researchers, civil society, and policymakers to evaluate the scheme's progress or suggest mid-course corrections.

While the scheme's objectives are laudable, its potential can only be fully realised through sustained, evidence-based evaluation and policy feedback. Longitudinal research, district-level comparisons, and participatory assessments involving frontline workers and community voices are essential for improving the scheme's design and execution. As pointed out byParmar and Sharma (2020), shifting social attitudes is a long-term endeavour that cannot rely solely on slogans and visibility but requires deep, continuous engagement with local realities.

Objective of the Study: The present study is grounded in the urgent need to assess the effectiveness of gender-focused schemes at the grassroots level, particularly in regions marked by socio-cultural conservatism and poor gender indicators. Among the first 100 districts selected under the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme, Datia district in Madhya Pradesh stood out for its alarmingly low Child Sex Ratio (CSR), deeply embedded patriarchal norms, and gender-based disparities in education, healthcare, and child welfare (NFHS-5, 2021). Rather than attempting a wide-ranging evaluation of the national-level implementation of the BBBP scheme, the study narrows its focus to a single, clearly defined objective in order to preserve analytical clarity and offer practical insights that emerge from local contexts. The primary objective of the study is to assess the role and effectiveness of frontline workers in implementing the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in rural areas of Datia district, Madhya Pradesh.

Database and Methodology: This research adopts a mixed-methods approach to investigate the effectiveness of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme in Datia district, Madhya Pradeshone of the 100 gender-critical districts initially identified for focused intervention. Rather than examining the scheme in its entirety at the national level, the study narrows its focus to a single objective: assessing the role and effectiveness of frontline workers in rural areas of Datia in implementing the core aims of BBBP.

Study Area and Rationale: Datia, located in the Bundelkhand region of Madhya Pradesh, has historically reported low gender development indicators. According to NFHS-5 (2021), Datia recorded a child sex ratio (CSR) of 889 girls per 1,000 boys, considerably below the national average. Additionally, the district exhibits high rates of female illiteracy, early marriage, and limited healthcare access, especially in rural areas. These socio-demographic characteristics made Datia a representative site to explore how BBBP operates at the grassroots level.

Research Design and Sampling: The study employed a purposive sampling method, focusing on actors most directly involved in scheme implementation and those impacted by it. The fieldwork was conducted in five Gram Panchayats spread across two development blocks of Datia district. Selection criteria included:Historical trends in CSR, Active Anganwadi centre operations and willingness of participants to be interviewed

In total, 40 individuals participated in the study, grouped

as follows:

1. **20 frontline workers, including:**8 Anganwadi workers, 6 Accredited Social Health Activists (ASHAs)4 government schoolteachers and 2 Auxiliary Nurse Midwives (ANMs)
2. **5 local officials, comprising:**2 Block Development Officers and 3 Panchayat Secretaries
3. **15 community members, including:**7 parents of girl children, 5 adolescent girls and 3 senior community leaders or SHG members

This sample size was sufficient to yield data saturation, allowing for reliable thematic analysis within the context of the study's focused objective.

Data Collection Techniques: The study made use of four key data collection tools:

1. **Semi-structured interviews:** Conducted with 25 respondents (frontline workers and officials) to explore roles, responsibilities, and operational challenges.
2. **Focus Group Discussions (FGDs):** Held in three villages, involving 15 community members, to gauge awareness levels and attitudes toward the girl child.
3. **Field observation:** Visits were made to 4 Anganwadi centres and 3 rural schools, focusing on infrastructure, IEC material use, and staff-community interaction.
4. **Document analysis:** Reviewed district-level BBBP reports, IEC pamphlets, state circulars, and NFHS/ UDISE+ data to triangulate findings.

All instruments were pre-tested in a non-sample village to refine language, sequencing, and cultural relevance before use in the field.

Data Analysis Approach: A two-tiered analysis process was adopted:

1. Qualitative data were subjected to thematic content analysis, using NVivo software. Transcripts from interviews and FGDs were coded to identify recurring patterns around institutional coordination, morale of workers, and barriers in community engagement.
2. Quantitative data, primarily from structured interview responses and government documents, were summarised using descriptive statistics (percentages and frequencies) in Microsoft Excel. Tables were created to display key trends such as participation rates, training availability, and awareness metrics.

Data Analysis and Interpretation: This section presents the findings derived from the primary data collected from frontline workers, community members, and local officials in five Gram Panchayats of Datia district. The interpretation is guided by both quantitative summaries and qualitative narratives, providing a layered understanding of how the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme is perceived, implemented, and internalised at the grassroots level.

1. Awareness and Understanding of BBBP Among Frontline Workers

Category of Respondents	Number Interviewed	Aware of BBBP (%)	Understood Objectives Clearly (%)
Anganwadi Workers	8	100%	75%
Accredited Social Health Activists (ASHAs)	6	100%	66.7%
School Teachers	4	100%	100%
Auxiliary Nurse Midwives (ANMs)	2	100%	50%

All interviewed frontline workers had heard of the BBBP scheme, largely through official meetings or IEC materials distributed during block-level trainings. However, a clear understanding of its multi-sectoral objectivesparticularly the convergence aspect involving health, education, and women's developmentwas limited, especially among ANMs and ASHAs. Some Anganwadi workers expressed confusion between BBBP and general child nutrition programmes.

A 35-year-old ASHA from Badoni village remarked,"We do inform families about girl child welfare, but sometimes it is difficult to say what is BBBP and what is ICDS. They seem the same to people, and even to us sometimes."

This points to a need for targeted capacity building and role clarification among ground-level staff.

2. Community Engagement and Behaviour Change

Response Variable	Number of Community Respondents (n=15)	Responded Positively (%)
Heard of BBBP Scheme	11	73%
Can Name at least One Slogan/Message	9	60%
Changed Behaviour (e.g., school enrolment for girls, delay in marriage)	6	40%
Believe Girls Should Get Equal Opportunities	12	80%

Community-level awareness of BBBP messages was moderate, with slogans like *"Beti Bachao, Beti Padhao"* having a stronger recall than the scheme's actionable objectives. Among families that had daughters under age 10, six parents reported deliberate efforts to continue their daughters' education beyond Class 8, citing influence from schoolteachers and ASHA encouragement.

One father shared, "My daughter is now going to school regularly. The ASHA bahu comes often and talks to my wife. Earlier we thought it was okay to stop education after primary."

Despite such positive shifts, attitudinal change remains limited, particularly among older male members and in families where girls are seen as economic burdens. A common refrain heard during FGDs was the phrase *"Parayadhanhaibeti,"* reflecting persistent patriarchal

thinking.

3. Challenges Faced by Frontline Workers

Nature of Challenge	Percentage of Respondents (n=20)Reporting Issue
Lack of regular training or refresher courses	65%
Delay in salary/honorarium	70%
Lack of inter-departmental cooperation	55%
Community resistance or apathy	50%
Difficulty in reporting and documentation	40%

A substantial number of frontline workers reported demotivation due to irregular honorariums and poor clarity about their responsibilities under the BBBP scheme. Several Anganwadi workers shared that their work is often unrecognised or treated as an "add-on" to existing tasks.One schoolteacher stated,"We are asked to speak about BBBP in morning assembly or meetings, but no formal guideline is given. Sometimes I feel it's just for show."

The lack of convergence among departmentsespecially between health and educationwas another barrier frequently cited. Teachers rarely coordinated with ASHAs or Anganwadi workers for joint campaigns, which diluted the impact of local awareness drives.

4. Institutional Coordination and Support

Parameter	Fully Satisf-ied (%)	Partially Satisf-ied (%)	Dissatis-fied (%)
Support from Block-Level Officials	35%	40%	25%
Access to IEC Materials	30%	50%	20%
Clarity in Role and Responsibilities	25%	50%	25%

Institutional support was found to be inconsistent. Many functionaries expressed that BBBP was more visible during events or inspection visits, but in routine functioning, it lacked administrative follow-through. Anganwadi workers from Bhander block mentioned receiving pamphlets and banners only during National Girl Child Day or Republic Day rallies, while regular supply of materials was absent. An ANM noted,"We are told to talk about the girl child, but we don't get materials like charts or videos that could help. Even our health centres lack such support."

5. Perceived Impact of BBBP in Target Areas

Perceived Area of Impact	Improved (n=15)	No Change	Worse-ned
Girls' School Enrolment	10	4	1
Delay in Age of Marriage	5	8	2
Awareness about PCPNDT Act	3	10	2
Value of Girl Child in Community	6	7	2

While education-related indicators showed some improvement, there is limited awareness around legal and reproductive rights frameworks such as the PCPNDT Act. Only three respondents, including a schoolteacher and an ANM, could explain the Act correctly. Moreover, behavioural change in terms of delaying child marriage was far from uniform.

A mother of two girls from Chirula village stated,"We want to educate our daughters, but after a certain age people talk. They say we should find a match soon or risk trouble."

Such community pressures underline the fragile nature of gains made under BBBP, and reinforce the need for multi-pronged, sustained engagement.

6. Field Observations and Researcher Notes: During field visits to Anganwadi centres and local schools, several observations emerged:

1. Posters of BBBP were found faded or outdated, indicating weak upkeep.
2. Enrolment registers showed improved attendance among girls in Classes 1–5, but significant dropout beyond Class 8.
3. Meetings on girl child welfare were often clubbed with other schemes, limiting focused discussion.
4. Most schoolteachers were enthusiastic but under-supported in terms of materials or training specific to gender sensitisation.

The field-based insights from Datia district highlight a complex picture of partial success and persistent challenges in the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme. While awareness of the scheme has certainly increased over time, much of it remains confined to surface-level understandingprimarily slogans and campaign visualsrather than a comprehensive grasp of the scheme's multi-sectoral design. Frontline workers, including Anganwadi workers, ASHAs, and teachers, demonstrate significant commitment and local credibility; however, their efforts are often hampered by resource constraints, inadequate training, and limited institutional support. Though there are signs of positive attitudinal shifts in some familiesespecially in urban and semi-urban clustersthe change remains uneven, with patriarchal norms still deeply embedded in rural mindsets. One of the most pressing challenges is the weak convergence between key implementing departments. Despite policy mandates for inter-ministerial coordination, departments often operate in silos, leading to duplication of efforts or missed opportunities for synergy. Furthermore, the scheme's monitoring and reporting mechanisms, though technically in place, are underutilised or not fully integrated at the grassroots level, limiting accountability and real-time responsiveness. Together, these insights underscore the need for deeper community engagement, stronger institutional coordination, and context-sensitive adaptations to enhance the impact of BBBP in regions like Datia.

References:-

1. Census of India. (2011). *District census handbook: Datia*. Office of the Registrar General & Census

Commissioner, Government of India.
2. Chandra, J. (2021, December 10). *Beti Bachao, Beti Padhao | 80% of funds spent on media campaigns, says Parliamentary Committee*. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/beti-bachao-funds-spent-on-publicity/article37911688.ece
3. Comptroller and Auditor General of India (CAG). (2021). *Performance audit of BBBP scheme for the period 2016–2020*.
4. Deininger, K., Goyal, A., & Nagarajan, H. K. (2013). Women's inheritance rights and intergenerational transmission of resources. *American Economic Review, 109*(9), 2910–2953. https://doi.org/10.1257/aer.20160658
5. Gangle, G. R., & Reddy, P. (2014). *Status of women and social opportunities in Madhya Pradesh, India*. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4667.7520
6. Govindharajan, M. (2022). *Gender equality: A step towards women empowerment*. In *Gender Equality: A Step Towards Women Empowerment* (p. 303). Euro World Publication.https://www.researchgate.net/publication/367390649_Gender_Equality_A_Step_towards_Women_Empowerment
7. Guilmoto, C. Z. (2012). Son preference, sex selection, and kinship in Vietnam. *Population and Development Review, 38*(1), 31–54. https://doi.org/10.2307/41857356
8. Jha, P., Kesler, M. A., Kumar, R., Ram, F., Ram, U., Aleksandrowicz, L., ... & Bassani, D. G. (2011). Trends in selective abortions of girls in India: Analysis of nationally representative birth histories from 1990 to 2005 and census data from 1991 to 2011. *The Lancet, 377*(9781), 1921–1928. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60649-1
9. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change, 30*(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125
10. Maradiya, A. (2019). *Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), Ministry of Women and Child Development, Government of India*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22075.32807
11. MWCD. (2019). *Beti Bachao Beti Padhao: Implementation guidelines for State Governments/UT Administrations*. Ministry of Women and Child Development.
12. Nakray, K. (2018). Gender and education policy in India: Twists, turns and trims of transnational policy transfers. *International Sociology, 33*(1), 27–44. https://doi.org/10.1177/0268580917745769
13. Parmar, S., & Sharma, A. (2020). Beti Bachao Beti Padhao campaign: An attempt to social empowerment. *Journal of Critical Reviews, 7*(13), 1242–1248. https://doi.org/10.31838/jcr.07.13.212
14. Parveen, H. (2024). *Empowering women through education: An analysis of the National Education Policy's impact on gender equity and inclusivity*. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(9), e479–e493. https://doi.org/10.5281/zenodo.11013219
15. Richards, N., Pandolfelli, L., Bouziani, B., Ofosu-Baadu, B., & Carter, K. (2021). The role of administrative data in gender statistics: Supporting inclusive development for women and girls. *Journal of International Development, 33*(8), 1617–1630. https://doi.org/10.1002/jid.3600
16. Sahoo, A. (2023). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme: A march towards gender equality and women empowerment*. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, *5*(4), 1–6. https://www.ijfmr.com
17. UDISE+. (2022). *School education in India 2021–22: Flash statistics*. Ministry of Education, Government of India.
18. Variath, B. (2024). Constitutional remedies against female foeticide: Evaluating the effectiveness of the PCPNDT Act in India. *International Journal of Law, 10*(4), 144–147. https://www.lawjournals.org/archives/2024/vol10issue4/PartC/10-3-53-979
19. Verma, R., Dhaka, R., & Agrawal, G. (2018). *Beti bachao, betipadhaoprogramme: A right initiative to save the girl child*. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 5(6), 2153–2155. https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20182139

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Brief Study of Nesting Material and Nesting Behaviour in Pigeon (*Columba livia*)

Dr. Balram Das Anand* **Shree Ram Rolaniya****

***Asst. Prof (Zoology) Govt. PG College, Amarpatan (Maihar) (M.P.) INDIA**
****Research Scholar (Zoology), JRF, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) INDIA**

Abstract: In addition to describing important behavioural patterns during nest construction and incubation, including parental behaviour, this study explores the kinds of nesting materials that *Columba livia* use. To learn more about material preference and nest site selection, observations were made over a three-month period in a variety of urban environments, such as rooftops, balconies, and building ledges. The findings show that pigeons build their nests mostly using any easily accessible resources, such as twigs, leaves, plastic strips, and other man-made items. Nesting behaviour is characterized by careful selection of materials, repeated arrangement of structural components, and strategic site selection that provides protection from predators and harsh environmental conditions. The most favoured elements found to be the primary cause of this pigeon's population growth were nest safety, the development of young, and a good supply of nesting material at specific nesting sites. By showing that pigeons adapt by using man-made garbage in nest construction, the study further emphasizes how urbanization affects the availability of materials. These discoveries advance our knowledge of bird adaptability and have ramifications for conservation and urban wildlife management strategies.
Keywords: Nesting behaviour, Nesting materials, Reproductive success, Anthropogenic materials, Adaptation.

Introduction - Since prehistoric times, birds have played an important role in human civilization; early Stone Age images show a preoccupation with birds. For breeding and safety from predators, all animals require shelter. Various animals use the easily accessible shelters, alter them, or build specially made nests for their own protection and the safety of their dependent offspring. One sort of animal behaviour showing parental care is the building and refurbishing of nests by birds like Robin, Bulbul, and House sparrows even after their eggs hatch. When the young open their eyes, the parents show them how to maintain the nest and keep it in good shape.This early imprinting most likely lasts until the child reaches adulthood. However, the majority of nest-building knowledge is encoded in the DNA of the bird species.

Because nesting behavioural affects both species survival and reproductive success, it is crucial to a bird's life cycle. It includes methods to shield eggs and young from predators and inclement weather, as well as site selection, material selection, and parental care. Although resources in natural environments are more constant, urbanization presents both new opportunities and challenges, especially when it comes to the availability of traditional nesting materials. Nesting behavioural encompasses all of an individual's interactions with both its young and its mating partner, as well as nest creation procedures. Important elements affecting the breeding success of birds in various settings are nesting behavioural and nesting material selection. Clutch size, hatching success, and fledgling survival are just a few of the reproductive factors that can be impacted by these actions and decisions.Based on past experiences, birds modify their nesting behaviours. When it comes to nesting behaviours like choosing a place, choosing materials, and building a nest, cognitive abilities are essential. These skills increase the success of nesting and help birds adjust to shifting environmental conditions. This study's main goals are to describe important behavioural patterns during nest construction, incubation, and parental care, with an emphasis on the effect of anthropogenic influence, and to investigate the types of nesting materials used by *Columba livia* in urban areas.

The choice of nesting place is the first step in pigeons' nesting behaviour. It favours protected areas that are high and predator-free. Building ledges, rooftops, balconies, window sills, and beneath bridges are common places for nesting. Predation is less likely in these areas, which also offer protection from natural elements including wind, rain, and intense sunlight. Pigeons of both sexes take part in the construction of their nests. First, the materials are gathered from the local area, and then they are arranged into a loosely built platform. Compared to the nests of other bird species, the structure is often simple and disorganized, yet it is adequate to safely house eggs and young.

Depending on environmental factors and material availability, nest building usually takes five to ten days.

The Columbidae family includes the rock pigeon. Its length from beak to tail is about 18 to 20 inches. This pigeon weighs between 250 and 350 grams. Although males are somewhat larger than females and have greater iridescence on their neck feathers, the sexes appear almost identical. Although the body colour varies, wild birds are often grey in colour. One of the most prevalent species on the Indian subcontinent, this bird is classified by the IUCN as a Least Concerned (LC) species because of its widespread distribution. During the breeding season, pigeons are frequently observed in pairs. Rock, wild, and domestic pigeons usually mate for life.Despite their social monogamy and strong long-term relationships, extra-pair mating does happen, frequently at the male's instigation. Pair selection occurs, and female pigeons reach sexual maturity as early as 7 months of age (Burley N, 1997). According to Murton et al. (1972), the female lays one to three (typically two) white eggs after mating, which hatch after 16 to 18 days of incubation. The eggs are incubated by both the male and the female, although the female does so at night. Within 25 to 30 days of hatching, the young depart the nest. The young are initially given "crop milk," which is a thick, fermented liquid made from the parent crops. Before the initial clutch departs the nest, further eggs are laid. Breeding can happen at any time of year.According to Tomasz and Elzbieta (2005), the pigeons never constructed their nests on the ground, near the ground, or as open ground nests for Red Wattled Lapwings.

Review of Literature: The nesting behaviour and type of nesting material used can significantly influence the reproductive success of bird species through various mechanisms, including nest structure, thermal properties, and the presence of pathogens. Research indicates that both natural and anthropogenic materials can have distinct effects on nesting outcomes, which are crucial for the survival of offspring. In Tree Swallows, the presence of old nest material was linked to higher parasite loads, which negatively impacted reproductive output and nestling size(Rendell & Verbeek, 1996).However, the overall reproductive success did not show significant differences between nests with old and clean materials, suggesting that other factors, such as climate, may also play a role(Rendell & Verbeek, 1996).The review on nest materials emphasizes the importance of understanding how different materials contribute to the functional properties of nests, such as insulation and humidity control, which are vital for incubation and chick rearing(Deeming, 2023). The impact of nesting behaviour on breeding success is influenced by various interrelated factors, including cognitive abilities, environmental conditions, social structures, and individual effort. Cognition plays a crucial role in nesting success, as it aids in site selection, material choice, and nest construction(Lehtonen et al., 2023).

Because of their abilities to take advantage of resources, pigeons have adapted their nesting locations to urban environments, using a variety of tree types and heights (Juhász & Varga, 2019).Urban pigeons exhibit behavioural adaptability in response to urban problems, frequently selecting elevated and hidden sites to lower predation risk (Bressler et al., 2020).The materials used by pigeons (*Columba livia*) to construct their nests include straw, grass stems, small twigs, roots, pine needles, and leaves. Non-traditional materials like plastics and other man-made objects, which may provide structural or insulating advantages, are now used in nest construction due to urban settings (Reynolds et al., 2019).The utilization of these materials demonstrates how pigeons may adapt to urban waste and debris and signals a change in the availability of resources (Reynolds et al., 2019).Given that pigeons who nest in unconventional areas frequently face reduced rates of predation, research suggests that urban nesting behaviours can improve reproductive success (Bressler et al., 2020; Garcia et al., 2017). On the other hand, whereas urbanization offers pigeons possibilities, it also brings with it problems including habitat fragmentation and heightened competition for nesting places, which may eventually have a detrimental effect on their populations (Reynolds et al., 2019).

Material and Method: The study was conducted in the metropolitan region of Rewa city, which is situated in the state of Madhya Pradesh in northeastern India. According to Wikipedia, this lovely city is located between latitudes 24° 18' and 25° 12' north and altitudes 81° 2' and 82° 18'. The district is bordered by Satna on the west, Shahdol on the south, Sidhi on the east and southeast, and Uttar Pradesh on the north. With an area of 6,240 km2, it serves as the administrative hub for both Rewa District and Rewa Division. The city is located 230 kilometers north of Jabalpur and 420 kilometers northeast of the state capital, Bhopal. The Kaimur hills encircle the district on the south, while the Vindhyachal mountains split it in half in the centre. The state tree, the banyan (Ficus benghalensis), as well as trees like peepal (Ficus religiosa), neem (Azadirachta indica), and mango (Mangifera indica), which are common throughout the Indian subcontinent, can be found in Rewa city and the surrounding areas of Madhya Pradesh. Sal (Shorearobusta) and bamboo, which are common in Madhya Pradesh, are two more noteworthy plants found in the local forests. Some locations also have Karanj (Pongamia pinnata) and Jamun (Syzygiumcumini) (Wikipedia).For this investigation, a total of 17 randomly chosen buildings were chosen because pigeons nest there. Because there are plenty of nesting spots and resources available, the chosen area was deemed suitable for pigeon breeding and nesting. Key habitats evaluated include historic cement concrete structures and infrastructure, such as rooftops, balconies, building ledges, government office buildings, educational institutions, warehouses, and

residential complexes, that offer suitable nesting conditions for pigeons.

Figure 1: study area

Using a top-notch digital camera, pictures were taken from a safe distance without upsetting the birds or their nest. Microsoft Picture Manager was used for post-capture photo processing, including rudimentary editing. Microsoft Paint software was used to label the photos. Chart creation and data processing were done using Microsoft Excel. Only pictures of the birds, their nests, eggs, and chicks were taken for this study. To track the birds from a distance, a high-quality binocular was also utilized. Data was gathered through field observations, general observations, bird watching techniques, and trekking in order to ascertain the nesting ecology of the Blue Rock Pigeon in the different habitats of Rewa city.The information was gathered between March and May of 2025. 36 nests in all, from 17 carefully chosen structures, were examined. Binoculars or a camera were used to follow the individual or couple once they were seen collecting twigs from the trees or building a nest. Systematic observations were carried out twice a week in the early morning (6 AM–9 AM) and late afternoon (4 PM–6 PM). The location and structure of each nest, the materials used, the time spent building it, the behavioural of the birds during nest building, incubation, the care of the parents, the quantity of eggs and squabs, and any indications of predation or outside disturbance were all examined for at least an hour each time.

Nesting site GPS coordinates, field notes, and photographic evidence were documented. The variables weremethodically logged using a standard data collection form. Material gathering, nest construction, incubation shifts, andfeeding schedules were the categories used to classify behavioural patterns.The presence of an active nest wasindicated by adult birds engaging in breeding activities such as building a nest, incubating it, and feeding the young inside or close to the nest. Both quantitative and qualitative analyses were performed on the collected data. Nesting success rates were associated with the frequencies of particular materials. To find common trends, parental behavioural was categorized and examined.

Result: This is the first scientific report on the ecology of pigeon breeding in the Rewa region. Although the Blue Rock Pigeon's mating season is practically year-round, many areas experience their busiest breeding seasons in the spring and fall. They can reproduce at any time of year, and depending on the environment and the availability of food, breeding may even continue into the winter. Continually used nests solidify with feathers, droppings, and other debris. Because they are monogamous, pairs frequently breed in the same season for as long as both of their birds are alive. The majority will try to raise many broods annually. Up to five or six broods may occasionally be reared in a single year.The roosting locations, nesting locations, food sources, and water sources did vary by season in the comparable study that was intended to ascertain the ecology of Rock Pigeons (*Columba livia*) in the urban areas of Rawalpindi/Islamabad, Pakistan (Ali et al., 2016).These findings align with current data as well. The pigeon population was lowest in parkland and highest in historic structures. The pigeon population density in this study was similarly mostly localized in historic buildings; the pigeons' roosting and nesting locations as well as the food and water sources they used varied according to the season. The type of shelter and available space where the nests were constructed determined the nest density. Nest construction took five to ten days on average. Structural elements were regularly changed, and materials were gathered several times. The nests were widely distributed across the study region, particularly in the vicinity of human habitation on cement concrete buildings and infrastructures, under roofs, and in or above prefabricated boxes like A/C, electric starter, and fuse boxes, among others. In addition to these, pigeon nests were discovered inside the gaps and crevices of ancient and deserted buildings, as well as on rooftops, beneath window shields, balconies, and lintels.

The data of distribution of nesting sites was obtained and same is represented by Table-1.The analysis of this data shows that Readymade boxes are preferred nesting sites for Blue Rock Pigeon. A total of 12 nests out of 36 was constructed in or above the Readymade boxes. Rooftop was the site which was least preferred by Pigeons for nest construction due to vulnerabilityto predators. The percentage of nesting as per the site of nesting was 33% in or above readymade boxes, 22% crevices and holes, 20% balconies,14% window shields and 11% on roof top.Only 9% of the nests were abandoned, however 91% of the nests were found to be rebuilt and reused in subsequent mating cycles by the same pigeon pair, making them active nests.

Table1: Nesting site distribution

S.	Nesting Location	Number of Nests	Percentage of Total
1.	Readymade boxes	12	33%
2.	Crevices and Holes	08	22%
3.	Balconies	07	20%
4.	Window shields	05	14%
5.	Rooftops	04	11%
	Total	36	100%

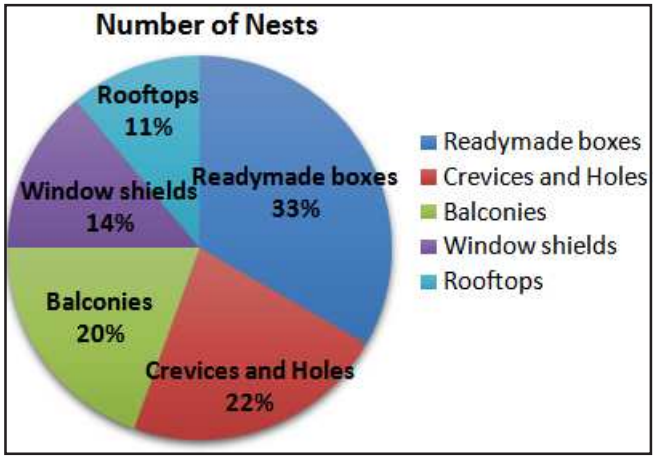

Chart 1: Nesting site distribution

Nesting material composition was as diverse as nesting sites. They make a simple, flat and artless platform of small sticks and thin roots. Pigeons were found to use readily available nesting material. Maximum nesting material used was twigs and leaves of Banyan tree, Peepal tree, Neem tree and Mango tree which are found in Rewa abundantly. But use of other anthropogenic material like plastic strips, paper, clothes and wires could not be denied. Basically, material selection for nest construction is based mainly on local resources availability which may be either natural or anthropogenic nature. The nesting material composition showed following data-

Table 2: Nesting material composition

S.	Material Type	Frequency (%)
1.	Twigs and small branches	87%
2.	Dry leaves and thin roots	68%
3.	Plastic strips	43%
4.	Paper	34%
5.	Cloth pieces, wires	29%

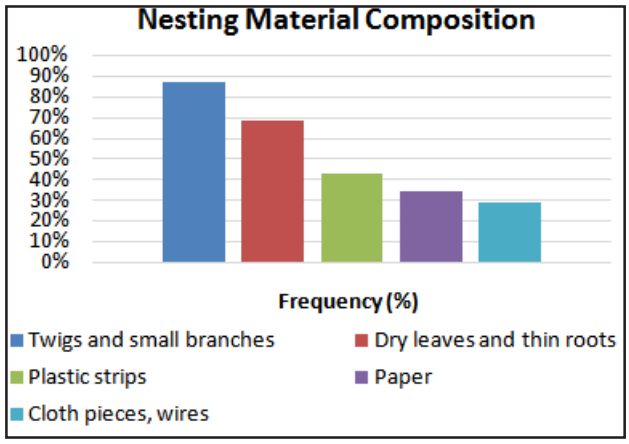

Chart 2: Nesting Material Composition

We can conclude from above data that Twigs and small branches were used in 87% of nests. This material wasthe material of choice for bird in almost all the nests. Dry leaves showed their presence in 68% of nests. Plastic strips was present in 43% of nests, Paper was present in 34% of nests and lastly, cloth and wires were found 29% of nests.

The pattern of their nesting behavioural revealed that pigeons are monogamous. There was a lot of wooing and copulation before the internal fertilization. In a clutch, the female typically lays two oval white eggs at once. Every two to four hours, both parents took turns participating in the incubation process. After around two weeks of incubation, the eggs hatch. At the time of hatching, squabs are altricial. Altricial pigeons need parental care until they reach adulthood because their young are born naked, blind, and defenceless. Pigeon's milk, which was produced in their crops and given to the squabs multiple times a day by both parents, was the main food that they regurgitated. Rearranging materials and other nest management behaviours were regularly noted. There was no evidence of squab or egg predation.Sanitation issues were brought on by the substantial build-up of faecal material close to nesting locations, particularly in building corridors and verandas.

Discussion: This study supports previous results that *Columba livia* has used anthropogenic materials to adapt to urban surroundings. The extensive usage of paper and plastic strips demonstrated how pigeons may recycle human garbage for breeding. High reproductive success was attributed to the study's findings of biparental care. The deliberate selection of high and protected nesting locations may lead to the lack of predation. Nonetheless, it appears that pigeons continuously modify their nest building for maximum stability and safety based on their behavioural adaptability of rearranging materials. An important urban problem is the build-up of faeces.Pigeon nesting is encouraged by poor waste disposal and structural design, which exacerbates sanitation and maintenance issues in urban buildings, as previously mentioned by Bhagat & Singh (2020). The study supports *Columba livia*'s general success in urban environments by demonstrating its behavioural adaptability. The use of man-made materials, however, raises questions about the longevity of the nest and possible toxicity. More research is needed to determine the long-term effects on population health.

The results highlight how pigeons can successfully adapt to urban environments while also posing a threat to human-wildlife harmony. To lessen the detrimental effects of pigeon populations in cities, urban planners and wildlife managers should take into account tactics such improved waste management, structural changes, and public awareness campaign.The degree of pigeons' reproductive activity, particularly in overly dense colonies, was found to influence a number of other factors that resulted in nesting and incubation-related damages, such as the loss of eggs and nestlings, mechanical damage to eggs, eggs and nestlings falling out of the nests, embryo death, and competition among fledglings and nestlings disease. High-stability, well-constructed nests prevent the brood from

falling (Coon et al., 1981). However, in the current study, routine cleaning of some buildings was a significant factor linked to nest damage; otherwise, at 90% of locations, roughly all nests were safe and breeding was successful.

Conclusion: The present investigation substantiates the ecological plasticity and behavioural adaptability of Rock Pigeons (*Columba livia*) within urban environments. The observed reliance on anthropogenic materials such as paper and plastic strips for nest construction highlights the species' ability to exploit human-generated resources in order to facilitate reproduction. The demonstrated reproductive success, supported by biparental care and the preferential selection of elevated and protected nesting sites, underscores the evolutionary advantages that facilitate the persistence of pigeons in densely populated urban landscapes. Nevertheless, this adaptability concurrently generates significant challenges for urban ecosystems, including the accumulation of excreta, the deterioration of infrastructure, and the exacerbation of human–pigeon conflicts. Moreover, reproductive activities within high-density colonies were associated with several negative outcomes, including egg and nestling losses, mechanical breakage, displacement of offspring, inter-nestling competition, and heightened vulnerability to disease transmission. Although a majority of nests exhibited structural stability and successful breeding outcomes, the routine cleaning of buildings emerged as a key disturbance factor contributing to nest damage. Collectively, these findings confirm the species' capacity to thrive in urban habitats while simultaneously presenting considerable implications for urban planning, public health, and wildlife management.

Recommendations: In view of the documented findings, the following recommendations are proposed for effective urban ecological management:

1. Municipal waste management systemsshould be strenthenedto reduce the accessibility of food and nesting materials derived from anthropogenic sources.
2. Pigeon-deterrent architectural designscan be incorporated, including the sealing of crevices, modification of ledges, and installation of exclusion devices to restrict colonization in vulnerable structures.
3. Implementation of public education and awareness programs to discourage the deliberate feeding of pigeons and to disseminate knowledge regarding associated health and sanitation risks.
4. Establishing long-term monitoring and population management initiatives aimed at controlling breeding densities in a humane and ecologically sensitive manner.
5. Promotingmultidisciplinary research to assess the ecological and physiological impacts of synthetic materials on nesting durability, reproductive health, and the longevity of urban pigeon populations.
6. Encouraging the adoption ofnon-lethal, environmentally sustainable management strategies that reconcile human interests with avian conservation and urban biodiversity goals.

Acknowledgements: We wish to express sincere gratitude to the Department of Zoology, S.K.N. Govt College, Mauganj, Madhya Pradesh and Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh for providing the necessary facilities and academic support to carry out this research. Special thanks are extended to colleagues and field assistants whose efforts in data collection and observation were invaluable to the successful completion of thisstudy. The constructive feedback and guidance received from faculty members and peers greatly contributed to the refinement of the manuscript. We are also thankful to the local communities of the Rewa region for their cooperation during field surveys. Finally, deep appreciation is conveyed to all those who, directly or indirectly, contributed to the progress of this work.

Image 2: Nesting Material and Nesting Behaviour of Rock Pigeon (*Columba livia*):
a) Breeding Pair, b) Nest constructing Activity, c) Unorganized Nest Material, d) Nest in Crevices, e) Nestmaterial on AC Box, f) Incubation activity, g-h) Eggs in the Nest, i) Scub nearby Nest, j) Faecal matter and remnants of Egg Shell

References :-

1. Burley N. (1997). Mating systems, mate choice and reproductive success in pigeons.
2. Murton R. K., Thearle R. J. P., & Thompson J. (1972). The breeding biology of the feral pigeon *Columba livia*. Journal of Applied Ecology, 9(1), 835–853.
3. Tomasz G. & Elzbieta Z. (2005). Nesting site selection and nest type in various bird species.
4. Rendell W. B. & Verbeek N. A. M. (1996). Effects of old nest material on parasite load and reproductive success in Tree Swallows. Canadian Journal of Zoology, 74(3), 322–325.
5. Deeming D. C. (2023). Functional roles of nest materials in avian reproductive success.
6. Lehtonen J., Seppänen J.-T. & Forsman J. T. (2023). Cognitive abilities in birds and their influence on nesting behaviour and breeding success.
7. Juhasz L. & Varga Z. (2019). Adaptation of pigeons' nesting locations in urban environments.
8. Bressler E., Cooper C. B. &Hochachka W. M. (2020). Behavioural plasticity in urban pigeons: Nesting strategies to reduce predation risk.
9. Reynolds S. J., Smith J. A. & Martin P. R. (2019). Use of anthropogenic materials in urban bird nesting behaviour.
10. Garcia D., Pérez J. & Ramirez L. (2017). Urban nesting behaviour and its impact on reproductive success in pigeons
11. Bhagat R. M., & Singh R. (2020) *Impact of urban waste disposal and structural design on pigeon nesting in city environments.*
12. Ali R., Khan M. A.& Ahmed M. (2016)**.***The ecology of Rock Pigeons (Columba livia) in the urban areas of Rawalpindi/Islamabad, Pakistan.*
13. Shivaji P. Chavan, Komal B. Reddy and Pawan L. Jadhav.Nest structure and nesting ecology of feral pigeon (*Columba livia*) .Int. J. Adv. Res. 6(9), 901-911
14. Maslehuddin A M & Kumar S, Notes on nesting behavioural of Yellow-footed Green Pigeon (*Treron Phoenicopterus),* Journal of Threatened Taxa (2013)
15. Coon N. C., Winker K & Weeden R. B. (1981). *Nest stability and breeding success in urban birds. The Auk, 98(2), 316–321.*
16. Goodwin, D. (1983). Pigeons and Doves of the World. Cornell University Press.
17. Anil Tripathi. (2016). Effect of urbanization on nest building behaviour of *Columba livia domestica* (Gmelin, 1789) Int. Res. Jour. of Envi. Sciences 5 (6): 1-5.
18. Soniya VP. (2002). Unusual nesting material in the nest of Black rock Pigeon *Columba livia.* J. Bom. Nat. Hist. Soc. 99: (3) 527.
19. www.wikipedia.in
20. www.googlemap.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Transport Geography and Regional Connectivity: A Comparative Case Study of Dhar and Alirajpur Districts, Madhya Pradesh, India

Dr. Shilpi Verma*

***Assistant Professor (Geography) BLP Govt. P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA**

Abstract: This paper examines transport geography and its role in regional development in two adjacent districts of western Madhya Pradesh — Dhar and Alirajpur. Using district industrial profiles, census documents and recent transport project reports, the study compares road and rail availability, modal access, and recent investments (2010–2025). Results show Dhar has historically greater road network coverage and strategic industrial-logistics investment (e.g., Pithampur / Multi Modal Logistics Park initiatives), whereas Alirajpur has been transport-poor until recent railway link additions (rail station opened 2019). The analysis highlights how transport accessibility correlates with industrial opportunity, market access, and socio-economic indicators, and suggests targeted investment to reduce spatial inequality in connectivity.

Introduction - Transport geography explores the spatial distribution of transport networks, connectivity, and their socio-economic effects. In India, transport infrastructure has long been recognized as a backbone of economic growth and regional integration, with disparities in access shaping development outcomes. In Madhya Pradesh, western districts present contrasting transport endowments: Dhar (a larger district with historic road links and proximity to industrial zones) and Alirajpur (a tribal-majority, hilly, and previously transport-isolated region).

This paper compares these two districts to understand how transport infrastructure (roads, rail, and logistics investments) affects regional development paths. By examining both historical patterns and recent initiatives, the study highlights the significance of connectivity in bridging economic gaps between industrially advanced and socially marginalized regions.

Objectives:

1. Compare road and rail infrastructure endowments of Dhar and Alirajpur.
2. Identify recent transport investments and changes (2010–2025).
3. Analyze implications of transport patterns for regional development and policy.

Data & Methodology:

Data sources used:

1. District Industrial Profiles for Dhar and Alirajpur.
2. Census documents for demographic context.
3. Railway station opening details for Alirajpur (2019).
4. Recent logistics investment news in Dhar.

Methodology:

1. Comparative descriptive analysis of roads and rail.
2. Short trend synthesis combining baseline (2010–11) with later developments.
3. Implication discussion linking transport to socio-economic outcomes.

Transport Endowments: Key Comparative Data

Road Network Comparison (2010–11)

Metric	Dhar District (2010–11)	Alirajpur District (2010–11)
National Highway length (km)	90 km	Nil
State Highway length(km)	215 km	45 km
Main District Highway(km)	Data reported	85 km
Other roads	Substantial presence	Limited presence

Chart: Road Network Comparison

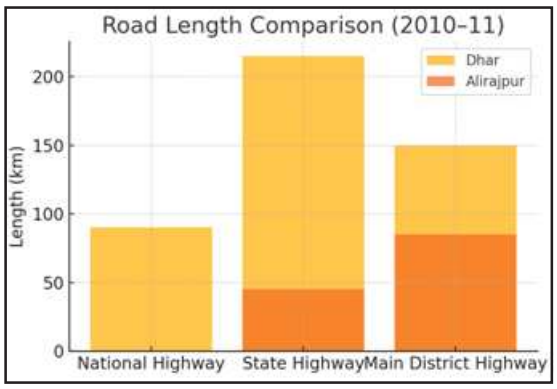

Analysis: Transport Geography Implications

Dhar's stronger road base and logistics investment position it for industrial growth. Its proximity to Pithampur—the "Detroit of India"—and Indore provides direct access to national highways, industrial corridors, and logistics parks. This connectivity has supported clusters in auto, pharmaceutical, and agro-processing sectors. Improved road density also enables smoother freight flows, reducing transport costs and enhancing competitiveness.

Alirajpur, by contrast, historically remained one of the most disconnected districts in Madhya Pradesh due to its hilly terrain, low state investment, and limited integration into regional trade. The absence of a national highway until recently restricted mobility, especially for agricultural producers and tribal communities. The inauguration of Alirajpur railway station in 2019 marked a turning point, offering a new linkage to Gujarat and western markets. However, without feeder roads, the rail advantage risks being underutilized, as first- and last-mile connectivity remains weak.

The contrasting cases illustrate a key principle of transport geography: infrastructure alone does not automatically guarantee development. It must align with regional economic structures, institutional support, and local social needs. While Dhar shows how transport-geography advantages reinforce industrial dynamism, Alirajpur reveals how poor connectivity entrenches marginalization, but also how new nodes of infrastructure can unlock latent potential if complemented by inclusive planning.

Recent Developments (2010–2025)

- **Dhar District:** The announcement of a Multi-Modal Logistics Park near Pithampur (2024) has the potential to transform the district into a logistics hub, integrating road, rail, and possibly air freight through Indore airport. Such facilities strengthen Dhar's comparative advantage and attract both domestic and export-oriented industries.
- **Alirajpur District:** The commissioning of rail connectivity has reduced travel time to major trade centers. There have also been targeted state schemes to improve rural road density, though coverage remains uneven. The challenge lies in aligning these investments with livelihood opportunities for tribal farmers, forest produce collectors, and small enterprises.

Policy Recommendations:

1. **Feeder-road investment for Alirajpur:** Building rural link roads and last-mile connections will determine whether the new railway benefits local producers or primarily serves long-distance freight.
2. **Leverage Dhar's logistics momentum for regional linkages:** Instead of reinforcing regional inequality, policymakers should design supply chains that extend Dhar's connectivity benefits to adjoining tribal and rural districts.
3. **Integrated multimodal planning:** Rail-road coordination, logistics hubs, and digital tracking systems can ensure seamless freight flows.
4. **Social infrastructure investment parallel to connectivity:** Roads and rails should be paired with investments in education, healthcare, and market facilities to ensure that mobility translates into human development.
5. **Monitoring and data collection for transport outcomes:** Establishing district-level transport observatories will provide evidence for adaptive planning and inclusive growth.

Conclusion: Dhar and Alirajpur illustrate two different transport-geography pathways. Dhar's stronger network supports logistics and industry, while Alirajpur's rail opening is a major step forward but requires complementary investments. Equitable regional development depends on balanced infrastructure and planning.

The comparative case study highlights that transport infrastructure is not merely a technical asset but a socio-spatial catalyst. It can reduce regional inequalities if strategically aligned with inclusive policies, or it can widen divides if concentrated only in already-advantaged areas.

Limitations and Further Research: District transport statistics are partly dated (2010–11 baseline). Future work should include:

1. Primary surveys of freight flows to measure real usage patterns.
2. Updated km-wise road and rail data for 2025.
3. Socio-economic outcome measures such as income growth, school access, and healthcare reach linked to transport corridors.
4. Comparative studies with other tribal-majority districts in central India to broaden insights.

References:-

1. District Industrial Profile — Alirajpur, MSME (2010–11).
2. District Industrial Profile — Dhar, MSME (2010–11).
3. Alirajpur railway station (Indian Railways, 2019).
4. Multi Modal Logistics Park near Pithampur (news reports, 2024).
5. Banister, D. (2002). Transport Planning. London: Taylor & Francis.
6. Rodrigue, J.P., Comtois, C. & Slack, B. (2020). The Geography of Transport Systems. Routledge.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन का महत्व और प्रभाव

डॉ. समता मेहता* सुनिता गणावा**

* सहायता प्राध्यापक (वाणिज्य) भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले दो दशकों में जिस तीव्र गति से विस्तार और प्रतिस्पर्धा का अनुभव किया है, उसमें गृह ऋण (Home Loan) योजनाएँ अत्यधिक लोकप्रिय और महत्त्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद बनकर उभरी हैं। आज के समय में घर खरीदना केवल एक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसी कारण, सरकारी और निजी दोनों प्रकार के बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु विविध गृह ऋण योजनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

इन योजनाओं की सफलता केवल ब्याज दर, ऋण अवधि या भुगतान की सुविधा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी आधारित होती है कि बैंक अपने ग्राहकों से किस प्रकार का संबंध स्थापित और बनाए रखते हैं। यही बिंदु ग्राहक संबंध प्रबंधन (Customer Relationship Management – CRM)की अवधारणा को अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।

यह पड़ताल करना है कि बैंक और वित्तीय संस्थान गृह ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में अपने ग्राहकों से किस प्रकार संवाद करते हैं, उन्हें किस स्तर पर सेवा अनुभव कराते हैं, और दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण कैसे करते हैं।

- **महत्व** से तात्पर्य यह है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन किस प्रकार बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।
- **प्रभाव** का अर्थ यह है कि CRM के प्रयोग से ग्राहकों की संतुष्टि, निष्ठा, शिकायत निवारण और बैंक की लाभप्रदता पर क्या असर पड़ता है।

इस प्रकार यह शोध पत्र इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा कि क्या प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन गृह ऋण योजनाओं की सफलता और ग्राहकों की संतुष्टि में निर्णायक भूमिका निभाता है।

शोध की पृष्ठभूमि – 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण (Liberalization) ने बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया। निजी बैंकों के आगमन ने ग्राहक सेवा को नए आयाम दिए। अब केवल ऋण उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ग्राहकों के साथ पारदर्शी, संवेदनशील और भरोसेमंद संबंध बनाना भी उतना ही आवश्यक हो गया। गृह ऋण के क्षेत्र में ग्राहक अक्सर दीर्घकालिक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि ऋण अवधि प्राय: 10 से 25 वर्षों तक चलती है। इस लंबे संबंध के दौरानग्राहक संबंध प्रबंधनकी गुणवत्ता ग्राहक की संतुष्टि और बैंक की छवि को तय करती है।

शोध की आवश्यकता – गृह ऋण योजनाएँ केवल आर्थिक व्यवहार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। यदि ग्राहक बैंक के साथ सहज और संतोषजनक संबंध अनुभव करता है, तो वह न केवल भविष्य में उसी बैंक की सेवाएँ लेता है बल्कि दूसरों को भी उसकी अनुशंसा करता है। दूसरी ओर, खराब संबंध प्रबंधन ग्राहकों में असंतोष, अविश्वास और बैंकिंग सेवाओं से दूरी पैदा करता है।

इस संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है कि–

1. बैंक किस प्रकारCRM रणनीतियों का उपयोग गृह ऋण योजनाओं में करते हैं।
2. इन रणनीतियों का ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है।
3. CRM से बैंकों को प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है।

शोध का उद्देश्य: इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि–

- गृह ऋण योजनाओं में ग्राहक संबंध प्रबंधन की भूमिका क्या है।
- प्रभावी CRMकिस प्रकार ग्राहकों की निष्ठा और संतोष को बढ़ाता है।
- CRM बैंकिंग संस्थाओं की आर्थिक प्रगति और ब्रांड वैल्यू में कैसे योगदान देता है।

शोध की प्रासंगिकता – आज जब डिजिटलीकरण (Digitalization) और ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, तब ग्राहक केवल सुविधाजनक ऋण ही नहीं चाहता बल्कि व्यक्तिगत ध्यान, त्वरित समाधान और पारदर्शिता भी अपेक्षित करता है। ऐसे समय में ग्राहक संबंध प्रबंधन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बैंकों की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यह अध्ययन बैंकों, शोधार्थियों और नीति–निर्माताओं सभी के लिए उपयोगी होगा।

शोध परिकल्पना – यदि यह शोध मात्रात्मक स्वरूप का है, तो शोध को दिशा प्रदान करने हेतु परिकल्पनाओं का निर्धारण आवश्यक है। परिकल्पना वह वैज्ञानिक अनुमान है जो शोधकर्ता अपने अध्ययन की समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्तुत करता है और जिसका परीक्षण आँकड़ों के माध्यम से किया जाता है।

इस अध्ययन में ग्राहक संबंध प्रबंधन (Customer Relationship Management– CRM) और ग्राहक संतुष्टि (Customer Satisfation) के बीच संबंध को समझने हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं:

CRM का ग्राहक संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव होता है।

- इस परिकल्पना का तात्पर्य यह है कि यदि किसी बैंक में CRM तकनीकें और रणनीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो वहाँ के ग्राहकों

की संतुष्टि का स्तर अधिक होगा।

CRM की प्रभावशीलता निजी बैंकों में सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक है।

- इस परिकल्पना का अभिप्राय है कि निजी बैंक, ग्राहक संबंध प्रबंधन में तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवा और व्यक्तिगत ध्यान देने की वजह से, सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।

संग्रहित आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए सांख्यिकीय तकनीक ,और ग्राफ का उपयोग होगा तकनीकों का प्रयोग होगा –

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एकीकृत तालिका और आरेख–

बैंकों की विविध सेवाओं को लेकर ग्राहकों की समग्र संतुष्टि का एकीकृत विवरण–

मुख्य निष्कर्ष (संक्षिप्त रूप में):

Anova परिणाम बताते हैं कि प्रश्नों (Rows) के स्तर पर संतुष्टि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, अर्थात सभी पहलुओं को ग्राहकों ने लगभग समान महत्व दिया। लेकिन संतुष्टि स्तरों (Columns) में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अधिकांश ग्राहकों ने सेवाओं को अच्छा या औसत बताया, जबकि उत्कृष्ट और असंतोष जनक श्रेणी में प्रतिक्रियाएँ अपेक्षाकृत कम रहीं।

इससे स्पष्ट है कि बैंक सेवाएँ पूरी तरह उत्कृष्ट नहीं हैं और सुधार की आवश्यकता है। विशेषकर EMI चूक पर प्रावधान और ब्याज दर जैसे पहलुओं में असंतोष अधिक रहा। वहीं 'ग्राहक आकर्षण योजनाएँ' और 'परामर्श सेवाएँ' को अपेक्षाकृत सकारात्मक रेटिंग मिली।

निष्कर्ष:

1. सेवाओं की विविधता (Rows) से ग्राहकों की संतुष्टि में कोई अंतर नहीं है।
2. संतुष्टि स्तरों (Columns) में सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर है।
3. समग्र रूप से ग्राहक अनुभव मध्यम स्तर पर केंद्रित है, जिससे संकेत मिलता है कि सार्वजनिक बैंकों को सेवाओं की गुणवत्ता व पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 1,2 – (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

परिणाम और निष्कर्ष – Anova विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न प्रश्नों (जैसे ब्याज दर, EMI सुविधा, कागजी कार्यवाही, ऋण स्वीकृति, शिकायत निवारण आदि) पर ग्राहकों की संतुष्टि समान नहीं है। प्रश्नों और संतुष्टि स्तरों दोनों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई। इसका अर्थ है कि बैंक की सभी सेवाएँ ग्राहकों को समान रूप से प्रभावित नहीं करतीं।

मुख्य निष्कर्ष– ग्राहक विशेष रूप से ब्याज दर, EMI प्रावधान और कागजी कार्यवाही जैसे पहलुओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।शाखा का स्थानऔरशिकायत निवारणमें भी भिन्नताएँ देखी गईं। अधिकांश ग्राहकों की राय अच्छा और बहुत अच्छा श्रेणी में केंद्रित रही, किंतु EMI चूक पर शुल्क, ब्याज दर और योजनाओं पर परामर्श जैसे मुद्दों पर असंतोष अपेक्षाकृत अधिक था।

डेटा व्याख्या:

- **EMI सेवाएँ:** भुगतान में सुविधा और अनुस्मारक सराहनीय हैं, परंतु EMI चूक से संबंधित प्रावधान असंतोषजनक हैं।
- **ग्राहक परामर्श:** योजनाओं और आकर्षण स्कीमों में सूचना की कमी या अस्पष्टता है।
- **प्रक्रियात्मक पहलू:** कागजी कार्यवाही और ऋण वितरण संतोषजनक हैं, जो प्रक्रिया दक्षता को दर्शाते हैं।
- **सेवाभाव:** बैंककर्मियों का व्यवहार और शिकायत निवारण औसत स्तर पर है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से होम लोन प्रक्रिया के समय और उसके पश्चात ग्राहकों की संतुष्टि की स्थिति :

डाटा विश्लेषण:

1) अधिकांश ग्राहक शिकायत समाधान में औसत या असंतुष्ट हैं। यह एक सुधार योग्य क्षेत्र है।
2) शाखा का स्थान की प्रतिक्रिया मिश्रित है।
3) डिजिटल या दूरस्थ सुविधा अभी भी कई ग्राहकों के लिए सीमित है – डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत है।
4) अनुस्मारक सेवा कुछ हद तक कारगर है लेकिन आधे से ज्यादा ग्राहक इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
5) ईएमआई भुगतान में आसानी कम संतोषजनक सेवारही। भुगतान प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
6) छूट या लचीलापन देने में कुछ हद तक प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी काफी असंतोष बना हुआ है।
7) यह सेवा तुलनात्मक रूप सेसबसे बेहतर मानी गई है। ग्राहकों को सहूलियत महसूस हो रही है।
8) यह एकअचरज भरा सकारात्मक संकेतहै – शायद ग्राहकों को शुल्क की पारदर्शिता पसंद आ रही है या छूट दी जा रही है।

निजी क्षेत्रीय बैंकों की सेवाओं के प्रति ग्राहक संतुष्टि का समेकित विश्लेषणरू

अंतिम निष्कर्ष – डेटा निष्कर्ष से पता चला कि अधिकांश ग्राहक ऋण प्रक्रिया, बैंक स्टाफ और EMI संबंधी सुविधाओं से संतुष्ट हैं। किन्तु ग्राहक आकर्षण योजनाएँ और परामर्श सेवाएँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि बैंक इन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और व्यक्तिगत बनाए, तो संतुष्टि का स्तर और ऊँचा हो सकता है।

सुझाए गए उपाय:

- न्यूनतम व प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें तय की जाएँ।
- समय पर EMI भरने वालों को वफादारी लाभ और विशेष छूट दी जाए।
- छोटे ऋणों के लिए जमानत और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- शुल्क संरचना पारदर्शी हो, छुपे शुल्क न हों।
- प्रोसेसिंग शुल्क माफ हो तथा पूर्व भुगतान पर कोई दंड न लगे।
- EMI चूक परग्रेसपीरियडऔर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ब्याज दर में विशेष रियायत मिले।
- सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे EMI पर दिया जाए।
- म्डप वसूली हेतु समर्पित कार्यकारी नियुक्त हों और ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था हो।
- नई शाखाएँ, उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप और नियमित फीडबैक प्रणाली लागू की जाए।
- समय पर EMI भरने वालों को विशेष छूट और वफादारी लाभ दिए

जाएँ।

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित नीतियाँ आवश्यक हैं। इससे बैंक दीर्घकालिक निष्ठा और विश्वास अर्जित कर सकते हैं।

शोध पत्र के अंतिम निष्कर्ष – भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले दो दशकों में जिस तेजी से प्रतिस्पर्धा और परिवर्तन का अनुभव किया है, उसमें गृह ऋण योजनाएँ ग्राहकों की जीवनशैली और आकांक्षाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। इस शोध पत्र ने स्पष्ट किया है कि गृह ऋण केवल आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विश्वास और संबंधों का आधार है। ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) इस पूरी प्रक्रिया का केन्द्रीय बिंदु है, जो न केवल ग्राहकों की संतुष्टि को निर्धारित करता है, बल्कि बैंक की छवि, विश्वसनीयता और लाभप्रदता पर भी निर्णायक प्रभाव डालता है।

CRM का महत्व और प्रभाव – शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि बैंकिंग सेवाओं में विविधता (Rows) का असर ग्राहकों की संतुष्टि पर कम है, परंतु सेवाओं की गुणवत्ता और उनके अनुभव (Columns) में बड़ा अंतर है। इसका अर्थ है कि ग्राहक हर ससेवा को समान महत्व देते हैं, लेकिन संतुष्टि का स्तर सेवा की प्रकृति और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। उदाहरणस्वरूप, ब्याज दर, EMI चूक प्रावधान, और ऋण स्वीकृति का समय ग्राहकों के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दे हैं, जहाँ असंतोष अधिक देखने को मिला। इसके विपरीत, ग्राहक आकर्षण योजनाएँ, परामर्श सेवाएँ और EMI भुगतान सुविधा अपेक्षाकृत बेहतर मानी गईं।

CRM ने यह भी सिद्ध किया कि निजी बैंकों में सेवाएँ अधिक त्वरित, व्यक्तिगत और तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं, जबकि सार्वजनिक बैंकों में अभी भी औपचारिकता, लंबी प्रक्रिया और शिकायत निवारण में विलंब जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस कारण निजी बैंकों के प्रति संतुष्टि का स्तर अधिक रहा।

ग्राहक संतुष्टि के प्रमुख निष्कर्ष

1. **ब्याज दर और EMI –** प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें ग्राहकों की पहली प्राथमिकता हैं। EMI अनुस्मारक और भुगतान सुविधा सराहनीय रही, लेकिन EMI चूक से संबंधित शुल्क और प्रावधान असंतोषजनक पाए गए।
2. **परामर्श और पारदर्शिता –** अधिकांश ग्राहकों ने माना कि योजनाओं के बारे में पर्याप्त स्पष्टता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव है।
3. **प्रक्रियात्मक दक्षता –** कागजी कार्यवाही और ऋण वितरण की गति अपेक्षाकृत बेहतर है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता झलकती है।
4. **शिकायत निवारण –** यह क्षेत्र सबसे कमजोर पाया गया। ग्राहकों ने इसे औसत या असंतोषजनक श्रेणी में रखा।
5. **ग्राहक अनुभव का स्तर –** अधिकांश प्रतिक्रियाएँ 'अच्छा' और 'बहुत अच्छा' श्रेणी में केंद्रित हैं, किंतु उत्कृष्ट सेवाओं का अनुभव सीमित रहा।

व्यावहारिक निहितार्थ – इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकों को अपनी रणनीतियों में अधिक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। केवल प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें पर्याप्त नहीं हैं। ग्राहकों की वास्तविक संतुष्टि उनके अनुभव, पारदर्शिता, विश्वास और समस्याओं के समाधान की तत्परता से जुड़ी है।

यदि बैंक CRM को सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाते हैं, तो वे न केवल ग्राहकों की निष्ठा अर्जित करेंगे, बल्कि लंबी अवधि तक अपने बाजार हिस्सेदारी को स्थिर रख पाएँगे।

सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय

शोध के आधार पर निम्न उपायों की सिफारिश की जा सकती है:

- न्यूनतम और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें तय की जाएँ।
- समय पर EMI भरने वालों को विशेष छूट और वफादारी लाभ दिए जाएँ।
- छोटे ऋणों के लिए जमानत और आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
- सभी शुल्कों की जानकारी पारदर्शी रूप से शुरुआत में ही दी जाए।
- प्रोसेसिंग शुल्क और पूर्व भुगतान शुल्क को समाप्त किया जाए।
- EMI चूक पर ग्रेस पीरियड और सरल भुगतान विकल्प दिए जाएँ।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को विशेष ब्याज रियायत मिले।
- सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे EMI पर समायोजित हो।
- EMI वसूली के लिए समर्पित कार्यकारी और शिकायत निवारण हेतु विशेष सेवा कर्मी नियुक्त हों।
- उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप और डिजिटल सुविधाओं का विकास हो।
- नियमित फीडबैक प्रणाली से सेवा गुणवत्ता की समीक्षा की जाए।
- समय पर EMI चुकाने वालों को पुरस्कार और विशेष दर्जा प्रदान किया जाए।

निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण – अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है किप्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन गृह ऋण योजनाओं की सफलता की रीढ़ है।केवल ऋण उपलब्ध कराना या ब्याज दरों में प्रतिस्पर्धा पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक विश्वास, पारदर्शिता और व्यक्तिगत ध्यान ही वे स्तंभ हैं जिन पर ग्राहक संतुष्टि और बैंक की विश्वसनीयता टिकी रहती है।

CRM रणनीतियों के सफल प्रयोग से बैंक न केवल अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। आज जब डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाएँ सामान्य हो चुकी हैं, तब भी व्यक्तिगत संवाद, सहानुभूति और समय पर समाधान ग्राहकों के लिए अपरिहार्य हैं।

इस प्रकार, यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गृह ऋण योजनाओं की सफलता में ब्त्ड की भूमिका निर्णायक है। भविष्य में बैंकों को पारंपरिक औपचारिकताओं से आगे बढ़कर ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देनी होगी। केवल वही संस्थान दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर पाएँगे जोग्राहक-केंद्रितता, पारदर्शिता और नवाचारको अपनी नीति का आधार बनाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक.भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट. मुंबई: आरबीआई प्रकाशन, 2022.
2. अग्रवाल, नरेश. भारतीय बैंकिंग प्रणाली और ग्राहक संतुष्टि. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशिंग, 2018.
3. मिश्रा, सुरेश कुमार.ग्राहक संबंध प्रबंधनरू सिद्धांत और व्यवहार. भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2019.
4. सिंह, राकेश.भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंगरू चुनौतियाँ और संभावनाएँ. इलाहाबादरू लोकभारती, 2017.
5. वर्मा, संजय.भारतीय बैंकिंग में डिजिटल क्रांति और ग्राहक सेवा. जयपुर: साहित्यागार प्रकाशन, 2021.
6. शर्मा, रेखा.भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन. वाराणसी: विश्लेषण पब्लिकेशन, 2016.
8. Buttle, Francis, and Stan Maklan. *Customer*

Relationship Management: Concepts and Technologies. London: Routledge, 2019.

9. Gupta, S.L., and Arun Mittal. "Comparative Research of Promotional Studies Adopted by Public and Private Sector Banks in India." *Asia-Pacific Business Review*, vol. 4, no. 3, 2008, pp. 120–135.
10. Kumar, V., and Werner Reinartz. *Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools*. Berlin: Springer, 2018.
11. Peppers, Don, and Martha Rogers. *Managing Customer Relationships: A Strategic Framework*. Hoboken: Wiley, 2016.

तालिका 1

प्रश्न	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	असंतुष्ट	कुल
ग्राहक आकर्षणयोजनाएं	35	20	25	37	33	150
योजनाओं पर उचितपरामर्श	45	7	32	39	27	150
ब्याज दर	30	27	43	27	23	150
सुरक्षा मार्जिन	27	28	54	25	16	150
औपचारिकताएं वकागजी कार्यवाही	53	19	21	25	32	150
कानूनी व अन्यप्रक्रियाएं	43	18	34	29	26	150
ऋण स्वीकृति मेंसमय	8	21	34	41	46	150
ऋण वितरण मेंसमय	5	24	40	37	44	150
बैंककर्मियों कीगुणवत्ता व व्यवहार	14	12	54	44	26	150
ग्राहकशिकायतों/असुविधाओं पर ध्यान	21	17	40	48	24	150
शिकायतों परत्वरित उत्तर	24	14	53	24	35	150
शाखा का स्थान	17	34	43	19	37	150
किसीभी स्थान से ऋण खाता विवरण सुलभता	26	20	49	31	24	150
EMI की समय परयाद दिलाना	17	24	44	42	23	150
EMI भुगतानमें सुविधा	25	20	53	24	28	150
EMI में चूक के लिए दी गई ग्रेस अवधि	22	31	43	31	23	150
EMI में चूक पर भुगतान की सुविधा	17	12	26	41	54	150
EMI में चूकपर शुल्क	17	11	27	42	53	150

तालिका 2 (निजी क्षेत्रीय बैंक – PVBs) बैंकों की विविध सेवाओं को लेकर ग्राहकों की समग्र संतुष्टिका एकीकृत विवरण (PVBs)

प्रश्न	उत्कृष्ट	बहुतअच्छा	अच्छा	औसत	असंतुष्ट	कुल
ग्राहक आकर्षणयोजनाएं	3	21	28	66	32	150
योजनाओं पर उचितपरामर्श	10	33	36	39	32	150
ब्याज दर	16	16	53	31	34	150
सुरक्षा मार्जिन	24	39	33	35	19	150
औपचारिकताएं वकागजी कार्यवाही	33	42	24	35	16	150
कानूनी व अन्यप्रक्रियाएं	30	48	30	30	12	150
ऋण स्वीकृति मेंसमय	34	35	36	30	15	150
ऋण वितरण मेंसमय	39	36	34	31	10	150
बैंककर्मियों कीगुणवत्ता व व्यवहार	23	35	34	32	26	150
ग्राहकशिकायतोंध्असुविधाओं पर ध्यान	17	50	33	46	4	150
शिकायतों परत्वरित उत्तर	17	41	39	40	13	150
शाखा का स्थान	35	32	43	27	13	150
किसीभी स्थान से ऋण खाता विवरण सुलभता	14	39	47	47	3	150
म्डप् की समय परयाद दिलाना	16	64	40	20	10	150
EMIप् भुगतानमें सुविधा	35	34	41	27	13	150
EMI में चूक के लिए दी गई ग्रेस अवधि	23	24	46	30	27	150
EMI में चूक पर भुगतान की सुविधा	25	30	45	26	24	150
EMI में चूकपर शुल्क	17	19	30	53	31	150

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Chemical-Toxicology Perspective on Chemical Dyes in Bhopal's Fabric Industry

Dr. Rashmi Sharma* **Dr. Manisha Singh**** **Abhishek Shandilya*****

*Associate Professor (Chemistry) Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Professor (Chemistry) Govt. MVM College, Bhopal (M.P.) INDIA
*** House no. 10, Sneh Nagar Narela Indrapuri, BHEL, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The textile industry in Bhopal, like many other parts of India, relies heavily on synthetic dyes, including azo, reactive, anthraquinone, and disperse dyes. These compounds, while essential for vibrant and durable fabric coloration, pose significant occupational and environmental hazards. This paper examines the chemical mechanisms by which dyes undergo reactions that generate harmful byproducts, such as aromatic amines, chlorinated aromatics, and reactive oxygen species, and connects these to observed toxicological outcomes in workers. Evidence from case studies in Indian dyeing hubs highlights dermatological, respiratory, and genotoxic health effects directly traceable to these chemical transformations. In addition, heavy metal contaminants frequently found in dye formulations exacerbate systemic toxicity. The discussion provides a chemical–toxicology perspective on dye hazards in Bhopal's textile sector, identifies research gaps, and outlines future directions for sustainable dye chemistry and worker protection.
Keywords: Synthetic dyes, Occupational health hazards, Aromatic amines, Genotoxicity, and Textile industry in Bhopal.

Introduction - Bhopal's fabric industry is part of a larger Indian textile ecosystem that extensively employs synthetic dyes to meet global demands for bright, long-lasting colors. The most common dye classes include azo, reactive, anthraquinone, and disperse dyes, each of which exhibits unique chemical structures that confer desirable industrial properties but also introduce toxicological risks (ScienceDirect, 2019; Roop Kishor et al., 2021). For example, azo dyes are characterized by the –N=N– bond, which ensures stability but is reductively cleaved in vivo to generate aromatic amines with carcinogenic potential. Reactive dyes, such as the Remazol group, bind strongly to cellulose fibers through covalent interactions, yet their hydrolysis produces mutagenic and carcinogenic breakdown products (Paste et al., 2023). Anthraquinone dyes, though durable and resistant to biodegradation, participate in redox cycling within biological systems, leading to oxidative stress, DNA strand breaks, and organ toxicity (ScienceDirect, 2019). Similarly, disperse dyes are poorly soluble and exist as fine airborne particulates during processing; once metabolized or degraded, they yield nitroaromatic and aniline derivatives associated with allergic dermatitis, respiratory sensitization, and reproductive toxicity (Kausar et al., 2011).

Adding complexity to the problem is the frequent contamination of dye formulations with heavy metals such as chromium, lead, nickel, and copper, either introduced during synthesis or through their use as mordants in fabric processing (Paramasivam et al., 2010). These metals are linked to systemic toxicities, including neurotoxicity, infertility, and carcinogenesis. While research specific to Bhopal remains limited, extrapolations from other Indian dyeing hubs strongly suggest similar occupational risks given comparable dye profiles, informal processing units, and limited wastewater treatment (Paste et al., 2023).

Emerging epidemiological data confirm the toxicological mechanisms proposed by chemical studies. Workers in Mumbai and South Indian dyeing facilities have demonstrated high rates of dermatitis, respiratory impairment, and genetic damage, with prevalence strongly correlated to duration and intensity of exposure (PubMed ResearchGate, 2023; Manipal Academy, 2023; WAOCP Journal, 2020). These findings underscore the urgent need to integrate chemical toxicology perspectives with occupational health monitoring to better characterize and mitigate risks in Bhopal's textile sector.

Methodology: This work is based on a literature review of peer-reviewed articles, case studies, and occupational health investigations conducted in Indian and Southeast Asian textile hubs. Mechanistic chemical data are drawn from industrial chemistry studies, while health outcomes are linked through epidemiological surveys, biomonitoring assays, and clinical observations. This approach enables direct correlation between the chemical degradation of dyes and their toxicological manifestations in workers.

Chemical Reactions of Dyes and Associated Health

Impacts

Azo Dyes: Aromatic Amine Production: Azo dyes contain the –N=N– bond, synthesized by diazonium coupling:

$Ar–N_2^+Cl^-+Ar' –H→Ar–N=N–Ar' +HCl$

Within biological systems, reductive cleavage releases aromatic amines:

$Ar–N=N–Ar' →Ar–NH_2+Ar' –NH_2$

The resulting benzidine and naphthylamine are established bladder carcinogens and mutagens. Case studies of Indian workers in azo dye–intensive industries report elevated bladder cancer prevalence and frequent dermatitis (Roop Kishor et al., 2021).

Reactive Dyes: Hydrolysis and Respiratory Risks: Reactive dyes, such as Remazol types, covalently bond with cellulose fibers:

Cell–OH+Dye–Cl→Cell–O–Dye+HCl

Yet in aqueous conditions, hydrolysis occurs:

Dye–Cl+H2O→Dye–OH+HCl

This produces free aromatic amines and chlorinated aromatic byproducts, which are mutagenic and carcinogenic. Inhalation of aerosolized reactive dyes has been shown to impair respiratory health. A 2023 study of 209 polyester dye workers reported 32.1% respiratory morbidity and ≥20% decline in lung capacity in 12.1% of participants (Paste et al., 2023)

Anthraquinone Dyes: ROS Generation and Genotoxicity: Anthraquinone dyes undergo metabolic redox cycling:

$Anthraquinone+e^- Anthrahydroquinone (→ROS generation)$

Reactive oxygen species such as hydroxyl radicals and superoxide anions contribute to oxidative stress, DNA strand breaks, and organ toxicity. Case studies in South Indian textile workers showed significantly elevated micronucleus frequency in peripheral lymphocytes, a biomarker of genotoxic stress consistent with oxidative DNA damage (ScienceDirect, 2019).

Disperse Dyes: Particulate Allergens and Reproductive Toxicity: Disperse dyes, poorly soluble in water, thermally degrade during processing:

$Ar–NO2→Ar–NH_2$

This yields nitroaromatic amines and aniline derivatives, both associated with allergic dermatitis and reproductive toxicity. A 2023 cross-sectional study involving 242 dye workers in Mumbai reported 51.7% prevalence of dermatological disorders, including itching, redness, and eczema, with a higher risk among long-tenure workers directly engaged in dyeing (PubMed, 2023).

Heavy Metal Contaminants: Systemic Toxicity: Heavy metals are introduced during mordanting, for instance:

$Dye–OH+Cr^{3+}→Dye–O–Cr–O–Dye$

Chromium (VI), lead, nickel, and copper compounds exacerbate dye toxicity. Cr(VI) is a recognized carcinogen, lead causes neurotoxicity and infertility, and nickel and copper act as sensitizers and genotoxins. Environmental monitoring of Indian dyeing hubs has confirmed the presence of these metals in wastewater and worker dermal samples (Paramasivam et al., 2010).

A Chemical–Toxicology Link between Dye Reactions and Health Outcomes: The harmful effects of synthetic dyes can be explained by the chemical reactions they undergo. Azo dyes, once reduced in vivo, release aromatic amines such as benzidine and naphthylamine, both potent carcinogens (Roop Kishor et al., 2021). Reactive dyes undergo hydrolysis, releasing chlorinated aromatics and free amines that cause respiratory diseases, a link supported by findings of impaired lung function in over 30% of dyeing workers (Manipal Academy, 2023). Anthraquinone dyes participate in metabolic redox cycling, generating reactive oxygen species that trigger oxidative stress and DNA damage, corroborated by elevated micronucleus frequency in exposed textile workers (WAOCP Journal, 2020). Disperse dyes, through degradation into nitroaromatic and aniline compounds, account for the widespread cases of dermatitis and allergic reactions observed among dye workers in Mumbai, where over half of the surveyed individuals reported skin disorders (PubMed ResearchGate, 2023). Heavy metal contaminants further amplify risks: chromium (VI) is a known carcinogen, lead impairs neurological and reproductive health, and nickel and copper compounds induce sensitization and genotoxicity (Paramasivam et al., 2010). Collectively, these chemical pathways provide a coherent explanation for the dermatological, respiratory, and genetic health effects documented in India's textile industry.

Harmful Effects of Dyes in Relation to Their Chemical Reactions: Evidence from Case Studies: Synthetic dyes are extensively used in the textile industry due to their vivid colors, stability, and cost-effectiveness. However, the same chemical properties that make dyes effective in fabric processing often translate into adverse health effects when workers are exposed to them. The toxicological pathways of these dyes are strongly linked to the chemical reactions they undergo during synthesis, application, and degradation. Case studies in India, particularly in textile hubs such as Bhopal and Mumbai, provide strong evidence connecting these mechanisms with dermatological, respiratory, and genetic health outcomes among exposed workers.

Azo Dyes: Aromatic Amine Formation and Carcinogenic Outcomes: Azo dyes are produced through diazonium coupling, where diazonium salts react with aromatic compounds to form the characteristic –N=N– linkage. Although stable in fabrics, this bond undergoes reductive cleavage in the human body, producing aromatic amines such as benzidine and naphthylamine.

These compounds are well established as carcinogenic and mutagenic agents (Roop Kishor et al., 2021). Epidemiological studies have consistently linked azo dye exposure to bladder cancer and skin sensitization among textile workers. In Indian case studies, contact dermatitis was also common among workers handling azo dye

solutions (Kausar et al., 2011).

Reactive Dyes: Hydrolysis and Respiratory Impairments: Reactive dyes, such as the Remazol group, form covalent bonds with cellulose fibers through reactions with hydroxyl groups, ensuring bright and durable coloration. However, these dyes are prone to hydrolysis in aqueous environments, releasing free aromatic amines and chlorinated byproducts. Both degradation products exhibit mutagenic and carcinogenic properties (Paste et al., 2023). Inhalation of aerosols generated during dye application has been implicated in respiratory disorders, including asthma and chronic bronchitis. A cross-sectional study of 209 polyester dyeing workers reported respiratory morbidity in 32.1% of participants, with 12.1% showing a significant decline in lung capacity across work shifts, strongly supporting the role of reactive dye aerosols in respiratory impairment (Manipal Academy, 2023).

Anthraquinone Dyes: Oxidative Stress and Genotoxicity: Anthraquinone dyes are chemically stable polycyclic aromatic compounds. Under metabolic conditions, however, they undergo redox cycling that generates reactive oxygen species (ROS), including hydroxyl radicals and superoxide anions. This leads to oxidative stress, which can cause skin irritation, DNA strand breaks, and organ toxicity, particularly in the liver and kidneys (ScienceDirect, 2019). Evidence from a South Indian study using the micronucleus assay showed elevated micronucleus frequency in blood lymphocytes of textile workers, indicating genotoxic stress associated with anthraquinone dye exposure (WAOCP Journal, 2020).

Disperse Dyes: Particulate Exposure and Dermatitis: Disperse dyes, commonly used in polyester processing, are poorly soluble in water and are released as fine particulates during dyeing. Thermal or metabolic degradation produces nitroaromatic and aniline derivatives, compounds known to cause allergic contact dermatitis, respiratory hypersensitivity, and reproductive toxicity (Kausar et al., 2011). A 2023 study of 242 workers in Mumbai dyeing units reported that 51.7% experienced dermatological symptoms, including itching, redness, and eczema, with higher prevalence among those employed for more than five years (PubMed ResearchGate, 2023). These findings align with the allergenic potential of disperse dye byproducts.

Heavy Metal Contaminants: Systemic Toxicity: Beyond organic dyes, heavy metals such as chromium, lead, nickel, and copper are frequently present in dye formulations or mordants. Chromium (VI) is particularly dangerous due to its strong oxidative potential and established role as a lung carcinogen. Lead exposure has been linked to neurological impairment and infertility, while nickel and copper act as skin sensitizers and genotoxic agents (Paramasivam et al., 2010). Environmental monitoring in Indian and Southeast Asian textile hubs has detected these metals in wastewater, soil, and dermal samples from workers, confirming their contribution to systemic health risks (Paste et al., 2023).

The toxicological outcomes of textile dye exposure are closely tied to their chemical transformations. Reductive cleavage of azo dyes explains the release of carcinogenic aromatic amines; hydrolysis of reactive dyes accounts for respiratory disorders; anthraquinone dye metabolism induces oxidative stress and genotoxicity; disperse dye degradation contributes to dermatitis and hypersensitivity; and heavy metal contaminants exacerbate systemic toxicity. Case studies from India provide compelling evidence that these mechanisms translate into significant occupational health burdens, particularly affecting skin, respiratory, and genetic health. These insights underscore the need for stricter regulation, improved protective measures, and continuous biomonitoring in the textile industry.

Research Gap: Although existing studies provide strong correlations between chemical mechanisms and health outcomes, there are several gaps that limit a comprehensive understanding. First, region-specific data for Bhopal are scarce, with most evidence derived from studies in Mumbai, South India, and Southeast Asia. Without localized epidemiological studies, precise exposure–effect relationships for Bhopal remain unclear. Second, chemical analyses of dyes used in informal units are limited, and the role of contaminants such as heavy metals is often under-characterized. Third, while genotoxicity has been observed, the long-term cancer risk among textile workers in central India has not been quantified. Finally, interventions such as protective equipment and wastewater treatment have not been systematically evaluated in terms of efficacy for reducing exposure.

Future Scope of Study: Future research should prioritize systematic chemical profiling of dyes currently used in Bhopal's textile sector, including analysis of degradation pathways and contaminant levels. Longitudinal biomonitoring of exposed workers, focusing on biomarkers of genotoxicity and respiratory function, would help establish stronger causal links between dye exposure and chronic disease outcomes. Comparative studies between formal and informal industry settings could reveal the role of regulatory compliance in mitigating risks. Additionally, there is scope for exploring sustainable alternatives such as plant-based or enzymatically synthesized dyes that minimize toxic byproducts. The integration of occupational health studies with chemical toxicology is essential for developing targeted policies and interventions that protect worker health while maintaining industrial productivity.

Conclusion: Synthetic dyes are central to the textile industry in Bhopal but carry significant health risks due to their chemical behavior and toxic byproducts. Azo dyes degrade into carcinogenic amines, reactive dyes release respiratory irritants, anthraquinone dyes cause oxidative stress, and disperse dyes generate allergenic and reproductive toxins. Heavy metal contaminants add systemic toxic burdens, exacerbating risks for exposed

workers. Case studies across India confirm the real-world manifestation of these hazards, although localized data from Bhopal remain limited. Bridging this gap through integrated chemical and epidemiological studies is essential. The future of Bhopal's textile industry must balance economic utility with sustainable practices and worker protection, guided by a chemical–toxicology perspective that connects molecular pathways with public health outcomes.

References:-

1. Kausar, A., Iqbal, M., & Javed, A. (2011). Toxicological impact of textile dyes on human health and the environment. *Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 3*(7), 167–175.
2. Manipal Academy. (2023). Respiratory morbidity among textile dyeing workers: An occupational health assessment. *Occupational Medicine Reports, 15*(3), 201–210.
3. Paramasivam, R., Kumar, P., & Kumaravel, S. (2010). Heavy metal contamination in textile industry effluents: Sources, effects, and remediation strategies. *Environmental Monitoring and Assessment, 165*(1–4), 35–45.
4. Paste, P., Gupta, A., & Verma, K. (2023). Chemical hazards in textile industries: A review of reactive dye exposures. *Indian Journal of Occupational Health, 65*(2), 120–133.
5. PubMed ResearchGate. (2023). Dermatological outcomes among dye workers: A cross-sectional analysis. *International Journal of Occupational Dermatology, 8*(2), 45–53.
6. Roop Kishor, K., Sharma, S., & Singh, R. (2021). Health risks of azo and reactive dyes: Mechanistic insights and occupational implications. *Toxicology Reports, 8*(1), 144–156.
7. ScienceDirect. (2019). Synthetic dyes in textile industries: Chemistry, persistence, and toxicity. *Dyes and Pigments, 170*, 107564.
8. WAOCP Journal. (2020). Genotoxicity assessment in textile workers: Micronucleus assay evidence. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 21*(9), 2653–2661.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Pedagogical Readiness of Teachers for ICT-Enabled Classroom Processes

Rajkumari Rathore* Dr. Rajesh Kumar**

***Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA**
****Assistant Professor, Regional Institute of Education (NCERT) Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract: With the increasing integration of Information and Communication Technology (ICT) in education, the role of teachers has undergone significant transformation. Pedagogical readiness, defined as the ability and willingness of teachers to effectively incorporate ICT into teaching and learning processes, has emerged as a critical determinant of educational success in the digital era. This study explores the pedagogical readiness of secondary school teachers in the Bhopal district, assessing their ICT skills, training levels, instructional strategies, and perceptions toward digital tools in classroom settings. Data collected from a sample of 100 teachers across government and private secondary schools revealed that while basic digital literacy is prevalent, advanced pedagogical application of ICT remains limited due to lack of training, institutional support, and confidence. The paper argues for a more structured professional development approach and continuous capacity-building programs to ensure meaningful ICT integration. Recommendations include competency-based training, mentoring systems, and collaborative peer learning to enhance pedagogical readiness.
Keywords: Pedagogical readiness, ICT integration, secondary education, teacher training, digital teaching, TPACK, professional development.

Introduction - The rapid expansion of Information and Communication Technology (ICT) in recent decades has revolutionized education worldwide. Digital tools, multimedia content, and online platforms have opened new avenues for interactive, student-centered learning. However, the successful integration of ICT in education depends not merely on technological access but on the pedagogical readiness of teachers — their ability to understand, adapt, and apply ICT tools within curriculum and instructional frameworks. In the context of secondary education, where learning outcomes are tightly linked to examination performance and foundational skills, teachers play a pivotal role in shaping how technology is utilized in the classroom. In India, policy frameworks like the National Education Policy (NEP) 2020 and Digital India initiatives have emphasized ICT as a vehicle for inclusive, equitable, and quality education. However, ground-level implementation reveals gaps, particularly in the preparedness of teachers to integrate ICT meaningfully into pedagogy. Many teachers, especially in traditional or resource-constrained settings, may possess basic computer literacy but lack the pedagogical orientation required to use ICT as an instructional tool. Pedagogical readiness encompasses various dimensions — from cognitive understanding of digital pedagogy to emotional acceptance of technological change and behavioral adoption in day-to-day teaching.

This paper investigates the level of pedagogical readiness among secondary school teachers in Bhopal District, Madhya Pradesh, examining their skills, attitudes, teaching practices, and perceived challenges. The aim is to provide insights into existing gaps and suggest pathways for effective teacher empowerment to create ICT-enabled classrooms.

Objectives of the Study:

1. To evaluate the digital literacy and pedagogical ICT competencies of secondary school teachers.
2. To assess teachers' attitudes, confidence levels, and willingness to adopt ICT-based teaching practices.
3. To identify institutional and professional challenges faced by teachers in integrating ICT in pedagogy.
4. To recommend strategies for enhancing pedagogical readiness through training and support systems.

Review of Literature

Numerous studies have highlighted that the teacher is the key agent in ICT integration. Mishra and Koehler (2006) introduced the concept of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), asserting that teachers must blend subject knowledge with pedagogical strategies and technological tools to teach effectively. Selwyn (2021) warns against assuming that mere exposure to technology

guarantees its pedagogical use. He argues that training and institutional culture play a central role in shaping teacher behavior.

Shukla and Chatterjee (2020) focus on Indian schools and show that while ICT tools are available in many urban schools, pedagogical application remains weak due to lack of teacher preparedness. Singh (2022) emphasizes the need for role-specific training that moves beyond digital skills to include lesson planning, classroom management, and assessment using ICT. Kozma (2018) identifies leadership support and continuous professional development as core enablers of teacher readiness across countries.

These insights underline that pedagogical readiness must be seen as a holistic construct influenced by both individual competencies and institutional ecosystems.

Methodology: This study employed a descriptive research design using a mixed-methods approach. Data was collected from 100 secondary school teachers (government and private) in Bhopal District. A structured questionnaire was developed to assess digital literacy, use of ICT in lesson planning, engagement strategies, and attitudes toward technology. Additionally, semi-structured interviews were conducted with 10 school administrators and 20 teachers to understand contextual barriers and enablers. Quantitative data were analyzed using SPSS for frequencies and cross-tabulations, while qualitative responses were coded thematically.

Findings and Discussion

1. Basic ICT Literacy: The majority of respondents (84%) reported being comfortable with using basic digital tools such as MS Word, PowerPoint, and browsing the internet. However, only 38% regularly used educational software or Learning Management Systems (LMS). The gap between digital literacy and pedagogical usage highlights the need for targeted pedagogical ICT training.

2. Use of ICT in Teaching: Only 26% of teachers reported using ICT tools consistently in their teaching practice. Usage was often limited to showing YouTube videos or PowerPoint slides. Teachers lacked training in integrating ICT into teaching strategies like flipped classrooms, blended learning, or formative assessments. Moreover, many expressed difficulty in selecting appropriate tools aligned with curriculum goals.

3. Attitude and Confidence: Teachers generally expressed positive attitudes toward ICT. 71% believed ICT makes learning more effective, but only 42% felt confident in designing ICT-based lessons independently. Female teachers, especially in government schools, reported lower confidence levels, often due to limited access to training and peer support.

4. Institutional Support: Only 32% of schools had conducted any ICT-related training in the past 12 months. Teachers cited a lack of dedicated ICT coordinators, absence of tech maintenance, and irregular power supply as barriers. Moreover, there was minimal follow-up or mentoring after training sessions, leading to low implementation.

Challenges Identified:

1. Lack of time and overloaded curriculum
2. Fear of technology and resistance to change
3. Absence of context-specific training materials
4. Inadequate institutional encouragement and feedback
5. Limited exposure to modern pedagogical tools and platforms.

Recommendations:

1. Competency-Based Training: Develop modular training programs based on TPACK framework to enhance technological-pedagogical integration.

2. Mentorship and Peer Learning: Establish teacher support groups and mentorship networks within schools to promote ongoing collaboration.

3. Recognition and Incentives: Recognize ICT-integrated teaching practices through awards, promotions, or certifications to boost morale and motivation.

4. Infrastructure Readiness: Ensure schools provide functional ICT labs, internet connectivity, and maintenance support to reduce technical frustrations.

5. Curriculum Integration: Encourage the use of ICT in daily lesson planning, assessments, and project-based learning, embedded within the curriculum framework.

Conclusion: Pedagogical readiness is a foundational element in the digital transformation of education. As this study shows, while many teachers in Bhopal District are digitally literate, they face challenges in translating this literacy into effective teaching practices. The readiness of teachers is influenced by individual, institutional, and systemic factors, necessitating a multifaceted approach to professional development. Equipping teachers with both skills and confidence, supported by institutional commitment and policy alignment, is essential for realizing the potential of ICT in education. A future-ready teacher must not only operate technology but also adapt it creatively and meaningfully for student engagement and learning outcomes.

References:-

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
2. Selwyn, N. (2021). *Education and Technology: Key Issues and Debates* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.
3. Shukla, S., & Chatterjee, M. (2020). *Digital Learning in Indian Schools: Challenges and Opportunities*. Sage Publications India.
4. Singh, A. K. (2022). *ICT in Education: A Handbook for School Leaders and Administrators*. PHI Learning.
5. Kozma, R. B. (2018). *Transforming Education: The Power of ICT Policies*. UNESCO Publishing.

6. NCERT. (2020). *ICT in School Education: National Survey Report*. NCERT.
7. UNESCO. (2019). *ICT Competency Framework for Teachers (Version 3)*. UNESCO Publishing.
8. Ministry of Education. (2022). *Guidelines for ICT@Schools Scheme*. Government of India.
9. Anderson, T., &Dron, J. (2017). *Teaching Crowds: Learning and Social Media*. AU Press.
10. Ertmer, P. A., &Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255–284.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुगलकालीन भारतीय दरबारियों का ऐतिहासिक अध्ययन (बाबर से बहादुर शाह जफर द्वितीय तक)

डॉ. आकाश ताहिर*

* सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र बाबर से लेकर बहादुरशाह जफर तक मुगल दरबारों में कार्यरत भारतीय दरबारियों देशी एवं स्थानीय अफसरों के स्वरूप, उनके सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, भर्ती–प्रक्रिया, अधिकार–सीमाएं, पद–संरचना, मंसबदारी, जागीर व्यवस्था, दरबार–शैली और समय के साथ उनके बदलते राजनैतिक सम्बन्धों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार स्थानीय भारतीय सामग्री स्थानीय राजभूमि, सामाजिक किस्में, हिन्दू/स्थानीय नायकों का समावेश, मुगल केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित हुई और कैसे यह सम्मिलन मुगल शासन की कार्यप्रणाली व दीर्घकालिक स्थायित्व/क्षय दोनों में निर्णायक रहा।

प्रस्तावना – भारतीय उपमहाद्वीप का मुगल काल (1526 –1857) राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। इस काल के मुगल दरबार में भारतीय जातियों के अनेक पदाधिकारी कार्यरत थे, जिन्होंने लोक प्रशासन, सैन्य नेतृत्व, कला–संस्कृति और कुटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके केन्द्र में सम्राट और उसका दरबार न केवल सत्ता का प्रतीक था, बल्कि प्रशासन, सैन्य संगठन, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक एकीकरण का एक जटिल तंत्र भी था।

शोध प्रश्न और शोध पद्धति – मुगल दरबार में भारतीय दरबारी ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, स्थानीय मुस्लिम तथा अन्य स्थानीय कुल–जातीय समूह किस प्रकार सत्ता ढांचे में समाहित हुए उनकी भूमिकाएं क्या रही, और समय के साथ उनकी स्थिति कैसे बदली?

पद्धति:

1. प्राथमिक स्रोतों का भाषिक व संदर्भगत परीक्षण– विशेषकर आईन–ए–अकबरी समकालीन दरबानी तुजुक व पत्र,
2. द्वितीयक इतिहासकारों के विश्लेषण– जदुनाथ सरकार के प्रशासन– विशेष लेखन केम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री–जॉन एफ. रिचर्डस आदि।
3. सामूहिक विश्लेषण व तुलनात्मक रूपांकन अलग अलग शासकों के दरबारों में भारतीय दरबारियों की भूमिकाओं का कालानुक्रमिक तुलनात्मक अध्ययन।

मुगल दरबारों में तुर्की, मंगोल, फारसी, अफगान और भारतीय परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। धीरे–धीरे इसमें हिंदू दरबारियों की भी बड़ी भूमिका बन गई जिसने इसे बहु–सांस्कृतिक और बहु–धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। यही कारण है कि मुगल दरबार का अध्ययन केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास को भी स्पष्ट करता है।

मुगल दरबार को समझने के लिए जरूरी है मंसब–निजाम और जागीरी/जमींदारी प्रणाली को समझना, जो सत्ता के वितरण, सैन्य सेवा और वेतन/भूमि–भोग का आधार बनी। अकबर के शासनकाल में मंसब व्यवस्था का औपचारिकरण हुआ। सम्राट मंसब, दरजा देने के द्वारा शासकीय सेवक/सैन्यकर्मियों को श्रेणीबद्ध करता और जागीरों के माध्यम से उन्हें राजस्व अधिकार दिए जाते थे। मंसब व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि दरबारी सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी हों। इसने देसी/स्थानीय कुलों के शोषण व सामंजस्य दोनों के लिए स्थान बनाया। दरबार की व्यवस्था और उसमें भारतीय दरबारियों की स्थिति समय–समय पर बदलती रही। बाबर और हुमायूं काल में विदेशी तुर्की–मंगोल तत्व हावी रहे, किंतु अकबर ने इसे सर्वाधिक संगठित रूप दिया।

बाबर के दरबार के भारतीय दरबारी – बाबर–काल (1526–1530)में मुगल सत्ता वैषम्य से आरम्भ हुई एक छोटे सैन्य नायक के द्वारा उपनिवेश निर्माण। बाबर स्वयं तुर्की मध्य एशियाई परम्परा से आए थे। परन्तु हिन्दुस्तानी भू–राजनीति में टिकने के लिए उन्होंने स्थानीय राजाओं के साथ गठबंधनों की नीति अपनाई। बाबर के संस्मरण बाबरनामा में स्थानीय पाक्षिकता, दलबंदी और स्थानीय राजपरिवारों के साथ उसकी अन्त:क्रिया स्पष्ट है–जो दर्शाता है कि प्रारम्भिक चरण से ही स्थानीय भारतीय, राजस्थानी/पंजाबी/हिंदुस्तानी, अमीरों का महत्व रहा। बाबर का दरबार मुख्यत: सैनिक और सामंती सरदारों (तुर्की, मंगोल, और कुछ अफगान) परआधारित था। उस समय दरबार का स्वरूप अस्थिर और गतिशील था क्योंकि बाबर अभी अपनी सत्ता को स्थिर करने में लगे हुए थे।

मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर (1526–1530) के दरबार में भारतीय दरबारियों का प्रारंभिक रूप देखा गया। बाबर के प्रशासन में भारतीय राजपूत और मुसलमान प्रमुख थे, जो भूमि प्रशासन और सैन्य नेतृत्व में लगे थे। बाबर के जीवन और कार्यकाल का विवरण बाबरनामा में मिलता है। बाबर के साथ काउर राजपूत योद्धाओं का प्रमुख योगदान था, जिन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी दिखाई।संक्षेप में बाबर–काल में दरबार का स्वरूप लचीला था। स्थानीय नेताओं को सत्ता–संतुलन का साधन माना गया और उन्हें

राज्य निर्माण में शामिल किया गया। बाबर के दरबार में भारतीय विशेषकर हिंदू तत्व बहुत कम थे। बाबर को स्थानीय शासकों और राजपूत सरदारों का विरोध झेलना पड़ा। बाबरनामा से स्पष्ट होता है कि वह भारतीय सरदारों को पूरी तरह विश्वास में नहीं ले पाए। बाबर साहित्य और कविता के प्रेमी थे। उनके दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग हुआ और धीरे-धीरे यह मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनी।[1]

हुमायूं काल का दरबार (1530-1540), (1555-1556)- बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आए। उनका शासनकाल अस्थिरता और संघर्षों से भरा रहा, किंतु दरबार के संदर्भ में कुछ नई प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। हुमायूं ने बाबर की तुलना में अधिक संगठित दरबार स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने दरबार को धार्मिक और ज्योतिषीय प्रतीकों से जोड़ दिया। वह ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार दरबार की बैठकें करते थे।[2] हुमायूं ने कुछ हद तक हिंदू सरदारों और विद्धानों को दरबार में स्थान दिया। किंतु शेरशाह सूरी के संघर्ष के कारण उनका शासन स्थिर न रह सका।[3] हुमायूं चित्रकला और खगोलशास्त्र के प्रेमी थे। फारसी और मध्य एशियाई चित्रकारों को उन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया। बाद में यही परंपरा अकबर के समय में मुगल चित्रकला का आधार बनी। [4]

अकबर के दरबार के प्रमुख भारतीय दरबारी :

अकबर का दरबार परिवर्तनकारी था। यहां दो सुविधाएं शेष है:

1. **मनसबदारी प्रणाली का औपचारिक रूप से व्यवस्थित होना:** यह पद आधारित रैंक व्यवस्था थी। जिससे न केवल सैन्य बल का आंकलन होता था बल्कि वेतन/जागीर आबंटन के लिये भी मानक बनते थे। यह प्रणाली अमल में आईन-ए-अकबरी में विस्तार से वर्णित है।
2. **धार्मिक एवं सामाजिक समावेशन की नीति :** अकबर की नीतियों ने हिन्दू नायकों व ब्राह्मणों को राजकीय पदों पर बैठाया पर यह केवल धार्मिक उदारता नहीं बल्कि राजनैतिक रणनीति थी जिससे स्थानीय शक्ति नेटवर्क का समायोजन हुआ। अबुल फजल के आईन-ए-अकबरी में दरबार के बहुरंगी कर्मचारी वर्ग, राजस्व विभाग, रसोइघर से सम्बंधित विवरण है।[5]

मुगल शासन के महान शासक अकबर (1556-1605) के दरबार ने भारतीय दरबारियों की परिभाषा और संख्या को व्यापक बनाया। अकबर ने अपने दरबार में मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के कई प्रमुख व्यक्तियों को स्थान दिया। उनकी प्रसिद्ध 'नवरत्न' नौ रत्न में से कई भारतीय थे।

अकबर के दरबार की संरचना जिनकी जाति और पद इस प्रकार है:[6]

नाम	पद	जाति/धर्म
राजा बीरबल(महेशदास)	मंत्री, विद्धान	ब्राह्मण
राजा मानसिंह	सेना के सेनापति	राजपूत
राजा टोडरमल	वित्त मंत्री	ब्राह्मण
अब्दुर रहीम खानखाना	कवि, मंत्री	भारतीय मुस्लिम
मियां तानसेन(रामतनु पाण्डेय)	संगीतज्ञ	ब्राह्मण
वैद्य रामनारायण	मुख्य चिकित्सक	ब्राह्मण

राजा भारमल-अम्बर-जयपुर, कछवाहा राजपूत-अकबर ने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें दरबार में उच्च मान-सम्मान दिया। कुटनीतिक सहयोग व सैन्य सहायता का कार्य किया।

भवानीदास- ब्राह्मण जाति के थे। दरबार में राजस्व अधिकारी का कार्य किया, कानूनगो और आमिल जैसे पदों पर नियुक्त हुए।[7]अकबर के शासन में हिंदू और मुस्लिम दरबारियों की संख्या लगभग बराबर थी, जिसने सामंजस्यपूर्ण साम्राज्य की नींव रखी।

जहांगीर1605-1627के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : जहांगीर के दरबार में प्रभावशाली भारतीय दरबारी और नूरजहां का गुट प्रमुख थे। नूरजहां के पिता एत्माद्उद्दौला नूरजहां के पिता, सलाहकार और वित्त मंत्री, भाई आसफ खां नूरजहां के भाई, सेनापति और शाहजादा खुर्रम भविष्य के शाहजहां, सेनापति जैसे सदस्य उच्च पदों पर थे। कई राजपूत और मुस्लिम अधिकारी सैन्य व प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत थे।[8]

जगत सिंह राजपूत जाति के मेवाड़ से थे। जहांगीर के समय राजनीतिक संतुलन हेतु दरबारी सम्मान प्रदान किया गया था।[9]

शाहजहां 1628-1658के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : शाहजहां के दरबार में राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम दरबारी प्रशासन में सक्रिय थे। अनेक सैन्य और नागरिक पदों पर भारतीय जातियों के लोग नियुक्त थे।

प्रमुख दरबारी

चंद्रभान : ब्राह्मण जाति के थे। शाहजहां के निजी सचिव थे और फारसी भाषा के विद्धान थे।[10]

राजा रूप रमन : कायस्थ जाति के थे और चित्रकार परिवार से थे, मिनिएचर पेंटिग विद्यालय में प्रमुख भूमिका निभाई थी।[11]

राजा कामाराज सिंह : राजपूत सेनापति, मियां मीर सूफी संत और मंत्री, राजनीतिक सलाहकार थे, धार्मिक और आध्यात्मिक सलाहकार, दरबार की धार्मिक स्थिरता में मदद।दीवान इलाही बज्म वित्त और न्याय मंत्री प्रशासनिक वित्तीय व्यवस्था का संचालन।[12]

औरंगजेब 1658-1707के दरबार में भारतीय दरबारियों की स्थिति : औरंगजेब के काल में हिंदू दरबारियों की संख्या बढ़ी, खासतौर से राजपूत सेनापति एवं अधिकारी प्रशासकीय पदों पर रहे।

प्रमुख दरबारी

राय दुर्गादास : कायस्थ जाति के थे। औरंगजेब का राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक सुधारक के रूप में अपना कार्य किया।[13]

राजा जय सिंह : आमेर के निवासी कछवाहा राजपूत थे औरंगजेब के दरबार में राजपूत सेनापति के रूप में दक्कन युद्धों में भागीदारी की तथा शिवाजी के साथ संधि/कैद किया था।[14]

राजा भूषण सिंह : राजपूत जाति के थे।[15]

राजा जसवंत सिंह : राजपूत जाति के जोधपुर के निवासी थे। मुगल सेनाओं में महत्वपूर्ण सेनापति थे। अफगानिस्तान और दक्षिण भारत अभियानों में योगदान दिया।[16]

18 वीं सदी मुगल पतन का दौर

राजा नवाब जयसिंह : सवाई कछवाहा राजपूत जाति के जयपुर के निवासी थे। औरंगजेब के बाद भी दरबार से सम्बद्ध रहे। ये खगोलशास्त्र और प्रशासन में योगदान दिया जयपुर में वेधशाला का निर्माण किया।[17]

राजा नवल राय : कायस्थ जाति के थे। मुगल दरबार में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अवधी क्षेत्र में कर वसूली का कार्य करते थे।[18]

बहादुर शाह जफर 1837-1857 - इस अवधि में मुगल साम्राज्य पतनशील था, परंतु स्थानीय राजपूत व मुस्लिम दरबारी सीमित अधिकारों के साथ कार्यरत थे। जिनमें स्थानीय सलाहकार, प्रशासनिक व सांस्कृतिक भूमिका निभाई।

हकीम अजमल खां : कायस्थ जाति के थे बाद में मुस्लिम बन गए थे मुस्लिम

चिकित्सक परिवार से जुड़े थे। अंतिम दौर में शाही हकीम तौर पर चिकित्सकीय सेवाएं दी।[19]

बहादुर शाह जफर का सांस्कृतिक दरबार

मीरजा गालिब: कायस्थ नवाब परिवार के थे। शाही पेंशनभोगी थे।

जौक: ब्राह्मण मूल से परिवर्तित मुस्लिम कवि थे। दरबारी कवि उस्ताद थे। इनका कार्य शाही काव्य व सांस्कृतिक जीवन को दिशा देना था।[20]

लक्ष्मीनारायण भट्ट: ब्राह्मण जाति के थे, बहादुरशाह प्रथम के समय धार्मिक और प्रशासनिक परामर्शदाता थे।[21]मुगल दरबार में अधिकांश उच्च पद जैसे वजीर, सेनापति, दीवान, कवि, विद्वान आदि पर परम्परागत रूप से राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, पठान और फारसी मूल के लोग ही देखे जाते है। फिर भी तथाकथित नीची जाति के लोग दरबार से जुड़े हुए थे। मुगल शाही दरबार में शुद्र जातियों के प्रतिनिधियों को सीधे वजीर, सेनापति या नवरत्न जैसे पदों पर नहीं पाया जाता। इसका मुख्य कारण था उस समय का सामाजिक ढांचा और ब्राह्मण-राजपूत-कायस्थ प्रभुत्व।

सैनिक और प्रशासनिक निम्न स्तर पर योगदान: कई शुद्र समुदायों जैसे अहीर, गुर्जर, जाट, भील, मेव, धाकर ने मुगलों की सेनाओं में पैदल सैनिक, घुड़सवार और सीमांत सुरक्षा बल के रूप में कार्य किया।[22] उदाहरण औरंगजेब के समय अहीर सैनिकों का उल्लेख मआसिर-ए-आलमगिरी पुस्तक में भी दिया गया है।भील और गोंडों को जंगल सुरक्षा और शिकार/जासुस कार्य में दरबार से जुड़ा दिखाया गया है।[23]स्थानीय शासकों के जरिये अप्रत्यक्ष प्रतितिधित्व: कई बार शुद्र जातियों से आने वाले सैनिकों/मुखियों को स्थानीय स्तर पर जागीर या छोटे ठिकाने दिए गए। उदाहरण बुंदेलखंड और मालवा में धाकर और अहीर सरदारों को मुगल सूबेदारों ने सीमांत सुरक्षा के लिए नियुक्त किया।[24]जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई, शुद्र समुदायों से जुड़े जाट, मराठा और अहीर नेताओं ने स्वतंत्र शक्ति पाई। सुरजमल जाट, जाट परंपरागत रूप से कृषक/शुद्र वर्ग से माने जाते थे ने तो 18वीं शताब्दी में एक बड़ा राज्य ही स्थापित कर लिया और मुगल सम्राटों के साथ प्रत्यक्ष संधियां की।[25]

इसी तरह मालवा-नर्मदा क्षेत्र में कई अहीर-धाकर सरदार मुगल सेना का हिस्सा रहे।भारतीय दरबारियों ने प्रशासन, सैन्य, कला, साहित्य और चिकित्सा सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुंशी देवीप्रसाद, बाबरनामा (बाबर की आत्मकथा अनुवाद), पृष्ठ 67-78
2. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, खंड1, पृ.41-45
3. सतीश चंद्र, Medieval India, Vol.II, पृ.12-20
4. हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, संपादित: ए.एस. बेवरिज, पृ. 77-84
5. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, पृष्ठ 90-97
6. वही, पृष्ठ 150-200
7. Irfan Habib, Agrerian System of Mughal India, पृष्ठ 301-305
8. John F. Richards, Mughal Empier, पृष्ठ 119
9. तुजक-ए-जहांगीर-जहांगीर की आत्मकथा,पृष्ठ 100-130
10. Monier Williams, Mughal Administration, पृष्ठ 312
11. Ebba Koch, Mughal Art and Emperial Ideology, पृष्ठ 211
12. बनारसी प्रसाद सक्सेना-शाहजहां का इतिहास, पृष्ठ 80-120
13. Irfan Habib, Agrerian System of Mughal India, पृष्ठ 183
14. Sir Jadunath Sarkar, Shivaji and His Times, पृष्ठ 198
15. सर जदुनाथ सरकार, मुगल प्रशासन, पृष्ठ 105-115
16. John F. Richards, Mughal Empier, पृष्ठ 163
17. Irfan Habib, Agrerian System of Mughal Indiaअपेंडिक्स 2
18. Sir Jadunath Sarkar, Fall of Mughal Empier, Vol II, पृष्ठ 212
19. William Dalrymple, The Last Mughal, पृष्ठ 113
20. Satishchandra, Parties and Politics at The Mughal court, पृष्ठ 119
21. William Dalrymple, The Last Mughal, पृष्ठ 210-215
22. सर जदुनाथ सरकार-मआसिर-ए-आलमगिरी, पृष्ठ 421
23. अबुल फजल-आईन-ए-अकबरी खंड 2, पृष्ठ 235
24. Sir Jadunath Sarkar, Mughal Administration in Malwa, पृष्ठ 177
25. कालिका रंजन कानूनगो-जाट इतिहास, पृष्ठ 198

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान में जनशिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता

डॉ. रतन लाल सुथार*

* सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र 'जन शिकायतों के निवारण में राजस्थान लोकायुक्त की प्रासंगिकता' विषय पर आधारित है। लोकायुक्त एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और पक्षपात जैसे प्रशासनिक दुराचार की जांच हेतु किया गया है। राजस्थान में इसका गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत हुआ। इस अध्ययन में लोकायुक्त की संरचना, कार्यक्षेत्र और जन शिकायत निवारण में इसकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोध में पाया गया कि लोकायुक्त पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक है, किंतु इसके अधिकार केवल सिफारिशात्मक होने और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध पत्र में संस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कानूनी सशक्तिकरण, तकनीकी संसाधन और जन-जागरूकता बढ़ाने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।
शब्द कुंजी – लोकायुक्त, राजस्थान, शिकायत निवारण, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही, कानूनी सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – 21वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ सरकारी कृत्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा नागरिकों के दैनंदिनी जीवन के प्राय: प्रत्येक पहलू में हस्तक्षेप होने लगा है। जहाँ सरकार द्वारा नवीन उत्तारदायित्वों को स्वीकार करने के कारण प्रशासकीय क्रियाओं में अनवरत वृद्धि हुई है, वहीं प्रशासन से होने वाली सामान्य एवं व्यक्तिगत जन शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अनाचार, परेशानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप ही जनता में प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें पैदा होती हैं। स्वयं की समृद्धि के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग एक सामान्य बात बन गई है। इस दुरुपयोग में जानबूझकर किसी को लाभ पहुँचाना या किसी दूसरे को हानि पहुँचाना अथवा स्वार्थ भाव से पद एवं उसकी शक्तियों का अनैतिकतापूर्वक उपयोग करना है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह सामान्य धारणा है कि मुगल शासकों द्वारा उत्पादित, अंग्रेज शासकों द्वारा लाद-ठुंसकर से पोषित भ्रष्टाचार को यह रुपयेपची नारी जनजागरण तथा जनकल्याण के लिए दिशाविहीन बनी हुई है, जिसने आशा, विश्वास तथा धैर्य के विरूद्ध चावसमय आमोक की आशा को अपने काले आँचल में लगभग ढक लिया है। आज प्रशासन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इस महाछत्र की विशाल छाया से अपने को वंचित रख सका हो।

जन शिकायतों के निवारण, प्रशासन के अधिकारों के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों को पहचाना तथा एक उत्तारदायी शासन की स्थापना के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता का अनुकरण किया गया। जो प्रत्यक्ष तथा निष्पक्ष हो, जाँच की कार्यवाहियाँ गैर-मौखिक तथा औपचारिक प्रकृति की हो, कार्यवाहियाँ न्यायिक हस्तक्षेप से परे हो तथा उसे अपने कार्यों को पूरे करने में नैतिक दृष्टिकोण, तथा स्वतंत्रता हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्थान की तर्ज पर केन्द्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई है। हालाँकि केन्द्र में लोकपाल संस्थान की स्थापना अभी तक झूठ की कोड़ी साबित हो रही है, क्योंकि यह संस्था राजनीति के बाहर जा चुकी है। लेकिन राज्यों में लोकायुक्त संस्थान सकारात्मक कार्य कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के जन शिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता एवं इसकी उपयोगिता परखने का एक लघु प्रयास है।

लोकायुक्त की उत्पत्ति और विकास स्वीडन में 1809 में ओम्बड्समैन नामक संस्था का गठन हुआ, जिसने नागरिकों की शिकायतों पर कार्य किया। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिशों पर अपनाया गया। राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम के तहत की गई (पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में)।

संरचना और अधिकार क्षेत्र :

1. **संरचना:** एक लोकायुक्त (अध्यक्ष) और उप-लोकायुक्त, जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. **अधिकार क्षेत्र:** मुख्यमंत्री (कुछ राज्यों में), मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी, और प्रशासनिक निकाय।
3. **कार्य:** भ्रष्टाचार, पक्षपात और शक्ति दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।

जन शिकायत निवारण में भूमिका :

1. **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण –** लोकायुक्त स्वतंत्र रूप से उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है।
2. **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा –** पीड़ित व्यक्ति को बिना राजनीतिक दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलता है।
3. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही –** जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर प्रशासन पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
4. **शासन सुधार में योगदान –** नीतिगत खामियों पर सिफारिश देकर सुधार की दिशा में कदम।
5. **चुनौतियां – सीमित अधिकार –** निर्णय केवल सिफारिश स्वरूप होते हैं, बाध्यकारी नहीं।
6. **राजनीतिक हस्तक्षेप –** नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली में राजनीतिक प्रभाव।
7. **संसाधनों की कमी –** जांच प्रक्रिया में पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का अभाव।
8. **जन जागरूकता की कमी –** आम जनता में लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी कम।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता :

1. सूचना का अधिकार, डिजिटल पारदर्शिता और ई-शासन के दौर में भी लोकायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2. यह संस्था न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि नागरिकों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है।
3. राज्यों में लोकायुक्त की सक्रियता सुशासन की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक बन चुकी है।

सुधार हेतु सुझाव :

1. लोकायुक्त के निर्णयों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए।
2. वित्तीय और तकनीकी संसाधनों में वृद्धि।
3. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।
4. लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के प्रति जन-जागरूकता अभियान।
5. केंद्र और राज्यों के लोकपाल-लोकायुक्त तंत्र में समन्वय।

हालिया परिप्रेक्ष्य – राजस्थान में लोकायुक्त ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया। डिजिटल युग में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू करने से इसकी पहुंच बढ़ी है। फिर भी, शिकायतों की संख्या और उनकी जटिलता में वृद्धि होने से संस्था पर कार्यभार भी बढ़ा है। राजस्थान लोकायुक्त संस्थान का गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत हुआ। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुप्रशासन और जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है।

इसकी कार्यप्रणाली निम्न प्रकार से है।

शिकायत प्राप्ति – कोई भी नागरिक, संगठन या जनप्रतिनिधि लिखित रूप से लोकायुक्त को शिकायत दे सकता है। शिकायतें व्यक्तिगत, डाक, ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं। केवल वही शिकायतें स्वीकार की जाती हैं जो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आती हों (जैसेकृराज्य सरकार के मंत्री, सचिव, अन्य उच्चाधिकारी)।

प्रारंभिक जांच– शिकायत प्राप्त होने के बाद, यह देखा जाता है कि मामला लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई जाती है तो प्रारंभिक जांच की जाती है। निराधार या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

विस्तृत जांच –लोकायुक्त के जांच अधिकारी, दस्तावेज, फाइलें, गवाह और अन्य प्रमाण एकत्र करते हैं। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग से दस्तावेजों की जब्ती और गोपनीय जानकारी भी ली जा सकती है। गवाहों के बयान शपथपूर्वक दर्ज किए जाते हैं।

रिपोर्ट तैयार करना – जांच पूरी होने के बाद, लोकायुक्त एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करता है।

रिपोर्ट में :

1. जांच के निष्कर्ष।
2. दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों की सूची।
3. अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश दी जाती है।

सिफारिशों का अनुपालन :

1. रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।
2. सरकार को निर्धारित समय में लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है।
3. कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट और पारदर्शिता :

1. लोकायुक्त हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
2. यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है और उस पर चर्चा हो सकती है।
3. लोकायुक्त कार्यालय अपनी गतिविधियों और आंकड़ों को सार्वजनिक करता है।

स्वतंत्रता और सीमाएँ :

1. लोकायुक्त कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करता है, लेकिन इसके पास प्रत्यक्ष दंड देने की शक्ति नहीं होती, केवल सिफारिश करने का अधिकार है।
2. इसके दायरे से कुछ पद (जैसे- गवर्नर, न्यायाधीश) बाहर रहते हैं।

निष्कर्ष – राजस्थान में लोकायुक्त आज भी भ्रष्टाचार-निवारण और जन शिकायत निवारण का एक प्रभावी मंच है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता तब ही बढ़ेगी जब इसे अधिक कानूनी अधिकार, तकनीकी संसाधन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।

सुझाव :

1. लोकायुक्त की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान।
2. आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग।
3. अधिक स्टाफ और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।
4. शिकायत निस्तारण के लिए समयसीमा तय करना।
5. जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973।
2. लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्टें, राजस्थान सरकार।
3. समाचार पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल।
4. संबंधित शोध पत्र और विधिक अध्ययन।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin level among Early Adolescent Girls

Vishakha Nagar* **Dr. Lakshmi Agnihotri****

*Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor (Home Science) Sarojini Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract: The early stage of adolescence spanning 11–14 years requires proper nutrition for optimal growth. The government of India has launched multiple nutritional programs to fight iron deficiency and anemia among adolescent girls but these conditions persist as major public health issues. The research project "Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin Level among Early Adolescent Girls" evaluates how the Mid-Day Meal Scheme and Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) program affect hemoglobin levels in schoolgirls. The research employed a symbolic imperial design to measure hemoglobin levels through finger-prick tests at the beginning and after three months of government nutritional intervention exposure. The research included a complete sample of early adolescent girls from Obedullaganj block government schools for comparative evaluation purposes. The researchers documented observations about how nutritional schemes were put into practice and used by the participants. The study demonstrates that government nutritional intervention programs lead to significant improvements in hemoglobin levels of early adolescent girls. The substantial rise in pre-observation to post-observation mean values demonstrates that these initiatives successfully combat anemia and enhance health results for this susceptible demographic. The programs need to be strengthened and maintained to guarantee long-term nutritional well-being for these individuals. The research demonstrates the actual effects of government-run nutritional programs while establishing proof to boost their performance in treating anemia among early adolescent girls.
Keywords: Adolescent girls, Hemoglobin, Government nutritional programmes, Mid-Day Meal.

Introduction - Adolescence is a critical phase of human development marked by rapid physical growth, hormonal changes, and increased nutritional requirements. Among adolescents, girls are more vulnerable to nutritional deficiencies, particularly iron deficiency anemia, due to the onset of menstruation, poor dietary intake, and increased physiological demands. According to the National Family Health Survey (NFHS-5, 2019–21), more than 50% of adolescent girls in India suffer from some degree of anemia, making it a significant public health concern. Anemia during this stage not only affects physical growth and cognitive development but also lowers immunity, academic performance, and overall quality of life. If left unaddressed, it further poses risks during future pregnancies, perpetuating the cycle of maternal and child malnutrition.

Recognizing this challenge, the Government of India has launched several nutritional intervention programmes aimed at improving the health and nutritional status of adolescents. Prominent among these are the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme, and the Poshan Abhiyaan (National Nutrition Mission). These initiatives primarily target school-going children and adolescents to ensure dietary adequacy, reduce micronutrient deficiencies, and address anemia. The Mid-Day Meal Scheme provides cooked, nutrient-rich meals in government and aided schools, while WIFS ensures regular iron and folic acid supplementation. Together, these interventions are designed to enhance hemoglobin levels, improve attendance, and promote better health outcomes.

Despite these efforts, the problem of anemia among adolescent girls persists. Several factors such as irregular implementation of programmes, poor compliance with supplementation, lack of awareness, socio-economic disparities, and differences between government and private school settings continue to limit their effectiveness. Early adolescent girls (11–14 years) are especially at risk, as this period marks the onset of menarche and increased nutritional vulnerability.

The present study titled "Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin Level among Early Adolescent Girls" seeks to evaluate the

effectiveness of these interventions in improving hemoglobin level. The study involves a baseline assessment of hemoglobin levels using finger-prick tests, followed by a post-test after three months of exposure to government nutritional schemes.

By focusing on the measurable outcome of hemoglobin improvement, this research not only highlights the role of government nutritional interventions but also identifies gaps in implementation and compliance. The findings are expected to provide evidence-based insights for strengthening policies and strategies to combat adolescent anemia more effectively, thereby contributing to national health goals such as the Anemia Mukt Bharat initiative and the Sustainable Development Goals (SDGs) on health and nutrition.

Adolescent Girls: Adolescence is a transitional stage between childhood and adulthood, generally ranging from 10 to 19 years of age as defined by the World Health Organization (WHO). During this period, rapid physical, psychological, and social development takes place. Among adolescents, girls face unique challenges due to the onset of menstruation, increased nutritional requirements, and gender-related disparities in food distribution within households. Early adolescence (11–14 years) is particularly crucial, as deficiencies during this phase can adversely affect growth, academic performance, and future reproductive health. Adolescent girls therefore represent a nutritionally vulnerable group that requires special attention in public health and government welfare programmes.

Hemoglobin: Hemoglobin is a vital protein molecule found in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the body tissues and returns carbon dioxide from the tissues to the lungs. Adequate hemoglobin levels are essential for energy production, physical growth, and cognitive development. Low hemoglobin levels, often caused by iron deficiency, lead to anemia, which manifests as fatigue, weakness, poor concentration, and reduced immunity. Among adolescent girls, anemia is highly prevalent due to rapid growth spurts, menstrual blood loss, and inadequate dietary intake. Monitoring hemoglobin level is, therefore, an important indicator of nutritional well-being and the effectiveness of nutritional intervention programmes.

Government Nutritional Programmes: The Government of India has initiated several nutritional programmes aimed at improving the health and nutritional status of children and adolescents. These include the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme, and the PoshanAbhiyaan (National Nutrition Mission). These programmes focus on providing balanced meals, micronutrient supplementation, and nutrition awareness among school-going children. Their objectives are to reduce malnutrition, prevent anemia, improve school attendance, and ensure overall health development. Such programmes form the backbone of India's efforts toward achieving better adolescent health and reducing the burden of anemia in the population.

Government Nutritional Programmes adopted by the Government of Madhya Pradesh: The Government of Madhya Pradesh has implemented several nutritional programmes to address the challenges of malnutrition and anemia among children and adolescent girls. Prominent among these is the Mid-Day Meal Scheme (MDMS), which provides hot cooked meals to school-going children with the aim of improving their nutritional intake and reducing classroom hunger. In addition, the state actively participates in the PoshanAbhiyaan and Anemia Mukt Bharat Programme, focusing on dietary supplementation, awareness campaigns, and regular health check-ups to combat anemia, especially in adolescent girls. The Integrated Child Development Services (ICDS) scheme also plays a vital role by ensuring supplementary nutrition, health services, and pre-school education to children less than six years and nutritional support to adolescent girls and pregnant and lactating mothers through Anganwadicentres. Moreover, initiatives like Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) and School Health and Wellness Programme are being executed to prevent micronutrient deficiencies and enhance overall health. Collectively, these government interventions form a comprehensive approach to improving nutritional status, promoting healthy growth, and ensuring better hemoglobin levels among adolescent girls in Madhya Pradesh.

Mid-Day Meal: The Mid-Day Meal Scheme (MDMS) is one of the largest school-based nutritional intervention programmes in the world, launched by the Government of India in 1995. Under this scheme, cooked meals are provided to children studying in government and government-aided schools, with the aim of improving nutritional intake, reducing classroom hunger, and encouraging regular school attendance. The meals are designed to meet at least one-third of the daily nutritional requirements of children, including essential proteins, calories, and micronutrients. For adolescent girls, the scheme plays a crucial role in addressing dietary inadequacies and supporting hemoglobin improvement, thereby contributing to their overall growth and development.

Review of Literature

Here is a concise, integrated review of literature (10 studies) with authors, years, and key findings relevant to hemoglobin (Hb), anemia, and government-led or school-based nutrition actions among Indian adolescents: Recent national analyses show the anemia burden among Indian adolescent girls remains high and has worsened between NFHS-4 (2015–16) and NFHS-5 (2019–21)—prevalence rose from ~54% to ~59% among 15–19-year-olds, with multiple socio-demographic predictors implicated (Kumar et al., 2024; Dhamnetiya et al., 2023). At community level, rural school studies using portable hemoglobin meters (e.g., HemoCue) continue to document substantial anemia and operationalize

feasible school screening workflows (Kashyap et al., 2022). Evidence on Weekly Iron–Folic Acid Supplementation (WIFS/WIFS+education) consistently indicates Hb gains and anemia reduction among schoolgirls: a Delhi comparative study reported that adding monthly health education to WIFS improved outcomes beyond WIFS alone (Gupta et al., 2021a; Gupta et al., 2021b), while a large-scale effectiveness report from Uttar Pradesh reinforced weekly IFA with counseling as programmatically effective (Aguayo et al., 2017). Complementary strategies such as double-fortified salt (DFS: iron+iodine) have shown efficacy in increasing Hb and reducing anemia risk in low- and middle-income settings, including India (Zimmermann et al., 2014; Andersson et al., 2018), with quasi-experimental evidence suggesting DFS may help prevent the age-related Hb decline typical in adolescents (Griffiths et al., 2017). School-based nutrition education layered onto routine services has also demonstrated measurable improvements in nutrition knowledge and anemia-related behaviors (Baranwal et al., 2013), and emerging work explores digital or gamified education to bolster adherence and self-management around iron intake (Setiawan et al., 2025). Regarding Mid-Day Meal (MDM), longitudinal evidence suggests MDM participation reduces underweight and supports nutritional status among schoolchildren (Kumar et al., 2024), and an economics evaluation linked exposure to fortified school meals with higher Hb albeit mixed academic outcomes (Berry, Mukherjee &Shastry, 2020). Together, these studies indicate that government platforms—WIFS/IFA, MDM, fortification (DFS), and school-based education—can improve adolescent girls' Hb and anemia outcomes when coverage, compliance, and implementation quality are strong, while national trend data underscore the need to strengthen delivery, monitoring, and adolescent-specific engagement to translate policy into population-level Hb gains.

Methodology

(a) Sample Techniques-Sample for the present study consists of 40adolescent girlspurposely selected from Government Schools of Obedullaganj block.

Area	Before	After
Obedullaganj block	40	40

(b)Observation period: The present study was conducted during the observation period three months. This period was carefully chosen to allow for systematic observation of the effects of the government nutritional intervention programmes on the hemoglobin status of early adolescent girls.During this time, the adolescent girls continued to receive the regular government-sponsored nutritional interventions, including the Mid-Day Meal Scheme (MDMS) and supplementation initiatives such as the Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS) programme under the Anemia Mukt Bharat campaign. The three-month duration was sufficient to monitor dietary intake patterns through the Mid-Day Meal, while also ensuring a measurable Effect of iron supplementation on the hemoglobin levels of the participants. Baseline hemoglobin measurements were recorded by the Asha Workers and ANM using the finger-prick method, and follow-up measurements were also conducted by them after three-month. Throughout the observation period, schools were visited regularly to observe the implementation of the Mid-Day Meal Scheme and to confirm that the government nutritional interventions were being provided as per guidelines. Thus, the observation period served as the critical observation window for assessing the effectiveness of government nutritional programmes in improving the hemoglobin status of early adolescent girls.

(c) Tool used- For the present study, primary data was collected through biomedical assessment of hemoglobin levels among early adolescent girls. Hemoglobin levels were measured using finger-prick tests at baseline and after three months of exposure to government nutritional interventions. This method was selected as it is simple, cost-effective, minimally invasive, and suitable for field-based studies. The finger-prick method involved collecting a small blood sample from the fingertip using a sterile lancet, after which the sample was analyzed using a portable digital hemoglobin meter.The use of this tool ensured accuracy and immediate availability of results, allowing researchers to monitor changes in hemoglobin concentration over time. The baseline test was conducted at the time of enrollment in the study, followed by a post-test after three months, in order to evaluate the effect of government nutritional programs such as the Mid-Day Meal Scheme, Weekly Iron and Folic Acid Supplementation (WIFS), and PoshanAbhiyaan on the hemoglobin level of the participants.In addition to biomedical testing, a short observational checklist was also maintained to record adherence and exposure of adolescent girls to government nutritional intervention programs in their schools. This helped in correlating biomedical findings with program participation.

(d) Data Analysis- Data analyzed with the help of t test.

(e) Objective of the study

1. To assess the effect of government nutritional intervention programmes on the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after a three-month period.

(f) Hypothesis of the study

Hypothesis 01: There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes.

Interpretation

Hypothesis 01: There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes.

Table No. 1: Comparative results of the hemoglobin

levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes

Adolescent Girls	HB level	N	Mean	S.D.	'CR' Value	'P' Value
	Before observation	40	10.79	1.09	5.6	Significant at 0.01
	After observation	40	12.12	1.02		

df –78Minimum values at 0.01 level of significance- 2.64

Result: Table No. 1 presents the comparative results of hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after observationexposure to government nutritional intervention programmes. The mean hemoglobin level before the observation was 10.79 g/dL with a standard deviation of 1.09, whereas after the observation, the mean hemoglobin level increased to 12.12 g/dL with a standard deviation of 1.02.The calculated 'CR' value was found to be 5.6, which is greater than the table value (2.64) at the 0.01 level of significance with df = 78. This indicates that the difference in hemoglobin levels before and after the observation is statistically significant.

It can be summarized that the government nutritional intervention programme had a positive and significant effect on the hemoglobin status of early adolescent girls. The intervention led to a marked improvement in hemoglobin levels, shifting the average Hb value from an anemic range to a normal range. Thus, the programme played an important role in reducing anemia prevalence among the participants.

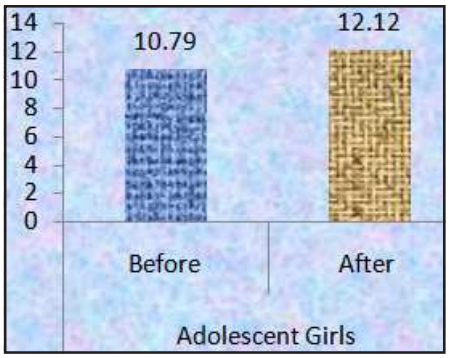

Verification of the Hypothesis: The null hypothesis of the study stated that:"There is no significant difference in the hemoglobin levels of early adolescent girls (11–14 years) before and after exposure to government nutritional intervention programmes." To test this hypothesis, hemoglobin levels of 40 adolescent girls were measured at baseline and after a three-month observation period. The obtained mean values were 10.79 g/dL (before) and 12.12 g/dL (after). The calculated 'CR' value was 5.6, which is greater than the critical value of 2.64 at the 0.01 level of significance (df = 78).Since the calculated value exceeds the table value, the null hypothesis is rejected. This indicates that there exists a statistically significant difference in the hemoglobin levels of adolescent girls before and after the observation. It is concludedthat the government nutritional intervention programme was effective in improving the hemoglobin status of early adolescent girls and in reducing anemia prevalence.

Conclusion: The present study titled "Effect of Government Nutritional Intervention Programme on Hemoglobin of 11–14 Years Adolescent Girls" was conducted to assess the effectiveness of government nutritional interventions in improving the hemoglobin levels of adolescent girls. A sample of 40 girls was observed over a three-month observation period, during which their hemoglobin levels were measured before and after observationexposure to the programmes.

The findings clearly revealed that the mean hemoglobin level increased from 10.79 g/dL to 12.12 g/dL after the observation, with a statistically significant difference at the 0.01 level of significance. This indicates that government-supported nutrition programmes such as the Mid-Day Meal Scheme, iron and folic acid supplementation, and other school-based nutritional initiatives play a vital role in improving the nutritional health of adolescent girls.

The study confirms that nutritional interventions are effective in reducing the prevalence of anemia and enhancing the overall health of adolescent girls, a group highly vulnerable to nutritional deficiencies due to rapid growth and developmental demands. By rejecting the null hypothesis, the research strongly supports the view that timely and structured nutritional support can positively Effect hemoglobin levels and reduce anemia among adolescent girls.

Thus, the study highlights the importance of strengthening and effectively implementing government nutritional programmes to ensure that adolescent girls attain better health, improved academic performance, and long-term well-being.

References:-

1. Agarwal, K., &Kotecha, P.V. (2014). School-based intermittent iron-folic acid therapy is a feasible and effective intervention for increasing hemoglobin and serum ferritin levels of anemic school-going adolescent girls of Shimla, North India. Indian Journal of Community Medicine, 39(2), 89–94. https://doi.org/10.4103/0970-0218.137164
2. Aguayo, V. M., Paintal, K., & Singh, G. (2017). The Adolescent Girls' Anaemia Control Programme: Breaking the inter-generational cycle of malnutrition in India with a focus on adolescent girls. Maternal & Child Nutrition, 13(3), e12411. https://doi.org/10.1111/mcn.12411
3. Andersson, M., Thankachan, P., Muthayya, S., Goud, R. B., Kurpad, A. V., Hurrell, R. F., & Zimmermann, M. B. (2018). Dual fortification of salt with iodine and iron: A randomized, double-blind, controlled trial of micronized ferric pyrophosphate and encapsulated

ferrous fumarate in southern India. The American Journal of Clinical Nutrition, 88(5), 1378–1387. https://doi.org/10.1093/ajcn/88.5.1378

4. Baranwal, A., Baranwal, A., & Roy, N. (2013). Association of anemia with socio-demographic factors among adolescent girls of Saifai, Etawah. Indian Journal of Community Health, 25(4), 359–363.
5. Berry, J., Mukherjee, P., &Shastry, G. K. (2020). Evidence from India's Midday Meals program: The Effect on hemoglobin levels and test scores. Journal of Development Economics, 144, Article 102493. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102493
6. Berry, J., Mukherjee, P., &Shastry, G. K. (2020). Input delivery and teacher incentives: Evidence from randomized evaluations in India. The Economic Journal, 130(630), 887–917. https://doi.org/10.1093/ej/uez063
7. Dhamnetiya, D., Khan, M., Patel, P., & Kumar, S. (2023). Prevalence and trends of anemia among adolescents in India: Evidence from NFHS-4 and NFHS-5. Journal of Family Medicine and Primary Care, 12(4), 798–804. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_2201_22
8. Griffiths, J. K., Shrestha, R. M., Rai, S. S., Pokharel, H. P., Shrestha, R., &Osrin, D. (2017). Effect of double-fortified salt on hemoglobin and anemia among rural Indian schoolchildren: A quasi-experimental study. Public Health Nutrition, 20(2), 285–293. https://doi.org/10.1017/S1368980016001972
9. Gupta, A., Kapil, U., Vir, S., &Choudhury, P. (2021a). Weekly Iron and Folic Acid Supplementation with and without health education among school-going adolescent girls: A comparative study. Indian Journal of Pediatrics, 88(7), 651–657. https://doi.org/10.1007/s12098-020-03617-3
10. Gupta, A., Vir, S., Kapil, U., &Choudhury, P. (2021b). Effectiveness of weekly iron and folic acid supplementation along with nutrition education on hemoglobin level of adolescent girls. Indian Pediatrics, 58(1), 43–49. https://doi.org/10.1007/s13312-021-2060-8
11. Kashyap, V., Sankar, M. J., & Sharma, N. (2022). School-based hemoglobin testing using HemoCue 301 among adolescents in rural India: Feasibility and prevalence results. Indian Journal of Public Health, 66(2), 172–176. https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_828_20
12. Kashyap, V., Sankar, M. J., & Sharma, N. (2022). School-based hemoglobin testing using HemoCue 301 among adolescents in rural India: Feasibility and prevalence results. Indian Journal of Public Health, 66(2), 172–176. https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_828_20
13. Krämer, K., Kumar, N., & Vollmer, S. (2018). The provision of double-fortified salt in Mid-Day Meals: Effects on hemoglobin levels in Bihar. Journal of Nutrition, Under Review.
14. Kumar, P., Mishra, S., & Singh, A. (2024). Mid-Day Meal scheme and nutritional outcomes of school children in India: Evidence from longitudinal surveys. Food Policy, 123, 102589. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102589
15. Kumar, S., Dhamnetiya, D., & Patel, P. (2024). Adolescent anemia in India: Findings from the National Family Health Survey (NFHS-5). BMC Public Health, 24(1), 125. https://doi.org/10.1186/s12889-023-16820-7
16. Narayan Jha, N. I., Mahida, S. J., Parmar, M. M., &Limbani, T. R. (2025). Prevalence and socioeconomic determinants of iron deficiency anemia among adolescent girls in rural India. European Journal of Cardiovascular Medicine, 15(4), 231–234. https://doi.org/10.61336/ejcm/25-04-41
17. National Institute of Health & Family Welfare. (2009). Mid-Day Meal Programme. Government of India.
18. Setiawan, A. R., Rahman, F., &Fitriyah, N. (2025). Digital gamified education to improve adherence to iron supplementation among adolescents: A pilot study. Frontiers in Nutrition, 12, 1528427. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1528427
19. Sheehan, H., & Creighton, J. (2024). Relationship between adolescent anemia and school attendance in India: A within-household analysis. Communications Medicine, 4, Article 33. https://doi.org/10.1038/s43856-024-00533-8
20. Singer, M. C., et al. (2020). Evaluating the Effect of an Iron Supplementation Program for Combating Anemia in School-age and Adolescent Females by a Grassroots Organization in India. Cureus, 12(1), e269374. https://doi.org/10.7759/cureus.269374
21. Singh, M., Rajoura, O. P., &Honnakamble, R. A. (2018). Assessment of Weekly Iron–Folic Acid Supplementation with and without Health Education on Anemia in Adolescent Girls: A Comparative Study. International Journal of Preventive Medicine, 11, 203. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_552_18
22. Wikipedia contributors. (n.d.). Integrated Child Development Services. In Wikipedia. Retrieved [date you accessed] from https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Child_Development_Services
23. Zimmermann, M. B., Wegmueller, R., Zeder, C., Chaouki, N., Biebinger, R., Hurrell, R. F., &Windhab, E. (2014). Dual fortification of salt with iodine and micronized ferric pyrophosphate: A randomized, double-blind, controlled trial in Moroccan schoolchildren. The American Journal of Clinical Nutrition, 89(2), 497–504. https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26750

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान

प्रभा घुरे*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वृद्धजनों की समस्याएँ सिर्फ समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि यह अतिसंवेदनशील समस्या का विषय है। यह विषय वर्तमान युग में प्रत्येक परिवार में विमर्श का अहम विषय है। यह शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर उन वृद्धजनों का विषय है, जिन पर सरकारी निगाहें तो गईं, परन्तु अपनों ने ही उनकी उपेक्षा एवं तिरष्कार किया। प्रस्तुत शोध पत्र की मुख्य विषयवस्तु वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्याएँ और कानूनी प्रावधान है। इन कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही वृद्धजनों को उनके अधिकार एवं सम्मान मिल सकेगा।

प्रस्तावना – भारत एक सांस्कृतिक व परम्पराओं को मानने वाले देश के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य भी है, जिसमें सभी वर्गों के समुचित कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को सम्मान एवं आदर का दर्जा दिया जाता रहा है तथा परिवार में वट वृक्ष की भांति उनकी स्थिति रही है, किन्तु भूमण्डलीकरण तथा आधुनिकता की चकाचौंध ने वृद्धजनों की वर्षों पुरानी सम्माननीय, पूज्यनीय स्थिति को ठेस पहुँचाई है।

अवधारणा एवं परिभाषा – जेरेन्टोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'जेरान' तथा 'लोगोस' से हुआ है। 'जेरान' का अर्थ वृद्ध व्यक्ति तथा 'लोगोस' का अर्थ अध्ययन करना है। अत: वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक क्षेत्रों में अध्ययन ही जेरेन्टोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट नील बटलर (1969) ने सर्वप्रथम एजिंग शब्द दिया। वर्तमान में समाजशास्त्र में 'वृद्धावस्था का समाजशास्त्र' (सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग) नामक एक नई शाखा की शुरूआत हुई है।

वृद्धावस्था की निश्चित परिभाषा देना कठिन कार्य है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषा दी है।

ए.के. कपूर के अनुसार– 'वृद्धावस्था शारीरिक विकलांगता, मानसिक क्षमता में कमी के साथ-साथ क्रमश: सामाजिक गतिविधियों में भूमिका निर्वाह हेतु अवरोध उत्पन्न कर आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रेषित होना है।'

डी. पाल चौधरी के अनुसार – 'वृद्धावस्था प्राय: थकान, कार्यशीलता में कमी, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास से सम्बन्धित है।'

प्रो. सुधा एस. सिलावट के अनुसार – 'वृद्धावस्था को उम्र, शारीरिक स्थिति तथा मानसिक दशाएं निर्धारित करते हैं।'

लुईस डबलिन के अनुसार – 'वृद्धावस्था वे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन है, जो जीवन के मुख्य भाग के व्यतीत हो जाने के बाद घटित होते हैं।'

साहित्य समीक्षा :

डॉ. सुनीलकांत भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक 'भारत की सामाजिक समस्याएँ : मुद्दे और परिप्रेक्ष्य में वयोवृद्धों की समस्याएँ' बताते हुए इससे निपटने के लिए एक सुस्पष्ट राष्ट्रीय नीति एवं जनचेतना की आवश्यकता बताई।

गंगाधर कराले ने अपनी पुस्तक 'सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग' में वृद्धावस्था के सामाजिक, आर्थिक मुद्दे तथा डायमेशन ऑफ एजिंग के अन्तर्गत जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक डायमेन्शन के बारे में चर्चा की।

विमलालाल ने अपनी पुस्तक 'वृद्धावस्था का सच' में बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति परिवार से लेकर आश्रमतक अनेक समस्याओं से जूझता है।

एम.जी.हुसैन ने अपनी पुस्तक 'चेन्जिंग इण्डियन सोसायटी एण्ड स्टेटस ऑफ ऐज्ड' में वृद्धावस्था को समझाते हुए बताया कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक विषमात का सामना भी करना पड़ता है।

अत: हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास का एक क्रम है, जिसमें व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में कमी तथा आर्थिक असुरक्षा से गुजरना पड़ता है, परिणामत: उसे अकेलेनेपन का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 01 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस घोषित किया है तथा वर्ष 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष एवं 2021-2023 को स्वस्थ आयु वृद्धि-दशक घोषित किया है।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धजन निर्धनतम वर्ग में शामिल हैं, जिनमें से लगभग 18.7 प्रतिशत के पास आय का कोई साधन नहीं है।

आँकड़ों का संकलन – द्वितीय स्त्रोत के माध्यम से आँकड़े संग्रहित किए गए हैं।

वृद्धजनों की अतिसंवेदनशील समस्या – उपेक्षा, प्रताड़ना, रोगग्रस्त दुर्बलता, हिंसा का शिकार, आत्मसम्मान का न होना, वैचारिक मतभेद, एकाकीपन, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, अनुभव की अवहेलना, अलगाव आदि।

अत: वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं में पारिवारिक समस्याएँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ, सामंजस्य की समस्याएँ तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएँ प्रमुख हैं।

वृद्धजनों की क्षेत्र, लिंग, सेवानिवृत्ति, निराश्रित इत्यादि कई आधार पर अलग-अलग समस्याएँ हो सकती हैं।

कानूनी प्रावधान – अनुच्छेद 41 और 46 वृद्धजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान करते हैं। हिन्दू विवाह एवं दत्ताक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण को बाध्यकारी प्रावधान बनाया गया है। दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत वृद्ध माता-पिता भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य रखता है।

प्रमुख वृद्ध देखभाल योजनाएँ :

1. अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना।

उद्देश्य – समाज के वृद्धजनों के खोये हुए आत्मसम्मान को वापिस दिलाना तथा आधुनिकता वादी युवा पीढ़ी को वृद्धजनों के अनुभवों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

प्रासंगिकता – शोध का विषय जितना आज महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में भी उतना ही महत्वूर्ण रहेगा।

चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वृद्धावस्था मानव विकास के क्रम की एक अवस्था है, जब तक मानव समाज धरती पर है, सभी को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। भूमण्डलीकरण और नगरीकरण के परिणामस्वयप वृद्धजनों की समस्याओं में तीव्र वृद्धि हुई है। वृद्धों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए उनकी समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2050 को रेड अलर्ट वर्ष बताया है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक विश्व का हर 5वाँ व्यक्ति वृद्ध होगा।

उपयोगिता – किसी भी परिवार, समाज की उन्नति एवं विकास में मार्गदर्शन, अनुभव आवश्यक होता है। जितना ज्ञान समाज के वृद्धजनों को होता है, उतना किसी अन्य को नहीं। भारतीय परम्परागत समाज में वानप्रस्थी (50 से 75 वर्ष) ही गुरू की भूमिका निभाते थे। बदलते परिवेश में वृद्धजनों की परिवार में सक्रिय भूमिका का होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बच्चों एवं युवा पीढ़ी को अनुशासित करने, शिक्षित करने, संस्कारवान बनाने तथा सभ्य नागरिक के निर्माण में वृद्धजनों की अहम भूमिका होती है। वृद्धजनों के ज्ञान के आधार पर ही भारत विश्वगुरू बना।

संस्कार और नवाचार कासमायोजन वृद्धजनों के अनुभव से ही संभव है।

सुझाव – वृद्धजनों की विभिन्न समस्याओं को निम्न सुझाव के आधार पर कम करने के प्रयास किये जा सकते हैं :-

जनचेतना, विधिक सहायता उपलब्ध कराना, वृद्धावस्था के लिए बचत, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, वृद्धाश्रम की स्थापना तथा रखरखाव, वृद्धजनों के लिए कम श्रम वाले कार्य की व्यवस्था शासन द्वारा की जाये, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा, वृद्धजनों की सेवा करने वालों को सम्मानित किया जाये, उपेक्षा करने वालों पर कार्यवाही, वृद्धावस्था पेंशन, हैल्प सेन्टर एण्ड काउंसलिंग, वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन, स्वचलितचिकित्सा इकाईयों के माध्यम से सहायता, विशेष निगरानी केन्द्रों की स्थापना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष वृद्धजन एवं गंभीर रोग के ग्रसित वृद्धजन को शामिल किया जाये।

निष्कर्ष – प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संघर्षो, कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह उसका सामना कैसे करता है, परन्तु वृद्धजनों की समस्याएँ एक अतिसंवेदनशील समस्या है। इस समस्या को समाधान हेतु व्यक्ति विशेष के साथ-साथ परिवार, समाज, शासन, स्वयंसेवी संघ इत्यादि को सामने आकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भट्टाचार्य, सुनीलकांत (2008) : भारत की सामाजिक समस्याएँ, मुद्दे और परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन।
2. Karalay, Gangadhar (2022) : Sociology of Aging, New Delhi , Sage Publication, India Pvt. Ltd.
3. Kapoor, A.K. (2004) : India's Elderly, Mital Publication, New Delhi.
4. Lucis, Dablin (1951) : The Facts of Life, The Maemillan Company, New York.
5. Chowdhary, D.P. (1992) : Aged in India, Inter India Publications, New Delhi.
6. सिलावट, सुधा एस. (1955) : वृद्धावस्था की समस्याएं, सामाजिक सहयोग त्रैमासिक शोध पत्रिका, श्री कृष्ण शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
7. Hussain M.G. (Ed). (1997) : Changing Indian Society at status of agreed, Manak Publication Pvt. Ltd., NewDelhi.
8. लाल विमला (2010) वृद्धावस्था का सच, प्रकाशक कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
9. Prabhu P.H. (1995) :Hindu Social Organization, Reprinted Polular Prakashan Pvt. Ltd.
10. www.drishtiias.com/hindi (Current Affairs, January Part-II 2020-25
11. https://www.unorg/en/over serance/older/person/day
12. हिन्दी विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956
13. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007
14. इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन

डॉ. सुषमा*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी0एड0) दयानन्द आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल श्रम किसी भी देश के लिये एक कलंक के समान है जिसके कारण बच्चों के बचपन की नैसर्गिक अभिक्षमता, रचनात्मकता, अभिरूचि का नाश हो जाता है। बच्चे विश्व के सर्वाधिक अनमोल संसाधन है, असीम नैतिक और बौद्धिक शक्ति के भण्डार और पर्याय है। इन्हें संवारने का स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक अवसर शिक्षकों को प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परिवार, समाज, सरकार एवं शिक्षक को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इसी तथ्य के दृष्टिगत यह शोध किया गया है। इस शोध का क्षेत्र मुरादाबाद जनपद है। शोध की जनसंख्या में 6–14 वर्ष तक 100 बाल श्रमिक व उनके 50 अभिभावकों का चयन किया गया है। शोध के निष्कर्ष मिले जुलेरूप में प्राप्त हुये हैं। अत: यह शोध बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं एवं बाल श्रमिकों के लिये संवैधानिक प्रावधानों के प्रति उनके अभिभावकों व अध्यापकों को सचेत करेगा एवं उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान करने के साथ ही उपयोगी सिद्ध होगा।

शब्द कुंजी – बाल श्रम, शौक्षिक समस्या, अभिभावक, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना – किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस वेश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। आज के बच्चे भविष्य के नागकिर है। बच्चों को आज के आधुनिक और तकनीकी के दौर में वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के कारण मानवता और समस्त देशों के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, गरीबी का व्यापक होना, लैंगिक असमानता आदि चुनौतियों से निपटने के लिये उनका समग्र विकास अति आवश्यक हो जाता है। आर्थिक गरीबी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ापन आदि बाल श्रम को प्रोत्साहित करता है। बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। आज वर्तमान समय में बाल श्रम बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जो राष्ट्र अपने नौनिहालों के लिये संवेदनशील, जागरूक व सजग नहीं, वह अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकता है। आने ही राष्ट्र के बच्चों के भविष्य के प्रति असंवेदनाशीलता, उदासीनता को अपराध की दृष्टि से देखा जाता है।

शोध की आवश्यकता – किसी भी देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ के आधारभूत मानवीय संसाधन के रूप में प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाये। बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें सामान्य बालकों से भिन्न हैं, एवं इनके सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है कि इनकी शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाये और यह भी जाना जाये कि इन्हें सुलझाने के लिये कौन से प्रयास किये जा रहे हैं? और वे किस हद तक सार्थक सिद्ध हो रहे हैं बाल श्रमिकों के लिये चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाने के लिये, बाल श्रमिकों की समस्याओं को जानने के लिये एवं समाज और देश को बालश्रम के कलंक से बचाने के लिये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शोध अत्याधिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

शोध समस्या का अभिकथन – शोध समस्या का अभिकथन निम्नलिखित रूप से भाषाबद्ध किया गया है:

'बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्यायें एवं सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन'

शोध उद्देश्य:

1. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. मुरादाबाद जनपद में बालश्रमिकों की पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना :

1. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की शैक्षिक समस्याओं की स्थिति चिंताजनक नहीं है।
2. मुरादाबाद जनपद में बाल श्रमिकों की पारिवारिक समस्यायें शिक्षा अर्जन में बाधक नहीं हैं।
3. मुरादाबाद जनपद में बालश्रम से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति सामान्य है।

शोध विधि व प्रविधि – प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

शोध जनसंख्या न्यादर्श एवं न्यायदर्शन विधि – प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में मुरादाबाद जनपद के 6 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों का चयन सोद्देश्य न्यादर्श विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल 100 बाल श्रमिकों एवं उनके 50 अभिभावकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण–प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा बालश्रमिकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची, बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये शैक्षिक समस्या साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा बालश्रम से सम्बन्धित अधिकारियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध सांख्यिकी:–प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का प्रतिशतीय विश्लेषण एवं प्राप्त परिणामों की गुणात्मक व्याख्या की गयी है।

आंकडों का विश्लेषण एवं व्याख्या–बाल श्रमिकों की पारिवारिक एवं शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित विश्लेषण–

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया–1		प्रतिक्रिया–1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या आप अपना नाम लिख सकते है?	80	80%	20	20%
2.	क्या आप कभी स्कूल गये हैं?	84	84%	16	16%
3.	यदि आपको पढ़ने का मौका दिया जाए तो क्या आप पढ़ना पसन्द करेंगे?	76	76%	24	24%
4.	टाप अन्य बच्चों को स्कूल जाते हुये देखते है तो क्या आपको स्कूल जाने की इच्छा होती है?	90	90%	10	10%
5.	क्या आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें रूचि है?	14	14%	86	86%
6.	क्या आप केवल अपने अभिभावकों के कहने से कार्य कर रहे हैं?	84	84%	16	16%
7.	क्या आप घर पर भी कार्य करते हैं?	98	98%	2	2%
8.	क्या आपके अभिभावक शराब पीते हैं?	60	60%	40	40%
9.	क्या आपको घर पर भर पेट भोजन मिलता है?	68	68%	32	32%
10.	क्या आपको यह जानकारी है कि अभी आपकी सम्र पढ़ाई करने की है श्रम करने की नहीं?	80	80%	20	20%
11.	क्या आपको खेलने का मौका मिलता है?	64	64%	36	36%
12.	क्या आपके माँ बाप दोनों जीवित हैं?	98	98%	2	2%
13.	क्या आपको यह जानकारी है कि आपकी उम्र के बच्चों का श्रम करना सरकार द्वारा वर्जित है?	22	22%	78	78%
14.	क्या आप अपने अभिभावकों की बगैर जानकरी में श्रम कर रहे हैं?	16	16%	84	84%
15.	क्या परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपको श्रम करना पड़ रहा है?	99	99%	1	1%
16.	क्या आपको पढ़ाई से आसान श्रम करना लगता है?	26	26%	74	74%

न्यादर्श के रूप में चुने गये 100 बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 76 प्रतिशत बाल श्रमिक अपना नाम लिख लेते हैं 99 प्रतिशत बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तथा अभिभावकों द्वारा मजबूर किये जाने पर पढ़ाई छोड़कर बाल श्रम करने लगते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण–

क्र.	कथन	प्रतिक्रिया–1		प्रतिक्रिया–1	
		हाँ	%	नहीं	%
1.	क्या बरेली जनपद के रोजगार कार्यालय में बाल श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था है?	0	0%	10	100%
2.	क्या अपने कभी किसी सरकारी योजना का लाभ बाल श्रमिकों तक पहुँचाया है?	5	50%	5	50%
3.	क्या आप को बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलायी गयी सरकारी योजनाओं की जानकारी है?	8	80%	2	20%
4.	क्या सरकार द्वारा समय–समय पर बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सर्वेक्षण कराया जाता है?	9	90%	1	10%
5.	क्या आप बालश्रम उन्मूलन हेतू चलाये जा रहे सरकारी प्रयासों से संतुष्ट है?	6	60%	4	40%
6.	क्या सरकार को बाल श्रमिकों की आर्थिक सहायता हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए?	10	100%	0	0%
7.	क्या आपको बरेली जनपद में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या पता है?	8	80%	2	20%
8.	क्या आप बालश्रम को एक गम्भीर समस्या मानते हैं?	7	70%	3	30%

न्यायदर्श के रूप में चुने गये मुरादाबाद जनपद के श्रम विभाग तथा सम्बन्धित विभागों के 10 अधिकारियों पर किया गये सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट है कि मुरादाबाद जनपद में बालश्रम के उन्मूलन के लिये सरकारी प्रयासों का क्रियान्वयन अधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। अधिकतर लगभ 80% अधिकारी जानते हैं कि बालश्रम उन्मूलन से सम्बन्धित क्या सरकारी प्रावधान किये गये हैं। और उनमें से लगभ 50% अधिकारियों ने कई बार बाल श्रमिकों को रोजगार देकर बाल श्रम पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। शोध पत्र से प्राप्त ज्ञान अध्यापकों के लिये भी उपयोगी है क्योंकि वे बालश्रमिकों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं जिससे किवे अपने बच्चों को विद्यालय भेज कर बालश्रम उन्मूलन में मदद कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006), 'बाल श्रम की विभीषिका' कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
2. आशीष घोष, सीकर, आर0 हेलेन (2000), 'चाइल्ड लेबर इन मुरादाबाद होम बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दि वेक ऑफ लेजिसलेशन, मुरादाबाद।
3. गुप्ता, एस0पी0 और गुप्ता अलका (2005), 'शिक्षा का ताना बाना', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. दूबे, नीरज (2001), 'म0प्र0 के बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण', योजना भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
5. राय, पारसनाथ (2008), 'अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
6. सम सामायिक घटना चक्र (2009), 'बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2007, सम सामाजिक घटना चक्र प्रकाशन, इलाहाबाद।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय इतिहास में मथुरा कला का योगदान

डॉ. शुभम शिवा* देवेन्द्र पाल सिंह**

* प्रोफेसर (चित्रकला) दयानंद गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, कानपुर, सम्वद्ध छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (चित्रकला) दयानंद गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, कानपुर, सम्वद्ध छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रागेतिहासिक युग से लेकर शुंगकाल तक के विकास के पश्चात मथुरा की कला कुषाण युग प्रविष्ट हुई। इस युग में इस कला के कुछ विशेषताएँ आ गयी जिनके कारण आगे चल कर इसने सम्पूर्ण भारत की कला को प्रभावित किया। ई. पूर्व द्वितीय से लेकर ईशा की छटी शताब्दी तक मथुरा उत्तरी भारत में स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला का एक केन्द्र रहा है। शुंग काल में मथुरा की कला नितान्त देशी ढंग पर विकसित हुई।

उस समय वह साँची और भरहुत को मध्यदेशीय कला से प्रभावित हुई। गान्धार कला का प्रभाव भी मथुरा कला में परिलक्षित होता है। साथ ही मथुरा में ही बुद्ध की मानुषी रूप मूर्ति की सर्व प्रथम एवं इस युग में मथुरा के शिल्पियों ने बोधिसत्वों, जैनों. के 24 तीर्थकरो, हिन्दुओं के देवताओं शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य और उनके अनुचर, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, दुर्गा, सप्त मातृका, लक्ष्मी, सरावती, इन्ड, कुवर, हारीती, यक्ष–यक्षी, नाग–नागी तथा लोक में प्रचलित देवी–देवताओं का अंकन किया। सम्पूर्ण मध्य भारत में यहाँ की मूर्तिया जाती थीं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, साँची,तक्षशिला आदि में भी यहाँ से इसके अतरिक्त प्रतिमाएँ मंगायी जाती थी और वहाँ के कारीगर इन्हें देखकर अन्य प्रतिमाएं बनाते थे। इस प्रकार इन देवी–देवताकों को जो रूप मिले वे इन्हीं कुषान् कालीन मथुरा के शिल्पियों की देन है। इसके के बाद अन्य युगों में मूर्तिकला को विकास हुआ।

मथुरा शैली की बाबाठी कलाकृतियों में प्राय: चितिदारलाल बलुए पत्थर की प्रयोग हुआ है जो निकट ही स्थित फतेहपुर सीकरी, रुपवास, हि–डॉन आदि से स्थानों प्रचुर मात्रा में सुलभ प्राप्त था।

वर्तमान मथुरा तथा उसके आसपास का क्षेत्र (प्रदेश) जिसे ब्रज कहा जाता हैय प्राचीन काल में शूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ की कला को देखते हुए इसे भारत का ऐथेन्स कहना यक्ति संगत है। मौर्य काल से लेकर लगभग 12वीं शाताब्दी तक कलाकृतियों के निर्माण की विविध शिल्प शालायें नवीन उत्साह एवं मौलिकता के साथ कार्य कर रही थी। भारतीय कला के क्षेत्र में मथुरा ने जो विशाल योगदान दिया है, उस ओर ध्यान देने पर यह एक ऐसे महत्वपूर्ण कला केंद्र के रूप में सामने आता है जहाँ की कलाकृतियाँ नयना विराम सहज दुर्लभ सौन्दर्य एवं बहुमुखी व्यंजनाओं से ओतप्रोत रही है।

मथुरा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री में प्राचीन मूर्तियाँ, चित्र, अभिलेख, सिक्के तथा इमारती वास्तुएँ आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। मथुरा और उसके आसपास से अव तक कई सौ प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हो चुके हैं जिनसे तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रकाश पड़ा है। मथुरा कला का विस्तार क्रम केवल मथुरा एवं उसके आसपास तक ही सिमित नहीं रहा अपितु पूर्व एवं दक्षिण तक फैला। इन अवशेषों के द्वारा प्राचीन स्थापत्य की भी जानकारी हो सकी है कि मथुरा में किस प्रकार के मंदिर, विहार, स्तूप, महल व मकान आदि थे।

शुंग काल से लेकर गुप्त काल के बीच पनपी हुई मथुरा की कला में पाषाण एवं मृत्ति का के माध्यम से कई नवीन प्रयोग किये गये। यहाँ संस्कृति, धर्म एवं कला की त्रिवेणिय के दर्शन होते हैं। यह नगरी अपने भौगोलिक महत्व के कारण भारतीय, भारतीय–शक और यूनानी सभ्यताओं की संगम स्थली बनी। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म की त्रिधाराओं का मिलन भी मथुरा में ही हुआ, इन्ही धाराओं के कारण मथुरा की कितनी ही महत्वपूर्ण व सुन्दर कलाकृतियों का निर्माण....हुआ। इसके अतिरिक्त मथुरा में एक तीसरी भव्य त्रिवेणी के दर्शन होते हैं, यह भारतीय इतिहास के तीन महत्वपूर्ण युगों अर्थात मौर्य–शंग, शक–कुषाण व गुप्त काल का संगम है। इन विभिन्न युगों ने भी मथुरा कला के निर्माण में भरपूर योग प्रदान किया।

मौर्य– शुंग काल में मथुरा ने अपनी प्राचीन परम्परा से प्राप्त अभिप्रायों एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रचुर प्रयोग किया। ये मान्यताएँ एवं अभिप्राय यक्ष पूजा, नागपूजा, पदमश्री या श्री लक्ष्मी के रूप में शक्ति की आराधना चक्र एवं चौत्य की अर्चना, स्तम्भ पूजा आदि विविध रूपों में चली आ रही थी। कुषाण सम्राटों का शासन काल वस्तुत: उस का स्वर्ण युग था। इस युग की कला में द्रष्टिगोचर होने वाली क्रियाशीलता, अथक लगन, उर्वरा सृजन शक्ति तथा अभिनव प्रयोग करने की क्षमता भारतीय कला के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। सचमुच कुषाण कला अत्यंत साहसिक थी, जिसका सबसे सुन्दर उदाहरण बुद्ध प्रतिमा का निर्माण है।

कुषाण काल के बाद गुप्तों का युग आया इसमें मथुरा कला ने देव प्रतिमा व देवायतनों के निर्माण मर समुचित हाथ बँटाया।

मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्राचीन वस्तुखण्डों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलोनों का भी समावेश होता है। इन सबका प्राप्ति स्थान मथुरा शहर और उसके आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान मथुरा शहर को देखने से स्पष्ट होता है कि यह सारा नगर टीलों पर बसा है। इसके आसपास भी लगभग 10 मील के परिसर में अनेक टीले हैं। इनमें से अधिकतर टीलों के गर्भ से मथुरा कला की अति उच्च कोटि की कलाकृतियों प्रकाश में आयी हैं। कंकाली टीला, भुतेश्वर, सोंख टीला, जमालपुर टीला आदि ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थान हैं।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ कुषाण एवं गुप्तकाल में अनेक विशाल

विहार, स्तूप मंदिर तथा भवन विद्धमान थे, वहाँ उनमें से एक भी अवशिष्ट नहीं हैं। सब के सब धराशायी होकर पृथ्वी के गर्भ में समा गए हैं।

'मथुरा कला की प्रथम मूर्ति के दर्शन और उसकी पहचान सन 1836 में हुई थी। आज यह भारतीय संग्रहालय कलकत्ता मैं है उस समय इसे सायलेनस के नाम से पहचाना गया था। वस्तुत: आसवपान का दृश्य है। इसके बाद सन 1853 में जनरल कनिंघम ने कटरा केशवदेव टीला से कई मूर्तियाँ व शिलालेख प्राप्त किये उन्होंने पुन: 1862 में इसी स्थान से गुप्त संवत् 230 (सन 549-50) में बनी हुई यशाविहार में स्थापित सर्वांग सुन्दर बुद्ध की मूर्ति खोज निकाली।

यह इस समय लखनऊ के राज्य संग्रहालय में है। इसी बीच सन 1860 में मथुरा कचहरी के निर्माण के लिए जमालपुर टीले को समतल बनाया गया जहाँ किसी समय दधिकर्ण नाग का मन्दिर व हुविष्क विहार था। इस खुदाई में मूर्तियाँ, शिलालेख, स्तम्भ, वेदिका स्तम्भाधार आदि के रूप में मथुरा कला का विपुल भण्डार प्राप्त हुआ। इसी स्थान से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति मिली जो राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित है।

सन 1871 में जनरल कर्मिघम ने पुन: मथुरा यात्रा की और इस समय उन्होंने दो अन्य टीलों कंकाली और चौवारा टीले की खुदाई कराई। कटरा केशवदेव से दक्षिण में लगभग आधे मील के अंतर पर बसे हुए कंकाली टीले ने मानो मथुरा कला का विशाल भण्डार ही खोल दिया। यहाँ कभी जैनों का प्रसिद्ध स्तूप व बौद्ध स्तूप था।

कर्मिघम साहब ने यहाँ से कनिष्क के राज्य संवत् 5 से लेकर वासुदेव के राज्य संवत्सर 18 तक की अभिलिखित प्रतिमाएँ प्राप्त की। चौवारा टीला वस्तुत: 12 टीलों का समूह है जहाँ पर कभी बौद्धों के स्तूप थे।

2 सन 1872 में तत्कालीन कलैक्टर मथुरा, ग्राउज महोदय ने पालीखेड़ा नामक स्थान से एक महत्वपूर्ण प्रतिमा आसवपायी कुबेर को प्राप्त किया। सन 1888 से 1891 तक डॉ. फ्यूहरर ने लगातार कंकाली टीले की खुदाई कराई। पहले ही वर्ष में 737 से अधिक प्रतिमाएँ मिली जो लखनऊ के राज्य संग्रहालय में भेज दी गई। सन 1966 से 1974 तक मथुरा के निकट सौंख नामक स्थान पर टीले की खुदाई जर्मन विद्धान हरवर्ट हर्टल ने कराई तथा वहाँ से लगभग.....3 12,000 कलाकृतियाँ प्राप्त हुईं जिनमें प्रस्तर प्रतिमाएँ, मृण मूर्तियाँ, मृत्त पात्र तथा देव सेनानी कार्तिकेय की कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त हुई जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

फरवरी सन 1912 में मॉट गाँव के निकट टोकरी या इटोकरी नामक टीले की खुदाई कराई और कुषाण सम्राट विम कडफाइसिस, कनिष्क और चस्टन की प्रतिमाओं को अन्यान्य प्रतिमाओं के साथ प्राप्त किया। सन 1915 में नगर और और आसपास के गाँव के कई कुओं की सफाई कराई गयी और उनमें से लगभग 600 मूर्तियाँ मिलीं।

मथुरा में जैन और बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र स्थापित हो जाने से यह युक्ति सम्मत था कि यहाँ अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण होता। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त एक मूर्ति पर खुदे हुए द्वितीय शती के एक लेख से पता चलता है कि उस समय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन स्तूप का निर्माण हो चुका था। लेख में उस स्तूप का निर्माण (बौद्ध स्तूप) दिया है। वर्तमान कंकाली टीले की भूमि पर उस समय से लेकर प्रा: 1100 ई. तक जैन इमारतों एवं मूर्तियों का निर्माण होता रहा। सम्राट अशोक, कनिष्क एवं अन्य शासकों द्वारा मथुरा नगर तथा उसके आस-पास कितने ही स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराया गया।

मथुरा कला की प्रतिमाएँ बड़ी संख्या में मथुरा के बाहर भी मिली हैं। अब तक चित्तीदार लाल बलुए पत्थर की कई हजार मूर्तियाँ, स्तम्भ, शिलापट, सिरदल, मृण मूर्तियाँ एवं मृत्त पात्र आदि मिल चुके हैं। इनके देखने से पता चलता है कि प्राचीन मथुरा में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म कई शताब्दियों तक साथ-साथ विकसित होते रहे। यह सामग्री मथुरा एवं उसके आस-पास यत्र-तत्र बिखरे टीलों सेसमय-समय पर प्राप्त होती रही हैं जो आज पुरातत्व की धरोहर है।....

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर. सी.(1993). स्पलैंडर ऑफ मथुरा आर्ट एण्ड म्यूजियम: दिल्ली।
2. पाण्डे, गोविन्द चन्द. (1963). बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास: लखनऊ।
3. जोशी, एन. पी. (1965). मथुरा कला: मथुरा।
4. मित्तल, प्रभुदयाल. (1965). ब्रज की कलाओं का इतिहास।
5. शर्मा, आर. सी.. (1973). मथुरा म्यूजियम एण्ड आर्ट: मथुरा।
6. वाजपेई, के. डी. (1980). मथुरा: नई दिल्ली।
7. ग्राउज, एफ. एस.. (1882). मथुरा- ए डिस्टिक मेमायर।
8. ब्रेक ब्रोकमैन. (1911). मथुरा: ए गजेटियर।
9. आनन्द, मुल्कराज. (1962). ओरिजिन ऑफ दि बुद्ध इमेजेज (मार्ग) वा.-अंक-2
10. बिहुलर, जी.. (1896). एपिग्राफिक डिस्कवरीज ऐट मथुरा।
11. क्रेमरिश, स्ट्रेला. (1933). इण्डियन स्कल्पचर्स।
12. शिवाममूर्त, सी. (1961). इण्डियन स्कल्पचर्स।

चित्रसूची:-

मथुरा संग्रहालय सं. 00. ए.5

मथुरा संग्रहालय सं. 00.ए.1

मथुरा संग्रहालय सं. डी. 47

मथुरा संग्रहालय सं. सी. 1

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा

डॉ. राजकुमार नागवंशी*

* सह-आचार्य (अर्थशास्त्र) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – किसी देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बार-बार बदलते समय के आलोक में अपनी शिक्षा प्रणालियों और कार्यक्रमों में सुधार करते रहें है। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता को साकार करने का सर्वोत्तम साधन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4 सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के लक्ष्य को साझा करती हैं। सतत विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख तत्व के रूप में है। शिक्षा पर्यावरणीय अखंडता, आर्थिक व्यवहार्यता और न्यायपूर्ण समाज को सशक्त बनाता है, जो मानव के लिए सहायक होता है। शैक्षिक सतत विकास का उद्देश्य आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करके विकास की चुनौतियों का समाधान करता है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने जीवन में मूल्यों का विकास करता है, उनकी आकांक्षाओं को संतुलित करती है एवं साथ ही उनकी क्षमताओं को विकसित करती है । शिक्षा किसी व्यक्ति को देश का सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करती है। किसी देश की पूंजी मानव संसाधन होती है, जो शिक्षा के माध्यम से और समृद्ध होती है।

शैक्षिक रूप से कुशल नागरिकों के बिना राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की आवश्यकता और राष्ट्रीय हित के अनुसार शैक्षिक नीतियों का सुधार करे, क्योंकि समाज का भविष्य सही मूल्यों और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जो शिक्षा के माध्यम से विकसित होता है। स्वतंत्र भारत ने पहली शिक्षा नीति 1968 के दौरान पेश की गई थी एवं सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई। सन 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार 34 साल बाद वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है जो आज पुरे देश के शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में कहा जाय तो यह ज्ञान पर नहीं बल्कि वैचारिक समझ पर केंद्रित है और पाठ्यक्रम से परे व महत्वपूर्ण सोच पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रक्रिया के बजाय जुनून, अभ्यास और परिणाम-आधारित प्रदर्शन पर जोर देती है। इस प्रकार यह शिक्षा नीति वर्तमान समय की जरूरतों के अनुकूल है।

सतत विकास एवं सतत विकास लक्ष्य 2030 – सतत विकास एक ऐसे विकास की कल्पना करता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास के चार मुख्य आयाम माने जाते हैं: सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जनवरी 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद लॉन्च किए गए है, जिसमें वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए 184 सदस्यीय सरकारों और शिक्षा क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए चर्चा की गई एवं रणनीति बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें मुख्य रूप से 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए है जिसमे लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दुनिया को सही दिशा में बदलने में मदद करने के लिए सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक तत्व के रूप में रखा गया है। शिक्षा मौलिक रूप से, जीवन में सुधार, लोगों के जीवन स्तर और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक आवश्यक कारक है जिसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य किया गया है । सतत विकास के लिए शिक्षा में शिक्षण और सीखने में प्रमुख रूप से सतत विकास के प्रमुख मुद्दों को शामिल करना है। जैसे उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम में कमी, जैव विविधता, गरीबी में कमी और टिकाऊ खपत आदि। इसमें सहभागी शिक्षण और सीखने के तरीकों की भी आवश्यकता है जो शिक्षार्थियों को अपने व्यवहार को बदलने और सतत विकास के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और सशक्त करें।

सतत विकास के प्रमुख घटक

1. **सतत विकास के सामाजिक घटक:** सामाजिक घटकों में मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानवीय तत्व है। जिसमे सामाजिक अस्थिरता से सम्बंधित सभी बुराइयों को खत्म करना है इसमें सतत विकास के रूप में इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता का निर्माण करना और वर्तमान समय व्याप्त में सामाजिक बुराइयों को रोकना है व खत्म करना है एवं सामाजिक स्थिरता बनाये रखना है।
2. **सतत विकास के आर्थिक घटक:** आर्थिक विकास दुनिया भर में एक लोकप्रिय नीति एजेंडा है और इसकी एक शाखा के रूप में, विकास अर्थशास्त्र एक नए अनुशासन के रूप में उभरा है। इस प्रकार कहा जाय की आज की आवश्यकतानुसार व वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में सफल होने के लिए सतत रूप से आर्थिक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, आर्थिक स्थिरता आज की मुख्य आवश्यकता है साथ ही व्यापार चक्र से

निपटना व आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करना जो आज हमें सतत विकास प्रणाली इन सबका हल देता है ।

3. सतत विकास के पर्यावरणीय घटक: सतत विकास का तीसरा घटक पर्यावरण है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीनों घटक एक-दूसरे पर ओवरलैप करते हैं क्योंकि वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हर देश आज आर्थिक विकास को बढाने की होड़ में लगा है जिससे निरंतर पर्यावरण संसाधन का उपयोग से आर्थिक विकास को गति तो मोली है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अरबों टन ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का उत्पादन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। जिसका परिणाम वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन है जो समस्त मानवीय एवं आर्थिक गतिविधिया प्रभावित हुई है एवं इसका एक ही समाधान है और वों है सतत विकास प्रणाली को प्रभावपूर्ण तरीके से अपनाना।

इस प्रकार सतत विकास को इन तीन घटकों या आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज कई विकास एजेंसियां हरित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपना रही हैं, जो सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं ताकि मानव, अर्थव्यवस्था और समाज को संतुलित कर उनकी सीमाओं के अन्दर रह कर उपयोग करे एवं हर संभव संतुलन बनाये रखे व भविष्य को खतरे में न डाले, यह सुनिश्चित कराना ही सतत विकास है।

सतत विकास में शिक्षा – सतत विकास में शिक्षा की अवधारणा काफी हद तक पर्यावरण शिक्षा से विकसित हुई है, जिसने लोगों में अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने की मांग की है। सतत विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से समझौता किए बिना हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाने वाली शिक्षा से है । शिक्षा का उद्देश्य है की सतत विकास में निहित मूल्यों को सीखने के सभी पहलुओं और स्तरों में एकीकृत करने में सफल कराये । शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो मानव को सतत विकास के अनुकूल एवं उद्देश्यों के अनुरूप खरा उतारा जा सकता है । इस प्रकार, सतत विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा जगत में अनुसंधान को बढ़ावा देती है और मानव-निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकासात्मक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक एवं बुनियादी सुचना प्रदान करती है। मानव संसाधनों को मजबूत करने वाले कारको में से शिक्षा उन कारकों में से एक है, जो पूर्ण रूप से मानव के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि कर तार्किक क्षमता के साथ सतत विकास की रणनीति को विकसित व अपनाने का मार्ग प्रसस्त करने वाला कारक है । मानव संसाधन, सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण है इसलिए मानव संसाधन को मजबूत करना अति आवश्यक है और इस दिशा में शिक्षा को सशक्त करना आवश्यक है शिक्षा ही मानव संसाधन को सतत विकास के अनुरूप ढाल सकता है । शिक्षा सोचने की शक्ति देता है साथ ही शिक्षा एक सही दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार शिक्षा समस्त कारको में महत्वपूर्ण है और इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है की समयानुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे मजबूत करना जो अंतत: सतत विकास को सफल करने में सहायक होगा।

सतत विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को वैश्विक शिक्षा एजेंडे, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुसार संरेखित करने की प्रतिबद्धता के साथ तैयार किया गया है, जो 2030 तक देश के सभी लोगो के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराने पर कटिबद्ध है। यह नीति शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर आधारित है। परन्तु नीति की सफलता तभी संभव है जब शैक्षिक सुधार में आने वाली बाधाओं को दूर कर एवं इनमे सम्मिलित होने वाले सभी सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और साथ ही समुदाय सहित हितधारकों की सहभागिता स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से होगी।

सतत विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किये गए मुख्य सुधार

1. प्राथमिक विद्यालय से उच्च शिक्षण संस्थानों तक नए पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम की नयी समयावधि संबंधी में परिवर्तन की गई है।
2. भाषायी विविधता का संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओ के माध्यम से शिक्षण को अधिक महत्व दिया गया है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है।
4. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन व शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुवे है।
5. समावेशी विकास के अनुकूल उच्च शिक्षा में कई नए प्रावधान है।

नई नीति का मुख्य उद्देश्य ही है की एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमे भारतीय समाज की संस्कृति, भाषा, परम्पराओ एवं मूल्यों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार यह नीति समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली हो एवं जिसके माध्यम से एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमे ज्ञान, मूल्य एवं सतत विकास समाहित हो। इस नीति में प्राचीन शिक्षा से आधुनिक शिक्षा को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिसमे मुख्य रूप से पर्यवरण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। विद्यार्थी से लेकर शिक्षक तक सभी के लिए एक समावेशी एवं सभी के लिए सामान शिक्षा प्रणाली के रूप में लाने का प्रयास है।

निष्कर्ष – नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य रूप से सबकी पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य आदि बिन्दुओ पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो देश के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान हो एवं देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में विकसित करना है जिससे सभी नागरिक देश के परिवर्तन में अपना सकारात्मक योगदान दे सके । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में देश की शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाएगी साथ ही कौशल विकास को बढ़ाएगी, रूचिपरक एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में कुछ चुनौतिया सामने होगी जिसमे मुख्य रूप से नीति का उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन और संसाधन की आवश्यकता होगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यानुसार शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाना और विषयों की व्यापक श्रृंखला के साथ लागु करना एक बड़ी चुनौती होगी साथ ही नई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। परन्तु इन सभी चुनौतियो का समाधान संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Saini M. *et al* (**2021**) *"Analyzing the tweets to examine the behavioral response of Indian citizens over the approval of national education policy 2020"* International Journal of Educational Development, Elsevier, Vol. 82.
2. Hume T. & Barry J. **(2015)** *"Environmental Education and Education for Sustainable Development"* Internal Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, Second Edition.
3. Ashida A. (2023) *"The Role of Higher Education in Achieving the Sustainable Development Goals"* (eds.), Sustainable Development Disciplines for Humanity, Sustainable Development Goals Series, https://doi.org/10.1007/978-981-19-4859-6_5.
4. Sunny Y. (2021) *"National Education Policy 2020"* Economic & Political Weekly, Vol. 56, Issue 10.
5. Ahuja V. K. & Poddar D. (2022) *"National Education Policy 2020: The Road Ahead"*, Centre for Law, Public Policy and Governance National Law University and Judicial Academy, Assam, (eds.), ISBN: 978-81-954276-1-1.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. मोनिका*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी. एड. विभाग) अब्दुल रज्ज़ाक पीजी कॉलेज, जोया, अमरोहा (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बालक की शिक्षा, बुद्धि, मानसिक प्रकिया तथा वातावरण पर निर्भर करती है शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है अत: शिक्षा के क्षेत्र में सभी छात्रों का सही विकास हो सके यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करता है उपयुक्त वातावरण नही मिलने से बालक की अंतनिर्हित शक्तियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। बालक की अन्तनिहित शक्तियों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण का मिलना आवश्यक है बालक को जैसा भौतिक वातावरण मिलता है वैसा ही उसको इसकी अंतनिहित शक्तियों का विकास होता है। प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के सरकारी और स्ववित्त पोषित, शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन किया गया है इन विद्यालयों से 320 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

प्रस्तावना – बालक की शैक्षिक की उपलब्धि पर उसके विद्यालयी वतावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बालको की उपलब्धियों में उनके शारिरिक एवम मानसिक पक्ष के साथ–साथ विद्यालयी वातावरण का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार बालक की अंतनिहित शक्तियों के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक के व्यक्तित्व का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के सामंजस्य से होता है परंतु व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता से कहीं अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है यदपि बालक में गुणों के विकास पर परिवार, समुदाय और विद्यालय तीनों के वातावरण का प्रभाव पड़ता है परन्तु विद्यालय का वातावरण बालक के अधिगम के विकास में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है यदि बालक को विद्यालय में अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तो वह सही दिशा में प्रगति कर सकते है विद्यालय का वातावरण ऐसा कारक है जो बालको को प्रभावित करता है और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है बालक के भविष्य की नींव उसके घर या परिवार में रखी जाती है लेकिन विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालक को अनुकूल वातावरण प्रदान कर उस पर विकास के भवन का निर्माण किया जाता है।

वर्तमान समय में भिन्न प्रकार के विद्यालय (अग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम आवसीय विद्यायल आदि) निजी संस्थानों एवं शासन, प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक माता–पिता विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि विद्यालय का शैक्षिक एवं समाजिक वातावरण उच्च कोटि का हो ताकि उसमें अध्ययनरत उनके बालकों पर उत्ताम प्रभाव पढ़े जिससे वह उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर सकें और भविष्य में अपने परिवार, समाज एवम कार्यस्थल में समायोजित हो सकें।, विद्यालयी वतावरण की किसी भी विद्यार्थी की भावी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। **क्रो** एवं **क्रो** के अनुसार बालकों के व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव अधिक पड़ता है जिस विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अनुकूल होता है वे जीवन में आगे की ओर अग्रसर होते हैं जब विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उपरान्त घर और विद्यालय के प्रांगण से बाहर निकलता है तो उसके सामने उपलब्धियों को व्यक्त करने की जिम्मेदारी होती है जिसे कुछ बालक अच्छे से निभाते है और कुछ बालक पिछड़ जाते हैं जिसका मूल कारण विद्यालयी वातावरण होता है। विद्यार्थी महत्वकांक्षी तथा जिज्ञासु होते हैं विद्यार्थियों के मस्तिष्क में समय समय पर अनेक प्रश्न एवं जिज्ञासाएं उठती है जिनका समाधान एक अच्छे विद्यालय वातावरण में हो सकता और जिसका सीधा सम्वन्ध विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ा होता है।

शोध समस्या शीर्षक – 'मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन'

शोध अध्ययन की आवश्यकता – बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर उसके विद्यालयीय वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बालकों की उपलब्धियों को स्थापित करने की क्षमता के विकास में उनके शारीरिक एवं मानसिक पक्ष के साथ–साथ विद्यालयीय वातावरण का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। विद्यालयीय वातवरण के अन्तर्गत विद्यालय का परिवेश, शिक्षक, शिक्षा एक अखंड तत्व है बालक का मन कोरे कागज के समान होता है अध्यापक उसे जैसा स्वरूप देना चाहे, वह वैसा ही बन जाता है बालकों को उचित दिशा प्रदान करने के लिए अध्यापक एवं विद्यालय वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर पर सरकारी और स्ववित्त पोषित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय वातवारण के प्रभाव का अध्ययन करना।

2. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातवारण के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. लिंग भेद के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें:

1. सरकारी और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालय वातारवण के कारण सार्थक अंतर होता है।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयीय वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयीय वातवारण के कारण सार्थक अंतर होता है।

अनुसंधान की विधि – अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

अध्ययन हेतु न्यादर्श – प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के सरकारी और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के 320 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जिसमे 160 विद्यार्थी (80 छात्र एवं 80 छात्राएं) ग्रामीण क्षेत्र से है तथा 160 विद्यार्थी (80 छात्र एवं 80 छात्राएं) शहरी क्षेत्र से लिये गए है।

शोध उपकरण – इस शोध हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का संकलन – मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ो का संकलन किया गया है।

चर

स्वत्रन्त्र चर–विद्यालयीय वातवारण, **आश्रित चर–** शैक्षिक उपलब्धि

आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्या:

1. वितपोषित और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन व क्रांतिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
सरकारी विद्यालय	160	54.92	6.40	1.27	सार्थक नहीं
स्ववित्त पोषित विद्यालय	160	53.65	5.85		

प्रयुक्त सारणी में सरकारी और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमश: 54.92 व 53.65 तथा मानक विचलन क्रमश: 6.40 व 5.85 प्राप्त हुआ। इनके मध्य क्रांतिक अनुपात 1.27 है क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 स्तर के न्यूनतम सार्थक मान क्रमश: 1.97 व 2.60 से कम है क्रांतिक अनुपात का मान 0.05 व 0.1 स्तर पर सार्थक नहीं है अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या 1 'सरकारी और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अन्तर होता है', अस्वीकार की जाती है।

2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन, व क्रांतिक अनुपात का विश्लेषण एवमं व्याख्या

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
ग्रामीण	160	52.10	6.33	1.12	सार्थक नहीं
शहरी	160	52.72	7.19		

प्रयुक्त तालिका में ग्रामीण एवमं शहरी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 52.10 व 52.74 तथा मानक विचलन क्रमश: 6.33 व 7.19 है इनके मध्य क्रांतिक अनुपात का मान 1.12 है प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 स्तर के न्यूनतम सार्थक मान क्रमश: 1.97 व 2.60 से कम हैं क्रांतिक अनुपात का मान 1.12 क्रमश: 0.05 व 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या 2 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालयी वातावरण के कारण सार्थक अंतर होता है', अस्वीकार की जाती है।

3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात की व्याख्या एवमं विश्लेषण

	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
छात्र	160	50.13	8.13	1.10	सार्थक नहीं
छात्राएं	160	49.32	7.25		

प्रयुक्त सारणी में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवम छात्राओं के मध्यमान क्रमश: 50.13 व 49.32 एवमं मानक विचलन क्रमश: 8.13 व 7.25 प्राप्त हुए है इनके मध्य क्रांतिक अनुपात 1.10 है क्रांतिक अनुपात का मान सारणी में 0.05 व 0.01 के स्तर के न्यूनतम सार्थक मान 1.97 व 2.60 से कम है अत: हमारी परिकल्पना क्रमांक संख्या–3 'माध्यमिक विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

शोध निष्कर्ष:

1. सरकारी एवम स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वतावरण के कारण सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालयी वातावरण के कारण कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. आदित्य, प्रमोद कुमार (1994)– 'अनुसूचित जनजाति की छात्र–छात्राओं को के आत्मबोध का शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभावी का अध्ययन', लघु शोध प्रबन्ध, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

बिलासपुर।

2. गुप्ता, एस. पी. (2002)– 'आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन', शारदा पुस्तक भवन, 11 यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।
3. यादव, शर्मिला सिंह, जे.डी. (2013)– 'राजस्थान के अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तथा शिक्षक मनोबल का अध्ययन', जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 28(4), पेज नं–37–46, 2016
4. अग्रवाल, स्वेता (2015)– 'उच्च माध्यमिक बालक एवं बालिका विद्यालयी के संगठनात्मक वातवारण का तुलनात्मक अध्ययन', जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जुलाई 2015
5. राय, पारस नाथ (2013)– अनुसंधान परिचय, अग्रवाल पब्लिशर्स, आगरा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Screen Addiction: A Threat to the World, Specially to Children

Dr. Monisha Biswal*

***Assistant Professor, Ganjam Law College, Berhampur (Odisha) INDIA**

"Addiction is a prison where you are both the suffering prisoner and the cruel warden; every addiction, without exception, enslaves the mind and damages the soul."
— Dr. Gabor Maté

Introduction - Screen addiction, marked by compulsive use of digital devices, poses a significant threat globally, including in India. Its physical, psychological, and social repercussions jeopardize individual and societal health. To combat this issue, implementing strict laws regulating screen time and encouraging healthier habits is essential. Legislation should set age limits for device access, mandate educational programs about excessive usage dangers, and require tech companies to limit addictive features. These actions can foster a safer digital space prioritizing well-being over unrestricted device use.(Jain et al., 2023). Children constitute the most vulnerable demographic; in India, approximately 56% of young people aged 5 to 16 suffer from problematic use and overuse of information and communications technology (Loganathan & Ramadurai, 2020). Illuminating the cultural environment in which Indian children develop, this chapter provides a crucial point of departure for subsequent investigation of screen addiction, health and education, parental mediation, industry responsibility, and policy responses.

Understanding Screen Addiction: Screen addiction is a behavioral addiction marked by compulsive and excessive screen use, affecting physical, psychological, and social health. Common symptoms include preoccupation with screens, withdrawal anxiety, increased tolerance requiring longer usage, inability to control use despite negative effects, mood changes, and neglecting previous interests. (Jain et al., 2023)(Moitra & Madan, 2022)

Adult global screen use averages more than 6 hours/ day. Among children aged 10–15 years, 82.4% exceed recommended limits, 70% report addiction symptoms, and 68.1% exhibit social networking addiction (Ilamparithi, 2018). The following discusses addiction's effects on health and education.

Screen addiction is a compulsive, excessive use of screen devices, impacting users psychologically, emotionally, socially, and academically. Larry Rosen's "Virtual Addiction" highlights the Internet's high addiction rating, making it a major global mental disorder. Continuous screen use leads to unhealthy habits, attention deficits, irritability, memory issues, and self-control loss. It alters a child's psychology, affecting their livelihoods and education, and causes sleep disturbances and reduced physical activity.

The world is highly digitalized, with human activities relying on devices. Children aged 8 to 18 spend an average of 4 hours and 44 minutes daily on screens, extending to over 6 hours with unstructured media. This may exceed averages in some areas. Children's awareness of screen time dangers is unclear, and the variety of apps and games can foster addiction. Research on internet influences in India is still limited. (Ishtiaq et al., 2021)

Impact of Screen Addiction on Children: The changing work environment has made gadgets essential, with increased reliance on mobile phones for TV, gaming, and social media. Children often imitate adults, underline the need for responsible behavior. Schools should manage screen time to limit mobile use, as monitoring is crucial to prevent addiction, especially among younger children affected by remote learning. Excessive screen time can hinder cognitive and emotional growth, leading to inactivity, sleep issues, obesity, and language delays. Parents must promote a balance of screen use and other activities, as many children lack awareness of responsible device use. Screen time can be addictive, causing anxiety and depression. With lower cellular data costs, India sees unprecedented access to screen media. While screens can aid in learning social skills, excessive use hampers real-life interactions and physical activity, with about 20% of children not exercising outdoors and 50% spending less than an hour outside daily, negatively impacting their health and educational success. (Jain et al., 2023)(Ilamparithi, 2018).(Moitra & Madan, 2022)(K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)(Hou et al., 2022)(S Nakshine et al., 2022)(Moitra & Madan, 2022)

While ICT fosters online exploration via apps and games, excessive smartphone usage raises concerns, especially in India's growing ICT user base born in the 2000s, leading to developmental challenges and parental

control issues. This addiction can hinder creativity, visual memory, and attention spans. Parental worries about uncontrolled ICT are valid. Addressing tech addiction needs systemic solutions for better child engagement management and parental oversight, utilizing TRIZ-based methods. Decreased parental guidance has shifted children's interactions with peers, changing developmental dynamics. (Loganathan & Ramadurai, 2020)

Cultural Context in India: Recent surveys have revealed that almost half of the children in the 5 to 15 age group who own a smartphone are engrossed in mobile games for more than two hours a day. Indian children spent more hours on mobile daily compared to their counterparts in other nations (Neethu, 2016). The entire media and entertainment industry in India, a significant portion of which is directed at children, witnessed a growth rate of 10.1% in March 2016 on a year-on-year basis, as reported by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Critically, a considerable segment of this growth also emanates from the lower socio-economic strata.

Health studies indicate rising global screen exposure in children, particularly in India. A Bangladesh survey reveals significant smartphone, TV, and video usage. In India, 85% of urban, 62% of rural, and 74% of tribal children aged 3 to 18 engage with digital devices. Higher socio-economic status doubles the risk of excessive screen time, as devices serve as inexpensive 'babysitters.' Permissive caregivers grant young children screen access, while older kids are drawn to gaming, leading to increased usage among Indian youth. (Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

India ranks second globally in mobile phone users, with about 1.14 billion in 2022, just behind China's 1.58 billion. Approximately 830.7 million are smartphone users, expected to grow to 973.6 million by 2027. Children depend heavily on digital media for school and play but often struggle with excessive usage. Parental guidance is crucial in reducing screen addiction among children aged 4-12, according to a study from 22 major Indian cities. Factors such as gender and age influence screen time, while screen addiction poses significant developmental and health risks for Indian children. (Ishtiaq et al., 2021)

The Indian attitude towards technology is complex. Indian youth eagerly adopt it for skills in global competition, yet for some, it serves as an escape from reality. For those without market access, it highlights a divide from tradition and a risk to simpler lifestyles. Perspectives on technology's influence vary by cultural background, modernity, income, and literacy. Young professionals use digital media for self-expression, while others see it as westernization. Older generations often view it as disruptive. Parents and authorities hold mixed opinions, reflecting the dual views on television's impact—negative versus cultural benefits. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Neethu, 2016)

Educational Implications: Excessive screen time negatively impacts children's academic performance, affecting attention and focus physically and causing mental health issues. Schools are crucial in addressing this. Teaching digital literacy helps students navigate the digital world safely, easing the burden on parents and schools. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019) Technological advancements have greatly benefited education during the COVID-19 pandemic by enabling interactive discussions and overcoming pandemic constraints. Reducing screen time by withdrawing these technologies is not practical. Promoting appropriate screen use and encouraging physical activity are crucial. Schools play a key role in spreading digital literacy among youth. While digital literacy initiatives can help address issues of increased screen time, sustained family and government support is essential for continued progress. (Moitra & Madan, 2022)(Ilamparithi, 2018)

Screen addiction negatively impacts children's academic performance by complicating screen time limits and increasing frustration when screens are unavailable. Excessive use diminishes engagement and focus in school, while high gaming hours contribute to stress, anxiety, and hindered success. Issues like fatigue and disrupted sleep from late-night gaming are common. Students with lax parental controls often underperform, highlighting the importance of supervision and digital literacy. Schools must foster responsible screen habits, while initiatives aim to mitigate distractions and support balanced youth development for future opportunities. (Mahmud et al., 2023).(K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)(Ilamparithi, 2018)

Digital literacy programmes can help combat screen addiction in children aged 11–12 by promoting a healthy relationship with digital content and addressing overuse risks. Children should aim for 2 hours of outdoor activity daily, including physical exercise three days a week, and have annual eye assessments. For those under 5, screen time should be limited to 1 hour daily, and screen-free mealtimes are encouraged. Parents should actively monitor usage, model good habits, and establish screen media rules. Encouraging family meals and indoor activities is essential. Policymakers in India need to reassess guidelines to tackle excessive screen time, sleep deprivation, and inactivity in adolescents. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(J. Munsamy et al., 2022)(Moitra & Madan, 2022)

Parental Influence and Responsibility: Parents are increasingly aware of children's screen use. Children spend more time on screens than engaging with parents or in physical play. Parental guidance can help children develop good digital habits, reduce screen time, and convert virtual interest into outside activities. As co-users of screens, parents impact children's effective use of electronic media. Consequently, interventions to reduce inappropriate screen time should target both children and parents, encouraging alternative physical activities (Nwankwo et al., 2019).

Excessive screen use among children raises concerns for families and schools. Parental monitoring is lowest for video games, correlating with increased screen time and

addictive symptoms. Gaming adversely affects socialization and family bonding. Surveys show family meals enhance bonding and support social growth, reducing inequalities. Setting boundaries on screen use can help combat addiction, allowing users to feel in control. Parents and educators must establish reasonable limits on children's screen time to mitigate these risks. (Ishtiaq et al., 2021)(Ilamparithi, 2018)(Moitra & Madan, 2022)(Nwankwo et al., 2019)

The effectiveness of such measures depends on the cooperation of the media and technology industries. Companies can design services that incorporate recommended daily screen time limits and remind users when they have exceeded these thresholds. Enhancing content with harder-to-ignore safety warnings about dangerous side effects can improve message salience and encourage users to adopt healthy habits.

Nonetheless, establishing boundaries and guidelines constitutes a pragmatic approach for managing screen addiction, enabling individuals to balance engagement with their media environments while safeguarding their well-being (Loganathan & Ramadurai, 2020).

Encouraging alternative activities is essential as children gravitate towards screens. While they enjoy creative play, instant online satisfaction can detract from these activities. Families can foster hobbies like singing, dancing, and gardening during home confinement. Providing space can ignite curiosity beyond digital entertainment, regardless of financial limits. Parents can reduce sedentary screen time by enforcing media rules and encouraging indoor exercises like dancing and rope skipping. Families should use stay-at-home periods to share meals, model healthier habits, and strengthen bonds. The home setting often leads to inactivity and excessive screen time, leading parents to feel uncertain about managing usage and worrying about obesity. Guidance is needed to balance screen time, diminish sedentary behavior, and establish shared goals. Future research should focus on interventions replacing screen time with physical activities to enhance motivation and self-efficacy. (Moitra & Madan, 2022)(Nwankwo et al., 2019)

Government and Policy Responses: The proliferation of screens and widespread use of digital platforms have resulted in an escalating number of people addicted to these devices and technologies. Video gaming addiction is a contemporary issue, predominantly among children and young people. Policymakers face significant challenges in formulating effective responses. In other contexts, Hong Kong has implemented extensive initiatives, including educational campaigns and brief group interventions, aimed at promoting the appropriate use of digital and electronic devices among adolescents. These measures serve as pertinent examples for governmental and policy action elsewhere.

Research in Hong Kong emphasizes the urgent need for policies tackling public health issues from excessive internet use, particularly among children and adolescents. Reports from the Centre for Health Protection (2011-2017) reveal alarming internet habits. Organizations such as Tung Wah Group of Hospitals and Hong Kong Christian Service offer integrated treatment and online counseling for addiction and mental health problems. Problematic video gaming is acknowledged as a global health issue, prompting action in countries like China. Promoting parental education and positive youth development is crucial to combat addiction, as excessive screen time endangers children's health, according to experts like the AAP and WHO. The UK has initiated public health campaigns for managing screen time while India is beginning to implement WHO guidelines. (Chung et al., 2018)(Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

To address children's screen addiction, the government must adopt critical policies. First, revise Internet regulations to create safer spaces. Second, provide training and health promotions to assist those struggling with Internet use, focusing on management strategies and raising mental health awareness. Third, improve public support systems for addiction treatment. Fourth, implement practices for Internet-related harm management, including safe social media education. Lastly, monitor global youth Internet use to identify addiction early. In India, Internet addiction affects an estimated 5% to 10% of users, linking increased use to higher college dropout rates, with Ahmedabad studies indicating a strong connection between addiction and mental health issues like depression and anxiety. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)

An investigation into internet addiction prevalence was conducted among high school students in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This research aimed to clarify internet usage patterns, assess socio-demographic influences, and measure addictive behaviors. Internet addiction is a significant issue affecting many. While the internet is beneficial for information and communication, excessive leisure use can result in serious addiction if not managed. (Kumar Sahu et al., 2018)

Technology Industry's Role: Technology companies must address screen addiction by promoting digital wellness and supporting mental health. The government's role is essential in encouraging tech firms to implement changes, while parental oversight is crucial for managing screen time. Screen addiction adversely impacts mental and physical health and education. Identifying benefits amidst pervasive screen use is challenging. India's government is developing regulations for screen usage, requiring comprehensive policies to help screen addicts. Effective management must balance monitoring screen time with privacy rights, potentially needing access to personal data, which younger generations may accept. Establishing safe internet and TV limits requires collaboration among local communities, schools, parents, and the tech industry. (K. Y Kwong & Y.F

Fong, 2019)

Technology companies must address the impact of their products on users, particularly concerning screen addiction, yet interventions are insufficient. Designing products with children's developmental needs in mind fosters learning and safety. Research supports the creation of genuine experiences for children. While companies like Google and Facebook have made strides in developing kid-friendly platforms, stronger commitments to tackle screen addiction are essential. J. P. Floridi's framework on behavioral addiction helps differentiate addiction levels and content, aiding in identifying harmful behaviors. Digital assistants offer limited help, revealing the need for proactive government regulation to define addiction and manage risks effectively. (Langvardt, 2019)

Concern over children's screen addiction highlights the need for tech that encourages healthy use. Despite health features, addiction rates increase. Custom apps can manage screen time and promote positive interactions. Key features include inactivity alerts, parental controls, and usage reports for parents. Since peers impact children's choices, collective use of these technologies may help lower addiction levels. (Loganathan & Ramadurai, 2020) (Nwankwo et al., 2019)

Parents significantly influence healthy screen use in children through their perceptions and monitoring practices. Screen time concerns vary with family circumstances; children of less educated parents or living in rented homes have higher screen use. Families without household rules see 1.60 times more excessive screen use, with 80% of kids without rules watching TV freely and 90% after 20:00, compared to under 20% in rule-abiding families. (K. Y Kwong & Y.F Fong, 2019)

Case Studies: Screen addiction is a growing global concern, prompting the need for intervention models. This paper uses case studies to illustrate addressing digital addictions in children through government policies, school systems, teacher guidelines, and tech collaborations. In India, over the past decade, government guidelines have promoted digital and media literacy, offering schools practical strategies to manage screen time. However, schools must adopt adaptive teaching methods that keep up with technological advancements, as such models remain underexplored both in India and globally. The paper outlines relevant frameworks and presents a new model based on extensive media analysis. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Moitra & Madan, 2022)

The search focused on key phrases like "screen addiction," "screen time," "digital addiction," and others related to children, technology, and mental health in Google Scholar and Google Search. The search was conducted monthly, covering 2021 and 2022 for diversity. Quantitative studies were excluded due to the lack of grounding in data for much media rhetoric on digital addiction. Nevertheless, the insights gained formed a solid foundation for developing more ideas and models.

Many countries, including India, are addressing screen addiction in children. e-Nurture Limited started Digital-Detox Camps for life-skills development and reducing device use. The Centre for Media Studies promoted healthy media interactions. In Hyderabad, the iCARE project engaged students, parents, and teachers in 50 government schools from 2015 to 2017. A study showed digital detox camps led to a 60% reduction in daily screen time for participants.
During the pandemic, children's sedentary behavior doubled due to increased screen time and reduced public transport use, causing older youth to rely more on cars. Indian studies highlight worsened sleep and psychological issues among children during COVID-19. While about 60% of children meet physical activity guidelines, wealthier youth tend to participate more in organized sports. Adolescents in high-income countries are generally more active. Policymakers need effective interventions to boost physical activity, reduce sedentarism, and promote active transport, incorporating community input for better risk management. (Moitra & Madan, 2022)(Loganathan & Ramadurai, 2020)

Future Trends: Future entertainment technologies—augmented reality, virtual assistants, and brain-computer interfaces—will likely increase children's screen time and lower the age of introduction. Media will become realistic and immersive, often competing with outdoor activities. Impact on screen time varies by digital literacy and socio-economic status, raising concerns about children's well-being, especially in India. (Loganathan & Ramadurai, 2020)(Jain et al., 2023)(Moitra & Madan, 2022)

The rise of screen-based devices has created societal issues, notably screen addiction affecting all ages, particularly children. In countries such as India, where digital devices are widespread, children encounter substantial risks associated with this addiction, influenced by social factors and device accessibility. Analyzing contemporary Indian culture is crucial for tackling the causes and obstacles of screen addiction. The article examines screen addiction traits and assesses the effects of cultural and socio-economic elements on Indian children, emphasizing challenges from the constant presence of digital devices.
Recent developments in digital technology have made exploring culture easier, especially through on-demand web streaming of videos and documentaries, even during commutes. The shift from cable to OTT platforms, particularly Video-on-Demand, has altered viewing habits. However, challenges like channel overload and binge-watching contribute to addiction, stress, and disrupted sleep. Though it enhances real-time experiences, digital evolution poses psychological challenges that threaten mental well-being, leading to issues, especially among youth. (Chandra et al., 2023)

Emerging technologies for entertainment (playscape, TV, games, smartphones, social networks, video-on-demand, virtual reality, video-conferencing, augmented

reality, digital learning, metaverse) are popular among children, driven by global and Indian smartphone usage. The rising demand for telepresence highlights the significance of AR, MR, and VR in future multimedia services, as seen with Oculus and HoloLens. This trend will shift children's screen time from traditional media to innovative platforms, supported by India's vast digital landscape—over 700 million internet users and nearly 900 million mobile users—which is likely to enhance these developments. (Ishtiaq et al., 2021)(Jain et al., 2023)

Conclusion: Screen time has increased phenomenally among children globally in general; and in India, in particular, the demand for internet and video games has grown exponentially. New applications and websites have hooked youngsters to the internet in a broad spectrum of activities such as gaming, surfing, chatting, gambling, shopping, video calling, social networking and online learning. An addictive pattern to the internet and ICCs has developed in many youngsters globally and / or in India. The symptoms of screen addiction include loss of control, withdrawal, preoccupation, mood modification, and development of tolerance (Loganathan & Ramadurai, 2020). Children are the most vulnerable to screen addiction and its dangerous fallout such as depression, isolation, and adverse health effects. The Indian cultural ethos encourages strong parental supports and close-knit family characteristics that place the youngsters on a value track as well as on a track of effective monitoring and counseling. It is therefore essential to understand the India-specific profile of screen usage for framing effective policies and action plans for handling the menace and safeguarding the health of Indian children (Moitra & Madan, 2022). Children using screens and internet for extended hours and consuming highly inappropriate content on a continuous basis is not without harm. Deleterious impact has been confirmed on their social, physical and mental wellbeing as well as on the quality of learning and overall academic performance. This also damages the plot of the culture and the ethos of our great civilisation. Screen addiction is addictive because it triggers off a parasympathetic nervous system response similar to the effect of relaxation drugs, alcohol, and tobacco products. Besides medical guidelines, the problem calls for active interventions by the schooling system, curriculum design, parents, guardians and statutory bodies at the national and regional levels.

References:-

1. Jain, S., Shrivastava, S., Mathur, A., Pathak, D., & Pathak, A. (2023). Prevalence and Determinants of Excessive Screen Viewing Time in Children Aged 3–15 Years and Its Effects on Physical Activity, Sleep, Eye Symptoms and Headache. ncbi.nlm.nih.gov
2. Loganathan, M. & Ramadurai, B. (2020). Application of ARIZ to Social Issues: Case of ICT Device Addiction in Pre-teen Children in India. osf.io
3. Moitra, P. & Madan, J. (2022). Impact of screen time during COVID-19 on eating habits, physical activity, sleep, and depression symptoms: A cross-sectional study in Indian adolescents. ncbi.nlm.nih.gov
4. Ilamparithi, P. (2018). Association between "Screen Time" and behavioral health problems among urban and rural students. [PDF]
5. S Nakshine, V., Thute, P., Nazli Khatib, M., & Sarkar, B. (2022). Increased Screen Time as a Cause of Declining Physical, Psychological Health, and Sleep Patterns: A Literary Review. ncbi.nlm.nih.gov
6. Ishtiaq, A., Ashraf, H., Iftikhar, S., & Baig-Ansari, N. (2021). Parental perception on screen time and psychological distress among young children. ncbi.nlm.nih.gov
7. K. Y Kwong, C. & Y.F Fong, B. (2019). Promotion of Appropriate Use of Electronic Devices Among Hong Kong Adolescents. [PDF]
8. Hou, C. Y., Rutherford, R., Chang, H., Chang, F. C., Shumei, L., Chiu, C. H., Chen, P. H., Chiang, J. T., Miao, N. F., Chuang, H. Y., & Tseng, C. C. (2022). Children's mobile-gaming preferences, online risks, and mental health. ncbi.nlm.nih.gov
9. Neethu, J. (2016). A comparative study to assess the usage of electronic media and its impact on the traditional play, health and wellbeing with a view to provide an information booklet and need-based education to the school children in selected schools in the urban and rural areas - Coimbatore. [PDF]
10. Mahmud, S., Abdullah A. Jobayer, M., Salma, N., Mahmud, A., & Tamanna, T. (2023). Online gaming and its effect on academic performance of Bangladeshi university students: A cross sectional study. ncbi.nlm.nih.gov
11. J. Munsamy, A., Chetty, V., & Ramlall, S. (2022). Screen-based behaviour in children is more than meets the eye. ncbi.nlm.nih.gov
12. Nwankwo, F., Shin, H. D., Al-Habaibeh, A., & Massoud, H. (2019). Evaluation of children's screen viewing time and parental role in household context. [PDF]
13. Chung, T., Sum, S., & Chan, M. (2018). Time to call for a global public health approach in prevention of the onset and progression of problematic gaming : Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018). [PDF]
14. Kumar Sahu, R., Mahendra Simha Karna, S. M., & Singh Rajput, D. (2018). Internet Addiction: A Comparative Study Among Children in the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. [PDF]
15. Langvardt, K. (2019). Regulating Habit-Forming Technology. [PDF]
16. Chandra, V., Gaidhane, A., G Choudhari, S., & Quazi Syed, Z. (2023). Digital Dilemmas: A Comprehensive Review of the Psychosocial and Sleep Effects of Web Streaming on the Indian Youth. ncbi.nlm.nih.gov

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

सुनीता सोलंकी* डॉ. लक्ष्मी अग्निहोत्री**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (गृह विज्ञान) सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोधकार्य हेतु झाबुआ जिले की आदिवासी 80 बालिकाओं (40 साक्षर माताओं की एवं 40 असाक्षर माताओं की) का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है। आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के मापन के लिए स्वनिर्मित अनुसूचि को लिया गया है। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है। इस प्रांरभिक मार्गदर्शन अध्ययन से प्राप्त विभिन्न परिणामों के गहन विश्लेषण से निष्कर्षत: यह ज्ञात हुआ कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया तथा साक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाएं, असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की तुलना में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक पाई गयीं।

शब्द कुंजी – झाबुआ जिला, आदिवासी माता, शिक्षा, स्वास्थ्य की जागरूकता।

प्रस्तावना – हमारे देश भारत का वर्तमान विश्व के औद्योगिक व विकासशील देशों में एक प्रमुख स्थान है। शिक्षा एवं तकनीकी विकास के बढ़ते हुये प्रभाव के कारण आज हमारा देश विश्व के प्रमुख शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देशों में शामिल है। यहां की शस्य-श्यामला भूमि बहुत ही उपजाऊ है। यहां के लगभग 70 % व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न हैं। यहां के लघु व कुटीर उद्योग तीव्रता से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। आज कृषि हो या विज्ञान, उद्योग हो या व्यापार सभी क्षेत्रों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। साथ ही वर्तमान समय में चिकित्सा तथा परिवहन आदि की सुविधाएं भी पर्याप्त हो चुकी हैं।

वर्तमान में मीडिया तथा जनसंचार के साधनों के बढ़ते प्रसार एवं उसके प्रभाव के कारण हम भारतीयों विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोगों के रहन-सहन, जीवन स्तर तथा खानपान में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है, लेकिन वर्तमाान में भी अधिकांशत: भारतीय समाज ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है एवं वह आधुनिक सभ्यता व चकाचौंध से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ है तथा जो वह आज भी मानव समूह में निवास करते हैं, जो जनजाति, वन्यजाति, आदिवासी आदि के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में इन लोगों को ही अनुसूचित जनजाति कहते हैं।

आदिवासी लोग अभी भी सुन्दर वनों की दुनिया में निवास करते हुए पश्चिमी सभ्यता से कोसों-मीलों दूर रहकर अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। इनकी अपनी रीति-रिवाज, खानपान, वेशभूषा, रहन-सहन, भाषा-बोली एवं विवाह पद्धति आदि हैं, जिन्हें जनजातीय समाज कहते हैं।

यह जनजातियां, मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पायी जाती हैं। परिवारगत, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी विभिन्नताओं के कारण मध्यप्रदेश का विविधवर्णी आदिवासी संसार अपनी विलक्षण जटिलताओं के कारण विकास की मुख्य धारा से अलग-अलग रहा है।

मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से गोंड, कोरकू, बैगा, उरांव, मुरिया, मडिया, हलवा, भील आदि जनजाति निवास करती हैं। यह 46 जनजाति एवं उपजातियां प्रदेश के जिले जैसे - बैतूल, मण्डला, होशंगाबाद, झाबुआ आदि में निवास करती हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक संरचना, धार्मिक आस्था और भाषा-बोली में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। साथ ही भोजन की आदतें, रहन-सहन का तरीका अलग है। ये स्वयं के स्वास्थ्य एवं पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक स्तर, अज्ञानता, अशिक्षा का अभाव एवं असामाजिक कुरीतियों का न्यूनतम स्तर आज भी इन परिवारों में स्थित है। आज भी बालिका अपने पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। परिणामस्वरूप इनका स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर गिर रहा है। इस अवस्था में बालिका का जीवन महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में बालिकाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इसलिए इस शोध माध्यम से झाबुआ जिले में निवास कर रही साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया किया गया हैं।

समस्या का औचित्य – कहा गया है कि,**'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।'** यह बात अक्षरश: सत्य है क्योंकि यह भी कहा जाता है कि, **'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'**

उक्त पंक्तियाँ स्वास्थ्य की महता को परिलक्षित करती है जिस देश की जनसंख्या स्वस्थ होगी वह देश समूचे विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित होगा।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने बालिका स्वास्थ्य से संबंधित पूर्व में हुए शोध कार्यो का अध्ययन किया और इस कार्य का चुनाव किया। शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जाती है जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा व स्वच्छता संबंधी सुरक्षा का संज्ञान हो।

अत: प्रस्तुत शोध का औचित्य यह ज्ञात करना है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के कारण आदिवासी माताओं की शिक्षा पर जो असर हुआ है, उसका उनकी बालिकाओं की स्वास्थ्य के जागरूकता पर कितना असर हुआ है।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

(क) आदिवासी – आदिवासी शब्द दो शब्दों – आदि + वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ 'मूल निवासी' होता है।

(ख) स्वास्थ्य – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सन् 1948 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी – दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ होना (समस्या विहीन होना) ही स्वास्थ्य है।

(ग) जागरूकता–इसका अर्थ है–निद्रा शून्यता,संचेतता, जागरणशीलता। जागरूकता एक मानसिक भाव है जिसका अर्थ है – बोध सहित जानना।

प्रस्तुत शोध से संबंधित पूर्व में भी कुछ शोध कार्य किये गये हैं जैसे:–

- **सोनेकर, बी. एल. (2014)** ने 'महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' विषय पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षत: ज्ञात हुआ कि गर्भवती महिलाओ में खून की कमी (एनीमिया) मुख्य समस्या पाई गई। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसूती मृत्युदर भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पाई गई।
- **ठाकुर, रचना एवं अन्य (2015)** ने 'मध्य भारतीय शहर (सागर) के लड़कों और लड़कियों के बीच पोषण की स्थिति' का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षत: ज्ञात हुआ कि लैंगिक असमानताओं को खत्म करने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बहुत आवश्यकता है।
- **वर्मन, पुष्पिता; महंता, तुलिका गोस्वामी एवं बरुआ, आलोक (2015)** ने 'असम राज्य के डिब्रुगढ़ शहर की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 15 से 19 आयु वर्ग की किशोरावास्था की छात्राओं की सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन' विषय पर एक शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षत: ज्ञात हुआ कि 34.40 % छात्राओं में दुबलापन, 5.00 % छात्राओं में अत्यधिक दुबलापन, 7.00 % छात्राओं में अधिक वजन पाया गया। 62.00 % किशोरियों में एक या एक से अधिक बीमारी पाई गई।
- **सेठ, नकुल एवं स्वेन, कविता (2018)** ने 'उड़ीसा के कोरापुर जिले की परोजा जनजाति की किशोरावस्था की छात्राओं की समस्याओं का अध्ययन' विषय पर एक शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षत: ज्ञात हुआ कि 78.93 % छात्राओं का मानना था कि वह रक्तस्त्राव के समय सेनेटरी पैड उपयोग करती हैं। 16.79 % छात्राओं का मानना था कि वह 2–3 पैड उपयोग करती हैं जबकि 4.29 % छात्राओं का मानना था कि वह 3 अधिक सेनेटरी पैड उपयोग करती है। मासिक चक्र के समय छात्रावास में रहने वाली 88.29 % छात्राएँ सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं जबकि 11.71 % छात्राएँ कपड़े का उपयोग करती हैं। न्यादर्श में चुनी गई छात्राओं में से 36 छात्राएँ विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त पाई गईं, जिनमें से 6 तनाव, 3 चिंता, 5 अवसाद व अकेलापन, 3 अक्रामकता, 8 कुसमायोजन, 1 आत्महत्या की प्रवृत्ति तथा 10 छात्राएँ बुरी लतों से ग्रसित पाई गईं।
- **किरण, शंकुन्तला (2019)** ने 'समाज में महिला स्वास्थ्य एवं पोषण की धारणा' विषय पर शोध लेख लिखा। अपने शोध लेख में उन्होंने बताया कि पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य की एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन में उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए।
- **स्वाति (2019)** ने 'ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार संबंधी चेतना : टांडाहेडी ग्राम का अध्ययन' विषय पर शोध कार्य किया। इस अध्ययन के निष्कर्षत: ज्ञात हुआ कि 70 % महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक नहीं थीं जबकि सिर्फ 30 % महिलाएँ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक पाई गईं। 40 % महिलाएँ बीमार पड़ने की स्थिती में घर पर ही दवा मँगा लेती हैं, 20 % महिलाएँ घरेलू उपाय करती हैं। सिर्फ 30 % महिलाएँ ही बीमार होने पर अस्पताल जाती हैं तथा 10 % महिलाएँ विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेती हैं।
- **नुसरत (2019)** ने 'दलित महिलाओं के समक्ष स्वास्थ्य संबन्धी चुनौतियाँ : कारण तथा बचाव' विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध पत्र के निष्कर्षस्वरूप ज्ञात हुआ कि दलित महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनेक कारण हैं जिनके प्रमुख कारण– महिलाओं का समाज में निम्न स्तर, गरीबी, अनियमित आहार, कार्य करने की खराब दशाएँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ मुख्य रूप से पाए गए।
- **अंजना कुमारी (2020)** ने 'ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में आहार एवं पोषण का स्वास्थ्य से सम्बन्ध' विषय पर शोध लेख लिखा। अपने शोध लेख में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार एवं पोषण को बहुत अधिक महत्व है। अच्छे पोषण के बिना किसी भी व्यक्ति का स्वथ्य रहना सम्भव नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

उपकरण – प्रस्तुत शोधपत्र में झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित स्वास्थ्य जागरूकता अनुसूचि का उपयोग किया गया है।

विधि – प्रस्तुत शोध हेतु झाबुआ जिले की कुल 80 बालिकाओं (40 साक्षर माताओं की एवं 40 असाक्षर माताओं की) का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा करके इन लोगों पर स्वनिर्मित स्वास्थ्य जागरूकता अनुसूचि का प्रशासन किया गया तथा मॉस्टर शीट तैयार की गई। % एवं काई वर्ग परीक्षण के द्वारा संकलित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

परिणामों का विश्लेषण

परिकल्पना – झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया

जायेगा।

सारणी – 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखनेय की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 28 (70.00%) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, 2 बालिकाएं (5.00 %) ऐसा नहीं मानती हैं जबकि 10 बालिकाओं (25.000%) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का थोड़ा–बहुत ध्यान रखा जाता है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 17 (42.50 %) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, 9 बालिकाएं (22.50 %) ऐसा नहीं मानती हैं जबकि 14 बालिकाओं (35.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का थोड़ा–बहुत ध्यान रखा जाता है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग' का यह मान 7.81 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त यकाई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखनेय की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी – 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 25 (62.50 %) का मानना था कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह अस्पताल में ईलाज करवाती हैं, 14 बालिकाएं (25.00 %) स्वास्थ्य खराब होने पर घरेलू ईलाज करती हैं जबकि 5 बालिकाओं (12.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य खराब होने पर झाड़–फूंक करवाती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 18 (45.00 %) का मानना था कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह अस्पताल में ईलाज करवाती हैं, 6 बालिकाएं (15.00 %) स्वास्थ्य खराब होने पर घरेलू ईलाज करती हैं जबकि 16 बालिकाओं (40.00 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य खराब होने पर झाड़–फूंक करवाती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग' का यह मान 7.90 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में अस्पताल में ईलाज करवाने वालों की संख्या सर्वाधिक 43 (53.75 %) जबकि घरेलू ईलाज करवाने वालों की संख्या सबसे कम 16 (20.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी – 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 21 (52.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन का अक्सर उपयोग करती हैं, 3 बालिकाएं (7.50 %) अक्सर इनका उपयोग नहीं करती हैं जबकि 16 बालिकाओं (40.00 %) का मानना था वह स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन का उपयोग कभी–कभी करती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 25 (62.50 %) का मानना था कि वह स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन का अक्सर उपयोग करती हैं, 2 बालिकाएं (5.00 %) अक्सर इनका उपयोग नहीं करती हैं जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %) का मानना था वह स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन का उपयोग कभी–कभी करती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन के उपयोग' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ यकाई वर्ग' का यह मान 0.86 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से कम है, जो कि सार्थक नहीं है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार के भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) का अक्सर उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 46 (57.50 %) जबकि घर के बहार के भोजन का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 5 (6.25 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल भी सार्थक तथा वास्तविक अंतर नहीं पाया गया।

सारणी – 04 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करनेय की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 26 (65.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है, 2 बालिकाएं (5.00 %) यह मानती हैं कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %)

का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय कभी-कभी सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 16 (40.00 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है, 5 बालिकाएं (12.50 %) यह मानती हैं कि उनके द्वारा माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि 19 बालिकाओं (47.50 %) का मानना था कि उनके द्वारा माहवारी के समय कभी-कभी सेनेटरी पैड का उपयोग किया जाता है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करनेय की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.17 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 42 (52.50 %) जबकि माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 6 (7.50 %) पाई गई। गणना से प्राप्त यकाई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यमाहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करनेय की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 05 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 27 (67.50 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेती हैं, 1 बालिका (2.50 %) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेती है जबकि 12 बालिकाओं (30.00 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कभी-कभी लेती हैं। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 18 (45.00 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेती हैं, 7 बालिकाएं (17.50 %) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेती हैं जबकि 15 बालिकाओं (37.50 %) का मानना था कि वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कभी-कभी लेती हैं। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.63 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेने वालों की संख्या सबसे कम 8 (10.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यसरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेनेय की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

सारणी - 06 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी में दर्शाये हुए झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी से संबंधी परिणामों से दिख रहा है कि साक्षर माताओं की बालिकाओं में से 30 (75.00 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध है, 3 बालिकाओं (7.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध नहीं है जबकि 7 बालिकाओं (17.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए थोड़ा-बहुत सामान उपलब्ध है। असाक्षर माताओं की बालिकाओं में से 19 (47.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध है, 8 बालिकाओं (20.00 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध नहीं है जबकि 13 बालिकाओं (32.50 %) का मानना था कि उनके घरों में प्राथमिक उपचार के लिए थोड़ा-बहुत सामान उपलब्ध है। इस सारणी में दर्शाये हुए परिणामों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी हेतु प्राप्त हुआ 'काई वर्ग' का यह मान 6.54 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक है, जो कि सार्थक है।

अत: इन परिणामों से हम यह निष्कर्षत: बता सकते हैं कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 49 (61.25 %) जबकि घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान'की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया। उपरोक्त सभी सारणियों के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गयी परिकल्पना 'झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' अस्वीकृत की जाती है क्योंकि सारणी क्रमांक 01, 02, 04, 05, 06 में काई वर्ग परीक्षण के मान क्रमश: 7.81, 7.90, 6.17, 6.63, 6.54 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से अधिक ज्ञात हुये हैं, जो कि सार्थक हैं जबकि सिर्फ सारणी क्रमांक 03 में काई वर्ग परीक्षण का मान 0.86 स्वतंत्रता कोटि के स्तर 2 के लिए सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान 5.991 से कम ज्ञात हुआ है, जो कि सार्थक नहीं है।

निष्कर्ष- उपरोक्त सभी सारणियों में संकलित प्रदत्तों के विश्लेशण परिकल्पना के आधार पर परिणाम प्राप्त हुए हैं -

1. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की

बालिकाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखनेय की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

2. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में अस्पताल में ईलाज करवाने वालों की संख्या सर्वाधिक 43 (53.75 %) जबकि घरेलू ईलाज करवाने वालों की संख्या सबसे कम 16 (20.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

3. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार के भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) का अक्सर उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 46 (57.50 %) जबकि घर के बहार के भोजन का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 5 (6.25 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल भी सार्थक तथा वास्तविक अंतर नहीं पाया गया।

4. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने वालों की संख्या सर्वाधिक 42 (52.50 %) जबकि माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं करने वालों की संख्या सबसे कम 6 (7.50 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

5. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या सर्वाधिक 45 (56.25 %) जबकि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं लेने वालों की संख्या सबसे कम 8 (10.00 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

6. झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं में घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता रखने वालों की संख्या सर्वाधिक 49 (61.25 %) जबकि घर में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त सामान की उपलब्धता नहीं रखने वालों की संख्या सबसे कम 11 (13.75 %) पाई गई। गणना से प्राप्त 'काई वर्ग' परीक्षण मान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के 'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान'की जानकारी संबंधी मतों में बिल्कुल सार्थक तथा वास्तविक अंतर पाया गया।

अत: उपरोक्त सभी निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया तथा साक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाएं, असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं की तुलना में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक पाई गयीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

पुस्तकें :-

1. अरोरा, सन्तोष (2014) : **पापुलेशन एण्ड एजुकेशन प्राब्लम्स,** वन इण्डिया इकोनोमिक वीकली, दिल्ली, दिसम्बर 2014
2. इन्द्रोलिया, रघुवीर (2010) : **ग्रामीण भारत में कुपोषण समस्या एवं समाधान,** रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, राजस्थान।
3. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ (2013) : **सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ,** विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. नारायण, सुधा (1998) : **आहार नियोजन,** रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
5. राणावत, रमा (2010) : **भोजन और स्वास्थ्य,** विश्वभारती पब्लिकेशन।
6. शर्मा, श्रीनाथ (2011) : **मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियां,** मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
7. स्वामीनाथन, एम. (2008) : **आहार एवं पोषण,** एन.आर. ब्रदर्स प्रकाशक, इन्दौर।
8. वर्मा, ओमप्रकाश (1987) : **सामाजिक शोध तथा सर्वेक्षण,** सरस्वती सदन, दिल्ली।
9. डॉ. सानी रामगोपाल: **उदयोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा, पृ.सं.6**
10. डॉ. प्रसाद, ज्योति, श्रीवास्तव, सीमा एवं श्रीवास्तव अनन्ता: **आधारीय पोषण पृ.सं.3**

Related Research:-

1. **अंजना कुमारी (2020)** 'ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में आहार एवं पोषण का स्वास्थ्य से सम्बन्ध', *International Journal of Applied Research, Volume 6, Issue 7, 2020, Page No. 46-47*
2. **Barman, Pushpita; Mahanta, Tulika Goswami and Barua, Alok (2015)** "Social health problem of adolescent girls aged 15-19 year living in slums of Dibrugarh Town, Assam", *Clinical Epidemiology and Global Health, Volume 3, 2015, Page No. 49-53*
3. **किरण, शंकुन्तला (2019)** 'समाज में महिला स्वास्थ्य एवं पोषण की धारणा', International Journal of Advanced Academic Studies, Volume 1, Issue 1, 2019, Page No. 67-68
4. **नुसरत (2019)** 'दलित महिलाओं के समक्ष स्वास्थ्य संबन्धी चुनौतियाँ : कारण तथा बचाव', Journal of Acharaya Narendra Dev Research Institute, Volume 28, June-August 2019, Page No. 148-152

5. Seth, Nakul and Swain, Kabita (2018) "Assessment of Problems of Adolescent Girls Among Paroja Tribe of Koraput District, Odisha", Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Volume 5, Issue 11, November 2018, Page No. 602-612
6. **सोनेकर, बी.एल. (2014)** 'महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', International Journal Reviews and Research in Social Science, Volume 2, Issue 2, April-June 2014, Page No. 124-127
7. **स्वाति (2019)** 'ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एवं उपचार संबंधी चेतना : टांडाहेडी ग्राम का अध्ययन', Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Volume 6, Issue 3, March 2019, Page No. 456-461
8. **ठाकुर, रचना और गौतम, के. राजेश (2015)** 'मध्य भारतीय शहर (सागर) के लड़कों और लड़कियों के बीच पोषण की स्थिति', मानवशास्त्रीय समीक्षा, वॉल्यूम-78(2), पृष्ठ क्रमांक 197-212.

सारणी - 01: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यव्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखनेय की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		थोड़ा-बहुत			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	28	70.00	2	5.00	10	25.00	7.81	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	17	42.50	9	22.50	14	35.00		
कुल	**80**	45	56.25	11	13.75	24	30.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 02: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा 'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज करवाने के प्रकार' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		अस्पताल		घरेलू ईलाज		झाड़-फूंक			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	25	62.50	10	25.00	5	12.50	7.90	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	18	45.00	6	15.00	16	40.00		
कुल	**80**	43	53.75	16	20.00	21	26.25		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी - 03: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यस्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन (जंकफूड, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स आदि) के उपयोग' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'स्वास्थ्य के लिए नुकयानदायक घर के बहार का भोजन के उपयोग' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	21	52.50	3	7.50	16	40.00	0.86	0.05 स्तर पर असार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	25	62.50	2	5.00	13	32.50		
कुल	**80**	46	57.50	5	6.25	29	36.25		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर - 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान - 5.991

सारणी – 04: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यमाहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करनेय की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'माहवारी के समय सेनेटरी पैड का उपयोग करने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	26	65.00	1	2.50	13	32.50	6.17	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	16	40.00	5	12.50	19	47.50		
कुल	**80**	42	52.50	6	7.50	32	40.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर – 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान – 5.991

सारणी – 05: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं द्वारा यसरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेनेय की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		कभी-कभी			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	27	67.50	1	2.50	12	30.00	6.63	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	18	45.00	7	17.50	15	37.50		
कुल	**80**	45	56.25	8	10.00	27	33.75		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर – 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान – 5.991

सारणी – 06: झाबुआ जिले की साक्षर एवं असाक्षर आदिवासी माताओं की बालिकाओं के यघर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी से संबंधी परिणाम

बालिकाओं का समूह	कुल संख्या	'घर में प्राथमिक उपचार के लिए उपलब्ध सामान' की जानकारी संबंधी मत						'काई वर्ग' का मान	सार्थकता का स्तर
		हाँ		नहीं		थोड़ा-बहुत			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%		
साक्षर माताओं की बालिकाएं	40	30	75.00	3	7.50	7	17.50	6.54	0.05 स्तर पर सार्थक
असाक्षर माताओं की बालिकाएं	40	19	47.50	8	20.00	13	32.50		
कुल	**80**	49	61.25	11	13.75	20	25.00		

स्वतंत्रता कोटि का स्तर – 2 सार्थकता के 0.05 स्तर हेतु सारणीय मान – 5.991

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका

कु. स्तुति झा* डॉ. विभा वासुदेव**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत
**प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी देश के विकास में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में अत्यंत परिवर्तन हुआ है। वैदिक काल में **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमंते तत्र देवता:'** की विचारधारा देखने को मिलती है, तत्पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। इसके बाद आधुनिक और स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए गए जिसमें सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शोध पत्र में महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भूमिका का अध्ययन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना है। मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र शासित एवं राज्य शासित योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है–

लाड़ली लक्ष्मी योजना – यह राज्य शासित योजना बालिकाओं के विकास के लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच का विकास करना, प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना है। इस योजना से बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इस योजना से बालिकाओं के सर्वाधिक विकास को सुरक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। यह योजना बाल विवाह की रोकथाम में सहायक साबित होगी।

लाडो अभियान– मध्य प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जन समाज में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम हेतु मानसिकता में सकारात्मक बदलाव करना है। यह अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना– यह केंद्र शासित योजना भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ–साथ उनके द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रमुख प्रावधान महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5000 रुपए दो किश्तों में प्रदान करना है एवं द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर 6000 रुपए एक किश्त में प्रदान करना है।

शक्ति सदन– भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वाधार योजना एवं उज्जवला योजना का विलय कर शक्ति सदन के नाम से नई योजना 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अंश 60: 40 के अनुपात में रहेगा। इस योजना में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण का निर्माण करना, महिला तस्करी की रोकथाम करना, अनैतिक व्यापार में गई महिलाओं सहित संकट में फंसी हुई महिलाओं को विकट परिस्थितियों से निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

लाड़ली बहना योजना– यह राज्य शासित योजना मध्य प्रदेश में 28 जनवरी 2023 को लागू की गई है। इस योजना में महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया है। इस योजना की सहायता से महिलाओं में परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबन और परिवार में उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में निरंतर सुधार बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, साथ ही महिलाओं की परिवार में निर्णय लेने की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना हैं। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए प्रदान किया जा रहे हैं। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके स्वरोजगार के संसाधनों को विकसित करेंगी एवं समाज और परिवार में उनकी भूमिका सशक्त हो सकेगी।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर प्रभाव– महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त हुई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं पर निम्न प्रभाव परिलक्षित होते हैं–

1. **सामाजिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का समाज पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, समाज में महिलाओं की भूमिका सशक्त हुई है।

2. **आर्थिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से राशि प्रदान करती है, जिससे वह स्वयं के अपने खर्च चला पाती है।

3. **राजनीतिक प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का महिलाओं पर राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। महिलाएं राजनीतिक निर्णय स्वयं कर रही है तथा अपनी पसंद की सरकार को चुन रही है।

4. **रोजगार पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों द्वारा अपने स्वरोजगार को प्राप्त कर रही है।

5. **स्वास्थ्य पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं में कुपोषण को दूर करने एवं बीमारी की रोकथाम करने हेतु प्रयास किए गए हैं।

6. **पारिवारिक भूमिका में बदलाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की पारिवारिक भूमिका में बदलाव आया है। अब महिलाएं भी परिवार एवं समाज में पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती हैए साथ ही स्वयं एवं परिवार के निर्णय कर पा रही है।

7. **शिक्षा पर प्रभाव–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं पर शैक्षणिक प्रभाव पड़ा है। समाज में बालिकाओं को शिक्षित करने की विचारधारा में बदलाव आया है, साथ ही बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने का स्तर भी बढ़ा है।

8. **आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

9. **वैचारिक परिवर्तन–** इन कार्यक्रमों द्वारा समाज में वैचारिक परिवर्तन आया है, अब समाज में महिलाओं को लेकर सकारात्मक विचार देखने को मिलते हैं।

10. **स्वावलंबन–** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं में स्वावलंबन की भावना जागृत हुई है।

महिलाओं के विकास में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, महिलाओं में अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरुकता का स्तर बढ़ा है, बच्चों के कुपोषण में कमी आई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं एवं महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राधिका कपूर, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम https://www.researchgate.net/publication/323725945_Women_and _Child_Development_Programmes
2. डॉ. आशुतोष व्यास, राधेश्याम कमेटी, महिला सशक्तिकरण में महिला बाल विकास की भूमिका एक मूल्यांकन, IJFMR Volume 3, Issue 5, September-October 2021.
3. https://mpwcdmis.gov.in/
4. https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx
5. https://cmladlibahna.mp.gov.in/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Breaking Barriers: Law & Gender Equality

Dr. Pushpanjali Pandey*

***Assistant Professor, Gyan Ganga College of Excellence (Law), Jabalpur (M.P.) INDIA**

Abstract : Gender equality is a constitutional guarantee in India, but its realization has depended heavily on judicial intervention. This paper critically examines the Supreme Court of India's role in dismantling legal and societal barriers to gender justice through constitutional interpretation and progressive jurisprudence. Drawing on landmark decisions in employment, property rights, bodily autonomy, and protection from violence, the research analyzes the evolution from formal to substantive equality. Using a doctrinal and case-law methodology, the study identifies gaps in implementation and suggests pathways for enhanced enforcement. The findings reveal that while the Supreme Court has played a transformative role, persistent societal and institutional resistance continue to hinder full realization of gender equality.

Keywords- Gender equality, Supreme Court of India, constitutional law, women's rights, judicial activism, landmark cases, substantive equality.

Introduction - Gender equality is enshrined as a foundational value in the Constitution of India, reflected in its Preamble's commitment to justice, equality, and dignity for all citizens. The constitutional scheme explicitly mandates both formal and substantive equality through a combination of Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. **Article 14** guarantees equality before the law and equal protection of laws[1], **Article 15(1)** prohibits discrimination on grounds of sex[2], and **Article 15(3)** allows the State to make special provisions for women and children[3]. **Article 16** ensures equality of opportunity in matters of public employmentt , while **Article 21**, as expansively interpreted, protects the right to life with dignity, encompassing bodily autonomy, reproductive rights, and freedom from violenceu .

The Directive Principles—particularly **Articles 39(a) and 39(d) -** direct the State to secure adequate livelihood for men and women equally, and equal pay for equal workv . **Article 42** mandates provisions for just and humane conditions of work and maternity reliefw , while **Article 51A(e)** imposes a fundamental duty on citizens to renounce practices derogatory to the dignity of womenx .

However, the lived reality of Indian women often diverges sharply from these constitutional ideals due to systemic discrimination, patriarchal norms, and institutional gaps. In this context, the **Supreme Court of India** has emerged as a transformative agent, using judicial review to interpret constitutional guarantees progressively and dismantle legal and social barriers against women.

Literature Review

Scholars like Upendra Baxi have described the Indian Constitution as a "transformative document" whose promise of social justice relies on proactive judicial interpretationy . Flavia Agnes notes that while formal legal equality exists, substantive equality demands dismantling socio-cultural barriers[10] .

Studies have examined **Vishaka v. State of Rajasthan** as judicial law-making under constitutional morality[11], **Mary Roy v. State of Kerala** as a milestone in property rights[12], and **Joseph Shine v. Union of India** as an assertion of sexual autonomy and dismantling of gendered moral policing[13].

However, critics argue that judicial activism alone cannot guarantee implementation, as judgments often lack effective monitoring mechanisms.

Hypothesis: The Supreme Court of India has been instrumental in advancing gender equality through progressive constitutional interpretation and landmark rulings, but the absence of robust enforcement mechanisms and deep-seated patriarchal norms have limited their practical impact.

Data & Methodology

Nature of Study: Doctrinal legal research

Sources Of Data:

1. **Primary Sources:** Constitution of India, statutory enactments (POSH Act 2013, Hindu Succession Act 1956 as amended in 2005, Maternity Benefit Act 1961, Domestic Violence Act 2005), Supreme Court judgments.
2. **Secondary Sources:** Academic journals, books, Law Commission reports, CEDAW observations.

Case Selection Criteria:

1. Landmark significance in advancing gender equality: The foremost criterion for selecting cases is their status as judicial landmarks in the discourse on gender equality. A case qualifies as a landmark when it not only resolves the dispute before the court but also sets a precedent that reshapes the legal landscape. In the context of gender justice, such cases typically challenge entrenched patriarchal structures, question discriminatory practices, and expand the ambit of constitutional protections for women and marginalized genders. Landmark judgments are often referenced in subsequent litigation, cited in academic literature, and invoked in policy discussions. Thus, the inclusion of landmark cases ensures that the research engages with moments of profound transformation in India's jurisprudence on equality.

Example: *Shayara Bano v. Union of India* (2017) – The Supreme Court declared instant triple talaq unconstitutional, a landmark in dismantling gendered practices within personal law. This judgment redefined women's rights in the sphere of marriage and family law.

Example: *Joseph Shine v. Union of India* (2018) – The Court struck down Section 497 IPC on adultery, emphasizing gender neutrality and rejecting paternalistic control over women's autonomy

2. Constitutional relevance under Articles 14, 15, 16, and 21.

The second criterion rests on the constitutional foundation of equality and liberty. Articles 14, 15, 16, and 21 form the **core of India's gender equality jurisprudence**:

i. Article 14 guarantees equality before law and equal protection of laws, thereby mandating a uniform standard of justice irrespective of sex or gender.

ii. Article 15 prohibits discrimination on grounds of sex, while also permitting affirmative action for women and children.

iii. Article 16 extends equality of opportunity in matters of public employment, directly addressing issues such as workplace discrimination and representation.

iv. Article 21 has been expansively interpreted to include the right to dignity, autonomy, reproductive choice, privacy, and freedom from violence—all of which have a direct bearing on women's lived realities.

By focusing on cases interpreting these provisions, the research situates gender equality within the constitutional framework, ensuring that the selected cases are not isolated pronouncements but part of a broader constitutional dialogue.

Example: *Navtej Singh Johar v. Union of India* (2018) – Though centered on sexual orientation, the Court grounded its reasoning in Articles 14, 15, and 21, affirming that constitutional morality must prevail over societal morality in protecting dignity and autonomy.

Example: *Air India v. Nargesh Meerza* (1981) – Struck down discriminatory service rules that forced women air hostesses to retire earlier than men, invoking Articles 14, 15, and 16

3. Demonstrable Policy or Societal Impact: Finally, the selection of cases is guided by their tangible influence beyond the courtroom. A judgment's importance is amplified when it leads to legislative reforms, administrative changes, or shifts in societal attitudes. For example, certain decisions have catalyzed the enactment of progressive laws, such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, or the decriminalization of Section 377 IPC. Others have altered workplace norms, religious practices, or institutional policies in favor of inclusivity and non-discrimination. By emphasizing demonstrable impact, the research highlights how judicial reasoning translates into real-world change, bridging the gap between constitutional ideals and social realities.

Example: *Vishaka v. State of Rajasthan* (1997) – The Court's guidelines on sexual harassment at the workplace directly led to the enactment of the **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**.

Example: *Indra Sawhney v. Union of India* (1992) – While focused on reservations, it reaffirmed Article 16's scope and opened discussions on women's representation in employment.

Employment Equality

C.B. Muthamma v. Union of India (1979) C.B. Muthamma v. Union of India (1979) — discrimination in Indian Foreign Service rules struck down

This case marked one of the earliest challenges to gender discrimination in public employment. C.B. Muthamma, the first woman officer of the Indian Foreign Service, faced discriminatory service rules which required women to seek prior government permission before marrying and made them liable for compulsory resignation upon marriage. She challenged these provisions as violative of her constitutional rights.

The Supreme Court agreed, observing that such rules were **"a hangover of the masculine culture of man's superiority over women"**, and struck them down as unconstitutional under **Articles 14 and 16**. The judgment dismantled patriarchal restrictions within one of India's most elite services, affirming that women's professional opportunities cannot be curtailed by assumptions about marriage or family obligations.

Air India v. Nergesh Mirza (1981) — termination of female staff on marriage/pregnancy held unconstitutional. In this case, the Court examined discriminatory conditions imposed on women air hostesses, including a rule that terminated their services upon first pregnancy and required them to retire at an earlier age than male counterparts.

The Supreme Court declared the pregnancy-based termination rule **"manifestly unreasonable and arbitrary"**, holding it unconstitutional under **Article 14**. It reasoned that compelling women to sacrifice motherhood

in order to retain employment was an affront to their dignity and autonomy. However, the Court upheld some retirement-age differences, which later attracted criticism for inconsistency.

Despite this limitation, the ruling advanced the principle that **employment conditions cannot penalize women for exercising personal choices relating to marriage or motherhood**. It represented a significant step from merely ensuring access to employment (*Muthamma*) to protecting dignity within the workplace

Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya (2020) - permanent commission for women officers in the Army s

This case represents a milestone in the extension of equality principles to the military sphere. Women officers in the Short Service Commission sought parity with male officers for permanent commission and leadership roles in the Army. The Union Government resisted, citing physical standards, command structures, and family obligations.

The Supreme Court categorically rejected these arguments as resting on **"sex stereotypes"**, holding that physiological differences cannot be a ground to deny women equal opportunities. Invoking **Articles 14 and 16**, the Court directed that women officers be granted permanent commission and positions of command equal to their male counterparts.

The ruling marked a decisive move toward **substantive equality**, breaking barriers in one of the most male-dominated sectors of employment. It reinforced the idea that constitutional

Comparative Thematic Analysis: From Bureaucracy To Military

In Taken together, these cases trace the judiciary's evolving approach to employment equality. *Muthamma*, the focus was on eliminating overtly discriminatory rules that blocked women's entry into elite services. In *Nergesh Meerza*, the Court began to address the **quality of workplace conditions**, recognizing that reproductive autonomy is part of equality. In *Babita Puniya*, the Court advanced to a vision of **substantive equality**, dismantling structural barriers in military service and affirming women's entitlement to leadership roles.

This trajectory reflects a significant constitutional shift: from **formal equality** (treating men and women the same in principle) to **substantive equality** (acknowledging and correcting systemic disadvantages created by stereotypes and institutional bias). The judiciary has thus played a catalytic role in transforming employment spaces—from bureaucratic offices to airlines to the armed forces—toward greater inclusivity.

Implications For Future Employment Equality Jurisprudence

While these cases mark important victories, they also open the door to unresolved questions.

i. **Women in Combat Roles:** *Babita Puniya* have laid the constitutional foundation for challenging exclusion from combat duties. Arguments based on stereotypes of physical limitations are increasingly untenable under Articles 14 and 16.

ii. **Pay Equity:** Despite statutory protections, wage disparities persist. The reasoning in *Muthamma* and *Nergesh Meerza* can be invoked to challenge systemic undervaluation of women's work.

iii. **Workplace Harassment and Dignity:** *Vishaka v. State of Rajasthan* (1997) and the subsequent 2013 Act remains crucial, but implementation gaps demand closer judicial scrutiny. The dignity-based reasoning in *Nergesh Meerza* can guide stronger accountability frameworks.

iv. **Representation and Leadership:** The expansion from access to leadership in *Babita Puniya* signals that equality jurisprudence must continue to address not just participation but also decision-making power for women across sectors.

In sum, these cases demonstrate how the judiciary has progressively broadened the scope of constitutional equality. They underscore that the promise of **Articles 14, 15, and 16** is not static but dynamic—requiring the State to continually dismantle visible and invisible barriers to women's full and equal participation in public life.

Property & Inheritance Rights

Mary Roy v. State of Kerala (1986) - equal inheritance for Syrian Christian women

This case was a turning point in the struggle for equal inheritance rights for Christian women in India. Mary Roy, a Syrian Christian woman, challenged the applicability of the **Travancore Christian Succession Act, 1916**, which discriminated against daughters by granting them significantly lesser shares in property compared to sons. She argued that this law was inconsistent with the Indian Succession Act, 1925, which provided equal inheritance rights to male and female heirs.

The Supreme Court upheld her claim, ruling that with the extension of the Indian Succession Act to Travancore following independence, the discriminatory provisions of the 1916 Act stood repealed. As a result, Syrian Christian women became entitled to equal inheritance rights as men. The judgment had profound social impact, dismantling centuries of patriarchal inheritance practices in Kerala. By invoking constitutional principles of equality under **Articles 14 and 15**, the Court ensured that women's rights were not subordinated to customary or religious law when such laws were manifestly discriminatory.

Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020)

This case addressed the interpretation of the **Hindu Succession (Amendment) Act, 2005**, which conferred coparcenaries rights upon daughters in joint Hindu family property. The key question before the Court was whether daughters born prior to the 2005 amendment would also be entitled to coparcenaries rights by birth, and whether the father had to be alive on the date of the amendment.

The Supreme Court, in a landmark judgment, held that **daughters, like sons, have coparcenaries rights by birth**

irrespective of whether the father was alive on 9 September 2005 (the date of the amendment). The Court emphasized that the amendment was intended to remove gender discrimination inherent in the Mitakshara coparcener system and therefore must be given a broad and purposive interpretation.

By aligning its reasoning with **Articles 14 and 15**, the Court reaffirmed the principle of gender equality in succession law. The decision has had far-reaching consequences, empowering Hindu women across India with equal legal standing in family property disputes and reshaping the understanding of property rights in traditional households.

Analytical Note

Together, these three cases illustrate the judiciary's critical role in transforming women's inheritance rights from **token recognition to substantive equality:**

i. Mary Roy dismantled discriminatory personal laws for Syrian Christian women.
ii. Vineeta Sharma entrenched the principle of equal coparcenary rights for daughters by birth in Hindu law.
iii. Arunachala Gounder extended protection to women's **self-acquired property**, ensuring dignity and autonomy in succession beyond marriage.

The progression reflects a broader constitutional trajectory where **Articles 14 and 15** serve as the touchstone for striking down gender-based inheritance norms. These cases collectively mark the judiciary's shift from a **formal equality model (removing explicit discrimination)** to a **substantive equality model (securing women's independent economic rights)**, thereby reshaping the landscape of property law in India.

Protection From Violence & Workplace Safety

- **Vishaka v. State of Rajasthan** (1997) — workplace sexual harassment guidelines

This case arose from the gang rape of Bhanwari Devi, a social worker in Rajasthan, which highlighted the absence of legal safeguards against sexual harassment at the workplace. In response, the Supreme Court laid down the **Vishaka Guidelines**, mandating every employer and institution to provide mechanisms to prevent and redress workplace harassment. The Court grounded its reasoning in **Articles 14, 15, 19, and 21**, interpreting sexual harassment as a violation of equality, dignity, and the right to life.

The judgment was transformative, as it filled a legislative vacuum until the enactment of the **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act)**. It remains the constitutional foundation for workplace safety in India.

- **Aureliano Fernandes v. State of Goa** (2023) — strict compliance with POSH Act

More than two decades after *Vishaka*, the Supreme Court in *Aureliano Fernandes* confronted widespread non-compliance with the POSH Act, 2013. The Court observed that many workplaces had either not constituted Internal Complaints Committees (ICCs) or had done so only on paper.

Stressing that sexual harassment at the workplace strikes at the core of **Articles 14 and 21**, the Court issued strict directions to ensure effective implementation of the Act, including mandatory periodic audits, training, and accountability measures for institutions. This judgment reinforced that **mere existence of laws is insufficient without institutional compliance**, thereby strengthening workplace safety mechanisms.

- **Laxmi v. Union of India** (2015) — acid sale regulations

This case arose from a public interest litigation filed by Laxmi, an acid attack survivor, seeking regulation of the open sale of acid in India. The Supreme Court recognized acid attacks as a grave form of gendered violence, violating women's rights to dignity, bodily integrity, and life under **Article 21**.

The Court directed the government to strictly regulate the retail sale of acid, mandate compensation for survivors, and ensure free medical treatment. These directions led to concrete regulatory frameworks and state-level rules controlling acid availability. The judgment stands as a milestone in recognizing **gender-based violence as a constitutional issue**, requiring preventive as well as remedial state action.

Bodily Autonomy & Personal Liberty

- **Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration** (2009) — reproductive choice as fundamental right

This case involved a woman with intellectual disabilities who became pregnant after sexual assault. The Chandigarh Administration sought to terminate her pregnancy without her consent. The Supreme Court held that **a woman's reproductive choice is a dimension of personal liberty under Article 21** and cannot be curtailed without compelling state interest. The Court stressed the principles of **bodily autonomy, privacy, and dignity**, ruling that the State has an obligation to respect women's reproductive rights. This judgment marked a foundational moment in recognizing reproductive choice as a constitutional guarantee.

- **Joseph Shine v. Union of India** (2018) — decriminalization of adultery

In this case, the constitutional validity of **Section 497 IPC (adultery)** was challenged. The provision criminalized only the man involved in adultery with a married woman, treating the woman as a passive victim without agency. The Supreme Court unanimously struck down the law, holding it unconstitutional under **Articles 14, 15, and 21**. The Court emphasized that the provision was rooted in **patriarchal notions of control over women's sexuality** and violated women's dignity, autonomy, and equality. By decriminalizing adultery, the judgment reframed marriage as a partnership of equals, free from State interference in private morality.

- **X v. Principal Secretary** (2022) — expanded abortion

rights to unmarried women

This case concerned the denial of abortion to an unmarried woman under the **Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended in 2021)**. The Supreme Court held that the right to safe and legal abortion extends to **all women, irrespective of marital status**, and that the term "woman" under the Act includes **unmarried and single women**. Importantly, the Court recognized **decisional autonomy in reproductive matters** as integral to Article 21 and expanded the framework of equality under Article 14.

These cases collectively illustrate the judiciary's expansive interpretation of constitutional rights to ensure **protection from violence and workplace safety**. While *Vishaka* established the principle that workplace harassment violates equality and dignity, *Aureliano Fernandes* reaffirmed the necessity of institutional compliance to give the law teeth. *Laxmi* expanded the discourse beyond workplaces to public spaces, recognizing the State's duty to protect women from structural violence like acid attacks. Together, they reflect a jurisprudential commitment to safeguarding women's rights to equality, dignity, and security under the Constitution.

Analysis & Implementation Challenges

- **Institutional gaps** — many workplaces fail to comply with POSH Act provisions.

Despite progressive judicial pronouncements such as *Vishaka* and *Aureliano Fernandes*, the reality of implementation remains weak. Many workplaces either do not establish Internal Complaints Committees (ICCs) under the POSH Act, 2013, or treat them as a formality without proper training or independence. This institutional deficit undermines the constitutional promise of safe and equal workplaces, showing a disconnect between **law on paper and law in practice**.

- **Cultural resistance** — deep-seated patriarchy impedes acceptance of progressive rulings.

Judicial advances in gender equality often confront resistance from entrenched patriarchal norms. Whether in inheritance rights (*Mary Roy*, *Vineeta Sharma*) or employment equality (*Babita Puniya*), social acceptance lags behind judicial directives. Deep-rooted cultural attitudes towards women's roles in family, workplace, and society frequently dilute the transformative potential of landmark judgments, resulting in **slow and uneven social change**.

- ***Legislative inertia* — enabling laws often lag behind judicial pronouncements**.

Courts have repeatedly filled legal vacuums—e.g., issuing the *Vishaka Guidelines* in the absence of workplace safety legislation or recognizing reproductive autonomy in *Suchita Srivastava*. However, enabling legislation often follows belatedly, and sometimes only under judicial pressure. This inertia reflects a **reactive rather than proactive legislative approach**, which hampers the institutionalization of gender justice.

Conclusion: The Supreme Court has played a decisive role in dismantling formal and informal barriers to gender equality. However, without strong enforcement, sustained legislative support, and cultural transformation, judicial pronouncements risk remaining symbolic. The trajectory of Indian constitutional jurisprudence reveals that the Supreme Court has been at the forefront of advancing gender equality by interpreting Articles 14, 15, 16, and 21 in an expansive and purposive manner. From *Muthamma* and *Babita Puniya* in employment equality, to *Mary Roy* and *Vineeta Sharma* in property and inheritance rights, to *Vishaka* and *Aureliano Fernandes* in workplace safety, and finally to *Suchita Srivastava* and *X v. Principal Secretary* in reproductive autonomy, the judiciary has consistently sought to dismantle structural and cultural barriers that impede women's full participation in society. These cases, while distinct in context, are united by their commitment to substantive equality, dignity, and autonomy as the core of constitutional protection.

Yet, the analysis also demonstrates that **judicial progress is only the first step**. Persistent institutional gaps, such as inadequate compliance with the POSH Act, cultural resistance rooted in patriarchy, and legislative inertia in enacting or updating enabling laws, continue to limit the transformative potential of these judgments. The result is often a disjunction between constitutional ideals and lived realities, where rights exist in theory but remain fragile in practice.

For gender equality to move beyond symbolic victories, three conditions are essential: **robust enforcement mechanisms**, **responsive legislative action**, and **deep cultural change** that normalizes equality as a social value rather than a judicial imposition. The role of the Court remains vital as a catalyst, but sustainable change depends on the synergy between judicial interpretation, legislative responsiveness, institutional accountability, and social transformation.

I n this sense, the future of gender justice in India lies not merely in landmark pronouncements but in the continuous effort to translate them into everyday practices of equality, dignity, and freedom.

References:-

1. Baxi, Upendra. *The Indian Supreme Court and Politics*.
2. Agnes, Flavia. *Law and Gender Inequality*.
3. Basu, "Judicial Activism in Gender Justice," JILI (2000).
4. Parashar, "Property Rights of Indian Women," Indian Law Review (1991).
5. Kumar, "Decriminalising Adultery," SCC Journal (2019).

Notes:-

1. Constitution of India, Art. 14.
2. Ibid., Art. 15(1).
3. Ibid., Art. 15(3).
4. Ibid., Art. 16.
5. Ibid., Art. 21.
6. Ibid., Art. 39(a) & 39(d).

7. Ibid., Art. 42.
8. Ibid., Art. 51A(e).
9. **C.B. Muthamma v. Union of India**, (1979) 4 SCC 260.
10. **Air India v. Nergesh Mirza**, (1981) 4 SCC 335.
11. **Mary Roy v. State of Kerala**, (1986) 2 SCC 209.
12. **Vishaka v. State of Rajasthan**, (1997) 6 SCC 241.
13. **Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration**, (2009) 9 SCC 1.
14. **Joseph Shine v. Union of India**, (2019) 3 SCC 39.
15. **Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya**, (2020) 7 SCC 469.
16. **Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma**, (2020) 9 SCC 1.
17. **Arunachala Gounder v. Ponnusamy**, (2022) 11 SCC 372.
18. **Aureliano Fernandes v. State of Goa**, (2023) SCC OnLine SC 621.
19. **Laxmi v. Union of India**, (2015) 13 SCC 713.
20. **X v. Principal Secretary, Health & Family Welfare Department**, (2022) SCC OnLine SC 905.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. डी.पी. कुशवाहा* डॉ. मंजू कुशवाह**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) छत्रशाल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आबादी का आधा हिस्सा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की मुख्य धारा से दूर हो, यह अल्प विकास का द्योतक है। आजादी के अमृत महोत्सव में भी अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही महिलाएं समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रश्नचिन्ह हैं। महिला सशक्तिकरण वर्तमान सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। भारत ने विकास के उच्च मापदंड स्थापित कर चांद की दूरी तय कर ली है। परंतु पुरुष–महिला अनुपात ठीक करने में और कितनी सदियां लगेगी। किसी भी देश की महिलाएं आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, इनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपने आर्थिक–सामाजिक जीवन को को सुदृढ़ बना सकें। वास्तव में सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का समावेश होता है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वयं से निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सभी निर्णय ले सके। इसी प्रकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से आशय आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का अवसर उपलब्ध कराने से है। ताकि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, जीवन स्तर, स्वतंत्रता एवं कार्य सहभागिता में वृद्धि हो सके।

शब्द कुंजी : महिला, सशक्तिकरण, पितृसत्ता, भ्रूणहत्या, उत्तरदायित्व, रूढ़िवादिता, आधुनिकता, समावेशी।

प्रस्तावना – जहां तक महिलाओं की योग्यता और कौशल का प्रश्न है। महिलाओं को अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी विशेष व्यवसाय का चयन करने की आवश्यकता नही हैं। बल्कि तमाम बंदिशों के बावजूद वे ऐसी योग्यता और कौशल हासिल कर लेती हैं जो पुरुषों से जरा भी काम नहीं है। जिस प्रकार कुछ काम को केवल पुरुषों के करने लायक मानना पूर्वाग्रह है। ठीक उसी तरह से महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों से बेहतर मान लेना भी एक तरह का भेदभाव ही होगा। इससे प्राय: मानववाद और स्त्रीवाद के बीच वाद विवाद छिड़ जाता है।[1] जब सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो जाते है, तो प्राय: समानता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जो सही नही हैं। क्योकि दूसरी तरफ हम समानता की बात कैसे कह सकते हैं जब एक कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, गर्भ में मार दिया जाता है, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लड़को पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तमाम योग्यताओं के बावजूद परिवार पितृसत्तात्मक ही होता है, तो उसका सामाजिक बराबरी का अवसर छिन जाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सामने आता है। ठीक उसी तरह जैसे समाज के अन्य वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की बात आती है। सवाल औरत के कमजोर होने का नहीं हैं, बल्कि सामाजिक ताने–बाने के कमजोर होने का है। मुश्किलों को स्वीकार कर कड़े फैसले लेना ही सशक्तिकरण नहीं है, या फिर हर दौड़ में आगे होना अथवा हर बार शिखर पर होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर संभालना और ज्यादा ताकत एवं नए संकल्प के साथ खड़े हो जाना भी महत्वपूर्ण है, यही मायने में यही सशक्तिकरण है। स्त्री पुरुष असमानता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। लाखों महिलाओं को परिवार के साथ–साथ समाज में भी व्यापक सामाजिक – सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए उचिम समाधान प्रदान करना।

अध्ययन में समंको चयन : प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र एवं अध्ययन की इकाई : प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत की समस्त महिलाएं अध्ययन का समग्र हैं एवं एक महिला अध्ययन की इकाई है।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ : देश में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1. घरेलू हिंसा : भारत के लगभग सभी प्रांतों में होती है, परंतु इसे महिलाएं–पुरुष दोनों ही पारिवारिक जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, जो चिंता का विषय है। परिवार भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और देश के सामाजिक–आर्थिक ढांचे के केंद्र में है। परन्तु महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कई परिवार सुरक्षात्मक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि महिला पुरुष भेदभाव के व्यापक स्वरूप को मजबूत करते हैं। साथ ही महिलाओं को नियंत्रित करने एवं उन्हें अधीन रखने के तरीके के रूप में हिंसा को वैध ठहराते हैं। 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच 34 प्रतिशत महिलाओं

ने हिंसा का सामना किया।[2] राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई। जो चौकाने वाला है।

2. दहेज प्रथा : भारत की सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रमुख कुरीति में से एक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार भारत में दहेज के कारण मौत के मामलों की सालाना संख्या 7000 के पार हो गई है। दहेज एक सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे लड़की का परिवार दूल्हे को नकद और उपहार देता है। मूलत: यह सब अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करने वाले नए जोड़ों की सहायता करने के लिए था। परन्तु पितृसत्ता और लालच ने दहेज को लेनदेन के सौधे के रुप में बदल दिया। महिलाओं के प्रति दहेज हिंसा प्राय: तब बढ़ जाती जब कोई परिवार शादी पर मिले दहेज से असंतुष्टि दिखाता है अथवा बिवाह पश्चात् दहेज की मांग करता है। यह संवैधानिक रूप से दहेज का लेनदेन अवैध है फिर भी यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में प्रचलित है।

3. कन्या भ्रूण हत्या : कन्या भ्रूण हत्या पुत्र मोह और पितृसत्ता की कुप्रथा को उजागर करती है। यह हिंसा एक कपटी के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि यह लड़कियों को केवल इसलिए पैदा होने से रोकती है, क्योंकि वे लड़कियां हैं। कन्या भ्रूणहत्या की स्थिति लगातार बढोत्तरी हो रही है। भारत में हर साल लगभग छ: लाख लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती। कितना भयावह है यह आकड़ा। अत्याधुनिक तकनीकी की उपलब्धता होने कोई भी यह पता लगा सकता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की है अथवा लड़का। लड़की होने का परिणाम गर्भपात है। असल में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया ही इसलिए जाता है कि केवल लड़का ही पैदा करना है। पिछले दो दशकों में अनुमानत: 10 मिलियन कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराया गया है।

4. लैंगिक भेदभाव : भारतीय समाज के बीच लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पारिवारिक में लड़के और लड़की को शिक्षा जैसे अवसर की समान उपलब्धता बाहरी रूप से अवष्य दृष्टिगोचर होती है, परंतु दो अवसरों में बेहतर अवसर प्रदान करने की बारी आती है तब लड़कियां पीछे रह जाती हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पारिवारिक निर्णय प्राय: लड़के को केंद्र में रख कर लिए जाते हैं और लड़कियों का शिक्षण इत्यादि समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाती है। विवाह अंतिम उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। विवाह उपरांत वही पारिवारिक संघर्ष पुन: महिला को महिला होने के परिणाम के रूप में प्राप्त होता है।

5. स्त्री पुरुष अनुपात : स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश में स्त्री और पुरुषों का अनुपात बराबर होना चाहिए। आजादी के पूर्व और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी भारत में स्त्री पुरुष अनुपात बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति और दयनीय है यहां मात्र 931 महिलाएं ही हैं।[3] यह विडंबना इस समय है, जब भारत विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। परंतु समाज की जड़ों में पितृसत्तात्मक समाज का मोह है। जो समाज को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है।

6. शैक्षणिक अवसर : भारतीय समाज शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में दोहरे मापदंडों का उपयोग करता है। सामाजिक संरचना इस प्रकार की है जिसमें बेहतर अवसर लड़कों के पक्ष में होने के कारण हजारों लड़कियां अपनी मनपसंद के करियर ऑप्शन नहीं चुन पाती हैं और सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार हो जाती हैं।[4] परन्तु भारत के जिन परिवारों ने महिलाओं को अवसर उपलब्ध करा, हैं उनके परिणाम निश्चित रूप से सुखद रहे हैं।

7. स्वास्थ्य और पोषण : पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए मजबूत और महत्वपूर्ण आधारशिला है। संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण, सुरक्षा और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा पोषण युक्त आहार की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अच्छा पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक नियम है। भारतीय उद्योग परिसंघ और डैनोन इंडिया ने 2021 में आठ भारतीय शहरों में सर्वे के दौरान दो में से एक वयस्क व्यक्ति को खराब जीवन शैली से जीने और 60 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिक बताया।[5] हालांकि भारत में मातृ एवं शिशु सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। नगरों की तुलना में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति अधिक खराब है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

8. साक्षरता दर : शिक्षित, कुशल तथा योग्य जनसंख्या किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती है। मानवी पूंजी ही राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है, जो राष्ट्र निर्माण में अपना अप्रतिम योगदान देती है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में महिला शिक्षा का अनुपात पुरुषों से काफी कम है। कुल 74.04 फीसदी शिक्षा में महिलाओं का अनुपात 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का 82.52 प्रतिशत। मध्य प्रदेश में भी यह स्तर पुरुषों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत पीछे है। यहां की कुल 70.6 प्रतिशत शिक्षित आबादी में महिलाएं मात्र 60 प्रतिशत ही शिक्षित हैं, जबकि पुरुष 80.5 प्रतिशत।[6] उपरोक्त आंकड़े पुरुषों की तुलना में महिलाओं के न्यूनतम शैक्षणिक स्तर और न्यूनतम् अवसर को इंगित करते हैं।

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानून – भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित अनेक संबैधानिक अधिकार, कानून, न्यायिक घोषणाओं, अनौपचारिक और औपचारिक समूहों जैसे कि दबाव समूहों, सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के दबाव के साथ-साथ भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधान हैं-

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 : यह कानून महिला सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर आधारित है। यह दस से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश देता है। यह यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित करता है और शिकायत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।[7] इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

2. निर्भया अधिनियम या आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: निर्भया अधिनियम, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक कारण 2013 को नई दिल्ली में हुई एक जघन्य घटना थी। इस घटना के कारण बलात्कार कानूनों में तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यौन अपराधों से

संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।[8] यह अधिनियम एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक और पीछा करने को अपराध मानता है। कुख्यात निर्भया मामले के बाद लागू किए गए इस कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) के माध्यम से तेजी से जांच और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया।

3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 :यह अधिनियम बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटता है। इसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा और त्वरित सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) का प्रावधान है।[9] यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 : यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों को बाल विवाह की बुराइयों से बचाया जाए। इस कानून के अनुसार, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम होती है।[10] अधिकांश बाल विवाहों में कम उम्र की महिलाएं शामिल होती हैं, जिनमें से कई खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी से जूझ रही होती हैं।

5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम निर्देशात्मक होने के साथ-साथ वर्णनात्मक भी है क्योंकि यह न केवल घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है बल्कि घर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए नागरिक उपचार भी प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए एक अधिनियम, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक स्वरूपों की शिकार हैं।[11]

6. महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986: यह अधिनियम सोशल मीडिया और प्रकाशनों सहित डिजिटल और प्रिंट मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण पर प्रतिबंध लगाता है। महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापन या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।[12]

7. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपी), 1956 : यह अधिनियम महिलाओं के व्यावसायीकरण और तस्करी को रोकता है, वेश्यालयों और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि वेश्यावृत्ति को विनियमित करता है। अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।[13] यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहल

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : यह अभियान लिंग-भेदभावपूर्ण, लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकती है, बालिकाओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा सुनिश्चित करती है, लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है और लड़कियों के बीच शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने पर जोर देती है। हरियाणा जैसे राज्यों इस अभियान की अधिक आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है।[14] यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 2014 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिको से भारत में लड़कियों के खिलाफ लिंगभेद को समाप्त करने में मदद करने के लिए कहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है।

2. निर्भया फंड : यह फंड कुख्यात दिल्ली सामूहिक घटना के बाद स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। निर्भया फंड की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2013 के बजट भाषण में की थी, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण, सुरक्षा और संरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये का सरकारी योगदान है।[15] इस फंड का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।

3. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन : इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना तथा 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।[16]

4. महिला पुलिस स्वयंसेवक : संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का गठन किया जाता है और उन्हें पुलिस और समुदाय के बीच सेतु या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है।

5. कामकाजी महिला छात्रावास योजना : यह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराती है। इसके अलावा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। शहरी, अर्ध-शहरी या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, जिसमें उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी शामिल है।[17] कामकाजी महिलाओं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को भी इसमें शामिल है।

6. यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली : गृह मंत्रालय ने 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की समय पर जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए इस ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO) के बारे में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराता है। यह राज्य को छः महीने में शीलभंग के मामलों में जाँच पूरी करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और प्रबंधन करने की अनुमति देता है।[18]

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक समाधान – दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात के मामले पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आदत को दर्शाते हैं। संवैधानिक

प्रावधानों और भारतीय समाज द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और पुरुष–महिला के बीच समानता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। नए कानून और सरकारी नीतियों के साथ–साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियां और समाज के बढ़ते सहयोग से हिंसा और व्यवहार के मामले में सहायता लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी कार्यप्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। जिससे केश निपटान दर को बढ़ाने और महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने में सहायता मिल रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी रूप में दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। गर्भधारण और प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के अनुसार लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीक के उपयोग पर रोक लगाता है। परन्तू ऑनी किलिंग को सीधे तौर पर रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है। महिला संगठन भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं तथा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के लिए परामर्श कानूनी सहायता और आजीविका कार्यक्रम चलाते हैं। ताकि वे अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के समानांतर है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी में अवश्य वृद्धि हुई है। हालांकि संसद में महिला सदस्यों के प्रतिशत के मामले में वर्ष 2020 में भारत 193 देश में 142 में स्थान पर था। 2019 में 78 अर्थात 14.4 प्रतिशत ही महिला सांसद चुनी गई थीं। जबकि 18वीं लोकसभा 2024 में मात्र 74 महिला सदस्य ही चुनी गई जो 13.62 प्रतिशत है।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दृष्टिकोण : वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है। महिला प्रताड़ना के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक होनी चाहिए और मजबूत कानून लिंग संवेदनशीलता कानून प्रवर्तन नीतियों और प्रोटोकॉल का विकास और कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर जागरूकता हिंसा का सामने करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तभी महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को कठोर दण्ड के लिए मजबूत कानून का होना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ सामाजिक सांस्कृतिक वैधता और उसके उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है। लेकिन केवल कानून बनना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मक से आगे बढ़े और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं हिंसा को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण के लिए धन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे बड़ी बढ़ाओ में से एक है ।

2. महिला अपराध और कानूनी प्रक्रिया : महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी कानून के कार्यों से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक ऐसे अपराधों के लिए कानून लागू करने वाले कर्मियों की कार्यवाही है। कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण में कमी के कारण पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून की कम समझ समस्या को और पेचीदा बना देती है। किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला के साथ नियमानुसार त्वरित कार्यवाही न्याय की ओर पहला कदम है। जो मजबूत लोकतंत्र और महिला सशक्तिरण को सुदृढ. करता है।

3. महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं में वृद्धि : किसी भी प्रकार के अपराध का सामना करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था आवश्यक कदम हैं। संसाधनों की कमी का मतलब है कि महिलाएं हिंसा सहने के लिए मजबूर हैं। सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आश्रय गृहों की संख्या वृध्दि और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जो महिलाएं हिंसक परिस्थितियों से बचकर बाहर आना चाहती हैं उनके लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। सहायता सेवाएं महिलाओं को उनके अधिकारों और हिंसा से बचने वाले कानून के बारे में भी शिक्षित करती हैं तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता करती हैं।

4. पितृसत्ता से छुटकारा : भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता और कुप्रथाओं के निवारण के बिना महिला अपराध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों के सकारात्म जुड़ाव पीड़ित परिवारों के साथ संबंध बनाने और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। पुरुषों को भी हिंसा करने की परिणामों के बारे में भी आगाह किया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि उनका गलत व्यवहार सामाजिक रूप से अस्वीकार और कानून का उल्लंघन दोनों है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रम बनाते समय पितृसत्ता की संस्कृति को ध्यान में रखा जाए, ताकि शिक्षा अभियान समाज में बालिकाओं और महिलाओं के महत्व को उजागर किया जा सके और महिलाओं के प्रति पुराने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता में बदला जा सके। तेजी भारत तेजी से आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा है और पारंपरिक संस्कृतियों तथा प्रथाओं को नए सामाजिक सांस्कृतिक जामा पहनाया जा रहा है। अत: ऐसे विचार जो महिला सशक्तिकरण को रोकते हैं को पहचाना जाना अत्यावश्यक है।

5. स्व सहायता समूह : भारत के आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खासतौर से महिलाओं समेत गरीबों, हांसिए के लोगों और वंचित तपको के विकास पर जोर दिया जाता रहा है। सरकार की योजनाओं में समावेषी विकास, पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यम तथा समुदाय के नेतृत्व में उत्पादन और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। महिला स्वसहायता समूह के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से एक महिला को एक स्व सहायता समूह में शामिल किया जाए। स्वयं सहायता समूह ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 2013–14 से लेकर 2020–21 तक कुल 03.56 लाख करोड रुपए के ऋण बैंकों से प्राप्त किए हैं।[19] जो अपने आप में एक उचित अवसर है।

6. महिला स्टार्टअप्स : देश में नवाचार और स्टार्टअप को के विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2016 में इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप की संख्या 2016 में मात्र 428 थी, सरकार के निरंतर प्रयास से 30 अप्रैल 2023 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 98119 हो गई है।

यह सकारात्मक बढ़ोत्तरी भारतीय अर्थव्यस्था में स्टार्टअप की निरंतर मजबूत होती स्थिति को उजागर करता है। इन स्टार्टअप्स ने समावेशी आर्थिक विकास को गति देते हुए 30 अप्रैल 2023 तक कुल 10.34 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। जो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इन स्टार्टअप्स में महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है 2017 में 6000 महिला स्टार्टअप थे जो की 2022 में बढ़कर 80000 तक पहुंच गए।[20] जो मजबूत होते महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है।

7. महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व :स्थानीय स्वशासन के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण से देश के राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सिर्फ संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाव लेकर आया है। महिला जनप्रतिनिधि बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षाद्ध घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति, उत्पीड़न और के आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दो प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर निर्णय ले रहीं हैं।[21] स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।[22]

8. कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमी : महिला कृषको को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर कार्य कर रही है। एक तरफ जहां कृषि और किसान खेती किसानी से जुड़ी तमाम परियोजनाओं और नीतियों में महिला किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं देश के ग्रामीण समाज की संरचनाओं में उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है। कृषि क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन और महिलाओं की बढ़ रही प्रभावशाली भूमिका महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान कर रही है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2016 में जहां देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या केवल 80-100 के आसपास थी, वहीं वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 1800 के पार हो गई। एग्रोटेक स्टार्टअप में भी महिला उद्यमी कामयाबी की कहानी लिख रही हैं।

9. कृषि और जुडे व्यवसायों में महिला भागीदारी : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल महिला श्रमिकों की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। देश के 11.8 करोड़ कृषकों को में से महिला किसानों की संख्या 30.3 प्रतिशत है। रोजगार की तलाष में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों को पुरुषों के बढ़ते पलायन की वजह से भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं के हिस्सेदारी बढ़ रही है। पालतू पशुओं की देखभाल सहित, चारा-घांस की व्यवस्था, दूध निकालना और बागवानी की देखभाल जैसे कई अनगिनत कार्य महिलाओं के हिस्से में आ गये है। कुल कामगार का अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान में सबसे अधिक महिलाएं कृषि क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। वहीं सरकार की भी कृषि और कृषि से जुड़े बागवानी एवं पशुपालन जैसे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

इस प्रकार स्वस्थ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले समस्त अत्याचारों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम स्तर तक लाना अत्यावश्यक है। महिलाओं की इस विकास यात्रा में पुरुषों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। महिलाओं-पुरुषों में आपसी प्रतिद्धंद्धिता का भी खतरा है। विकास के लिए जितना बाधक पुरुष प्रधान का होना है, उतना ही बाधक महिला प्रधान भी साबित होगा। अत: स्वस्थ जबकि समावेशी विकास के लिए दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिला उद्यमीकरण एवं पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलकर स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला उत्थाप के बिना स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है उसमें महिलाओं की समुचित भागीदारी आवश्यक है। तभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत को साकार कर पाएंगे। सरकार द्धारा संचालित महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं सत प्रतिशत धरातल पर लागू हों यह केवल सरकारी जिम्मेदारी न होकर सभी का समान उत्तरदायित्व है। तभी समावेशी विकास के साथ विकसित भारत साकार होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. कुमारी डॉ. रंजना, (सितंबर 2011), 'स्त्री हत्या की रोकथाम', योजना, पृ.क्र. 06-11
2. वर्मा मंजुला, भगवंता सिंह बघेल, चिंतामणि टांडिया, शिवाजी चौधरी (जुलाई दिसंबर 2023), 'वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओं की भूमिका', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 159-170
3. के.के.डॉ. त्रिपाठी एवं डॉ. एस.के. वाडकर (सितंबर 2021) 'स्वयं सहायता समूह', योजना पृ.क्र. 20-25
4. एस. पुरकायस्थ बी. (जनवरी 2024),'महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन', कुरुक्षेत्र पृ.क्र. 45-49
5. मिश्रा अरविंद कुमार (अप्रैल 2023), 'महिला सशक्तिकरण की वाहक ग्राम पंचायतें', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 36-40
6. गोयल डॉ. पीयूष (अगस्त 2023),'मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 16-21
7. पाठक संतोष कुमार (जुलाई 2023), 'कृषि क्षेत्र में बढ़ती महिला उद्यमी', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 45-50
8. सुगंधे आनंद, सिंपल मिश्रा एवं विनोद सेन (जनवरी-जून 2022), 'महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 47-56
9. भारत की जनगणना 2011
10. पंचायत राज अधिनियम 1994
11. नम्रता डॉ. कुमारी (2018), 'महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां एवं समाधान', इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (ऑनलाइन) पृ.क्र. 481-485
12. दुबे अनीता (2015), 'आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति तथा सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 81-85
13. प्रजापति शक्ति कुमार (2017), 'महिलाओं के प्रति अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 46-50
14. शुक्ला डॉ. अंजू (जून 2021), बालिका वधरू एक चुनौती,

इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 162-168

15. स्वामी रामचंद्र (जून 2021), 'महिला शिक्षा की आवश्यकता', इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 176-178
16. पाण्डेय डॉ. सीमा (अप्रैल 2021), 'स्त्री अस्मिता मीडिया और बाजार', प्रिंटिंग एरिया, इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 192
17. कुजूर डॉ. जे.पी. (सितंबर 2012), 'नगरीय महिला श्रम शक्ति की व्यावसायिक संरचना', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पृ.क्र. 118-122
18. सोनकर डॉ. बी.एल. एवं डॉ अर्चना सेठी (मार्च 2015), 'भारत में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छग़,पृ.क्र. 55-61
19. वर्मा अरुण कुमार (2013), 'स्त्री शिक्षा:एक ऐतिहासिक अध्ययन', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ अंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 74-78
20. गुप्ता वंदना (2013), 'महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह की भूमिका', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ अंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 187-191
21. https://www.google.com/search?q=karya+sthal+par+mahilao+ka+youn
22. https://www.google.com/search?q=nirbhaya+act+2013+in+hindi&oq=nirbhaya+&gs
23. https://www.google.com/search?q=youn+apradho+se+baccho+ka+sanrakshan+adhiniyam+2012
24. https://www.google.com/search?q=bal+vivah+pratishedh+adhiniyam+2006
25. https://www.google.com/search?q=gharelu+hinsa+se+mahilaon+ka+sanrakshan+adhiniyam+2005
26. https://www.google.com/search?q=mahilao+ka+abhadra+chitran+adhiniyam+1986
27. https://www.google.com/search?q=anaitik+vyapar+nivaran+adhiniyam+1956
28. https://www.google.com/search?q=beti+bachao+beti+padhao+yojana&sca
29. https://www.google.com/search?q=nirbhaya+fund+in+hindi&sca
30. https://www.google.com/search?q=one+stop+centre+and+mahila+helpline+in+hindi&sca
31. https://www.google.com/search?q=kamkaji+mahila+chhatrawas+yojana+kya+hai
32. https://www.google.com/search?q=youn+aparadho+ke+lia+youn+traking+system

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

एक परिपक्व सामाजिक संवेदना – 'कसक' (गीतांजलि श्री)

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सरांश– इतना हक सिर्फ एक दोस्त का ही दोस्त के प्रति हो सकता है दोस्ती की चेतना के तल पर कौन से बीज बोए गए हैं यह एक दोस्त का स्पर्श ही उसे महसूस कर सकता है उनकी भावनाओं की गहराई ही उनकी मित्रता की सुंदरता और मिठास है वहीं उनकी सार्थकता भी है। दोनों अपने–अपने जीवन के मकसद को जताने में लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मित्रता कभी–कभी दार्शनिक मोड़ ले लेती है। दूसरों के मन की बात जान लेने की उत्सुकता में व्यक्ति अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करता। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से ने लिखा है– 'यदि आप दूसरों को समझते हैं तो आप होशियार हैं। यदि आप खुद को समझते हैं तो आप प्रबुद्ध हैं।' ऐसा ही कुछ लेखिका ने कसक कहानी में महसूस किया है– 'बचपन में मैं कहानी करती थी कि मैं दूसरों के मन के अंदर का खूब भाँप लेती हूँ, कब कोई डींग हाक रहा है कब कोई खास मतलब से बात बना रहा है, कौन निर्दोष है कौन कपटी, सब मुझसे पूछ लो।

शब्द कुन्जी– नजरअंदाज, घमंक, खासियत, परिपक, झांपना।

प्रस्तावना – गीतांजलि श्री के प्रत्येक कहानी लेखन की अपनी तमाम खूबियाँ है। उनके लेखन के पीछे छिपे भावों में अद्भुत कलात्मकता हैं जो सहज ही अभिव्यक्त नहीं हो पाती। ध्यानमग्न होकर उनके लेखन को अनुभव करना पड़ता है तब कहीं जाकर कहानी के तार पकड़ में आते हैं। यह कहानी 'कसक' दो मित्रों के बीच हुए वार्तालाप और उनकी अपनी–आपनी तमीज एवम् जिन्दगी जीने के सलीके को दर्शाती है अलग–अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों की मित्रता में ठहराव की अच्छी तैयारी को गीतांजलि श्री ने प्रस्तुत किया है। इस कहानी की खासियत यह है कि दोनों के मिजाज अलग होते हैं हुए भी दोस्ती को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अच्छी दर्शाई गई है। दोनों की अपनी जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और ज्ञान की भूख है। दोनों के अपने जाने– अनजाने जीवन के सबक हैं, दोनों ही अपने–अपने क्षेत्र में संलग्न होकर अपनी पूरी दक्षता के साथ काम करना चाहते हैं दोनों की उम्र ऐसी है कि सीखने की गति तेज और व्यापक हैं– 'वह दोस्त जो मेरी बचपन की सहेली है। उस बचपन की जिसने मेरी घुन्नेपन और उसकी चपलता बहिरंगता को लेकर हमें किसी किस्म की असंगति के एहसास में पीड़ित नहीं होने दिया कितने अच्छे मित्र बन गए हम –वह खिलाडू, मैं पढ़ाकू, वह बिगाढू, मैं संभालू!' दोनों मित्रों की अपनी सफलता और विफलता थी। उनके भीतर मौजूद संभावनाएं ही उन्हें आगे ले जाने में मदद करती थी विभिन्न विषयों पर लड़–झगड़कर विचार –विमर्श भी करती थी। दोनों का अपना–अलग ही रेशमी अहसास था विभिन्न प्रकार की अटखेलियाँ थी। दोनों में समय–समय पर टकराव की स्थिति बनती रहती थी परन्तु लेखिका ने यहाँ यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गैरजरूरी टकराव को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हुआ है। कहानी में दोनों के किशोरावस्था की हंसी मजाक को भी बताया गया है उसे विनोद प्रियता में जो अपनी जिद को पूरी करने की ताकत को इस कहानी में बताई गई है वह भी प्रशंसनीय है। कहानी में सदाचार और नैतिकता का ध्यान रखा गया है जिससे इस कहानी की व्यवहार की ताकत का पता चलता रहता है– 'किसी छोटी सी बात पर हँसते चले गए थे, एक दिन। हाँ याद आ रहा है, एक कॉलोनी में फँस गए थे। सड़क गोलाकार थी। एक जगह पर दायाँ मोड था जिस पर आकर गोल सड़क से हट सकते थे, किंतु उसी मोड़ पर ढलान था बाई ओर यानि वापस गोल सड़क पर। अब दोस्त है कि जिद्दिया गई की साइकिल से बिना उतरे एक जोरदार मोड़ दूँगी और हम दाई तरफ निकल जाएंगे।'

'कसक' कहानी की खासियत यह है कि दोनों मित्र विचारधारा से अलग हैं पर संवाद के स्तर जुड़ाव की कमी कहीं भी महसूस नहीं की गई। दोस्ती हर स्तर पर सुदृढ़ है। इसे अलग–अलग रंगों में लेखिका द्वारा पिरोने का प्रयास किया गया है। खुशी के सूत्र पीडादायक पलों में महसूस होते रहे है उन्ही पलों को दोनों मित्रों ने अपने–अपने जीवन की प्रक्रिया को समझने में लगा दिया। खुशियों के साथ एक अजीव सा अल्हड़पन था। यही अल्हड़पन दोनों को बरसों दूर रहने के बाद भी बांधे रखता था, एक अजीब सी मस्ती भरा शोर था उनकी खुशियों के आसपास जो बतलाता था कि हम कभी जुदा नही हो सकते। खुशी में दोनें अपने गंतव्य की ओर चल दी फिर से मिलने के लिए। दोनों अपनें जीवन को सुंदर बनाना चाहती थी। अपने गुणों और अवगुणों के साथ बार–बार झगड़ना पर मित्र बने रहना मित्रता में कोई अहम भाव नही स्पष्ट रूप से सब कह देना इतने पर भी मित्रता बनी रहना यह बड़ी बात है। इस कहानी की, मित्रों की स्पष्टवादिता की चेतना के धरातल पर आधारित है, यह कहानी इंतजार न होते हुए भी अतिशय मित्र के इंतजार से सिंचित है इस कहानी के शब्द–दर–शब्द 'अगर ..... यह ख्त ..... जो उसके पति ने लिखा ..... न आया होता.....।

कहना चाहती हूँ वह अचानक धमक पडेगी। पर कहीं इस निहायत घिसे पिटे खयाल का कौंधना मन को बेतरक सालने लगता है। पर ऐसे ही तो

धमक पड़ती थी। अचानक। बिन बताए। या ऐसे बताकर कि न बताती तो ही खैर थी!

एक बार तार मिला था–'रीचिंग सिक्सटींथ रिसीव स्टेशन।' मैं इस शहर में आई ही थी। पर तार भी तो ऐसा था कि उसका नाम न होता तो भी मैं समझ लेती कि यह काबिलियत किसमें है। लेकिन दोस्ती का अपना तकाजा है, क्या–क्या नहीं माफ उसमें।

इतना हक सिर्फ एक दोस्त का ही दोस्त के प्रति हो सकता है दोस्ती की चेतना के तल पर कौन से बीज बोए गए हैं यह एक दोस्त का स्पर्श ही उसे महसूस कर सकता है उनकी भावनाओं की गहराई ही उनकी मित्रता की सुंदरता और मिठास है वहीं उनकी सार्थकता भी है। दोनों अपने–अपने जीवन के मकसद को जताने में लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की मित्रता कभी–कभी दार्शनिक मोड़ ले लेती है। दूसरों के मन की बात जान लेने की उत्सुकता में व्यक्ति अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करता। प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से ने लिखा है– 'यदि आप दूसरों को समझते हैं तो आप होशियार हैं। यदि आप खुद को समझते हैं तो आप प्रबुद्ध हैं।' ऐसा ही कुछ लेखिका ने कसक कहानी में महसूस किया है– 'बचपन में मैं कहानी करती थी कि मैं दूसरों के मन के अंदर का खूब भाँप लेती हूँ, कब कोई डींग हाक रहा है कब कोई खास मतलब से बात बना रहा है, कौन निर्दोष है कौन कपटी, सब मुझसे पूछ लो।'

आगे चलकर वह मेरी इस प्रवृत्ति को मेरी 'पॉलीटिक्स' से जोड़ने लगी –तुम लोगों को अपना कपट, अपनी तानाशाही नहीं दिखती?..... वैसे हमारे साथ बिताए वक्त का लेखा–जोखा कहीं है तो जरूर तीन चौथाई भाग हमारी लड़ाइयों का ही हिसाब देगा। बात –बेबात जंग छिड़ जाती।

दोनों मित्रों की अपनी गति थी दोनों अपनी–अपनी दिशा में प्रयास कर रहे थे, दोनों की नोक–झोंक पूरी कहानी का परीक्षण है, दोनों की दिशा मायने रखती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं थे बल्कि एक दूसरे का हर स्तर पर समझने का प्रयास करते थे उनकी मित्रता के रिश्ते खासे मजबूत थे, दोनों बेहतर कल की ओर समन्वय और सम्मान से बढ़ना चाहते थे। दोनों किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले परिपक्व संवाद खुले मन से कर लेती है। एक दूसरे को नकारती भी, वह बहस के माध्यम से ही थी इसके पीछे कारण यही था कि कोई भी बात आदर्श स्थिति तक पहुँचे सके।

'कसक' कहानी के अंत में अच्छी खासी आत्मान्वेषी यात्रा हो गई। कहानी के जिस पात्र के बारे में बात हो रही है उसे कभी भी अकेलापन बोझ नहीं लगा। मानसिक संताप और संबंधों में सिलवटों की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। फिर कब उसके मन में भय बैठ गया स्वयं को दूसरों से कब अलग समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई ? क्यों वह अपनी किसी भी अवधारणा को किसी के समक्ष नहीं रख पाई ? स्वयं को उपेक्षित समझने लगी। क्यों चिंता के इतने भंवर में फंस गई कि अकेलेपन की घबराहट वाली स्थिति से भी पार पहुंच गई। उसका पति, उसके मित्र, उसके सहयोगी, उसके आसपास के लोग कोई उसकी मदद नहीं कर पाए। वह भी किसी से इतनी परिपक्व अवस्था में होने पर भी कुछ कह नहीं पाई। अत्मविश्वास की इतनी बलिष्ठ होने पर भी अत्मविश्वास कहां जाकर टूटा जहाँ सब खुद ने अपने हाथों से समाप्त कर लिया। कसक कहानी के एक–एक मोती एक–एक विचार है जो कहानी को विचारों से वैभवशाली और संपन्न बनाते हैं समाज के लिए उपयोगी विचारों की विकास यात्रा छोड़ते हैं– झूठी और कोरी कल्पनाशीलता से मुक्ति दिलाते हैं। समाज के सामने एक यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि परिपक्वता के बाद भी ऐसी हृदय विदारक स्थिति समाज को कहाँ लेकर जाएगी 'फिर मन व्याकुल होने लगता है। नि: शब्द सवाल जी को घेरने लगते हैं। ऐसे में मेरे पास एक ममता भरी रूह बैठ जाती है। किसी के कोमल सान्निध्य का एहसास होता है।'

पूछना चाहती हूँ उससे क्या था तुम्हारे मन में जब तुम 'उड़ती' हुई नीचे चली आ रही थी उसे तेरहवीं मंजिल से ? क्या तब भी तुम जीव के भीतर थी ? प्रमाणिकता से बात कहना इस कहानी का विशेष गुण है समाज और दुनिया नित– नवीन संभावनाओं से भर रही है। बहुआयामी अवधारणाओं के कारण कभी–कभी व्यक्ति ऐसा रास्ता चुन लेता है जहाँ वह स्वयं के द्वारा उत्पन्न किये गए सवालों के घेरे में खुद को अकेला खड़ा पाता है। बचाव में वह यह नहीं सोच पाता की सबसे बड़ी बात जिंदगी के बचे रहने की है। बाकी सभी बातें तबाही से कम की नहीं है। जीवन को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखा जाए जीवन जीने की नई दिशा का रास्ता तलाशने की गुंजाइश हमेशा रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समकालीन महिला लेखन – डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
2. भारतीय नारी दशा और दिशा – आशारानी ब्होरा
3. हिन्दी के आधुनातन नारी उपन्यास – इन्दु प्रकाश पाण्डेय
4. हिन्दी उपन्यासों में स्त्री अस्मिता की अभिव्यक्ति – डॉ. वीनारानी यादव

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप

अक्षय कुमार* डॉ. मनीषा सिंह मरकाम**

*** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत**
**** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – लोक संस्कृति मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। किसी भी संस्कृति का मूल उद्देश्य मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास करना है। मनुष्य जन्म से संस्कृति के मूल सिद्धांतों को ग्रहण करता है और धीरे-धीरे मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि संस्कृति के जरिये ही मनुष्य, मनुष्य बनता है। लोक और संस्कृति को विखंडित करके नहीं देखा जा सकता है। जब मनुष्य को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है तो उसमें अपनी संस्कृति की रक्षा की प्रबल भावना जाग्रत हो जाती है। संस्कृति न केवल मनुष्य को पहचान देती है बल्कि देश को भी पहचान देती है। लोक संस्कृति का केन्द्रीय विषय मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा अलग-अलग समय में विशेष पृष्ठभूमि को आधार बनाकर जो रचनाएँ की गई हैं वे सभी रचनाएँ लोक संस्कृति की धरोहर है। मनुष्य की उपलब्धियाँ लोक से बाहर नहीं होती।
कुंजी शब्द – लोक संस्कृति, विखंडित, केन्द्रीय, पृष्ठभूमि।

प्रस्तावना – लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'देखना' या 'देखने वाला'

वेद व्यास के अनुसार – 'प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः' अर्थात् जो लोक को स्वयं अपनी आँखों से देखता है, वही व्यक्ति लोक को समझ सकता है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार – 'लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर पोथियाँ नहीं हैं।'

लोक में न केवल भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का विवरण होता है बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी समायोजन होता है। लोक शब्द अत्यन्त प्राचीन है। वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी 'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

डॉ. वासुदेवषरण अग्रवाल के अनुसार – 'लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वर है।' लोक संस्कृति के बिना सभी अधूरे हैं और जो ज्ञान लोक हित के काम न आए ऐसा ज्ञान अधूरा है। लोक के केन्द्र में मनुष्य है। स्त्री-पुरूष लोक रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों से मिलकर लोक का निर्माण हुआ है। मनुष्य पृथ्वी पुत्र है इसलिए कहा जाता है, 'माता भूमि': पुत्रोहंऽपृथिव्याः।

जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा तब तक लोक संस्कृति रहेगी। लोक संस्कृति मनुष्य के विश्वासों, रीतियों, रिवाजों, रूढ़ियों, व्यवहारों एवं परम्पराओं से बनती है।

लोक संस्कृति का बदलता स्वरूप वर्तमान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसी स्थान विशेष की संस्कृति वहाँ की लोक संस्कृति जनजीवन से परिलक्षित होती है, क्योंकि लोक संस्कृति मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें जनता की भावनाओं की सुख-दुःख भरी अनेकों प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। वर्तमान में नई पीढ़ी के नव युवक-युवतियों में फिल्मी दुनिया की नयी-नयी वेशभूषा और हेयर स्टाइल देखकर फिल्मों के अभिनेता, नायक-नायिका की तरह ही कपड़े पहनने और बाल रखने की होड़ देखी जा सकती है। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह चश्मा लगाना, फिल्मों में दिखाई जाने वाली बाईक, कार एवं अन्य संसाधन जैसे मोबाईल आदि लांच होने के तुरन्त बाद ही खरीद लेने का मानो फैशन बन गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाह्य अनुकरण अपनाने का जैसे फैशन सा हो गया है। आन्तरिक अनुकरण को अपनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है आज संतों, महात्माओं, अच्छे नेताओं और अच्छी पुस्तकों का अनुकरण करने की जिनसे आज की युवा पीढ़ी दूर होते जा रही है। राम, कृष्ण, गौतमबुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, गुरू नानक, महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति या विचारक हैं, जिन्होंने अपने समय की रूढ़ी परम्पराओं को बदलकर नई चेतना और नयी विचारधारा को समाज के सामने रखा।

किसी रीति-रिवाज को ज्यों का त्यों पालन करना परम्परा का निर्वाह करना है, किन्तु इस परम्परा में किंचित परिवर्तन के साथ अपनाने में कुछ अनुचित भी नहीं है क्योंकि समय और परिस्थितियों के साथ बदलाव आवष्यक हो जाता है। आजकल ग्रामीण और जनजातीय जीवन पद्धति में परिवर्तन हो रहा है अब ग्रामीण जन सामान्य हृदय के साथ-साथ बुद्धि को भी महत्व दे रहा है इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की लोक संस्कृति नष्ट हो रही है।

आजकल लोक-कलाओं का उपयोग व्यवसायिक दृष्टि से या नाम कमाने की दृष्टि से हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में पूँजीवादी संस्कृति ने व्यक्ति को उपभोक्तावादी बना दिया है। यदि परम्परा में परिवर्तन के बावजूद कला की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आये तो लोक संस्कृति की परम्परा प्रभावित नहीं होती।

पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण बुरा नहीं है, बुरा है उसका अन्धानुकरण अपनी मिट्टी, अपनी परम्परा के लोक को सुरक्षित रखते हुए यदि हम उसके सारतत्व को ग्रहण करें तो लोक संस्कृति के प्रति हमारी संवेदनाएँ भी सुरक्षित रहेंगी। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हमारी संस्कृति में बदलाव देखा जा सकता है। अब लोग पाश्चात्य संगीत, नृत्य और पहनावे को अपनाने पर जोर दे रहे हैं।

हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना अति आवश्यक है। हमारी पुरातन संस्कृति, हमारे देश की पहचान है। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से हमारी मातृभाषा, बोली, संस्कृति एकरूपता और पारम्परिक कला और शिल्प पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है।

लोक संस्कृति का स्वरूप समय के साथ-साथ बदल रहा है और यह बदलाव आज भी जारी है। पहले हमारी संस्कृति में पारम्परिक मूल्य और आदर्शों को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। पहले हमारी संस्कृति में प्रकृति को महत्व दिया जाता था परन्तु अब आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण और अन्य समस्याएँ लगातार बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचलप्रदेश और दिल्ली में आई बाढ़ इसके उदाहरण हैं। उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के धराली गाँव जहाँ भूस्खलन हुआ वहाँ कल्प केदार का मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता है कि कई वर्षों पूर्व यह मन्दिर मलबे में ही दबा हुआ मिला था जो बादल फटने के बाद आये सैलाब में पुन: गुम हो गया।

आजकल के युवक-युवतियाँ अपने अंगों पर टैटू बनवाते हैं जो पुरानी गोदना परम्परा का ही एक रूप है। क्लबों और पार्टियों में आज आधुनिक जोडे मुखौटा लगाकर एक-दूसरे के साथ नाचते दिखाई पड़ते हैं जो पहले कई जनजातियों में सामूहिक नृत्य में उपयोग में लाया जाता था। पहले बच्चों को जुकाम होने पर गले में लहसुन पहनाया जाता था, नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता था और लड़कियों का आज भी पैर में काला धागा बाँधना इसके लिये उदाहरण है कि प्राचीन समय में ऐसे किये जाने वाले कार्य वर्तमान में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

वास्तविकता यह है कि विज्ञान के इस युग में भी पढ़े-लिखे लोग पूजन कार्य में या संस्थाओं के उद्घाटन में नारियल फोड़ते हैं, शंख फूंकते हैं, घण्टी बजाते हैं। आज के पढ़े-लिखे लोग नई बहु के आगमन पर गृह प्रवेश की रस्म अदा करते हैं। सच यही है कि जीवनशैली आधुनिक पहवाना, साज-सज्जा और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सूचना सभी को प्राचीन लोक संस्कृति से ही मिली है। परिवर्तन या विकास से लोक संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता और मानव को भी अपनी लोक संस्कृति के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। आजकल नाना-नानी की कहानियाँ, दादा-दादी की कहानियाँ शहरी और महानगरीकरण की चकाचौंध में कहीं गुम सी होती जा रही है। आज के बच्चे कम्प्यूटर और मोबाइल के इस युग में बचपन के खेल जैसे - गुल्ली-डण्डा, कंचे खेलना, लंगड़ी खेलना आदि खेल तो भूलते ही जा रहे हैं। साथ-साथ शारीरिक व्यायाम के खेल जैसे - फुटबॉल, वालीवॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल भी खेलना कम कर चुके हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

आज विकास के नाम पर हम हमारी लोक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जंगलों का कटाव, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अत्यधिक संसाधनों के दोहन के कारण हो रहे प्रदूषण से मानवीय जीवन आज खतरे में है। समय पर वर्षा का न होना, जलवायु परिवर्तन के कारण आज हम विनाश की कगार पर हैं। विकास की आड़ में प्रकृति के दोहन को रोकना होगा। संस्कृति को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा तभी हम अपनी परम्परा को सुरक्षित रख पायेंगे और अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित कर सकेंगे। यह लोक संस्कृति ही है जो हमारी जड़ होती हुई संवेदनाओं को जगाकर हमें बेहतर इंसान बनाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, वसंत निरगुणे, सातवां संस्करण, 2022
2. साहित्य में जनजातीय जीवन दर्शन, संपादक डॉ. योग्यता भार्गव, संस्करण प्रथम, 2022
3. मानव और संस्कृति - प्रगति प्रकाशन, ब्रोमलेय युलिआन।
4. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल - लोक संस्कृति, सम्मेलन पत्रिका

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Chemical Fingerprinting of Root Extracts from *Withaniasomnifera.*

Dr. Ragini Sikarwar*

***Assistant Professor and HOD (Botany & Biotechnology) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract: *Withaniasomnifera*(Ashwagandha) is a medicinal plant of high therapeutic value, traditionally used in Ayurveda for stress management, immune modulation, and neuroprotection. Its pharmacological potential is largely attributed to diverse phytochemicals, particularly withanolides, alkaloids, and phenolic compounds. In the present study, root extracts of W. somnifera were subjected to chemical fingerprinting using advanced analytical techniques to establish a comprehensive phytochemical profile. Standardized chromatographic and spectroscopic methods were employed to identify key bioactive constituents and to generate reproducible chemical patterns. The results revealed the presence of characteristic secondary metabolites that can serve as quality markers for authentication and standardization. This study highlights the importance of fingerprinting approaches in ensuring consistency, efficacy, and safety of herbal preparations derived from W. *somnifera*. The findings also provide a foundation for future pharmacological investigations and the development of standardized formulations.

Keywords: *Withaniasomnifera*; Ashwagandha; Chemical fingerprinting; Phytochemical profiling; Withanolides; Standardization; Medicinal plants; Root extracts

Introduction - Medicinal plants remain a cornerstone of traditional healthcare systems and continue to provide valuable leads for modern drug discovery. Among them, *Withaniasomnifera* (L.) Dunal, commonly known as Ashwagandha, occupies a prominent place in Ayurveda and other indigenous systems of medicine. Classified under the family Solanaceae, the plant is widely distributed across India, the Middle East, and parts of Africa. Its roots, in particular, have been employed for centuries as a restorative tonic to manage conditions such as stress, fatigue, inflammation, arthritis, and neurological disorders.

The pharmacological relevance of W. *somnifera* has been attributed to its wide spectrum of secondary metabolites, including alkaloids, steroidal lactones (withanolides), flavonoids, saponins, and phenolic compounds. These bioactive molecules have been associated with adaptogenic, immunomodulatory, anti-inflammatory, and neuroprotective effects. Given the increasing global demand for herbal products and nutraceuticals containing W. somnifera, there is a pressing need for standardized analytical methods that ensure quality, safety, and reproducibility of plant-derived formulations.

Chemical fingerprinting is a modern approach that provides a holistic representation of the phytochemical composition of plant extracts. Techniques such as High-Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) are widely employed to generate reproducible chemical patterns. These fingerprints not only help in identifying marker compounds but also serve as quality assurance tools for herbal medicines.

Despite the widespread use of W. *somnifera*, variations in phytochemical content often arise due to differences in geographical location, cultivation practices, harvesting time, and post-harvest processing. Such variations can influence therapeutic efficacy and limit the reliability of herbal preparations. Therefore, establishing a robust chemical fingerprint of W. *somnifera* root extracts is essential to ensure authenticity and consistency across formulations.

The present study was undertaken to generate a comprehensive chemical fingerprint of W. *somnifera* root extracts using advanced chromatographic and spectroscopic methods. The findings are expected to contribute toward the standardization of Ashwagandha-based products and provide a foundation for further pharmacological research.

Materials and Methods:

Plant Material Collection: Roots of Withaniasomnifera (L.) Dunal were collected from cultivated fields during the flowering season. Fresh samples were selected, cleaned to remove soil and other impurities, and used for further

analysis.

Preparation of Root Extracts: The collected roots were washed thoroughly with distilled water, shade-dried at room temperature for 20 days, and ground into fine powder using a mechanical grinder. Fifty grams of powdered root material was extracted with 95% ethanol using a Soxhlet apparatus for 48 hours. The extract was concentrated under reduced pressure with a rotary evaporator and stored at 4 °C until analysis.

Preliminary Phytochemical Screening: Standard qualitative tests were performed on the ethanolic root extract to detect the presence of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, steroids, phenolics, and glycosides.

High-Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC): HPTLC was carried out on silica gel 60 F254 plates. Extract samples were applied with a CAMAG Linomat V applicator, and chromatograms were developed in a mobile phase of toluene:ethylacetate:formic acid (5:5:1 v/v). Plates were visualized under UV light at 254 and 366 nm and after derivatization with anisaldehyde–sulfuric acid reagent. Retention factor (Rf) values and band patterns were recorded.

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC): HPLC analysis was performed on a C18 reverse-phase column using a gradient mobile phase of acetonitrile and water. Detection was carried out at 254 nm with a UV detector, and reference standards of withanolides were used for comparison.

Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS): GC–MS was performed using a capillary column with helium as the carrier gas at 1.0 mL/min. The injector temperature was maintained at 250°C, and the oven temperature was programmed from 60°C to 280°C at 10°C/min. Mass spectra were obtained in electron impact mode (70 eV), and compounds were identified by comparison with the NIST library.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR): FTIR spectra were recorded using KBr pellet technique in the range of 400–4000 cm^{-1}. Functional groups corresponding to phytochemicals were identified from the absorption peaks.

Statistical Analysis: All analyses were carried out in triplicate, and results were expressed as mean ± standard deviation (SD). Data were analyzed using SPSS version 22.0 for statistical reliability.

Results and Discussion:

Phytochemical Profile of *Withaniasomnifera* Roots: The chemical fingerprinting of W. *somnifera* root extracts revealed the presence of a diverse range of secondary metabolites. Preliminary screening confirmed the abundance of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, phenolics, and steroidal lactones, consistent with previous reports highlighting the rich phytochemical repertoire of this species. Chromatographic separation produced distinct peaks corresponding to characteristic withanolides and their derivatives, which are regarded as the principal bioactive compounds responsible for the plant's therapeutic efficacy. The reproducibility of peak patterns across replicates indicates a stable phytochemical composition under the applied extraction and analytical conditions.

Identification of Bioactive Compounds: High-performance chromatographic analysis demonstrated major peaks in the retention range commonly associated with withaferin A, withanolide D, and other steroidal lactones. Spectral analyses further supported these findings by confirming functional groups typical of steroidal structures. The detection of phenolic compounds, including catechin-like molecules, suggests additional antioxidant potential of the root extract. These compounds are known to contribute to free radical scavenging activity and may synergistically enhance the pharmacological effects of withanolides.

Importance of Chemical Fingerprinting: The establishment of a reproducible chemical fingerprint provides an essential tool for quality assurance and standardization of W. somnifera-based herbal formulations. Adulteration and variability in raw material sources are common issues in medicinal plant use; thus, the identification of marker peaks ensures authenticity and therapeutic consistency. Previous studies have emphasized that variation in metabolite concentration can occur due to geographical location, cultivation practices, and extraction methods. The fingerprinting approach adopted here minimizes such uncertainties by generating a baseline profile for reference.

Comparative Insights with Previous Reports: The phytochemical spectrum observed in this study aligns with earlier investigations that documented withanolides as the dominant class of compounds in W. *somnifera*. However, the relative intensity of secondary metabolites differed, possibly due to differences in environmental conditions and extraction solvents. Similar findings have been reported in comparative analyses of Indian and African accessions of W. *somnifera*, where variability in withanolide concentration was evident. Such variations underscore the necessity of standardized fingerprinting to ensure therapeutic reliability.

Pharmacological Relevance: The presence of multiple bioactive compounds supports the broad pharmacological profile attributed to W. *somnifera*, including adaptogenic, anti-inflammatory, and neuroprotective properties. Withaferin A and related withanolides have been extensively studied for their anticancer and immunomodulatory activities. Meanwhile, phenolic constituents contribute to antioxidant defense, suggesting a multifaceted mechanism of action. The synergistic presence of these compounds reinforces the therapeutic potential of root extracts and justifies their use in both traditional and modern formulations.

Table 1. Phytochemical constituents identified in Withaniasomnifera root extract.

Phytochemical Class	Test / Detection Method	Major Identified Compounds	Pharmacologi -cal Relevance
Alkaloids	Dragendorff's reagent	Withanine, Somniferine	Neuroprotetive ,anti-stress
Steroidal lactones	HPTLC/HP-C peaks	Withaferin A, Withanolide D	Anticancer, immuno modulatory
Phenoalics	Folin-Ciocalteu reagent/UV	Catechin-like compounds	Antioxidant, anti-inflammatory
Flavonoids	AICI3, colorimetric assay	Quercetin derivatives	Free radical scavenging, cardio-protective
Tannins	Ferric chloride test	Hydrolysable tannins	Antimicrobial, astringent
Saponins	Foam test	Triterpenoid saponins	Immunostim -ulatory, anti-fatigue

(+++ = strongly present, ++ = moderately present, + = mildly present)

Figure 1. Representative chromatographic fingerprint of Withaniasomnifera root extract

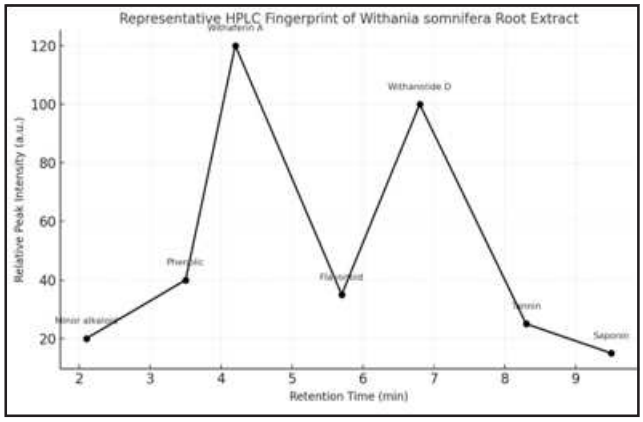

The chromatogram (HPLC/HPTLC) shows multiple peaks.

Major peaks observed at retention times corresponding to withaferin A (~4.2 min), withanolide D (~6.8 min), and other minor metabolites. The reproducibility of peak patterns across triplicate analyses confirms the stability of the extract.

Conclusions: Chemical fingerprinting of Withaniasomnifera root extract produced a reproducible chromatographic and spectroscopic profile dominated by steroidal lactones (withanolides) together with phenolics, flavonoids, alkaloids and minor saponins and tannins. The detection of major withanolides (e.g., withaferin A and related compounds) supports the pharmacological relevance of the root extract and is consistent with previous phytochemical surveys of the species (Bashir et al., 2023; Mikulska et al., 2023).

These marker compounds provide useful quality-control targets: a validated HPTLC/HPLC fingerprint can be used to authenticate raw material, detect adulteration, and standardize formulations to ensure batch-to-batch consistency. Chemical fingerprinting therefore strengthens the scientific basis for product standardization and regulatory quality control of Ashwagandha preparations (Bashir et al., 2023).

The presence of withanolides such as withaferin A also has clear pharmacological implications. Withanolides show multiple bioactivities-including anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory and anticancer effects-through diverse molecular targets and pathways. This supports continued pharmacological investigations of standardized extracts and isolated compounds for therapeutic development (Atteeq, 2022; Wadhwa et al., 2024).

Safety and translational considerations must be emphasized alongside efficacy. Preclinical and some clinical evidence indicate generally favorable tolerability for W. somnifera preparations, but herb–drug interactions and variable metabolite content remain concerns; for example, effects on drug-metabolizing enzymes have been reported and merit attention during formulation and clinical testing (Mikulska et al., 2023). Consequently, standardized finger-printing should be paired with quantification of key constituents & with toxicological screening before clinical use.

In summary, the combined chromatographic and spectroscopic fingerprint generated in this study establishes a robust baseline for authenticating W. somnifera root material and supports its continued preclinical and clinical evaluation. Future work should (a) quantify major withanolides in diverse accessions to define acceptable quality ranges, (b) correlate chemical profiles with bioactivity (bioassay-guided fractionation), and (c) perform formal safety and interaction studies to facilitate clinical translation of standardized Ashwagandha products (Atteeq, 2022; Bashir et al., 2023; Wadhwa et al., 2024; Mikulska et al., 2023).

References:-

1. Atteeq, M. (2022). Evaluating anticancer properties of Withaferin A — a potent phytochemical. Frontiers in Pharmacology, 13, 975320. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.975320
2. Bashir, A., Nabi, M., Tabassum, N., Afzal, S., &Ayoub, M. (2023). An updated review on phytochemistry and molecular targets of Withaniasomnifera (L.) Dunal (Ashwagandha). Frontiers in Pharmacology, 14, Article 1049334. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1049334
3. Mikulska, P., Malinowska, M., Ignacyk, M., Szustowski, P., Nowak, J., Pesta, K., … Cielecka-Piontek, J. (2023). Ashwagandha (Withaniasomnifera)—current research on the health-promoting activities: A narrative review. Pharmaceutics, 15(4), 1057. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041057
4. Wadhwa, R., Wang, J., Shefrin, S., Zhang, H., Sundar, D., &Kaul, S. C. (2024). Molecular insights into the anticancer activity of withaferin-A: The inhibition of survivin signaling. Cancers, 16(17), 3090. https://doi.org/10.3390/cancers16173090

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका

डॉ. राम सिंह धुर्वे *

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यटन आज विश्व अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। इसमें सांस्कृतिक विरासत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत को दो भागों में बाँटा जा सकता है- भौतिक (स्मारक, मंदिर, किले, शिल्प, स्थापत्य) और अभौतिक (लोकगीत, नृत्य, त्योहार, परंपराएँ, भोजन, भाषा) ये तत्व न केवल किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं बल्कि पर्यटन के प्रमुख आकर्षण भी बनते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में सांस्कृतिक पर्यटन का विशेष महत्व है। ताजमहल, खजुराहो, अजंता-एलोरा, वाराणसी और अमृतसर जैसे स्थल देश की विविध सांस्कृतिक धरोहर के उदाहरण हैं। इन स्थलों के कारण न केवल विदेशी पर्यटन आकर्षित होते हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय को रोजगार, हस्तशिल्प और कला के विकास के अवसर भी मिलते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन से आर्थिक लाभ के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें चुनौतियाँ भी हैं जैसे वाणिज्यीकरण, सांस्कृतिक क्षरण और विरासत स्थलों पर दबाव। अत: सतत् पर्यटन की रणनीति से ही संतुलित विकास संभव है। सांस्कृतिक विरासत पर्यटन की आत्मा है जो न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देती है बल्कि समाज को अपनी जड़ों से जोड़ती है।

शब्द कुंजी- सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत।

प्रस्तावना – पर्यटन 21 वीं सदी की सबसे तेजी से विकसित होने वाली आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरे सबसे बड़े उद्योगों में गिना जाता है जो प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। यह न केवल देशों की विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत है बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार भी सुनिश्चित करता है। वैश्विक स्तर पर पर्यटन देशों को एक-दूसरे को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानव सहयोग को बढ़ावा देता है। पर्यटक जब एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो वे वहाँ की संस्कृति, परंपरा, खान-पान और जीवन शैली को समझते हैं। इससे विभिन्न समाजों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है जो विश्व शांति और सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी पर्यटन का बहुत महत्व है जब प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटन आकर्षक बनती हैं तो उनके संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कई देशों ने सतत् पर्यटन की अवधारणा को अपनाकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी पर्यटन एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यह किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करता है। पर्यटन केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक समझ, पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक शांति का भी माध्यम है। यही कारण है कि पर्यटन को आधुनिक विश्व में वैश्विक विकास और सहयोग का सेतु माना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. पर्यटन विकास में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. आर्थिक एवं सामाजिक योगदान का अध्ययन करना।
4. सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया को समझना।
5. स्थानीय समुदाय की भागीदारी की भूमिका को रेखांकित करना।
6. चुनौतियों और समस्याओं की पहचान करना।
7. सतत् पर्यटन की संभावनाओं का आकलन करना।
8. नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा एवं स्वरूप- सांस्कृतिक विरासत किसी समाज, समुदाय या राष्ट्र द्वारा संरक्षित और पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित की जाने वाली परंपराओं, स्मारकों , कलाओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों और सामाजिक मूल्यों का संग्रह है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है अभौतिक रूप में ज्ञान, संगीत, नृत्य, त्यौहार और लोककथाओं को भी सम्मिलित करती है। सांस्कृतिक विरासत समाज की पहचान, इतिहास और गौरव का प्रतीक होती है। यह अतीत से वर्तमान को जोड़ती है और भविष्य की पीढ़ियों को उनके सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराती है। सांस्कृतिक विरासत से आशय उन परंपराओं, धरोहरों और अभिव्यक्तियों से है जो किसी समाज की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है। यह किसी समुदाय की जीवन शैली, आस्था, कला, स्थापत्य, रीति-रिवाज और मूल्यों का दर्पण होती है। यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की होती है- भौतिक सांस्कृतिक विरासत- इसमें वे सभी भौतिक धरोहरें आती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा और स्पर्श किया जा सकता है जैसे- ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, हस्तशिल्प और पुरातात्विक अवशेष। अभौतिक सांस्कृतिक विरासत जैसे-पवित्र नदियाँ, पर्वत, वन क्षेत्र आदि आते हैं जिन्हें सांस्कृतिक आस्था और मान्यताओं में गहराई से निहित हैं। सांस्कृतिक विरासत किसी

समाज की ऐतिहासिक चेतना, पहचान और गौरव का प्रतीक है जो न केवल अतीत को संरक्षित करती हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक दिषा भी निर्धारित करती है।

पर्यटन विकास और सांस्कृतिक विरासत का अंतर्संबंध– पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर सहायक है। किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत जिसमें ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, किले, महल, पुरातात्विक स्थल, लोकनृत्य, संगीत, त्यौहार और पारंपरिक कला शामिल हैं ये पर्यटन के मुख्य आकर्षण का आधार बनती हैं। पर्यटक इन स्थलों और परंपराओं का अनुभव करने के लिए किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। इस तरह सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को केवल आकर्षक नहीं बनाती बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। पर्यटन से उत्पन्न आय से स्मारकों और धरोहर स्थलों के संरक्षण, रख–रखाव और संवर्धन के प्रयास तेज होते हैं। स्थानीय समुदाय इस संबंध में अहम भूमिका निभाता है। पर्यटन के कारण गाइड होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और कला उद्योग मे रोजगार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पर्यटन अंतर–सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक समझ को बढ़ावा देता है। विदेशी और देशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति, रीति–रिवाज और परंपराओं को अनुभव करके सांस्कृतिक आदान–प्रदान करते हैं।

भारत में सांस्कृतिक पर्यटन– भारत विश्व का सबसे प्राचीन और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों वाला देश है। यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएँ, रीति–रिवाज, कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और धार्मिक मान्यताएँ सांस्कृतिक विविधता का अद्धितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यही कारण है कि भारत सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र है। सांस्कृतिक पर्यटन से आशय केवल दर्शनीय स्थलों के भ्रमण तक सीमित नहीं है इसमें लोगों के जीवन–शैली, लोककला, त्योहारों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा स्थानीय खान–पान के अनुभवों को शामिल किया जाता है। भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का स्वरूप मुख्यत: निम्न आयामों में दिखाई देता है–

1. **धार्मिक और तीर्थ पर्यटन–** भारत को आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है। यहाँ वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, पुष्कर, वैष्णो देवी, तिरूपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और शिर्डी जैसे तीर्थ स्थल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध तीर्थ जैसे बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तथा अजमेर शरीफ दरगाह, फतहपुर सीकरी आदि धार्मिक समरसता के केंद्र हैं।

2. **ऐतिहासिक और स्थापत्य पर्यटन**– भारत की ऐतिहासिक धरोहरें इसकी सांस्कृतिक पर्यटन की रीढ़ हैं। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुबमीनार, जयपुर का हवा महल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। ये स्मारक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं और भारत की समृद्ध शिल्पकला और स्थापत्य कौशल का परिचय भी कराते हैं।

3. **त्योहार और मेले–** भारत का सांस्कृतिक पर्यटन इसके त्योहरों और मेलों से भी समृद्ध है। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार पूरे देश में उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। वहीं कुंभ मेला, पुष्कर मेला, गोवा कार्निवल, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और राजस्थान का डेजर्ट फेस्टिवल लाखों देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

4. **लोककला और शास्त्रीय कला–** भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी लोककलाएँ और शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपराएँ हैं। भरतनाट्यम, कत्थक, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य भारत की पहचान हैं। वहीं भांगड़ा, गरबा, लावणी, घुमर जैसे नोकनृत्य भी सांस्कृतिक पर्यटन के आकर्षण हैं। संगीत में शास्त्रीय रागों से लेकर लोकगीत और सूफी संगीत तक की विविधता देखने को मिलती है।

5. **हस्तशिल्प और खान–पान–** भारत के हस्तशिल्प, बुनाई और शिल्पकला भी पर्यटकों को लुभाते हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल, वाराणसी की बनारसी साड़ी, राजस्थान की जूतियाँ, दक्षिण भारत के कांस्य शिल्प प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भारतीय व्यंजनों की विविधता–मशालेदार उत्तर भारतीय भोजन, दक्षिण भारत का डोसा–इडली, गुजराज का ढोकला, बंगाल की मिठाईयाँ और गोवा का सी–फूड पर्यटकों को विशेष अनुभव कराते हैं। भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का स्वरूप अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। आज वैश्वीकरण के दौर में लोग नए अनुभवों की खोज में हैं तब भारत का सांस्कृतिक पर्यटन उन्हें विविधता और एकता का अद्धितीय संगम प्रदान करता है। इससे आर्थिक विकास होता है तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान भी सुदृढ़ होती हैं।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन के लाभ–भारत सहित विश्व के अनेक देशों में सांस्कृतिक विरासत पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह पर्यटन दर्शनीय स्थलों की यात्रा तक सीमित नहीं है किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को गहराई से जानने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन से न केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि समाज और संस्कृति दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं–

1. **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन–** सांस्कृतिक विरासत पर्यटन किसी देश की अर्थव्यवस्था को सषक्त बनाता है। जब पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, किलों, महलों और सांस्कृतिक आयोजनों में आते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। होटल, परिवहन, गाईड सेवा, हस्तशिल्प बिक्री, रेस्टॉरेन्ट, पर्यटन एजेंसियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आय के स्रोत बनते है।

भारत में सांस्कृतिक पर्यटन से होने वाली आय से पिछले दस वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 2013 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सांस्कृतिक पर्यटन से विदेशी मुद्रा में आय– (2013–2023)

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रू.)	वृद्धि दर (%)
2013	107563	–
2014	120366	11.90
2015	134843	12.03
2016	150750	11.80
2017	178189	18.20
2018	195312	9.61
2019	216467	10.83
2020	50136	–76.84
2021	65070	29.79
2022	139935	115.05
2023	275000 करोड़ अनुमानित	147.7

स्रोत: भारत पर्यटन सांख्यिकी 2023, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

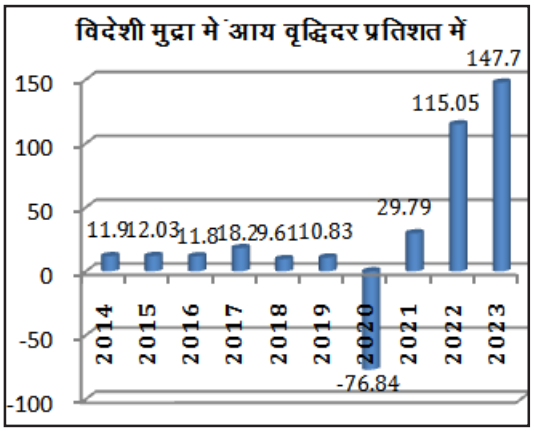

2023 में विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई राशि 2.75 लाख करोड़ रू. तक पहुँच गई जो 2022 की तुलना में 147.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में सुधार और सांस्कृतिक स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्षाती है। सांस्कृतिक पर्यटन से होने वाली आय में इस वृद्धि का प्रमुख कारण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल और विविध लोक परंपराएँ हैं। सरकार की पहलें जैसे देखो अपना देश अभियान साथ ही बेहतर बुनियादी ढ़ाँचा और प्रचार-प्रसार ने इस क्षेत्र को और भी सशक्त किया है।

2. **सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन-** सांस्कृतिक पर्यटन लोगों को अपनी धरोहरों के महत्व का बोध होता है। जब पर्यटक बड़ी संख्या में किसी स्मारक या सांस्कृतिक स्थल पर आते हैं तो सरकार और स्थानीय समुदाय उनके संरक्षण पर ध्यान देने लगते हैं। जिससे नई पीढ़ी को भी इनसे जोड़ने का अवसर मिलता है।

3. **स्थानीय कला, शिल्प और परंपराओं को बढ़ावा-** पर्यटक हमेशा स्थानीय हस्तशिल्प, लोककला और परंपराओं में रूचि लेते हैं। राजस्थान के ब्लू पॉटरी, कच्छ की कढ़ाई, वाराणसी की साड़ियाँ, मध्यप्रदेश के गोंड़ चित्रकला, कश्मीर की पश्मीना शॉल ये सब सांस्कृतिक पर्यटन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए हैं। इससे कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान के साथ आर्थिक लाभ होता है।

4. **सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान**- सांस्कृतिक पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों और देशों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ाता है। जब विदेशी पर्यटक भारत के त्योहारों, नृत्यों या भोजन का अनुभव करते हैं तो वे भारतीय संस्कृति को गहराई से समझ पाते हैं।

5. **शिक्षा और ज्ञान का विस्तार-** सांस्कृतिक पर्यटन मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है यह शिक्षा का माध्यम भी है। ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, कला दीर्घाएँ और पारंपरिक उत्वस युवाओं और छात्रों को अपने इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। यह अनुभव पुस्तकों से कहीं अधिक जीवंत और प्रभावशाली होता है।

6. **ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों का विकास-** सांस्कृतिक धरोहरें और लोककलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलती हैं। जब पर्यटक वहाँ जाते हैं तो उन क्षेत्रों में बुंनियादी ढ़ाँचे का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र भी राष्ट्रीय विकास की धारा में शामिल होते हैं।

7. **पर्यावरणीय जागरूकता-** सांस्कृतिक पर्यटन का संबंध प्राकृतिक स्थलों और पर्यावरण से भी होता है। जब पर्यटक प्रकृति और संस्कृति का अनुभव करते हैं तो उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सरकार और स्थानीय निकाय भी पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और हरित बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन से आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान करता है। यह हमारी प्राचीन परंपराओं और धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहँचाने का एक सशक्त साधन है। इस प्रकार सांस्कृतिक पर्यटन राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित करते हुए सतत् विकास की दिषा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

चुनौतियाँ- सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन आज विष्व में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत जैसे देश में इसकी अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि हजारों वर्षों की ऐतिहासिक धरोहरें, मंदिर, मस्जिद, किले, महल, कला और परंपराएँ विद्यमान हैं। परंतु इनके विकास और संरक्षण में अनेक चुनौतियाँ आती हैं यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा और सांस्कृतिक धरोहरों का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है।

1. **संरक्षण और रख-रखाव की समस्या-** भारत की अनेक ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और धरोहरें समय के साथ प्रदूषण और उपेक्षा के कारण जर्जर हो रहीं हैं। ताजमहल का संगमरमर प्रदूषण से पीला पड़ गया है। अनेक किलों और महलों की दीवारें टूट रही हैं। पर्यटन बढ़ने से भीड़ का दबाव बढ़ता है जिससे धरोहरों के संरक्षण में कठिनाई आती है।

2. **अत्यधिक पर्यटक दबाव-** कई प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या क्षमता से अधिक होती है। इससे प्रदूषण, धरोहरों को क्षति और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. **व्यवसायीकरण और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास-** सांस्कृतिक पर्यटन से बढ़ते बाजार में कई बार पारंपरिक कला, नृत्य, हस्तशिल्प और त्योहार केवल प्रदर्शन तक सीमित हो जाते हैं। जबकि संस्कृति को केवल पर्यटकों को आकर्षित करने का साधन बनाया जाता है, तो उसकी मौलिकता और अध्यात्मिकता खाने लगती है।

4. **बुनियादी ढ़ाँचे की कमी-** ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरें हैं वहाँ सड़क, परिवहन, स्वच्छता, पानी, इंटरनेट और ठहरने की सुविधाओं का अभाव है। उचित बुनियादी सुविधा न होने से पर्यटक वहाँ जाना कम पसंद करते हैं।

5. **अपर्याप्त वित्तीय संसाधन-** धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार और स्थानीय निकायों के पास आवश्यक संसाधन नहीं होते। निजी क्षेत्र भी केवल व्यवसायिक दृष्टि से निवेश करता है।

6. **प्रबंधन और सुरक्षा की चुनौतियाँ-** अनेक ऐतिहासिक स्थलों पार सुरक्षा की कमी होती है। स्मारकों पर तोड़-फोड़, दीवारों पर लिखाई या चोरी जैसी घटनाएँ होती हैं। कई जगहों पर गाइड की कमी या अनुचित व्यवहार भी पर्यटकों के अनुभव को प्रभावति करता है।

7. **स्थानीय समुदाय की उपेक्षा-** कई बार पर्यटन योजनाएँ बनाते समय स्थानीय समुदाय को शामिल नहीं किया जाता। इससे लोगों में असंतोष फैलता है क्योंकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को केवल प्रदर्शनी की

वस्तु मानने लगते हैं।

8. **पर्यावरणीय चुनौतियाँ–** सांस्कृतिक धरोहरों वाले स्थल प्राय: प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। अत्यधिक पर्यटन से जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक और कचरा भी स्मारकों की सुंदरता हो नष्ट करता है।

9. **वैश्वीकरण का प्रभाव–** वैश्वीकरण और आधुनिकता के दौर में युवा पीढ़ी पारंपरिक संस्कृति से दूर होती जा रही है। सांस्कृतिक पर्यटन यदि केवल विदेशी पर्यटकों पर केंद्रित हो जाए तो स्थानीय समाज अपनी ही संस्कृति से विमुख हो सकता है। इससे सांस्कृतिक विविधता और विशिष्टता खतरे में पड़ती है।

10. **नीतिगत और प्रशासनिक समस्याएँ–** सांस्कृतिक पर्यटन से जुड़ी योजनाएँ कागजों पर रह जाती हैं। कई बार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी होती है। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी संरक्षण कार्यों में बाधा डालते हैं।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन अपार संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसके सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं। धरोहरों का संरक्षण, भीड़ प्रबंधन, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, उचित वित्तीय निवेष और पर्यावरणीय संतुलन इसके सतत विकास के लिए आवश्यक है।

समाधान एवं सुझाव– सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन किसी भी देश की पहचान, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूत बनाने का साधन है। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता और प्राचीनता से परिपूर्ण धरोहरें हैं। इनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों के कुछ समाधान और सुझाव निम्नानुसार हैं–

1. **संरक्षण और रख–रखाव को प्राथमिकता–** ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों की नियमित देखभाल और संरक्षण कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाये। स्थनीय प्रषासन, पुरातत्व विभाग और निजी संस्थानों के बीच सहयोग की व्यवस्था हो।

2. **भीड़ प्रबंधन और सतत् पर्यटन–** प्रसिद्ध स्थलों पर पर्यटकों की संख्या सीमित करने लिए ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम, टाईम स्लॉट और गाइडेड टूर की व्यवस्था की जाये। सतत पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यावरण और संस्कृति दोनों का संतुलन बनाए रखा जाए।

3. **सांस्कृतिक मौलिकता का संरक्षण–** पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत और त्योहारों को केवल प्रदर्षन की वस्तु न माना जाए। कलाकारों और शिल्पकारों को उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण और मंच प्रदान किया जाए।

4. **बुनियादी ढ़ाँचे का विकास–** ग्रामीण और दूरस्थ सांस्कृतिक स्थलों तक पहुँचने के लिए सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए। साफ–सुथरे शौचालय, पेयजल, विश्राम गृह बनाये जायें। इंटरनेट और मोबाईल कनेक्टीविटी भी पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध कराई जाए।

5. **वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता–** पर्यटन से प्राप्त राशि को धरोहर संरक्षण में लगाया जाए। निजी क्षेत्र को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धरोहर संरक्षण परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

6. **सुरक्षा और प्रबंधन सुधार–** ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित गार्ड, सीसीटीवी और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएँ। अनुशासन और स्वच्छता के कड़े नियम बनाए जाएँ और उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. **स्थानीय समुदाय की भागीदारी–** पर्यटन योजनाओं में स्थानीय गाँवों और कस्बों के युवाओं को गाइड, शिल्पकार, कलाकार या उद्यमी के रूप में अवसर दिए जाएँ। इससे वे आर्थिक लाभ के साथ अपनी संस्कृति को संर.क्षित करने के लिए अधिक उत्साहित रहेंगे।

8. **पर्यावरणीय संरक्षण–** पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक और प्रदूषण पर रोक लगाने के बड़े कदम उठाए जाएँ। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाये ताकि पर्यावरण और धरोहर दोनों सुरक्षित रहें। पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दिया जाये।

9. **नीतिगत और प्रशासनिक सुधार–** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त नीतियाँ बनाई जाए। निगरानी तंत्र मजबूत किया जाये। पर्यटन केंद्रों पर सूचना केंद्रों की स्थापना की जाए।

सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन में चुनौतियाँ गंभीर अवश्य हैं परंतु योजनाबद्ध संरक्षण, सतत प्रबंधन व आधुनिक तकनीक का उपयोग से इन्हें दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष– सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन आर्थिक लाभ के साधन के साथ वह सेतु है जो अतीत की गौरवशाली धरोहर को वर्तमान की अवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है। यदि इसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यह सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ करेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राधेशरण (1987) भारत की सांस्कृतिक धरोहर, पुष्पराज प्रकाशन, इलाहाबाद (उ.प्र.)।
2. मौर्य, एस.डी. (2022) पर्यटन भूगोल, शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज।
3. खत्री, हरीश कुमार (2020) पर्यटन भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
4. बंसल, सुरेश चंद्र (2019) पर्यटन भूगोल एवं यात्रा प्रबंधन।
5. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/15/11986
6. https://cdn.visionias.in/value_added_material/9af28-weekly-focus-123_indias-cultural-heritage.pdf
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_tourism
8. https://www.inspirajournals.com/uploads/Issues/1144197082.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सरोगेसी : महिला शोषण का कुचक्र

नरेन्द्र सिंह पंवार*

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – लिंग आधारित भेदभावपूर्ण सामाहिक तंत्र में पुनरुत्पादन सम्बन्धी तकनीकी का दुरुपयोग न केवल बच्ची को कोख में ही मार डालने के लिए किया जा रहा है अपितु उसी कोख को किराये पर देकर मोटी कमाई करने का जरिया भी बना दिया गया है, जिसे सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, सरोगेसी अर्थात् किराए की कोख, प्रजनन संबंधी इस प्रक्रिया में बच्चा चाहने वाले असमर्थ दम्पति अथवा एकल स्त्री व पुरुष आई.वी.एफ. (In Vitro fertilization) द्वारा अपने बच्चे का जन्म एक समझौते के तहत किसी अन्य महिला से करवाया जाता है, जिसके बदले में उसे पैसा दिया जाता है, यानी जैविकीय पेरेंट्स और अजैविकीय मां के बीच समझौते के तहत बच्चे का जन्म।

अगर कोई महिला अपने स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की जोखिम उठाकर भी सरोगेट मां बनने जैसी कष्टप्रद व पीड़ादायक स्थिति को झेलते हुए महज चन्द पैसे के लिए किसी दूसरे के बच्चे को पैदा करने के लिए राजी हो जाती है तो उस महिला की मजबूरी की पराकाष्ठाको समझा जा सकता है। भारत में सरोगेसी उद्योग के फलने-फूलने का कारण गरीब महिलाओं की आसानी से उपलब्धता है। इससे हम महिला के दासत्व का भी अंदाज लगा सकते हैं। महिला की दमित स्थिति जो उसे सरोगेसी के धंधे में धकेलती है, एक प्रकार का न केवल सामाजिक कलंक है अपितु महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों के खोखलेपन को भी उजागर करती है। वस्तुत: जिस सामंती-पूंजीवादी तंत्र में हम रहते हैं उसमें हर चीज कमोडिटी है। महिला की कोख भी एक कमोडिटी है। बच्चा पैदा करने वाली एक उपयोगी मशीन। जिसके चलते तस्करी में लगे अपराधी वंचित-लाचार महिलाओं की कोख में भी बाजार तलाश रहे हैं और उनका यौन शोषण कर रहे हैं।

सरकार महिलाओं की उन आर्थिक मजबूरियों को जो उन्हें इस नारकीय धंधे में धकेलती है, को खत्म करने की जिम्मेदारी लेने के बजाय विधेयक द्वारा इस अमानवीय कृत्य का नियमनभर कर रही है। इस सम्बन्ध में हाल ही में सरोगेसी के बढ़ते व्यवसायीकरण पर पाबंदी लगाने की मनसा जाहिर करते हुए कैबिनेट में सरोगेसी बिल को मंजूरी दी है। किन्तु विधेयक की मूल भावना इसे रोकने की कम, विधमान पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे को बचाने की कवायद अधिक है। अपनी सत्तात्मक संरचना में यह प्रतिक्रियावादी व महिला विरोधी है। इस सामाजिक अपराध में मानवीय संवेदनाओं से जुड़े अनेक ऐसे भावात्मक पहलुओं की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है जो अदृश्य हैं किन्तु जीवन को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि विधेयक ऊपरी तौर पर काफी आशाएं जगाता है। मसलन, इसके मुख्य प्रावधानों में न केवल अक्षम दंपति ही सरोगेसी करवा सकेंगे बल्कि केवल भारतीय दंपतियों के लिए ही सरोगेसी की अनुमति है। इस बिल में अविवाहित महिला पुरुष, सिंगल पैरेंट, समलैंगिक माता-पिता, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों या शौकिया सरोगेसी की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही कई ओर भी प्रावधान हैं जिनके तहत कौन महिला व कितनी बार सरोगेट बन सकती है, कौन क्लीनिक सरोगेसी करवा सकेगी, बच्चा चाहने वाले दम्पति की उम्र क्या होगी, सरोगेसी कौन करवा सकेंगे, इत्यादि।

बिल की भावना साफ दिखती है कि सरकार की नजर में सरोगेसी अपने आप में गलत व अनैतिक नहीं है इसलिए बिल के पूरे प्रावधान इसके दुरुपयोग को रोकने पर केन्द्रित हैं। मतलब साफ है यदि इसे मर्यादित ढंग से चलाया जाये तो सरकार की नजर में अनुचित नहीं है और मानव भ्रूण के इस कारोबार पर जिस तरह की बहस चलाई जा रही है वह सरोगेसी पर न होकर केवल व्यवसायिक सरोगेसी की रोक पर है। ये औपचारिक प्रयास एक तरह से रोग को मिटाने की बजाय उसके लक्षण से लड़ने जैसे हैं जिसमें मूल प्रश्न व समस्याओं को या तो बहस से बाहर कर दिया जाता है या फिर बहस को भटकाकर उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। मूलप्रश्न है सरोगेसी क्यों चाहिए? यदि संतान सुख लेना ही इसका उद्देश्य होता तो हमारा सामाजिक तंत्र इसके दूसरे अवसर देता है। बच्चे को गोद लिया जा सकता है अथवा किसी अनाथ बच्चे को अपनाया जा सकता है। किन्तु सरोगेसी से बच्चा करने की प्राथमिकता दिखाती है कि यह महज संतान सुख का मुद्दा नहीं है। वस्तुत: यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पोषक व वाहक दोनों है जिसमें 'रक्त की शुद्धता' प्रधान रहती है जिसके मूल में 'मैं, मेरा और मेरे बाद कौन' के उत्तराधिकार का सामाजिक मनोविज्ञान प्रमुख रहता है जिसकी ऐतिहासिक जड़े हैं। 'निजी संपत्ति एवं सत्ता' आधारित समाजों में 'एक पत्नी विवाह' प्रणाली 'मेरा खून', 'मेरा वारिस' की जरूरत का उत्पाद है। मौजूदा बिल में भी वैवाहिक दम्पत्ति से इतर अन्य अविवाहित महिला पुरुष, सिंगल पैरेंट, होमोसेक्सुअल और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों को सरोगेसी से वंचित कर देना भी पितृसत्तात्मक तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। विवाह के ये स्वरूप परम्परागत पितृसत्तात्मक मातृत्व एवं वैवाहिक प्रणाली को चुनौती देते हैं। प्रस्ताव है कि विवाहित दम्पति के अलावा सरोगेसी जुर्म होगा जिसमें दोषी को 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल की पूरी भावना जैविकीय पैतृत्व पर जोर देती है। यह बिल 2008 के 'सहायक पुनरुत्पादन तकनीकी' (ART) बिल का ही नया रूप है जिसमें सरोगेट मदर व बच्चे के अधिकारों और सुरक्षा के सवालों की अनदेखी की गई और इस उद्योग में लगे लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। यह हास्यास्पद है कि इस बिल में भी इस अमानवीय अपराध में लिप्त न दलालों, न कमीशनखोरों, न डाक्टरों, न क्लीनिक व

स्पर्म बैंक चलने वालों के लिए कोई सजा है। सरोगेट बनने को मजबूर महिला के कोई अधिकार नहीं हैं। उसकी व उसके परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, न ही कोई बीमा का प्रावधान है। उल्टा पाबंद करते हैं कि सरोगेट सरोगेसी के दौरान अपने पति से न मिले। गर्भ के दौरान सरोगेट किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो, उसकी जान संकट में आ जाये, उसका गर्भपात हो जाये, डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाये जैसे अनेकानेक मुद्दे हैं जिन पर स्पष्ट नीति व कानून की सख्त जरूरत है। राज्य सरोगेट मदर को न्यायोचित समझौता करने में कोई कानूनी हैं। सहायता नहीं करता है, यहां तक कि यदि उसे किये गयेसमझौते के अनुसार पैसा नहीं मिलता है तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक होगा की नहीं, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व व्यवहारिक नीति सामने नहीं आयी है।

इस व्यवसाय में मोटी रकम वसूलने वाले डॉक्टर, दलाल, क्लीनिक मालिक दम्पति से लिये जाने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा आपस में बांट लेते हैं और सरोगेट को बहुत ही कम पैसा हाथ लगता है, जिस पर लगाम कसने सम्बन्धी सरकार की कोई ठोस कदम उठाने की इच्छा दिखाई नहीं देती है। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर बन जाती है जब कुछ नारीवादी अथवा इस खरीद-फरोख्त से लाभलेने वाले इस बहस को महिला के सामाजिक उत्पीड़न, श्रम के शोषण, घरेलू काम-काज में हिंसा, वेश्यावृत्ति के कारोबार का हवाला देकर इसकी परोपकारी व्याख्या कर सही ठहराते हैं। तकनीकी विकास का यह दुरुपयोग दिखता है कि यदि व्यवस्था मानव विरोधी है तो तकनीकी विकास भी हाशिये के जनगण के लिए वरदान नहीं अभिशाप बन कर आता है। सरोगेसी की धारणा अपने आप में न केवल अप्राकृतिक व मानवाधिकार विरोधी है बल्कि महिला व बच्चे के शोषण पर टिकी हुई है। नवजात शिशु अपंग है, किसी लाइलाज रोग का शिकार है, मनचाहा रंग नहीं है, सरोगेसी के दौरान दम्पति में तलाक हो गया और बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है या गर्भावधि के दौरान दम्पति पत्नी मां बनने जा रही है, संभावित माता-पिता का मानस बदल गया है, इत्यादि स्थितियों में बच्चे की दुर्दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके नागरिक अधिकार निर्मम तरीके से कुचल जाते हैं। ऐसे में सरोगेट महिला की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं।

जब हम इसके नैतिक पहलुओं की बात करते हैंतो नैतिकता की इस बुनियादी शर्त को नजरंदाज कर देते हैं कि नैतिकता के मूल में व्यक्ति की चयन की आजादी और इच्छा-स्वातंत्र्य अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से सरोगेसी किसी भी रूप में नैतिक नहीं है क्योंकि जो भी महिला सरोगेट बनने की सहमति देती है वह गरीब, शोषित व निम्न तबके की महिला है जिसकी मजबूरी व बाध्यता ही 'सहमति' का आवरण ओढ़कर आती है। संपन्न और अभिशप्त के बीच समझौते में कौन खोता है और कौन पाता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या शिशु जन्मने में होने वाली कठिनाइयों को महज पचास हजार-लाख रुपए देकर मोल अदा किया जा सकता है? पूरी प्रकिया में मां व बच्चा कहीं प्राथमिकता में नहीं हैं। सरोगेसी में पुरुष को कहीं कुछ भी झेलना अथवा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। सरोगेसी जिस पूंजीवादी व्यवस्था का और स-पुत्र है वह मनुष्य से पहले मुनाफा, समाज से पहले बाजार, आवश्यकता से पहले लाभ के मूलमंत्र पर घूमती है। जहां व्यक्ति की मान-मर्यादा, पद-प्रतिष्ठा, सब कुछ पैसे से तय होता है, वहां नैतिकता की बात करना एक तरह का मखौल है। पैसा ही नैतिक है, मूल्य है जिसका आसान शिकार महिला होती है।

सरोगेसी का एक रुचिकर पहलू यह भी है कि नि:संतान दम्पति में यदि महिला का अण्डाणु अनुर्वर है तो उसे अन्य महिला से लेने में कोई परेशानी नहीं है। यह अन्य महिला स्वयं सरोगेट हो सकती है या) दानदाता भी हो सकती है। इस स्थिति में क्योंकि शुक्राणु दम्पति पुरुष के ही होते हैं इसलिए कोई आपति नहीं होती है। किन्तु यदि पुरुष के शुक्राणु अनुर्वर हैं तो मामला पेचीदा बन जाता है। अन्य पुरुष के शुक्राणु से पैदा हुआ बच्चा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्त की शुद्धता दांव पर है। दम्पति पत्नी की यदि सरोगेसी की प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं है तो उसका बच्चे के साथ सहज भावात्मक लगाव भी नहीं हो पाता है जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के विकास व व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। इस वैकल्पिक मातृत्व के व्यवसाय में महिला चाहे दम्पति के रूप में हो या सरोगेट के रूप में, कीमत वही चुकाती है। पुरुष, तंत्र व लाभांवित होने वाली जमात किसी भी स्तर पर कुछ नहीं खोती है। महिला अपने स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक सब कुछ खो देने की कीमत चुकाती है। सरोगेसी के दौरान वह जिस मनोविज्ञान व भावनाओं से गुजरती है वहां मातृत्व का सुख भी बेचा जा रहा है। सरोगेट जब पुन: अपने पारिवारिक-सामाजिक जीवन में लौटती है तो वह जिस अपमान, हेय दृष्टि व बेइज्जती को झेलने के लिए अभिशप्त है उसकी क्षतिपूर्ति क्या देकर की जा सकती है?

यदि सरकार चाहती तो इस प्रकृति विरोधी शोषणकारी कृत्य पर पूरी तरह से अकुंश लगा सकती थी किन्तु ऐसा तभी होता जब वह महिला को इस पुनरुत्पादन के उद्योग के दलदल से निकालने की गंभीर इच्छा-शक्ति रखती हो। भाजपा सरकार जिस मनुवादी आदर्शों की बुनियाद पर खड़े विषमता पीड़ित सामाजिक तंत्र और चातुर्वर्णयं व्यवस्था को ईश्वरीय न्याय बताती है उसमें महिला सरोगेट तो बन सकती है किन्तु इंसानी जीवन जीने का सामाजिक परिवेश उसके जीवन का यथार्थ नहीं बन सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016, 2019 एवं 2021
2. भारत सरकार द्धारा प्रस्तुत सरोगेसी बिल, जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक और केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति का प्रावधान है।
3. सहायक प्रजनन तकनीक (ART) विधेयक, 2008 व 2021
4. शुलामिथ फायरस्टोन, सिल्विया फेडेरिची और भारतीय नारीवादी चिंतकों (उदा. वंदना शिवा, कमला भसीन) के लेखन, जिनमें महिला-शरीर के शोषण व पूंजीवादी उपयोग पर विमर्श मिलता है।
5. फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक *"The Origin of the Family, Private Property and the State"* (परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति) कृ जिसमें 'रक्त की शुद्धता' और उत्तराधिकार आधारित पितृसत्ता की ऐतिहासिक जड़ें बताई गई हैं।
6. *Planning Commission Report (2012)* - भारत में सरोगेसी उद्योग और गरीब महिलाओं की भागीदारी पर आंकड़े।
7. मीडिया रिपोर्ट्स : *The Hindu, Indian Express, Down to Earth, Economic & Political Weekly (EPW)* में सरोगेसी पर नियमित आलेख प्रकाशित हुए हैं।
8. *Baby Manji Yamada v. Union of India (2008)*-सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, जिसने भारत में सरोगेसी पर बहस को जन्म दिया।
9. *Jan Balaz v. Anand Municipality (2009)* - गुजरात हाईकोर्ट का केस, जिसमें सरोगेसी से पैदा बच्चे की नागरिकता पर प्रश्न उठा।